

दिल्ली विकास प्राधिकरण
(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

का.आ. केंद्र सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण का दिल्ली विकास अधिनियम 1957 की धारा 11 क के अंतर्गत वर्ष 2041 के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली मुख्य योजना-2041 (दि.मु.यो.-2041) के रूप में दिल्ली मुख्य योजना (दि.मु.यो.) में निम्नलिखित व्यापक संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। ड्राफ्ट दि.मु.यो.-2041 के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से **पैंतालीस (45) दिन की अवधि** के अंदर वेबपोर्टल: <http://online.dda.org.in/MPD2041> द्वारा भेज सकते हैं अथवा आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, बी-ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई-मेल आई डी भी लिखें, जो पठनीय हो।

दिल्ली मुख्य योजना-2041 के बारे में

दिल्ली मुख्य योजना (एमपीडी) एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें वर्तमान स्थिति का आकलन करके और यह दिशा-निर्देशित करते हुए कि वांछित विकास कैसे प्राप्त करें, दिल्ली का विकास करने के बारे में बताया गया है। इस मुख्य योजना (मास्टर योजना) के लिए मुख्य एजेंसी दिल्ली विकास प्राधिकरण है। योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना दिल्ली के विकास से जुड़ी सभी एजेंसियों की सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसमें केंद्र सरकार, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार के संबंधित विभाग, सेवा प्रदाता, भूस्वामी एजेंसियां, विनियामक और अन्य स्थानीय निकाय इत्यादि शामिल हैं।

दिल्ली की पहली मुख्य योजना (मास्टर योजना) को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के तहत 1962 में प्रख्यापित किया गया था। इसके बाद मास्टर योजना 2001 और 2021 बनाए गए थे, जिनमें से प्रत्येक योजना संबंधित पिछले

योजना-दस्तावेज के व्यापक संशोधन के रूप में है। ये योजना 20 वर्षों की भावी अवधियों के लिए तैयार किए गए थे और इन्होंने दिल्ली के नियोजित विकास के लिए एक समग्र फ्रेमवर्क प्रदान किया।

दिल्ली मुख्य योजना-2041 एक 'कार्यनीतिक' और 'समर्थकारी' फ्रेमवर्क है जो पिछले प्लानों के कार्यान्वयन से लिए गए सबक के आधार पर शहर के भावी विकास को निर्देशित करने के लिए बनाया गया है।

दिल्ली मुख्य योजना 2041 दस्तावेज़ की संरचना

योजना दस्तावेज़ को इस प्रकार बनाया गया है कि उसे विभिन्न जन-प्रचार माध्यमों से सार्वजनिक डोमेन में साझा किया जा सकता है और दस्तावेज़ में जोड़ने या संशोधित करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई है। प्रत्येक अध्याय के लिए दस्तावेज़ के सामने सुलभ संदर्भ के लिए एक कोड दिया गया है: उदाहरण के लिए एचसीपी-1 'सार्वजनिक स्थलों का बेहतर प्रबंधन' नामक शीर्षक के अध्याय का सूचक है। योजना में नीचे दिए गए अनुसार दो खंड शामिल हैं:

- **वॉल्यूम 1: विज़न 2041 और समर्थकारी नीतिगत फ्रेमवर्क** में वर्तमान समय में दिल्ली, इसकी वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिति, वर्ष 2041 के लिए जनसंख्या के पूर्वानुमान और अन्य विभिन्न अनुमानों का बृहद-अवलोकन करने वाला एक परिचय शामिल है। इस खंड में दिल्ली मुख्य योजना (एमपीडी) -2041 के विज़न, लक्ष्य और उद्देश्य दिए गए हैं। इसके अलावा, इस खंड में छह भाग हैं जिनमें पर्यावरण, अर्थव्यवस्था (व्यापार और वाणिज्य थोक व्यापार, उद्योग और सरकारी कार्यालय शामिल हैं), परिवहन और गतिशीलता, धरोहर, संस्कृति और सार्वजनिक स्थलों, आश्रय और सामाजिक ढांचे और भौतिक अवसंरचना की मुख्य नीतियाँ शामिल की गई हैं।
- **वॉल्यूम 2: स्थानिक विकास कार्यनीति और कार्य योजना** तीन भागों में विभाजित है। पहले भाग में सभी प्रमुख कार्यनीतियाँ और विस्तृत प्रावधान, दिल्ली के भावी स्थानिक विकास को निर्देशित करने के लिए विशिष्ट मानदंड हैं जो शहर में ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड विकास-कार्य (लैंड पूलिंग एरिया,

हरित विकास क्षेत्र, नियोजित और अनियोजित क्षेत्रों के पुनःसुधार, पारगमन-उन्मुख विकास, कार्यनीतिक उत्थान आदि) दोनों को कवर करते हैं।

- दूसरे भाग में मास्टर योजना के लिए योजना-निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क का प्रावधान है जिसमें आवधिक समीक्षा करने और त्रुटि-सुधार की सुविधा देने के लिए कार्यान्वयन ढांचे की व्यवस्था सहित प्रगति की निगरानी करने के लिए प्रमुख निष्पादन संकेतक तय किए गए हैं। तीसरे भाग में विभिन्न प्रकार के विकास-कार्य के लिए विस्तृत विकास नियंत्रण मानदंड और शहरी डिजाइन दिशानिर्देश शामिल हैं।

नोट: कोई भी नया विकास / परियोजना / पुनर्निर्माण / परिवर्धन / परिवर्तन आदि जो एमपीडी-2041 की अधिसूचना के बाद सामने आते हैं, इस की नीतियों और मानदंडों का पालन करेंगे। अधिसूचना के समय चल रही किसी भी परियोजना (निर्माणाधीन) को पिछले योजना अर्थात् एमपीडी-2021 के मानदंडों के अनुसार निर्मित करने की अनुमति दी जाएगी। जिन परियोजनाओं का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है, वे लागू मास्टर योजना के अनुसार अपनी योजनाओं को संशोधित करेंगे और इसके लिए आवश्यक समय दिया जाएगा।

नोट:

निम्नलिखित पब्लिक डोमेन में हैं और सार्वजनिक आपतियाँ और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इनमें बाद में कोई संशोधन होने पर मु.दि.यो.-2041 में उपयुक्त ढंग से शामिल कर लिया जाएगा।

- हरित विकास क्षेत्र के लिए नीति
- अनधिकृत कॉलोनियों के लिए मानदण्ड
- बहुस्तरीय कार पार्किंग के लिए मानदण्ड

विषय-सूची

वॉल्यूम 1

- परिचय

1. दिल्ली विजन 2041 (V1)

खंड 1: पर्यावरण

2. प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का समाधान ढूँढना (ENV1)

3. ग्रीन-ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना (ENV2)

खंड 2: अर्थव्यवस्था

4. आर्थिक उत्पादन के स्थान (ECO)

खंड 3: धरोहर, संस्कृति और सार्वजनिक स्थल

5. सार्वजनिक स्थलों का बेहतर प्रबंधन करना (HCP1)

6. दिल्ली की धरोहर का प्रबंधन (HCP2)

खंड 4: आश्रय और सामाजिक अवसंरचना

7. आश्रय के लिए कार्य नीति बनाना (SSI1)

8. सामाजिक अवसंरचना का प्रावधान (SSI2)

खंड 5: परिवहन और गतिशीलता

9. कनेक्टिविटी और परिवहन अवसंरचना में सुधार (MOB1)

10. साइकिल गतिशीलता की दिशा में स्थानांतरण (MOB2)

11. दिल्ली को पैदल चलने और साइकिल चलाने के अनुकूल बनाना (MOB3)

12. दिल्ली में पार्किंग प्रबंधन (MOB4)

खंड 6: भौतिक अवसंरचना

13. दिल्ली को जल सुरक्षित बनाना: जल, अपशिष्ट जल और जल निकासी (INF1)

14. ठोस अपशिष्ट का कुशलतापूर्वक प्रबंधन (INF2)

15. विद्युत, गैस, दूरसंचार और डिजिटल अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) का प्रावधान (INF3)

16. आपदा की तैयारी एवं प्रतिरोधकता (INF4)

वॉल्यूम 2 स्थानिक विकास और योजना निगरानी हेतु फ्रेमवर्क

खंड 7: स्थानिक विकास फ्रेमवर्क

17. लैंड पूलिंग के माध्यम से नए क्षेत्रों का विकास (DEV1)
18. हरित विकास क्षेत्र में विकास (DEV2)
19. शहरी पुनरूद्धार (DEV3)
20. पारगमन उन्मुख विकास (DEV4)

खंड 8: योजना की निगरानी और मूल्यांकन

21. निगरानी फ्रेमवर्क (PME)

खंड 9: विकास कोड और विकास नियंत्रण मानदंड

22. विकास नियंत्रण मानदंड (DCN)

संक्षिप्तियों की सूची

शब्दावली

अनुलग्नक

**** हिंदी अनुवाद में किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर मूल अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।**

वॉल्यूम 1

विज्ञान 2041

और

नीति फ्रेमवर्क को सक्षम बनाना

परिचय

दिल्ली मुख्य योजना - 2041 भारत की स्वतन्त्रता के 75^{वें} वर्ष के समय में ही जारी किया गया है। भारत 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और इसका विकास-पथ अधिकाधिक उन शहरों द्वारा परिभाषित किया जा रहा है जिनका सकल घरेलू उत्पाद में 60 प्रतिशत का योगदान है। सरकार ने 2014 में योजनाबद्ध शहरी विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करके शहरी विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसे समावेशी, भागीदारी और संपोषणीय दृष्टिकोण अपनाकर लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार किया गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा कई राष्ट्रीय शहरी मिशन शुरू किए गए हैं। फोकस क्षेत्र में भारतीय शहरों में सभी शहरी मुद्दों को कवर किया गया है जैसे आवास, शहरी सेवाएं, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, स्मार्ट विकास, गतिशीलता, कचरा प्रबंधन, धरोहर, डिजिटल सक्षमता, और अन्य बातों के साथ साथ जल सुरक्षा इत्यादि। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार कई मानक, मानदंड, मॉडल नीतियां और रूपरेखाएं लाई है, जिन्हें शहरों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उनकी स्थिति का आकलन और निगरानी करने के लिए अपनाया और संदर्भित किया जा सकता है, जैसे कि, 'ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स' अथवा 'क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क'। शहरी पुनःसुधार पर, विशेष रूप से अनियोजित और असुरक्षित क्षेत्रों के पुनःसुधार तथा लोगों के स्वास्थ्य और आजीविका पर विशेष जोर दिया गया है।

दिल्ली हमेशा से भारत में प्रदर्शन-योग्य शहर रही है जिसने देश भर के कस्बों और शहरों में नीतियों और परियोजनाओं को प्रेरित किया है। एमपीडी-2041 पूर्णतः राष्ट्रीय स्तर की शहरी नीतियों के अनुरूप है और आने वाले वर्षों में शहरी आधारीक संरचना तैयार करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। दिल्ली नए विचारों की क्यारी है और यह शहर विकास का केंद्र बना रहेगा और 'नए शहरी भारत' का चेहरा होगा। इस योजना की कार्यनीतियां विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में देश भर से लिए गए अनुभवों पर आधारित हैं।

दिल्ली की वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिति: दिल्ली विश्व स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी, फलता-फूलता शहरी केंद्र होने के साथ-साथ दुनिया का एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है जिसकी अद्वितीय सांस्कृतिक संपदा है। भारत की राजधानी के रूप में, यह राष्ट्रीय सरकार का

केन्द्र है और इसके साथ ही संघ राज्यक्षेत्र के रूप में कार्य करता है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (एनसीटी) के रूप में इसे एक विशेष दर्जा भी दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में कई स्थानीय निकाय हैं जो अलग-अलग अधिकार-क्षेत्रों में काम करते हैं। हालांकि इस अनूठी शासन संरचना के कारण संस्थागत जटिलता पैदा होती है और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की समस्या भी आती है, फिर भी ये शहर को एक बेजोड़ क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक महत्व भी देता है।

दिल्ली काफी महत्वपूर्ण है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती मेगासिटी में से एक है और अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार, यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी निष्पादक और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। दिल्ली दुनिया के अग्रणी स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में से भी एक है। यह भारत और एशिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार केंद्रों में से एक है और उत्तर भारत का सबसे बड़ा एवं व्यस्ततम लॉजिस्टिक्स और व्यापार केंद्र है। दिल्ली को इस क्षमता का निर्माण करने और प्रदूषण, डिग्रेडेड पर्यावरण, भीड़भाड़, सुरक्षा की कमी और असमान जीवनयापन स्थितियों जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ये मुद्दे इसकी बाजार-क्षमता के लिए और वैश्विक बाजार को आकर्षित करने की दिशा में एक खतरा हैं।

दिल्ली को दुनिया के महान ऐतिहासिक शहरों में भी गिना जाता है, जहां भवनों और स्मारक तथा तीन विश्व धरोहर स्थल और एक जीवंत चारदीवारी शहर भी है, जो केंद्रीय व्यापार जिले का एक हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली एशिया के सबसे हरे भरे शहरों में से एक है और यमुना के किनारे स्थित एक शहर है। दिल्ली निर्मित और प्राकृतिक धरोहर के मामले में भी सुसंपन्न है और इसकी अनूठी संपदा को देखते हुए इसे वैश्विक सांस्कृतिक केंद्र बनाने की क्षमता का पता लगाने की आवश्यकता है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) (लगभग 55,083 वर्ग किमी क्षेत्र) के मध्य में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के चार महत्वपूर्ण शहरों से घिरी हुई है। यह शहरी समूह उत्तर भारत के लिए उपभोग और वितरण केंद्र के रूप में कार्य करता है, जिसका राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 7-8% हिस्सा है, जिसमें दिल्ली का योगदान 50% से अधिक है। वर्ष 2019 में इस क्षेत्र में निवेश में 95% की वृद्धि हुई है। दिल्ली निर्बाध संपर्क व्यवस्था और मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण प्रमुख पुनर्वितरण केंद्र है। भविष्य में, वितरण और पुनः वितरण के कार्य दिल्ली से स्थानांतरित होकर शीघ्र बनने वाले

समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और नोड्स में जा सकते हैं। हालांकि, दिल्ली शहर कारोबार, व्यापार और डिजिटल लॉजिस्टिक्स के लिए तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के प्रधान संचालक के रूप में अपना आर्थिक प्रभुत्व बनाए रखेगा।

केंद्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (सीएनसीआर) एकल सामाजिक-आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करता है। इसमें मुख्य रूप से दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा शामिल हैं जो एक दूसरे पर मजबूत निर्भरता प्रदर्शित करते हैं। दिल्ली मेट्रो पूरे सीएनसीआर को सेवाएं देती है और इसका एक बड़ा हिस्सा अंतर-शहर यात्राओं का है और जल्द आने वाली क्षेत्रीय रैपिड रेल शहर की सीमाओं को और भी कम कर देगी। इस तरह की मजबूत कनेक्टिविटी के चलते, कार्यस्थल और निवास स्थान के बारे में निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोगों के लिए दूरी अब कोई बड़ा कारक नहीं रहा है। दिल्ली शहर को अपनी भावी भूमिका के लिए एक ऐसे शहर के रूप में योजना बनाने की आवश्यकता है जो मनोरंजन, कार्य, निवास या अल्प प्रवास के अनेक विकल्प प्रदान करता है। ऐसा दिल्ली की अनूठी और विशिष्ट संपदाओं और विशेषताओं को विकसित करके किया जा सकता है ताकि एक वैश्विक सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में इसका आकर्षण बढ़ाया जा सके।

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली क्षेत्रफल के लिहाज से देश का सबसे बड़ा शहर है, जो लगभग 1486.5 वर्ग किमी में फैला है। इसमें 367 गाँव हैं, जिनमें से अधिकांश को शहरी घोषित किया गया है। 11 जिले, 33 तहसील/सब-डिवीजन, 272 वार्ड और पांच स्थानीय निकाय हैं जो सिविक प्रशासन का संचालन करते हैं नामतः नॉर्थ डीएमसी, साउथ डीएमसी, ईस्ट डीएमसी, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद और कैंटोनमेंट बोर्ड। योजना और प्रबंधन में आसानी के लिए दिल्ली को 18 योजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

दिल्ली की जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल, जनसंख्या अनुमान और विकास संबंधी जरूरतें: रोजगार, उच्च शिक्षा और निवास के मामले में दिल्ली एक अत्यधिक पसंदीदा शहर है। दिल्ली की जनसंख्या पिछले सात दशकों से उच्च दर पर बढ़ी है। 1951-61, 1961-71, 1971-81, 1981-1991, 1991-01 और 2001-11 की भारत की जनगणना के अनुसार, एनसीटी दिल्ली ने क्रमशः 52.44%, 52.91%, 52.98%, 51.45%, 47.03% और 21.20%, की दशकीय वृद्धि दर दर्ज की। प्राकृतिक वृद्धि और प्रवासन दोनों के संदर्भ में

वृद्धि दर पिछले दो दशकों में कम हुई है। हालाँकि, सम्पूर्ण अर्थ में, एनसीटी दिल्ली में भारत की आबादी का लगभग 1.39% है और यह दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है।

दिल्ली एक बहु-सांस्कृतिक, महानगरीय शहर है जहां देश में दूसरी सबसे बड़ी आप्रवासी आबादी रहती है। जनगणना 2011 में लगभग 2.26 मिलियन प्रवासियों को दर्ज किया गया जो दिल्ली में 0-9 वर्षों से निवास कर रहे थे। हालांकि, पिछले दशक (2001-11) में, दिल्ली में कुल प्रवास कम हो गया है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट (2018-19) यह बताती है कि काफी आप्रवासी पड़ोसी राज्यों से थे और गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, नोएडा, गाजियाबाद आदि के विकास और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए रोजगार संवर्धन कार्यक्रमों ने दिल्ली में प्रवास को कम करने में योगदान दिया है। हालांकि, प्रवासियों की पूर्ण संख्या काफी अधिक है और आवास, सुविधाओं और रोजगार के विकल्पों की व्यवस्था करने के लिए उनके प्रोफाइल की एक व्यापक समझ, प्रवास के उद्देश्य और अवधि को जानना भी महत्वपूर्ण है।

भारत की स्वतंत्रता और विभाजन के ठीक बाद दिल्ली में आबादी में भारी वृद्धि हुई। शहर के मूल निवासियों के अलावा कई परिवारों ने दिल्ली में ठिकाना बनाया और कई अन्य लोग समय बीतने के साथ सरकारी नौकरियों और अन्य अवसरों के लिए यहां चले आए। वर्तमान में, दिल्ली की आबादी के एक बड़े हिस्से की कुछ जड़ें इसी शहर में हैं, जिसमें एक पूरी पीढ़ी शामिल है जो यहां पैदा हुई और यहीं उसने परवरिश पाई। दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार, 30.3% आबादी 15-30 वर्ष की आयु वर्ग की है, जिससे दिल्ली दुनिया के सबसे अधिक युवा आबादी वाले शहरों में से एक बन गई है। उच्च साक्षरता दर (86.2%) के साथ, दिल्ली में 15-59 वर्ष की आयु के बीच लगभग 1.1 मिलियन लोगों का एक बड़ा शिक्षित कार्यबल है (2011)। यह प्रतिभा को रोक रखने के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसरों और स्थान की व्यवस्था करने तथा शहर एवं देश के लिए एक कुशल कार्यबल बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

दिल्ली का कुल लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, हालांकि दोनों में पिछले एक दशक से सुधार देखा गया है। हालांकि पिछले दशक से कार्यशील आयु वाली महिलाओं की आबादी में हिस्सेदारी बढ़ी है लेकिन महिला श्रम भागीदारी दर पुरुष

कार्यबल की तुलना में पाँच गुना कम सिर्फ 14.3% है। इस शहर को कार्यबल में अधिक महिलाओं को शामिल होने के लिए प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। यह कार्य सुरक्षित और महिला अनुकूल सड़कों, सार्वजनिक स्थलों और पर्याप्त बाल देखभाल सुविधाएं देने वाले कार्यस्थलों की व्यवस्था करके किया जाना होगा। दिल्ली में महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं इससे उम्मीद की जा सकती है भले ही अप्रत्यक्ष रूप से, लिंग अनुपात में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

दिल्ली की 30% के करीब आबादी में 0-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे और युवा शामिल हैं, जो दिल्ली को अधिक बाल अनुकूल शहर बनाने की आवश्यकता दर्शाता है। विश्व स्तर पर, बच्चों का समग्र प्रारंभिक विकास जीवन की अच्छी गुणवत्ता का सूचक होने के रूप में सर्वोपरि माना जाता है, जो बच्चों के स्वस्थ और सकारात्मक वयस्क बनने के लिए जरूरी है। इसलिए इस शहर में सभी आयु वर्ग और क्षमताओं के बच्चों के लिए अवसंरचना उपलब्ध कराना अत्यावश्यक है।

दिल्ली अत्यधिक शहरीकृत है। 1901 के 53% की तुलना में 2011 में 97% से अधिक आबादी शहरी थी। वर्तमान में, ज्यादातर लोग मुख्यतः शहर के मध्य, पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी भाग में निवास और कार्य करते हैं। 2021-41 की योजना-अवधि में, शहर के पश्चिमी और उत्तरी परिधि को बड़े पैमाने पर विकास के लिए निर्धारित किया गया है। जनसंख्या का घनत्व 1991 के 6352 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. से बढ़कर 2011 में 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो गया है। शहर भर में घनत्व अलग-अलग हैं और कम घनत्व वाले इलाकों को अत्यधिक घनत्व वाले अनियोजित क्षेत्रों के निकट बसाया गया है जिसके चलते शहर में पुनःसुधार के लिए एक अति विस्तृत-व्यापक नीति बनाने की आवश्यकता है।

विभिन्न मापदंडों के अनुसार विकास मान्यताओं के आधार पर वर्ष 2041 में दिल्ली की जनसंख्या उच्च, मध्यम और निम्न विकास परिदृश्यों के अनुसार क्रमशः 30.9 मिलियन, 29.1 मिलियन और 27.8 मिलियन होना अनुमानित है। पिछले दो दशकों में विकास दर में गिरावट के कारण के तौर पर, मध्यम विकास परिदृश्य (29.1 मिलियन) को सबसे अधिक संभावित अनुमान के रूप में अपनाया गया है। इसके लिए जब भी जनसंख्या को अद्यतन किया जाए मध्य-मार्ग में पुनः नाप-जोख की आवश्यकता होगी। तालिका 1 में पांच-वर्षीय विकास अनुमानों को दिखाया गया है:

दिल्ली के लिए पांच-वर्षीय विकास अनुमान

वर्ष	पुरुष (मिलियन में)	महिला (मिलियन में)	कुल (मिलियन में)
2021 (आधार वर्ष)	11	9.5	20.6
2026	12.2	10.4	22.6
2031	13.4	11.4	24.8
2036	14.6	12.3	26.9
2041	15.9	13.3	29.2

शहर की जनसांख्यिकी प्रोफाइल में दो महत्वपूर्ण परिवर्तनों की संभावना है। कार्यशील आयु (आयु वर्ग-25-60 वर्ष) के व्यक्तियों के अनुपात में भारी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने और इस मानव-आबादी द्वारा प्रस्तुत संभावित आर्थिक लाभों का दोहन करने की आवश्यकता का संकेत देता है। यह विश्लेषण 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों के अनुपात में वृद्धि को भी इंगित करता है। इस तरह यह इस योजना में बुजुर्गों के लिए विशिष्ट प्रावधान किए जाने की आवश्यकता को भी इंगित करता है।

पिछले योजना में अनुमान लगाया गया था कि 50% जनसंख्या वृद्धि प्रवासन के कारण होगी। मौजूदा आबादी की बढ़ती जरूरतों और भूमि की ऊंची कीमतों के कारण शहर में अनियोजित बस्तियों का विकास हुआ है। मौजूदा योजना अवधि के दौरान प्रवासन से जनसंख्या में 41% वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है, जो ऐसे नए प्रकार आवासों को बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो विभिन्न आयु वर्गों और विभिन्न कार्यकाल संबंधी आवश्यकताओं की जरूरतों को पूरा कर सके।

दिल्ली के लिए आधारभूत (बेसलाइन) मूल्यांकन : वर्तमान स्थिति को समझने के लिए और विभिन्न क्षेत्रों के तहत व्याप्त अंतराल का आकलन करने के लिए, एमपीडी-2041 के लिए सभी संबंधित हितधारक एजेंसियों को शामिल करते हुए एक व्यापक बेसलाइन बनाई गई थी। प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से डेटा इकट्ठा किया गया था और परिवहन, पहुंच, अर्थव्यवस्था, धरोहर और अनियोजित बस्तियों के लिए अध्ययन किए गए थे। लगभग 200 विशेषज्ञों ने दिल्ली में विभिन्न क्षेत्रों और विकास के पहलुओं के संबंध में जानकारी दी। इस बेसलाइन कवायद में सभी कोर एजेंसियां और केंद्र, राज्य और स्थानीय

सरकारों के विभाग शामिल थे। बेसलाइन तथा पृष्ठभूमि के अध्ययन के साथ-साथ प्रवृत्तियों और शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों (एसडब्ल्यूओटी) के विस्तृत विश्लेषण से इस शहर से जुड़े प्रमुख सरोकारों के बारे में पता चला। इन सबकी पुष्टि नागरिकों, हितधारकों और विशेषज्ञों, जिन्होंने योजना तैयार करने के दौरान सार्वजनिक विचार-विमर्श में भाग लिया और केन्द्रित सामूहिक चर्चा में भाग लिया, से प्राप्त विचारों के आधार पर की गई।

योजना तैयार करते समय दिल्ली के लोगों को शामिल करके उनकी राय, विचार और आकांक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। ऐसा सीएसओ, आरडब्ल्यूए संघों, बाजार संघों, पेशेवर निकायों, सार्वजनिक अभियानों आदि के साथ भागीदारी करके तथा लोगों के साथ सीधे संपर्क करके किया गया। सितंबर से नवंबर 2020 तक समर्पित ऑनलाइन सार्वजनिक परामर्श आयोजित किए गए, जिनमें युवाओं, दिव्यांगजन, पेशेवर लोगों, महिला संबंधी मुद्दों पर काम करने वाले एनजीओ, अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गियों में रहने वाले लोगों, व्यापारियों, उद्योग के प्रतिनिधियों आदि के साथ सत्र आयोजित किए गए। इन परामर्शों, केन्द्रित सामूहिक चर्चाओं, ऑनलाइन वेब पोर्टल और सोशल मीडिया के माध्यम से, एक शहर-व्यापी आउटरीच का प्रयास किया गया जिसमें प्रतिभागियों से 5000 से अधिक विज्ञान स्टेटमेंट प्राप्त किए गए थे।

बेसलाइन के अंतर्गत, पिछले मास्टर प्लानों की समीक्षा की गई थी ताकि दिल्ली के विकास-की दिशा का पता लगाया जा सके। एमपीडी-2021 की विस्तार से समीक्षा की गई जिससे इसके कार्यान्वयन से अनुभव प्राप्त किए जा सकें। 2021 के मास्टर योजना में विकास प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया ताकि भूमि अधिग्रहण से जुड़ी चुनौतियों को दूर किया जा सके और भूमि समेकन और विकास की प्रक्रिया को कार्य दक्ष बनाया जा सके। इसमें लैंड प्लानिंग, मिश्रित-उपयोग विकास-कार्य, पारगमन-उन्मुख विकास आदि जैसे कई नए सिद्धांतों को भी शुरू किया गया। एमपीडी 2041 पिछले योजना के इन नवीन प्रतिमानों पर आधारित है और इसमें 'कार्यनीतिक' और 'समर्थकारी' फ्रेमवर्क को विकसित करने के लिए उपयुक्त नीतियां बनाई गई हैं जो शहर के भावी विकास का पोषण कर सकता है।

अपने आकार की अधिकांश मेगासिटीज की तरह दिल्ली की भी अपनी क्षमता और अवसर है लेकिन ये अवसर अवहनीय शहरी स्वरूप, निर्मित पर्यावरण के क्षरण, भूमि उपयोग

और परिवहन के बीच असंतुलित स्थिति के मुद्दों के कारण कम हो जाते हैं जिसके कारण अवहनीय गतिशीलता पैटर्न, अनियोजित विकास का प्रसार, स्थान और वर्गों में नागरिक सेवाओं तक पहुँच में अंतर पैदा होता है और एक ऐसा विकास पैटर्न उभरता है जो प्राकृतिक वातावरण के साथ मेल नहीं खाता। 2041 की योजनाबद्ध रूपरेखा में इन मुद्दों का एक समग्र तरीके से समाधान करने का प्रयास किया गया है, जो दिल्ली की अंतर्निहित शक्तियों और अनुकूल अवसरों पर आधारित है ताकि शहर की वास्तविक क्षमता का लाभ उठाया जा सके। बेसलाइनिंग और सार्वजनिक परामर्श करने के साथ-साथ जनसंख्या, संसाधन उपलब्धता और आर्थिक विकास के अनुमानों के विश्लेषण से निम्नलिखित कुछ क्षेत्रों का पता चला है जिन पर फोकस किया जाना है:

मास्टर योजना के लिए मुख्य फोकस क्षेत्र

- i. **पर्यावरण:** यह शहर काफी हरा-भरा है लेकिन इस हरियाली का वितरण असमान है। कई स्थानों पर हरियाली की गुणवत्ता में भी सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा, दिल्ली लगातार अत्यधिक वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण से ग्रस्त है। यमुना भी बुरी तरह प्रदूषित है। इससे न केवल पर्यावरणीय संपदा और स्थानीय जैव विविधता को खतरा है, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य को भी खतरा है।
- ii. **पानी:** दिल्ली जल-अभाव वाला शहर है और फिर भी, यह संसाधन प्रणालीगत हानि, संरक्षण और पुनः उपयोग की कार्यनीति की कमी के कारण बर्बाद हो जाता है। इससे दिल्ली की विकास संभावनाओं के साथ-साथ दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए पानी की बुनियादी जरूरतों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
- iii. **महत्वपूर्ण संसाधन:** दिल्ली में बिजली की खपत और कचरे के उत्पादन को कम करने की आवश्यकता है, ये दोनों ही देश में सबसे अधिक खराब स्थितियां हैं। हमें कचरे का पुनर्चक्रण और नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करने के प्रयास करने होंगे।
- iv. **गतिशीलता:** शहर में अच्छा सार्वजनिक परिवहन-तंत्र उपलब्ध है, लेकिन यहां बड़ी संख्या में निजी वाहन हैं जो भीड़, अनियोजित पार्किंग, वायु प्रदूषण आदि का कारण हैं। नागरिकों विशेष रूप से दिव्यांगजन, बुजुर्गों और बच्चों के लिए गतिशीलता में

सुधार लाने के लिए गंतव्य स्थान तक कनेक्टिविटी और पैदल चलने एवं साइकिल चलाने के लिए अवसंरचना का निर्माण किया जाना चाहिए।

- v. **आवास:** शहर में भूमि की ऊंची कीमतों के कारण आवास की जरूरतों और आवास की आपूर्ति के बीच एक असंतुलन पैदा हो गया है। दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा अनियोजित है जहां अनधिकृत कालोनियां अपना मकान देने के साथ-साथ किराये के मकान देने के कम महंगे विकल्प देकर आवास की आवश्यकता को पूरा करती है। निर्माण की खराब गुणवत्ता और उच्च निर्मित घनत्व के कारण, ये विकास कार्य असुरक्षित हैं। नए प्रकार के तथा भिन्न भिन्न कार्यकाल के आवास बनाने की आवश्यकता है।
- vi. **निर्मित पर्यावरण और सार्वजनिक स्थान:** शहर में सुविधाएं और खुले स्थान जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के साथ अपर्याप्त हो गए हैं। कई क्षेत्रों में मौजूदा निर्मित स्टॉक पुराना और जीर्ण है। सार्वजनिक स्थलों को सब के लिए सुलभ और सुरक्षित बनाना होगा। इसलिए, शहर में कुछ क्षेत्रों की अवरुद्ध क्षमता को उजागर करने के लिए पुनःसुधार के साथ-साथ कार्यनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- vii. **धरोहर संपदा:** दिल्ली एक सांस्कृतिक राजधानी है और यहाँ बड़ी संख्या में धरोहर संपदा है। ऐतिहासिक संपदा और संरचनाओं के क्षरण और नुकसान को रोकने के लिए इस संपदा के संरक्षण और उनके अनुकूली पुनः उपयोग को बढ़ावा दिया जाना होगा।
- viii. **संवेदनशीलता:** दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र चार में आती है और आग लगने एवं बाढ़ से जुड़ी भूकंप की घटनाओं के उच्च जोखिम-क्षेत्र में है। ऊंची ऊंची इमारतों, और मकान की खराब गुणवत्ता और आयु इस असुरक्षा को और भी बढ़ाती है। कोविड-19 महामारी ने विकेंद्रीकृत अवसंरचना वाली स्वतः पूर्ण और मिश्रित उपयोग वाले क्षेत्रों को बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
- ix. **आर्थिक क्षमता:** दिल्ली को एक आर्थिक केंद्र के रूप में अपनी विशिष्ट भूमिका और क्षमता का पूरी तरह से दोहन करना है। विशिष्ट स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा फोकस क्षेत्र हैं। उद्यमियों के लिए अवसर और अच्छी कार्यशील परिस्थितियां सृजित करने के अलावा, विभिन्न प्रकार के लचीले और साझा स्थान की व्यवस्था करके स्वच्छ उत्पादन, स्टार्ट-अप, नवाचार और साइबर इकोनॉमी को बढ़ावा देना होगा। आर्थिक

क्षमता- विशेष क्षेत्रों जैसे कि विशिष्ट स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, पर्यटन और एम आई सी ई आधुनिक लॉजिस्टिक और विशेषीकृत व्यापार को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

- x. **निगरानी और मूल्यांकन:** बहु-एजेंसी समन्वय के साथ शहर के स्तर पर एक साझा डेटाबेस तैयार करने की आवश्यकता है तथा एकीकृत निगरानी प्रोटोकॉल स्थापित करने की आवश्यकता है। इससे शहर और विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति पर नजर रखने में मदद मिलेगी। इस शहर और योजना के लिए यह आवश्यक है ताकि हो रही प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन संभव हो पाए और परिवर्तन के अनुसार ढलें एवं त्रुटि सुधार किया जा सके। स्तरीय विकास करने के लिए सभी एजेंसियों और हितधारकों को सम्मिलित प्रयास करने की आवश्यकता है।

--- x --- x ---- x --- x ---

1.0 दिल्ली विज़न 2041

1.1 विज़न 2041

1.1.1 विज़न है- "दिल्ली को सतत, रहने योग्य और जीवंत बनाना"

1.1.2 योजना अवधि में निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा:

1.1.2.1 **लक्ष्य 1 (G1):** पर्यावरणीय दृष्टि से संपोषणीय शहर का निर्माण जो अपने नागरिकों के लिए स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सके और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सह सके।


1.1.2.2 **लक्ष्य 2 (G2):** भविष्य के लिए तैयार शहर का विकास हो जो कुशल गतिशीलता तंत्र के साथ-साथ अच्छी गुणवत्ता, सस्ता और रहने के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करे।

1.1.2.3 **लक्ष्य 3 (G3):** आर्थिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक गतिशील स्थान के रूप में उभरना।

1.1.3 योजना में विविधता को भी स्वीकार किया गया है और यह एक समावेशी शहर बनाने की दिशा में काम करता है जहां सभी को सुविधाएं और अवसर प्राप्त हों।

1.2 2041 के लिए उद्देश्य

1.2.1 यह विज़न और लक्ष्य 6 उद्देश्यों के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे:



1.2.1.1 **उद्देश्य 1: पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देना** - दिल्ली के विकास के लिए पर्यावरणीय मुद्दों तथा प्राकृतिक संपदाओं के कार्याकल्प, प्रदूषण को कम करने, निर्मित वातावरण को हरा-भरा करने, शहरी खेती जैसी

हरित कार्यकलापो की सहायता करने और प्राकृतिक एवं नियोजित खुले स्थानों के विविध रूप बनाने को प्राथमिकता देना ।

- 1.2.1.2 **उद्देश्य 2: आर्थिक विकास को सुगम बनाना** - एनसीआर के साथ संबंध सुनिश्चित करते हुए, समग्र निवेश माहौल में सुधार और अनेक प्रकार के कार्य और कार्यस्थलों को सपोर्ट करते हुए स्वच्छ अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना, दिल्ली के लिए एक अद्वितीय आर्थिक भूमिका निभाना।
- 1.2.1.3 **उद्देश्य 3: धरोहर, संस्कृति और सार्वजनिक जीवन का संवर्धन** - धरोहर और सांस्कृतिक संरचनाओं की सुरक्षा और उनका संवर्धन करना, मजबूत आर्थिक संबंध बनाना तथा सांस्कृतिक अनुभव, पर्यटन एवं सक्रिय सार्वजनिक जीवन के लिए अवसर पैदा करना।
- 1.2.1.4 **उद्देश्य 4: आवास और सामाजिक अवसंरचना में सुधार** - विभिन्न आय वर्ग और समूह के लोगों की विभिन्न प्रकार की आवास मांगों को पूरा करने के लिए पुरानी निर्मित संरचनाओं के पुनःसुधार को बढ़ावा देना, शहर के घने क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे की माँगों को पूरा करना, और पुरानी इमारतों को सुधारना और पैदल चलने योग्य मिश्रित-उपयोग वाले इलाकों को बढ़ावा देना।
- 1.2.1.5 **उद्देश्य 5: लो-कार्बन मोबिलिटी को बढ़ावा देना** - सार्वजनिक परिवहन और साइकिल परिवहन साधनों का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, घरों और नौकरियों को जन-परिवहन के करीब लाना, वाहनों की भीड़ को कम करना और गतिशीलता के कुशल, सस्ते और हरित विकल्प प्रदान करना।
- 1.2.1.5 **उद्देश्य 6: सहनशील भौतिक अवसंरचना का विकास करना** - पानी और ऊर्जा जैसे संसाधनों के उपयोग के लिए एक विवेकशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, पर्याप्त और निर्बाध सेवाओं की सुविधा प्रदान करना ताकि यह शहर डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से तैयार हो और आघातों एवं आपदाओं को सह सके।

1.2.2 यह मास्टर योजना की समर्थकारी नीतिगत फ्रेमवर्क है। विकास कार्यनीतियों को तैयार करने के लिए इन 6 उद्देश्यों के लिए एक अलग नीति क्षेत्र स्थापित किया गया है। मास्टर योजना की सभी नीतियाँ, स्थानिक विकास कार्यनीतियाँ और विकास नियंत्रण मानदंड विभिन्न प्रोत्साहन/उपकरण, विनियामक प्रावधान और मार्गदर्शी रूपरेखा बनाने के लिए तैयार किए गए हैं।

1.2.3 इन 6 उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एमपीडी 41 में शामिल प्रमुख विशेषताओं का सारांश:

तालिका 1.0: एमपीडी 2041 की मुख्य विशेषताएँ

समूह	विशेषता	अध्याय संदर्भ
पर्यावरण (उद्देश्य 1)	ग्रीन और ब्लू सम्पदा (प्राकृतिक और नियोजित) को ग्रीन-ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रीट करने के लिए व्यापक रूपरेखा बनाना ताकि बेहतर निरंतरता सुनिश्चित हो सके और प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कार्यनीतियाँ।	ENV1, ENV2
	सार्वजनिक इंटरफेस के साथ प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा और संवर्धन	ENV2
	प्राकृतिक नालों के आस-पास नए शहरी स्तर की संपदा-ग्रीनवे, अप्रयुक्त स्थलों और बंजर भूमि को ग्रीन-ब्लू संपदा के रूप में फिर से तैयार करना	ENV2
	योजना स्वीकृति के लिए भूखंडों/भवनों को हरा बनाना और ग्रीन-ब्लू फैक्टर (जीबीएफ) की शुरुआत	ENV2
	पार्कों का सुधार और विशेष क्षमताओं वाले पार्कों के लिए प्रावधान	ENV2
	हरित अर्थव्यवस्थाओं के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए	ENV2, DEV2

	समर्पित ग्रीन डेवलेपमेंट एरिया।	
अर्थव्यवस्था (उद्देश्य 2)	स्वच्छ अर्थव्यवस्थाओं की स्थापना के लिए प्रोत्साहन	ECO
	कार्यनीतिक औद्योगिक संपदा और डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स को ज्ञान, वित्त, सेवाओं, संस्कृति या रचनात्मक उद्योगों में परिवर्तन को बढ़ावा देना	ECO
	सेवायुक्त अपार्टमेंट, कामकाजी महिलाओं के छात्रावास, स्टार्ट-अप हब, साझा कार्यस्थल, ई-कॉमर्स, आदि जैसी सहायक सुविधाओं के लिए सरल मानदंड	ECO
	पुनःसुधार के लिए प्रोत्साहन देकर कार्य-केंद्रों का आधुनिकीकरण	ECO
	शहर के प्रवेश बिंदुओं के आतिथ्य, संभारिकी और माल ढुलाई, स्वास्थ्य और शिक्षा हब के रूप में बढ़ावा देना	ECO, DEV3
	कचरा निपटान -कर्मि, घरेलू उद्योग, सड़क पर सामान बेचने वालों सहित अन्य असंगठित कार्यकलापों के लिए सहायता	ECO
धरोहर, संस्कृति और सार्वजनिक जीवन (उद्देश्य 3)	धरोहर क्षेत्र, पुरातात्विक पार्क और सांस्कृतिक परिसरों के रूप में सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान	HCP2
	पहचान किए गए क्षेत्रों और सांस्कृतिक परिसरों के भीतर संरक्षण, पुनःसुधार और अनुकूल पुनः उपयोग के लिए प्रावधान	HCP2
	धरोहर टीडीआर (TDR) की शुरुआत	HCP2
	सक्रिय फ्रंटेज, चौक और प्लाजा, सड़क सुधार, सार्वजनिक स्थलों पर पैदल चलने योग्य स्थान बनाने की योजनाओं का कार्यान्वयन और सुरक्षा	HCP1

आश्रय (शेल्टर) और सामाजिक अवसंरचना (उद्देश्य 4)	नियोजित और अनियोजित क्षेत्रों का पुनःसुधार	SSI1, DEV3
	किराये की आवास व्यवस्था, छोटे मकानों और सस्ते आवास (विशेष रूप से विशाल परिवहन तंत्र के करीब) को बढ़ावा देना	SSI1
	कार्य या शिक्षा केंद्रों के करीब कॉडोमिनियम, हॉस्टल, छात्र हेतु आवास, कामगार आवास आदि की व्यवस्था	SSI1
	नए उपयोगों और भावी जरूरतों के लिए सामाजिक अवसंरचना हेतु मानदंडों और श्रेणियों का सरलीकरण। उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए मिश्रित उपयोग, वर्टिकल मिक्सिंग और बहु-सुविधा वाले प्लॉट	SSI2
	घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सुविधा-एफएआर और मानदंडों की कम संख्या जैसे उपायों की शुरुआत	SSI2, DEV3
गतिशीलता (उद्देश्य 5)	गतिशीलता के प्रबंधन के लिए एकीकृत संस्थागत ढांचा	MOB1
	जन परिवहन के अनुरूप पारगमन उन्मुख विकास	MOB2, DEV4
	कार्यनीतिक गतिशीलता के गलियारों की पहचान।	MOB1
	पैदल चलने और साइकिल के प्रयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान देना।	MOB3
	इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य हरित गतिशीलता के विकल्पों को मुख्यधारा में लाने को प्रोत्साहित करना	MOB1
	सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता, इलेक्ट्रिक	MOB4

	वाहनों के लिए स्थान चिह्नित करने, पार्किंग और पार्किंग प्रबंधन के अनुसार भिन्न भिन्न पार्किंग मानदंड	
	मल्टी-मोडल इंटीग्रेशन (मल्टी-मोडल हब के विकास सहित) और यात्रा शुरू करने के स्थान से लेकर गंतव्य स्थान तक कनेक्टिविटी की सुविधा	MOB2, MOB3
भौतिक अवसंरचना (उद्देश्य 6)	दीर्घकालीन जल सुरक्षा के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल प्रबंधन और वर्षा जल प्रबंधन के लिए संयुक्त नीति)	INF1
	जलापूर्ति मानदंडों को युक्तिसंगत बनाना	INF1
	अपशिष्ट जल उपचार का विकेंद्रीकरण, कचरे की रि-साइकलिंग और री-साइकिल किए गए पानी और ठोस अपशिष्ट के अधिकतम पुनः उपयोग के लिए मानदंड	INF1, INF2
	स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग	INF3
	सामुदायिक स्तर पर जल संचयन और भूमिगत जल की पुनर्भरण सुविधाओं की व्यवस्था	INF1
	हरित भवनों को बढ़ावा देना	DEV1-4
	डिजिटल और दूरसंचार अवसंरचना की व्यवस्था	INF3
	आपदा प्रबंधन (भूकंप, आग और बाढ़)	INF4

1.3 एमपीडी-41 के लिए अपनाए गए प्रमुख निर्देश

1.3.1 इस शहर के भावी विकास का पोषण करने और विभिन्न नीतियों के कार्यान्वयन में आसानी और लचीलापन लाने के लिए 5 प्रमुख दिशा-निर्देशों को कार्यनीतिक रूप दिया गया है।

1.3.2 समग्र स्थानिक विकासः: इस योजना में एकीकृत स्थानिक विकास कार्यनीति का प्रावधान किया गया है जिसमें घनत्व के परिवर्तनीय वितरण और एफएआर शामिल हैं जो शहरी केंद्र से निकटता, पर्यावरणीय भेद्यता, विशाल सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता, और यहाँ रहने, काम करने, मनोरंजन एवं जन जीवन के भावी केंद्र के रूप में अनुकूल संभावनाओं जैसे कारकों पर आधारित हैं। प्रस्तावित विकास स्पेक्ट्रम नीचे दिया गया है:

अधिक एफएआर मध्य/उच्च घनत्व पारगमन उन्मुख विकास योजनाएं केन्द्रीय व्यवसाय जिला नियोजित तथा अनियोजित क्षेत्रों के लिए शहरी पुनः सुधार योजनाएं	मध्य एफएआर / मध्य घनत्व लैंड पूलिंग के माध्यम से नए क्षेत्रों का विकास
प्रतिबंधित विकास पर्यावरणीय सुरक्षा के अन्तर्गत क्षेत्र	निम्न एफएआर निम्न घनत्व हरित विकास के लिए निर्धारित क्षेत्रों के अंदर विकास

1.3.3 विकास के लिए कार्यनीतिक दृष्टिकोण: इस योजना में कुछ कार्यनीतिक विकास केंद्रों/कॉरीडोर की पहचान की गई है जहां उच्च एफएआर आदि जैसे प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। यह भावी विकास के संभावित केंद्रों में लक्षित निवेश करने में सहायक होगा और पानी जैसे सीमित संसाधनों पर दबाव को कम करेगा। हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) का कार्यान्वयन इस दृष्टिकोण में सहायक होगा जो कार्यनीतिक और आवश्यक अवसंरचना वाले क्षेत्रों/गलियारों के भीतर शहर के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त अप्रयुक्त एफएआर को केंद्रित करते हुए संभव होगा।

1.3.4 स्थान/भूमि के सर्वोत्तम उपयोग के लिए मिश्रित उपयोग विकास: इस योजना में एकल-कार्यात्मक भूमि उपयोग योजना से हटकर मिश्रित उपयोग अपनाने का एक

बड़ा बदलाव किया गया है। भूमि-आधारित वितरण से हटकर निर्मित स्थान आधारित दृष्टिकोण विकसित हुआ है जिसमें शहर भर में संगत उपयोगों के मिश्रण और सह-अवस्थिति की व्यवस्था होगी और जहां भवनों के भीतर वर्टिकल मिश्रित उपयोग भी शामिल होगा। यह मौजूदा क्षेत्रों के भीतर सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार के लिए आवश्यक लचीलापन प्रदान करेगा, जिससे भूमि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित होगा। मिश्रित उपयोग के विकास से यात्रा दूरी में कमी आएगी, जीवंत और सुरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र सुनिश्चित हो पाएंगे।

1.3.5 विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी: इस योजना में विभिन्न हितधारकों की संयुक्त कार्रवाई (प्लानिंग, विलयन, संयुक्त योजना और निष्पादन) से निजी क्षेत्र के नेतृत्व में किए जाने वाले विकास को बढ़ावा दिया गया। यह एक महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक बदलाव है जहां नए क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ पुराने ब्राउनफील्ड क्षेत्रों के उत्थान को निजी पहल से लागू किया जाएगा।

1.3.6 केपीआई-आधारित योजना की निगरानी: इस योजना में एक मजबूत निगरानी ढांचा प्रदान किया गया है जो 20 प्रमुख निष्पादन संकेतकों के माध्यम से शहरी स्तर के बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति का जायज़ा लेना सुसाध्य करेगी। इससे निगरानी का फोकस परिसंपत्तियों के निर्माण से हटकर प्रभावों के आकलन पर आ जाएगा। उदाहरणार्थ संस्थापित किए गए एसटीपी की निगरानी के बजाय, यह योजना जलाशयों में प्रदूषण की स्थिति का आकलन करेगा। इससे कार्यनीतियों और कार्रवाइयों के लिए समय-समय पर त्रुटि-सुधार भी संभव हो पाएगा। (देखें: पीएमई)

खंड 1
पर्यावरण

पृष्ठभूमि और प्रमुख नीतिगत सरोकार

दिल्ली शहर का एक अद्वितीय पर्यावरणीय परिदृश्य है। एक ओर तो यमुना नदी, अरावली रिज, जलाशयों, जंगलों आदि के रूप में प्रचुर और विविध पर्यावरणीय संपदा है; और दूसरी ओर, यह शहर लगातार पर्यावरण क्षरण और प्रदूषण जैसी समस्याओं से जूझता है।

पर्यावरणीय संपदा - ग्रीन एंड ब्लू

इस शहर ने हरियाली बढ़ाने में तेजी से प्रगति की है जो पिछले दो दशकों में, 2001 के 150 वर्ग किमी. से बढ़कर 2017 में 300 वर्ग किमी. तक लगभग दोगुनी हो गई है। इस समय, यह प्राकृतिक और नियोजित हरियाली के साथ देश के सबसे हरे शहरों में शामिल है। वन विभाग, जीएनसीटीडी के अनुसार, लगभग 20% भूमि क्षेत्र हरित कवर के तहत है। भारतीय वन अधिनियम, 1927 के वर्गीकरण के आधार पर, दिल्ली में तीन प्रकार के वन हैं। रिज लगभग 7784 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला एक आरक्षित वन है जो राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली का लगभग 5.2% हिस्सा बैठता है। रिज को मुख्य योजना में एक क्षेत्रीय पार्क के रूप में वर्गीकृत किया गया है जहां बहुत सीमित विकास-कार्य और गतिविधियों की अनुमति दी गई है। दूसरी श्रेणी में 26 संरक्षित वन शामिल हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 1658 हेक्टेयर है। तीसरा, 40 अवर्गीकृत वन (लगभग 1090 हेक्टेयर) जिन्हें वन विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा शहरी वनों (सिटी फॉरेस्ट) के रूप में बनाए रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, 18,000 से अधिक पार्क और उद्यान हैं, जो शहर के हरित अनुपात को बढ़ाते हैं और कुल खुले क्षेत्र एवं हरित स्थानों का कुल क्षेत्र 30% के करीब तक ले जाते हैं। जैव विविधता के संरक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता को महसूस करते हुए, डीडीए ने विभिन्न क्षेत्रों में सात समर्पित जैव विविधता पार्क विकसित किए हैं जो शहरी जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक मॉडल के रूप में काम करते हैं।

दिल्ली में हरित संपदा (ग्रीन एसेट) का वितरण असमान है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में इसकी पैठ असमान है। कुछ ऐसे घने क्षेत्रों में हरियाली की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जहाँ प्रति व्यक्ति हरियाली देश में सबसे कम है। चिंता का एक और क्षेत्र हरियाली की गुणवत्ता है, क्योंकि प्राकृतिक हरियाली के क्षेत्र आक्रामक और विदेशी

प्रजातियों के पेड़ों से घिरे होते हैं जो भूमि को अपघटित करते हैं; और इसलिए, इनके स्थान पर देशी पेड़ लगाए जाने चाहिए।

दिल्ली में नीली संपदा (ब्लू एसेट) भी प्रचुर है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यमुना नदी है जिसका शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जुड़ाव है। शहर में 4000 से अधिक प्राकृतिक और निर्मित नाले हैं, जिनमें से 200 प्राकृतिक नाले नजफगढ़, ट्रांस यमुना और बारापुल्ला के तीन जल निकासी बेसिन में फैले हुए हैं। दिल्ली पार्क और गार्डन सोसायटी के अनुसार दिल्ली में झीलों, तलैया और तालाबों के रूप में 900 से अधिक जलाशय हैं। हालांकि, अतिक्रमण, प्रदूषण और जलाशयों के प्राकृतिक रूप से सूखने के कारण पिछले एक दशक में नीली संपदा का क्षेत्र कम हो गया है। नीली संपदा का कायाकल्प करना शहर में प्रमुख आवश्यक कार्यों में से एक है।

पर्यावरणीय प्रदूषण

दिल्ली के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण पूरे वर्ष में खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा इसकी भौगोलिक सीमाओं के बाहर से आता है, जिसका अर्थ है कि क्षेत्रीय स्तर की कार्रवाई की जानी आवश्यक होगी। घरेलू (शहर के भीतर) पीएम 2.5 प्रदूषण गर्मियों और सर्दियों के दौरान क्रमशः 26% और 36% है, जिसमें से 45% धूल की वजह से है (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय)। यह निर्माण गतिविधियों के दौरान धूल प्रबंधन की आवश्यकता और घने वन आवरण को बढ़ाने को रेखांकित करता है। दिल्ली में कुल वायु प्रदूषण का 20% परिवहन क्षेत्र से आता है। शेष वायु प्रदूषण घरों, कचरा जलाने, उद्योग और डीजल जनरेटर से उत्सर्जित होता है।

यमुना और अन्य जलाशयों में जल प्रदूषण के परिणामस्वरूप जलीय जीवन का लोप हो गया है और जल पारिस्थितिकी अस्त-व्यस्त हो गई है। दिल्ली में वज़ीराबाद से ओखला तक यमुना का 22 किलोमीटर लंबा हिस्सा, जो नदी की लंबाई का 2% से कम है, नदी में प्रदूषण के लगभग 70% के लिए जिम्मेदार है। बारहमासी नदी होने के बावजूद, यमुना में शुष्क मौसम में वज़ीराबाद से आगे की ओर कोई ताजा जल प्रवाह नहीं है। नदी में हो रहे जल-प्रवाह में नालों के माध्यम से बहने वाला उपचारित और अनुपचारित अपशिष्ट

जल शामिल हैं जो नदी में गिरता है। साहिबाबाद, शाहदरा, इंद्रापुरी, और तेहखंड नालों सहित जो 24 मुख्य नाले नदी में अधिकांश प्रदूषित बहिर्वाह के लिए जिम्मेदार हैं, उन नालों की निगरानी डीपीसीसी द्वारा की जाती है। नदी के प्रदूषण को रोकने की कार्यनीतियों में बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों को भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में अतिक्रमण या प्रदूषणकारी गतिविधि से पारिस्थितिक क्षति और बाढ़ के जोखिम की संभावना बढ़ जाती है।

शोर का स्तर डीपीसीसी द्वारा निगरानी किए गए सभी स्थानों पर दिन और रात दोनों के दौरान निर्धारित सीमा से कहीं अधिक है। 2017 में वर्ल्डवाइड हियरिंग इंडेक्स द्वारा दिल्ली को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शोर करने वाला शहर माना गया था।

शहर के विभिन्न स्थानों पर वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और सरकार द्वारा प्रदूषण, जो जन स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, को दूर करने के लिए कई कार्यनीतियों को अपनाया जा रहा है। एक स्वच्छ, स्वस्थकर और समृद्धशाली प्राकृतिक वातावरण जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने, शहर को प्रतिरोधक बनाने और निवासियों को अधिक रहने योग्य और टिकाऊ आवास प्रदान करने में मदद करेगा।

पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रासंगिक राष्ट्रीय और राज्य कानून और विनियम के साथ दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा मजबूत है। नियमों का कड़ाई से प्रवर्तन को सुनिश्चित करने, दिल्ली में प्रदूषण को कम करने, मात्रा, गुणवत्ता और पहुंच के मामले में दिल्ली के ग्रीन-ब्लू हिस्से को बढ़ाने हेतु तैयार की जाने वाली रणनीतियों का मिश्रण, दिल्ली की समृद्ध और विविध पारिस्थितिकीय धरोहर की रक्षा करेगा और इनके पोषण के लिए एक सक्षम वातावरण बनाएगा।

इस भाग में निम्नलिखित अध्याय शामिल हैं:

ENV1: प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का समाधान ढूँढना

ENV2: ग्रीन-ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना

2.0 प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का समाधान ढूँढना

- 2.1.1 वायु और जल प्रदूषण का बड़ा भौगोलिक प्रभाव पड़ता है। इन मुद्दों को व्यापक रूप से सुलझाने के लिए बहु-राज्य स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के भीतर, सदस्य राज्यों को क्षेत्रीय योजना के और पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण होगा तथा प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन का समाधान करने के लिए सहयोगात्मक कार्यों को शुरू करना होगा।
- 2.1.2 इसी प्रकार, यह सुनिश्चित करके कि कोई गैर-संसाधित अपशिष्ट जल और औद्योगिक अपशिष्ट जल जलाशयों में नहीं छोड़ा जाता है जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है, संबंधित राज्य सरकारों को प्रदूषण को कम करने की दिशा में यमुना नदी में पर्याप्त पर्यावरणीय प्रवाह को बनाए रखना चाहिए।
- 2.1.3 संबंधित राज्य सरकारों को बायोमास जलने, प्रदूषणकारी उद्योगों, वाहनों के उत्सर्जन, ईट-भट्टे, कोयला आधारित बिजली संयंत्र आदि जैसे प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित विनियमों और मानकों का पालन करना चाहिए।
- 2.1.4 दिल्ली को प्रदूषण के आंतरिक स्रोतों की समस्या का समाधान करने और जन-स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों को कम करने की आवश्यकता है। प्रदूषण के कारण और इसके शमन के उपायों का जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के साथ निकट संबंध है इसीलिए अधिकांश कार्यनीतियां इन दोनों क्षेत्रों के लिए सह-लाभ प्रदान करेंगी। पर्यावरणीय मापदंडों में दीर्घकालिक सुधार के लिए बेहतर हरित आवरण हेतु और स्वच्छ उद्योगों, कम-कार्बन प्रौद्योगिकियों, सतत आवाजाही, हरित भवनों आदि को बढ़ावा देने के लिए अनेक सहायक कार्यनीतियों की आवश्यकता होगी। यह अध्याय निम्नलिखित के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए एक बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण प्रदान करता है:-
- i. स्थानीय स्रोतों से वायु, जल और ध्वनि का कम प्रदूषण

- ii. जलवायु-संबंधी मुद्दों के प्रभावों का सामना करने की क्षमता में सुधार

2.2 बेहतर हरियाली के लिए कार्यनीतियाँ

2.2.1 ग्रीन एंड ब्लू संपदा हवा, शोर, पानी के साथ-साथ मिट्टी के प्रदूषण को भी सोख सकती है, और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद कर सकती है जैसे वर्षा के पैटर्न को विनियमित करना, शहरी गर्मी और बाढ़ को कम करना आदि। दिल्ली की ग्रीन-ब्लू अवसंरचना में सुधार लाने के लिए व्यापक कार्यनीतियाँ और कार्रवाइयाँ ENV2 में वर्णित हैं। इसके अलावा, दिल्ली की परिधि पर हरित बफर बनाए रखने और क्षेत्रीय स्तर के प्रदूषण सिंक बनाने की कार्यनीतियों का वर्णन DEV2 में किया गया है।

2.3 स्वच्छ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना

2.3.1 अनुलग्नक 1 में दी गई सूची के अनुसार प्रदूषणकारी उद्योगों को दिल्ली के भीतर प्रचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संबंधित प्राधिकारियों के निर्देशों के आधार पर, सूची को समय-समय पर जीएनसीटीडी और डीडीए द्वारा अद्यतन किया जाएगा। सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा एक संयुक्त कार्य योजना विकसित की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूदा प्रदूषणकारी उद्योगों को स्थानांतरित कर दिया जाए या उनके स्थान पर अन्य आर्थिक गतिविधियाँ शुरू की जाएं। गैर-प्रदूषणकारी आर्थिक गतिविधियाँ, जैसे कि सेवा उद्योग और स्वच्छ विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा और प्रोत्साहित किया जाएगा जैसाकि ईसीओ में वर्णित है।

2.4 वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना

2.4.1 इस शहर में वायु और ध्वनि प्रदूषण दोनों में वाहनों से होने वाले प्रदूषण का बड़ा योगदान है। दैनिक वाहनों की यात्रा की संख्या को कम करने और सार्वजनिक परिवहन एवं सक्रिय यात्रा मोड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत कार्यनीति MOB2 और MOB3 में दी गई है। मुख्य कार्यनीतियों में ये शामिल हैं:

- i) कार्यस्थलों एवं घरों को परिवहन नेटवर्क के करीब लाकर औसत यात्रा लंबाई को कम करने के लिए और मिश्रित-उपयोग और ट्रांज़िट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) को अपनाना।
- ii) सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में सुधार करना और प्रोत्साहित करना, बहु-मोडल हब का निर्माण और विनियामक उपाय जैसे कि कंजेशन प्राइसिंग आदि करना।
- iii) पैदल चलने, साइकिल चलाने और इलैक्ट्रिक वाहनों के अवसंरचना (ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर) में सुधार करके हरित आवा-जाही और सक्रिय यात्रा साधनों को बढ़ावा देना।
- iv) सार्वजनिक परिवहन के साथ-साथ आईपीटी और अन्य साझा साधनों के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन देकर हरित ईंधन अपनाना।

2.5 अन्य कार्यनीतियाँ

2.5.1 जलाशयों और भूमिगत जल के प्रदूषण को प्राथमिकता देकर समाधान किया जाएगा:

- i) यमुना नदी और विभिन्न प्राकृतिक नालों, झीलों और बावलियों के संबंध में जल गुणवत्ता में सुधार करने का कार्य शुरू किया जाएगा जिसे आसपास के विकास-कार्य से निकलने वाले अनुपचारित अपशिष्ट जल के बहिर्वाह पर रोक लगाकर किया जाएगा। सम्बन्धित एजेंसियां इस बारे में परियोजना कार्रवाई को लागू करेंगी।
- ii) दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (आईएंडएफसी) के साथ समन्वय करके यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे कि जहाँ तक व्यवहार्य हो, प्राकृतिक गैर-मशीनीकृत प्रणालियों का उपयोग करके मौजूदा प्रदूषकों को समयबद्ध तरीके से हटाया जाए।
- iii) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा प्रयोज्य प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल के अनुसार पूरे नाले की समय-समय पर जल-गुणवत्ता के संबंध में निगरानी की जाएगी।

2.5.2 ठोस अपशिष्ट के गैर-विनियमित डंपिंग और निपटान से भूमि और जल प्रदूषण होता है, इन्हें निम्नलिखित कार्यनीतियों द्वारा विनियमित किया जाएगा (देखें: INF2):

- i) शहर की किसी भी पर्यावरणीय संपदा में ठोस और तरल कचरे की डंपिंग को संबंधित एजेंसियों द्वारा सख्ती से निषिद्ध किया जाएगा और दंडित किया जाएगा।
- ii) स्रोत बिंदु पर कचरे का पृथक्करण किया जाएगा।
- iii) स्थानीय निकाय खुले क्षेत्रों में आयोजित बड़े सार्वजनिक समारोहों और त्यौहारों में उत्पन्न कचरे के प्रबंधन के लिए एक तंत्र विकसित करेंगे।
- iv) कचरे के पुनः उपयोग और रीसाइक्लिंग प्रथाओं को विभिन्न विकास योजनाओं का हिस्सा बनाकर मुख्यधारा में लाया जाएगा।

2.5.3 देशज पीएम 2.5 का 45% धूल के कारण है। निर्माण उद्योग इस मुद्दे का समाधान करने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। यह देखते हुए कि काफी भवन निर्माण कार्य लैंड पूलिंग क्षेत्रों में और पुनःसुधार परियोजनाओं के अंतर्गत किए जाने की संभावना है, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:

- i) सभी विकास परियोजनाएं निर्माण सामग्री और सीएंडडी कचरे को संभालने में धूल कम करने के उपायों का कड़ाई से अनुपालन करेंगी। सीपीसीबी अथवा किसी अन्य दिशा-निर्देशों के अनुसार धूल प्रबंधन योजना प्रस्तुत करेंगी। कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा निर्माण स्थलों की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी।

2.5.4 निम्नलिखित शमन उपाय शहर भर में अपनाए जाएंगे और शहर में चिह्नित प्रदूषण, बाढ़ या तापन के मुख्य स्थानों (हॉटस्पॉट) के भीतर प्राथमिकता के आधार पर लागू किए जाएंगे:

- i) जहां भी संभव हो, वहां फुटपाथ, सड़कों और छतों का निर्माण/ लेपन उच्च प्रकाशानुपात (एलबीडो) वाली हल्के रंग की सामग्री के साथ किया जाएगा। यह स्थानीय तापमान को 3-5 डिग्री तक कम कर सकता है।
- ii) सड़क भाग में वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए उपयुक्त पेड़ और बफर शामिल होंगे। जल-भराव को कम करने के लिए सतत शहरी

जल निकासी घटकों जैसे जैव-झुरमुट (बायोस्वेल), रेन गार्डन आदि (फलाईओवर के नीचे अवशिष्ट क्षेत्रों सहित) को भी शामिल किया जाएगा।

- iii) पेड़ों और पौधों की मूल प्रजातियां जो प्रदूषण फिल्टर के रूप में कार्य करती हैं, उन्हें हरियाली बढ़ाने की विभिन्न पहलों में शामिल किया जाएगा। मियावाकी वन, स्मॉग अवशोषण टॉवर और अन्य तकनीकी समाधान भी प्रदूषण के मुख्य स्थानों में प्रदूषण को कम करने के लिए अपनाए जा सकते हैं।
- iv) उच्च ग्रीन-ब्लू कारक (जीबीएफ) मान अर्थात् चिरकालिक प्रदूषण स्थान (क्रोनिक पॉल्यूशन हॉटस्पॉट) के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में भावी विकास के लिए उच्चतर हरियाली-अपेक्षाएं निर्धारित की जा सकती हैं। इसी तरह, शहर में बाढ़ के हॉटस्पॉट के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में तल कवरेज को सीमित किया जा सकता है और सोखने वाली सतह संबंधी अपेक्षाओं को बढ़ाया जा सकता है।
- v) सभी नए विकास-कार्यों में अस्पताल, स्कूल, वृद्धाश्रम आदि जैसी सुविधाएं तेज़ गति वाले यातायात गलियारों से दूर निर्मित किए जाएंगे।
- vi) ध्वनि प्रदूषण कार्य योजना जीएनसीटीडी द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम (2000) या सरकार द्वारा सुझाए गए किसी अन्य मार्गदर्शन ढांचे के आधार पर तैयार और कार्यान्वित की जा सकती है। शहर में ध्वनि प्रदूषण निगरानी केंद्रों की संख्या और प्रसार को बढ़ाया जा सकता है और ध्वनि प्रदूषण केंद्रों में तत्काल राहत के लिए शोर में कमी के उपयुक्त उपाय (वृक्षारोपण या शोर अवरोध) किए जा सकते हैं।

2.5.5 डीपीसीसी द्वारा पर्यावरणीय मापदंडों पर नज़र रखने के लिए एक मजबूत निगरानी ढांचा स्थापित किया जा सकता है:

- i) इस तरह की निगरानी से एकत्र किए गए डेटा को नियमित रूप से ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर प्रकाशित किया जाएगा ताकि इन मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। वायु प्रदूषण और शोर के स्तर जैसे मापदंडों, हरित क्षेत्रों और जलाशयों आदि में ठोस और तरल कचरे की अवैध डंपिंग पर सूचना अनेकानेक स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है। यह डेटा मॉनिटरिंग

स्टेशनों से प्राप्त साक्ष्यों में सहायक हो सकता है और प्रदूषण के स्रोतों और अपेक्षित कार्रवाई की एक सूक्ष्म स्थानिक समझ दे सकता है।

2.5.6 प्रदूषण के प्रबंधन में नागरिक और अन्य हितधारक स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी संबंधित एजेंसियां जागरूकता बढ़ाने के लिए और पर्याप्त और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए कदम उठाएंगी ताकि हितधारकों को कार्यान्वयन भागीदारों के रूप में शामिल किया जा सके।

--- x --- x ---- x --- x ---

3.0 ग्रीन-ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना

3.1.1 दिल्ली देश के सबसे हरे शहरों में से एक है जहां अरावली रिज, यमुना, वनों, धाराओं, नालों, झीलों और आर्द्रभूमि तथा साथ ही मानव निर्मित संपदा जैसे पार्क, मैदान, तालाब, बावलियों आदि के रूप में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक 'ग्रीन सम्पदा' और 'ब्लू सम्पदा' विद्यमान है। समस्त 'ग्रीन एंड ब्लू सम्पदा' और उनका अंतःसंबंधित नेटवर्क शहर की एक आवश्यक बुनियादी ढांचा परत है जो नागरिकों को आनंद के लिए खुली जगह प्रदान करता है और जैव विविधता, लघु जलवायु-क्षेत्र (माइक्रोकलाइमेट) एवं बाढ़ प्रबंधन के लिए बड़े नेटवर्क लाभ भी देता है। मुख्य योजना में इस शहर में 'ग्रीन-ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर' के एकीकृत प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा दी गई है जिसमें वृद्धि की परिकल्पना की गई है:

- i) प्राकृतिक ग्रीन-ब्लू सम्पदा के तहत आने वाले कुल क्षेत्र।
- ii) शहर में नई परियोजनाओं के अंतर्गत नियोजित हरित स्थान।

3.1.2 प्लान अवधि में निम्नलिखित चार-आयामी दृष्टिकोण लागू किया जाएगा, जिसमें मौजूदा प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षित और संवर्धित करने, शहरी-स्तर पर नई संपदाएँ बनाने और निर्मित पर्यावरण के भीतर ग्रीन-ब्लू अनुपात में वृद्धि करने के सम्मिलित प्रयास होंगे। इससे निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

- i) पर्यावरणीय - प्रति व्यक्ति अधिक हरियाली, समृद्ध जैव विविधता, कम तापन और बाढ़, प्रदूषण में कमी, जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर प्रतिरोधकता;
- ii) स्वास्थ्य - रहने का स्वच्छ वातावरण, सक्रिय जीवन शैली, बीमारियों और रोगों (मानसिक स्वास्थ्य सहित) का कम बोझ और जीवन की गुणवत्ता में सुधार;
- iii) सामाजिक-सांस्कृतिक - अधिक पर्यावरणीय जागरूकता और प्रकृति के साथ लोगों का घनिष्ठ संबंध, आराम, शारीरिक और सामाजिक गतिविधि के लिए स्थानों की उपलब्धता;
- iv) आर्थिक - निवेश गंतव्य के रूप में अधिक आकर्षण, बेहतर उत्पादकता, स्वास्थ्य देखभाल पर कम खर्च, शहरी खेती जैसी हरित अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना आदि।

3.2 प्राकृतिक ग्रीन एंड ब्लू सम्पदा का संरक्षण और सुधार

3.2.1 शहर में कई प्राकृतिक संपदाएं जैसे नदी, रिज, नाले और जलाशय पहले से ही संबंधित एजेंसियों द्वारा 'संरक्षित' या 'आरक्षित' क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किए गए हैं।

- i) 'खंड 3.5.1 में वर्णित ग्रीन-ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर के डेटाबेस के लिए जीएनसीटीडी और स्थानीय निकायों द्वारा डीडीए को परिसीमन सीमाओं के साथ 'पर्यावरण संरक्षण के तहत क्षेत्र' प्रदान किया जाएगा। यमुना के मामले में, परिसीमन में एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिदेशित 25 वर्ष में 1 बाढ़ प्रभावित मैदान या किसी अन्य मानदंड को शामिल किया जाएगा।
- ii) ऐसे स्थलों के भीतर केवल सीमित विकास की अनुमति दी जाएगी (देखें: DCN)।

3.2.2 ऐसे स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए व्यापक कार्यनीतियों को लागू किया जाएगा।

क) **चारदीवारी की सुरक्षा:** संबंधित एजेंसियों द्वारा निर्धारित बाड़ या चारदीवारी का निर्माण करके अथवा पैदल/साइकिल पथ की व्यवस्था करके।

- i) चारदीवारी के विकल्प के रूप में पर्यावरण-अनुकूल सामग्री / तकनीक जैसे कि वनस्पति के साथ अर्थ-बर्मिंग का यथासंभव उपयोग करना;
- ii) ऐसे स्थानों पर बाड़/दीवारें बनाने से बचा जाएगा जहां सीमाएं स्पष्टतः सड़कों, बंध या प्राकृतिक रूपों द्वारा सीमांकित हों।

ख) **संपदा की गुणवत्ता में सुधार:**

- i) आक्रामक और विदेशी प्रजातियों के ऐसे पेड़ों की वृद्धि पर रोक लगाना जो भूमि क्षरण करते हैं या जल पारिस्थितिकी को खराब करते हैं। इनके स्थान पर स्वदेशी वनस्पतियों और जीवों को रखा जाएगा जिन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है और/या प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी हैं तथा जो जलाशयों की स्थिति को बहाल करने के लिए उपयुक्त जलीय प्रजातियां हैं।
- ii) चिह्नित क्षेत्रों में व्यवहार्यता के अनुसार वनरोपण और वृक्ष प्रत्यारोपण शुरू किया जा सकता है; यह सुनिश्चित करते हुए कि देशी प्रजातियां क्षेत्र और मिट्टी की विशेषताओं के अनुकूल हैं।

- iii) सभी पर्यावरणीय संपदाओं की स्थिति की समय-समय पर निगरानी की जाएगी और संबंधित एजेंसियों द्वारा संपदाओं को प्रदूषण-मुक्त रखने के लिए कदम उठाए जाएंगे और यदि कोई कमी हो, तो उन्हें दूर किया जाएगा।
- iv) यमुना और अरावली रिज के पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और परिरक्षण के लिए जैव विविधता को बढ़ाना।
- v) दिल्ली जल बोर्ड, आईएंडएफसी और अन्य संबंधित एजेंसियां शहर में नदी और झीलों की कायाकल्प-प्रक्रिया को लागू करेंगी। दिल्ली जल बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार, पर्याप्त मात्रा में उपचारित अपशिष्ट जल को नदी में डिस्चार्ज किया जाए ताकि निर्धारित पर्यावरणीय प्रवाह को बनाए रखा जा सके और उपचारित अपशिष्ट जल को झील/जलाशय की कायाकल्प परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जा सके।

ग) **प्रकृति के साथ लोगों का जुड़ाव बढ़ाना:** प्राकृतिक पर्यावरण को खतरे में डाले बिना विकसित मनोरंजन स्थलों तक सार्वजनिक पहुँच की अनुमति दी जाएगी।

- i) विशिष्ट क्षेत्रों और मार्गों को 'इंटरैक्टिव जोन' के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
- ii) इन क्षेत्रों के भीतर सक्रिय/निष्क्रिय मनोरंजन, व्यायाम/ योग, प्रकृति कक्षाएं, पर्यावरण अनुसंधान, पिकनिक, शिविर, जैव विविधता पर्यटन आदि जैसे अस्थायी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। शौचालय, पेयजल फव्वारे, विश्राम स्थल, आगंतुक सूचना केंद्र आदि जैसी सुविधाएं, जहां भी आवश्यक/संभव हो, प्रदान की जाएंगी।
- iii) पारिस्थितिक दृष्टि से किसी भी महत्वपूर्ण/संवेदनशील विशेषताओं वाले या क्षेत्रों (चट्टानी बहिर्वाह, जलाशय, नीड़न क्षेत्र आदि) में जनता को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.2.3 **यमुना और उसके बाढ़ के मैदानों के कायाकल्प के लिए विशेष पहल:** किसी भी नदी शहर की तरह, दिल्ली का इतिहास और सांस्कृतिक लोकाचार यमुना और इसके बाढ़-मैदानों से जुड़ा हुआ है। दि.वि.प्रा. द्वारा तैयार और संचालित व्यापक

नदी विकास योजना एक बहु-एजेंसी पहल होगी जो केवल सीमित विकास-कार्य के साथ बाढ़-मैदानों के संरक्षण का मार्गदर्शन करेगी।

- i) नदी के समस्त किनारे के साथ-साथ जहां भी संभव हो, 300 मीटर चौड़ा हरित बफर बनाया जा सकता है। जंगली घास या अन्य उपयुक्त वनस्पति भू-आवरण नदी के किनारे से 25-30 मीटर तक लगाया जाएगा और इस ग्रीन बेल्ट के अलावा भी पेड़ लगाए जा सकते हैं।
- ii) नदी-जन जुड़ाव को प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसा सार्वजनिक उपयोग के लिए तटबंधों के साथ-साथ 75-100 मीटर चौड़े हरित-पथ विकसित करके किया जाएगा जिसमें नदी के पास साइकिल चलाने और पैदल चलने के रास्ते तथा निष्क्रिय गतिविधियों के लिए अन्य स्थानों की व्यवस्था करके किया जाएगा। बाढ़-मैदानों में किसी भी स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। (देखें: **DCN**)
- iii) सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों की केवल विशेष रूप से चिह्नित स्थानों में ही अनुमति दी जाएगी। बाढ़ के मैदानों में कृषि-कार्य की अनुमति देने के लिए विशिष्ट स्थानों की पहचान की जा सकती है। नदी पर इन गतिविधियों के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को उचित विनियमन द्वारा कम किया जाएगा जैसेकि पूजा सामग्री के निपटान, मूर्तियों के विसर्जन, उर्वरकों के उपयोग, कचरा निपटान आदि के संबंध में विनियमन। केवल घाट जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों में सीमित निर्माण की अनुमति दी जाएगी। अवैध निर्माण, बाढ़-मैदानों और नदी में सीवेज या मलबा डालने को रोकने के लिए वास्तविक तौर पर और सीसीटीवी निगरानी द्वारा नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। नदी में अनुपचारित सीवेज/अपशिष्ट जल निकासी की अनुमति नहीं होगी। (देखें: **INF1**)
- iv) पारिस्थितिक-तंत्र (इको-सिस्टम) का पुनरुद्धार मौजूदा आर्द्र भूमि (वेटलैंड) की गाद निकालकर और उन्हें बाढ़ का पानी ग्रहण करने के लिए तैयार करके तथा नए वेटलैंड विकसित करके एवं भंडारण बेसिनों में मौजूदा गड्ढों को और गहरा करके किया जाएगा।
- v) संबंधित एजेंसियां यमुना और इसके बाढ़ के मैदानों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों और मीडिया का उपयोग करेंगी।

3.2.4 पर्यावरणीय-सांस्कृतिक संपदाओं का संरक्षण: दिल्ली में कई ऐतिहासिक स्मारक हैं जो ग्रीन एंड ब्लू संपदा के भीतर या निकट स्थित हैं। पुरातत्व पार्क ऐसी

पर्यावरणीय-सांस्कृतिक संपदा का सबसे अच्छा उदाहरण हैं। ऐसी पर्यावरण-सांस्कृतिक संपदा को संरक्षित और विकसित करने के लिए सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन योजनाएं (सीआरएमपी) तैयार की जानी चाहिए। संबंधित एजेंसियों द्वारा ऐतिहासिक उद्यानों, जल संरचनाओं (बावली, कुएं, तालाब) इत्यादि के पुनरुद्धार के लिए कार्य किया जाना चाहिए जल-तंत्र और जलभर (एक्वीफायर) के साथ खो चुके संबंध फिर से कायम किए जाने चाहिए। (देखें: HCP2)

3.2.5 **दिल्ली के पेड़ों की रक्षा:** संबंधित एजेंसियों द्वारा उनके अपने क्षेत्रों के लिए एक वृक्ष निर्देशिका (ट्री डायरेक्टरी) तैयार की जाएगी जिसमें अद्वितीय वृक्ष गलियारे या परिसर, विरासत वृक्ष, उच्च कार्बन भंडारण के परिसर और अधिग्रहण दरों आदि को चिह्नित किया जाएगा। ऐसे पेड़ों/पेड़ों के समूहों को स्वदेशी वृक्षों के रोपण के संदर्भ में संरक्षित और नियंत्रित किया जाएगा और सांस्कृतिक पथ/प्राकृतिक पथ आदि के साथ एकीकृत किया जाएगा।

3.2.6 **निकटवर्ती विकास-कार्य के प्रभाव को कम करने के उपाय:** पर्यावरण संरक्षण के तहत क्षेत्रों से सटी परियोजनाओं पर निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे:

- i) नालों या जलाशयों के साथ स्थित सभी ग्रीनफील्ड और पुनरुद्धार परियोजनाएं नाले/जलाशय के किनारे से 10 मीटर का न्यूनतम अनिवार्य बफर बनाए रखेंगी। यदि संभव हो तो स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. द्वारा जमीनी स्थिति देखते हुए अधिक चौड़ा बफर अनिवार्य किया जा सकता है। भूस्वामी शेष भूखंड में पूरे एफएआर का उपभोग कर सकते हैं। बफर के लिए भूमि प्रदान करने के लिए मुआवजा दिया जा सकता है, यदि बफर छोड़ने के बाद शेष भूखंड विकास-कार्य के लिए बेकार हो जाए।
- ii) 'पर्यावरण संरक्षण के तहत क्षेत्रों' अथवा उनके बफर में निकटवर्ती विकास-कार्य से आने वाले निर्माण अपशिष्ट या सीवेज/ अपशिष्ट जल की डंपिंग को सख्ती से प्रतिबंधित किया जाएगा।
- iii) भवनों की दिशा इस तरह से तय की जाए कि वे ग्रीन एंड ब्लू संपदा के सामने हों तथा बालकनियों, खिड़कियों, पैदल यात्री के प्रवेश-स्थलों, भू-तल पर व्यावसायिक या सार्वजनिक अहाते आदि के रूप में कार्यशील अग्रभाग बनाए रखा जाए। किसी भी सार्वजनिक स्थान संबंधी अनिवार्य अपेक्षाएं जिन्हें परियोजनाओं के अंतर्गत पूरा किया जाना होता है, का जलाशयों के

साथ-साथ सार्वजनिक सैरगाह या पार्कों के रूप में भी प्रदान की जा सकता है।

- iv) पर्यावरण संरक्षण के तहत क्षेत्रों के निकट नई परियोजनाओं (निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार) के लिए पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन (ईआईए) करना अनिवार्य होगा।

3.3 नई ग्रीन-ब्लू संपदा का निर्माण

3.3.1 **शहर की परिधि पर 'हरित विकास'**: हरित पट्टी के गांवों के लिए हरित विकास क्षेत्र नीति (ग्रीन डेवलपमेंट एरिया पॉलिसी) प्रस्तावित की गई है और इसमें सीमित विकास की अनुमति दी गई है तथा भूमि के पर्याप्त हिस्से को वन क्षेत्र और हरित आवरण बनाए रखने के लिए निर्धारित किया गया है। है। (देखें: DEV2)

3.3.2 **शहरी स्तर के हरित गलियारों के रूप में नालों के साथ-साथ हरे बफर (देखें: DCN):**

- i) नालों के साथ-साथ ऐसी भूमि की पहचान की जाएगी जिसे प्राकृतिक हरे बफर के रूप में बनाए रखा जा सकता है। इस भूमि में सभी नियोजित और अनियोजित क्षेत्रों में स्क्रब भूमि, मौजूदा बफर या बाढ़ के मैदान अथवा खाली सरकारी भूमि शामिल हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, सभी नई परियोजनाएँ ऐसे बफर की व्यवस्था करेंगी।
- ii) संबंधित एजेंसियां नालों के किनारे विकसित किए गए पैदल और साइकलिंग पथ के ज़रिए जुड़ी ग्रीन-ब्लू संपदाओं का शहर-व्यापी नेटवर्क बनाने के लिए ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर का निर्माण करेंगी (देखें: MOB3)। नालों के पानी को साफ किया जाएगा और सीवेज या अपशिष्ट जल के बहिर्वाह की अनुमति नहीं दी जाएगी। पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए उसी स्थान पर जल-उपचार किया जाएगा।
- iii) प्राकृतिक हरे बफर को जैव जल निकासी, भूजल पुनर्भरण स्थल के ज़रिए या बाढ़ के पानी को सोखने के स्पंज आदि के रूप में जल-आधारित पारिस्थितिकी के लिए आर्द्रभूमि और दलदल के रूप में विकसित किया जा सकता है। उन स्थानों पर जहां बफर काफी विस्तृत हैं, वहाँ उन्हें पार्क, योग करने के लिए स्थान, दौड़-भाग वाले खेल (बिना औपचारिक बैठने की

व्यवस्था के), खुले स्थान पर प्रदर्शनियां, नाटक इत्यादि और वनस्पति-वाटिका, सामुदायिक उद्यान, नौका विहार, रेस्तरां आदि के रूप में सक्रिय सार्वजनिक उपयोग के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। विरासत पथ (हेरिटेज ट्रेल) को ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

3.3.3 कम प्रयुक्त स्थलों और बंजर भूमि को ग्रीन-ब्लू संपदा के रूप में फिर से नया रूप देना:

- i) ऐसे स्थल जैसे बंद लैंडफिल, बंद ताप विद्युत संयंत्र में ऐश-डाइक, छोड़ दी गई खदान और खान आदि स्थलों में विषाक्तता, मिट्टी की अस्थिर प्रकृति की समस्याएं होती हैं। इन्हें व्यवहार्यता के अनुसार जैव विविधता पार्को, इको-पार्को, जलाशयों, आदि में परिवर्तित किया जा सकता है।
- ii) संबंधित एजेंसियों द्वारा लैंडफिल पर लेगसी कचरे के प्रसंस्करण/पुनःनवीकरण, औद्योगिक संरचनाओं की निर्मितियों के नए उपयोग और अनुकूली पुनः उपयोग जैसी अपव्यय न करने वाली कार्यनीतियों को अपनाया जा सकता है।

3.3.4 अन्य पहल:

- i) **नियोजित हरियाली का प्रावधान:** लैंड पूलिंग क्षेत्रों में, मौजूदा उद्यानों, आर्द्रभूमि, निचले इलाकों को सार्वजनिक पार्को और जलभर पुनर्भरण तालाबों के विकास के लिए शामिल किया जाएगा ताकि जल निकासी पैटर्न को बनाए रखा जा सके। प्लान द्वारा निर्धारित पुनःसुधार और टीओडी योजनाओं के ज़रिए भी अनिवार्यतः सार्वजनिक हरियाली की जानी होगी। भवनों के भीतर विभिन्न प्रकार के ऊर्ध्व मिश्रित उपयोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि पार्को और खुले क्षेत्रों के लिए अधिक भूमि मुक्त की जा सके। (देखें: DCN)
- ii) **सक्रिय मनोरंजन और खेल सुविधाओं का प्रावधान:** खेल सुविधाओं की व्यवस्था ऐसे सुलभ स्थानों पर की जानी आवश्यक है जो सार्वजनिक परिवहन और पैदल चलने और साइकिल चलाने के नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़े हुए हों। नई खेल सुविधाएं जैसे स्टेडियम, जिला खेल परिसर, खेल

के मैदान, बहुउद्देश्यीय मैदान आदि का निर्माण निवासियों के बीच स्वस्थ जीवन और सक्रिय जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ पैरालम्पिक्स सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा खेलों में सक्रिय प्रतिभागिता करने के लिए खिलाड़ियों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढाँचा प्रदान करेगा।

- iii) **विशेष हरियाली परियोजनाएं:** सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा निवासियों के लिए जैव-विविधता पार्क, मनोरंजन पार्क, बच्चों के साहसिक खेलकूद के मैदान, नर्सरी आदि जैसे मनोरंजन के कई विकल्प देने की विशेष परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
- iv) **रिचार्जिंग एक्वीफायर्स:** दि.वि.प्रा. और दिल्ली जल बोर्ड उपचारित जल के उपयोग से कृत्रिम जलाशय बनाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण करने के लिए परियोजनाएँ शुरू करेंगे।
- v) **सभी क्षमताओं वाले पार्क:** शहर भर में सभी-क्षमता वाले पार्क बनाए जाएंगे, जो अलग से भूमि निर्धारित करके अथवा मौजूदा पार्कों को रेट्रोफिट करके किया जाएगा। इन पार्कों को विशेष रूप से दिव्यांगजन, बुजुर्गों, और देखभाल करने वाले के साथ आए बच्चों एवं शिशुओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए खेलने और मनोरंजक गतिविधियों के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।

3.4 निर्मित संरचना में ग्रीन-ब्लू सुविधाएं बढ़ाना

3.4.1 स्थानीय स्तर के मौजूदा पार्कों और अन्य नियोजित हरित क्षेत्रों को स्थानीय निकायों/डीडीए या आरडब्ल्यूए/एमटीए (मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन), समुदाय आदि द्वारा निम्नलिखित हस्तक्षेप कार्रवाई करके सुधारा जाएगा:

क) जल संवेदी शहरी डिजाइन

- i) वर्ष-जल की निकासी को पार्कों के भू-दृश्य निर्माण और डिजाइन में एकीकृत किया जाएगा ताकि वे वर्षा जल संचयन तंत्र के रूप में कार्य कर सकें।

- ii) जल न सोखने वाली पक्की सतह के स्थान पर अर्ध-प्रवेश्य सामग्री का प्रयोग किया जाएगा ताकि भूजल पुनर्भरण और स्थानीय तापन में कमी हो सके।
- iii) बड़े पार्कों (सामुदायिक स्तर और इससे ऊपर) में, उस क्षेत्र/इलाके के लिए अपशिष्ट जल उपचार की विकेंद्रीकृत सुविधाओं को भू-दृश्य डिजाइन में एकीकृत किया जा सकता है और उपचारित पानी का उपयोग बागवानी के लिए या भूजल पुनर्भरण झीलों के लिए किया जा सकता है। खाद बनाने के लिए समर्पित स्थान भी प्रदान किया जा सकता है।

ख) पार्कों की कार्यक्षमता में सुधार

- i) दि.वि.प्रा./स्थानीय निकायों द्वारा बड़े पार्कों (सामुदायिक स्तर और इससे ऊपर) के लिए या पार्कों के समूह के लिए समर्पित वृक्षारोपण कार्यनीति बनाई जाएगी ताकि वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके, तापन को कम किया जा सके, आरामदायक लघु जलवायु-क्षेत्र बनाया जा सके और मनोरंजन के लिए छाया-युक्त क्षेत्र बनाए जा सकें।
- ii) बड़े पार्कों में भोजनालयों, पुस्तकालयों/पढ़ने के क्षेत्रों, बाहरी प्रदर्शन, प्रदर्शनियों, योग और साधना, बच्चों के लिए साहसिक पथ आदि जैसी गतिविधियां करने के लिए विनियमित तरीके से अनुमति दी जा सकती है। (देखें: DCN)

3.4.2 सार्वजनिक क्षेत्रों की हरियाली:

- i) दि.वि.प्रा. और स्थानीय निकायों सहित सभी संबंधित एजेंसियां, 18 मी. और उससे अधिक के मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) सड़कों पर हरियाली सुनिश्चित करेंगी। इस तरह की सड़कों को छाया देने वाले उपयुक्त सदाबहार पेड़ लगाकर और बैठने के लिए तैयार किए गए क्षेत्रों, हरे-भरे प्लाज़ा, नालों के किनारे जैव-झुरमुटों (बायो-स्वाल) आदि का निर्माण करके एक आरामदायक लघु जलवायु क्षेत्र (माइक्रोकलाइमेट) बनाने के लिए किया जा सकता है। पुलों और फुट ओवर ब्रिज पर भी खंभे, छत, पैरापेट आदि पर हरियाली के तत्वों को भी शामिल किया जा सकता है। इस तरह की हरियाली को प्राथमिकता के आधार पर उन क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा जहां वॉक प्लान लागू किए जा रहे हैं (देखें: MOB3)।

- ii) सभी सतह वाले पार्किंग स्थलों में 80% क्षेत्र में सतह जल सोखने वाली या जल सोखने वाली खड़ज होगी। जहां भी संभव हो, ऐसी जगहों पर नियमित अंतराल पर पेड़ लगाए जाएंगे।
- iii) संबंधित एजेंसियां फ्लाइओवरों के नीचे, पानी की पाइपलाइनों के साथ भूमि पर, कच्ची सड़कों पर बचे स्थानों पर भूदृश्य-निर्माण और वृक्षारोपण करेंगी। यदि व्यवहार्य हो तो इनमें से कुछ का उपयोग जनता द्वारा किया जा सकता है।

3.4.3 हरा-भरा करने को प्रोत्साहित करना: भूखंड के भूमि उपयोग पर ध्यान न देते हुए खाली निजी/सार्वजनिक भूमि पर शहरी खेती, सामुदायिक उद्यान आदि जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। समस्त उपयोग परिसरों के भीतर जैड-खेती/ऊर्ध्वाधर खेती भी एक अनुमत गतिविधि होगी। स्थानीय निकाय और डीडीए ऐसी गतिविधियां करने के लिए समुदायों / आरडब्ल्यूए / स्कूलों / अन्य हितधारकों को उपयुक्त दिशानिर्देश और क्षमता निर्माण दे सकते हैं। सरकारी स्वामित्व वाली समस्त खाली भूमि पर अनिवार्यतः जंगली घास उगाने का प्रावधान भी लागू किया जाएगा।

3.4.4 भवनों और स्थलों के लिए ग्रीन-ब्लू कारक(जीबीएफ): यूबीबीएल के अनुसार विकास-कार्यों के लिए ग्रीन रेटिंग अनिवार्य होगी ताकि मैकेनिकल हीटिंग/कूलिंग से होने वाली ऊर्जा की खपत को कम किया जा सके और प्रदूषण को घटाया जा सके। इसके अतिरिक्त, भूखंडों/भवनों के भीतर छत पर बगीचों, टैरेस गार्डन, हरित दीवारों, भू-दृश्य और/या पानी सोखने वाली जमीन, आदि के रूप में ग्रीन-ब्लू विशेषताओं को सभी विकास परियोजनाओं में प्रोत्साहित किया जाएगा।

- i) ग्रीन-ब्लू कारक (ग्रीन-ब्लू फैक्टर) (जीबीएफ) सभी नई परियोजनाओं और विकास-कार्यों पर लागू होगा। इसकी गणना स्थल और बिल्डिंग डिजाइन में निर्धारित विशिष्ट ग्रीन-ब्लू विशेषताओं के निर्धारित भारांश (वेटेज) को मिलाकर की जाती है।
- ii) स्थानीय निकायों द्वारा न्यूनतम जीबीएफ प्राप्त करने और मौजूदा इमारतों पर इसे लागू करने के लिए प्रोत्साहन और हतोत्साहन दिए जा सकते हैं।
- iii) सभी नई परियोजनाओं और विकास-कार्यों को प्लान द्वारा निर्धारित जीबीएफ का न्यूनतम मान प्राप्त करना होगा।

- iv) जीबीएफ की गणना प्लॉट स्तर पर की जाएगी और इसे सभी भवन और नक्शा संबंधी स्वीकृतियों के लिए एक शर्त के रूप में शामिल किया जाएगा।

3.5 ग्रीन-ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्रबंधन

3.5.1 सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा दिल्ली स्थानिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत ग्रीन-ब्लू अवसंरचना (ग्रीन-ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर) का एक डेटाबेस बनाकर रखा जाएगा तथा मौजूदा और संभावित स्थलों की मैपिंग की जाएगी।

- i) डेटाबेस **अनुलग्नक 2** पर दी गई ग्रीन एंड ब्लू संपदा के टाइपोलॉजिकल वर्गीकरण पर आधारित होगा और इसे डीडीए की वेबसाइट के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- ii) अनुसंधान और भावी योजना हेतु एक समृद्ध संसाधन तैयार करने के लिए समय के साथ-साथ जल विज्ञान, स्थलाकृति, संबंधित जैव विविधता आदि जैसी जानकारी भी जोड़ी जा सकती हैं। वृक्ष निर्देशिका को भी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है।
- iii) एक डेटा-शेयरिंग प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया जाएगा कि सभी संबंधित एजेंसियां डेटाबेस को प्रासंगिक और अद्यतन रखने के लिए वास्तविक समय या तत्काल आधार पर अथवा आवधिक रूप से डेटा प्रदान करती रहें (जैसे जीबीएफ के साथ निर्माण और स्कीम संबंधी स्वीकृतियां तथा सार्वजनिक हरित क्षेत्र, वनीकरण, नए पार्क का निर्माण आदि)। यह डेटा बेसलाइन को सेट करने, नई पहल की योजना बनाने और उसे ट्रैक करने तथा ग्रीन-ब्लू संपदाओं की मात्रा और गुणवत्ता में बदलाव का आकलन करने में मदद करेगा।

3.5.2 ग्रीन-ब्लू संपदाओं की सुरक्षा और संवर्धन इस प्लान की प्राथमिकता है। यह अनुशांसा की जाती है कि संबंधित एजेंसियां अपने स्वयं के संसाधनों को एक तरफ रखें और हरियाली बढ़ाने की पहल करने के लिए वित्तपोषण के अन्य नवीन तंत्रों का पता लगाएं। इस प्रयोजन के लिए एक समर्पित हरित कोश (ग्रीन फंड) भी बनाया जा सकता है।

3.5.3 संबंधित एजेंसियां नागरिकों और हितधारक समूहों की ग्रीन-ब्लू संपदाओं के संरक्षण और सुधार में भूमिका निभाने और सामुदायिक स्वामित्व पैदा करने तथा इन साझा संसाधनों और शहरी सार्वजनिक संपत्ति के प्रति जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करने में मदद करेंगी।

--- x --- x ---- x --- x ---

खंड 2
अर्थव्यवस्था

पृष्ठभूमि और प्रमुख नीतिगत सरोकार

दिल्ली विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते शहरी केंद्रों में से एक है। यह शहर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में छठा सबसे बड़ा योगदानकर्ता (7.1%) है यह जीडीपी की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से 4% अधिक बैठती है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आर्थिक मूलाधार के रूप में कार्य करती है, जो इस क्षेत्र की जीडीपी के 50% से अधिक का योगदान देता है। यह शहर इस क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक केंद्र है जिसके राष्ट्रीय और वैश्विक वित्तीय नेटवर्क के साथ मजबूत संबंध हैं।

दिल्ली प्रमुख स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के रूप में उभरी है, जहां उच्च साक्षरता स्तर (86.2%), युवा आबादी (2041 में औसत आयु लगभग 35 वर्ष होने की संभावना है) और कार्यशील आयु वाली आबादी का एक बड़ा अनुपात रहता है (कुल कार्यशील जनसंख्या 2017-18 में 6.28 मिलियन थी और 2040-41 में इसके बढ़कर 10.7 मिलियन होने की उम्मीद है)। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकीय साक्षरता और पहुंच, रचनात्मकता, प्रतिभा को आकर्षित करने की क्षमता तथा औसत शिक्षा के स्तर संबंधी सभी सूचकांकों के संदर्भ में, दिल्ली सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में सर्वोच्च स्थान पर है (एमपीआई रिपोर्ट)। यह स्थिति नवाचार को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने की आवश्यकता को इंगित करती है ताकि इस मानव आबादी द्वारा सृजित आर्थिक संभावनाओं का लाभ उठाया जा सके।

दिल्ली में खुदरा, थोक और भंडारण केंद्र शहर भर में फैले हुए हैं। देश की राजधानी होने के नाते यह सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थाओं का केंद्र है, जहाँ विभिन्न राष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्यालय स्थित हैं। यह प्रमुख एमआईसीई (बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन, प्रदर्शनियाँ), यात्रा और आतिथ्य व्यवसाय का गंतव्य-स्थल है। इस शहर एक विशाल सांस्कृतिक पूंजी भी है जिससे सांस्कृतिक (पर्यटन, यात्रा, एफएंडबी, आदि) और रचनात्मक (मीडिया, डिजाइन, कला आदि) उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लाभ उठाया जा सकता है। दिल्ली ने एशियाई खेलों (1982) और राष्ट्रमंडल खेलों (2010) जैसे बड़े आयोजनों की भी मेजबानी की है।

दिल्ली शहर प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में भी कार्य करता है जहां 33 योजनाबद्ध औद्योगिक एस्टेट, चार फ्लैटिड फैक्ट्री क्लस्टर, 1.75 लाख सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम (90% से अधिक सूक्ष्म उद्यम) और 23 अधिसूचित गैर-अनुरूप औद्योगिक समूह हैं। ये उद्योग तथा घरेलू उद्योग कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के कामगारों के लिए रोजगार

पैदा करते आ रहे हैं। उद्योग क्षेत्र में पैमाने के स्तर पर विखंडन हुआ है और कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा लघु और सूक्ष्म उद्योगों एवं घरेलू उद्योगों में कार्यरत है। पिछले दो दशकों में, दिल्ली में तृतीयक क्षेत्र की ओर झुकाव देखा गया है। दिल्ली की लगभग 83% आय तृतीयक क्षेत्र से आती है और लगभग 15% द्वितीयक क्षेत्र (एनएसएस 2015-16, पीएलएफएस (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण) 2017-18) से सृजित होती है।

प्रदूषण को लेकर बढ़ती चिंता को देखते हुए, पर्यावरण-अनुकूल स्वच्छ अर्थव्यवस्थाओं जैसेकि आईटी/आईटीईएस, ज्ञान-आधारित और हाई-टेक उद्योगों, उद्यमी कार्यकलाप, रियल्टी बाजारों, पर्यटन, आतिथ्य, संभार-तंत्र, परिवहन, संचार, अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा और उच्च शिक्षा की ओर रुख करने पर विचार किया गया है। विशेषकर, आईटी उद्योग का विकास होने और इसे नीतिगत सहायता मिलने की उम्मीद है।

आर्थिक विकास संबंधी नीतियों को रोजगार प्रदान करने वाले लघु और सूक्ष्म उद्यमों तथा असंगठित अर्थव्यवस्थाओं को सहायता देने की दिशा में मोड़ा जा सकता है जबकि अपेक्षाकृत स्वच्छ, प्रदूषण न करने वाली अर्थव्यवस्थाओं को अपनाता सुनिश्चित किया जा सकता है। लैंड पूलिंग और अन्य विकास नीतियों को कार्यान्वयन से 2041 तक निर्माण क्षेत्र में कार्यबल तीन गुना होने की आशा की जा सकती है। टीओडी नीति और मजबूत क्षेत्रीय परस्पर निर्भरता से परिवहन व्यापार और खुदरा क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

कई पूर्ववर्ती औद्योगिक स्थल स्वच्छ, सेवा, ज्ञान, वित्त और मनोरंजन-उन्मुख कार्यों के समूहों में रूपांतरित होने के दौर से गुजर रहे हैं। इसके कारण वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग के बीच की सीमाएं धूमिल हो गई हैं, और ऐसे एकांगी-कार्यात्मक क्षेत्रों के विविधीकरण और आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है। तकनीकी नवाचार जैसे ऐप-आधारित सेवाएं, गोदाम से घर तक सामग्री पहुँचाने वाला मॉडल; दूरदराज क्षेत्रों में रहकर काम/ घर से काम करना आदि कार्य स्थलों और संबंधित आवश्यकताओं का स्वरूप और रूप बदल रहे हैं। अगले 3 वर्षों में को-वर्किंग स्थलों की मांग तीन गुना होने की संभावना है और बड़े उद्यमों के लिए मांग मध्यावधि से दीर्घ-अवधि में बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली की जीडीपी में डेटा-समर्थित प्रौद्योगिकियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बेहतर डिजिटल और दूरसंचार की अवसंरचना नई और विशिष्ट अर्थव्यवस्थाओं के विकास को बढ़ावा देगी।

शहर के भीतर माल-ढुलाई से जुड़ी भीड़-भाड़ को कम करने के लिए थोक और भंडारण गतिविधियों को शहर के केंद्र से हटाकर बाहरी इलाकों में स्थानांतरित करना दिल्ली के

लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। हालांकि इनमें से खतरनाक पदार्थ से जुड़े कार्यकलाप शहर से बाहर जा चुके हैं, कुछ अन्य गतिविधियाँ अभी भी चल रही हैं।

अनौपचारिक क्षेत्र दिल्ली का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो दिल्ली के लगभग 70% कर्मचारियों को रोजगार देता है। कार्यस्थलों की गुणवत्ता और इस क्षेत्र के लिए अवसरों में सुधार लाने की आवश्यकता है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के भीतर, महिला कार्य-भागीदारी में वृद्धि हुई है। जन सुविधाओं, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य के साथ-साथ शिशु देखभाल इत्यादि के लिए स्थान की व्यवस्था किए जाने के बारे में विचार किया जाना चाहिए। राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों द्वारा पहलें की जानी होंगी ताकि योजना-अवधि में कर्मचारियों का कौशल स्तर उन्नत किया जाना सुनिश्चित किया जा सके जिससे अनौपचारिक कार्यबल के लिए उभरती औपचारिक अर्थव्यवस्थाओं में अधिकाधिक आत्मसात होने के बेहतर अवसर पैदा हो सकें।

इस अध्याय में आर्थिक उत्पादन अर्थात् व्यापार और वाणिज्य, थोक, उद्योग, सेवा और अनौपचारिक क्षेत्र के मौजूदा स्थानों के उन्नयन, नए आर्थिक केन्द्रों के विकास के लिए कार्यनीति निरूपित की गई है जो अपेक्षाकृत स्वच्छ और विशिष्ट अर्थव्यवस्थाओं को अपनाने की दिशा में बढ़ने तथा आर्थिक अवसरों तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करती है:

ECO: आर्थिक उत्पादन के स्थान

4.0 आर्थिक उत्पादन के स्थान

4.1.1 यह मुख्य योजना दिल्ली की आर्थिक क्षमता से लाभ उठाने के लिए एक उपयुक्त परिवेश प्रदान करती है और विभिन्न प्रकार के कार्य एवं कार्यस्थल की व्याख्या करता है ताकि बड़े पैमाने पर जनता के लिए अवसर पैदा हों। इसका उद्देश्य औपचारिक और अनौपचारिक दोनों आर्थिक क्रियाकलापों (समावेशी अर्थव्यवस्था) की सहायता करके, प्रदूषण पैदा न करने वाली और पर्यावरण-अनुकूल क्रियाकलापों (स्वच्छ अर्थव्यवस्था) को बढ़ावा देकर और ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देकर संतुलित आर्थिक विकास करना है जो क्षेत्रीय संदर्भ में इस शहर के लिए एक अनूठी भूमिका स्थापित करने में मदद करेगा (विशिष्ट अर्थव्यवस्था)।

4.1.2 योजना की कार्यनीतियाँ निम्नलिखित की सुविधा प्रदान करेंगी:

- i) अधिक निवेश और अधिक मूल्य वाले कारोबार एवं सेवाओं के महत्वपूर्ण केंद्रों का निर्माण
- ii) वर्तमान आर्थिक केंद्रों का सर्वोत्तम उपयोग
- iii) अनियोजित आर्थिक कार्यकलापों का अनुमोदित स्थलों और/या उपयोग की तरफ स्थानांतरण
- iv) अनौपचारिक क्षेत्र के लिए बेहतर सुविधाएं

4.2 आर्थिक केंद्रों के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए दृष्टिकोण

4.2.1 **स्वच्छ अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना:** यह प्लान मौजूदा मुख्य आर्थिक क्षेत्रों जैसे खुदरा व्यापार, थोक और वेयरहाऊसिंग, संभार-तंत्र, विनिर्माण, सरकारी कार्यालयों, बैंकिंग और वित्त में सुधार लाने, स्वच्छ अर्थव्यवस्था अपनाने और मौजूदा प्रदूषणकारी उद्योगों को स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित है।

- i. **ज्ञान और साइबर अर्थव्यवस्था:** साइबर अर्थव्यवस्था, उच्च तकनीक वाले रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्ञान और नवाचार, अनुसंधान और विकास, आदि।
- ii. **एमआईसीई (बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां), सांस्कृतिक और रचनात्मक अर्थव्यवस्था:** एमआईसीई (MICE) यात्रा और आतिथ्य

के लिए विश्व स्तर के केंद्र, आदि पर्यटन, डिजाइन और फैशन, प्रकाशन, एफ एंड बी, मीडिया, दृश्य / प्रदर्शन कला, आदि।

- iii. **स्वास्थ्य और शिक्षा:** तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा अनुसंधान और विकास, जैव-तकनीक, फार्मा अनुसंधान, उच्च शिक्षा, आदि।
- iv. **हरित अर्थव्यवस्था:** शहरी खेती, बागवानी, सोलर फार्म, थीम पार्क आदि।
- v. **सर्कुलर अर्थव्यवस्था:** पुनर्चक्रण और मरम्मत अर्थव्यवस्था, अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग, पुनर्चक्रित सी एंड डी अपशिष्ट उत्पाद (जैसे फ्लाई ऐश ब्रिक्स (ईटें), पुनः प्राप्त डामर फुटपाथ आदि), मल कीचड़ का पुनर्चक्रण, ई-कचरे, प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण, आदि।

4.2.2 महत्वपूर्ण आर्थिक केन्द्रों को बढ़ावा देना: शहरी स्तर पर आर्थिक केन्द्रों के रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। बेहतर सार्वजनिक परिवहन पहुंच, पैदल यात्री कनेक्टिविटी और सार्वजनिक स्थलों के निर्माण के लिए समग्र योजना बनाई जाएगी।

क) टीओडी नोड

निर्धारित ट्रांजिट स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को प्रबल मिश्रित-उपयोग मिलन-स्थल (नोड) के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्हें उन्नत प्रौद्योगिकी, संभार-तंत्र, आतिथ्य, स्वास्थ्य और शिक्षा समूहों के रूप में विकसित किया जा सकता है ताकि विभिन्न सुविधाओं के लिए दिल्ली पर क्षेत्रीय निर्भरता की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

ख) बिजनेस प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट (बीपीडी)

- i) आर्थिक विकास के लिए अधिक क्षमता वाले मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों, जिला केंद्रों और संस्थागत क्षेत्रों या किसी अन्य क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उन्हें डीडीए द्वारा ऐसे बिजनेस प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट (बीपीडी) के रूप में अधिसूचित किया जाएगा जिनके कार्य साइबर हब, क्लीन-टेक इनोवेशन क्लस्टर, मीडिया और डिजाइन

क्लस्टर, मेडी-सिटी, एजु-सिटी, एमआईसीई हब, आधुनिक लॉजिस्टिक हब आदि जैसे हों।

- ii) बीपीडी का न्यूनतम नियोजन क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर होगा और इनका विकास सुधार योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

ग) ग्रीन डेवलपमेंट एरिया (जीडीए)

जीडीए को ग्रीन डेवलपमेंट स्कीम के प्रावधानों के अनुसार हरित अर्थव्यवस्था (ग्रीन इकोनॉमी) के हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

4.2.3 एकांगी कार्यात्मक आर्थिक केन्द्रों का विविधीकरण और पुनःसुधार: इस प्लान से आर्थिक केंद्रों के विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा ताकि शहर में फलते-फूलते मिश्रित रोजगार स्थलों का निर्माण करने और अपेक्षाकृत स्वच्छ, तृतीयक क्षेत्र के कार्यकलापों की दिशा में जा सकें। इसमें सहायक कार्य जैसे कि आतिथ्य, कामकाजी महिलाओं और पुरुषों के हॉस्टल, किराये के आवास और सेवा-युक्त अपार्टमेंट, आराम और मनोरंजन के लिए स्थान, सार्वजनिक स्थल आदि शामिल होंगे।

4.2.4 मौजूदा आर्थिक केंद्रों का भी पुनः सुधार करके और परिवहन सुविधा, सार्वजनिक स्थान, भौतिक और डिजिटल अवसंरचना की गुणवत्ता में सुधार करके उन्नयन किया जाएगा।

4.2.5 कार्य-स्थलों के नए रूपों का निर्माण:

ई-कॉमर्स के लिए छोटे भांडागार, स्टार्ट-अप इकोनॉमी के लिए को-वर्किंग स्पेस आदि के रूप में विकेंद्रीकृत कार्य-स्थलों के शानदार नेटवर्क की सुविधा होगी। इसके अलावा, श्रमिकों के लिए सहायक सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से, यह योजना कार्य के उभरते हुए नए रूपों को बढ़ावा देगी, जैसे कि प्लेटफॉर्म और गिग अर्थव्यवस्था आदि।

4.2.6 रात्रिकालीन कार्यकलापों (एनटीई) को बढ़ावा देना:

- i) मॉडल शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट (रेग्युलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज) एक्ट 2015 के माध्यम से "24 घंटे कार्यरत शहर" की

अवधारणा के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर एनटीई नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है।

- ii) पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आकर्षित करने के लिए रात में निरंतर कार्य करने, सांस्कृतिक गतिविधि और मनोरंजन के लिए मिलन-स्थलों (नोड), इलाकों या सर्किट की पहचान की जाएगी।
- iii) इस प्रकार जीवंत एवं सक्रिय नाइट लाइफ को बढ़ावा मिलने से शहर में कार्य स्थलों का उपयोग होने और सुरक्षा की स्थिति बेहतर होने से आर्थिक आय में सुधार होगा।

4.2.7 अनौपचारिक क्षेत्र की सहायता करना: इस प्लान में अनौपचारिक क्रियाकलापों की सहायता करने के लिए पर्याप्त स्थल मानदंड और सुविधाएं हैं।

4.3 व्यापार एवं वाणिज्य

4.3.1 मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर (एमसीसी)/सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट (सीबीडी): कनॉट प्लेस और उसके विस्तार वाले क्षेत्रों, वाल्ड सिटी और करोल बाग में स्थित वाणिज्यिक क्षेत्रों ने परंपरागत रूप से सीबीडी की भूमिका निभाई है और यहाँ वाणिज्यिक गतिविधियों, कार्यालयों, व्यवसायों एवं सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाओं की बहुलता बरकरार है। सीबीडी क्षेत्र में अलग-अलग क्षेत्र होते हैं, जिसमें प्रत्येक का अनूठा स्वरूप, विशिष्ट गतिविधियों की बहुलता और भावी विकास की संभावना होती है।

4.3.1.1 शहर के वाणिज्यिक मूलाधार को पुनर्जीवित करने के लिए क्षेत्र-आधारित सुधार दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

क) कनॉट प्लेस (सीपी) और सीपी एक्सटेंशन प्रतिष्ठित हब है और इसकी विशेषता ऐतिहासिक और विख्यात इमारतें, कार्यालयों, आतिथ्य, मनोरंजन, खुदरा और व्यावसायिक गतिविधियों का विविध मिला-जुला रूप है। धरोहर में मिली इमारतों और सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार के लिए एकीकृत सुधार योजना तैयार की जाएगी। मौजूदा ले-आउट योजना के

अनुसार भूखंडों का वही आकार रखा जाएगा और कोई भी उप-विभाजन अनुमत नहीं होगा।

- ख) मंडी हाउस सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा है जहां सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थान, शैक्षिक संस्थान, सरकारी कार्यालय, राज्य भवन आदि स्थित हैं। क्षेत्र के संस्थागत स्वरूप को बनाए रखा जाना चाहिए और इसका संवर्धन किया जाना चाहिए।
- ग) प्रगति मैदान ने प्रमुख प्रदर्शनी और एक्सपो-सेंटर के रूप में काम करने की अपनी क्षमता के कारण अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व प्राप्त किया है। इस क्षेत्र के चल रहे पुनर्विकास के चलते यह उम्मीद है कि यह एमआईसीई (MICE) हब के रूप में उभरेगा। क्षेत्र में अस्थायी आवास, आतिथ्य, पार्किंग और सार्वजनिक स्थलों के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- घ) इंद्रप्रस्थ एस्टेट सरकारी कार्यालयों और संस्थानों का एक सक्रिय केंद्र है। इस क्षेत्र को संस्थागत हब के रूप में बनाए रखा जाएगा और बढ़ावा दिया जाएगा। ट्रैफिक भीड़ का समाधान करने, सार्वजनिक स्थान को बढ़ाने और पार्किंग का प्रबंधन करने के लिए एक व्यापक सुधार योजना तैयार की जानी चाहिए।
- ङ) शाहजहानाबाद (वाल्ड सिटी) एक हेरिटेज जोन है जहां बड़ी संख्या में धरोहर इमारतें हैं। थोक कारोबार से जुड़ी गतिविधियों को स्थानांतरित किया जाएगा और इस क्षेत्र में सांस्कृतिक/खुदरा कारोबार की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी सुधार और जीर्णोद्धार HCP2 और DEV3 के प्रावधानों के अनुसार किए जाएंगे।
- च) वाल्ड सिटी के बाहर के क्षेत्र जिसमें पहाड़गंज, सदर बाजार, आज़ाद मार्केट, बाड़ा हिंदू राव आदि क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों के लिए पुनः सुधार की योजना तैयार की जाएगी। विशिष्ट आर्थिक गतिविधियाँ जैसे आतिथ्य जिले, वेयरहाऊसिंग और थोक कारोबार के लिए वैकल्पिक स्थल आदि की

योजना बनाई जा सकती है। योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पारंपरिक बाजारों या सांस्कृतिक महत्व के अन्य क्षेत्रों को चिह्नित और संरक्षित किया जाएगा।

छ) करोल बाग में प्लॉटिड आवासीय इलाकों के साथ-साथ वाणिज्यिक क्षेत्रों का मिला-जुला रूप है। ऐसे क्षेत्रों का सीमा-निर्धारण करने के लिए एकीकृत सुधार योजना तैयार की जाएगी जहां प्लॉट-निर्माण के स्वरूप को संरक्षित करने की आवश्यकता है और जहां पुनःसुधार योजनाओं की अनुमति दी जा सकती है।

4.3.1.2 ट्रैफिक और पार्किंग प्रबंधन की व्यापक योजना, टहलने की व्यवस्था में सुधार और साइकल सर्किट बनाने तथा एनटीई (नाइट टाइम इकोनॉमी) को प्रोत्साहित करने के लिए योजना तैयार करके कार्यान्वित की जाएगी।

4.3.1.3 बिल्ट-टू-एज फ्रंटेज को क्षेत्र की व्यापक सुधार योजना के हिस्से के रूप में तैयार किया जाना चाहिए और जहां भी व्यवहार्य हो लागू किया जाना चाहिए।

4.3.2 योजनाबद्ध वाणिज्यिक क्षेत्रों का श्रेणीकरण

विकसित किए गए योजनाबद्ध वाणिज्यिक क्षेत्रों का श्रेणीकरण निम्नानुसार है:

- i) **डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स (डीसी)** इन्हें उप-सीबीडी बनाने की योजना बनाई गई है ताकि विविध वित्तीय सेवाओं, खुदरा व्यवसाय, कार्यालय, मनोरंजन, आईटी/आईटीईएस, आतिथ्य, साझा और संबंधित उपयोगों की व्यवस्था की जा सके। सार्वजनिक परिवहन स्टेशनों के निकट स्थित जिला केंद्रों को टीओडी (TOD) नोड्स के रूप में विकसित करने पर विचार किया जा सकता है।
- ii) **कम्युनिटी सेंटर्स (सीसी)** खुदरा और फुरसत के समय में की जाने वाली खरीदारी, आवश्यक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कार्यालय स्थानों, थिएटरों

आदि के लिए व्यवस्था करते हैं और सामुदायिक स्तर पर लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं।

- iii) **लोकल शॉपिंग सेंटर (एलएससी) और कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर (सीएससी)** में खुदरा स्टोर और व्यक्तिगत सेवा प्रतिष्ठान होते हैं जो बार-बार होने वाली जरूरतों को पूरा करते हैं। सभी आवासीय क्षेत्रों के निकट सुविधाजनक स्थानों में ऐसे प्रतिष्ठानों की आवश्यकता होती है और ये स्थल समस्त आवासीय उपयोग के अंतर्गत निर्मित किए जाते हैं।
- iv) लैंड पूलिंग क्षेत्रों में, वाणिज्यिक क्षेत्रों का विकास DEV1 के विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार होगा।

4.3.3 1962-पूर्व वाणिज्यिक क्षेत्र: एमपीडी-1962 की अधिसूचना से पहले जिन आवासीय क्षेत्रों और सड़कों/हिस्सों को वाणिज्यिक क्षेत्रों/सड़कों के रूप में घोषित किया गया है अथवा जहां एमपीडी-1962 में वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति दी गई थी, ऐसा उपयोग एमपीडी-1962 में स्वीकार्य सीमा तक जारी रखा जाएगा। आवासीय क्षेत्रों में 1962 से पहले से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को भी दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन अनुमत किया गया है।

1962 से पहले विकसित किए गए क्षेत्र जो दिल्ली के मास्टर प्लान में शामिल नहीं थे जहां व्यावसायिक गतिविधियों की बहुलता है, डीसीएन के अनुसार (दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन) मिश्रित उपयोग के रूप में जारी रह सकते हैं। ऐसे क्षेत्र DEV3 के प्रावधानों के अनुसार पुनः सुधार का कार्य भी कर सकते हैं।

4.3.4 अन्य वाणिज्यिक केंद्र: अन्य वाणिज्यिक केंद्रों में अधिसूचित गैर-श्रेणीकरण वाणिज्यिक केंद्र (एनएचसीसी), शॉप-कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स (दुकान-सह-आवास भूखंड/दुकान भूखंड) शामिल हैं जिन्हें बाद में कम्युनिटी सेंटर्स (सीसी)/लोकल शॉपिंग सेंटर्स (एलएससी)/कम्युनिटी शॉपिंग सेंटर्स (सीएससी) और अन्य मौजूदा दुकान-सह-आवास भूखंडों के रूप में नामित किया गया है। ये क्षेत्र मानदंडों के अनुसार शासित होंगे और पुनःसुधार DEV3 के अनुसार होगा।

4.3.5 **वाणिज्यिक सड़कें/मिश्रित उपयोग सड़कें:** मिश्रित-उपयोग वाली सड़कों या वाणिज्यिक सड़कों के रूप में किसी भी नई अधिसूचना की अनुमति नहीं होगी। आवासीय क्षेत्रों के भीतर गैर-आवासीय उपयोग की अनुमति डीसीएन (DCN) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी। स्थानीय निकाय/एमटीए मौजूदा सड़कों पर यातायात प्रबंधन, पार्किंग और सार्वजनिक स्थानों के सुधार की योजना तैयार करेंगे। स्थानीय निकायों द्वारा 9 मीटर से कम मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) की सड़कों को केवल पैदल चलने के लिए निर्धारित करने पर विचार किया जाएगा।

4.3.6 **सेवा बाजार:** सभी आर्थिक केंद्र डीसीएन में निर्धारित किए अनुसार, कम बिक्री वाले कारोबार की सहायता करने के लिए और फलों एवं सब्जियों, सर्विस एवं रिपेयर कबाड़ और स्क्रेप सामग्री (कबाड़ी), हार्डवेयर और भवन निर्माण सामग्री, ऑटोमोबाइल रिपेयर वर्कशॉप आदि के लिए बड़े क्षेत्र में फैली दुकानों हेतु ऐसी सुविधाओं के लिए स्थान आरक्षित कर सकते हैं।

4.4 आतिथ्य

4.4.1 दिल्ली शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन और फुरसत के क्षणों में आनंददायक कार्यक्रमलाप, खेल और व्यवसाय के एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभर रही है जहां होटल सुविधाओं, जिनमें विभिन्न आर्थिक वर्गों के लिए बजट होटल, गेस्ट हाउस, लॉजिंग और बोर्डिंग हाउस, धर्मशाला, होटल और सर्विसिंग अपार्टमेंट शामिल हैं, की आवश्यकता होती है।

4.4.2 आवासीय क्षेत्रों में निम्नलिखित की अनुमति होगी:

4.4.2.1 आवासीय क्षेत्रों में मिश्रित उपयोग के अंतर्गत धर्मशाला, बजट होटल, गेस्ट हाउस, बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी), बोर्डिंग लॉजिंग सुविधाओं की अनुमति होगी।

4.4.2.2 निम्नलिखित के अंतर्गत होटल/सर्विस्ड अपार्टमेंट की अनुमति दी गई है:

- i) सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं जैसे कि सम्मेलन केंद्र, सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र, आदि।
- ii) औद्योगिक और थोक उपयोग क्षेत्रों में वाणिज्यिक केंद्र, और
- iii) परिवहन नोड्स (आईएसबीटी, बस डिपो/टर्मिनल, बहु-मोडल हब, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, एकीकृत फ्रेट परिसर)।

4.4.2.3 औद्योगिक और थोक कारोबार उपयोग क्षेत्रों में 30 मी. मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) पहुंच वाले भूखंडों के उपयोग परिवर्तन से होटल निर्मित किए जा सकते हैं। ऐसे मामलों में अधिकतम ग्राउंड कवरेज और एफएआर लागू मानदंडों/स्वीकृत निर्माण योजनाओं के अनुसार होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में उस उपयोग-जोन के अनुमेय जमीनी कवरेज और एफएआर से अधिक नहीं होगा।

4.5 थोक व्यापार

4.5.1 दिल्ली उत्तर भारत का सबसे बड़ा उपभोग केंद्र है। अपनी भौगोलिक अवस्थिति के चलते यह प्रमुख वितरण केंद्र का दर्जा भी प्राप्त कर चुका है। डिजिटल विकास होने के चलते, ई-कॉमर्स एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप के रूप में उभरा है जिसके लिए नए तरह के वेयरहाउसिंग सेवाओं की आवश्यकता है। डीएफसी और डीएमआईसी जैसे माल ढुलाई के उभरते क्षेत्रीय अवसंरचना के कारण वितरण केंद्र के रूप में दिल्ली की प्रधानता कम होने और थोक व्यापार एवं वेयरहाउसिंग (वेयरहाउसिंग) के मौजूदा रूपों में परिवर्तन होने की संभावना है।

4.5.2 मौजूदा थोक बाजारों और आईएफसी को DEV3 के प्रावधानों के अनुसार पुनः सुधार करने की अनुमति होगी। इससे भावी जरूरतों को पूरा करने के लिए आधुनिकीकरण की सुविधा होगी और क्षमता विस्तार होगा।

4.5.3 लैंड पूलिंग क्षेत्रों और जीडीए के लिए थोक और वेयरहाउसिंग संबंधी आवश्यकताओं को आईएफसी के भीतर पूरा किया जाएगा। मंडियों, भंडारण

और कोल्ड स्टोरेज को विशिष्ट मानदंडों के अनुसार उन्हें जीडीए के भीतर विकसित करने की अनुमति दी जाएगी (देखें: DEV2)।

4.5.4 30 मी. मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) से सीधे पहुंच की सुविधा वाले 1 हेक्टेयर और उससे अधिक के भूखंडों पर बने गोदामों को डीसीएन के अनुसार खुदरा गतिविधि करने की अनुमति होगी ताकि बिग बॉक्स खुदरा कारोबार का विकास किया जा सके।

4.5.5 माल-ढुलाई और संभारिकी के लिए परिचालन संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के बाद आईएफसी में वेयरहाउसिंग, गोदामों और थोक कारोबार इकाइयों एवं अन्य गतिविधियों को शामिल किया जाएगा।

4.5.6 औद्योगिक उपयोग जोन के भीतर औद्योगिक भूखंडों को रूपांतरित करके भांडागार बनाने की अनुमति डीसीएन के अनुसार दी जाएगी।

4.5.7 पुराने शहर के भीतर चल रही सभी वेयरहाउसिंग गतिविधियों और थोक भंडारण को 10 वर्ष की अवधि में औद्योगिक क्षेत्रों, आईएफसी अथवा थोक बाजारों जैसे अनुकूल क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। संबंधित स्थानीय निकाय / जीएनसीटीडी इस तरह के स्थानांतरण को आसान बनाने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू कर सकता है।

4.5.8 पुराने शहर के निकटवर्ती क्षेत्रों जैसे सदर बाजार में पुनः सुधार हेतु वेयरहाउसिंग और होटल जैसे उपयोग की अनुमति दी जाएगी ताकि पुराने शहर के व्यवसायों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

4.5.9 **अनियोजित/गैर-अनुरूप गोदाम समूह:** दिल्ली में गोदामों/भण्डारण के कई अनियोजित क्लस्टर विकसित हुए हैं। ऐसे क्षेत्रों का नियमितीकरण और नियोजित पुनः सुधार DEV3 के अनुसार होगा और 5 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। जो समूह इसमें शामिल नहीं होते हैं, उन्हें चिह्नित

औद्योगिक क्षेत्रों, आईएफसी अथवा थोक बाजारों में अनिवार्य रूप से स्थानांतरित किया जाएगा।

4.6 उद्योग

- 4.6.1 दिल्ली में मौजूदा नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों की सूची अनुबंध 3 में दी गई है। ऐसे क्षेत्रों का पुनःसुधार DEV3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होगा। डीएसआईआईडीसी/स्थानीय उद्योग संघों द्वारा पार्किंग, सार्वजनिक स्थान, हरियाली और सीईटीपी जैसी सामान्य सुविधाओं के विकास के लिए ऐसे मौजूदा क्षेत्रों को भी लिया जा सकता है।
- 4.6.2 ग्रुप हाउसिंग, पीएसपी, वाणिज्यिक और वेयरहाउसिंग उपयोग में रूपांतरित करने की अनुमति डीसीएन में दिए गए विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी। ज्ञान आधारित उद्योगों और व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों में परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी ताकि उद्योग और शिक्षा अकादमियों के बीच सामंजस्य हो सके। नए प्रकार के बिग बॉक्स रिटेल की सुविधा भी होगी।
- 4.6.3 औद्योगिक क्षेत्रों में स्टार्ट-अप और नवाचार क्लस्टर निर्मित करने की सुविधा देने के लिए, औद्योगिक भूखंडों पर बिना किसी उपयोग-परिवर्तन के, एफएआर के 10% तक को-वर्किंग स्थान निर्मित करने की अनुमति दी जाएगी।
- 4.6.4 नए औद्योगिक क्षेत्रों (डीएसआईआईडीसी द्वारा विकास के लिए प्रस्तावित और/अथवा लैंड पूलिंग क्षेत्रों में विकसित) को स्वच्छ उद्योग के हब के रूप में विकसित किया जाएगा जैसे कि बिजनेस पार्क, टेक-पार्क और साइबर हब, नॉलेज, आरएंडडी, सांस्कृतिक उद्योग/मीडिया क्लस्टर।
- 4.6.5 निषिद्ध श्रेणी के तहत सूचीबद्ध उद्योगों को दिल्ली में चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जैसाकि अनुबंध 1 में निर्धारित किया गया है। निषिद्ध श्रेणी के तहत किन्हीं भी मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को दिल्ली से बाहर

स्थानांतरित करना होगा या 5 वर्ष की अवधि के भीतर स्वच्छ विनिर्माण/उत्पादन कार्य शुरू करना आवश्यक होगा।

4.6.6 बंगला ज़ोन (नई दिल्ली और सिविल लाइंस), रिज, रिवर बेड (जोन-ओ), जलाशयों, नहरों के निकटवर्ती क्षेत्रों, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों, सुरक्षित/ संरक्षित वन, को-ओपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, डीडीए हाउसिंग, जनता फ्लैट्स को छोड़कर ग्रुप हाउसिंग, सरकारी फ्लैट / बंगले / नियोक्ता-प्रदत्त आवास आदि में किसी औद्योगिक कार्यकलाप की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.6.7 1962 से पहले के औद्योगिक क्षेत्र: 1962 से पहले के औद्योगिक क्षेत्र या जहाँ एमपीडी-1962 में औद्योगिक उपयोग की अनुमति दी गई थी, दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने की शर्त पर, एमपीडी-1962 में स्वीकार्य हद तक प्रचालन जारी रखेंगे। ऐसे क्षेत्रों का कोई भी पुनःसुधार DEV3 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

4.6.8 घरेलू उद्योग: घरेलू उद्योगों को डीसीएन के प्रावधानों के अनुसार आवासीय परिसर से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। अनुमत घरेलू उद्योगों की सूची अनुलग्नक 4 और 5 में दी गई है।

4.6.9 अनियोजित/गैर-अनुरूप औद्योगिक क्षेत्र: दिल्ली में कई अनियोजित औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो गए हैं। ऐसे क्षेत्रों का नियमितीकरण और नियोजित पुनःसुधार DEV3 के अनुसार होगा और 5 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। जो समूह इसमें शामिल नहीं होते, उन्हें चिन्हित क्षेत्रों में अनिवार्यतः स्थानांतरित किया जाएगा।

4.7 सरकारी कार्यालय

4.7.1 दिल्ली में भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) और स्थानीय निकायों के कार्यालय स्थित हैं। अधिकतर कार्यालय और न्यायालय परिसर स्वतंत्रता के ठीक बाद स्थापित किए गए थे और उन्होंने

भू-संपत्ति का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया था। यह क्षेत्र शहर के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्था और रोजगार पैदा करने का स्रोत रहेगा।

4.7.2 मौजूदा सरकारी भूमि का सर्वोत्तम उपयोग DEV3 के प्रावधानों के अनुसार पुनःसुधार करके किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप आधुनिक बहुमंजिला कार्यालय परिसरों का निर्माण हो सकेगा जिसमें पर्याप्त सुविधाएं हों जैसे कि कर्मचारी-आवास, वाणिज्यिक सुविधाएं आदि।

4.7.3 लैंड प्लानिंग क्षेत्रों में, सरकारी कार्यालयों और न्यायालय परिसरों को यथासंभव एकीकृत कार्यालय परिसर के रूप में और एमआरटीएस कॉरीडोर के आसपास विकसित किया जाएगा।

4.7.4 वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में सरकारी कार्यालय समूहों और न्यायालय परिसरों के निर्माण की भी अनुमति दी जाएगी। टीओडी परियोजनाएं व्यावसायिक घटक के भीतर ही और स्टेशन विकास के अंतर्गत ऐसी सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं जिनसे बेहतर जन-परिवहन संपर्क उपलब्ध हो सकेगा।

4.7.5 सरकारी कार्यालयों और न्यायालय परिसरों वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता-प्राप्त एटीए (एक्टिव ट्रेवल एरियाज) के रूप में माना जाएगा (देखें: MOB3)। जहां भी संभव हो, स्टैक पार्किंग का प्रावधान किया जाएगा।

4.8 अनौपचारिक अर्थव्यवस्था

4.8.1 अनौपचारिक क्षेत्र की इकाइयाँ अपने आप को वाणिज्यिक/औद्योगिक क्षेत्रों के पास अवस्थित करती हैं, जैसे कि थोक, गोदाम, पीएसपी सुविधाएं, कार्यालय और परिवहन केंद्र जो महत्वपूर्ण सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं। इन पर निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:

- i) अनौपचारिक क्षेत्र की इकाइयों को उपयुक्त स्थान देने के लिए डीसीएन के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न भूखंडों/ले-आउट प्लान के जरिये बिक्री-कारोबार (वेंडिंग) क्षेत्र प्रदान किए जाएंगे। ऐसी इकाइयों का प्रावधान भवन योजनाओं/ ले-आउट प्लान के अनुमोदन के समय सुनिश्चित किया जाएगा।

- ii) जहां भी व्यवहार्य हो, अनौपचारिक गतिविधियों को समूहबद्ध करने को बढ़ावा दिया जाएगा और उपयुक्त अवसंरचना का निर्माण करके इसमें सुविधा दी जाएगी। इस तरह के क्लस्टर साप्ताहिक बाजारों की तरह अस्थायी हो सकते हैं या अधिक स्थायी रूप ले सकते हैं जैसेकि तह-बाजारी व्यवस्था या थीम-आधारित हाट। स्थानीय निकाय ऐसे समूहों (क्लस्टर) के लिए उपयुक्त स्थलों का पता लगाएंगे।
- iii) स्ट्रीट डिजाइन विनियमों के अनुसार, सड़क सुधार के साथ-साथ नई सड़कों के निर्माण में बहु-उपयोगिता जोन भी शामिल होंगे ताकि अनौपचारिक गतिविधियों को स्थान दिया जा सके। चिह्नित सक्रिय यात्रा क्षेत्रों के लिए तैयार योजनाओं में बिक्री (वेंडिंग) और कोई बिक्री नहीं (नो वेंडिंग) वाले क्षेत्रों की स्पष्ट रूप से सीमा निर्धारित की जाएगी (देखें: MOB3)।
- iv) बिक्री कारोबार करने के लिए सभी निर्दिष्ट स्थानों पर जन-सुविधाएं (पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय, पोशाक बदलने के कमरे, शिशु देखरेख सुविधाएं) और ठोस कचरे की निपटान व्यवस्था की सुविधाएं दी जाएंगी।

4.8.2 यदि व्यवहार्य होगा तो अनधिकृत कॉलोनियों, शहरी गांवों और मलिन बस्तियों के पुनःसुधार अथवा सुधार के अंतर्गत बहु उपयोगी सामुदायिक कार्य केंद्रों/कार्य स्थलों की व्यवस्था की जाएगी। (देखें: DEV3)

खंड 3

धरोहर, संस्कृति और सार्वजनिक स्थल

पृष्ठभूमि और प्रमुख नीतिगत सरोकार

निर्मित धरोहर: दिल्ली दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है, और इतिहास में यहां बहुत-सी बस्तियां रही हैं। यहां बहुत-सारी धरोहर संपत्तियां हैं और विश्व की मूल्यवान धरोहरों के बहुल क्षेत्र हैं एवं एक विशेष मूलावशेषों का प्रदेश है जहां संस्कृति और धरोहर, जनमानस की गतिविधियों से एकीकृत है।

दिल्ली में विश्व धरोहर स्थल, केंद्र संरक्षित स्मारक, राज्य संरक्षित स्मारक हैं और अन्य स्थानीय सूचीबद्ध धरोहर और गैर-सूचीबद्ध धरोहर संपत्तियां हैं; इनमें से कुछ धरोहर भवन और राष्ट्रीय महत्व के अवशेष अब विलुप्त हो गए हैं और अब इनका पता लगाया जाना संभव नहीं है। स्थानीय निकायों द्वारा अधिसूचित अधिकांश धरोहर भवन निजी स्वामित्व में हैं और अधिभोगी इनका सक्रिय उपयोग कर रहे हैं। मरम्मत न किए जाने, असंगत उपयोग और संपत्ति के पूर्ण/आंशिक असंवेदी पुनर्निर्माण के कारण इनमें से कई भवनों को गंभीर खतरा है। सभी धरोहर संपत्तियों का तत्काल संरक्षण और निगरानी किए जाने की आवश्यकता है।

दिल्ली की निर्मित धरोहर मुख्य रूप से यमुना और रिज के बीच बने त्रिकोण में जोन ए, सी, डी, और एफ में केंद्रित है। इनमें से कई शहर का अनूठा सांस्कृतिक केंद्र बनाए जाने योग्य हैं। इनमें से कई प्राकृतिक संपदाओं जैसे जल स्रोतों और जंगलों से जुड़ी हुई हैं, जिनसे एकीकृत योजना के अवसर दिखाई देते हैं। इनमें से कई ऐतिहासिक क्षेत्रों में आज मिश्रित उपयोग पैटर्न वाली घनी बस्तियां हैं और इनमें वाणिज्यिक गतिविधियां हो रही हैं और अतिक्रमण की समस्याएं हो रही हैं तथा हैरीटेज सम्पदा को नजरअंदाज किया जा रहा है जैसे शाहजहानाबाद, निजामुद्दीन, महरौली, तुगलकाबाद, जहाँपनाह, हौज़ खास और लुटियन्स दिल्ली जहां दिल्ली के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक हैं।

दिल्ली को अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और अनुकूल पुनः उपयोग जैसे उपायों से अनूठे सांस्कृतिक और सार्वजनिक स्थलों को समृद्ध करने के लिए इस सुदृढ़ सांस्कृतिक पूंजी का उपयोग करने की कार्यनीति बनानी होगी। हालाँकि, कुछ शहरी गाँवों में ऐसे स्थलों के पास कई बुटिक प्रतिष्ठान, कलाकार स्टूडियो और अन्य रचनात्मक इकोनोमीज स्थापित किए गए हैं और सांस्कृतिक उत्सव, फूड वॉक, हेरिटेज वॉक आदि जैसी पहलें उभर कर सामने आई हैं, लेकिन इन सभी गतिविधियों की प्रकृति एक व्यवस्थित तरीके से पर्यटन और धरोहर के अनुभव को बढ़ाने से जुड़ी होने के बजाय छिटपुट ही हैं। धरोहर संपत्ति के अलावा, दिल्ली में लैंडमार्क भवन (बेकार पड़े औद्योगिक स्थल/ विद्युत संयंत्र) भी हैं।

ऐसी संपत्तियों को शहर की आधुनिक और औद्योगिक धरोहर के स्वरूप में स्वीकार किए जाने और उन्हें संरक्षण और सांस्कृतिक संवर्धन के दायरे में लाने की आवश्यकता है।

दिल्ली में सार्वजनिक स्थल: इस शहर में बहुत-सारे सार्वजनिक स्थल हैं जो सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण हैं। ये गतिविधि स्थल और नेटवर्क के रूप में हैं जिनसे दिल्ली में जनजीवन और भी अधिक जीवंत हो जाता है। दिल्ली की सार्वजनिक स्थलों की टाइपोलोजी बहुत विविध हैं, इसमें प्रतिष्ठित शहर स्तरीय हब, पार्क और इंडिया गेट, सीपी में सेंट्रल पार्क और नेहरू पार्क जैसे खुले स्थान से लेकर बड़ी सामाजिक और सांस्कृतिक सुविधाएं, चारदीवारी शहर के पारंपरिक / ऐतिहासिक बाज़ार, दिल्ली-हाट, जैसी थीम साइट मार्केट जैसे जनपथ स्ट्रीट, संसद मार्ग पर एम्पोरिया क्षेत्र, और स्थानीय पार्क, चौक और सड़कें हैं। इनके अतिरिक्त, रचनात्मक कलाओं के मंडी हाउस जैसे विभिन्न स्थान, जलाशय, यमुना बाढ़ के मैदान और धरोहर संपत्ति की बहुलता वाले क्षेत्र स्वयं इस शहर के सांस्कृतिक और सार्वजनिक जीवन के महत्वपूर्ण तत्व हैं।

सभी सार्वजनिक स्थलों और स्थानों को सभी उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से दिव्यांगों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए सुरक्षित, अधिक समावेशी और जीवंत बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे को बढ़ाने की आवश्यकता है।

दिल्ली के लिए (i) लैंडमार्क, प्रतिष्ठित स्थानों और विजुअल कॉरिडार जो सार्वजनिक अनुभव को बेहतर करने के लिए शहर की पहचान हैं, और (ii) जनसुविधाओं में सुधार और संस्थापना के लिए क्षेत्रों/सड़कों, की पहचान करने के लिए सार्वजनिक स्थलों की सूची बनाने की आवश्यकता है।

इस खंड में शहर की धरोहर को संरक्षित करने और उसका लाभ लेने और निम्नलिखित दो अध्यायों में शहर के सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाने की कार्यनीतियां निर्धारित की गई हैं:

एचसीपी1 - सार्वजनिक स्थलों का बेहतर प्रबंधन करना

एचसीपी1 - दिल्ली की धरोहर का प्रबंधन

5.0 सार्वजनिक स्थलों का बेहतर प्रबंधन करना

5.1.1 योजना का उद्देश्य, इस शहर में जीवंत सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक स्थलों से जुड़ी अवसंरचना की सुरक्षा, अतिक्रमण और इसके अभाव के मुद्दों का भलीभांति समाधान करना है। इससे बेहतर पदयात्रा, सार्वजनिक जीवन, सामाजिक जुड़ाव, स्वास्थ्य, रचनात्मकता और स्थानीय व्यवसायों, खुदरा, सांस्कृतिक अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहित करने के योजना के सभी तीन लक्ष्यों के असंख्य लाभ मिलेंगे।

5.1.2 'सार्वजनिक क्षेत्र' शब्द को एक अनिवार्य शहरी साझा स्थान माना जाता है जिनमें उस शहर में साझा सार्वजनिक क्षेत्र शामिल हैं जो सभी के हैं और सभी के लिए सुलभ हैं। इस योजना में तीन तत्वों अर्थात् सड़कों, सार्वजनिक और निजी प्लाजा / चौराहों, पार्क और खुले स्थानों पर विशेष फोकस करते हुए निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:

- i) पूरे शहर में भलीभांति डिजाइन किए गए, सुरक्षित और सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों की बेहतर उपलब्धता और अनुभव।
- ii) बेहतर मार्ग-स्तरीय गतिविधि और सुरक्षा वाले भवनों और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच बेहतर इंटरफ़ेस।

5.2 सार्वजनिक जीवन के लिए शहर स्तरीय हब और नेटवर्क को समृद्ध बनाना

5.2.1 शहर में सार्वजनिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यनीति बड़े, प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्रों और ऐसे लैंडमार्कों को समृद्ध बनाना है जो इस शहर की छवि का अंग हैं। जबकि योजना में कुछ नए अवसरों की पहचान की गई है जो सृजित किए जा सकते हैं, ऐसे कई क्षेत्र पहले से ही शहर में मौजूद हैं और विभिन्न सार्वजनिक गतिविधियों की सहायता के लिए इनमें बेहतर सुविधाओं और डिजाइन के माध्यम से सुधार करने की आवश्यकता होगी।

5.2.2 **शहरी केंद्र:** शहर स्तरीय हब की निम्नलिखित टाइपोलोजी को प्राथमिकता के आधार पर विकसित/उन्नत किया जाएगा:

- i) **सार्वजनिक तटीय नगरभाग (पब्लिक वाटरफ्रंट):** योजना में यमुना बाढ़ के क्षेत्र में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील पुनरूद्धार और नालों के बफर के साथ-साथ हरे-भरे मार्गों का निर्माण करने की कार्यनीति बनाने के प्रावधान

दिए गए हैं। इससे उन क्षेत्रों में जल निकायों के साथ-साथ संवेदनशीलता से बनाए गए नए सार्वजनिक स्थलों को प्रोत्साहन मिलेगा जो पहले उपेक्षित थे। (देखें: ईएनवी2; एमओबी3)

- ii) **शहरी जंगल:** दिल्ली में आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्रों के अंतर्गत बड़ा क्षेत्र है, जो नागरिकों को एक सक्रिय जीवन शैली और प्रकृति से जुड़ाव का उत्कृष्ट स्थान प्रदान कर सकते हैं। संबंधित भू-स्वामी एजेंसियाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण तक पहुँच प्रदान करने के लिए, 'इंटरएक्टिव जोन' की पहचान और उनका विकास करेंगी। इस योजना अवधि के दौरान, खदानों, लैंडफिल, राख डाइक्स आदि जैसी साइटों को पार्कों और प्राकृतिक हैबिटेट्स के रूप में भी पुनः उपयोग में लाया जाएगा। (देखें: ईएनवी 2)
- iii) **सांस्कृतिक हॉट स्पॉट:** शाहजहानाबाद, सेंट्रल विस्टा और इंडिया गेट लॉन, कनॉट प्लेस, हौज खास, महरौली आदि जैसे सांस्कृतिक हॉट स्पॉट अत्यधिक पब्लिक गतिविधि के स्थान हैं जो स्थानीय लोगों को आकर्षित करने के साथ-साथ पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। गहन सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों वाले अन्य विशिष्ट केंद्रों की पहचान की जाएगी (उदाहरण के लिए मंडी हाउस, लोधी इंस्टीट्यूशनल एरिया और कला परिसर, दिल्ली हाट, दस्तकार हाट, आदि)। ऐसे स्थलों में और उसके आसपास सार्वजनिक क्षेत्र को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे।
- iv) **ट्रांजिट हॉटस्पॉट:** दुनिया भर में प्रतिष्ठित हवाई अड्डे और ट्रांजिट स्टेशन, शहरों की सार्वजनिक स्मृति और सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इस योजना में मिश्रित उपयोग और सार्वजनिक गतिविधि के हब के रूप में और ऐसे दर्शनीय लैंडमार्कों के सृजनार्थ ट्रांजिट नोड्स के विकास का प्रावधान है। (देखें: एमओबी2 तथा डीईवी4)
- v) **बाज़ार स्थान:** लोग विशेष उत्पादों और अनुभवों के लिए दिल्ली के कई अलग-अलग बाजारों से जुड़े होते हैं। इन बाजारों में जिला केंद्र और सामुदायिक केंद्र सहित बाजार शामिल हैं जो बेहतर शॉपिंग अनुभव के लिए पैदल घूमन-फिरने वाले स्थानों सहित सक्रिय आवाजाही वाले जिले बन सकते हैं। (देखें: एमओबी3)

- vi) **मनोरंजन हब:** विभिन्न हरित मनोरंजनात्मक हब, प्रदर्शनी और कांसर्ट स्थान, सप्ताहांत गंतव्य स्थल, थीम पार्क आदि का विकास हरित विकास क्षेत्र (जी.डी.ए.) में प्रत्याशित है, जिससे शहर-स्तरीय सार्वजनिक स्थलों की सूची में वृद्धि होगी। (देखें: डीईवी2)

5.2.3 **शहर स्तरीय सर्किट:** सार्वजनिक स्थल नेटवर्क एक सुरक्षित और जीवंत सार्वजनिक क्षेत्र को समृद्ध करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यनीति होते हैं। इस योजना में दिल्ली में हरित कॉरिडोर, धरोहर और सांस्कृतिक सर्किट अथवा अस्थायी उत्सव सर्किट बनाने के लिए बहुत-से अवसरों की पहचान की गई है। संभावित सर्किट की एक सांकेतिक सूची **अनुलग्नक 6** में दी गई है। पदयात्रा, विश्राम करने और सामाजिक सम्पर्क की जन सुविधाओं में सुधार, सांस्कृतिक और/ या रचनात्मक इकोनोमीज और थीम वाले कार्यक्रमों आदि को सुकर बनाने के लिए इस तरह के सर्किट का काम शुरू किया जाएगा। (देखें: एचसीपी2; एमओबी 3)

5.2.4 **नाइटलाइफ सर्किट (एनसी):** सुरक्षा में सुधार, अलग-अलग गतिविधियों से जाम में कमी, विभिन्न गतिविधियों के लिए स्थानों का ईष्टतम उपयोग करना और औपचारिक एवं अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों के लिए उत्पादकता में सुधार करने के लिए नाइट टाइम इकोनोमीज (एनटीई) और सक्रिय रात्रि जीवन महत्वपूर्ण हैं।

- i) सांस्कृतिक उपक्षेत्रों जैसे मार्ग या क्षेत्र, धरोहर संपत्तियों की बहुलता वाले क्षेत्र, केंद्रीय व्यापार जिले में क्षेत्र आदि जो एक जीवंत नाइटलाइफ हैं, वर्तमान में नाइटलाइफ सर्किट (एनसी) के प्राथमिकता वाले नोड होंगे।
- ii) स्थानीय निकाय, पर्यटन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियां, एनसी की पहचान करेंगी और होटल, रेस्तरां, सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों, मनोरंजन, खेल सुविधाओं, खुदरा स्टोर इत्यादि के लिए विनिर्दिष्टियों के अनुसार रात्रि में कार्य करने के लिए विस्तारित समय की अनुमति देंगी।
- iii) संबंधित एजेंसियां, पर्याप्त रोशनी, सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन द्वारा आसान पहुंच को सुगम बनाने के लिए चिह्नित एनसी में संयुक्त रूप से काम करेंगी। रात के समय कम आवृत्ति के साथ विशेष मेट्रो लाइनों और बस मार्गों को प्रचालित करने की अनुमति दी जा सकती है।

- iv) चिन्हित एनसी के साथ-साथ सभी नए निर्माण/पुनर्विकास को सक्रिय फ्रंटेज सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- v) संबंधित एजेंसियां, एनसी को बढ़ावा देने के लिए मौसमी या सांस्कृतिक उत्सवों, थीम्ड नाईट वॉक आदि का आयोजन करने के लिए कलाकारों के समूहों, सांस्कृतिक समूहों, निवासी समूहों, युवा समूहों, बाजार और विक्रेता संघों और साप्ताहिक बाजारों आदि के साथ सहयोग कर सकती हैं।

5.2.5 संबंधित एजेंसियों द्वारा विज्ञापन के माध्यम से सार्वजनिक स्थल सुधार के वित्तपोषण के नवीन तंत्र, सार्वजनिक स्थलों को अल्पकालिक पट्टे पर देने, सीएसआर निधि के उपयोग आदि की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है।

5.3 स्थानीय सार्वजनिक स्थलों में सुधार करना

5.3.1 **स्ट्रीट पर सार्वजनिक जीवन:** दिल्ली में कुल भूमि के लगभग 20 प्रतिशत हिस्से पर सड़कें बनी हैं और शहर में सार्वजनिक स्थल का सबसे सर्वव्यापी रूप है। योजना में लोगों के लिए इस क्षमता का लाभ उठाने और स्ट्रीट को जन-स्थल के रूप में पुनः बनाने पर फोकस किया गया है।

- i) **अनुलग्नक 7** में स्ट्रीट डिजाइन विनियमों के अनुसार, पर्याप्त सड़क अवसंरचना, छाया, और सार्वजनिक सुविधाओं के साथ बाधा रहित वातावरण प्रदान कर पूरे शहर में पैदल चलने (वॉकेबिलिटी) को सुविधाजनक बनाया जाएगा।
- ii) खण्ड 5.3.2 के अनुसार स्ट्रीट वेंडिंग जोन, सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं तक पहुंच, पैदल यात्री क्रॉसिंग और पब्लिक प्लाजा जैसे अवसरों का सृजन कर सड़कों पर सार्वजनिक जीवन में और अधिक सुधार किया जा सकता है।

5.3.2 **पब्लिक प्लाजा:** प्लाजा में पड़ोस के चौक और नुक्कड से लेकर संस्थागत फोरकोर्ट, शहर के चौक (सिटी स्क्वायर) और पियाज़ा तक आते हैं, और ये आवाजाही नेटवर्क के साथ-साथ महत्वपूर्ण ठहराव बिंदु होते हैं।

5.3.2.1 शहर में निम्न प्रकार के प्लाजा को प्रोत्साहित किया जाएगा:

- i) स्टैंडअलोन प्लाज़ा- ये इमारतों के फोरकोट्स के रूप में हो सकते हैं, और भूमि के स्तर के साथ-साथ उससे ऊंचे स्तर पर भी हो सकते हैं।
- ii) गलियों के किनारे कॉर्नर प्लाज़ा इन्हें गलियों के किनारों पर बनाया जा सकता है। प्लॉट के छोर अथवा भवन छोर को उभारा जा सकता है अथवा पीछे किया जा सकता है अथवा कम किया जा सकता है जिससे व्यावसायिक/सांस्थानिक उपयोग के फैलाव हेतु कॉर्नर प्लाज़ा तैयार हो सकें।
- iii) मिड-स्ट्रीट प्लाज़ा- ये भूखंड की रेखाओं अथवा भवन के किनारों को रिसेस करके, विशेषकर सार्वजनिक भवनों के सामने बनाये जा सकते हैं।

5.3.2.2 प्लाज़ा को विभिन्न प्रकार के विकास के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार सभी ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड लेआउट/स्कीमों में लेआउट प्लान के हिस्से के रूप में योजनाबद्ध किया जाएगा।

5.3.2.3 यदि पब्लिक प्लाज़ा के विकास के लिए भूखंड क्षेत्र दिया जाता है, शेष भूखंड में ऐसे क्षेत्र के लिए एफएआर का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

5.3.2.4 सार्वजनिक आवाजाही की सुगमता और स्पिलओवर क्षेत्र का काम करने के लिए, प्लाज़ा को भूमि पर, कॉन्कॉर्स पर अथवा ऊंचे स्तरों पर सभी पारगमन स्टेशन परियोजनाओं के हिस्से के रूप में प्रदान किया जाएगा।

5.3.2.5 पब्लिक प्लाज़ा द्वार रहित रहेंगे और आम जनता के लिए हर समय खुले रहेंगे।

5.3.3 **गतिविधि प्रोग्रामिंग:** गतिविधि-सृजक उपयोगों के माध्यम से उपयुक्त प्रोग्रामिंग, सड़क की निगरानी के साथ जीवंत और सुरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सार्वजनिक क्षेत्रों और आसपास के भवनों के बीच मजबूत संबंधों को निम्नलिखित से बढ़ावा दिया जाएगा:

5.3.3.1 **सरल मिश्रित उपयोग और वर्टिकल मिक्सिंग के लिए मानदंड,** जैसाकि योजना में प्रस्तावित किए गए हैं, ये भूखंडों/भवनों के भीतर गतिविधियों के मिश्रण को बढ़ावा देते हैं जिसके परिणामस्वरूप ये क्षेत्र दिन के दौरान लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं। पुस्तकालय, पुस्तक भंडार, रिटेल,

डाकघर आदि जैसे सार्वजनिक उपयोग अनिवार्य रूप से निचले तल पर रखा जाए ताकि सड़क से इन तक सुगमता से पहुंचा जा सके।

- 5.3.3.2 **सक्रिय फ्रंटेज:** पुनरूद्धार परियोजनाओं के भाग के रूप में (देखें डीईवी 3), 18 मीटर अथवा उससे अधिक आरओडब्ल्यू वाली सड़कों के साथ-साथ कुछ प्रतिशत आर्कड्स, कोलोनेड्स, शॉपफ्रंट्स, पैदल यात्री प्रवेश/निकास, प्लाजा, एक्सेस पॉइंट्स, पारदर्शी शॉप विंडो आदि के रूप में सक्रिय फ्रंटेज का कुछ प्रतिशत रखा जाएगा। ग्रीनफील्ड क्षेत्रों में, ऐसे सक्रिय फ्रंटेज कम से कम 24 मी. की सड़क के किनारे-किनारे होंगे। लागू मानदंडों के अनुसार इन किनारों के साथ भवन बिल्ट-टू-एज होंगे। उन स्थानों पर जहां चारदीवारी की अनुमति है, सड़क के साथ दृश्य संपर्क बनाए रखने का ध्यान रखा जाना चाहिए (अनुलग्नक 7)।
- 5.3.3.3 **एमयूजेड,** सबवे और पब्लिक/प्राइवेट प्लाज़ा को कियोस्क, अनौपचारिक वेंडिंग, पब्लिक आर्ट, परफॉर्मेंस आदि के साथ डिजाइन किया जाएगा। आकर्षक प्ले एलिमेंट्स, वॉटर फीचर्स, स्ट्रीट फ़र्नीचर, चार्जिंग पॉइंट्स, रीडिंग कॉर्नर आदि से सार्वजनिक स्थलों की गुणवत्ता काफी अधिक बढ़ सकती है, जिससे आवाजाही वाले गलियारों के आस-पास कुछ देरे ठहरने के लिए स्थान उपलब्ध होता है।
- 5.3.4 **स्थानीय पार्क:** विभिन्न प्रकार और विभिन्न स्तरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रीन फील्ड तथा ब्राउन फील्ड में पार्को, हरित क्षेत्रों और खुले स्थानों को वर्गीकृत किया जाएगा। स्कूलों या अन्य पब्लिक संस्थानों के भीतर मैदानों का स्कूल की समयावधि के बाद सामुदायिक पार्को के रूप में बहु-प्रयोग को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- 5.3.5 **निजी स्वामित्व वाले सार्वजनिक स्थल (पीओपीएस):** इस योजना में ऐसे पीओपीएस के विकास को बढ़ावा दिया गया है जो निजी संपत्ति बने रहेंगे और जिनका रख-रखाव इसके स्वामी/डेवलपर द्वारा किया जाएगा, लेकिन जहां विनियमित अवधि के दौरान भूमितल पर अथवा इससे ऊंचे स्तरों पर भवन के भीतर खुले स्थान तक पहुंच प्रदान की जाती है।
- इन स्थानों को एफएआर से मुक्त माना जाएगा। डेवलपर्स को ऐसे क्षेत्रों के आसपास गतिविधि सृजक उपयोगों में लाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन

निर्दिष्ट पब्लिक क्षेत्र के भीतर किसी कियोस्क या व्यावसायिक उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- ii) ऐसे स्थान व्यावसायिक उपयोग के लिए डेवलपर्स द्वारा बनाए गए स्पिल ओवर स्थान या निजी खुले स्थानों के अतिरिक्त होंगे। इससे खुले स्थान की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी इसलिए भूस्वामियों/डेवलपर्स द्वारा इसे अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा।

5.4 सार्वजनिक स्थलों में सुधार के लिए अन्य हस्तक्षेप

5.4.1 सभी सार्वजनिक स्थलों पर अग्नि सुरक्षा के प्रावधान सुनिश्चित किए जाएंगे और संबंधित प्राधिकरण द्वारा किसी भी आपदा की स्थिति में उपयोग किए जाने वाले सभी एकत्र होने वाले स्थानों और पब्लिक भवनों के निकट निकासी क्षेत्रों की पहचान की जाएगी।

5.4.2 **पब्लिक आर्ट:** सार्वजनिक स्थलों पर अस्थायी पब्लिक आर्ट संस्थापनाओं और स्ट्रीट परफॉर्मेंस को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह सुनिश्चित करते हुए कि उपयोगकर्ताओं को असुविधा नहीं हो रही है, खाली पड़े स्थानों जैसे सबवे क्रासिंग और फ्लाइओवर के नीचे के स्थान को ऐसे हस्तक्षेपों के माध्यम उपयोग में लाया जा सकता है। डीयूएसी द्वारा तैयार की गई लोक कला नीति के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

5.4.3 नागरिक और अन्य हितधारक, पहुँच, सुरक्षा और रोशनी, विशिष्ट उपयोगकर्ता समूहों की जरूरतों, आदि के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्रों के नियमित जांच जैसी पहलों और इन्हें संबंधित एजेंसियों से साझा करके सार्वजनिक स्थलों के प्रबंधन में एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। संबंधित एजेंसियां भी एक्टिव ट्रैवल और अन्य स्मार्ट एप्लीकेशन्स के भाग के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र उपयोगकर्ता सर्वेक्षणों को एकीकृत करके जनता का अभिमत प्राप्त कर सकती हैं।

6.0 दिल्ली की धरोहर का प्रबंधन

6.1.1 'धरोहर' में ऐतिहासिक और संबंधित सांस्कृतिक महत्व के मूर्त तत्व (स्मारक, भवन, सड़क, उद्यान आदि) के साथ-साथ अमूर्त तत्व (उत्सव, पारंपरिक शिल्प उत्पाद, कला रूप आदि) आते हैं। इस योजना में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है और निम्नलिखित तरीके से इसमें धरोहर संपत्तियों के साथ-साथ सांस्कृतिक केंद्रों में सुधार की परिकल्पना की गई है:

- i) धरोहर संपत्तियों के संरक्षण और/अथवा अनुकूली पुनः उपयोग।
- ii) ऐतिहासिक क्षेत्रों में अवसंरचना, जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक जीवंतता के प्रावधान।

6.2 धरोहर संपत्ति का संरक्षण

6.2.1 सभी धरोहर संपत्तियों की अविस्थिति संबंधित एजेंसियों के पास होती है, इन्हें जीआईएस- आधारित दिल्ली स्पेटियल सूचना प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा। उनकी स्थिति का आकलन करने और संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रत्येक 5 वर्षों में धरोहर संपत्ति की सूची अद्यतन की जाएगी।

6.2.2 राष्ट्रीय और राज्य संरक्षित स्मारकों, भवनों और विनियमित एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों के भीतर किसी भी विकास का संरक्षण और प्रबंधन, संबंधित अधिनियमों/कानूनों के अनुसार होगा। स्थानीय समुदाय के साथ विचार-विमर्श करके प्रत्येक क्षेत्र/स्थल की अवसंरचना अद्यतन करने/विजिटर सुविधाओं आदि सहित व्यापक सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन योजना बनाई और कार्यान्वित की जाएगी।

6.2.3 प्राधिकरण विरासत/सांस्कृतिक मूल्य के किन्नी भवनों/भवनों के समूह तथा पुरानी मार्केट, 1962 से पूर्व की संरचनाओं, अलग-थलग पड़े परिसरों जैसे की जामा मस्जिद के निकटवर्ती स्कूल, प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल, कश्मीरी गेट पर चर्च, ओल्ड हिंदू कम्प्लैक्स आदि पर म्यूनिसिपल कार्यालयों को चिन्हित कर सकता है जहां मामला दर मामला आधार पर समग्र संरक्षण संरचना के अंदर परिवर्धन/परिवर्तन किए जाएंगे।

6.2.4 इन धरोहर भवनों के स्वामी, जो स्थानीय निकाय द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं, इन संपत्तियों का संरक्षण और संवेदनशील उपयोग/पुनः उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहन ले सकते हैं:

- i) भवन के ग्रेड के आधार पर इन भवनों में फेर-बदल की अनुमति दी जाएगी।
- ii) खण्ड 6.2.4 के अनुसार संरचनाओं के अनुकूल पुनः उपयोग की अनुमति दी जाएगी।
- iii) खण्ड 6.2.5 के अनुसार, अतिरिक्त एफएआर दिया जाएगा।
- iv) खण्ड 6.2.6 के अनुसार स्थानीय निकायों और संबंधित एजेंसियों द्वारा समर्थकारी प्रावधान।

6.2.5 **अनुकूली पुनः उपयोग:** स्थानीय निकायों द्वारा पहचाने गए विरासत भवनों में से अधिकांश निजी स्वामित्व वाले हैं और अधिभोगियों द्वारा इनका सक्रिय उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भवनों में, संघटक स्वामियों को इन भवनों का संरक्षण करने और ऐतिहासिक संदर्भ के अनुरूप ऐसी परिसंपत्तियों का अनुकूल उपयोग / पुनः उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विरासत भवनों में किसी भी नए संगत उपयोग की अनुमति दी जाएगी जैसाकि स्थानीय निकायों द्वारा अधिसूचित किया गया है जिसके लिए अलग विनियम बनाए जाएंगे।

- i) उन विरासत भवनों में, जहां अनुकूली पुनः उपयोग की योजना बनाई जा रही है, मापन के लिए यूबीबीएल के प्रावधानों के अनिवार्य पालन पर जोर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ये भवन और संरचनाएं पहले ही बन चुकी हैं।
- ii) साइट के भीतर, खुले क्षेत्रों में अनौपचारिक बाजार, फूड कोर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि गतिविधियों के लिए अस्थायी संरचनाओं का निर्माण स्थानीय निकायों और दिल्ली अग्निशमन सेवा, जहां लागू हो, की अनुमति के अध्यक्षीन होगा।

6.2.6 **हेरिटेज टीडीआर:** स्थानीय निकायों द्वारा अधिसूचित धरोहर इमारतों के मालिकों को विकास के अधिकारों के नुकसान की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। अप्रयुक्त एफएआर की गणना संबंधित भूमि उपयोग पर अनुमत एफएआर का उपयोग करके की जाएगी। स्वामी, धरोहर संपत्ति को इसकी धरोहर प्रकृति एवं संरचना

में संरक्षित करने एवं बनाए रखने के लिए 20 अतिरिक्त एफएआर के पात्र भी होंगे।

- i) टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास अधिकार) के रूप में कुल एफएआर (अप्रयुक्त और प्रोत्साहन), प्रदान किया जाएगा जिसका पहचाने गए टीडीआर प्राप्त क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है। (देखें: डीसीएन)
- ii) दि.वि.प्रा. द्वारा टीडीआर प्रमाणपत्र; संपत्ति की उपयुक्त मरम्मत और सुधार किए जाने और संबंधित एजेंसियों से प्रासंगिक प्रमाणीकरण प्राप्त कर लेने के बाद ही जारी किया जाएगा।
- iii) स्थानीय निकाय/संबंधित एजेंसी, प्रतिबद्ध मरम्मत और रखरखाव न किए जाने या भवन के धरोहर मूल्य को क्षति पहुंचने के मामले में शास्ति प्रभारित करेगी।

6.2.7 अन्य समर्थकारी प्रावधान:

- i) स्थानीय निकाय, धरोहर प्रकोष्ठ स्थापित करें जो विरासत संपत्ति का प्रबंधन करेंगे, उनके रख-रखाव की स्थिति की निगरानी करेंगे, सांस्कृतिक उपक्षेत्र का निर्धारण करेंगे, पूरक आर्थिक/सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, समारोह के आयोजन, वॉक आदि को बढ़ावा देंगे, अनुकूली पुनः उपयोग परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाएंगे और इन पहलों में मदद के लिए एक धरोहर निधि स्थापित करेंगे। ये धरोहर प्रकोष्ठ अन्य लैंडमार्क, आधुनिक और औद्योगिक धरोहर भवनों/भवनों के हिस्सों/स्थलों की पहचान कर सकते हैं।
- ii) संबंधित एजेंसियां धरोहर संपत्तियों के स्वामियों को अपनी विरासत संरचनाओं के संरक्षण में सुविधा प्रदान करेंगी। प्रत्येक एजेंसी एक पोर्टल विकसित करेगी जिसमें धरोहर संरचनाओं की सूची, धरोहर भवनों में विशेषज्ञता वाले पैनलबद्ध तकनीकी विशेषज्ञों, कलाकारों, कार्यकारी एजेंसियों की सूची, चलाई जा रही परियोजनाओं, पहचाने गए संभावित निवेशकों आदि से संबंधित सूचना दी गई हो।
- iii) संबंधित एजेंसियां शिक्षा और संवेदीकरण के लिए कार्यक्रमों को कार्यान्वित भी करेंगी और स्थानीय निकायों/ संबंधित एजेंसी द्वारा किए जाने वाले हेरिटेज वॉक जैसी पहलों का समर्थन करेंगी।
- iv) धरोहर संपत्तियों को अपनाने / उनके संरक्षण और प्रबंधन के लिए सीएसआर निधियन को बढ़ावा दिया जाए।

6.3 शहर में धरोहर और सांस्कृतिक समूह

6.3.1 शहर में तीन प्रकार की धरोहर / सांस्कृतिक समूहों की पहचान की जाती है,

- i) **धरोहर क्षेत्र:** धरोहर क्षेत्र वह क्षेत्र है, जिसमें योजना द्वारा ऐतिहासिक या सौंदर्यपरक रूप से या भौतिक विकास आदि से जुड़े भवनों, संरचनाओं, समूहों या कॉम्प्लैक्सों की महत्वपूर्ण बहुलता, लिकेज अथवा निरंतरता है। निम्नलिखित क्षेत्रों की धरोहर क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है:

क) शाहजहानाबाद चारदीवारी शहर

ख) लुटियन बंगला क्षेत्र (एलबीजेड)

यथा सूचीबद्ध अनुलग्नक 8, धरोहर का भाग होना चाहिए

- ii) **सांस्कृतिक उपक्षेत्र:** सांस्कृतिक उपक्षेत्र, एक परिभाषित क्षेत्र में एक दूसरे से मार्गों द्वारा अथवा आसंजक निर्मित रूप में जुड़ी वास्तुशिल्प, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सहबद्ध मूल्यों वाली मूर्त और अमूर्त दोनों तरह की अलग-अलग विरासत की बहुलता को दर्शाता है। ये उपक्षेत्र धरोहर जोन से अलग-अलग भी हो सकते हैं अथवा धरोहर जोन का हिस्सा भी हो सकते हैं। अनुलग्नक 8, सांस्कृतिक उपक्षेत्रों की सांकेतिक सूची है।

- iii) **पुरातत्व पार्क:** पुरातत्व पार्क, धरोहर संसाधनों और ऐसे संसाधन से युक्त भूमि वाला क्षेत्र होता है, जिसमें पर्यटकों के लिए आकर्षण के तौर पर महत्वपूर्ण होने के अतिरिक्त, जनता के लिए एक व्याख्यात्मक और शैक्षिक संसाधन बनने की क्षमता होती है। पुरातात्विक पार्कों को रूप, डिजाइन, सामग्री और पदार्थ, उपयोग और प्रकार्य, परंपरा और आकर्षण के तकनीक, अवस्थिति और परिवेश, भाव और अनुभव और अन्य आंतरिक एवं बाह्य कारकों जैसे अनिवार्य पहलुओं के मूल्यांकन के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। दिल्ली में निर्दिष्ट पुरातत्व पार्क हैं:

क) महरौली पुरातत्व पार्क

ख) तुगलकाबाद पुरातत्व पार्क

ग) सुल्तान गढ़ी पुरातत्व पार्क

घ) इंद्रप्रस्थ पुरातत्व पार्क

ड) उत्तरी रिज पुरातत्व पार्क

उपरोक्त सूची सांकेतिक है और संबंधित एजेंसियों द्वारा और अधिक धरोहर जोन, सांस्कृतिक उपक्षेत्रों, पुरातत्व पार्कों को जोड़ा जा सकता है।

6.4 धरोहर क्षेत्रों और सांस्कृतिक उपक्षेत्रों के लिए कार्यनीतियाँ

6.4.1 शाहजहानाबाद एक सांस्कृतिक उद्यम केंद्र के रूप में: चारदीवारी शहर, शहर का ऐतिहासिक रूप से मूल और व्यापारिक केंद्र है, जो मूर्त और अमूर्त, दोनों धरोहरों से समृद्ध है। यहां बहुत-सी अधिसूचित धरोहर संपत्तियों के अतिरिक्त, विश्व धरोहर स्थल लाल किला स्थित है। इसकी अनूठी संरचना में कटरा, बाज़ार, ऐतिहासिक बाज़ार, सड़कें और विस्टा के साथ-साथ त्यौहार, कविता, पारंपरिक शिल्प उत्पाद, भोजन और वस्त्र इत्यादि जैसे अमूर्त सांस्कृतिक अनुभव शामिल हैं, जो दिल्ली की विशेषता हैं। हालांकि, इस क्षेत्र में कई चुनौतियां भी हैं जैसेकि निरंतर थोक व्यापार, भंडारण और प्रदूषण/खतरनाक आर्थिक गतिविधियां, और माल की आवाजाही के कारण यातायात जाम, भवनों का जीर्ण-शीर्ण होना, अवसंरचना का अभाव और तदर्थ एवं गैर संवेदनशील रूपांतरण जिससे निर्मित संरचना विरूपित होती है। योजना अवधि के दौरान क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए एक बहु-एजेंसी समन्वित पहल शुरू की जाएगी:

- क) 2 वर्षों के अंदर चारदीवारी शहर के भीतर सभी सांस्कृतिक उपक्षेत्रों की रूपरेखा बना ली जाएगी। एसआरडीसी/संबंधित स्थानीय निकाय खंड 6.4.3 के अनुसार, ऐसे सभी उपक्षेत्रों के लिए योजनाएं तैयार और कार्यान्वित करेगा। खण्ड 6.2.3-6.2.6 के अनुसार, धरोहर भवनों के मालिकों को संरक्षण/ अनुकूली पुनः उपयोग के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है।
- ख) स्थानीय निकाय सभी प्रमुख बाजारों, व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग वाली सड़कों की पहचान करते हुए क्षेत्रों के लिए एक योजना तैयार करेगा। माल लाने-ले जाने की सभी हानिकारक उद्योगों और जोखिमपूर्ण व्यापारों, गोदामों और थोक गतिविधि को 10 वर्ष की अवधि में इस क्षेत्र से हटा दिया जाएगा और शहर में निर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लाजपत राय मार्केट जैसी पुरानी मार्केट को पूर्ववर्ती योजनाओं में यथा निर्धारित के अनुसार रखा जाएगा। मौजूदा गतिविधियों को खुदरा रूप में जारी रखा जा सकता है। पुराने शहर से जुड़ी और स्थानीय निकाय द्वारा पहचानी गई अंतर्संबद्ध खुदरा गतिविधि के समूहन और संकुलन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- ग) इस क्षेत्र को कलाकार स्टूडियो, प्रदर्शन स्थान, संग्रहालय, पुस्तकालय, कैफे, संगीत स्थल, सह-कार्य स्थान, शिल्प केंद्र, होटल जैसे उपयोग सांस्कृतिक

उद्यम केंद्र के रूप में विकसित करने को प्रोत्साहित करने के लिए प्लॉटों में बी एंड बी सुविधाओं की अनुमति दी जाएगी और न्यूनतम 6 मीटर सड़क से इसकी पहुंच दी जाएगी, चाहे भूमि का उपयोग कुछ भी क्यों न हो। **(देखें: डीईवी3)**

घ) शाहजहानाबाद का फाइन ग्रेन फैब्रिक और स्ट्रीट मोरफोलोजी इसकी प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण है और इसे बरकरार रखा जाएगा। इसलिए, समूह आवास टाइपोलोजी और स्टिल्ट पार्किंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, एकीकृत क्षेत्र में सुधार और उत्थान के प्रयोजनार्थ बड़े क्षेत्रों के पुनर्गठन (जैसेकि सब-जोन स्तर) की अनुमति दी जाएगी। चारदीवारी शहर के अंदर सभी पुनरुद्धार, दिए गए विशिष्ट विकास और शहरी डिजाइन नियंत्रण के अनुसार होंगे। **(देखें: डीसीएन)**

ड) चारदीवारी वाला शहर, शहर में नाइट लाइफ सर्किट के लिए एक केन्द्र है। **(देखें: एचसीपी1)**

च) स्थानीय निकाय और अन्य संबंधित एजेंसियां, निम्नलिखित क्षेत्र सुधार पहलों में सहायता करेंगे / इन्हें कार्यान्वित करेंगे।

- i) चारदीवारी शहर के लिए वाहनों की आवाजाही के मार्गों, पदयात्रा क्षेत्रों और सड़कों, एनएमटी मार्गों, सर्विस वाहनों की सीमा और समय-सारणी, निवासियों और पर्यटकों के लिए साइड पार्किंग क्षेत्रों की पहचान कर एक यातायात प्रबंधन योजना और मेट्रो स्टेशनों के आसपास यात्री आवाजाही योजनाएं लागू की जाएगी, जो चारदीवारी शहर के लिए कारगर हों।
- ii) क्षेत्र में सक्रिय यात्रा को बढ़ावा दिया जाएगा और यह पैदल चलने, साइकिल चलाने, पीबीएस आदि की सुविधाएं प्रदान के लिए यह एक अधिमानतः एटीडी होगी। **(देखें: एमओबी3)**
- iii) एमएलसीपी के निर्माण के लिए चारदीवारी शहर में और अधिक खुले स्थान नहीं लिए जाएंगे क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत-सारे मेट्रो स्टेशन क्षेत्र आस-पास स्थित हैं। किसी भी मौजूदा सतही सार्वजनिक पार्किंग स्थल को पूर्ववत् बरकरार रखा जाएगा। सभी सांविधिक स्वीकृतियां ली जाएंगी।
- iv) निवासियों और हितधारकों के परामर्श से आपात स्थिति के दौरान निकासी के लिए इस्तेमाल किए जाने के साथ ही सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाओं और सेवाओं एवं सुविधाओं और उपयोगिताओं

की संस्थापना या सुधार की आवश्यकता आधारित व्यवस्था के लिए उपयोग किए जाने के लिए कटरा, बाज़ारों आदि के लिए क्षेत्र स्तरीय योजना तैयार की जाएगी।

- v) आग के जोखिम को बढ़ाने वाले ओवरहेड तारों के ढेर को उचित तकनीकी समाधानों के माध्यम से ठीक किया जाएगा (देखें: आईएनएफ4)।

6.4.2 **लुटियन बंगला क्षेत्र:** इस क्षेत्र में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के कार्यालय, संग्रहालय, कला दीर्घाओं और बंगलों, जो सरकारी निवास का काम करते हैं, सहित केंद्र सरकार के स्थल शामिल हैं। एलबीजैड की अपनी एक अनूठी विशिष्टता है जिसमें बड़े वृक्षों वाले एवेन्यू, सेंट्रल विस्टा, गोलचक्कर, बड़े निजी और सार्वजनिक उद्यान और कॉलोनियल वास्तुकला के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।

- i) लुटियन बंगला क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए, संबंधित एजेंसी द्वारा इसकी धरोहर महत्ता और सौंदर्य प्रकृति से समझौता किए बिना, विकास-उन्मुखी मानदंड तैयार किए जाएंगे।

6.4.3 **सांस्कृतिक उपक्षेत्रों के लिए प्रावधान:** निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:

- i) स्थानीय निकाय द्वारा सूचीबद्ध सांस्कृतिक उपक्षेत्रों की सीमाओं की रूपरेखा (इस प्रयोजनार्थ बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर) बनाई जाएगी और क्षेत्रीय योजनाओं में निरूपण किया जाएगा
- ii) स्थानीय निकाय / संबंधित एजेंसी द्वारा शहरी डिज़ाइन और बिल्ट फॉर्म नियंत्रण शामिल करते हुए प्रत्येक उपक्षेत्र हेतु सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन योजना (सीआरएमपी) तैयार की जाएगी। जहां भी संभव हो, उपक्षेत्र में भू-स्तर पर मुख्य सड़कों के साथ-साथ सक्रिय फ्रंटेज को प्रोत्साहित किया जाएगा। उपक्षेत्रों के अंदर सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- iii) इन क्षेत्रों के मार्ग और सड़क नेटवर्क को जो उपक्षेत्र का एक भाग हैं, पीबीएस और एनएमवी जैसी सुविधाओं में सुधार और इनके विकास के लिए वरियता प्राप्त एटीडी माना जाएगा।

- iv) विभिन्न धरोहरों संपत्तियों या उपक्षेत्रों को जोड़ने वाले प्राकृतिक नालों के साथ हरित कोरिडोर को पर्यटकों के लिए पर्याप्त सुविधाओं के साथ इको-सांस्कृतिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा।
- v) उपक्षेत्रों में धरोहर मार्गों/वाँक को प्रोत्साहित किया जाएगा। जीवंतता बढ़ाने के लिए इन मार्गों को नाइट लाइफ सर्किट एवं सांस्कृतिक समारोह के साथ एकीकृत किया जाए। (देखें: एचसीपी1)

6.4.4 **पुरातात्विक पार्कों के लिए प्रावधान:** प्राकृतिक धरोहरों के बीच निर्मित धरोहरों के संरक्षण पर जोर देते हुए सीआरएमपी तैयार किया जाएगा। योजना में सभी संभावित संसाधनों जैसे ऐतिहासिक संरचनाओं, उद्यानों, बागों, खुले जलाशयों, सीढीयुक्त कुओं, बावलियों आदि की पहचान की जाएगी और इस स्थल के संवेदनशील विकास के लिए अपेक्षित विशिष्ट शहरी डिजाइन नियंत्रण उपलब्ध कराए जाएंगे।

- i) पुरातत्व पार्कों में निष्क्रिय अवकाश गतिविधियों वाले पर्यटक केंद्र बनने की क्षमता है। इन स्थलों का प्राकृतिक ऐतिहासिक परिवेश को संवेदनशील भूदृश्य डिजाइन द्वारा संरक्षित किया जाएगा
- ii) रेस्तरां / कैफे, पुस्तकालय, कियोस्क, व्याख्या/ प्रदर्शनी / प्रशिक्षण केंद्रों, पर्यटक सूचना केंद्रों, स्मारिका भंडार और सार्वजनिक सुविधाओं की मानदंडों के अनुसार अनुमति दी जाएगी।
- iii) सीआरएमपी में पहचान की गई संरचनाओं का अनुकूली पुनः उपयोग व्यवहार्यता के अनुसार किया जा सकता है।
- iv) समारोह, कार्यक्रमों, कृषक बाजारों, प्रदर्शनियों आदि के आयोजनार्थ सीमित अवधि के लिए पर्यावरण के अनुकूल सामग्री से निर्मित अस्थायी संरचनाओं (स्वीकृति की शर्त पर) की अनुमति दी जा सकती है। अस्थायी पब्लिक आर्ट और संस्थापनाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

खंड 4

आश्रय

और

सामाजिक अवसंरचना

पृष्ठभूमि और प्रमुख नीतिगत सरोकार

आवास:

दिल्ली में भूमि और आवास के विकास पर पर्याप्त सीमा तक सीमित निजी भागीदारी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का विशेषाधिकार रहा है। ऐसी प्रक्रियाओं ने आवास की बढ़ती मांग के साथ तालमेल बनाकर नहीं रखा। शहर में भूमि की उच्च लागत के कारण आवास भी पहुँच से बाहर हो गए हैं। दिल्ली के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, जीएनसीटीडी, 2018-19 के अनुसार, 85% आबादी को सस्ते आवास विकल्पों की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप, ऐसी आवासीय आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) और मलिन बस्तियों का प्रसार हुआ है और वर्तमान के शहरी गाँव सघन हो गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, शहरी जनसँख्या का लगभग 10.8% शहर के कुल क्षेत्र के 0.5% पर कब्जा करके बनायी गयी झुग्गियों में रहती थी। ऐसे क्षेत्र निर्मित आवास की खराब गुणवत्ता, अपर्याप्त सेवाओं, सुख-सुविधाओं और खुले स्थानों की कमी और यहां तक कि आग, भूकंप और अन्य आपदाओं की स्थिति में उच्च जोखिम उठाकर आपदा की गंभीरता को कम करने के लिए सुगम्य मार्ग की कमी से ग्रसित रहते हैं।

इन क्षेत्रों में सुधार करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2019 के माध्यम से मान्यताप्राप्त यूसी के निवासियों को भूमि अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। इस शहर के कुछ क्षेत्रों की आबादी को पूरा करने के लिए समुचित अवसंरचना के प्रावधान के बिना विकसित किया गया है। वर्तमान दृष्टिकोण जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ-साथ, आवासीय स्टॉक पर ध्यान केंद्रित करता है। मलिन बस्तियों के सुधार के लिए, मूल स्थान पर झुग्गी पुनर्वास योजनाओं को लागू किया जाएगा, जिससे निष्कासन का डर कम हो जाएगा। संरचनात्मक गुणवत्ता के साथ समझौता करने के अतिरिक्त, आवासीय स्टॉक भी भीड़भाड़ वाला होता है, जिसमें 60% से अधिक परिवारों (5 सदस्यों का परिवार) के पास एक या दो कमरों की आवासीय इकाइयां होती हैं।

। यह परिवार के सदस्यों की उत्पादकता, समग्र कल्याण और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करता है। आवासीय मांगों के आकलनों में इसका ध्यान रखा गया है।

लगभग 28.4% परिवार किराये के आवास में रहते हैं (जनगणना, 2011) और अनुमान है कि यह संख्या पिछले दशक में बढ़ गयी होगी। 32.3% जनसँख्या प्रवासी है (दिल्ली का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, जीएनसीटीडी, 2018-19) और वे आने-जाने की कम लागत के कारण किराये के आवास को प्राथमिकता देते हैं। इस किराये की आवास के अधिकांश मांग को अनियोजित बस्तियों द्वारा पूरा किया जा रहा है, जिसमें स्वामित्व की असुरक्षा और रहने की स्थितियों के साथ समझौता करने के मुद्दे सम्मिलित हैं। सस्ते आवास, किराये के आवास, छात्रावासों, स्टूडियो अपार्टमेंटों, सर्विस्ड अपार्टमेंटों, डॉरमेटरीज, आदि के माध्यम से छात्रों, एकल कामकाजी पुरुषों और महिलाओं, प्रवासियों आदि की आवास आवश्यकताओं का समाधान किये जाने की आवश्यकता है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली के पास आवासीय स्टॉक (सार्वजनिक और निजी दोनों) का एक बड़ा भाग है, जिस पर किसी का कब्ज़ा नहीं है और/या बिका हुआ नहीं है। दिल्ली में 11% घर (निवास और निवास के साथ अन्य उपयोगों के रूप में प्रयुक्त मकानों सहित) रिक्त हैं (जनगणना, 2011)। किराये के विकल्पों के माध्यम से ऐसे स्टॉक को उपयोग किये जाने की क्षमता है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और आवास के क्षेत्रीय विकास कार्यों; विशेषकर सस्ते आवासीय वर्ग में दिल्ली की आश्रय आवश्यकताओं की पूर्ति करना जारी रखा जाएगा, जहाँ भूमि की लागत में अंतर दिए गए । इस अंतर-निर्भरता को दिल्ली में आवासीय विकास कार्य के लिए स्वामित्व के विकल्पों और प्रारूप वर्गीकरण को निर्धारित करने के लिए रणनीतियों में निहित किये जाने की आवश्यकता है।

2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, दिल्ली (2011-2041) की आवासीय मांग का अनुमान 34.5 लाख आवासीय इकाइयों का है, जिसमें एक औसत परिवार का आकार 4.5 व्यक्तियों का माना गया है। आवासीय बैकलॉग, जनसँख्या में वृद्धि, बेघर जनसँख्या , वर्तमान आवासीय इकाइयों में भीड़भाड़ के स्तर के कारण उत्पन्न आवास की मांग,

वर्तमान स्टॉक (अप्रचलन) की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवासीय मांग की गणना की गई है जिसके लिए शहर में रिक्त आवासीय स्टॉक की अदलाबदली और उपलब्धता की आवश्यकता होगी। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि आँकड़ों की कमी के कारण 2011 के बाद किसी भी आवासीय स्टॉक में किसी प्रकार के बदलाव की गणना नहीं की गयी है। इसलिए, जनगणना 2021 के माध्यम से उपलब्ध आँकड़ों को ध्यान में रखते हुए अनुमानों की पुनर्गणना बाद के योजना समीक्षाओं के दौरान करनी होगी।

सामाजिक अवसंरचना:

दिल्ली की एक सुदृढ़ अवसंरचना है जो अपने निवासियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करती है और इस क्षेत्र के जिला/जोनल दोनों स्तरों पर / उप जोनल स्तरों और नेबरहुड स्तर पर सुविधाएं प्रदान करती है।

इस खंड के निम्नलिखित अध्यायों में आवास और सामाजिक अवसंरचनाओं के प्रावधान में सुधार करने के लिए कार्यनीतियां निर्धारित की गई हैं।

SSI1: आश्रय के लिए कार्यनीति बनाना

SSI2: सामाजिक अवसंरचना का प्रावधान

7.0 आश्रय के लिए कार्यनीति बनाना

7.1.1 यह योजना, योजना की अवधि में अनुमानित आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। यह वर्तमान क्षेत्रों के उत्थान और ग्रीनफील्ड स्थलों के नियोजित विकास के माध्यम से नए आवासीय स्टॉक के निर्माण के साथ-साथ मौजूदा आवासीय स्टॉक दोनों में सुधार की सुविधा प्रदान करती है। यह शहर के अनियोजित क्षेत्रों की चुनौतियों और विशिष्ट आवश्यकताओं का भी समाधान करती है।

7.1.2 योजना की कार्यनीतियाँ निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करेंगी:

- i) सस्ते किराया आवास आदि प्रदान करके आवास विकल्पों की उन्नत उपलब्धता
- ii) पुराने और अनियोजित क्षेत्रों में बढ़ा हुआ निर्मित पर्यावरण, सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता

7.2 आवास की आपूर्ति में सुधार के लिए समग्र दृष्टिकोण

7.2.1 दिल्ली में भविष्य की आवास आपूर्ति को निम्नलिखित के माध्यम से पूरा किया जाएगा:

- i) लैंड पूलिंग के मॉडल का उपयोग करके शहर के ग्रीनफील्ड क्षेत्रों में सेक्टरों का बड़े पैमाने पर विकास। चिह्नित भूमि पूलिंग क्षेत्रों में 17-20 लाख आवासीय इकाइयों को विकसित करने की क्षमता है; (देखें: डीईवी1)
- ii) हरित विकास क्षेत्र के अन्दर कम घनत्व और कम एफएआर आवासीय क्षेत्रों का विकास (देखें: डीईवी2)।
- iii) सघनता के माध्यम से मौजूदा स्टॉक में सुधार और नई इकाइयों के सृजन दोनों के अनुसार विद्यमान क्षेत्रों का पुररूद्धार (देखें डीईवी 3)।
- iv) प्लॉटों के पुनर्निर्माण के एक भाग के रूप में बढ़े हुए अनुमेय आवासीय एफएआर का उपयोग (एमपीडी-62 के बाद से आवासीय एफएआर दोगुना हो गया है) भी पर्याप्त योगदान करेगा।

7.2.2 योजना अवधि के दौरान आवासीय विकास/पुनर्विकास का नेतृत्व करने वाले निजी क्षेत्र के साथ, आपूर्ति परिदृश्य में एक आदर्श बदलाव की परिकल्पना की

गई है। सार्वजनिक एजेंसियाँ 'सुविधाप्रदाता' की भूमिका निभाएंगी और उपयुक्त नियामक वातावरण के माध्यम से कार्य प्रक्रिया की सुगमता को सुनिश्चित करेंगी।

7.2.3 सभी आवासीय क्षेत्रों का विकास पैदल दूरी के अंतर्गत, अपेक्षित स्थानीय सुविधाओं के साथ संपूर्ण पड़ोस के रूप में किया जाएगा। ऐसी सुविधाएँ आवासीय ले आउट के एक भाग के रूप में प्रदान की जाएंगी।

7.2.4 सभी आय समूहों में प्रवासी जनसँख्या की आवासीय आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए, शहर के अंदर किराये और सस्ते आवास को बढ़ावा दिया जाएगा; विशेषकर पारगमन के निकटवर्ती क्षेत्रों में। टीओडी के लिए सार्वजनिक परियोजनाएं या बड़े स्तर पर विशेष रूप से इस तरह के किराये के सस्ते आवासीय विकल्पों के निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। निजी क्षेत्र को किराये पर आवास प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि का प्रस्ताव भी दिया जाएगा।

7.2.5 भूमि की सीमित उपलब्धता को देखते हुए, 40-60 वर्ग मीटर के छोटे आकार के आवासीय इकाइयों के विकास को सुनिश्चित करते हुए आवास की आपूर्ति को अधिकतम किया जाएगा।

7.3 नए विकास क्षेत्रों में आवास

7.3.1 लैंड पूलिंग क्षेत्रों में विकास कई आवासीय टाइपोलॉजी का निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है। किराये के आवास (सस्ते किराये के आवास सहित) के विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा। सेक्टर स्तर पर, छोटे आवासीय प्रारूप बनाने के लिए शुद्ध आवासीय एफएआर का 25% उपयोग में लाया जाएगा।

7.3.2 कम सघनता वाले आवासीय प्लॉटो (एलडीआरपी) पर, कम सघनता वाली आवासीय इकाइयों, सेवानिवृत्त गृह, बुजुर्गों और विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों के लिए सहायक आवास की आवासीय टाइपोलॉजी की अनुमति प्रदान की जाएगी।

7.4 विद्यमान के नियोजित आवासीय क्षेत्रों का पुनरुद्धार:

- 7.4.1 नए आवास का निर्माण करने के लिए शहरी भूमि के सर्वोत्तम उपयोग को सक्षम बनाएगा और आवास की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए और प्रत्येक क्षेत्र को, नागरिक सुविधाओं तक न्यायसंगत पहुँच और मनोरंजनात्मक स्थलों के साथ, स्थिति के अनुरूप ढलने वाले आत्मनिर्भर पड़ोस में परिवर्तित किया जाएगा।
- 7.4.2 सभी नियोजित आवासीय क्षेत्रों, सरकारी स्वामित्व वाले आवास और स्लम पुनर्वास योजनाओं के अतिरिक्त के लिए पुनरुद्धार प्राथमिक रूप से एक निजी क्षेत्र से जुड़ी पहल होगी। भूखंडों का एकीकरण और एफएआर से जुड़े प्रोत्साहन राशियों की अनुमति दी जाएगी।
- 7.4.3 समूह आवास योजनाओं का एक भाग रूप होगा और ऐसी परियोजनाएं एमपीडी प्रावधानों के अनुसार सस्ते आवास उपलब्ध कराएँगी।

7.5 विद्यमान के अनियोजित आवासीय क्षेत्रों का पुनरुद्धार

- 7.5.1 **अनधिकृत कॉलोनियाँ (यूसी):** यूसी का डीईवी3 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। बस्ती के सभी भागों को एम्बुलेंस और फायर टैंडर, जैसे आपातकालीन वाहनों के लिए सुलभ बनाने हेतु बस्ती स्तर पर सुधार किये जाने की आवश्यकता होगी।
- क्षेत्रों के एकीकरण और संयुक्त पुनरुद्धार को सुगम बनाने के लिए मानदंडों में उपयुक्त प्रोत्साहन और छूट प्रदान की जाएगी।
 - यह देखते हुए कि इन क्षेत्रों में आवासीय सघनता अधिक है, इसलिए शहरी के मानदंडों के अनुसार, सुविधाओं के निर्माण के लिए सुविधा (एमेनिटी) एफएआर एक प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जा सकता है।
- 7.5.2 सम्बंधित एजेंसियाँ और भूस्वामी यूसी के आगे के विकास और किसी प्रकार के अनधिकृत निर्माण की गतिविधि को रोकने के लिए लैंड पूलिंग क्षेत्रों, जीडीए

और शहर के अन्य खाली पड़ी भूमि के अंतर्गत अपनी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी।

7.5.3 **शहरी गाँव:** शहरी गाँव शहर के अन्दर अनियोजित विकास के अलग क्षेत्र (आइलैण्ड) के रूप में उभरे हैं। उनके पास यूसी के समान मुद्दे हैं और वे किराये के आवास के प्रमुख केंद्रों के रूप में उभरे हैं। कई शहरी गाँवों का महत्व विरासत से जुड़ा हुआ है और इनको और संरक्षण नीतियों के मिश्रण की आवश्यकता होगी। शहरी गाँवों के विकास और पुनर्सुधार के लिए विशेष विनियम इस योजना की अधिसूचना के दो वर्षों के अंदर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जाएंगे।

7.6 शहरी गरीबों के लिए आवास

7.6.1 मान्य स्थलों पर स्थित स्लम/जेजे समूहों को स्वस्थाने स्लम पुनर्वास या क्षेत्र सुधार स्कीमों के माध्यम से सुधारा जाएगा। अंतर्निहित स्थल के अमान्य होने की स्थिति में ही स्थान परिवर्तन पर विचार किया जाएगा।

7.6.2 **पुनर्वास कॉलोनियाँ:** पुनर्वास कॉलोनियों को सुगम्यता के मुद्दे, पर्याप्त सेवाओं की कमी और निर्माण की खराब गुणवत्ता और जीर्ण-शीर्ण होने का सामना करना पड़ रहा है। इन कॉलोनियों को डीईवी3 के प्रावधानों के अनुसार पुनरुद्धार किया जाएगा।

7.7 रेंटल हाउसिंग को प्रोत्साहित करना:

7.7.1 दुनिया भर के महानगर निवासियों और प्रवासियों को प्रवास अवधि की सुविधा भौगोलिक गतिशीलता और सामर्थ्य (लो एंट्री एण्ड एक्जिट कोस्ट) प्रदान करने वाले एक विविध किराये के आवास स्टॉक को बनाकर रखते हैं। शहर के विकसित भागों में भूमि की उच्च लागत को देखते हुए यह विभिन्न आय समूहों को उनके कार्यस्थलों के निकट आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जिससे यात्रा की दूरी कम हो सके।

- 7.7.2 सार्वजनिक एजेंसियाँ किराये के आवास के रूप में अपनी आवास सूचियों का अनुपात तैयार करेंगी। यह विभिन्न स्वरूप में हो सकते हैं, जैसे कि सर्विस्ड अपार्टमेंट, डॉर्मिटरी आदि। किराये के विकल्पों का मिश्रण, जैसे कि नियंत्रित किरायों के साथ सस्त किराये, बाजार के किराये की इकाइयों, रेंट टू ओन मॉडल का पता लगाया जा सकता है। सार्वजनिक एजेंसियाँ ऐसी संपत्ति का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अपने अनबिके/खाली सार्वजनिक आवास स्टॉक को किराये के बाजार में ले जाने पर भी विचार कर सकती हैं।
- 7.7.3 **अफोर्डेबल पब्लिक रेंटल हाउसिंग (एपीआरएच):** डीडीए और अन्य संबंधित सार्वजनिक एजेंसियाँ किराये के सस्ते घर की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए गतिविधि केंद्रों (औद्योगिक क्षेत्रों, शैक्षिक केंद्रों आदि) के निकट स्थित सार्वजनिक भूमि पर समर्पित एपीआरएच परियोजनाओं को आरंभ कर सकती हैं।
- 7.7.4 समूह आवास परियोजनाओं के एक भाग के रूप में बड़ी संख्या में बनाई गई ईडब्ल्यूएस की आवासीय इकाइयाँ किराये के सस्ते आवासीय स्टॉक की उपलब्धता में सुधार लाने के अवसर प्रदान करती हैं। इसे सुकर बनाने के लिए उपयुक्त मॉडल का पता लगाया जाए। सरकारी एजेंसियों की नियोक्ता आवास परियोजनाओं को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ईडब्ल्यूएस आवास के प्रावधान से छूट दी जा सकती है।
- 7.7.5 इस तरह के किराये की संपत्ति के प्रबंधन में सुधार लाने के लिए, सार्वजनिक एजेंसियाँ किराया प्रबंधन एजेंसियों और आवास संग्रहकर्ताओं की सेवाएं ले सकती हैं। उपलब्धता, स्थान, किराया आदि के बारे में जानकारी देने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा।
- 7.7.6 रेंटल हाउसिंग या अन्य गैर-स्वामित्व वाले प्रारूपों, जैसे कि सर्विस्ड अपार्टमेंट, श्रमिक आवास, आदि को लागू करने हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी निम्नानुसार प्रदान की जाएगी:
- i) औद्योगिक क्षेत्र और भाण्डागार/माल परिसर 15% अतिरिक्त एफएआर का उपयोग करके वहनीय रेंटल हाउसिंग इकाइयों का विकास करेंगे।

- ii) समूह आवास परियोजनाओं के एक भाग के रूप में रेंटल हाउसिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- iii) शहर में सभी ग्रीनफील्ड, पुनर्निर्माण और परियोजनाओं में रेंटल हाउसिंग को अनुमति और प्रोत्साहन दिया जाएगा।

7.7.7 रेंटल हाउसिंग हेतु परिवेश को सक्षम बनाकर प्रचलित किराया अधिनियमों/कानूनों/नियमों के संशोधन द्वारा और बेहतर बनाया जाएगा।

--- x --- x ---- x --- x ---

8.0 सामाजिक अवसंरचना का प्रावधान

8.1.1 सामाजिक अवसंरचना में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाओं, सुरक्षा और संरक्षा अवसंरचना, संचार, वितरण की सुविधाओं और अन्य कार्यों सहित सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक (पीएसपी) सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला सम्मिलित है। सामाजिक अवसंरचना का नियोजन, विकास और वितरण कई सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। यह योजना उच्च गुणवत्ता वाली सामाजिक अवसंरचना की उपयुक्तता और सुलभता को बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है जो सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

8.1.2 योजना की कार्यनीतियाँ निम्न सुविधाएँ प्रदान करेंगी:

- i) सामाजिक अवसंरचना की बेहतर उपलब्धता और पहुंच
- ii) बदलती आवश्यकताओं के अनुसार, नए उपयोगों/कार्यों को शुरू करने के लिए बढ़ा हुआ लचीलापन

8.2 सामाजिक अवसंरचना की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए मुख्य कार्यनीतियाँ

8.2.1 सामाजिक अवसंरचना के लिए उपलब्ध भूमि/स्थान का सर्वोत्तम उपयोग:

- i) सामाजिक सुविधाओं को वर्टिकल मिक्सिंग के माध्यम से निर्मित क्षेत्र के एक भाग के रूप में विकसित करने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाता है। इससे उन क्षेत्रों में सुविधाएं निर्मित करने में सहायता मिलेगी, जहां पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है।
- ii) स्थानीय स्तर की सुविधायुक्त प्लॉटो को 'बहु-सुविधायुक्त प्लॉटो' के रूप में माना जाएगा जिनका उपयोग आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल सुविधाओं की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। ऐसे प्लॉटो को कई उपयोगों को समायोजित करने के लिए एफएआर बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी।
- iii) सहायक उपयोगों के लिए पीएसपी साइटों को एफएआर के एक भाग का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। इससे उपलब्ध सामुदायिक

सुविधाओं, जैसे कि बहुउद्देशीय हॉल, सामाजिक सांस्कृतिक केन्द्रों आदि के बेहतर उपयोग में सहायता मिलेगी ।

यह कार्यनीति सुविधाओं के पर्याप्त प्रावधान को सुनिश्चित करेगी, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और विकेंद्रीकृत, आत्मनिर्भर क्षेत्र सुगम बनेंगे।

8.2.2 मौजूदा सुविधाओं का संरक्षण और संवर्धन

- i) सुविधाओं में सुधार को सुगम बनाने हेतु योजना क्षेत्र के अंदर सुविधायुक्त प्लॉटों को सम्मिलित करने के लिए पुनरूद्धार योजनाओं की अनुमति दी जाएगी। डीई को नए डिजाइन के मानदंडों के अनुसार समान या अधिक सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी।
- ii) अनावश्यक / अविकसित / अप्रयुक्त सामाजिक अवसंरचना प्लॉटों को अन्य पीएसपी उपयोगों की ओर विस्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पीएसपी भूमि के सीमित संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग किया गया है।

8.2.3 सभी के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करना

- 8.2.3.1 बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, विशेष क्षमता वाले लोगों और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले परिवारों को डीसीएन के अनुसार सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।
- 8.2.3.2 सभी नई सुविधाओं और सार्वजनिक सुविधाओं को सभी तक पहुँचाने और उपयोग की सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए विकसित/डिजाइन किया जाएगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान सुविधाओं को पुनःसंयोजित किया जा सकता है।
- 8.2.3.3 पीएसपी सुविधाओं का निर्माण अपर्याप्त रूप से अनियोजित क्षेत्रों में भी निम्नलिखित के द्वारा किया जाएगा:

- i) प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सामाजिक अवसंरचना के लिए प्लॉट क्षेत्र, सेट-बैक आदि/निर्मित क्षेत्र के लिए घटाए गए मानदंड।
- ii) अनियोजित क्षेत्रों के लिए पुनरूद्धार योजना के अनुमेय एफएआर के अतिरिक्त, एफएआर की सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। ऐसे एफएआर का उपयोग अनिवार्य सुविधाओं के विकास के लिए अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

8.3 सामाजिक अवसंरचना का अनुक्रम

8.3.1 इस योजना में सामाजिक अवसंरचना के वर्गीकरण से जुड़ी निम्नलिखित जनसंख्या का प्रावधान है :

- i) **स्थानीय स्तर:** स्थानीय जनसंख्या की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, 10,000 की जनसंख्या में सुविधाओं का पर्याप्त रूप से वितरण किया जाएगा।
- ii) **सामुदायिक स्तर:** सामुदायिक स्तर की सामाजिक अवसंरचना 1 लाख तक की जनसंख्या को सेवाएँ प्रदान करेगी।
- iii) **उप-शहरी स्तर:** बड़ी स्तर की सुविधाएँ 5 लाख तक की जनसंख्या को सेवाएँ प्रदान करेगी और इनका वितरण उप-शहरी स्तर पर किया जाएगा।
- iv) **शहरी स्तर:** शहरी स्तर की सामाजिक अवसंरचना शहर के साथ-साथ इस क्षेत्र की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगी।

8.4 विभिन्न प्रकार की सामाजिक अवसंरचना और सुविधाएँ

8.4.1 स्वास्थ्य देखभाल

8.4.1.1 स्वास्थ्य सेवाओं में उभरती आवश्यकताओं का समाधान निम्नानुसार पर्याप्त सुविधाओं के प्रावधान द्वारा किया जाएगा:

- i) सामान्य, विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति और सहायक चिकित्सा सेवा।

- ii) बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए और विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए देखभाल की सुविधा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सुविधाएं, नशामुक्ति केंद्र/नशामुक्ति पुनर्वास केंद्र, देखभाल केंद्र आदि।
- iii) तृतीयक स्वास्थ्य सेवा और संबंधित अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का समूह

8.4.2 शिक्षा

8.4.2.1 शिक्षा सुविधाओं के विकास के लिए दो दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाए गए हैं:

- i) सभी क्षेत्रों में स्कूल स्तर की शिक्षा की उपलब्धता / पहुंच को सुनिश्चित करना ।
- ii) रोजगार, उभरते आर्थिक सेक्टरों और उद्योग की आवश्यकताओं के लिए कौशल विकास अवसरों सहित उच्च शिक्षा का एकीकरण करना
- iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांग बालकों एवं व्यक्तियों या विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाना।
- iv) शिशुओं और बच्चों को संपूर्ण विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा और बाल देखभाल सुविधाओं की व्यवस्था करने और उनके परिवारों और कार्यशील महिलाओं को सहायता प्रदान करने पर विशेष बल देना।

8.4.2.2 दिल्ली के सभी नए और समावेशी (विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की आवश्यकताओं से सम्बंधित) स्कूलों को एकीकृत किया जाएगा (अर्थात् प्री-प्राइमरी से उच्च

माध्यमिक स्तर तक)। विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए स्कूलों की अनुमति स्टैंड अलोन सुविधा के रूप में दी जाएगी।

8.4.2.3 दिल्ली के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों के रूप में उभर रहे उच्च शिक्षा एवं ज्ञान उद्योग को औद्योगिक क्षेत्रों, बीपीडी और टीओडी के अन्तर्गत बढ़ावा दिया जाएगा।

8.4.3 सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएँ

8.4.3.1 एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में दिल्ली की विशिष्टता को सुदृढ़ करने के लिए, इस योजना में नए गंतव्यों (सम्मेलन/व्याख्यान केंद्र, थियेटर, संग्रहालय, आदि) को निर्मित करने के साथ-साथ, नए अनुभव (सांस्कृतिक प्रवृत्ति, आर्थिक केन्द्रों, आदि) प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

8.4.3.2 इस तरह के शहरी स्तर के सामाजिक-सांस्कृतिक उपयोगों को पुरातात्विक उद्यानों और प्राकृतिक नालों के साथ-साथ, हरित बफर के एक भाग के रूप में अनुमति प्रदान की जाएगी। हरित विकास क्षेत्र में बड़े प्रारूप के प्रदर्शन स्थलों और सम्मेलनों के सुविधाओं की अनुमति भी दी जाएगी।

8.4.3.3 स्थानीय स्तर की सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाओं को विभिन्न आवश्यकताओं, जैसे कि वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं, परिवारों, आदि की सेवा के लिए सुदृढ़ किया जाएगा। बहुउद्देश्यीय स्थलों में कौशल विकास केंद्रों/प्रशिक्षण केंद्रों/सभा स्थलों/ पुस्तकालयों / बाल देखभाल की सुविधाओं आदि की स्थानीय आवश्यकताओं को समायोजित किया जाएगा।

8.4.4 बचाव और सुरक्षा अवसंरचना

8.4.4.1 कानून एवं व्यवस्था और अपराधों एवं दुर्घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ, आपातकालीन सेवाओं को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कई एजेंसियों के पास है, जैसे कि दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ऐसी सुविधाओं को शहर भर में उचित रूप से वितरित किये जाने की

आवश्यकता है, तदानुसार स्थानीय और उप-शहरी/शहरी स्तर पर ऐसी सुविधाओं के विकेंद्रीकरण की संस्तुति की गयी है

8.4.4.2 प्रशिक्षण सुविधाओं / सुरक्षा कैंप, परेड ग्राउंड, आदि; जिन्हें बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, का शहरी स्तर की अवसंरचना के एक भाग के रूप में भी प्रस्ताव किया गया है।

8.4.5 डाक और दूरसंचार सुविधाएँ

8.4.5.1 पिछले दो दशकों के दौरान, डाक एवं दूरसंचार अवसंरचना बड़े पैमाने पर परिवर्तित हो गयी है। संबंधित विभाग/एजेंसियां, आबंटित भूमि/निर्मित स्थान के वर्तमान उपयोग का आकलन करेंगे और भूमि का बेहतर उपयोग करने के लिए संभावनाओं का पता लगाएंगे।

8.4.6 वितरण संबंधी सुविधाएं

8.4.6.1 स्थानीय स्तर पर दूध, फल, सब्जी जैसी सुविधाएं दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताएँ हैं। इसके अतिरिक्त, आस पास के क्षेत्रों में पीडीएस सुविधाएं / उचित दर दुकानें उपलब्ध करायी जा सकती हैं।

8.4.6.2 घरेलु उद्देश्य के लिए उपयोग किये जाने वाले पीएनजी, एलपीजी और अन्य ईंधनों आदि की आपूर्ति के लिए उप-शहरी और शहरी स्तर की सुविधाओं की अनुकूल उपयोग के क्षेत्रों में अनुमति दी जाएगी।

8.4.7 श्मशान-कब्रिस्तान-सिमेटी की सुविधाएँ:

8.4.7.1 इस श्रेणी के अंतर्गत, सुविधाओं का प्रावधान विभिन्न धार्मिक समूहों की आवश्यकताओं पर आधारित है। यह योजना इस तरह की सुविधाओं को अधिक पर्यावरण-संवेदनशील (गैस से प्रज्वलित / विद्युत् / पर्यावरण अनुकूल श्मशान सुविधाएँ) बनाने के लिए अभिनव दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और इसे समायोजित करने के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराता है। पशुओं को दफनाने के लिए अलग से भूमि निर्धारित की जानी चाहिए।

8.4.8 सार्वजनिक सुविधाएँ

8.4.8.1 यूबीबीएल में निर्धारित और केंद्र सरकार द्वारा जारी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों पर परामर्शदात्री प्रावधान (2018) के अनुसार सार्वजनिक सुविधाएँ विकसित की जाएँगी। इस तरह की सुविधाएँ बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और विशेष क्षमता वाले व्यक्तियों की जरूरतों के अनुकूल होंगी और इनमें बाल देखभाल सुविधाओं वाले क्षेत्रों को भी स्थान दिया जाएगा।

8.4.8.2 सार्वजनिक सुविधाएँ उपयोग के सभी क्षेत्रों में स्वीकार्य होंगी और सड़कों की अवस्थापना में किये गए सुधारों के एक भाग के रूप में भी सुधार किया जाएगा।

8.4.9 अन्य सामुदायिक सुविधाएँ

8.4.9.1 अन्य सामुदायिक सुविधाएँ, जैसे कि धार्मिक सुविधाएं, देखभाल केंद्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, सुधारात्मक / उपचारात्मक सुविधाएँ (किशोर सुधार गृह, देखरेख केंद्र, बंदी गृह की सुविधाएं आदि) योजना के अनुसार प्रदान की जाएगी।

खंड 5

परिवहन और गतिशीलता


पृष्ठभूमि और प्रमुख नीतिगत सरोकार

दिल्ली आवास, रोजगार, उच्चतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के मामले में आसपास के शहरों (गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद) के साथ मजबूत क्षेत्रीय निर्भरता के साथ एनसीआर का केंद्र है। यहां दैनिक आधार पर बड़े पैमाने पर लोगों और वस्तुओं की क्षेत्रीय आवाजाही होती है, जिसके परिणामस्वरूप शहर की मौजूदा परिवहन अवसंरचना पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। समीपवर्ती शहरी केंद्रों में नए विकास और एकीकृत फ्रेट कॉम्प्लेक्स (आईएफसी), जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (पश्चिमी) और अमृतसर कोलकाता (पूर्वी), समर्पित भाड़ा कॉरिडोर आदि के रूप में आगामी क्षेत्रीय अवसंरचना से आगंतुकों और माल की आवाजाही के पैटर्न पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा और इन्हें शहर के लिए परिवहन कार्यनीतियों में शामिल करने की आवश्यकता है।

मेट्रो की शुरुआत से सीएनसीआर शहर और अधिक निकट आ गए हैं। हालांकि, सीएनसीआर के अंदर लोगों की आवाजाही में मेट्रो की महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद, दिल्ली के अंदर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली सड़कें जाम, अत्यधिक यातायात प्रवाह और अत्यधिक विलंब एवं सड़कों पर कतारों की ओर संकेत करती हैं।

दिल्ली आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट (2019-20) के अनुसार, हालांकि वाहन की बिक्री की वार्षिक वृद्धि दर लगभग 4.4% तक आधी हो गई है फिर भी दिल्ली में प्रति हजार जनसंख्या पर वाहनों की संख्या 2005-06 में 317 से बढ़कर 2019-20 में दोगुनी से अधिक 643 हो गई है। अन्य मुद्दों में, वाहनों की संख्या में वृद्धि पार्किंग की बढ़ती मांग में प्रकट हुई है। पार्किंग मांग प्रबंधन पर समान बल देते हुए पार्किंग कार्यनीतियों के मुद्दों को संबोधित किया जाना है।

दिल्ली में दैनिक सक्रिय यात्रा (पैदल और साइकिल चलाना) का अत्यधिक बड़ा हिस्सा है, जो कुल ट्रिप का प्रतिशत है। हालांकि,



चलना
ट्रिप
हिस्सा
42
पिछले

एक दशक में, पदयात्रा की हिस्सेदारी में नगण्य वृद्धि ही देखी गई है और साइकिल से यात्राओं में लगभग एक तिहाई की कमी आई है। दिल्ली की अधिकांश सड़कें असमान सड़क स्थल वितरण और पर्याप्त अवसंरचना न होने के कारण पदयात्रियों और साइकिल चलाने के लिए अनुकूल नहीं हैं। 2018 में, दिल्ली में आधे से अधिक घातक सड़क दुर्घटनाओं में पैदल यात्री और साइकिल चालक शामिल थे। दिल्ली में सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चिंता के रूप में उभरी है और एक सुरक्षित पदयात्रा और साइकिल चलाने योग्य वातावरण बनाने के उपायों की तत्काल आवश्यकता है।

दिल्ली में मेट्रो, रिंग रेल और बस सेवाओं के रूप में एक मजबूत सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क है। अंतःशहर में यात्राओं के अलावा, मेट्रो में पर्याप्त दूरी तक क्षेत्रीय यात्राएं भी की जाती हैं और येलो, ब्लू और रेड लाइनों पर सर्वाधिक यात्री दर्ज किए गए हैं जो दिल्ली को क्रमशः गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद के पड़ोसी शहरों से जोड़ती हैं। सस्ती कीमत और नेटवर्क कवरेज के कारण बसें सार्वजनिक परिवहन का पसंदीदा और सर्वाधिक पहुंच के अंदर वाला तरीका हैं। माल को लाने- ले जाने के लिए दिल्ली की विरासत अवसंरचना के एक हिस्से, रिंग रेल का उपयोग किया जा रहा है और वर्तमान में इसकी संभावित यात्री सवारों के केवल 50% का संचालन किया जा रहा है। जबकि रिंग रेल माल परिवहन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लगभग 20,000 ट्रकों को दिल्ली की सड़कों से दूर रखता है, लोगों के आवागमन में इसकी भूमिका के बारे में फिर से विचार किए जाने की आवश्यकता है।

गतिशीलता के नए रुझान बताते हैं कि लोग ऐप-आधारित गतिशीलता विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि इससे गतिशीलता का लचीलापन मिलता है और अपनी कार का विकल्प मिलता है। मेट्रो नेटवर्क के विस्तार से पूरक इन साझा गतिशीलता विकल्पों के उभरने से धीरे-धीरे यात्रियों के निजी स्वामित्व वाले वाहन के उपयोग से साझा या सार्वजनिक परिवहन उन्मुख गतिशीलता विकल्पों की ओर परिवर्तन आ रहा है।

दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को संस्थागत स्तर, स्थानिक स्तर और प्रणाली स्तर पर आगे एकीकृत किए जाने; यात्रियों को एक सुखद यात्रा का अनुभव प्रदान करने की आवश्यकता है। एक बड़े जनादेश, स्थानिक एकीकरण (भूमि उपयोग और परिवहन एकीकरण, मल्टी मोडल एकीकरण, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी, आदि) के माध्यम से संस्थागत एकीकरण को समर्थ बनाया जा सकता है और प्रणाली एकीकरण (बस मार्ग

युक्तिकरण, बेहतर यातायात प्रबंधन आदि के लिए टिकटिंग, कमांड और नियंत्रण केंद्र सहित इंटेलिजेंट परिवहन प्रणालियां आदि) की शुरुआत की गई है, लेकिन इसे मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

आगामी हाई स्पीड रेल (एचएसआर) कॉरिडोर, क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली (आर.आर.टी.एस.), बाईपास / पेरिफेरल सड़कों आदि का निर्माण क्षेत्रीय गतिशीलता को पुनर्भाषित करेगा और दिल्ली का जाम समाप्त होगा।

इसके अतिरिक्त, टीओडी नीति में दिल्ली को कार्यनीतिक क्षेत्रों का पुनर्विकास करने और नीतियों को मजबूत करने और सार्वजनिक परिवहन पहुंच में सुधार करने के एक अनूठे अवसर की व्यवस्था है। जीएनसीटीडी की इलेक्ट्रिक वाहन नीति भी दिल्ली में हरित गतिशीलता विकल्पों को बढ़ावा देने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। भविष्य में गतिशीलता रुझान विद्युतीकरण, साइकल गतिशीलता, मांग पर गतिशीलता और स्वायत्तता की ओर प्रवृत्त होंगे; इसलिए, दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह परिवहन के निर्माण से अलग यात्रा की मांग के प्रबंधन के लिए स्वयं को तैयार करे। दिल्ली में लैण्ड प्लानिंग क्षेत्रों से भी इन क्षेत्रों में आगामी बड़े पारगमन नेटवर्क के लिए अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी में सुधार का अवसर प्राप्त होगा।

आने वाले वर्ष के लिए अनुमानित जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली में 1.58 की औसत प्रति व्यक्ति यात्रा दर से प्रतिदिन 46.2 मिलियन यात्राएं (पैदल यात्रा को छोड़कर) किए जाने का अनुमान है। यात्राओं की कुल संख्या का अनुमान निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर लगाया गया है:

- 2041 तक 50% आबादी पारगमन प्रभाव क्षेत्रों के अंदर रहने लगेगी। इन क्षेत्रों में मिश्रित-उपयोग विकास से यात्रा करने की आवश्यकता कम हो जाएगी और पारगमन मोड की निकटता से सार्वजनिक परिवहन (पीटी) की ओर एक परिवर्तन करने को प्रोत्साहन मिलेगा।
- आने वाले 20 वर्ष तक जनसंख्या का बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र की ओर अधिक अंतरण न को देखते हुए घर से काम कर रहा होगा।

2041 तक, योजना में दिल्ली के 80:20 के एक मोडल विभाजन को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है जो जनता और साइकल परिवहन के पक्ष में है। इसमें प्रतिवर्ष

सार्वजनिक और साझे परिवहन साधनों में 1% वृद्धि तथा निजी वाहन ट्रिपों में एक समान कमी की आवश्यकता होगी।

इस खंड में, समग्र रूप से परिवहन प्रणाली की दक्षता में सुधार करने के लिए समन्वित नियोजन और गतिशीलता पहल के निष्पादन की रूपरेखा वाले निम्नलिखित अध्याय शामिल हैं। इसमें क्षेत्रीय और स्थानीय कनेक्टिविटी और परिवहन अवसंरचना सुधारने, साइकिल मोड के पक्ष में समर्थकारी मोडल परिवर्तन, पदयात्रा और साइकिल चलाने की सुविधाओं को बेहतर करने, पार्किंग की आवश्यकताओं का इष्टतम उपयोग करने और बेहतर पार्किंग प्रबंधन को सुकर बनाने की विभिन्न कार्यनीतियां दी गई हैं:

- MOB 1: कनेक्टिविटी और परिवहन अवसंरचना (ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर) में सुधार**
- MOB 2: निजी से साइकिल गतिशीलता में स्थानांतरण**
- MOB 3: दिल्ली को पैदल चलने योग्य और साइकिल चलाने के अनुकूल बनाना**
- MOB 4: दिल्ली में पार्किंग का प्रबंधन**

9.0 कनेक्टिविटी और परिवहन अवसंरचना में सुधार

अध्याय कोड

MOB 1

9.1.1 दिल्ली के गतिशीलता नेटवर्क में निरंतर विकास और आसपास के शहरी केंद्रों तथा आगामी क्षेत्रीय परिवहन और क्षेत्रीय अवसंरचना में नए विकास के लिए प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है जिससे शहर के यात्रियों और माल की आवाजाही का पैटर्न प्रभावित होता है। शहर को नव शहरीकृत क्षेत्रों में पहुंच प्रदान करने के लिए आंतरिक चुनौतियों, भीड़भाड़ कम करने, अल्प-उपयोगी परिवहन अवसंरचना को पुनर्जीवित करने, पदयात्रा एवं साइकिल चलाने आदि पता लगाने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भविष्य में गतिशीलता के रुझानों में स्वच्छ ईंधन का अधिक उपयोग करना, यातायात और पार्किंग प्रबंधन के लिए तकनीकी रूप से उन्नत पारगमन प्रणाली और कृत्रिम बुद्धि की विशेषता होगी। शहर में ऐसे परिवर्तनकारी परिवर्तन करने और कुशल एवं टिकाऊ गतिशीलता समाधानों के लिए तैयारी करने की आवश्यकता है।

9.1.2 इस अध्याय में प्रस्तुत क्षेत्रीय और शहर स्तरीय कार्यनीतियों में निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:

- i) अंतर-शहर और अंतरा-शहर यात्री और माल ढुलाई आवाजाही में वृद्धि।
- ii) परिवहन के साथ जुड़ी भूमि संपत्ति का बेहतर उपयोग।
- iii) स्मार्ट और हरित गतिशीलता समाधान की ओर पर्याप्त प्रवास

9.2 क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार

9.2.1 **रेल:** रेलवे, पांच प्रमुख रेलवे स्टेशनों नामतः नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली सराय रोहिल्ला के माध्यम से दिल्ली को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। मौजूदा रेलवे स्टेशनों के स्टेशन पुनर्विकास से स्टेशन क्षेत्रों के आसपास बहु-विधिक यातायात प्रवाह और यात्री आवाजाही में सुधार होगा। रेलवे स्टेशनों और समीपवर्ती आईएसबीटी, बस टर्मिनलों, मेट्रो या आरआरटीएस स्टेशनों आदि के बीच बहु-विध पारगमन केंद्र के रूप में अंतः परिवर्तन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इन टर्मिनलों पर बेहतर पारगमन और यात्री सुविधाएं प्रदान करने के लिए पहचान किए गए स्थलों के लिए पारगमन-उन्मुख विकास के ओवर स्टेशन विकास नियंत्रणों की अनुमति दी जा रही है। (देखें: DEV3)

9.2.2 **हवाई अड्डा:** इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और पालम हवाई अड्डे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई यात्री आवागमन की जरूरतें पूरी होती हैं। इस हवाई अड्डे से वार्षिक 67.3 मिलियन यात्री सफर करते हैं। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत के साथ, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ यात्री और माल यातायात को आईजीआई हवाई अड्डे से उस हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया जाएगा। इन दो हवाईअड्डों, दिल्ली और जेवर में नए हवाई अड्डे के बीच कनेक्टिविटी को सड़क आधारित और मेट्रो आधारित कनेक्टिविटी के माध्यम से मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

9.2.3 **मास रैपिड रेल:** एनसीआर शहरों की कनेक्टिविटी को और अधिक बेहतर बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो के कार्यनीतिक कॉरिडोर बनाए जाए। क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर शहर में विभिन्न प्रवेश बिंदुओं को कम करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा और आर्थिक गतिविधियों, आवास और अन्य सेवाओं के लिए दिल्ली और आसपास के क्षेत्र के बीच मजबूत इंटरलिंक्स को सुदृढ़ करेगा। दिल्ली के अंदर आरआरटीएस स्टेशन मौजूदा रेलवे टर्मिनलों / स्टेशनों, मेट्रो स्टेशनों और आईएसबीटी की निकटता में स्थित हैं और यात्रियों की निर्बाध यात्रा के लिए सीधे इंटरचेंज सुविधाएं हैं। जहाँ भी संभव हो ऐसे स्टेशनों को मल्टी-मोडल ट्रांजिट हब के रूप में अन्य स्थानीय मास ट्रांजिट स्टेशनों के साथ एकीकृत किया जाना है।(देखें: MOB 2)

अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) शहर के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कनेक्टिविटी केंद्रों का कार्य करते हैं। इन नोड्स को जहां भी संभव हो, अन्य पारगमन स्टेशनों जैसेकि बहुविध पारगमन केंद्र वाली अंतःपरिवर्तन सुविधाएं सृजित कर बेहतर बनाने की जरूरत है। (देखें: MOB 2)। आईएसबीटी के भविष्य के सभी प्रस्तावों को अधिमानतः राष्ट्रीय राजमार्गों पर शहर के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अवस्थित किया जाएगा जहां शहर के बाकी हिस्सों के साथ मजबूत मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी होगी।

9.3 एकीकृत गतिशीलता प्रबंधन के लिए संस्थागत रूपरेखा

9.3.1 एक कुशल शहरी परिवहन प्रणाली के लिए सभी नियोजन स्तरों, कार्यान्वयन और शहर और क्षेत्रीय स्तर के दिन-प्रतिदिन के संचालन पर उच्च स्तरीय समन्वयन अपेक्षित है। पिछली योजना में इस उद्देश्य के लिए **एकीकृत**

महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) की स्थापना की सिफारिश की गई थी। इस योजना में इस प्रस्ताव का समर्थन किया गया है और यह भी सिफारिश की गई है कि ऐसे प्राधिकरण के निर्माण की संभावना की समयबद्ध तरीके से जांच की जानी चाहिए।

9.3.2 ऐसे समय तक जब तक यूएमटीए का गठन नहीं किया जाता है, जीएनसीटीडी के तहत एक अंतरिम समन्वय समिति की स्थापना की जाएगी जिसमें सभी परिवहन एजेंसियों / विभागों, यातायात पुलिस और स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व हो। यूटीटीआईपीईसी (यूटीपैक) इस समिति को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

9.3.3 यूएमटीए/समन्वय समिति, 'व्यापक एप्रोच' सुनिश्चित करती है और इसने गतिशीलता प्रबंधन के प्रति 'वृद्धिशील दृष्टिकोण' अपनाया है एवं बहु-एजेंसी प्राथमिकताओं और निवेशों पर फोकस किया है। इसमें संयुक्त कार्यवाही के लिए एक सामान्य निधि और प्लैटफार्म बनाना शामिल होगा।

9.3.4 यूटीएमए/ समन्वय समिति, व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी) को शुरू करने और कार्यान्वित करने, विभिन्न एजेंसियों की परियोजनाओं और कार्यों के समन्वय और स्मार्ट समाधान अपनाने के लिए विभिन्न बहु-एजेंसी परियोजनाओं को लागू करने के लिए उत्तरदायी होगी।

9.4 व्यापक गतिशीलता योजना

9.4.1 शहरी परिवहन की दक्षता विभिन्न सड़क-आधारित, रेल-आधारित, मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) और पदयात्रा/ साइकिल चालन प्रणालियों के बीच सहज एकीकरण पर अत्यधिक निर्भर है। शहरी परिवहन के सभी स्तरों और तरीकों में प्रणालीगत एकीकरण प्राप्त करने हेतु दिल्ली के लिए एक व्यापक गतिशीलता योजना (सीएमपी) तैयार की जाएगी। सीएमपी को एमपीडी 2041 के प्रावधानों के अनुसार बनाया जाएगा और इसमें 'कम कार्बन गतिशीलता की ओर परिवर्तन' के रूपांतरकारी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विस्तृत रूपरेखा दी जाएगी।

9.5 कार्यनीतिक परिवहन कॉरिडोर

9.5.1 महत्वपमर्ण क्षेत्रीय गंतव्यों को/से उच्च गति की कनेक्टिविटी को बेहतर और शहर के अंदर जाम (विशेष रूप से क्षेत्रीय यातायात के कारण) कम करने के लिए, इस योजना अवधि में कार्यान्वित किए जाने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतिक परिवहन कॉरिडोर की पहचान की गई थी। ये कॉरिडोर मौजूदा/प्रस्तावित प्रमुख सड़क एलाइनमेंट के कार्यनीतिक लिंक या उनका विस्तार होंगे जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका 9.0: कार्यनीतिक लिंक और उनके लाभ

प्रस्तावित लिंक	लाभ
<p>कार्यनीतिक लिंक 1 यूईआर II का उत्तरी विस्तार (टिकरी कलां बॉर्डर - रोहिणी - बवाना - नरेला - रमजानपुर), गाजियाबाद में लोनी-बागपत एक्सप्रेसवे तक विस्तारित</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ शहरी माल यातायात पैदा करने वाले स्थानों को जोड़कर माल की आवाजाही को सुकर बनाना, जो यूईआर II (नरेला, बहादुरगढ़ आईएफसी, नरेला आईएफसी, बहादुरगढ़ और कंझावाला (प्रस्तावित), बवाना औद्योगिक क्षेत्र और डीएसआईडीसी नरेला में औद्योगिक बेल्ट) के सन्निकट हैं और साथ ही लोनी आईसीडी, हिंडन एयरपोर्ट और दादरी आईसीडी जैसी समान ट्रांस-रिवर सुविधाएं। ○ दिल्ली (नरेला, रोहिणी, आदि) और गाजियाबाद (ट्रोनिका सिटी और राजनगर) में आवासीय क्षेत्रों के बीच रोजगार केंद्रों (दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र) के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करना। गाजियाबाद में आवासीय क्षेत्रों में बेहतर पहुंच दिल्ली में सस्ते आवास की मांग पूरी करेगी। ○ सोनीपत को गाजियाबाद (सोनीपत - नरेला - कुंडली-अलीपुर-लोनी-शाहदरा) से जोड़ने के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करके एनएच-1 (जीटी रोड), आउटर रिंग रोड, सिग्नेचर ब्रिज और वज़ीराबाद ब्रिज को जामरहित करना।
<p>कार्यनीतिक लिंक 2 यूईआर II का दक्षिणी विस्तार (द्वारका से तुगलकाबाद तक), नोएडा-ग्रेटर नोएडा</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ कन्वेंशन सेंटर द्वारका को आईजीआई के कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल, और उसके बाद तुगलकाबाद माल टर्मिनल और रेलवे स्टेशन से जोड़कर दिल्ली में माल ढुलाई को आसान बनाना। इस मार्ग को नोएडा (दादरी आईएफसी, नोएडा एसईजैड और ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे

<p>एक्सप्रेसवे तक विस्तारित (स्थल व्यवहार्यता के अनुसार)</p>	<p>के औद्योगिक क्षेत्रों) में समान सुविधाओं से जोड़ने के लिए इसका विस्तार किया जा सकता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ आईजीआई हवाई अड्डे की जेवर / नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक सीधी कनेक्टिविटी स्थापित करना ○ ग्रेटर नोएडा को आईजीआई एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए वैकल्पिक मार्ग (ग्रेटर नोएडा-नोएडा-आईजीआई एयरपोर्ट) प्रदान करके और फरीदाबाद से दिल्ली जाने वाले यातायात को मोड़कर एनएच-2, कालिंदी कुंज ब्रिज और डीएनडी फ्लाईओवर के जाम को कम करना।
<p>कार्यनीतिक लिंक 3 बहादुरगढ़ से बिजवासन तक (टीकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन - झड़ौदा कलां - डासना बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन - नजफगढ़ - छावला - द्वारका सेक्टर -22 मेट्रो स्टेशन - बिजवासन रेलवे स्टेशन), ढुंढेरा और गुरुग्राम सेक्टर -18 (उद्योग विहार) के माध्यम से हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन तक विस्तारित</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ दिल्ली के साथ गुरुग्राम के औद्योगिक क्षेत्रों और आगामी बहादुरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करना। ○ द्वारका सेक्टर-22 मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज के माध्यम से बहादुरगढ़ और गुरुग्राम से आईजीआई हवाई अड्डे के लिए कनेक्टिविटी स्थापित करना। ○ दिल्ली के दक्षिण-पश्चिम भाग और गुरुग्राम सेक्टर -18 (उद्योग विहार) में प्रस्तावित आरआरटीएस स्टेशन के बीच कनेक्टिविटी स्थापित करना। ○ द्वारका से बिजवासन रेलवे स्टेशन, लैंड पूलिंग ज़ोन और गुरुग्राम तक पहुँच में सुधार

- 9.5.2 ये लिंक पड़ोसी राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले एलाइनमेंट्स / स्ट्रेच विकसित करने के लिए अंतर-राज्यीय समन्वय पर निर्भर करते हैं और इन्हें प्राथमिकता कॉरिडोर परियोजना की तरह माना जाएगा और पूर्ण लिंक का विकास अंतर-राज्य समझौतों के माध्यम से किया जाएगा।
- 9.5.3 इस कार्यनीतिक लिंक का विकास यात्रियों और माल की आवाजाही की सुविधा के लिए पारगमन- प्राथमिकता कॉरिडोर के रूप में किया जाएगा।
- 9.5.4 शहर से आवागमन को सुगम बनाने वाले किसी भी नये सड़क-आधारित ऐसे ट्रांस-सिटी कनेक्टर को हतोत्साहित किया जाएगा जो पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के उपयोग के लिए गैर-प्रोत्साहक होते हैं और इससे शहर के अंदर जाम होगा। उच्च गति ट्रांस-सिटी कॉरिडोर को व्यवहार्यता के

अनुसार विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर पारगमन प्रणाली की अनुमति दी जाएगी।

9.6 अंतः शहर (इंट्रा-सिटी) रोड नेटवर्क का विकास और सुधार

9.6.1 दिल्ली को अनुक्रम सड़क नेटवर्क से एक रिंग-रेडियल पैटर्न पर नियोजित किया गया है। मोटे तौर पर, सड़क नेटवर्क को क्षेत्रीय, इंट्रा-सिटी और स्थानीय यातायात के लिए डिज़ाइन किया गया है। निम्नलिखित अनुक्रम सड़कों का अनुसरण किया जाएगा:

- i) **राष्ट्रीय राजमार्ग** (60-90 मीटर आरओडब्ल्यू): भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को दिल्ली से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, चौड़ीकरण, सुधार करते समय स्ट्रीट डिज़ाइन विनियम (देखें: अनुलग्नक 7) को शामिल करना चाहिए। शहर के अंदर के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली बॉर्डर तक नियंत्रित होंगे और शहर की सड़कों के डिजाइन विनियमों का पालन करेंगी।
- ii) **मुख्य सड़कें** [30-60 मीटर मार्गाधिकार (आर.ओ.डब्ल्यू)]: मुख्य सड़कों से शहर को लंबी दूरी की गतिशीलता मिलती है जिससे शहर के हिस्से एक-दूसरे से जुड़ते हैं, सभी प्रकार का भारी यातायात संचालित होता है। 24 मी. से अधिक मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) वाली मौजूदा सड़कें, जो जमीन पर मुख्य सड़कों का कार्य कर रही हैं, आवाजाही बढ़ाने के लिए उन्हें आवश्यक सुधारों के साथ जारी रखा जा सकता है।
- iii) **कलेक्टर सड़कें** (12-30 मीटर आरओडब्ल्यू): कलेक्टर सड़कों से स्थानीय क्षेत्रों के बीच संपर्क प्राप्त होता है और ये स्थानीय सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ती हैं। वास्तव में कलेक्टर सड़कों का काम करने वाली 12 मीटर से कम आरओडब्ल्यू वाली वर्तमान सड़कों को आवागमन में वृद्धि के लिए आवश्यक सुधार के साथ जारी रखा जा सकता है।
- iv) **स्थानीय सड़कें** (आरओडब्ल्यू <12 मी.): ये 12 मी. या उससे कम के आरओडब्ल्यू वाली स्थानीय उपयोग के लिए वांछित सड़कें होती हैं। ऐसी

सड़कों को धीमी गति से चलने वाले ट्रैफिक (ट्रैफिक को धीमा करने के उपायों से), पैदल यात्री या एनएमटी प्राथमिकता वाली सड़कों के मिश्रण के रूप में या पूरी तरह से पैदल यात्रियों के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है।

- 9.6.2 सभी नई सड़कों को स्ट्रीट डिजाइन विनियम (देखें: अनुलग्नक 7) के अनुसार विकसित किया जाएगा। जहां तक संभव हो, विनियमों में दी गई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा सड़कों को भी बेहतर बनाया जाएगा।
- 9.6.3 सभी श्रेणियों की सड़कों को मुख्य योजना में प्रस्तावित पूर्ण क्रॉस-सेक्शन या अनुमोदित लेआउट प्लान के हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा।
- जहां भी संभव हो, कलेक्टर और स्थानीय सड़कों से सभी बाधाओं को हटाया जाएगा और मानकों तथा स्ट्रीट डिजाइन विनियमों के अनुसार विकसित किया जाएगा।
 - सड़क पार्किंग द्वारा पैदल रास्ते का अतिक्रमण कम करने और सड़क क्षमता का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र स्तरीय पार्किंग प्रबंधन (देखें: MOB4) को ध्यान में रखा जाएगा।
- 9.6.4 सभी नई मुख्य सड़कों (एनएच, यूईआर, आदि सहित) में आरओडब्ल्यू के भाग के रूप में मल्टी-मोडल उच्च क्षमता वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के लिए स्थान शामिल होंगे। ट्रांजिट स्टेशनों की अधिक संख्या को शामिल करने के लिए प्लाजा और खुले स्थानों को शामिल किया जाएगा। जहाँ व्यवहार्य होगा वहाँ मौजूदा और नए सड़क मार्गों में मार्गाधिकार में विभिन्न सेवाओं के लिए उपयोगिता नालियों के प्रावधान के लिए स्थान रखा जाएगा।
- 9.6.5 दिल्ली में शहरी सड़कों की सड़क सुरक्षा ऑडिट, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विज़न के अनुरूप होनी चाहिए ताकि पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए एक सुरक्षित यात्रा वातावरण का सृजन हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यनीतियां विस्तृत रूप से MOB3 में दी गई हैं।

9.7 शहर-स्तरीय सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का संवर्द्धन

- 9.7.1 नेटवर्क एकीकरण, दिल्ली के लिए एक स्थायी और आवश्यकता-अनुरूप सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित करने की कुंजी होगी। सभी सार्वजनिक परिवहन मोड के नेटवर्क की योजना इस प्रकार बनाई जाएगी ताकि वे एक पूरक तरीके में परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से एक एकल प्रणाली के रूप में संचालन करें। सीएमपी के तहत एकीकृत नेटवर्क नियोजन और रूट युक्तिकरण की योजना बनाई जानी चाहिए और संबंधित एजेंसियों द्वारा समन्वित तरीके से कार्यान्वित की जाएंगी। पदयात्रा, साइकिल चलाने और मांग-आधारित टिकाऊ साइकिल परिवहन मोड (ई-रिक्शा, ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, साइकिल-रिक्शा, आदि) के माध्यम से सबसे समीपस्थ और अंतिम-छोर तक कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- 9.7.2 **मेट्रो, आरआरटीएस और अन्य मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम:** मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) को 5,000 से अधिक व्यक्ति पीक ऑवर पीक डायरेक्शन ट्रैफिक (पीएचपीडीटी) की क्षमता वाली समर्पित अधिकृत मार्ग वाली किसी भी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाएगा।
- 9.7.3 बस प्रणाली द्वारा समर्थित दिल्ली मेट्रो प्रमुख एमआरटीएस बनाएगी। आगामी आरआरटीएस नेटवर्क अंतः शहर यात्राओं में भी सहायक होगा। यह आशा है कि चरण IV और चरण V का काम पूरा हो जाने के बाद, जिसका काम अभी चल रहा है, शहर का 50% से अधिक विकसित क्षेत्र (लैंड पूलिंग क्षेत्रों और हरित विकास क्षेत्रों को छोड़कर) मेट्रो स्टेशनों से पैदल दूरी के अंदर होगा। अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी में सुधार करके (देखें: MOB3) और सार्वजनिक परिवहन की क्षमता में सुधार के लिए सुझाई गई पहल को लागू करके से इस व्यापक अवसंरचना की यात्रियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है (देखें: MOB2)।
- 9.7.4 एमआरटीएस के अन्य रूप जैसे मेट्रो लाइट / मेट्रो नियो या एलआरटी सिस्टम, बस रैपिड ट्रांजिट (बीआरटी) प्रणाली या कोई अन्य प्रणाली, जो खण्ड 9.7.2 में दी गई परिभाषा को पूरा करती है, को रेल-आधारित

एमआरटीएस में मदद के लिए विशिष्ट साइट संदर्भ, अनुमानित यात्री आदि के अनुसार विकसित किया जाएगा।

9.7.5 अगली योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्यनीतिक एमआरटीएस कॉरिडोर को विकसित किया जाना चाहिए:

- i) मेट्रो कॉरिडोर का बवाना औद्योगिक क्षेत्र, नरेला औद्योगिक क्षेत्र, डीडीए द्वारा नरेला में विकसित आवासीय क्षेत्र और कुंडली में प्रस्तावित आरआरटीएस स्टेशन को जोड़ते हुए रिठाला मेट्रो स्टेशन (रेड लाइन) से नरेला तक विस्तार करना।
- ii) मेट्रो कॉरिडोर का द्वारका मेट्रो स्टेशन से होते हुए ढांसा बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन (ग्रे लाइन) से नजफगढ़-दौराला रोड तक विस्तार और इसके अतिरिक्त, झज्जर में एम्स परिसर तक विस्तार करना। प्रस्तावित लिंक से ब्लू लाइन से द्वारका मेट्रो स्टेशन और आईजीआई एयरपोर्ट के मार्ग से जोन एल (लैंड पूलिंग क्षेत्र) और नजफगढ़ के बीच सीधे कनेक्टिविटी होगी। इससे दिल्ली के नागरिकों को झज्जर में नये एम्स परिसर तक पहुंच भी प्राप्त होगी।

9.7.6 लैंड पूलिंग क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पारगमन कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, एक वृद्धिमान एप्रोच कार्यान्वित की जाएगी। इन क्षेत्रों से शहर के विभिन्न हिस्सों में आवागमन को सहज बनाने के लिए क्षेत्रों के विकास के दौरान बीआरटी सिस्टम या हाई स्पीड बस मार्गों का कार्यान्वयन किया जाएगा। विशिष्ट कॉरिडोर के साथ-साथ मेट्रो रेल प्रणालियां लागू की जा सकती हैं। सभी लैंड पूलिंग क्षेत्रों में ट्रंक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एमआरटीएस के विकास के लिए यूईआर-II को विशेष रूप से लक्षित किया जाएगा।

9.7.7 **बस प्रणाली:** उच्च गुणवत्ता वाली सड़क-आधारित सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने, अपर्याप्त रूप से सेवा वाले क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करने के लिए बस प्रणाली के बड़े आउटरीच को आसान बनाया जाएगा, साथ ही एमआरटीएस प्रणालियों के लिए फीडर के रूप में भी कार्य किया जाएगा।

- i) मेट्रो/ आरआरटीएस स्टेशनों से जोड़ने के लिए बस मार्गों को युक्तिसंगत बनाया जाएगा और साथ ही, कम सार्वजनिक परिवहन पहुँच स्तर वाले क्षेत्रों में बेहतर, अधिक बार सेवाएं प्रदान की जाएंगी (देखें: MOB2)।
- ii) संबंधित एजेंसियों को योजना बनानी चाहिए और उन क्षेत्रों के लिए विशेष फीडर बस सेवाओं (आरटीवी, मेट्रो फीडर, आदि) का संचालन करना चाहिए, जहां सिटी बस सेवा कम है और जब सेक्टर विकसित होते हैं, तब लैंड पूलिंग क्षेत्रों में सेवा देने के लिए विशेष मार्गों को संचालित करना चाहिए।
- iii) सेवा स्तरों में सुधार के लिए गुणवत्ता में सुधार पहल (सूचना प्रणाली, संबद्ध अवसंरचना जैसे बस शेल्टर, बसों का ओ एंड एम, विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष सेवाओं को शामिल करना, प्रीमियम मार्ग आदि) को अपनाया जा सकता है (देखें: MOB2)।

9.8 परिवहन अवसंरचना का पुनरूद्धार

9.8.1 **रिंग रेल** दिल्ली की एक विरासत में मिली अवसंरचना है और यह माल परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि, यात्री सवारियां कम हैं। इसकी सवारियों की पहुंच बढ़ाने के लिए पब्लिक प्लाजा का सृजन कर, पदयात्रा करने व साइकिल चलाने की अवसंरचना प्रदान कर और उचित साइनेज लगाकर प्रमुख हॉल्ट स्टेशनों के लिए सुधारों को कार्यान्वित किया जा सकता है। मौजूदा मेट्रो स्टेशनों वाले रिंग रेल स्टेशनों को एकीकृत करने के लिए अंतर-परिवर्तनीय सुविधाओं की योजना बनाई जा सकती है। रिंग रेल एलाइनमेंट दिल्ली के धरोहर क्षेत्रों, पारिस्थितिक संपत्ति के क्षेत्रों तथा कई वाणिज्यिक क्षेत्रों को जोड़ता है, पर्यटकों की आवाजाही के लिए एक विशेष हॉप-ऑन और हॉप-ऑफ सेवा पर विचार किया जा सकता है।

9.8.2 दिल्ली में अल्प प्रयुक्त परिवहन विशेषता/ संरचनाओं और भूमि से इन संपत्तियों/ भूमि का इष्टतम उपयोग करने और गैर-किराया बॉक्स राजस्व अधिकतम करने का अच्छा अवसर प्राप्त होता है। निम्नलिखित कार्यनीतियों को लागू किया जाएगा:

- i) बस डिपो और टर्मिनलों का व्यावसायिक या सुविधा विकास के साथ-साथ बहु-स्तरीय बस पार्किंग सुविधाओं के रूप में आधुनिकीकरण तथा

मुद्रीकरण किया जाएगा; (देखें: डीसीएन)। इससे डिपो और टर्मिनलों की पार्किंग क्षमता बढ़ जाएगी और साथ ही भूमि का मूल्य बढ़ जाएगा। सरकारी बसों की पार्किंग के साथ-साथ पब्लिक पार्किंग के विकास के लिए बस टर्मिनलों और डिपो का उपयोग किया जाना चाहिए, विशिष्ट परियोजना स्थलों के लिए निजी बसों की खोज करनी चाहिए।

9.8.3 टीओडी के अनुसार रेलवे / मेट्रो / आरआरटीएस स्टेशनों और डिपो में ओवर स्टेशन और ओवर-ट्रैक विकास की अनुमति दी जाएगी। (देखें: DEV4)।

9.9 माल ढुलाई संभार तंत्र और वितरण नेटवर्क

9.9.1 माल ढुलाई दिल्ली के शहरी यातायात का एक बड़ा हिस्सा है और इसकी पर्यावरणीय काफी लागत है। पूर्वी और पश्चिमी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से शहर की सड़कों का उपयोग कर माल ढुलाई यातायात में काफी अधिक कमी आने की आशा है। डिजिटल प्रगति और ई-कॉमर्स के उद्भव से, शहर में संभार तंत्र और माल भंडारण सुविधाओं की अधिक मांग के साथ-साथ माल-भाड़े की मांग में वृद्धि का अनुमान है।

9.9.2 दिल्ली के लिए सीएमपी में शहर की सड़कों से जाम को कम करने, माल ढुलाई एवं शहर में संभार तंत्र और भाण्डागार केंद्रों में सुधार करने के लिए माल ढुलाई के लिए योजना और विस्तृत कार्यनीतियां मुहैया करेगा। सीएमपी में रेल आधारित परिवहन (रेल / रिंग रेल अवसंरचना का लाभ उठाते हुए) के माध्यम से माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाने और कार्यात्मक योजना 2031 के तहत एनसीआरपीबी द्वारा प्रस्तावित क्षेत्रीय आईएफसी के साथ कुशल इंटरलिंक्स विकसित करने के लिए सिफारिशें शामिल हैं।

9.9.3 आईएफसी/आईसीडी प्रमुख रोजगार केंद्र हैं जहां काफी अधिक लोग आते हैं। सीएमपी शहर के बाकी हिस्सों के साथ ऐसी सुविधाओं की कनेक्टिविटी (सार्वजनिक परिवहन सहित) में सुधार के लिए विशिष्ट सिफारिशें करेगा।

9.9.4 नए एकीकृत फ्रेट कॉम्प्लेक्स (आईएफसी) को विभिन्न संभार तंत्र, भाण्डागारण और माल ढुलाई संबंधी जरूरतों को एकीकृत करके बहु-

कार्यात्मक स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। पुनरूद्धार के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन के माध्यम से मौजूदा आईएफसी के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा (देखें: DEV3)। नया आईएफसी, यदि कोई हो, अधिमानतः राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) पर अवस्थित होगा और शहर के माल ढुलाई वितरण नेटवर्क के साथ जुड़ा होगा।

- 9.9.5 सहायक ई-कॉमर्स वितरण नेटवर्क: ई-कॉमर्स के उद्भव के कारण, स्थानीय स्तर पर 'भाण्डागार से घर' वितरण और माल भंडारण नेटवर्क की एक नई परत की आवश्यकता है। ई-कॉमर्स के संगठित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए, थोक बाजारों, आईएफसी और औद्योगिक क्षेत्रों में भाण्डागारण सुविधाओं, वितरण केंद्रों आदि जैसे उपयोग की अनुमति दी जाएगी। इन सुविधाओं शहर के अंदर एक हब-एंड-स्पोक नेटवर्क स्थापित होगा और माल भाड़ा वितरण में वाहन से तय किलो मीटर सफर ईष्टतम होगा। अंतिम छोर तक वितरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों/एनएमवी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

9.10 इलेक्ट्रिक-गतिशीलता

- 9.10.1 दिल्ली में ई-मोबिलिटी गति पकड़ रही है और परिकल्पना है कि नीतिगत आश्रय, प्रोत्साहन और अवसंरचनागत प्रावधानों से, अंततः जीवाश्म ईंधन आधारित वाहनों पर ई-वाहन आधिपत्य जमा लेंगे। इसे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियों को लागू किया जाएगा:

- i) विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, सड़क पर पार्किंग क्षेत्रों और सार्वजनिक पार्किंग स्थलों पर पूरे शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना उपलब्ध करायी जाएगी। ई-वाहनों की बाजार में हिस्सेदारी में प्रवृत्तियों के आधार और ग्रिड ब्लॉक में अनुमानित यातायात के आधार पर इसे वृद्धि के आधार पर बढ़ाया जा सकता है। चार्जिंग उपकरण के डिजाइन का मानकीकरण न होने से, सभी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर कई चार्जर मॉडल वाले कियोस्क उपलब्ध होंगे।
- ii) ईंधन स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पार्किंग, रेलवे पार्किंग क्षेत्र, अधिकृत सड़क पर पार्किंग या अन्य सरकारी स्वामित्व वाली पार्किंग पर ईवी

चार्जिंग अवसंरचना लगाई जाएगी। सभी नए ईंधन स्टेशनों के आवंटन में विद्युत चार्जिंग अवसंरचना के लिए आवंटित स्थान अनिवार्य होगा।

- iii) संबंधित एजेंसियों द्वारा पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित और कुशल बैटरी रिसाइकलिंग ईको सिस्टम के लिए प्रावधान किया जाएगा।
- iv) संबंधित एजेंसियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में अलग / अनन्य बैटरी रिसाइकलिंग केंद्र स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि प्रदान की जाएगी।

9.11 स्मार्ट परिवहन के लिए कुशल परिवहन प्रणालियाँ

9.11.1 कुशल परिवहन प्रणाली (आईटीएस) में डाटा रिपॉजिटरी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाएगा ताकि यह शहर में विभिन्न परिवहन मोड / प्रणालियों के बीच कुशलता और समन्वय को बेहतर बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभा सके।

- i) दिल्ली के लिए एक मोबिलिटी डाटा रिपॉजिटरी (एमडीआर) स्थापित की जानी चाहिए, जहाँ यातायात की मात्रा और ओ-डी ट्रेन्स, दुर्घटना हॉटस्पॉट, भीड़भाड़, माल यातायात आदि से संबंधित विश्वसनीय और सटीक डेटा एक एकीकृत ढांचे में उपलब्ध किए जा सकें। विभिन्न पारगमन एजेंसियों से एकत्र डाटा का मानकीकरण किया जाएगा और सर्वेक्षण एवं सूचना के माध्यम से इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा।
- ii) आईटीएस के माध्यम से स्मार्ट समाधान से संभावित चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने और उन्हें कम करने, सार्वजनिक परिवहन फ्लीट संचालन के गतिशील और कुशल प्रबंधन के लिए पूर्वानुमान तकनीकों का उपयोग करने और यात्रियों को रियल टाइम जानकारी प्रदान करने, परिवहन प्रणालियों का समुत्थान बढ़ाने के लिए रियल-टाइम डाटा का उपयोग किया जा सकेगा।
- iii) स्रोत से गंतव्य तक निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करके आपातकालीन वाहनों (एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन इत्यादि) की पूर्व-चेतावनी और प्रतिक्रिया समय को कम करने के लिए आईटीएस का उपयोग करना।

10.0 साझा गतिशीलता की दिशा में स्थानांतरण

10.1.1 योजना अवधि का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य दिल्ली के व्यापक सार्वजनिक और साझा परिवहन संरचना और तंत्र का निर्माण करना है और अपने नागरिकों की 'कुशल' गतिशीलता को सुगम बनाने के लिए निजी वाहनों पर निर्भरता को कम करना है। इसलिए दो-गुनी दक्षता का अनुसरण किया जाएगा, अर्थात (i) मूल स्थान से गंतव्य तक (बिंदु दर बिंदु गतिशीलता) यात्रा करने के लिए अपेक्षित समय और प्रयास को कम करना और (ii) यह सुनिश्चित करना कि यात्रा कम कार्बन फुट-प्रिंट (सुगम गतिशीलता) के साथ पूरी हो। इसे परिवहन के साझा साधनों का उपयोग करते हुए अधिक लोगों को स्थानांतरित करके प्राप्त किया जाएगा जिसमें सार्वजनिक परिवहन, जैसे बस और रेल के साथ-साथ, मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन, ऐप-आधारित सेवाएं आदि सम्मिलित हैं। कार्यनीतियाँ, जैसे कि पारगमन-उन्मुख विकास, गैर-निजी परिवहन सेवा स्तरों को उन्नत करना और निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए कठोर नियामक उपायों को निम्नलिखित परिकल्पना करते हुए लागू किया जाएगा:

- i) शहर में कुल मोटर चालित यात्राओं के अनुपात के रूप में निजी परिवहन का कम किया हुआ हिस्सा।
- ii) प्रति व्यक्ति मोटर चालित यात्राओं की औसत संख्या, औसत यात्रा समय और औसत यात्रा की दूरी के अनुसार शहर में यात्री के आवागमन की बेहतर कार्य क्षमता।

10.2 भूमि उपयोग और परिवहन के बीच सामंजस्य

10.2.1 यह योजना सार्वजनिक परिवहन बिंदुओं, जैसे कि मेट्रो और रेलवे स्टेशनों, मल्टी-मोडल हब, प्रमुख बस टर्मिनलों, आदि के निकटवर्ती घरों, नौकरियों और उपलब्ध सुविधाओं के सघनता और इनके मिश्रण का सर्वोच्च उपयोग करके भूमि उपयोग और परिवहन के एकीकरण को प्रोत्साहित करेगी। पारगमन स्थानों तक बेहतर पहुँच बनाने के साथ, इस तरह का विकास अधिक लोगों को अपनी दैनिक यात्रा की आवश्यकताओं के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

10.2.2 भूमि उपयोग और परिवहन एकीकरण निम्नलिखित कार्यनीतियों के माध्यम से लागू किया जाएगा:

- i) **टीओडी नोड्स में गहन मिश्रित उपयोग विकास:** टीओडी नोड्स (देखें: डीईवी4) के रूप में संदर्भित चुनिंदा कार्यनीतिक पारगमन स्टेशनों का विकास एफएआर के उच्चतम मानदंडों और अनुमेय मिश्रित उपयोग के साथ किया जाएगा। ये मानदंड केवल एक चिह्नित प्रभाव क्षेत्र (500-800 मी. की अनुमानित परिधि) के अन्दर लागू होंगे, जिसकी योजना वॉकेबिलिटी और अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए बनायी जाएगी। टीओडी नोड्स में आईएसबीटी, प्रमुख रेलवे और आरआरटीएस स्टेशनों, मेट्रो इंटरचेंज और अन्य चुनिंदा स्टेशनों जैसे चयनित प्रमुख परिवहन जंक्शन सम्मिलित होंगे, जिन्हें भविष्य के आर्थिक और सांस्कृतिक केन्द्रों के रूप में उनकी क्षमता के लिए पहचाना जाएगा।
- ii) **पारगमन प्रभाव क्षेत्र में पुनरुद्धार योजनाएँ:** शहर भर में टीओडी सिद्धांतों के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए, ना केवल चुनिंदा टीओडी नोड्स पर, बल्कि सभी पुनरुत्थान परियोजनाओं के लिए अन्य सभी पारगमन स्टेशनों के 500 मीटर परिधि के अंतर्गत, मिश्रित उपयोग, पार्किंग, ग्राउण्ड कवरेज और किनारे तक निर्मित (बिल्ट टू एज) सक्रिय अग्र-भाग के लिए विशिष्ट मानदंड की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस तरह की परियोजनाओं के लिए अनुमेय एफएआर और अन्य मानदंड दिल्ली की पुनरुत्थान नीति के अनुसार होंगे। यह योजना अवसंरचना पर बल देने वाले अतिरिक्त एफएआर / निर्मित स्थल के बिना जीवंत और सक्रिय स्टेशन क्षेत्रों के निर्माण के लिए अनुमति प्रदान करेगी। (देखें: डीईवी3)
- iii) **नए हाई स्पीड ट्रांजिट कॉरिडोर (यूईआर) के साथ, टीडीआर प्राप्त करने वाले क्षेत्र:** लैंड पूलिंग क्षेत्रों (देखें: डीईवी1) में, शहरी विस्तार सड़कों (यूईआर) के साथ, उच्च एफएआर की एकाग्रता की अनुमति देने वाले किसी क्षेत्र में लचीले स्थान और अधिकृत एफएआर के लोडिंग की अनुमति दी जाएगी।

10.2.3 इन सभी पारगमन उन्मुख विकास की रूपरेखा पूरे शहर में सुरक्षित, चलने योग्य और जीवंत क्षेत्रों को सुनिश्चित करने के लिए सघन सड़क तंत्रों, बेहतर

सार्वजनिक क्षेत्रों और सक्रिय सार्वजनिक अग्र-भागों को सुनिश्चित करने हेतु बनायी जाएगी।

10.3 सार्वजनिक परिवहन एवं साइकिल परिवहन साधनों में सुधार करना

10.3.1 लोगों को परिवहन के सार्वजनिक या साइकिल माध्यमों को चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यनीति सेवा के कुशल स्तर से जुड़ी उनकी विश्वसनीयता और सुगम्यता में सुधार करना है। हालांकि, साइकिल परिवहन माध्यमों में सुधार बड़े स्तर पर निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाना जारी रखा जाएगा, तथापि सार्वजनिक परिवहन में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

10.3.2 **सार्वजनिक परिवहन का सुगम्यता स्तर:** सार्वजनिक परिवहन के सुगम्यता स्तर (पीटीएएल) के विस्तृत विश्लेषण को शहर के लिए अपनाया जाएगा। समय-समय पर इसे अद्यतन और अधिसूचित करने के लिए विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा संचालन किया जाएगा। पीटीएएल मैपिंग सार्वजनिक परिवहन की पहुँच का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करेगी और स्थानिक रूप से उच्च-सुगम्यता वाले क्षेत्रों को निम्न सुगम्यता वाले क्षेत्रों से पृथक कर देगी। इसके विश्लेषण में बसों, मेट्रो रेल और उनकी फीडर सेवाओं के अतिरिक्त, ग्रामीण सेवा, ऑटोरिक्शा, मैक्सी कैब, आरटीवी इत्यादि जैसे अनुबंधित आईपीटी मोड सहित, सभी साइकिल माध्यम सम्मिलित होंगे। इस तरह के विश्लेषण के आधार पर, सम्पूर्ण शहर को पीटीएएल की निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

तालिका 10.0: पीटीएएल श्रेणी

पीटीएएल	एक्सेस इंडेक्स रेंज
0 (निकृष्ट)	0 - 2
1	2 - 3
2	3 - 5.5
3	5.5 - 7
4	7 - 8.5
5	8.5 - 12
6	12 - 20

7		20 - 30
8 (सबसे अच्छा)		30 और ऊपर

- i) सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना में सभी भावी सुधार और क्षेत्र के सुधार के प्रस्ताव इस मूल्यांकन पर आधारित होंगे। दिल्ली के सीएमपी (देखें: MOB1) में 2041 तक शहर के सभी क्षेत्रों में की कम से कम पीटीएएल 4 ग्रेड अर्जित करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप सम्मिलित होगा।
 - ii) यह विश्लेषण उच्च पीटीएएल मूल्यों और उच्च सघनता वाले, परन्तु कम सार्वजनिक परिवहन यात्रियों वाले क्षेत्रों की पहचान करने में भी सहायता प्रदान कर सकता है। यह दि.वि.प्रा./स्थानीय निकायों और संबंधित पारगमन एजेंसियों द्वारा किराया युक्तिकरण, बेहतर सुगम्यता, कार्यनीतिक विकास आदि के रूप में आगे की कार्रवाई को सुगम बना सकता है।
- 10.3.3 **किराए को युक्तिसंगत बनाना:** कम और मध्यम दूरी के लिए सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बेहतर बनाने के लिए अक्सर शहर से बाहर की यात्राओं, उच्च सघनता वाले क्षेत्रों में बढ़ी हुई सवारियों और किराए को युक्तिसंगत बनाने पर संबंधित एजेंसी द्वारा विचार किया जा सकता है।
- 10.3.4 **एक्सप्रेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट:** डीटीसी और एमआरटीएस एजेंसियाँ एक्सप्रेस रूट की योजना पर विचार करेंगी, जो उच्च फुटफॉल स्टेशनों / गंतव्यों को इस तरह से जोड़ती है कि यात्रा के दौरान स्टॉप/ हॉल्ट स्टेशनों की संख्या कम हो जाए और यात्रा के समय का बेहतर ढंग से उपयोग हो सके। (देखें: MOB1)
- 10.3.5 **प्रीमियम बस सेवाएँ:** सुविधा (पहुँच और विश्वसनीयता में सुगमता) और आराम (जलवायु विषयक आराम और सुविधाओं की गुणवत्ता) कुछ प्रमुख कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप लोग निजी परिवहन का उपयोग करना जारी रखते हैं। प्रीमियम बस सेवा संचालन को शहर के उन चिह्नित उच्च आवृत्ति वाले मार्गों में खोजे जाने की आवश्यकता है जो घरों को कार्यस्थलों के साथ जोड़ते हों। इनकी रूपरेखा नियमित निर्धारित-मार्गों, शटल सेवाओं के साथ-

साथ ऑन डिमांट ऐप-आधारित सेवाओं के मिश्रण के रूप में बनायी जा सकती है।

10.3.6 विशेष सेवाएं: इस योजना का लक्ष्य रात के समय की अर्थव्यवस्थाओं को उच्च आर्थिक उत्पादकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ रात के समय जीवंत और सुरक्षित सार्वजनिक स्थलों की उपलब्धता में वृद्धि करना है। डीएमआरसी और डीटीसी को पूरे शहर में विशिष्ट निर्धारित मार्गों और तंत्रों के साथ तथा व्यवहार्यता के अनुसार विशेष अवसरों एवं त्यौहारों के लिए कम आवृत्ति वाली रात्रिकालीन सेवाओं को संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

10.3.7 बस सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार:

- i) दिल्ली परिवहन अवसंरचना विकास निगम (डीटीआईडीसी) द्वारा बस के आश्रय-स्थलों का उन्नयन किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक सुगम्यता की विशिष्टताएँ, दृश्य-श्रवण सार्वजनिक सूचना प्रणाली, सीसीटीवी, आपात स्थिति के लिए संकट बटन, वॉटर कियोस्क और सार्वजनिक सुविधाएँ शामिल हैं।
- ii) मार्गों, समय सारिणी, आगमन समय, यात्रा समय, कनेक्शनों, घटनाओं, विलंबों, किराए और छूट की जानकारी प्रदान करने के लिए एक विश्वसनीय और वास्तविक समय की यात्री सूचना प्रणाली (पीआईएस) को लागू किया जाना चाहिए।

10.4 एकीकृत बहु-मोडल परिवहन प्रणाली (मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम)

10.4.1 मूल स्थान एवं गंतव्य के बीच यात्रियों की यात्रा में यात्रा के एक या कई साधन सम्मिलित हो सकते हैं। यह योजना पूरी यात्रा के दौरान सभी नागरिकों के लिए निर्बाध और कुशल बिंदु-दर-बिंदु गतिशीलता को सुगम बनाएगा।

10.4.2 विभिन्न साधनों में नेटवर्क एकीकरण इस तरह की निर्बाध कनेक्टिविटी को प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। व्यापक गतिशीलता योजना के एक

भाग के रूप में एक एकीकृत बहु-मोडल परिवहन कार्यनीति तैयार की जानी चाहिए जो विभिन्न साधनों के लिए समय, आवृत्ति और मार्गों को सुसंगत करने हेतु संस्तुति प्रदान करती हो। बहु-मोडल परिवहन केंद्र (एमएमटीएच) का विकास एमएमआई कार्यनीतियों को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू होगा। (देखें: MOB1)

10.4.3 मल्टी-मोडल परिवहन केंद्र (एमएमटीएच):

दिल्ली में कई उच्च फुटफॉल ट्रांजिट नोड्स के पास एक ही स्थान पर कई साधन उपलब्ध हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी, आरआरटीएस स्टेशन और मेट्रो स्टेशन। इन्हें मल्टी-मोडल पारगमन केंद्र (एमएमटीएच) के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसका संदर्भ पूर्ववर्ती योजना में मेट्रोपॉलिटन पैसेंजर टर्मिनल या इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल के रूप में दिया गया है जो डीईवी4 के अनुसार विकास मानदंडों के लिए पात्रता रखते हैं।

- i) यूएमटीए/समन्वय समिति एमएमटीएच परियोजनाओं के समन्वित नियोजन और निष्पादन के लिए सभी संबंधित पारगमन एजेंसियों को एक साथ लाने के लिए उत्तरदायी होगी। सभी साधनों में सहज एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त एमएमटीएच-स्तरीय लेआउट योजना तैयार की जाएगी। एजेंसियां अपनी भूमि को समाहित करके संयुक्त उपक्रम भी चला सकते हैं जहां पर कई साधनों को एक ही भवन या परिसर में एकीकृत किया जा सकता है। (देखें: MOB1)
- ii) रेलवे पटरियों, सड़कों, नालों आदि जैसी सुविधाओं से पृथक किए गए गैर-सन्निहित भू-खण्डों के मामले में, स्काईवॉक, सबवे आदि जैसे कनेक्टर्स का उपयोग करने वाले भवनों के एकीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए, बशर्ते विभिन्न साधनों के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए समुचित स्वीकृति बनाई रखी गयी हो। (देखें: डीईवी4)।
- iii) सभी एमएमटीएच परियोजनाओं का विशेष फोकस पहली और अंतिम मील की कनेक्टिविटी को सुगम बनाने की दिशा में भी होगा। इस तरह के सभी इंटरफेस को रिटेल, वैंडिंग जोन, फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स, सार्वजनिक सुविधाओं जैसे शौचालय और पेयजल फाउंटेन, आदि की समुचित प्रावधानों के माध्यम से अच्छी तरह से प्रज्वलित, सुरक्षित और जीवंत रखा जाएगा।

- iv) परिवहन नेटवर्क का केंद्र बिंदु होने के नाते, एमएमटीएच के पास मिश्रित उपयोग के विकास के लिए हब के रूप में उच्च क्षमता होगी।
- v) आनंद विहार-कड़कड़ूमा, कश्मीरी गेट और निजामुद्दीन-सराय काले खां नामक तीन स्थानों को मल्टी-मोडल ट्रांजिट हब (एमएमटीएच) के रूप में विकसित किया जाएगा। दि.वि.प्रा. या अन्य संबंधित एजेंसियाँ भविष्य में एमएमटीएच के रूप में विकसित किए जाने वाले अन्य ऐसे स्थानों की पहचान कर सकती हैं।

10.4.4 सभी स्टेशनों पर मल्टी मोडल इंटीग्रेशन (एमएमआई): दिल्ली में पारगमन स्टेशनों (मेट्रो, आरआरटीएस, रेलवे स्टेशन, रिंग रेल) और प्रमुख बस टर्मिनलों पर विभिन्न साधनों में सहज एकीकरण को सुगम बनाया जाए।

- i) एमएमआई योजनाओं को, पैदल यात्री / साइकिल चलाने की सुविधाओं सहित कुशल यातायात और यात्री फैलाव के लिए संबंधित पारगमन एजेंसियों द्वारा तैयार और कार्यान्वित किया जाएगा।
- ii) सभी स्थानों पर निम्नलिखित न्यूनतम सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी:
 - क) प्रत्येक ऊंचाई बिंदु के 100 मीटर के अन्दर: पैदल यात्री स्पिल ओवर प्लाजा, विक्रय क्षेत्र, साइकिल पार्किंग और रेंटिंग स्टेशन।
 - ख) ऊंचाई बिन्दुओं के केन्द्रक के 300 मी. तक: बस स्टॉप, आईपीटी स्टैंड, निजी कारों के लिए पिक-अप/ड्रॉप लोकेशन या ऑन-डिमांड आईपीटी।
 - ग) ऊंचाई बिन्दुओं के केन्द्रक के 500 मी तक: एसएसआई2 और सड़क डिजाइन विनियमों में दिए गए मानदंडों के अनुसार, सार्वजनिक पार्किंग स्थल (पार्क एण्ड राइड की सुविधाएँ) और सार्वजनिक सुविधाएँ। विभिन्न साधनों के लिए पार्किंग स्थल उपयोगकर्ता के प्रोफाइल और संलग्न गतिविधियाँ/भूमि उपयोग पर आधारित होंगी। उदाहरण के लिए, शैक्षिक केंद्रों और औद्योगिक क्षेत्रों के निकटवर्ती मेट्रो स्टेशनों में साइकिलों और दो पहिया वाहनों के लिए अधिक ईसीएस आवंटित होंगे।

- iii) संबंधित भू-स्वामी एजेंसियों द्वारा एमएमआई योजना को लागू करने के लिए समुचित भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
- iv) सभी नए पारगमन स्टेशनों और एमएमटीएच के लिए, एमएमआई का नियोजन और क्रियान्वन डिजाइन के एक भाग के रूप में किया जाएगा।

10.4.5 एमएमआई को सुगम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित हस्तक्षेप:

- i) एक साधन से दूसरे साधन की ओर सहज स्थानान्तरण करने के लिए विभिन्न साधनों का ऐप-आधारित एकीकरण महत्वपूर्ण होगा। परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी उपलब्ध मार्गों के विकल्पों, उपलब्ध साधनों और उनके संबद्ध किराए, आवृत्ति, अनुमानित यात्रा समय, आदि की वास्तविक समय की जानकारी को सम्मिलित करते हुए एक स्मार्ट मोबिलिटी ऐप विकसित कर सकता है। स्मार्ट मोबिलिटी ऐप को शहर के लिए विकसित आईटीएमएस के साथ एकीकृत किया जाएगा (देखें: MOB1)।
- ii) रेलवे और बस परिवहन जैसे प्रमुख साधनों को सम्मिलित करते हुए, एक एकीकृत टिकटिंग प्रणाली या स्मार्ट मोबिलिटी कार्ड का क्रियान्वन किया जाएगा। एकीकरण के लिए, आईपीटी, ऑन-डिमांड कैब आदि जैसे अन्य साझा साधनों पर भी विचार किया जा सकता है।
- iii) विभिन्न निजी सेवा प्रदाताओं और पारगमन एजेंसियों के बीच साझेदारी की मांग करते हुए एक सामान्य किराया प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा सकती है। इससे उन उपयोगकर्ताओं को और अधिक प्रोत्साहन राशि और किराए में छूट की सुविधा मिल सकती है जो एक परिवहन साधन से दूसरे परिवहन साधन की ओर जाते हैं।

10.5 निजी परिवहन को हतोत्साहित करना

10.5.1 परिवहन के निजी साधनों को हतोत्साहित किये जाने पर केंद्रित कठिन नियामक कार्यनीतियों के साथ साझा तौर-तरीकों के उपयोग को बढ़ाने पर लक्षित विभिन्न कदमों को पूरक बनाना महत्वपूर्ण होगा। यह योजना निम्नलिखित तीन प्रमुख कार्यनीतियों का प्रस्ताव देती है, जिनका उद्देश्य निजी वाहनों के उपयोग पर अंकुश लगाना है।

10.5.2 **कंजेशन प्राइसिंग:** ट्रैफिक पुलिस के परामर्श से सड़कों का स्वामित्व रखने वाली एजेंसियाँ शहर के विशिष्ट क्षेत्रों को कंजेशन प्राइसिंग क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करेंगी। इनमें सम्मिलित हो सकती है: टीओडी नोड्स (देखें: डीईवी4), व्यापार प्रोत्साहन (देखें: डीईवी3), चारदीवारी शहर विरासत जोन (देखें: एचसीपी2) और सीबीडी (देखें: ईसीओ)। आरएफआईडी टैगिंग आदि के रूप में तकनीक का उपयोग संबंधित एजेंसियों द्वारा कंजेशन प्राइसिंग के प्रबंधन के लिए भी किया जा सकता है।

10.5.3 **पार्किंग मांग का प्रबंधन:** कार्य स्थलों, मनोरंजन या सांस्कृतिक केन्द्रों, बाजारों आदि में सार्वजनिक पार्किंग की उपलब्धता पर रोक निजी यात्राओं के लिए एक प्रमुख बाधा बन सकती है। पार्किंग नियमों को कड़ाई से लागू करने के साथ निम्नलिखित कार्यनीतियों का क्रियान्वन एक मांग प्रबंधन उपकरण के रूप में पार्किंग का उपयोग करते हुए किया जाएगा:

- i) किसी क्षेत्र के अंदर सार्वजनिक पार्किंग (ऑन स्ट्रीट और ऑफ स्ट्रीट) की आपूर्ति उसके सार्वजनिक परिवहन सुगम्यता स्तर (पीटीएएल) के साथ जुड़ी होगी। उच्च पीटीएएल वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्किंग की आपूर्ति कम होगी (देखें: MOB4)।
- ii) पार्किंग शुल्क का उपयोग निजी परिवहन उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए एक साधन के रूप में किया जाएगा। व्यस्त और अव्यस्त अवधि के दौरान, ऑन स्ट्रीट और ऑफ स्ट्रीट पार्किंग के लिए डायनेमिक प्राइसिंग (उच्च पार्किंग शुल्क के माध्यम से) का उपयोग उच्च पीटीएएल और/या उच्च वाहनों के फुटफॉल के साथ कम भीड़ वाले क्षेत्रों में किया जाना चाहिए।
- iii) **पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों को प्राथमिकता देना:** ट्रैफिक पुलिस के साथ समन्वय करके सम्बंधित एजेंसियाँ 'केवल यात्रियों के लिए' क्षेत्रों के रूप में उच्च पीटीएएल स्तरों के साथ, भारी आवाजाही वाले विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कि पर्यटक आकर्षण केंद्र, बाजार आदि की पहचान करेंगी। विशिष्ट समय अवधि के लिए सड़कों को पूरी तरह से पैदल यात्रियों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए

सामरिक शहरीकरण उपायो को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि समग्र यातायात आवाजाही बाधित न हो सके। (देखें: MOB3)

--- x --- x ---- x --- x ---

11.0 दिल्ली को पैदल चलने और साइकिल चलाने के अनुकूल बनाना

अध्याय कोड
MOB3

11.1.1 दिल्ली की उच्च सक्रिय यात्रा संभावना का लाभ सक्रिय यात्रा चुनने वाले लोगों द्वारा उठाये जाने और बढ़ाये जाने की आवश्यकता है, जो ना केवल एक किफायती गतिशीलता के विकल्प के रूप में होगी, बल्कि एक ऐसे रूप में भी होगी जो व्यक्तियों और शहर के लिए आरामदायक एवं सुरक्षित हो और स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय लाभों में वृद्धि करें।

11.1.2 वर्तमान नेटवर्क को शहर में ग्रीन-ब्लू नेटवर्कों (देखें: ईएनवी2) का उपयोग करते हुए प्राथमिकता के आधार पर वैकल्पिक सक्रिय यात्रा मार्गों के रूप में सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है, जिसे छोटी और लंबी दूरियों के लिए पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित नेटवर्क बनाकर और सक्रिय यात्रा के लाभों के बारे में जन-जागरूकता को बढ़ा कर किया जा सकता है। सक्रिय यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यनीतियों का कार्यान्वयन निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करेगा:

- i) सक्रिय यात्रा के विकल्पों और अवसरों के साथ प्रदूषण मुक्त और सुरक्षित गतिशीलता तक पहुंच में वृद्धि।
- ii) दिल्ली में सक्रिय यात्रा (पैदल चलना और साइकिल चलाना) के अनुपात में वृद्धि।

11.2 सक्रिय यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए सड़क (स्ट्रीट) डिजाइन

11.2.1 सक्रिय यात्रा को शहरी पर्यावरण की रूपरेखा बनाकर प्रोत्साहित किया जाएगा जहाँ पर अधिक लोग इसे 'गंतव्य यात्रा', अर्थात कार्यस्थल, स्कूल, उपासनास्थल, दुकान, थियेटर, सार्वजनिक परिवहन आदि के साथ-साथ, 'मनोरंजनात्मक यात्रा', अर्थात आराम या व्यायाम दोनों के लिए एक पसंदीदा साधन के रूप में चुनते हैं।

11.2.2 पैदल यात्रियों एवं साइकिल चालकों के लिए बाधा-मुक्त आवाजाही को प्राथमिकता देकर सक्रिय यात्रा के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान करके सभी आयु वर्गों और क्षमताओं वाले

उपयोगकर्ताओं के लिए सड़क स्थान के समान वितरण और सुरक्षित गतिशीलता को सुनिश्चित करने के लिए सड़कों को डिजाइन किया जाएगा। पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए वर्तमान सड़कों को संवर्धित रूप में पुनःसंयोजित किया जाएगा। पैदल यात्री मार्गों / फुटपाथों को नए विकास क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

11.2.3 निम्नलिखित मुख्य घटकों को सड़कों के अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए सभी नए सड़क अवसंरचना डिजाइन के एक भाग के रूप में और वर्तमान सड़कों में सुधार करने के लिए सम्मिलित किया जाएगा:

11.2.3.1 अपेक्षाकृत छोटे और आरामदायक मार्ग प्रदान करने के लिए अवरोध रहित और अनवरत एनएमटी नेटवर्क अवसंरचना, जैसे कि फुटपाथ, साइकिल ट्रैक आदि का प्रावधान किया जाएगा।

11.2.3.2 सक्रिय यात्रा विशेषताओं के पैटर्न के अनुसार, मोटर चालित वाहनों के साथ पैदल चलने वालों या साइकिल चालकों के टकराने के बिंदुओं को निम्नलिखित अवसंरचना के प्रावधानों के माध्यम से कम किया जाएगा:

- i) जहां तक संभव हो, पैदल और साइकिल क्रॉसिंग एट-ग्रेड होगी। कैरिजवेज में यातायात की गति को कम करने वाले तत्व सम्मिलित होंगे।
- ii) सुरक्षित और जीवंत पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए सबवे या फुट ओवर ब्रिजों को व्यावसायिक गतिविधि, लोक कला, सड़क प्रदर्शन आदि के माध्यम से क्रॉस-प्रोग्राम्ड किया जाएगा।
- iii) पैदल चलने वालों, व्हीलचेयर का उपयोग करने वालों और साइकिल चालकों के लिए सुगम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ग्रेड सेपरेटिड क्रॉसिंगों पर पैदल चलने वालों के लिए सिग्नलों की स्थापना को प्राथमिकता दी जाएगी। पेलिकन क्रॉसिंग प्रणाली को विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए स्कूलों और अन्य प्रमुख पैदल यात्री क्रॉसिंगों के पास स्थापित किया जाएगा।

11.2.3.3 स्ट्रीट फर्नीचर, अर्थात् बेंच और बैठने की अन्य व्यवस्था, कचरे के डिब्बे, साइनेज, सार्वजनिक उपयोगिताएं, जैसे कि विश्राम-कक्ष, शिशु

देखभाल कक्ष, चेंजिंग रूम और नियमित दूरी के अंतरालों पर पेयजल की टॉटी आदि का प्रावधान किया जाएगा।

11.2.3.4 बहु-उपयोगिता जोन का निर्धारण और उसका स्थान निर्धारण किया जाएगा ताकि स्ट्रीट वेंडर्स और किओस्क, लोक कला के स्थान और अन्य सावर्जनिक गतिविधियों को समायोजित किया जा सके जिससे स्ट्रीट लाईफ और गतिविधि के लिए सक्रिय और सौंदर्यपूर्ण आकर्षक स्थल बनाए जा सके।

11.2.3.5 पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की सुरक्षा के लिए दिन के समय बेहतर छाया और रात के समय प्रकाश की व्यवस्था निम्नानुसार की जाएगी:

- i) उपयुक्त छाया प्रदान करने वाले और देशी प्रजातियों के प्रदूषण को निस्पंद करने वाले वृक्षों और अन्य भूदृश्य तत्वों के साथ-साथ, प्रदूषण-मुक्त विशेषताएँ, जैसे कि पानी सोखने वाली सतह, बायो-स्वैल आदि।
- ii) सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सड़क लाइटनिंग और प्रकाश-व्यवस्था। व्यापक प्रकाश के अतिरिक्त, पैदल चलने वालों के लिए स्तरीय प्रकाश व्यवस्था की प्राथमिकता का समावेश।
- iii) इंटर-मोडल शिफ्टों में वृद्धि करने के लिए साइकिल पार्किंग के साथ बस शेल्टर, निजी वाहनों के लिए पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ बे, टैक्सी और आईपीटी।

11.2.4 सभी पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों संबंधी अवसंरचनाएं और सड़कों का सुधार सड़क डिजाइन विनियम (देखें: अनुलग्नक 7) में निर्धारित मानकों और दिशानिर्देशों पर आधारित होंगे। बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहुंच को सुगम बनाने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के दिव्यांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए बाधा मुक्त निर्मित पर्यावरण 2016 के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देशों और स्थल मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

11.3 सक्रिय यात्रा क्षेत्र (एटीए) और वॉक प्लान

- 11.3.1 सक्रिय यात्रा क्षेत्रों की पहचान संबंधित एजेंसियों द्वारा शहर में उच्च गतिविधि केंद्रों के आसपास की जाएगी और पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों संबंधी अवसंरचना में सुधार लाने के लिए इन क्षेत्रों में वॉक प्लान तैयार किया जाएगा और उसका कार्यान्वयन किया जाएगा।
- 11.3.2 किसी विशिष्ट गंतव्य नोड, जैसे कि धरोहर परिसर, बाज़ार, वर्तमान आवासीय कॉलोनी आदि के आसपास, 400-500 मीटर (5-10 मिनट की पैदल दूरी) के दायरे के अन्दर स्थित कम से कम एक क्षेत्र के लिए बनाया जाएगा। वॉक प्लान के अंतर्गत, क्षेत्र का वास्तविक परिसीमन पेड-शेड और/या वांछित लाइनों पर आधारित होगा। संबंधित एजेंसियाँ यातायात प्रबंधन, एमएमआई, स्टेशन फैलाव (डिस्पर्सल) योजनाएँ आदि के लिए अपनी योजनाओं के साथ इन योजनाओं को एकीकृत करेंगी।
- 11.3.3 लैंड-प्लानिंग क्षेत्रों के अंतर्गत, सभी नए विकास/परियोजनाओं, टीओडी और पुनरूद्धार योजनाओं, अन्य विशेष परियोजनाओं को एटीए के रूप में माना जाएगा और लेआउट के अनुमोदन के लिए वॉक योजनाओं की तैयारी की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होगी।
- 11.3.4 आंशिक या पूर्ण पैदल यात्रा के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा गहन खुदरा व्यावसायिक गतिविधि या अपवादस्वरूप रूप से उच्च पैदल यात्री आवाजाही, साप्ताहिक बाज़ार और नाइट इकोनोमी के लिए चिन्हित क्षेत्रों के साथ विद्यमान क्षेत्रों की पहचान एटीए के रूप में की जा सकती है (देखें: ईसीओ और एचसीपी1)।
- 11.3.5 वॉक प्लान को स्थानीय निकायों या आरडब्ल्यूए और अन्य हितधारकों द्वारा मौजूदा आवासीय कॉलोनियों, बाजारों आदि के लिए भी तैयार किया जा सकता है। ये क्षेत्र पार्किंग प्रबंधन क्षेत्रों या ग्रीन-ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर/ नेटवर्क का निर्माण करने के लिए किसी प्रस्ताव के साथ लिंक किए जायेंगे।
- 11.3.6 शहर भर के नेटवर्कों का अनवरत निर्माण करने के लिए सभी एटीए को प्रमुख सड़कों (समर्पित साइकिल ट्रैकों और फुटपथों सहित) के साथ जोड़ा जाएगा।
- 11.3.7 वॉकेबिलिटी विनियमों में वॉक प्लान के लिए चिन्हित क्षेत्रों का विकास और क्रियान्वयन प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

11.3.8 संबंधित एजेंसियों द्वारा समय-समय पर उन एटीए की पहचान की जा सकती है जिसके लिए वॉक प्लान को तैयार और कार्यान्वित किया जाएगा।

11.4 शहर स्तरीय सक्रिय यात्रा नेटवर्क्स

11.4.1 30 मी. से अधिक आरओडब्ल्यू की सड़कों के लिए लगातार सक्रिय यात्रा नेटवर्क स्थापित किये जायेंगे। साइकिल सवारों, पैदल यात्रियों के वर्तमान या प्रत्याशित उच्च भाग वाले कुछ चिह्नित मार्गों और विभिन्न गतिविधि केंद्रों को जोड़ने वाले उन मार्गों का विकास कार्यनीतिक सक्रिय यात्रा गलियारों के रूप में किया जाएगा।

11.4.2 **साइकलिंग राजमार्ग:** शहर भर में लंबी दूरी की सक्रिय यात्रा को सुगम बनाने के लिए कुछ गलियारों को साइकिल राजमार्ग के रूप में चिह्नित और विकसित किया जाएगा।

11.4.3 **ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर:** ये पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए विशिष्ट मार्ग हैं जिन्हें प्राकृतिक नालों और यमुना नदी (देखें: ईएनवी2) के साथ शहर स्तर पर समर्पित गलियारों के रूप में बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, इन गलियारों के आसपास सांस्कृतिक केन्द्रों या कार्यनीतिक सक्रिय गलियारों को जोड़ने वाले ये गलियारे पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों को छोटे मार्ग उपलब्ध कराएँगे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

11.5 सक्रिय यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य कार्यनीतियाँ

11.5.1 **सुनियोजित शहरीकरण:** कार्यान्वयन एजेंसियां गलियों को आरक्षित करके और सड़कों के फैलाव को पैदल यात्रियों के अनुकूल बनाकर पैदल चलने वालों और एनएमटी गतिविधि को प्राथमिकता देने के लिए सड़क के एक भाग को अस्थायी रूप से पुनःसंयोजित करने हेतु, सुनियोजित शहरीकरण या पॉप-अप शहरीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। यह संस्तुति की जाती है कि पैदल यात्रियों और/या साइकिल चालकों संबंधी अवसंरचना का निर्माण करने के लिए सभी प्रस्तावों की व्यवहार्यता का परीक्षण स्थायी प्रकृति के सड़कों के पुनःसंयोजन कार्यों से पूर्व जमीन पर कर लेना चाहिए।

11.5.2 **सूक्ष्म-गतिशीलता:** बैटरी चालित ई-बाईक्स और अन्य प्रदूषण-मुक्त गतिशीलता के विकल्पों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। बुजुर्गों और चलने में तकलीफ वाले व्यक्तियों के लिए एटीए और कार्यनीतिक सक्रिय गलियारों में ऐसे वाहनों के लिए पार्किंग प्रावधान और पीबीएस प्रणालियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

11.5.3 **नागरिकों का जुड़ाव:** सभी संबंधित विभाग / एजेंसियाँ सक्रिय यात्रा इंटरवेन्शन्स के लिए आम सहमति के निर्माण को बढ़ावा देने और यात्रा के दौरान व्यवहार में बदलाव को प्रेरित करने हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं और योजनाओं के लिए जागरूकता अभियानों और सार्वजनिक जुड़ाव की कार्यनीतियों की रूपरेखा बना सकती हैं।

- i) संबंधित एजेंसियाँ, स्थानीय निकाय आदि सक्रिय यात्रा, यातायात नियमों, विनियमों और जुर्माना, पैदल यात्री प्रथम सिद्धांत, आदि के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों सहित, विभिन्न नागरिक समूहों के लिए समर्पित अभियान चला सकती हैं।
- ii) बीमारी फैलने या महामारी के समय सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय यात्रा को गतिशीलता विकल्प के रूप में भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

11.5.4 **सक्रिय यात्रा के लिए प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) को प्रयोग में लाना:** प्रौद्योगिकी और नेटवर्किंग सक्रिय यात्रा को प्रभावी रूप से सक्षम बना सकती है और पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के अनुभव और सुरक्षा को बढ़ा सकती है:

- i) पैदल चलने और साइकिल चलाने हेतु मार्गों, यात्राओं, मैराथन, हरे-भरे रास्ते, विरासत के चिह्न, सार्वजनिक सुविधा स्थल, वास्तविक समय की उपलब्धता के साथ पीबीएस, लोकप्रिय गंतव्यों / भोजनालयों और आगामी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए संबंधित एजेंसियों द्वारा स्मार्ट एप्लिकेशन विकसित किए जाएंगे। लोगों के लिए पैदल चलने योग्य और साइकिल चलाने योग्य मार्गों और क्षेत्रों तथा रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दों का आंकलन करने के लिए विशेष एप्लिकेशन विकसित किए जा सकते हैं;

- ii) नागरिकों को वास्तविक समय की वायु गुणवत्ता की जानकारी प्रदान करने हेतु व्यापक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के आकलन के लिए ट्रैफिक सिग्नल पर स्मार्ट सेंसर स्थापित किए जा सकते हैं;
- iii) ऊर्जा उत्पन्न करने वाली टाइलों का उपयोग फुटपथों और पक्के क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है। ऊर्जा (सौर ऊर्जा के साथ युग्मित) का उपयोग स्ट्रीट लाइटों को प्रकाशित करने के साथ-साथ बैठने या आराम करने वाले स्थानों के निकट मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए चार्जिंग पॉइंट प्रदान करने के लिए किया जा सकता है;
- iv) पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों की सुरक्षा, यातायात नियमों की अनुपालना और स्ट्रीट फर्नीचर की तोड़फोड़ को रोकने के लिए अत्याधुनिक निगरानी तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है ।

--- x --- x ---- x --- x ---

12.0 दिल्ली में पार्किंग प्रबंधन

12.1.1 कम कार्बन मात्रा वाले परिवहन साधनों से आवाजाही करना दिल्ली के लिए एक अनिवार्य शर्त है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण और राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति, 2006 के अनुरूप तथा भूमि का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए, पार्किंग कार्यनीति में मौजूदा पार्किंग की मांग प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिसमें पार्किंग सुविधाओं को पुनःसंगठित किया जाएगा और उनके उपयोग को बढ़ाया जाएगा। पार्किंग के प्रबंधन के लिए पार्किंग के नियमों और विनियमों का सख्त अनुपालन आवश्यक होगा और इससे सार्वजनिक परिवहन और साइकल परिवहन साधनों के पक्ष में परिवर्तन को प्रेरणा मिलेगी। मास्टर प्लान की पार्किंग कार्यनीति में सार्वजनिक और निजी पार्किंग की उपयुक्त उपलब्धता की परिकल्पना की गई है, जिसे सार्वजनिक परिवहन और साइकल परिवहन साधनों की उपलब्धता के स्तर और पार्किंग की उपलब्धता के साथ व्यवस्थित किया जाता है।

12.2 शहर-व्यापी पार्किंग कार्यनीति के लिए दिशानिर्देश:

निम्नलिखित दिशानिर्देश और कार्यनीतियां शहर में पार्किंग की समग्र व्यवस्था को निर्देशित करेंगी:

- i. **‘उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान’ का सिद्धांत:** सभी व्यक्तिगत मोटर वाहनों (पीएमवी) (एनएमटी को छोड़कर) के उपयोगकर्ताओं को अधिकृत पार्किंग सुविधाओं/स्थानों/सड़कों के उपयोग के लिए भुगतान करना होगा।
- ii. **पार्किंग की उपलब्धता को युक्तिसंगत बनाना:** किसी एक क्षेत्र विशेष के अंदर (सड़क-पर और सड़क से इतर) (ऑन-स्ट्रीट और ऑफ-स्ट्रीट) सार्वजनिक पार्किंग की उपलब्धता और एक उपयोग परिसर के अंदर ईसीएस संबंधी मानदंडों को सार्वजनिक परिवहन पहुंच स्तर (पीटीएएल) और पार्किंग के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के अनुसार युक्तिसंगत बनाया जाएगा।
- iii. **पार्किंग का मूल्य निर्धारण:** पार्किंग शुल्क का उपयोग, ऑन-स्ट्रीट पार्किंग की मांग को कम करने और ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग (विशेष रूप से-मल्टी लैवल कार पार्किंग-एमएलसीपी) के उपयोग को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। भीड़भाड़ संबंधी मूल्य निर्धारण (कंजेशन प्राइसिंग) (अधिक पार्किंग शुल्क

- लगाकर) का उपयोग अधिक सार्वजनिक परिवहन (पीटी) की पहुंच वाले और/या अधिक वाहनों की संख्या वाले क्षेत्रों (व्यावसायिक क्षेत्रों, मिश्रित-उपयोग सड़कों, कार्य केंद्रों आदि) की भीड़ को कम करने में किया जाएगा।
- iv. **पार्किंग का अधिकतम उपयोग:** पार्किंग स्थानों को साझा संसाधन मानकर पार्किंग सुविधाओं और कैप्टिव समतुल्य कार स्थान(ईसीएस) का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। पार्किंग की मांग की व्यवस्था करने और पार्किंग कारोबार को बढ़ाने हेतु विभिन्न उपयोगों के लिए अंतरकालिक व्यस्त घंटों का भी पता लगाया जा सकता है। मैकेनाइज्ड स्टैक पार्किंग का उपयोग करके ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग स्थलों की पार्किंग क्षमता बढ़ाई जा सकती है
- v. **सभी परिवहन साधनों के लिए पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था:** शहर में पार्किंग की आपूर्ति हेतु न केवल पीएमवी के लिए पार्किंग मांग पर बल्कि अन्य साधन जैसेकि उपयोगी सेवाओं वाले और आपातकालीन वाहन, साझा साधन (आईपीटी, फीडर मोड, आदि) माल वाहन, साइकिल आदि के लिए पार्किंग मांग पर भी विचार किया जाएगा।

12.3 पार्किंग प्रबंधन क्षेत्र योजना (पीएमएपी)

- 12.3.1 किसी क्षेत्र/इलाके में पार्किंग की उपलब्धता और/अथवा प्रबंधन के लिए दिल्ली पार्किंग स्थल के रखरखाव और प्रबंधन नियम, 2019 के अनुरूप एक व्यापक क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
- 12.3.2 पार्किंग प्रबंधन क्षेत्रों (पीएमए) का मांग प्रबंधन, उपलब्ध पार्किंग को विनियमित करने और इससे जुड़ी आर्थिक लागत को कम करने हेतु पार्किंग संबंधित हस्तक्षेप को कार्यान्वित करने के लिए परिसीमांकन किया जाएगा। पीएमए की पहचान और परिसीमन संबंधित निकायों द्वारा स्थानीय निवासियों, बाजार संघों, ट्रैफिक पुलिस, जीएनसीटीडी के परिवहन विभाग आदि से परामर्श करके किया जाएगा।
- 12.3.3 पार्किंग प्रबंधन क्षेत्रों के लिए पार्किंग प्रबंधन क्षेत्र योजनाएं (पीएमएपी) तैयार की जाएंगी। इन योजनाओं में पार्किंग प्रबंधन के लिए कार्यनीतियाँ, पार्किंग प्रभार, आईटीएस अनुप्रयोग और योजना का प्रवर्तन शामिल होंगे।

- 12.3.4 सरकार द्वारा निर्दिष्ट पीएमए के लिए, जीएनसीटीडी का परिवहन विभाग सड़क-स्वामित्व रखने वाली एजेंसियों और स्थानीय हितधारकों से परामर्श करके पीएमएपी तैयार करने के लिए मुख्य एजेंसी होगा। पीएमए के परिसीमन की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए विशेषज्ञ/परामर्शी फर्म/संस्थाओं को नियोजित किया जा सकता है, साथ ही साथ, आरडब्ल्यूए, बाज़ार संघ, परिवहन प्रचालक और/या व्यापार संघ इत्यादि एक चिन्हित क्षेत्र के लिए पीएमएपी की तैयारी कर सकते हैं।
- 12.3.5 बीपीडी, टीओडी, आदि जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्रों के लिए, पीएमएपी को उनकी संबंधित सुधार योजनाओं, पुनरूद्धार योजनाओं, आईजैडपी आदि के साथ एकीकृत किया जाएगा।

12.4 सार्वजनिक पार्किंग का प्रबंधन

- 12.4.1 सार्वजनिक पार्किंग में सभी अधिकृत ऑन-स्ट्रीट और ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग शामिल होती हैं, जिसमें मल्टी लेवल कार पार्किंग (एमएलसीपी) शामिल है और जो शहर भर के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय निकायों/निजी संस्थाओं द्वारा तथा स्टेशनों के पास परिवहन एजेंसियों द्वारा मुहैया करवाई जाती है। उच्च सार्वजनिक परिवहन उपलब्धता स्तर (पीटीएएल) और ट्रैफिक की भीड़ वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्किंग की उपलब्धता को बहुत अधिक पार्किंग शुल्क के माध्यम से विनियमित किया जाएगा और व्यक्तिगत वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित किया जाएगा।
- 12.4.2 समस्त सार्वजनिक पार्किंग को निर्धारित मानकों और दिशा-निर्देशों के अनुसार डिजाइन किया जाएगा और दिव्यांगजनों के लिए पार्किंग-सुविधा निःशुल्क होगी।
- 12.4.3 खुले क्षेत्रों (टॉट-लॉट, पार्क, खेल के मैदान) और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (नदियां, झीलें, बाढ़ के मैदान, जंगल, रिज आदि) या सार्वजनिक लाभ के साथ किसी अन्य प्रकार के खुले स्थान का उपयोग पार्किंग (सतह / भूमिगत / बहु-स्तरीय) के विकास के लिए नहीं किया जाएगा।

12.4.4 सार्वजनिक पार्किंग के लिए पार्किंग शुल्क बदलता रहेगा तथा शहर भर में और अलग-अलग समय पर परिवर्तनशील दरें लागू होंगी ताकि पार्किंग की मांग को स्थानिक रूप से बांटा जा सके। संबंधित एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि अधिक गतिविधि और भीड़भाड़ वाली सड़कों पर अन्य स्थानों से अधिक शुल्क लगाया जाए। हरित ईंधन वाले वाहनों के लिए इन शुल्कों पर छूट (सब्सिडी) दी जा सकती है।

12.4.4.1 दिल्ली के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के अनुसार गंभीर प्रदूषण के दौरान वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए पार्किंग शुल्क अस्थायी रूप से बढ़ाया जा सकता है -पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।

12.4.5 ऑन-स्ट्रीट (सड़क पर) पार्किंग का प्रावधान

- i) ऑन-स्ट्रीट पार्किंग इस तरह प्रदान की जाएगी कि यह पैदल चलने वालों और वाहनों के संचलन में बाधा न बने। 'पार्किंग' और 'नो-पार्किंग' क्षेत्र स्पष्ट रूप से सीमांकित किए जाएंगे तथा ऑन-स्ट्रीट पार्किंग को उपयुक्त साइनेज और फुटपाथ चिह्नों का उपयोग करके दिखाया जाएगा। स्थान का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए, कोणीय/लंबवत पार्किंग की तुलना में समानांतर ऑन-स्ट्रीट पार्किंग को तरजीह दी जाएगी।
- ii) ऑन-स्ट्रीट पार्किंग, अस्पतालों और स्कूलों, सरकारी कार्यालयों इत्यादि जैसे अधिक आवाजाही वाले स्थानों के निकट उपलब्ध कराई जाएगी, ऐसे प्लाटों के अंदर पर्याप्त पिक अप/ड्रॉप ऑफ की व्यवस्था की जाएगी।
- iii) ऑन-स्ट्रीट पार्किंग के सभी स्थानों पर दो-पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए उचित स्थान-आवंटन किया जाएगा।
- iv) व्यक्तिगत मोटर वाहनों के लिए ऑन-स्ट्रीट सार्वजनिक पार्किंग निम्नलिखित स्थानों पर प्रदान नहीं की जाएगी:
 - क) 12 मी. से कम और 60 मी. से अधिक मार्गाधिकार वाली सड़कों पर। अनियोजित क्षेत्रों के लिए इसमें छूट दी जा सकती है।

- ख) किसी भी ट्रांजिट स्टेशन/हब जैसे मेट्रो स्टेशन, आरआरटीएस स्टेशन, उपनगरीय रेल स्टेशन, आईएसबीटी आदि से 250 मीटर की दूरी तक।
 - ग) पूरी तरह पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित सड़कों पर।
 - घ) आग के खतरों से बचने के लिए फ्लाइओवर और ओवरपास के नीचे।
- v) मौजूदा एमएलसीपी से 1000 मीटर की दूरी के अंदर ऑन-स्ट्रीट सार्वजनिक पार्किंग को हतोत्साहित किया जाएगा और इस पर लगा शुल्क एमएलसीपी से अधिक होगा।
- vi) **आवासीय क्षेत्रों में ऑन-स्ट्रीट पार्किंग:** इसका उद्देश्य आवासीय क्षेत्रों में समस्त ऑन-स्ट्रीट पार्किंग को धीरे-धीरे समाप्त करना है और इस स्थान को सार्वजनिक साझे स्थान के रूप में पुनः प्राप्त करना है, इलाके को सुरक्षित और अधिक जीवंत बनाना है। आवासीय क्षेत्रों के पुनरूद्धार से संपत्ति परिसर के अंदर पार्किंग का पुनर्गठन और पार्किंग की जरूरतों को समायोजित किया जा सकेगा। ऑन-स्ट्रीट आवासीय पार्किंग को विनियमित करने के लिए निम्नानुसार एक चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है:
- क) आवासीय कॉलोनियों/इलाकों के लिए, आरडब्ल्यूए पार्किंग की मांग का आकलन करने के बाद ऑन-स्ट्रीट पार्किंग के लिए क्षेत्रों को चिह्नित करने हेतु पीएमएपी तैयार कर सकते हैं। स्टैक पार्किंग के उपयोग से पार्किंग की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है।
 - ख) स्थानीय निकाय किसी क्षेत्र के निवासियों/आरडब्ल्यूए को सार्वजनिक ऑन-स्ट्रीट पार्किंग स्थान के उपयोग के लिए पार्किंग परमिट को पट्टे पर देने की प्रणाली पर विचार कर सकते हैं।
 - ग) नए वाहनों के पंजीकरण को वाहन-मालिक के पास पार्किंग सुविधाओं की उपलब्धता के साथ जोड़ने की नीति पर भी विचार किया जा सकता है।

12.4.6 ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग का प्रावधान:

ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग की सुविधा मुख्यतः दुकानदार, ऑफिस जाने वाले व्यक्तियों, सार्वजनिक परिवहन के उपयोगकर्ता, आदि जैसे उपयोगकर्ताओं की

लंबी अवधि तक पार्किंग करने की जरूरत को पूरा करती है। जहाँ भी संभव हो, ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग समाधान (सतह पार्किंग, छत पार्किंग, स्टैक पार्किंग, बहु-स्तरीय कार पार्किंग और भूमिगत पार्किंग) अपनाए जाएंगे।

- क) ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग की सुविधा विकसित करने में बड़ी मात्रा में भूमि और पूंजी लगती है और यह विकास कार्य सभी संबंधित एजेंसियों/हितधारकों से परामर्श करके और आम सहमति से ही किया जाएगा। इसे पीपीपी आधार पर विकसित किया जा सकता है।
- ख) ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग क्षेत्र/सुविधा अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों इत्यादि जैसे अधिक आवाजाही वाले स्थानों के निकट उपलब्ध कराई जाएगी ताकि पार्किंग की जरूरत को पूरा किया जा सके। जहां भी संभव हो, ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग क्षेत्र/सुविधा के निकट स्थित भवनों के लिए सीधी पहुँच प्रदान की जाएगी।
- ग) ऑफ स्ट्रीट पार्किंग ई-बाईक्स और साइकिल युक्त पीबीएस और आईपीटी तथा टैक्सी के लिए पार्किंग जैसी सुविधाओं से सम्पन्न हो सकती है।

अधिसूचित टीओडी नोड के मामले में, ऑफ-स्ट्रीट सार्वजनिक पार्किंग सुविधा अधिमानतः गहन विकास क्षेत्र के बाहर 'पार्क एंड राइड' की सुविधा के रूप में दी जाएगी।

- घ) एमएलसीपी के निर्माण को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, सकल तल क्षेत्र का 25% तक व्यावसायिक / कार्यालय स्थान के लिए उपयोग किया जाएगा। अनुमेय व्यावसायिक / कार्यालय स्थान से उत्पन्न पार्किंग की मांग एमएलसीपी के कुल समतुल्य कार स्थान (ईसीएस) के 25% तक सीमित होगी।
- ड) सतह पार्किंग के तहत क्षेत्र का 80% हिस्सा पानी सोखने वाली सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

12.5 निजी पार्किंग का प्रबंधन

12.5.1 निजी पार्किंग निजी स्वामित्वाधीन संपत्तियों के परिसर में की जाती है। यह पार्किंग मानकों के अनुसार होती है जो प्रत्येक उपयोग परिसर के लिए

निर्धारित है (देखें: डीसीएन)। पार्किंग मानक को समतुल्य कार स्थान (ईसीएस) के रूप में निर्धारित किया गया है और इसमें सभी प्रकार के वाहनों अर्थात् कार, स्कूटर, साइकिल, हल्के और भारी व्यावसायिक वाहन, बस आदि के लिए पार्किंग शामिल है।

12.5.2 डीसीएन में निर्धारित पार्किंग मानदंड, निम्नलिखित शर्तों के अधीन युक्तिसंगत बनाए जाएंगे:

- i) यदि कोई संपत्ति किसी एमएलसीपी के 500 मीटर के दायरे में स्थित है, तो उस परिसर/संपत्ति के लिए पार्किंग संबंधी आवश्यकता (ईसीएस) 10 प्रतिशत कम कर दी जाएगी। यह विशेष रूप से आवासीय संपत्तियों पर लागू नहीं होगा (अर्थात् यह व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग वाली सड़कों पर लागू होगा)। एमएलसीपी कटौती के लिए, प्लॉट क्षेत्र का कम से कम 50% हिस्सा निर्धारित दूरी के अंदर आएगा।
- ii) सार्वजनिक परिवहन उपलब्धता स्तर (पीटीएएल) मूल्य के आधार पर, डीसीएन के अनुसार पार्किंग मानदंड निम्नलिखित लागू प्रतिशत कटौती के अनुसार कम किए जाएंगे:

तालिका 12.0: पीटीएएल के अनुसार पार्किंग मानदंड में प्रतिशत कटौती

पीटीएएल	उपलब्धता सूचकांक रेंज	आवासीय	व्यावसायिक	औद्योगिक	पीएसपी
0 (निकृष्ट)	0 - 2	0	0	0	0
1	2 - 3	0	0	0	0
2	3 - 5.5	10	5	5	10
3	5.5 - 7	20	10	10	20
4	7 - 8.5	20	20	20	20
5	8.5 - 12	20	20	20	30
6	12 - 20	20	30	30	30
7	20 - 30	30	30	30	30
8	30 और उससे ऊपर	30	30	30	30

- क) पीटीएएल कटौती प्लॉट के उपलब्धता सूचकांक रेंज (एक्सेस इंडेक्स रेंज) के अनुसार होगी।
- ख) बहुल उपलब्धता सूचकांक रेंज में आने वाले प्लॉटों के लिए, प्लॉट पर अधिकतम क्षेत्र के उपलब्धता सूचकांक रेंज की कटौतियाँ लागू होगी।

12.5.3 अधिसूचित टीओडी नोड के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र के लिए, टीओडी नीति के अनुसार ईसीएस मानदंड लागू होंगे। (देखें: डीईवी 4)

12.6 अन्य परिवहन-साधनों के लिए पार्किंग का नियमन

12.6.1 माल वाहन: माल की आवाजाही थोक बाजारों की अवस्थिति, उत्पाद/ मद् के प्रकार, मौजूदा वितरण प्रणाली आदि से निकटता से जुड़ी हुई है। संबंधित स्थानीय निकायों/एजेंसियों द्वारा माल वाहनों की पार्किंग के लिए व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों, आईएफसी, आईसीडी आदि के पास पर्याप्त क्षेत्र की पहचान की जाएगी। प्रतिबंधित प्रवेश समय के दौरान, माल/माल-दुलाई वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था टोल गेट/प्लाजा के बाहर की जाएगी।

i) ई-कॉमर्स के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों की पार्किंग संबंधित ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा वेयरहाउसिंग और वितरण सुविधा-केंद्र में प्रदान की जाएगी।

12.6.2 साझे परिवहन साधन (मोड): सभी अधिकृत पार्किंग क्षेत्रों में आईपीटी, निजी बसें, टैक्सी आदि जैसे साझा मोड की पार्किंग को प्राथमिकता दी जा सकती है।

i) सभी एमएमआई योजनाएं साझे परिवहन साधन की छोटी अवधि की पार्किंग के लिए और ड्रॉप-ऑफ एवं पिक-अप क्षेत्रों के लिए पर्याप्त प्रावधान करेंगी।

12.6.3 बसें: सभी बसों को उनके निर्धारित डिपो में पार्क किया जाएगा। यदि इन बस डिपो की क्षमता मौजूदा या भावी मांग के लिए अपर्याप्त है, तो इन डिपो को बहु-स्तरीय पार्किंग में परिवर्तित किया जा सकता है। अंतरराज्यीय बसों के लिए, आईएसबीटी के अंदर पर्याप्त निष्क्रिय पार्किंग प्रावधान किया जाएगा।

12.6.4 स्कूल परिवहन: दिल्ली के अधिकतर स्कूलों में अपने परिसर के अंदर स्कूल परिवहन (बसों और वैन) की पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। इन वाहनों को सड़कों के कैरिजवे पर पार्क किया जाता है, जिससे वाहनों की भीड़-भाड़ हो जाती है और बच्चों के लिए असुरक्षित स्थितियां पैदा हो जाती हैं। इस समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की जाती है:

i) सभी मौजूदा और नए स्कूल अपने परिसर के अंदर स्कूल परिवहन के पिक-अप, ड्रॉप-ऑफ और पार्किंग के लिए स्थान प्रदान करेंगे।

12.7 चारदीवारी शहर (वाल्ड सिटी) में पार्किंग

12.7.1 संबंधित स्थानीय निकाय चारदीवारी शहर के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के लिए पीएमएपी तैयार करेंगे ताकि भीड़ का कुछ समाधान हो सके, पैदल चलने वालों के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सके और मोटर चालित वाहनों की आवाजाही कुछ सड़कों/क्षेत्रों तक सीमित की जा सके।

12.8 स्मार्ट पार्किंग स्थल प्रबंधन

12.8.1 उपयोगकर्ताओं को ऑन-स्ट्रीट और ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग सुविधाओं की क्षमता और अधिभोग, निकटतम उपलब्ध पार्किंग स्थल(लों) और शुल्क की वास्तविक समय में तत्काल जानकारी देने के लिए स्मार्ट एप विकसित किए जा सकते हैं। सभी ऑफ-स्ट्रीट सुविधाएं पार्किंग स्थलों की उपलब्धता दिखाने के लिए अपने प्रवेश द्वारों पर डिजिटल डिस्प्ले करेंगी।

12.8.2 ऐप-आधारित प्लेटफॉर्म एक साझा संसाधन के रूप में पार्किंग (निजी स्वामित्व वाली पार्किंग स्थानों सहित) के उपयोग की सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं।

12.8.3 शहर भर में कई कबाड़ वाहनों को पार्क किया/छोड़ दिया जाता है, और वे सड़क के किनारे की अपर्याप्त जगह घेर लेते हैं। स्थानीय निकाय और ट्रैफिक पुलिस यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे वाहनों को एक निश्चित समय सीमा के अंदर कबाड़घर ले जाया जाए।

खंड 6

भौतिक अवसंरचना

पृष्ठभूमि और प्रमुख नीतिगत सरोकार

जल आपूर्ति:

दिल्ली में जल आपूर्ति एवं वितरण को प्रमुख तौर पर दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा प्रबंधित किया जाता है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली छावनी के तहत आने वाले क्षेत्रों में, डीजेबी पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति करता है, जबकि एनडीएमसी और दिल्ली छावनी वितरण का प्रबंधन करता है। वितरण प्रणाली द्वारा कवर नहीं किए जाने वाले क्षेत्रों में, डीजेबी टैंकर सेवा के माध्यम से पानी की आपूर्ति करता है।

दिल्ली एक पानी की कमी वाला शहर है, और जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि पानी की बेकार खपत एवं पानी की प्रणालीगत हानि के कारण भी उपलब्ध जल संसाधनों पर दबाव कई गुना बढ़ गया है। भूजल स्तर में निरंतर गिरावट देखी गई है, यमुना नदी में भारी प्रदूषण और पूरी दिल्ली में अक्सर जलभराव के उदाहरण देखने को मिले हैं। झीलें और अन्य जल निकाय, पुनर्भरण संरचनाओं के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, वर्षा जल के अधिकांश हिस्से का संचयन नहीं किया जाता है, सीमित सीवरेज नेटवर्क उत्पन्न अपशिष्ट जल के प्रवाह को प्रतिबंधित करता है, और शोधित अपशिष्ट जल का न्यूनतम पुनःउपयोग किया जाता है। चूंकि दिल्ली मीठे पानी के लिए मुख्य रूप से बाहरी स्रोतों पर निर्भर है, मांग में निरंतर वृद्धि से भविष्य में आपूर्ति पर असर पड़ सकता है। शहर की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कुछ दीर्घकालिक संभावनाएं हैं, जिनकी खोज अंतर-राज्य समझौतों के माध्यम से कच्चे पानी की प्राप्ति हेतु संबंधित प्राधिकरणों द्वारा की जा सकती है। दिल्ली तेजी से लगातार पानी की कमी के चिंताजनक स्तर की ओर बढ़ रही है और दिल्ली में जल सुरक्षा की प्राप्ति हेतु वर्तमान आपूर्ति-उन्मुख जल प्रबंधन दृष्टिकोण को फिर से नियोजित करने की आवश्यकता है।

स्थिरता के दृष्टिकोण से दिल्ली के लिए जल सुरक्षा, जल और जल से संबंधित पर्यावरणीय सेवाओं का कार्य होगी। दिल्ली के लिए एक एकीकृत शहरी जल प्रबंधन (आईयूडब्लूएम) दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है जहां शहरी जल चक्र में जल-संबद्ध-आधारिक संरचना रखने के लिए जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल प्रबंधन और बरसाती जल निकासी को आपस में जोड़ा जाएगा। सतही जल, वर्षा जल, अपशिष्ट जल और भूजल

यहाँ पानी के चार पहुँच बिंदु माने जाते हैं, जिन्हें एक साथ प्रबंधित करना होता है। मुख्य फोकस सतही जल और भूजल पर कम से कम निर्भर होने और दिल्ली के भविष्य की पानी की जरूरतों के लिए पानी के गैर-पारंपरिक स्रोतों की संभावना को पहचानना है। सतही जल और भूजल पर निर्भरता को कम करने और दिल्ली की भविष्य की पानी की जरूरतों के लिए पानी के गैर-पारंपरिक स्रोतों की क्षमता को साकार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एकीकृत शहरी जल प्रबंधन दृष्टिकोण, कुशल जल उपयोग को अधिकतम करता है।

दिल्ली की अनुमानित जल की मांग इस प्रकार है:

वर्ष	जनसंख्या (मिलियन)	माँग मानदंड* (जीपीसीडी)	सभी स्रोतों से उपलब्धता (एमजीडी)	कुल मांग (एमजीडी)	कमी (एमजीडी)
2020	19	60	935	1140	141
2041	29.1	60	-	1746	-
2041	29.1	50	-	1455	-

*इसमें घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक मांग शामिल है और अग्नि शमन सेवाओं की मांग भी शामिल हैं।

हालांकि, दिल्ली में कच्चे पानी की सीमित उपलब्धता के कारण, डीजेबी का लक्ष्य घरेलू उपयोग के लिए पीने योग्य पानी की मांग को युक्तिसंगत बनना है, जिसे धीरे-धीरे 50 जीपीसीडी (225 एलपीसीडी) तक कम करने की आवश्यकता है, तथा वांछित गुणवत्ता वाले गैर-पीने योग्य पानी का उपयोग गैर-पीने योग्य प्रयोजनों के लिए पूरक है। औद्योगिक और बागवानी/उद्यानिकी/कृषि उद्देश्यों के लिए पानी की मांग को वांछित गुणवत्ता मानकों वाले पुनर्नवीनीकरण अपशिष्ट से पूरा किया जाना चाहिए। 50 जीपीसीडी की दर से 29.1 मिलियन की अनुमानित आबादी के लिए पीने के पानी की मांग 1455 एमजीडी के लगभग होती है।

अपशिष्ट जल प्रबंधन:

दिल्ली में, अपशिष्ट जल का प्रबंधन सीवेज वितरण नेटवर्क प्रणाली और सेप्टिक टैंक के रूप में ऑनसाइट स्वच्छता प्रणाली दोनों द्वारा किया जाता है। डीजेबी स्वच्छता नेटवर्क की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए जिम्मेदार है, जिसमें अपशिष्ट जल का संग्रहण, शोधन और निपटान शामिल है। अनुमानतः दिल्ली के 45 प्रतिशत हिस्से में सीवेज प्रणाली नहीं

है और शेष क्षेत्र से उत्पन्न सीवेज, कई सतही नालों के माध्यम से बहकर नदी में चला जाता है। हालांकि, नियोजित क्षेत्रों के अलावा, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में भी सीवर लाइनों का विस्तार कर रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली और अन्य कीचड़ (स्लज) प्रबंधन प्रणालियों की भी योजना बनाई है, ताकि नालों में अशोधित सीवेज को डंप होने से रोका जा सके। ऐसे क्षेत्रों में जहां सीवर लाइन बिछाना संभव नहीं है वहां डीजेबी, नदी में बहने से पहले 242 एमजीडी अशोधित बहिस्त्राव को रोकता है और इसे शोधित करने के लक्ष्य के साथ इंटरसेप्टर सीवर प्रोजेक्ट (आईएसपी) की एक समानांतर प्रणाली के माध्यम से 108 उप-नालों से अशोधित बहिस्त्राव को एकत्र करने की योजना बना रहा है।

बढ़ती आबादी और पानी की मांग में बढ़ोतरी के साथ, वर्ष 2041 तक कुल अपशिष्ट जल के लगभग 1200 एमजीडी होने की उम्मीद है। मौजूदा शोधन क्षमता लगभग 597 एमजीडी है जिसे पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना है, तथा प्लॉट/स्कीम स्तर पर विकेंद्रीकृत शोधन के लिए कार्यनीतियों को लागू करके केन्द्रीकृत शोधन प्रणाली पर भार को काफी हद तक कम किया जा सकता है। पानी की आपूर्ति-मांग के बीच अंतर को कम करने के लिए शोधित अपशिष्ट जल का शोधन और पुनःउपयोग भी एक संभावित अवसर है।

जलनिकासी: दिल्ली की जलनिकासी की संरचना को अरावली तलहटी और इससे जुड़े विस्तारों द्वारा एक बड़े पैमाने पर परिभाषित किया गया है। इन प्रभावों के तहत, पश्चिम में अधिक ऊंचाई से पूर्व में यमुना की ओर एक पूर्वी बरसाती जल की गतिविधि को इंगित किया गया है। दिल्ली को छह जलनिकासी जोनों (क्षेत्रों) में सीमांकित किया गया है, नामतः (i) उत्तरी (नॉर्थ) जोन, (ii) पश्चिमी जोन, (iii) सेंट्रल उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्वी जोन, (iv) सेंट्रल दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जोन, (v) पूर्वी जोन, और (vi) दक्षिण जोन। ग्यारह विभिन्न एजेंसियां नामतः सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, लोक निर्माण विभाग, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं आधारीक संरचना विकास निगम, दिल्ली छावनी, नैशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लिमिटेड और यूपी सिंचाई, दिल्ली के संपूर्ण शहरी विस्तार से निकलने वाले बरसाती जल प्रवाह की स्वयं व्यवस्था करते हैं और इसका प्रबंधन करते हैं, जो कि लगभग 426.55 किमी की

प्राकृतिक जल निकासी लाइनों और लगभग 3,311.54 किमी वाले मानवनिर्मित बरसाती जल नालों के माध्यम से प्रवाहित होती है।

शहर के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की स्थिति को कम करने के लिए, बरसाती जलनिकासी के बुनियादी ढांचे को कुशल बनाया जाना है। इसलिए, अकुशल जलनिकासी की अवसंरचना को दूर करने के लिए सुधारात्मक स्थानिक कार्यनीतियों को लागू करना और कम लागत वाले बाढ़-रोकथाम के उपायों को लागू करना उचित है, जैसे कि जलनिकायों का पुनर्नवीकरण, वर्षा जल संचयन हेतु पार्कों का उपयोग करना आदि। इसके अलावा, ठोस अपशिष्ट और सीवेज का प्रबंध करने की आवश्यकता है, ताकि बरसाती जल का प्रवाह अवरुद्ध न हो सके।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस.डब्ल्यू.एम.):

दिल्ली में ठोस अपशिष्ट सृजन की प्रवृत्ति पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का प्रबंधन स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों ने दिल्ली को 12 जोन में वर्गीकृत किया है। गैर-नगरीय अपशिष्ट/कचरे में ई-अपशिष्ट (ई-वेस्ट) (बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी अपशिष्ट), बायोमैडिकल अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट और निर्माण व ढहाए गए निर्माण (सीएंडडी) अपशिष्ट शामिल हैं। दिल्ली में गैर-नगरीय अपशिष्ट को उसके प्रबंधन की निगरानी के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा प्राधिकृत इकाइयों में प्रोसेस (प्रसंस्कृत) किया जाता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु पृथक नियमों को अधिसूचित किया है, जिन्हें कड़ाई से लागू किया जाएगा।

दिल्ली में, अपशिष्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) है। शहर में उत्पन्न होने वाले एमएसडब्ल्यू का लगभग 55% हिस्सा 3 सेनेटरी लैंडफिल साइट्स (एसएलएफ) में डाला जाता है। दिल्ली की न्यून एसडब्ल्यूएम दक्षता, यहां होने वाले कम अपशिष्ट पृथक्करण और निम्न पुनःचक्रण (प्रसंस्करण) दक्षता का परिणाम है। प्रति व्यक्ति अपशिष्ट सृजन की वर्तमान प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, शहर में उत्पन्न नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) की कुल मात्रा वर्ष 2041 तक 12,350 टीपीडी से बढ़कर 18,915 टीपीडी होने का अनुमान है।

वर्ष	जनसंख्या (मिलियन)	उत्पन्न एमएसडब्ल्यू (@650 ग्राम/प्रति व्यक्ति)	संगृहीत (टीपीडी)	अपशिष्ट (टीपीडी)	वर्तमान प्रसंस्करण क्षमता (टीपीडी)	लैंडफिल के लिए भेजा गया अपशिष्ट (टीपीडी)
2020	19	12,350	10,500 (कार्यक्षमता)	(85%)	45%	4,725
2041	29.1	18,915	-	-	-	-

नगर निगम, अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु विभिन्न पद्धतियां अपनाते हैं, दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आधारिक संरचना का विहंगावलोकन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	सुविधा	स्थान	क्षमता	इनके द्वारा प्रबंधित
1.	कंपोस्टिंग प्लांट्स	1. ओखला	200 टीपीडी	आईएल एवं एफएस
		2. बवाना	700 टीपीडी	डीएमएसडब्ल्यूएसएल के माध्यम से नॉर्थ डीएमसी
2.	ऊर्जा संयंत्रों के लिए अपशिष्ट	1. बवाना	1500 टीपीडी	नॉर्थ डीएमसी
		2. ओखला	1800 टीपीडी	एसडीएमसी
		3. गाजीपुर	1300 टीपीडी	ईडीएमसी
3.	सीएंडडी प्रोसेसिंग प्लांट्स	1. बुराड़ी	2000 टीपीडी	नॉर्थ डीएमसी
		2. शास्त्री पार्क	500 टीपीडी	ईडीएमसी
		3. रानीखेड़ा	150 टीपीडी	डीएमआरसी
4.	लैंडफिल	1. भलस्वा	70 एकड़	नॉर्थ डीएमसी
		2. गाजीपुर	70 एकड़	ईडीएमसी
		3. ओखला	46 एकड़	एसडीएमसी

लैंडफिल साइटें पहले ही अपनी क्षमता से अधिक भर चुकी हैं, जिसका प्रभाव शहर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आधारिक संरचनाओं पर पड़ेगा। प्रति व्यक्ति अपशिष्ट सृजन को कम करने, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण क्षमता में बढ़ोतरी करके और विकेंद्रीकृत प्रबंधन के लिए कार्यनीतियों पर ध्यान दिया जाएगा।

विद्युत आपूर्ति, संचार एवं गैस अवसंरचना:

विद्युत आपूर्ति का दिल्ली में चार विस्तृत श्रेणियों के अंतर्गत प्रबंधन किया जाता है - उत्पादन, होल्डिंग (धारण), ट्रांसमिशन और वितरण। दिल्ली में वर्ष 2016-17 के दौरान प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 1561 यूनिट प्रति वर्ष से अधिक रही है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1122 यूनिट है। दिल्ली के बिजली उपयोग पैटर्न के वर्गीकरण के अनुसार यह खपत घरेलू उपयोग के लिए 52% है, इसके बाद वाणिज्यिक उपयोग के लिए 26%, औद्योगिक उपयोग के लिए 12%, तथा अन्य उपयोगों के लिए 10% (कृषि/लैंडस्केप रखरखाव/परिवहन अवसंरचना रखरखाव आदि) है। दिल्ली की अधिकतम मांग पिछले 10

वर्षों में दोगुनी हो गई है, जो शहर की आबादी की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में बिजली पारेषण नेटवर्क में चार 400 केवी और छत्तीस 220 केवी सबस्टेशन शामिल हैं। मौजूदा नेटवर्क में दिल्ली की परिधि के चारों ओर 400 केवी रिंग शामिल है, जो पूरे शहर में फैले 220 केवी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में दिल्ली में सालाना बिजली खपत 30,197 एमयूएस है। कुल इंस्टाल्ड क्षमता 7479.01 एमडब्ल्यू है और कुल इंस्टाल्ड क्षमता में से 78% बिजली खरीदी जाती है, जबकि शेष 22% इंस्टाल्ड क्षमता दिल्ली के भीतर है। मौजूदा इंस्टाल्ड क्षमता का कम्पोजिशन कोयला (59%), गैस (28%), हाइड्रो (10%) और सौर (3%) जैसे उत्पादन स्रोतों द्वारा संचालित है।

रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन (आरपीओ), और साथ ही राज्य स्तरीय सौर नीति 2016 के माध्यम से अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति, वर्ष 2022 तक नवीकरणीय स्रोतों से लगभग 20% बिजली की खपत को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है। एमएनआरई द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में दिल्ली को वर्ष 2041 तक नवीकरणीय स्रोतों से अपनी बिजली की खपत लगभग 50.5%¹ प्रतिशत तक पूरी करनी है। विद्युत विभाग द्वारा इंगित किए गए रुझानों के अनुसार, वर्ष 2041 तक बिजली की खपत की मांग 63,389 एमयू तक पहुंचने का अनुमान है। अधिकतम मांग क्रमशः तिगुनी और 19,070 मेगावाट तक बढ़ने की संभावना है। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि कुल इंस्टाल्ड क्षमता को भी 21,930 मेगावाट (अनुमानित अधिकतम मांग के लगभग 15%) तक दो गुना बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

वर्ष	जनसंख्या (मिलियन)	बिजली की खपत की मांग (एमयू)	अधिकतम मांग (एमडब्ल्यू)	कुल मिलाकर इंस्टाल्ड क्षमता (एमडब्ल्यू)
2019	19	33,082	7,409	7,901
2031	24.7	47,167*	12,269**	14,110
2041	29.1	63,389*	19,070**	21,930

*बिजली की खपत वृद्धि दर को 3 प्रतिशत मानकर

डिजिटल अवसंरचना और सेवाएं दिल्ली के विकास के लिए मुख्य शक्ति के रूप में तेजी से उभर रही हैं। आईसीटी और इंटरनेट के व्यापक रूप से फैले उपयोग ने महत्वपूर्ण रूप

¹ वर्ष 2030 तक 450 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा इंस्टाल्ड क्षमता के एमएनआरई, भारत सरकार के लक्ष्य अनुमान के आधार पर।

से ज्यादातर ऐप-आधारित अर्थव्यवस्था और सेवाओं को संचालित किया है। सार्वजनिक एजेंसियों के अलावा, निजी क्षेत्र इस शहर की सेवा में एक बड़ी भूमिका निभाता है। दिल्ली को राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 और भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 (टेलीग्राम राइट ऑफ वे रूल्स 2016) के अनुपालन में अपने दूरसंचार संबंधी आधारीक संरचनात्मक ढांचे और लक्ष्यों को संरेखित करने की आवश्यकता है।

वर्ष 2019 में, दिल्ली में 57 मिलियन टेलीकॉम कनेक्शन थे, जिसमें से 54 मिलियन वायरलेस कनेक्शन्स हैं जो निजी और सरकारी एजेंसियों, दोनों द्वारा प्रदान किए गए थे। सार्वजनिक क्षेत्र (एमटीएनएल) में वायरलाइन कनेक्शन का लगभग 46% हिस्सा और वायरलेस कनेक्शन का केवल 4.3% हिस्सा है। दिल्ली के एनसीटी की कुल टेली-घनत्व देश के लिए समग्र टेली-घनत्व के मुकाबले राष्ट्रीय स्तर के औसत 254.49 से काफी अधिक है जो 91.64 है। दिल्ली में करीब 32 मिलियन इंटरनेट ग्राहक हैं जो दूरसंचार टावरों के व्यापक नेटवर्क द्वारा समर्थित हैं, जिनमें से अधिकांश निजी तौर पर प्रबंधित हैं।

गैस अवसंरचना: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए नेटवर्क बिछाने के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) प्राधिकृत और जिम्मेदार है। प्राकृतिक गैस का व्यापक रूप से परिवहन क्षेत्र द्वारा संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के रूप में, घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों द्वारा पाइपड नैचुरल गैस (पीएनजी) के रूप में और उद्योगों द्वारा आर-एलएनजी आपूर्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। विभिन्न रूपों में प्राकृतिक गैसों के उपयोग से दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में काफी कमी आएगी। दिल्ली के कुल घरों का लगभग 25% पाइपड गैस नेटवर्क द्वारा जुड़ा हुआ है। हालांकि, 50% से अधिक दिल्ली, एनसीटी को आईजीएल द्वारा पीएनजी नेटवर्क में वृद्धि के लिए तकनीकी रूप से अयोग्य चिन्हित माना गया है।

वर्ष 2030 तक, केन्द्र सरकार का लक्ष्य भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है इस प्रकार ऊर्जा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6% से 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसी क्रम में दिल्ली पीएनजी और सीएनजी जैसे स्वच्छ ईंधन के उपयोग पर अधिक जोर देगी, और प्रदूषणकारी ईंधन के उपयोग को बढ़ावा नहीं देगी। आईजीएल प्रोजेक्शन से पता चलता है कि दिल्ली को वर्ष 2025 तक अनुमानित 7.32

एमएमएससीएमडी गैस की मात्रा की आवश्यकता होगी, और इस मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 2025 तक 110 नए सीएनजी स्टेशनों को स्थापित करने की योजना है।

आपदा की तैयारी एवं प्रतिरोधकता: दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र IV और V में आता है, और यह भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ आग, औद्योगिक और रासायनिक खतरों, बाढ़, इमारत ढहने, सड़क दुर्घटनाओं, जल जमाव आदि जैसी मानव-प्रेरित आपदाओं के प्रति भी बेहद संवेदनशील है।

यमुना और नजफगढ़ ड्रेन-सिस्टम में बाढ़ के कारण पिछले कुछ समय से इस शहर को विभिन्न परिमाणों की बाढ़ का सामना करना पड़ा है। यमुना ने पिछले 35 वर्षों के दौरान अपने खतरे के स्तर (204.83 मीटर पर निर्धारित) को छब्बीस बार पार किया। 1900 के बाद से, दिल्ली ने 1995, 2010 और 2013 में हाल की बाढ़ों सहित नौ बड़ी बाढ़ों का अनुभव किया है।

दिल्ली अग्निशमन सेवा आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में विगत पांच वर्षों के दौरान 75,000 आग लगने की घटनाएं हुई हैं जिसके परिणामस्वरूप 1,500 से अधिक जानें गईं, 7,600 से अधिक लोग घायल हुए और 176 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इन घटनाओं में पांच प्रमुख, पच्चीस गंभीर और निन्यानवे मध्यम आग शामिल हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान, दिल्ली में जेजे कॉलोनियों में आग की घटनाओं की संख्या में 49% की वृद्धि देखी गई है और इनमें से 70% से अधिक मामले बिजली के कारणों (मुख्य रूप से शॉर्ट-सर्किटिंग) से उत्पन्न होने का अनुमान है। दिल्ली में अधिकांश बिल्डिंग स्टॉक की विशेषता उन इमारतों की है जो बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण और बिल्डिंग बायलॉज का पालन न करने के कारण असुरक्षित हैं। दिल्ली में आग की घटनाओं के मुख्य कारणों के रूप में गैस रिसाव और बिजली की खराबी की पहचान की गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा तैयार 'दिल्ली आपदा प्रबंधन योजना' (डीडीएमपी) ने विभिन्न प्रकार की आपदाओं हेतु दिल्ली में संवेदनशील क्षेत्रों, कालोनियों, बस्तियों की पहचान की है और उन्हें सूचीबद्ध किया है, साथ ही इसने संरचनात्मक सुरक्षा, आग सुरक्षा, बिजली सुरक्षा इत्यादि के लिए आवधिक सुरक्षा ऑडिट की भी सिफारिश की है, जिसका संचालन स्थानीय निकायों और संबंधित एजेंसियों द्वारा दिल्ली के लिए आपदा संबंधी तैयारियां करने के लिए किया जाएगा।

आगामी बीस वर्षों में, दिल्ली की आधारिक संरचना एक अप्रत्याशित दबाव का सामना करेगी और इसलिए इसे उभरती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी और प्रघात और तनाव के प्रति प्रतिरोधक, दोनों होना चाहिए। इसलिए, मुख्य ध्यान मजबूत और प्रतिरोधी आधारिक संरचना सेवाओं के प्रावधान का करते हुए एक स्थायी और संसाधन-कुशल वातावरण तैयार करना है।

इस खंड में जल आपूर्ति और स्वच्छता, स्थायी और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, मजबूत डिजिटल, संचार और गैस आधारित अवसंरचना, आपदा तैयारी तथा दिल्ली की प्रतिरोधकता हेतु निम्नलिखित चार अध्यायों में कार्यनीतियां दी गई हैं :

- INF1 - दिल्ली को जल सुरक्षित बनाना: जल, अपशिष्ट जल और जल निकासी**
- INF2 - ठोस अपशिष्ट का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना**
- INF3 - बिजली, गैस और दूरसंचार-डिजिटल अवसंरचना**
- INF4 - आपदा की तैयारी एवं प्रतिरोधकता**

13.0 दिल्ली को जल सुरक्षित बनाना:

जल, अपशिष्ट जल और जल निकासी

13.1.1 दिल्ली की विकास क्षमता यहां पानी की उपलब्धता से जुड़ी हुई है। यह शहर पानी के बाहरी स्रोतों पर अत्यधिक निर्भर है, और उपलब्ध पानी की मात्रा भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। इसलिए, दीर्घकालिक तौर पर जल सुरक्षा प्राप्त करना सबसे प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, जिसमें निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:

- i) पर्याप्त मात्रा में पानी की निरंतर उपलब्धता, जो वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा करती है,
- ii) बाढ़ के प्रति बेहतर प्रतिरोधकता।

13.1.2 यह योजना एक एकीकृत शहरी जल प्रबंधन दृष्टिकोण का समर्थन करती है, और तीन प्रमुख जल-संबंधित आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्रों में परस्पर एक-दूसरे से जुड़ी कार्य नीतियां प्रदान करती है, जैसे कि पानी की आपूर्ति, सीवरेज और जलनिकासी। हालांकि इस दृष्टिकोण के तहत इन्टरवेंशन से यह शहर जल सुरक्षित होने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, वहीं संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इस शहर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंतर-राज्यीय करारों के माध्यम से कच्चे पानी की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।

13.2 मीठे पानी की मांग को कम करना

13.2.1 दिल्ली जल बोर्ड सेवा योजना के अनुसार, मीठे पानी की आपूर्ति को केवल पीने योग्य उपयोग के लिए निर्धारित करके और तर्कसंगत बनाते हुए पानी की आपूर्ति के लिए प्रति-व्यक्ति मानदंड को 60 जीपीसीडी से 50 तक कम किया जाएगा। नए विकास में पानी की इस आपूर्ति को और कम किया जाएगा। इस क्रम में कमी को लागू करने के लिए मांग प्रबंधन कार्यनीतियों को इस अध्याय में विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया है।

13.2.2 **पानी की कमी को दूर करने हेतु जल आपूर्ति युक्तिसंगत बनाना:** इस योजना की विभिन्न नीतियों के तहत नए विकास में जल आपूर्ति को जल संसाधनों पर अतिरिक्त तनाव/दबाव को कम करने के लिए नियंत्रित किया जाएगा:

- i) पानी की मांग के संदर्भ में लैंड पूलिंग क्षेत्रों के भीतर विकास स्थायी होगा, और जल संरक्षण सुविधाओं को सेक्टर लेआउट और भवन डिजाइन में अंतर्निर्मित किया जाएगा। लैंड पूलिंग क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति 40 जीपीसीडी तक सीमित रहेगी (देखें: डीईवी1)।
- ii) हरित विकास क्षेत्रों में पानी की मांग की पूर्ति ज्यादातर शोधित अपशिष्ट जल से किए जाने का अनुमान है। (देखें: डीईवी2)
- iii) पुनरूद्धार योजनाओं और टीओडी योजनाओं को मौजूदा आवश्यकता से अधिक पानी की आपूर्ति नहीं की जाएगी, सिवाए इस योजना के भीतर किसी खाली जमीन/नों, जिसके लिए 50 जीपीसीडी की दर से अतिरिक्त पानी की आपूर्ति प्रदान की जाएगी।

13.2.3 **गैर-पीने योग्य उपयोगों हेतु शोधित अपशिष्ट जल:** अपशिष्ट जल के 100% शोधन और अधिकतम पुनःउपयोग को मौजूदा विकास में बढ़ावा दिया जाएगा, और इसे नए विकास में अनिवार्य किया जाएगा:

- i) यूबीबीएल के अनुसार न्यूनतम सीमा से अधिक डिस्चार्ज के साथ, दोहरी पाइपिंग युक्त विकेंद्रीकृत अपशिष्ट शोधन जल प्रणाली किसी भी नए विकास/परियोजना के अनुमोदन के लिए अनिवार्य होगी।
- ii) हरित विकास क्षेत्र में, सभी प्लॉट/जीडीए योजनाओं के लिए अलग-अलग या साझा विकेंद्रीकृत शोधन इकाइयों को संस्थापित करना अनिवार्य होगा, भले ही इसके डिस्चार्ज की मात्रा कितनी भी हो।
- iii) विकेंद्रीकृत शोधन इकाइयों को एकल या कई भवनों/प्लॉटों के लिए, या योजना/सेक्टर लेआउट के लिए एक साझा सुविधा के रूप में संस्थापित किया जा सकता है। केवल ऐसी सुविधाओं को स्थापित करने के लिए निर्मित की गई संरचनाएं एफएआर और ग्राउंड कवर आवश्यकताओं से मुक्त होंगी।
- iv) साझा सिस्टम प्लॉटिड विकास अथवा इमारतों के समूह के लिए भी एक क्लस्टर स्तर पर संस्थापित किए जा सकते हैं।

- v) यूबीबीएल के अनुसार पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए और रिसाइकिल किए गए पानी के लिए अलग-अलग पाइपों के साथ शोधित अपशिष्ट जल के उपयोग करने के प्रावधान सभी नए विकास के लिए अनिवार्य होंगे।
- vi) पानी का कोई भी नया कनेक्शन प्रदान करने से पहले दोहरी पाइपिंग का प्रावधान किया जाएगा।
- vii) यूबीबीएल द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा से ऊपर डिस्चार्ज वाले सभी मौजूदा सरकारी, पीएसपी और वाणिज्यिक भवन/प्लॉट (स्थानीय स्तर की सुविधाओं को छोड़कर), विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और दोहरी पाइपिंग के लिए समयबद्ध तरीके से व्यवहार्यता के अनुसार इसमें परिवर्तित होंगे।
- viii) डीजेबी मौजूदा आवासीय उपभोक्ताओं को जल पुनर्चक्रण सुविधाओं में परिवर्तित होने की सुविधा दे सकता है।

13.2.4 **कम पानी की खपत वाले प्लंबिंग फिक्सचर्स:** पानी की बचत (संरक्षण) के लिए यूबीबीएल द्वारा निर्धारित कम पानी की खपत वाले प्लंबिंग फिक्सचर्स स्थापित करना, निम्नलिखित विकासों के लिए अनिवार्य होगा:

- i) सभी नए विकासों और पुनरूद्धार परियोजनाओं के लिए।
- ii) सभी मौजूदा सरकारी, व्यावसायिक और पीएसपी भवनों/प्लॉट (स्थानीय सुविधाओं को छोड़कर) के लिए।

13.2.5 सभी संबंधित एजेंसियां दीर्घकालिक जल स्थिरता हेतु नागरिकों और विभिन्न हितधारकों को पानी के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी।

13.3 शहर में उत्पन्न अपशिष्ट जल का बड़ी मात्रा में पुनःउपयोग

13.3.1 दिल्ली जल बोर्ड और संबंधित एजेंसियाँ शहर में उत्पन्न सभी प्रकार के अपशिष्ट जल का शोधन सुनिश्चित करेगी, क्योंकि केवल अपशिष्ट जल को ही नालों या जलनिकायों में प्रवाहित करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए शोधन क्षमता में वृद्धि, अनसिर्वर्ड क्षेत्रों के बेहतर कवरेज के माध्यम से अपशिष्ट जल का अधिकतम संग्रह, इंटरसेप्टर सीवरों की स्थापना, और अन्य उपयुक्त तरीकों के कार्यान्वयन की आवश्यकता होगी।

13.3.2 दिल्ली जल बोर्ड अधिकतम पुनःउपयोग हेतु शोधित अपशिष्ट जल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, और अपशिष्ट जल के पुनःउपयोग को बढ़ाने के लिए एक चरणबद्ध योजना तैयार करेगी, जिसमें अधिक संख्या में निम्नलिखित उपयोग शामिल होंगे:

- i) समय-समय पर प्राधिकृत एजेंसी द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय प्रवाह की आवश्यकताओं के अनुसार, नदी में शोधित पानी को छोड़ना।
- ii) शहर की विभिन्न झीलों और जल निकायों में पानी की गुणवत्ता का पुनर्नवीकरण और निरंतर रखरखाव।
- iii) प्राकृतिक नालों, जैव विविधता पार्कों और लैंड पूलिंग क्षेत्रों के साथ यमुना नदी के बाढ़ के मैदानों में एकवीफर रिचार्ज तालाबों और झीलों को विकसित करके शोधित अपशिष्ट जल के उपयोग से भूजल पुनर्भरण।
- iv) बागवानी, सिंचाई, बस/मेट्रो/रेल के डिब्बों और वाहनों की सफाई, सड़क की सफाई आदि के लिए तथा जहाँ तक संभव हो, अग्निशमन और निर्माण कार्यों के लिए शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग। जीडीए में विकास के लिए भी पुनर्चक्रित पानी का भारी मात्रा में उपयोग किया जाएगा। (देखें: डीईवी2) औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए शोधित अपशिष्ट जल का उपयोग करना अनिवार्य होगा, पीने योग्य पानी के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

13.4 बरसाती जल के प्रतिधारण को बढ़ाना

13.4.1 एक अन्य महत्वपूर्ण इंटरवेंशन बरसाती जल के अपवाह को कम करना है, और वर्षा जल का चाहे तो सीधे ही भंडारण के माध्यम से अथवा भूजल पुनर्भरण के माध्यम से अधिकतम उपयोग करना है।

13.4.2 निम्नलिखित कार्यनीतियों को लागू किया जाएगा:

- i) सभी नए विकासों में बड़े पार्क और खुले स्थान, निचले इलाकों में स्थित होंगे, ताकि बाढ़ संभावित क्षेत्रों में पुनर्भरण को सुनिश्चित किया जा सके और निर्माण को रोका जा सके।
- ii) ग्रीनफील्ड या रीजनरेशन लेआउट योजनाओं में सामान्य साझा पुनर्भरण आधारभूत संरचना के रूप में वर्षाजल का संचयन किया जाएगा।

- iii) बागवानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बरसाती जल के सीधे उपयोग हेतु बड़े पैमाने पर स्टोरेज (भंडारण) का निर्माण करने के लिए जीडीए के भीतर विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- iv) सभी नए लेआउट योजनाओं और क्षेत्र सुधार परियोजनाओं हेतु जल संवेदनशील शहरी डिजाइन (डब्ल्यूएसयूडी) सिद्धांतों को अपनाकर शहर भर में पानी सोखने वाली सतहों का सुधार। बायोस्वेल्स, वेजीटेटेड फिल्टर, पानी सोखने वाले बरसाती जल नाले, वर्षा उद्यान, अर्ध-पानी सोखने वाली फुटपाथ और सार्वजनिक पार्किंग क्षेत्र आदि जैसे अवयवों को सार्वजनिक क्षेत्रों में जमीन की स्थिति के अनुसार अपनाया जाएगा। (देखें: ईएनवी1 और एचसीपी1)
- v) नए क्षेत्रों में बरसाती जल के नेटवर्क की डिजाइन यह सुनिश्चित करेगी कि बरसाती जल का कम से कम एक पर्याप्त हिस्सा मौजूदा/उपयुक्त भूजल पुनर्भरण स्थलों में निर्देशित/प्रवाहित किया जाए।
- vi) कुछ स्थानों में जैव-जलनिकासी का उपयोग किया जा सकता है जिससे कि नदियों, प्राकृतिक नालों और झीलों के लिए बफर्स डिजाइन की जा सकें और मानसून के दौरान शहर के लिए प्राकृतिक स्पंज का निर्माण हो सके। (देखें: ईएनवी2)

13.4.3 भूजल पुनर्भरण के लिए कार्यनीतियां भूजल निकासी हेतु कठोर विनियमनों द्वारा पूरक होगी। दिल्ली जल बोर्ड में पंजीकृत नलकूपों के अलावा अन्य बोरवेल से निकासी को अवैध माना जाएगा।

13.5 जल प्रणालियों की दक्षता में सुधार

13.5.1 दिल्ली की जल उपलब्धता और मांग प्रबंधन कार्यनीतियों को इसकी कई प्रणालियों में सुधार लाकर बढ़ाया जा सकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- i) गैर-राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) को कम करना, 24X7 निरंतर पानी की आपूर्ति और स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली को अपनाना।
- ii) अनियोजित/अनधिकृत कॉलोनियों में अलग-अलग व्यक्तियों, परिवारों को मीटरीकृत पानी के कनेक्शन प्रदान करना।

- iii) पानी के गैर-जिम्मेदार इस्तेमाल को रोकने के लिए टेलिस्कोपिक मूल्य निर्धारण पद्धति का उपयोग लागू करना।
- iv) अधिक आबादी वाली कॉलोनियों में जहां सीवरेज नेटवर्क को लागू किया जाना संभव नहीं है, डीजेबी ऐसे स्थानों में सेप्टिक टैंक की आवधिक सफाई और मल कीचड़ प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करेगा। मौजूदा एसटीपी का उपयोग मलीय गाद के शोधन के लिए किया जा सकता है, और डीजेबी एसटीपी में मलीय गाद के स्थानांतरण और शोधन हेतु एक तंत्र स्थापित करेगा। अपशिष्ट जल शोधन के उप-उत्पादों का प्रसंस्करण के उपरान्त उपयुक्त शोधन किया जाएगा, और सड़क निर्माण या किसी अन्य उपयुक्त उपयोग के लिए इन्हें पुनर्चकृत (री-साइकिल) किया जाएगा।

--- x --- x ---- x --- x ---

14.0 ठोस अपशिष्ट का कुशलतापूर्वक प्रबंधन

14.1.1 सतत विकास के प्रति दिल्ली की प्रतिबद्धता बहुत हद तक अपने संसाधनों के संरक्षण और अपशिष्ट का कुशल प्रबंधन करने की क्षमता पर निर्भर है। यह शहर पर्यावरण के लिहाज से वहनीय तरीके से जितने अपशिष्ट का प्रसंस्करण कर सकता है, उससे कहीं अधिक अपशिष्ट उत्पन्न करता है। इस अंतर को पाटने की आवश्यकता है ताकि "अपव्यय कम--संसाधन अधिक" की दिशा में बढ़ा जा सके। स्थायी और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली और सर्कुलर इकोनॉमी सिद्धांतों को अपनाने के लिए एक सामान्य कार्यनीतिक ढांचे की परिकल्पना की गई है:

- i) अपशिष्ट के काफी बड़े हिस्से का स्थानीय स्तर पर प्रबंधन हो
- ii) अपशिष्ट की अधिक मात्रा संसाधन के रूप में प्राप्त हो
- iii) अपशिष्ट को कम से कम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ संसाधित और निपटाया जाए

14.1.2 इस अध्याय में दिल्ली में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट के दोनों रूपों अर्थात् नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) और नगरपालिका-इतर अपशिष्ट के लिए अलग-अलग व्यवस्था करने पर चर्चा की गई है।

14.2 नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट का स्थानीय रूप से प्रबंधन

14.2.1 नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का प्रबंधन संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में किया जाता है। स्थानीय निकाय मास्टर प्लान की सिफारिशों के अतिरिक्त एसडब्ल्यूएम-2016 दिशानिर्देशों (और उसके बाद कोई संशोधन) के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू करेंगे।

14.2.2 जहां अपशिष्ट उत्पन्न होता है, वहाँ निकटतम स्थान पर अपशिष्ट का प्रबंधन करने के अनेक लाभ होते हैं, जैसेकि स्रोत/इलाके में ही अपशिष्ट की छँटाई पर बेहतर नियंत्रण, स्थानीय रूप से सक्रिय अनौपचारिक अपशिष्ट कर्मियों का बेहतर एकीकरण, स्थानीय समुदायों और आरडब्ल्यूए, एमटीए आदि से जुड़ना तथा पुनःप्रयोग एवं पुनर्नवीकरण की चल अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरित करना।

14.2.3 'न्यूनतम अपशिष्ट क्षेत्र' (एमडब्ल्यूएल) निर्मित करना

- i) ऐसे इलाके (आवासीय क्षेत्र, हाउसिंग सोसायटी, कॉलोनियां, अपार्टमेंट, बाजार, आदि) जहां सभी गीले एमएसडब्ल्यू को पर्यावरण-अनुकूल समाधान जैसे कम्पोस्ट खाद बनाकर, बायो-मिथेनेशन आदि अपनाकर उनकी चारदीवारी के भीतर प्रबंधित किया जाता है, उन्हें न्यूनतम अपशिष्ट क्षेत्र (एमएसडब्ल्यू) कहा जाएगा।
- ii) न्यूनतम अपशिष्ट क्षेत्र में उत्पन्न पुनर्नवीकृत किए जा सकने वाले नगरपालिका के सूखे ठोस अपशिष्ट को उस इलाके में अथवा उस इलाके के निकट स्थित मैटीरियल रिकवरी सुविधा-केंद्र (एमआरएफ) या प्रसंस्करण संयंत्रों में भेजा जाएगा। नगरपालिका-इतर समस्त अपशिष्ट यानी ई-अपशिष्ट (बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी अपशिष्ट), बायो-मेडिकल अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट और निर्माण और ढहाए गए निर्माण का (सीएंडडी) अपशिष्ट आदि, सरकारी प्राधिकृत प्रसंस्करण केंद्रों को भेजा जाएगा। केवल अक्रिय अपशिष्ट, यदि कोई हो, केंद्रीकृत लैंडफिल स्थलों पर निपटाया जाएगा।
- iii) लैंड पूलिंग, पुनरूद्धार योजनाओं या हरित विकास क्षेत्रों के भीतर आने वाले समस्त नए निर्माण को न्यूनतम अपशिष्ट क्षेत्र (एमडब्ल्यूएल) के रूप में विकसित किया जाएगा। (देखें डीईवी1, डीईवी2, डीईवी3)
- iv) सभी स्थानीय निकाय आरडब्ल्यूए, एमटीए तथा स्थानीय अनौपचारिक अपशिष्ट-कर्मियों और ट्रांसपोर्टरों आदि से जुड़कर अपने अधिकार क्षेत्र के तहत मौजूदा इलाकों को न्यूनतम अपशिष्ट क्षेत्र (एमडब्ल्यूएल) में रूपांतरित करने का कार्य करेंगे।

14.2.4 न्यूनतम अपशिष्ट क्षेत्र (एमडब्ल्यूएल) का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियां लागू की जाएंगी:

- i) आरडब्ल्यूए/एमटीए और स्थानीय समुदाय संबंधित एजेंसियों से परामर्श करके गीले अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए बड़े पार्कों (निकटवर्ती पार्क और अनुक्रम से ऊपर) के कुछ हिस्से को खाद, जैव-मीथेन या पर्यावरण-अनुकूल किसी नए समाधान के लिए समर्पित कर सकते हैं।

- ii) बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पैदा करने वाली विशाल भू-सम्पत्तियां (होटल, रेस्तरां, मॉल, आदि) से प्राप्त गीला अपशिष्ट परिसर के भीतर ही स्रोत पर संसाधित और अलग किया जाएगा किया जाएगा या अधिकृत खाद संयंत्रों में ले जाया जाएगा।
- iii) स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि अनियोजित बस्तियां (जेजे क्लस्टर सहित) में अपशिष्ट को उसके उत्पन्न होने के स्थल के निकट एकत्रित और प्रबंधित एवं शोधित किया जाए। निवासियों/आरडब्ल्यूए के परामर्श से अपशिष्ट के स्थानीय शोधन के लिए स्थलों की पहचान की जाएगी।
- iv) दीर्घकालिक व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लक्ष्य को साधने और जागरूकता बढ़ाने के लिए, स्थानीय निकाय स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन की अच्छी प्रथाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं और गैर सरकारी संगठनों, सीबीओ आदि के साथ सहयोग कर सकते हैं।

14.2.5 अपशिष्ट संबंधी अवसंरचना को नया रूप देना: स्थानीय निकाय एमएसडब्ल्यू की अधिकतम मात्रा का प्रबंधन करने के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे और संसाधनों का सर्वोत्तम विधि से उपयोग करेंगे।

- i) ढलाव जिनमें पर्याप्त जगह और क्षमता है, वे स्थानीय स्तर पर मैटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज (एमआरएफ) के रूप में कार्य करेंगे और ये अपशिष्ट की छंटनी और पुनर्नवीकरण वाली वस्तुओं की प्राप्ति के लिए स्थान उपलब्ध कराएंगे।
- ii) लैंड पूलिंग क्षेत्रों में, पृथक मैटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज (एमआरएफ) के लिए प्रावधान किया जाएगा।
- iii) स्थानीय निकायों या आरडब्ल्यूए द्वारा स्थानीय कचरा बीनने वालों और 'कबाड़ी वाले' को एमडब्ल्यूएल विकसित करने और कागज, कांच, धातु और प्लास्टिक के लिए मौजूदा रीसाइक्लिंग नेटवर्क का लाभ उठाने के लिए लगाया जा सकता है।
- iv) परिवहन किए जा रहे कचरे की मात्रा में कमी के साथ, स्थानीय निकाय अन्य उद्देश्यों के लिए परिवहन वाहनों का उपयोग बढ़ा सकते हैं।

14.3 एमएसडब्ल्यू के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना

14.3.1 एमएसडब्ल्यू के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे:

- i) अपशिष्ट-निपटान के लिए लैंडफिल पर दिल्ली की निर्भरता काफी कम की जाएगी। मौजूदा लैंडफिल स्थलों का विकास करके हरित/मनोरंजन के क्षेत्रों के रूप में अधिकाधिक प्रयोग शुरू किया जाना है। इन स्थलों पर लेगसी अपशिष्ट को लीगेसी वेस्ट के निपटान के लिए सीपीसीबी दिशानिर्देश 2019 (पुराने एमएसडब्ल्यू) के अनुसार चरणबद्ध तरीके से बचाया जा सकता है।
- ii) राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति (एनआरईपी)-2019 द्वारा अनुशंसित प्रोत्साहन/हतोत्साहन दिल्ली के लिए उपयुक्त रूप से अपनाया जाएगा।
- iii) दिल्ली में कोई नया लैंडफिल स्थल बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पर्यावरण पर प्रभाव के आकलन के आधार पर निपटान के सभी अनुमेय तंत्रों का पता लगाया जाएगा। कोई भी नया लैंडफिल (यदि प्रस्तावित हो) अक्रिय अपशिष्ट के निपटान के लिए अनिवार्यतः स्वच्छ लैंडफिलिंग तकनीकें अपनाएगा।
- iv) स्थानीय निकायों और निजी एजेंसियों को भविष्य में पर्यावरण के अनुकूल अपशिष्ट प्रसंस्करण तकनीकों का पता लगाने और उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
- v) सार्वजनिक क्षेत्रों में कूड़ा-करकट और जल निकायों, पार्कों, हरित क्षेत्रों और खुली भूमि में कूड़ा फेंकना सख्त वर्जित होगा।

14.4 गैर-नगरपालिका अपशिष्ट का प्रबंधन

14.4.1 नगरपालिका-इतर अपशिष्ट जैसे ई-अपशिष्ट (बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी अपशिष्ट, आदि), बायो-मेडिकल अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट तथा निर्माण और ढहाए गए निर्माण के अपशिष्ट का प्रबंधन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नियमों(2016) का कड़ाई से अनुपालन करके किया जाएगा। इस तरह के अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए अतिरिक्त अधिकृत सुविधाओं की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी:

- i) मेडिकल अपशिष्ट और सामान्य बायो-मेडिकल अपशिष्ट की शोधन सुविधाएं (सीबीडब्ल्यूटीएफ) आवश्यकतानुसार प्रदान की जानी चाहिए।
- ii) आईटी/आईटीईएस और अन्य डिजिटल-अर्थव्यवस्थाओं, ई-वाहनों जैसी नई प्रौद्योगिकियों के आने से, ई-अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है, तदनुसार निपटान के लिए प्रावधान किया जाना होगा।
- iii) अधिकृत निर्माण और ढहाए गए निर्माण (सीएंडडी) संबंधी अपशिष्ट के प्रसंस्करण संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि की जाएगी और जहाँ भी व्यवहार्य होगा, नए प्रसंस्करण संयंत्रों की व्यवस्था की जा सकती है।

14.5 अपशिष्ट का संसाधन के रूप में सर्वोत्तम उपयोग

14.5.1 अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल सभी एजेंसियां कम करने, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण (सर्कुलर अर्थव्यवस्था) के सिद्धांतों को अपनाएंगी, कचरे को एक संसाधन के रूप में मानें और अपशिष्ट से संबंधित उद्योगों के विकास के लिए एक वातावरण की सुविधा प्रदान करें।

- i) निर्माण और ढहाए गए निर्माण (सीएंडडी) संबंधी अपशिष्ट नियम-2016 के अनुसार सीएंडडी पुनर्नवीकृत उत्पादों का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा। सभी पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए स्थल पर उत्पन्न सीएंडडी अपशिष्ट का पुनःउपयोग और सभी नई विकास परियोजनाओं में पुनर्नवीकृत सीएंडडी उत्पादों का उपयोग यथासंभव अनिवार्य किया जाना होगा।
- ii) जैविक विधि से अपघटित अपशिष्ट की खाद बनाने के लिए अधिसूचित हरित विकास क्षेत्र (जीडीए) में बड़े पैमाने पर खाद बनाने वाले फार्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस खाद का उपयोग जीडीए के भीतर या शहर के बाकी हिस्सों में विभिन्न हरित कार्यों के लिए किया जा सकता है।
- iii) दिल्ली और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में 'अपशिष्ट से कमाई' (waste to wealth) के इको-सिस्टम को मजबूत करने के लिए गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने वाले पुनर्नवीकृत अपशिष्ट उत्पादों और खाद को संबंधित एजेंसियों द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है।

15.0 विद्युत, गैस, दूरसंचार और डिजिटल अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का प्रावधान

अध्याय कोड
INF3

15.1.1 दिल्ली को विश्व स्तरीय डिजिटल नेटवर्क बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और एक स्थायी शहर बनने और अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इस संबंध में निम्नलिखित परिकल्पना की गई है:

- i) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और उपयोग बढ़ाना।
- ii) सम्पूर्ण शहर में सुदृढ़ और अनुकूलनीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी।
- iii) विद्युत और गैस के लिए बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर।

15.2 नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग और विद्युत का दक्षतापूर्ण उपभोग

15.2.1 ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए, जीवाश्म ईंधन जैसे पारंपरिक स्रोतों से हटकर स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को सक्षम बनाने की एक योजना विकसित किये जाने की आवश्यकता है।

15.2.2 दिल्ली के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की एक योजना तैयार किये जाने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रेखांकित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्यनीतियों और परियोजनाओं के साथ-साथ, दिल्ली के अन्दर संभावित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्रों का पता लगाएगा।

15.2.3 दिल्ली के पास सौर ऊर्जा के उत्पादन की अत्यधिक क्षमता है, इसलिए दिल्ली में सौर ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित नीतियों को अपनाया जा सकता है:

- i) दिल्ली के “कृषि और सौर प्रतिष्ठान योजना” के अनुरूप, ‘हरित विकास क्षेत्र’ में सौर फार्म को प्रोत्साहित किया जाएगा। अपनी कृषि भूमियों पर सौर प्रतिष्ठान स्थापित करने हेतु भू-स्वामियों को प्रोत्साहित करने के लिए विद्युत खरीद अनुबंध आधारित मॉडल को अपनाया जा सकता है। (देखें: डीईवी2)

- ii) दिल्ली में कई नहर हैं जिनका उपयोग व्यवहारिकता के अनुसार सौर ऊर्जा का दोहन करने के लिए किया जा सकता है। नहर के स्वामित्व वाली एजेंसियाँ सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए इस क्षमता का लाभ उठा सकते हैं।
- iii) दिल्ली सौर नीति 2016 और नेट मीटरिंग विनियम, 2014 के अनुसार, सरकारी भवनों और संस्थागत परिसरों जिनके छत का क्षेत्रफल 500 वर्ग मी. से अधिक हो, में सौर पीवी'ज की स्थापना की जाए।
- iv) एयरपोर्टों, मेट्रो स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, अंतर-राज्य एवं शहरी स्तर के बस अड्डों/डिपो, स्टेडियमों आदि जैसे बड़े स्तर की सार्वजनिक सुविधाएँ सौर एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से अपनी अधिकतर विद्युत आवश्यकताओं को उत्तरोत्तर पूरा कर सकते हैं।
- v) किसी भी अतिरिक्त बिजली उत्पादन को (साइट पर आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद) ग्रिड में फीड किया जा सकता है,

15.2.4 भवनों और सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियों को अपनाया जा सकता है:

- i) सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों के लिए सौर आधारित एलईडी प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाए। इनका कार्यान्वयन संबंधित एजेंसियों द्वारा वाक प्लान्स और एमएमआई जैसी क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के एक भाग के रूप में किया जाएगा।
- ii) सभी प्लॉटों जिनके छत का क्षेत्रफल 100 मीटर से अधिक हो, में सौर पीवी की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा और सौर ऊर्जा की सहायता से परिचालित होने वाले जल तापन प्रणाली को यूबीबीएल के अनुसार प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी नए निर्माणों में इसकी स्थापना को अनिवार्य किया जाए और भवनों की अनुमति देने के साथ इसे लिंक किया जाए।
- iii) डिस्कॉम्स सभी नए निर्माणों में अनिवार्य रूप से, तथा सभी मौजूदा भवनों में स्मार्ट मीटर की स्थापना चरणबद्ध तरीके से करेगा।
- iv) डीईआरसी द्वारा पीक समय के दौरान सौर ऊर्जा के संवर्धित उपयोग को प्रोत्साहित करने, विद्युत के अधिकतम भार को कम करने और

प्रणाली की दक्षता को सुधारने के लिए विद्युत आपूर्ति के भिन्न-भिन्न मूल्य निर्धारण प्रणाली को अपनाया जा सकता है।

15.2.5 मॉड्यूलर स्टार रेटिंग वाले विद्युतीय उपकरणों और इलेक्ट्रिकल फिक्स्चरों को उच्च ऊर्जा दक्षता के लिए भवनों में अनिवार्य किया जाए।

15.2.6 यूबीबीएल और ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता 2018 के अनुसार, थर्मली कम्फर्टेबल और ऊर्जा सक्षम भवनों को प्रोत्साहित किया जाएगा। परियोजनाओं की योजना और रूपरेखा बनाते समय निम्नलिखित पर विचार किया जाना चाहिए:

- i) जलवायु विज्ञान, वायु प्रवाह, जल निकासी, निकटवर्ती जलाशय की उपस्थिति।
- ii) सभी नए विकास कार्यों के लिए प्लॉटों के अंतर्गत ग्रीन ब्लू ग्रीन विशेषताओं का विकास (देखें: ईएनवी2)।
- iii) विद्यमान भवनों को उनके थर्मल कंफर्ट को बढ़ाने के लिए पुनःसंयोजित किया जा सकता है। पुनःसंयोजन में शेडिंग, वेंटिलेशन, इंसुलेशन आदि के प्रावधान को सम्मिलित किया जा सकता है।

15.2.7 सभी संबंधित एजेंसियां पीक लोड डिमांड के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित रणनीति अपना सकती हैं:

- i. मिश्रित उपयोग को बढ़ावा देना,
- ii. चुनिंदा व्यावसायिक/मनोरंजन स्थलों को 24 घंटे काम करने की अनुमति दें और रात की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दें।
- iii. खेल और अन्य आयोजनों आदि की बड़ी सार्वजनिक स्क्रीनिंग की स्थापना करना।
- iv. साझा हीटिंग और कूलिंग सिस्टम की व्यवहार्यता की जांच करें
- v. रात्रि पार्किंग और ईवी चार्जिंग के लिए खाली कार्यालय भवन/स्कूल आदि का उपयोग करें।
- vi. पीक आवर्स के दौरान ईवी बैटरी स्वैपिंग को बढ़ावा दें और केवल नॉन-पीक आवर्स के दौरान ईवी चार्जिंग की अनुमति दें।

15.2.8 सौर पैनलों के पर्यावरणीय और आर्थिक लाभों को बताते हुए निर्माण समुदाय और अंतिम उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील बनाने के लिए सभी संबंधित एजेंसियां और विभाग, डिस्कॉम्स, ईईएंडआरईएम और बीईई जागरूकता अभियान चलाएं।

15.3 डिजिटल रूप से सक्षम और कनेक्टड शहर

15.3.1 दिल्ली के प्रभावशाली शहरी प्रबंधन के लिए 5जी एवं इससे उन्नत नेटवर्क, सम्पूर्ण शहर में फाइबर विस्तार और आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) के साथ, शहरी डिजिटल प्रणालियों के एकीकरण, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डाटा आदि जैसे उच्चतर सेवा स्तरों को समर्थन देने के लिए दिल्ली को समुचित बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

15.3.2 डिजिटलीकरण के बढ़े हुए स्तर के साथ, डाटा संग्रहण, सर्वर प्रबंधन आदि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डाटा केन्द्रों की स्थापना की जा सकती है। ऐसे डाटा केन्द्रों को मानदंडों के अनुसार, सार्वजनिक और/या निजी एजेंसियों द्वारा विकसित किया जा सकता है।

15.3.3 स्थानीय निकायों द्वारा प्रभावी शहरी प्रबंधन, विशेष रूप से यातायात, सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया आदि के लिए प्रमुख चालकों के रूप में डिजिटल रूप से एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं।

15.3.4 इंटरनेट की गति और सेवाओं की विश्वसनीयता के परिपेक्ष्य में, फाइबर-ऑप्टिक्स के माध्यम से कनेक्टिविटी को अधिक सक्षम माना जाता है। एनडीसीपी 2018 का “फाइबर प्रथम पहल” और आरओडब्लू नीति 2016 के विनियम, दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर के संवर्धन को सुगम बनाएंगे। ऑप्टिक फाइबर का क्रियान्वन राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और निजी क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए सामूहिक मॉडलों के माध्यम से होगा, जैसा कि साझा किये गए दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था के लिए अपेक्षित है।

15.3.5 सीसीटीवी कैमरों, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले सेंसरों, दूरसंचार ऐन्टेना, वाई-फाई हॉटस्पॉट/माइक्रोसेल्स, सौर प्रकाश व्यवस्था, पब्लिक एट्रेस और सन्देश भेजने वाली प्रणालियों, आपातकालीन कॉल बॉक्स आदि सहित, सार्वजनिक क्षेत्रों में स्मार्ट पोल स्थापित किये जा सकते हैं जिनका संयोजन शहरी एजेंसियों की डिजिटल प्रणालियों के साथ किया जा सकता है

15.4 विद्युत और गैस आपूर्ति की अवसंरचना में सुधार लाना

15.4.1 विद्युत आधारिक संरचना:

- i) प्रस्तावित मास्टर प्लान की सड़कों के आरओडब्लू के अंतर्गत, मेजर ट्रांसमिशन नेटवर्क की योजना व्यवहारिकता के अनुसार बनायी जाएगी और सीईए द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, ओवरहेड और अंडर ग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन्स के सुरक्षा मानदंडों का अनुसरण किया जाएगा।
- ii) दिल्ली में सभी नए सब-स्टेशनों को व्यवहारिकता के अनुसार गैस इंसुलेटेड उप-केन्द्रों के रूप में विकसित किया जाएगा, क्योंकि परंपरागत एयर इंसुलेटेड उप-केन्द्रों की तुलना में अनुमानतः 50% कम भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है।
- iii) सभी नए 11 केवी विद्युत् लाइनों को तकनीकी और वित्तीय व्यवहारिकता के अनुसार, लैंड पूलिंग क्षेत्रों के रोड क्रॉस-सेक्शनों के अंतर्गत, भूमिगत रूप से एकीकृत किया जाए।

15.4.2 डिजिटल और दूरसंचार (इन्फ्रास्ट्रक्चर) अवसंरचना:

- i) ऑप्टिक फाइबर एक सार्वजनिक उपयोगिता है और इसके लिए व्यवहारिकता के अनुसार 12 मीटर मार्गाधिकार (आरओडब्लू) और अधिक के सभी सड़क सेक्शनों में जगह उपलब्ध कराई जाएगी। जहाँ भी संभव हो, 12 मीटर से कम की सड़कों पर ऑप्टिक फाइबर के तार सड़क सेक्शन के अन्दर बिछाया जाएगा या मौजूदा स्थितियों के अनुसार पुनःसंयोजित किया जाएगा।
- ii) सभी नए भवनों एवं विकास कार्यों में दूरसंचार संस्थापनों और एशोसिएटिड अंतर-निर्माण समाधानों को बढ़ावा दिया जाए।

15.4.3 गैस अवसंरचना:

- i) भविष्य में गैस पाइपलाइनों को 12 मीटर और अधिक के मार्गाधिकार (आरओडब्लू) के अंतर्गत एकीकृत किया जाएगा।
- ii) घरेलू स्तर पर पाइपड गैस कनेक्शनों की व्यवस्था को सभी नए भवनों और विकास कार्यों के लिए बढ़ावा दिया जाए।

--- X --- X ---- X --- X ---

16.0 आपदा की तैयारी एवं प्रतिरोधकता

- 16.1.1 दिल्ली को एक ऐसी प्रतिरोधक प्रणाली का विकास करने की जरूरत है, जो अप्रत्याशित आपदाओं, झटके, क्रॉनिक स्ट्रेस की घटनाओं को सह सके, कार्रवाई कर सके, अनुकूल हो सके और ठीक हो सके। किसी भी अन्य मेगाशहर की तरह, दिल्ली भी विभिन्न प्रकार के जोखिमों का सामना करती है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन प्रभाव, भूकंप, आग, बाढ़, बीमारी के प्रकोप, महामारी और अन्य खतरे।
- 16.1.2 दिल्ली में इस तरह के जोखिमों का प्रभाव तब कई गुना बढ़ जाता है, जब उन्हें आंतरिक समस्याओं से जुड़ जाते हैं, जैसे कि बड़ी संख्या में घनी अनियोजित क्षेत्र आबादी जिसमें कमजोर या खराब भवनों के स्टॉक होते हैं और वे अधिक सघन होते हैं। यह दिल्ली के एक बड़े हिस्से को आपदाओं के लिए अत्यधिक संवेदनशील बनाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में किसी भी घटना के समय, जान और माल के बड़े नुकसान की संभावना होती है।
- 16.1.3 यह योजना आपदा शमन और तैयारियों पर राज्य और राष्ट्रीय विनियमों के अनुरूप है और जोखिम को कम करने और संवेदनशीलता को कम करने के संदर्भ में तीन-आयामी दृष्टिकोण अपनाती है: यह प्रभाव को कम करने, साथ ही प्रतिरोधक बुनियादी ढांचे तथा प्रणालियों का अत्याधुनिक निर्माण करके आपदाओं पर कार्रवाई करने के लिए, और नागरिकों को जागरूक करके तैयार की जा रही है। दिल्ली निम्नलिखित के लिए प्रयास करके भविष्य के लिए तैयार और प्रतिरोधक बनेगी:
- प्राकृतिक आपदाओं के लिए बढ़ी हुई प्रतिरोधक क्षमता- खासकर भूकंप के प्रति।
 - आग और शहरी बाढ़ की गंभीरता को कम करना।
 - सभी प्रकार की आपदाओं और जोखिमों के संबंध में कार्रवाई करने की बेहतर क्षमता।

16.2 प्राकृतिक आपदाओं हेतु प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण और तैयारी

16.2.1 भूकंपीय गंभीरता को कम करना: दिल्ली राष्ट्रीय भूकंपीय क्षेत्र IV और V में स्थित है, जिसमें भूकंप “अत्यधिक क्षति” पैदा कर सकते हैं। यह शहर दो फॉल्ट लाइन्स, अर्थात् मथुरा और दिल्ली-मुरादाबाद पर अवस्थित है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार्य (डीडीएमए) ने दिल्ली हेतु भूकंपीय माइक्रो-जोनीककार्य योजना तैयार की है, और एक उच्च, मध्यम और कम जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान की है। गंभीरता को कम करने और भूकंप से होने वाले जान-माल के नुकसान को कम करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियों को अपनाया जा सकता है:

- i) शहर भर में समर्पित संरचनात्मक लेखापरीक्षा की जाए, और दिल्ली में सभी भवनों को डीडीएमए और संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा स्थापित समर्पित प्रोटोकॉल/लों के अनुसार इस लेखापरीक्षा से गुजरना होगा।
- ii) संरचनात्मक/सुरक्षा लेखापरीक्षा, जैसा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित है, को उच्च जोखिम वाले जोनों, संवेदनशील लोकेलिटी, अत्यधिक आवा-जाही वाले सार्वजनिक भवनों, रिस्पॉंस यूनिट वाले भवनों (अग्नि शमन, पुलिस, समेकित नियंत्रण केन्द्रों इत्यादि), और आवश्यक आधारीक संरचनाओं में प्राथमिकता दी जाए।
- iii) सुरक्षा लेखापरीक्षा प्रोटोकॉल में प्रक्रिया का विवरण और लेखापरीक्षा के लिए मापदंड, लेखापरीक्षा की आवृत्ति, और भवनों को मजबूत करने और पुनःसंयोजन के लिए जानकारी दी जाएगी।
- iv) भवनों और अवसंरचना के मामले में, जिसके लिए लेखापरीक्षा द्वारा सुदृढीकरण और पुनःसंयोजन की सिफारिश की गई है, उनमें अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- v) यूबीबीएल के अनुसार, सभी नए भवनों और संरचनाओं की संरचनात्मक डिजाइन में भूकंपीय अनुरूप भवनों हेतु दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।
- vi) बेस आइसोलेशन, हाइड्रोलिक डैम्पेनर्स और अन्य ऐसी संरचनात्मक विशिष्टताओं को संबंधित एजेंसियों द्वारा अपनाया जा सकता है, जिससे परिवहन, जल, ईंधन आदि संबंधी महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे, भूकंपीय रूप से प्रतिरोधक संरचना बन सकें।
- vii) संबंधित एजेंसियां ऐसे क्षेत्रों/अवस्थितियों की पहचान कर सकती हैं जो प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अत्यधिक नुकसान के खतरे में हैं। ऐसे

क्षेत्रों में निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य पुनःसंयोजन अथवा पुनर्विकास करने की सुविधा प्रदान की जा सकती है। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रस्तावित पुनरूद्धार योजनाओं को संबंधित एजेंसियों द्वारा अन्य परियोजनाओं की तुलना में प्राथमिकता दी जा सकती है।

16.3 अन्य आपदाओं से जोखिम कम करना

16.3.1 आग लगने के जोखिम में कमी: औद्योगिक, व्यावसायिक इकाइयों और घनी आबादी वाली बस्तियों में, घर में आग लगने की संभावनाएं अधिक होती हैं। शहर में आग लगने के जोखिमों को कम करने के लिए:

- i) ऐसे सभी भवनों को जहां अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री वाले कार्य होते हैं, वहां अग्निशमन विभाग से अनिवार्य मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए, और सुरक्षा सावधानियां बरती जानी चाहिए। इस प्रकार के उपयोगों को आवासीय या पीएसपी कार्यों के साथ मिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ii) बिजली के वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जीएनसीटीडी द्वारा दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 को ईवी बैटरी के भंडाकार्य, चार्जिंग, उपयोग और निपटान के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देशों के साथ और अधिक मजबूत किए जाने जरूरत है, क्योंकि इनसे आग लगने के संभावित खतरे हैं।
- iii) जिन स्थानों में फायर टैंडर नहीं पहुंच सकते हैं, उन स्थानों में दिल्ली फायर सर्विसेज, मोबाइल फायर हाइड्रेंट और अन्य अत्याधुनिक अग्निशमन गियर के उपयोग को अपना सकती हैं।
- iv) डीडीएमए और संबंधित एजेंसियों द्वारा 'आग के लिए संवेदनशील' के रूप में पहचान की गई इमारतों को यूबीबीएल और दिल्ली अग्निशमन सेवाओं के मानदंडों के अनुसार आग की रोकथाम और शमन उपायों के साथ फिर से लगाया जाएगा।
- v) विद्युत विभाग, स्थानीय निकाय और अन्य संबंधित एजेंसियां, भवनों में विद्युत दोषों से सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त कार्रवाई करेंगी। विशेष रूप से चारदीवारी वाले शहर, शहरी

गांवों और अन्य घने क्षेत्रों में गलियों में खुले तारों और केबलों की देखभाल करके क्षेत्र स्तर की अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

16.3.2 शहरी बाढ़ और जलभराव की घटनाओं में कमी: तेजी से शहरीकरण के कार्या, दिल्ली में शहरी बाढ़ और जलभराव की आवृत्ति और तीव्रता लगातार बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण यह और खराब होने की संभावना है। हरित-आवर्ण और जल के प्रति संवेदनशील शहरी विकास को बढ़ाने के लिए कार्यनीतियां अपनाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित कार्यनीतियां अपनाई जाएंगी:

- i) नालों की गाद निकालने और गाद के नियमित निपटान के साथ सभी प्राकृतिक और मानवनिर्मित नालों को अवरोधों और अतिक्रमणों से मुक्त रखा जाएगा।
- ii) स्थानीय निकाय आईएंडएफसी विभाग के ड्रेनेज मास्टर प्लान में यथा निर्धारित, बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में कुछ पार्क और उद्यानों को चिह्नित कर सकते हैं, जिनका उपयोग बाढ़ निरोध सिंक के रूप में किया जा सकता है।
- iii) यमुना बाढ़ के मैदान में बड़े पैमाने पर बरसात के पानी को रोकने की परियोजनाओं को संबंधित एजेंसियों द्वारा बाढ़ नियंत्रण और आपूर्ति बढ़ाने के लिए ताजे पानी का संग्रह करने के दोहरे उद्देश्य के साथ शुरू किया जाएगा। ऐसी परियोजनाएं कड़े पर्यावरण अनुपालन सुनिश्चित करेंगी और नदी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी।

16.3.3 वैश्विक महामारियों के जोखिम को कम करना:

- i) प्लॉटों के भीतर मिश्रित उपयोग के विकास और संगत उपयोगों की वर्टिकल मिक्सिंग को शहर में बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें सभी सेवाओं, कार्य केंद्रों और घरों की उपलब्धता की सुविधा होगी जो एक-दूसरे के आसपास हैं। इन्हें आवश्यकता के अनुसार आत्मनिर्भर आइसोलेशन जोन के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।
- ii) विकेंद्रीकृत कार्यक्षेत्रों को सह-कार्य स्थलों, झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं के भीतर साझा कार्यक्षेत्रों और घर-आधारित कार्यों के लिए समर्थन

आदि के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आम सामुदायिक स्थानों को भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि आपात स्थिति के समय शरण स्थल, सज़ा रसोई, क्वारंटाइन स्थान आदि उपलब्ध कराने के लिए उपयोग किया जा सके।

- iii) बड़े हरित क्षेत्रों का विकास, खुले क्षेत्रों का अनिवार्य निर्माण, नए विकास क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थल तथा प्लाजा, और नियोजित पुनरूद्धार के माध्यम से निर्मित सघनता को कम करना जैसे कार्य, ऐसी वैश्विक महामारियों के दौरान सामाजिक दूरी की आवश्यकताओं को सपोर्ट करेंगे, साथ ही सामान्य समय के दौरान वे एक सक्रिय सार्वजनिक स्थान भी होंगे।
- iv) आवास इकाइयों के भीतर भीड़ को कम करने और शहर में प्रवासी के लिए आवास की सुविधा देने के लिए, गरीबों के लिए पर्याप्त किफायती किराये या स्वामित्व वाले आवास, श्रमिकों के आवास, महिलाओं और पुरुषों के लिए होस्टल आदि विकल्पों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
- v) यह योजना बहु-सुविधा प्लॉटों (विशेष रूप से घनी आबादी वाले अनियोजित क्षेत्रों में) के निर्माण की सुविधा प्रदान करती है जिनका उपयोग अस्थायी रूप से किया जा सकता है, और आपदा के समय भी अन्य सरकारी सुविधाओं के साथ-साथ इनका उपयोग किया जा सकता है।
- vi) बेहतर आवास डिजाइन और हरित-श्रेणीकृत विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम पर निर्भरता कम हो सके, जो वायु-जनित महामारियों के दौरान खतरा उत्पन्न करते हैं।

16.4 आपदाओं और जोखिमों के प्रति प्रभावी कार्रवाई का प्रबंधन

16.4.1 किसी आपदा या अप्रत्याशित घटना के समय प्रभावी कार्रवाई करने के लिए डीडीएमए एक अत्याधुनिक आईसीटी सक्षम दिल्ली डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (डीडीआरएफ) की स्थापना कर सकता है। इस फोर्स को सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ-साथ अस्पतालों, सीएसओ आदि द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। यह फोर्स नियमित रूप से जोखिम मूल्यांकन कार्य करेगा, प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को प्राप्त और ट्रांसमिट करेगा, घटना के

समय पालन किए जाने वाले सभी आवश्यक प्रोटोकॉल अभिसरित करेगा और सभी प्रतिक्रिया प्रणालियों को सक्रिय करेगा।

- i) विभिन्न प्रकार की आपदाओं के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को रेखांकित करते हुए, दिल्ली के लिए एक आपदा प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल विकसित किया जाएगा।
- ii) सभी सेवाप्रदाता एजेंसियां आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएं और दिशानिर्देश तैयार करेंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपदा के दौरान इन आवश्यक सेवाओं के वित्तकार्य पर कम से कम प्रभाव पड़े।
- iii) सभी इलाकों में निवासियों के लिए विशिष्ट निकासी स्थान और शकार्य स्थल तय किए जाएंगे, विशेष तौर पर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में।
 - क) निकासी स्थान खुले आकाश वाले क्षेत्र होंगे, जहाँ लोग किसी घटना के समय इकट्ठा हो सकते हैं, जैसे कि आग, भूकंप आदि। ये स्थान पार्क, बहुउद्देश्यीय मैदान, अन्य खुले स्थान आदि हो सकते हैं।
 - ख) आरडब्ल्यूए/स्थानीय निकायों द्वारा चिन्हित कोई भी आंतरिक स्थान शकार्य स्थल हो सकते हैं जहां संक्रामक बीमारियों के प्रकोप के दौरान अस्वस्थ/बीमार निवासियों को वैकल्पिक रहने के स्थान प्रदान किए जा सकें। ऐसे स्थान सार्वजनिक सुविधा के तौर पर सुलभ होने चाहिए।
- iv) डीडीएमए एक आपदा-उपरान्त पुनर्वास कार्यनीति भी विकसित करेगा। जीएनसीटीडी के सभी विभाग, स्थानीय निकाय और डीडीए दिल्ली के आपदा जोखिम के नियमित मूल्यांकन हेतु एक प्रणाली विकसित करेंगे।

वॉल्यूम 2

स्थानिक विकास
और
योजना निगरानी
हेतु फ्रेमवर्क

खंड 7

स्थानिक विकास
फ्रेमवर्क

17.0 लैंड पूलिंग के माध्यम से नए क्षेत्रों का विकास

अध्याय कोड

DEV1

17.1.1 लैंड पूलिंग दिल्ली के शहरी विकास हेतु एक नया प्रतिमान है, जिसमें निजी क्षेत्र भूमि संग्रहण और भौतिक तथा सामाजिक अवसंरचना के विकास में सक्रिय भूमिका अदा करेगा। भूमि स्वामी अथवा भू-स्वामियों के समूह निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार विकास हेतु भूखण्डों को पूल करेंगे, जिससे वे अपने आपको विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाएंगे। किसी क्षेत्र के समेकित नियोजन के लिए सड़कों, उपयोगिताओं, हरित क्षेत्रों और अन्य आधारिक संरचना के विकास हेतु अपेक्षित भूमि अनुमोदित/अधिसूचित योजना के अनुसार विकास हेतु दि.वि.प्रा. और सेवा प्रदाता एजेंसियों को उपलब्ध कराई जाएगी। यह अपेक्षा की जा रही है कि ये क्षेत्र विश्वस्तरीय, 'स्मार्ट' और स्थायी नेबरहुड सेक्टर और जोन होंगे जिनको जल, ऊर्जा और अन्य अवसंरचना की उपलब्धता के अनुसार नियोजित और निष्पादित किया जाएगा।

17.1.2 इस संबंध में विनियम ऐसी भूमि के विकास और इसकी प्रक्रिया हेतु विस्तारपूर्वक विवरण प्रदान करते हैं।

17.2 अनुप्रयोज्यता

17.2.1 यह नीति निम्नलिखित को छोड़कर दि.वि.प्रा./सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित चिन्हित किए गए लैंड पूलिंग क्षेत्रों में लागू होगी:

- i) हरित विकास क्षेत्र;
- ii) अनधिकृत कॉलोनियों के अंतर्गत भूमि (जिन्हें अभी नियमित किया जाना है);
- iii) निर्मित लाल डोरा क्षेत्र (आबादी), गांवों के अधिसूचित विस्तारित किए गए लाल डोरा क्षेत्र;
- iv) मुकदमबाजी वाली भूमि, जिसमें मामले के निपटान होने तक अधिग्रहण की कार्यवाही के अधीन भूमि शामिल है;
- v) ऐसी भूमि जिनके लिए दि.वि.प्रा. अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी ने अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया है अथवा इस नीति और इन विनियमों की अधिसूचना के समय किसी अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा विकास हेतु योजना को अनुमोदित किया गया है;

- vi) अधिसूचित वनों/सरकारी भूमि (जिसका उपयोग अनिर्धारित है) के अंतर्गत भूमि और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की कोई अन्य योजना, जिसके लिए इन विनियमों की अधिसूचना के समय अधिनियम की धारा 11(ए) के अंतर्गत भूमि उपयोग में परिवर्तन प्रक्रियाधीन है;
- vii) पूर्व विद्यमान संस्थाएं जिन पर नियमितिकरण हेतु विचार किया गया है अथवा अभी भी सरकार द्वारा जाँच के अधीन है;
- viii) सड़कों, प्राकृतिक नालों, प्राकृतिक जलाशयों, विरासत स्थलों, बाढ़ एवं सिंचाई विभाग, रेलवे एवं हवाई अड्डे के अंतर्गत आने वाली भूमि;

17.2.2 यदि किसी भूस्वामी के पास उपर्युक्त उपखंड (ii) और (vii) के अंतर्गत सूचीबद्ध भूमि है और वे भूमि नीति के अधीन भागीदार बनना चाहते हैं, तो उन्हें भागीदारी की अपनी इच्छा व्यक्त करने से पूर्व सभी बाधाओं को दूर करना होगा।

17.2.3 खंड 17.2.1 में उल्लिखित भूमि के अतिरिक्त शेष बची हुई सभी भूमि "विकास योग्य क्षेत्र" कहलाएगी और इसे प्लानिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा।

17.3 मार्गदर्शी सिद्धांत

17.3.1 लैंड प्लानिंग, निरूपित सेक्टरों (विनियमों में यथा परिभाषित) के आधार पर की जाएगी और क्षेत्रीय विकास योजनाओं में आवश्यक संशोधन दि.मु.यो. के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित सेक्टर प्लान के आधार पर होंगे।

17.3.2 चिन्हित किए गए लैंड प्लानिंग क्षेत्रों में भूमि के किसी भी आकार के साथ भूस्वामी पंजीकरण कर सकते हैं और विनियमों में निर्दिष्ट आवेदन प्रक्रिया के अनुसार भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं।

17.3.3 सेक्टर के अंदर विकास योग्य क्षेत्र की बाधामुक्त, न्यूनतम 70% समीपस्थ भूमि, सेक्टर को विकास योग्य बनाने के लिए पूल की जानी अपेक्षित है। इससे किसी सेक्टर में नियोजन, सेवा प्रदायगी और भूमि का उप-विभाजन/साझेदारी सुनिश्चित हो सकेगा। जब किसी सेक्टर में यह न्यूनतम समीपस्थता हासिल कर ली जाएगी तो दि.वि.प्रा. उस क्षेत्र के

समीपस्थ भूमि का भाग बनने वाले सभी संघटक भू-स्वामियों को कंसोर्टियम बनाने के लिए सूचित करेगा। किसी सेक्टर में आने वाले 2 हेक्टेयर और उससे अधिक के अलग भू-भाग, जो 70% समीपस्थ भूमि का हिस्सा नहीं है, वे भी कंसोर्टियम का भाग बनने हेतु पात्र होंगे बशर्ते वे सेक्टर ले-आउट के साथ एकीकृत हो सकते हो।

- 17.3.4 पूल की गई भूमि में से कंसोर्टियम 60% अपने पास रखेंगे और शेष 40% इस योजना के मानदंडों के अनुसार शहर स्तरीय भौतिक अवसंरचना, मनोरंजनात्मक, औद्योगिक और सार्वजनिक/अर्ध सार्वजनिक (पीएसपी) सुविधाओं के विकास हेतु दि.वि.प्रा./सेवाप्रदाता एजेंसियों को अपेक्षित होने पर अभ्यर्पित करने के लिए दि.वि.प्रा. की ओर से रखेंगे। प्रत्येक भू-स्वामी ऐसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु पूल की गई भूमि क्षेत्र की आनुपातिक भूमि अभ्यर्पित करेगा।
- 17.3.5 कंसोर्टियम द्वारा 60% भूमि का उपयोग आवासीय, व्यावसायिक, सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं तथा भौतिक अवसंरचना के विकास के लिए किया जाएगा।
- 17.3.6 कंसोर्टियम विकसित भूमि / निर्मित स्थान के पुनर्वितरण अथवा "कार्यान्वयन योजना" के एक हिस्से के रूप में उचित आदान-प्रदान के किसी अन्य रूप के लिए आपसी तौर पर एक फार्मूला निर्धारित करेगा और इस फार्मूले को सभी भू-स्वामियों की सहमति से दि.वि.प्रा. को सूचित करेगा।
- 17.3.7 कंसोर्टियम द्वारा 60% भूमि का अंतिम रूप में विकास आवश्यक अनुमोदन की प्राप्ति के उपरान्त ही आरंभ किया जाएगा। 60% भूमि का विकास भी अलग उप-परियोजनाओं के रूप में उन भू-स्वामियों/भू-स्वामियों के समूह द्वारा किया जा सकता है जिन्होंने अलग विकासकर्ता संस्था (डीई) के रूप में कार्य करने का विकल्प लिया हो और यह तभी होगा जब कंसोर्टियम द्वारा समग्र एकीकृत योजना पूरी कर ली गई हो और सभी समुचित अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हों। विकासकर्ता संस्था (डीई) हो सकते हैं, जो:-

- i) कोई व्यक्तिगत भू-स्वामी जिसने न्यूनतम 2 हेक्टेयर भूमि को जोड़कर सेक्टर में भूमि के एक अथवा अधिक प्लॉटों को पूल किया है;
 - ii) भू-स्वामियों का समूह जिन्होंने सामूहिक रूप से न्यूनतम 2 हेक्टेयर तक की भूमि जोड़कर एक अथवा एक से अधिक प्लॉट पूल किए हों, और विकास करने के लिए वैध और कानूनी रूप से लागू करार के माध्यम से समूह बनाया हो;
 - iii) कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार के माध्यम से न्यूनतम 2 हेक्टेयर तक के एक अथवा अधिक भूखण्ड पूल करने वाले भू-स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था (विकासकर्ता/व्यवसाय/कार्पोरेट संस्था)।
- विकास के लिए भूमि का पर्याप्त रिटर्न सुनिश्चित करने हेतु 2 हेक्टेयर की सीमा निर्धारित की गई है।

17.3.8 दि.मु.यो. के अनुसार नए विकास क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पर्याप्त आवास का प्रावधान सुनिश्चित किया जाएगा।

17.3.9 शहर स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए वास्तविक लागत को कवर करने हेतु पूल की गई संपूर्ण भूमि पर बाह्य विकास प्रभार (ईडीसी) लागू होगा।

17.3.10 ऐसे क्षेत्र में प्लॉट, जो पूल किए बगैर बने रहते हैं, उन्हें बाद के चरण में विकसित करने की अनुमति दी जा सकती है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

- i) प्रस्तावित लेआउट योजना की पहुंच और अन्य प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं के संबंध में व्यवहार्यता।
- ii) शहर स्तर की अवसंरचना/सुविधाओं हेतु 45% अथवा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए अनुसार भूमि उपलब्ध करना।
- iii) अवसंरचना और सेवाओं के लिए अद्यतन तौर पर लागू ईडीसी का भुगतान करना।

17.4 दि.वि.प्रा. और/अथवा सरकार की भूमिका

17.4.1 नीति का सुचारू एवं निष्पक्ष तौर पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

- 17.4.2 शहर स्तरीय भौतिक अवसंरचना, मनोरंजनात्मक, औद्योगिक और सार्वजनिक / अर्ध सार्वजनिक (पीएसपी) सुविधाओं की व्यवस्था हेतु दि.वि.प्रा. और सेवाप्रदाता एजेंसियों द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में सेक्टर की सीमाओं का परिसीमन करना और समग्र योजना तैयार करना।
- 17.4.3 आवेदन, सत्यापन, अनुमोदन, लाइसेंस आदि हेतु समयबद्ध तरीके से एकल-खिड़की प्रणाली के माध्यम से विकासकर्ता संस्था / कंसोर्टियम द्वारा योजना एवं विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को सुविधा प्रदान करना, जैसा कि विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है।
- 17.4.4 सेवाप्रदाता एजेंसियों द्वारा समयबद्ध तरीके से जल-आपूर्ति, सीवरेज, जल-निकासी, बिजली, परिवहन आदि के लिए प्रासंगिक अवसंरचना की व्यवस्था की समग्र तौर पर निगरानी करना।
- 17.4.5 कोई भूमि जिसका लैंड पूलिंग के अंतर्गत प्रस्ताव नहीं किया गया हो, और जो किसी सेक्टर में नीति को लागू करने के लिए अपेक्षित हो, उनका कानून के अनुसार अधिग्रहण करना। ऐसे अधिग्रहण की लागत को विकासकर्ता संस्था/कंसोर्टियम द्वारा वहन किया जाएगा।

17.5 विकासकर्ता संस्था (डीई)/कंसोर्टियम की भूमिका

- 17.5.1 निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के तहत लैंड पूलिंग के अनुसार क्षेत्रों के विकास के लिए एकीकृत योजना, सेवा प्रदायगी तथा भूमि के उपविभाजन/साझेदारी हेतु अथवा किसी अन्य परिभाषित कार्य के लिए संघटक भू-स्वामियों का एक कंसोर्टियम बनाया जाएगा।
- 17.5.2 खंड 17.3.6 के अनुसार सभी संघटक भू-स्वामियों के अनुमोदन से लागू योजना का विकास किया जाएगा तथा अंतिम रूप दिया जाएगा।
- 17.5.3 सभी डीई/भू-स्वामियों को शामिल करते हुए एक प्रामर्शदात्री प्रक्रिया के माध्यम से योजना के प्रावधानों के अनुसार 60% भूमि हेतु लेआउट योजना और विस्तृत साइट प्लान तैयार करना।
- 17.5.4 जब कभी आवश्यक हो, दि.वि.प्रा./सेवाप्रदाता एजेंसियों को सुपुर्द की जाने वाली भूमि (अतिक्रमण से मुक्त) की निगरानी का कार्य करना ।

- 17.5.5 एकल-खिड़की प्रणाली के माध्यम से तथा विनियामकों में निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार सार्वजनिक अवसंरचना एवं सेवाओं को विकसित करने की लागत हेतु दि.वि.प्रा. और सेवाप्रदाता एजेंसियों को बाह्य विकास प्रभारों (ईडीसी) का समय पर भुगतान करना। ईडीसी का भुगतान पूल की गई पूरी भूमि पर देय होगा।
- 17.5.6 दि.वि.प्रा. द्वारा स्थापित एकल-खिड़की प्रणाली के माध्यम से लेआउट प्लान, विस्तृत साइट प्लान एवं अन्य ड्राइंगो हेतु आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करना।
- 17.5.7 भूमि के उस भाग में आने वाली यथा आवश्यक मल्टी-लेवल पार्किंग सुविधाओं के प्रावधान सहित सभी आंतरिक सड़कों तथा अन्य संबंधित अवसंरचना, जैसे जल आपूर्ति लाइनों, विद्युत आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, सीवेज शोधन संयंत्र और पार्किंग का समयबद्ध विकास करना।
- 17.5.8 जब तक कि प्रस्तावित क्षेत्र के रखरखाव का कार्य संबंधित स्थानीय निकाय को नहीं सौंपा जाता, तब तक अनुमोदित लेआउट प्लान के अनुसार खुले स्थानों, सड़कों और सेवाओं जैसी सभी स्थानीय स्तरीय सुविधाओं को शामिल करते हुए संपूर्ण विकास का समयबद्ध विकास एवं रखरखाव करना। स्थानीय निकाय को सेवाएं सौंपने के समय यदि प्रभारों में किसी प्रकार की विसंगति हो तो उसका वहन विकासकर्ता संस्था/कन्सोर्टियम द्वारा किया जाएगा।
- 17.5.9 निर्मित स्थान/भूमि के हिस्से का संघटक भू-स्वामियों/डीई को समयबद्ध हस्तांतरण, जैसा कि कार्यान्वयन में आपसी तौर पर सहमति की गई हो।
- 17.5.10 इस योजना के प्रावधानों के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आवास घटक के तहत निर्दिष्ट निर्मित स्थान/आवासीय इकाइयों का विकास सुनिश्चित करना। ईडब्ल्यूएस आवास स्टॉक की बिक्री और निपटान योजना के अनुसार किया जाएगा।
- 17.5.11 दि.वि.प्रा. द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य हेतु विधिवत अर्जित भूमि के अधिग्रहण की लागत का वहन करना, जिससे कि जोनों और क्षेत्रों में जहां लैंड प्लानिंग नीति लागू हो वहां अवसंरचना के नियोजित विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

17.6 विकास के मानदंड

17.6.1 विकास हेतु निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

- i) प्रत्येक क्षेत्र में पूल की गई भूमि का न्यूनतम 40% शहर स्तरीय अवसंरचना तथा अन्य उपयोगों (जब भी अपेक्षित हो दि.वि.प्रा. और सेवा प्रदाता एजेंसियों को अभ्यर्पित) के लिए आरक्षित होगा। सेक्टर में औद्योगिक और पीएसपी भूमि उपयोग (संदर्भ तालिका 17.1) का दि.वि.प्रा. के हिस्से को शहर/क्षेत्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आसन्न क्षेत्रों के साथ क्लब करने की अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक सेक्टर में पूल की गई भूमि का अधिकतम 60% हिस्सा विकास हेतु विकासकर्ता संस्था/कन्सोर्टियम के लिए उपलब्ध होगा। भूमि उपयोगों का वितरण निम्न प्रकार होगा:

तालिका 17.1 लैंड पूलिंग क्षेत्रों में भूमि उपयोगों का वितरण

भूमि उपयोग	पूल की गई भूमि का क्षेत्र	
	न्यूनतम 40%*	अधिकतम 60%
सकल आवासीय	--	53%
व्यावसायिक	--	5%
औद्योगिक	4%	--
मनोरंजनात्मक	16%	--
पीएसपी	8%	2%
सड़के और परिचालन	12%	--

* प्रत्येक क्षेत्र में 40% भूमि का उपयोग किसी भी उपयोग के लिए आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। दि.वि.प्रा. के लिए किसी विशेष क्षेत्र में भूमि के एक निश्चित प्रतिशत का उपयोग करने की कोई निर्धारित सीमा नहीं होगी। हालाँकि, जोन का कुल प्रतिशत उपर्युक्त तालिका के अनुसार होगा।

17.6.2 सकल आवासीय क्षेत्रों का विभाजन एवं सुविधाओं का प्रावधान योजना में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार होगा। लेआउट प्लान में चिन्हित आसपास की आंतरिक सड़कें / अवसंरचना / सेवाएं (जल आपूर्ति लाइनें, विद्युत आपूर्ति, वर्षा जल संचयन, एसटीपी, इत्यादि) के प्रावधान हेतु भूमि की आवश्यकताएं सभी भू-स्वामियों / विकासकर्ता संस्थाओं द्वारा समान रूप से पूरी की जाएंगी।

17.6.3 किसी सेक्टर में सकल आवासीय उपयोग (53%) के अंदर स्थानीय स्तर की स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक सुविधाओं के लिए निर्धारित 50% प्लॉटों को दि.वि.प्रा. को सरकारी एजेंसियों/विभागों को आबंटन हेतु लौटाया जाएगा।

17.6.4 शहर स्तरीय पीएसपी प्लॉट के साथ-साथ व्यावसायिक प्लॉट के समामेलन और उप-विभाजन की अनुमति दी जाएगी। योजना के अनुसार न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकताएं, किसी भी उपयोग परिसर के विकास के लिए लागू होंगी। विकासकर्ता संस्था / कन्सोर्टियम, भवन के अंदर उपयोगों के वर्टिकल मिश्रण (आवासीय, व्यावसायिक, पीएसपी और औद्योगिक) को प्राप्त करने के लिए नए तरीकों का उपयोग भी कर सकता है।

17.7 अतिरिक्त विकास नियंत्रण

17.7.1 सेक्टर स्तर पर लागू एफएआर में भिन्नता:

- i) सेक्टर स्तर पर विभिन्न भूमि उपयोगों के लिए निर्धारित एफएआर सीमा की गणना, नीचे दी गई तालिका के अनुसार की जाएगी:

तालिका 17.2 सेक्टर स्तर पर विभिन्न भूमि उपयोगों हेतु एफएआर सीमा

क्र.सं.	भूमि उपयोग	एफएआर	एफएआर के अनुसार निर्माण किए जाने वाला कुल क्षेत्र*
1	आवासीय	200	200 x कुल आवासीय भूमि (कुल आवासीय भूमि, सकल आवासीय भूमि का अधिकतम 55% होना चाहिए, जिस पर खंड 17.7.4 और 17.7.5 के अनुसार लेआउट और प्लॉट स्तर नियंत्रण को पूरा करने पर समूह आवास और प्लॉटिड आवास टाइपोलॉजी के मिश्रण की अनुमति होगी।)[क]
2	व्यावसायिक	150	पूल की गई भूमि का 150 x 5% [ख]
3	पीएसपी	225	पूल की गई भूमि का 225 x 10% [ग]
4	औद्योगिक	200	पूल की गई भूमि का 200 x 4% [घ]
			सेक्टर स्तर पर एफएआर के अनुसार कुल क्षेत्र जिसका निर्माण किया जा सकता है [योग]= क + ख + ग + घ

*नोट:

- क) इसके अलावा, अधिकतम स्वीकार्य आवासीय एफएआर के अतिरिक्त 15 प्रतिशत की अनिवार्य एफएआर, केवल ईडब्ल्यूएस आवास के प्रावधान के लिए डीई/कंसोर्टियम को उपलब्ध होगा। ईडब्ल्यूएस आवश्यकताओं की पूरे अनुमेय

आवासीय एफएआर हेतु गणना की जानी चाहिए (चाहे आवास टाइपोलॉजी कैसी भी हो);

- ख) सामाजिक अवसंरचना और उपयोगिताओं (सकल आवासीय घटक के तहत प्रदान किए जाने वाले स्थानीय स्तर तक) हेतु अनुमेय एफएआर की गणना दि.मु.यो. के जनसंख्या मानदंडों के आधार पर आवासीय एफएआर के अतिरिक्त की जाएगी;
- ग) कंसोर्टियम/डीई और दि.वि.प्रा. के बीच पीएसपी भूमि उपयोग का वितरण, तालिका 17.2 के अनुसार होगा। पीएसपी के प्लॉट प्रचलित महायोजना के अनुसार एफएआर का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते कि सेक्टर में कुल पीएसपी एफएआर ऊपर उल्लिखित (ग) और टीडीआर, यदि लागू हो, से अधिक नहीं हो ।

- ii) एक सेक्टर के लिए कुल लागू एफएआर से अधिक के बिना एफएआर लोडिंग अलग-अलग प्लॉटों में भिन्न हो सकती है, केवल उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां टीडीआर का उपयोग किया जाएगा, जिसके तहत उच्च एफएआर का उपयोग प्रमुख सड़कों के साथ, पहचान किए गए ट्रांजिट स्टेशनों के आसपास, अथवा अन्य पहचान किए गए स्थानों पर किया जा सकता है।
- iii) यदि साइट की दशाओं या नियोजन संबंधी विचारों के कारण कंसोर्टियम को 60% भूमि की वापसी में कमी/भिन्नता पायी जाती है, तो कंसोर्टियम/डीई को अपने संबंधित एफएआर का उपयोग करने की अनुमति होगी।
- iv) ग्राम सभा भूमि को क्षेत्र के लिए समग्र लेआउट प्लान में एकीकृत किया जाएगा। ऐसी भूमि का उपयोग निम्नानुसार होगा:
- 17.7.1.1 दि.वि.प्रा. लैंड पूलिंग में विकासकर्ता संस्था के रूप में भाग ले सकता है; (विकासयोग्य क्षेत्र का हिस्सा)
- 17.7.1.2 दि.वि.प्रा. संबंधित क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं/कमी को पूरा करने के लिए ऐसी भूमि विकसित कर सकता है। ऐसे मामलों में, उन्हें तालिका 2 के अनुसार एफएआर की गणना के लिए पूल की गई भूमि का हिस्सा नहीं माना जाएगा, और मानदंडों के अनुसार विभिन्न उपयोग परिसरों के लिए विकसित किया जाएगा। (विकासयोग्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं)

17.7.2 लागू एफएआर में भिन्नता को निम्नलिखित विकल्पों के माध्यम से अनुमति दी जाएगी:

i) सेक्टरों के अंदर भूमि उपयोग का आदान-प्रदान:

17.7.2.1 कंसोर्टियम के लिए - अपने हिस्से के तहत सेक्टर-स्तरीय व्यावसायिक और/अथवा पीएसपी क्षेत्र को इसके कुल क्षेत्र में समान कमी करते हुए प्रत्येक को 30% तक बढ़ाया जा सकता है, जिसे आवासीय एफएआर के अनुसार निर्मित किया जा सकता है।

17.7.2.2 दि.वि.प्रा. के लिए, अपने हिस्से के तहत सेक्टर-स्तरीय पीएसपी और औद्योगिक क्षेत्र के बीच 30% तक के आदान-प्रदान की अनुमति दी जाएगी;

ii) टीडीआर के उपयोग को केवल चिन्हित टीडीआर प्राप्ति क्षेत्रों में अनुमति दी जाएगी।

17.7.3 मिश्रित उपयोग /वर्टिकल मिक्सिंग:

i) प्लॉटों और इमारतों के भीतर वर्टिकल मिक्सिंग (वीएम) की अनुमति दी जाएगी, ताकि भवन टाइपोलॉजी और हब में मिश्रित उपयोग को सक्षम बनाया जा सके, नवाचारी हरित लेआउट का निर्माण किया जा सके और पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाओं का प्रावधान किया जा सके। वर्टिकल मिक्सिंग के लिए उपयोगों का नियंत्रण और मिश्रण निम्नानुसार होगा:

17.7.3.1 सेक्टर लेआउट योजना में चिन्हित किए गए अनुमोदित वर्टिकल मिक्सिंग प्लॉटों में मिश्रित उपयोग/वर्टिकल मिक्सिंग की अनुमति दी जाएगी, जहां ऐसे प्लॉटों पर समग्र एफएआर 400 से अधिक नहीं होना चाहिए।

17.7.3.2 लोडिंग नीचे दिये गए उप खंड-(छ) के अनुसार एक ही भूमि उपयोग अथवा चिन्हित किए जाने वाले अनुकूल भूमि उपयोग/गों के रूप में हो सकती है।

17.7.3.3 किसी भी अनुपात में, किसी प्लॉट के भीतर अलग-अलग इमारतों के रूप में, या इमारतों के भीतर तल की वर्टिकल मिक्सिंग अथवा दोनों में किसी भी अनुपात में चिन्हित किए गए उपयोग के मिश्रण की अनुमति होगी।

17.7.3.4 चिन्हित किए गए प्लॉट के भीतर खुली जगह, सुविधाएं, पार्किंग, प्रवेश/निकास और सेवा कोर आदि के संबंध में

आवश्यकताएँ योजना अथवा लागू नियमों के मानदंडों के अनुसार होंगी।

17.7.3.5 प्रत्येक उपयोग के लिए पृथक प्रवेश/निकास और सर्विस कोर की व्यवस्था की जाएगी। टीडीआर के उपयोग के कारण अतिरिक्त आवश्यकता, यदि कोई है, को उसी प्लॉट के अंदर पूरी तरह से पूरा किया जाएगा।

17.7.3.6 मनोरंजनात्मक पार्को, अस्पतालों, स्वास्थ्य सुविधा, विश्वविद्यालय परिसरों, उपयोगिताओं, ईंधन स्टेशनों और किसी भी प्रकार की सुधार / दंडात्मक सुविधाओं के मिश्रण / वर्टिकल मिक्सिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

17.7.3.7 मिश्रण को केवल निम्न प्रकार से संगत उपयोगों के लिए ही अनुमति दी जाएगी:

- केवल गैर-विनिर्माण उद्योग जैसे सेवा उद्योग (आईटी/आईटीईएस, बीपीओ / केपीओ, आदि), पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स, और गैर-प्रदूषणकारी एमएसएमई इकाइयों को पीएसपी और कॉमर्स के साथ मिलाया जा सकता है।
- स्कूलों को केवल आवासीय उपयोग परिसर के साथ मिलाया जा सकता है। अन्य शैक्षणिक संस्थानों को स्वच्छ उद्योगों, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, के साथ जोड़ा जा सकता है।

17.7.3.8 वर्टिकल मिक्सिंग के उपयोग के कारण अधिशेष भूमि (यदि कोई है) का उपयोग सक्रिय हरित क्षेत्र, जैसे शहरी खेती, नर्सरी, बागानों के लिए किया जाएगा।

17.7.4 लैंड प्लानिंग सेक्टरों में लेआउट नियंत्रण

- i) लेआउट प्लान निम्नलिखित को इंगित करेगा:
 - क) योजना के अनुसार उपयोग जोनों/उपयोग परिसरों को,
 - ख) डीई/कंसोर्टियम को लौटाए गए पुनर्वितरित प्लॉटों को, और
 - ग) वर्टिकल मिक्सिंग प्लॉट, मिश्रित उपयोग और सेक्टर स्तर पर सभी व्यक्तिगत पुनर्वितरित प्लॉटों के लिए संबंधित एफएआर।
- ii) आवासीय, व्यावसायिक और पीएसपी तथा औद्योगिक भूमि के उपयोग और वर्टिकल मिक्सिंग प्लॉट के तहत आने वाले विभिन्न उपयोग परिसरों हेतु लागू एफएआर और अन्य नियंत्रण, खंड 17.7.5 में

निर्धारित प्लॉट स्तरीय नियंत्रण के अनुसार होंगे, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी प्लॉटों के लिए संचयी क्षेत्र जो निर्मित किया जा सकता है, वह खंड 17.1.1 में निर्धारित अनुमेय सीमा से अधिक नहीं हो, सिवाय उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां टीडीआर का उपयोग किया जा रहा है।

- iii) ऐसे पृथक भूमि पार्सल, जिसका आकार 2 हेक्टेयर अथवा इससे अधिक है को सेक्टर के लेआउट प्लान में शामिल करने के लिए न्यूनतम 18 मीटर आरओडब्ल्यू की पहुंच होगी।
- iv) ईडब्ल्यूएस ब्लॉक आवश्यकताओं को डीई द्वारा व्यक्तिगत तौर पर पूरा किया जाएगा अथवा एक पृथक क्षेत्र/क्षेत्रों के रूप में समेकित आधार पर अधिमानतः पारगमन (ट्रांजिट) स्टेशनों के आसपास विकसित किया जाएगा।
- v) खंड 7.1 के अनुसार सेक्टर में कम से कम 15% आवासीय एफएआर का उपयोग 40 - 60 वर्गमीटर के छोटे आकार की आवासीय इकाइयों के विकास के लिए किया जाएगा।
- vi) योजना के मानदंडों के अनुसार अथवा ग्रुप हाउसिंग प्लॉटों में, अलग-अलग प्लॉटों के रूप में स्थानीय स्तर की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जहां ऐसी सुविधाएं समूह आवास प्लॉटों के भीतर हैं, वहां:
 - 17.7.4.1 सुविधाओं हेतु एफएआर 200 के आवासीय एफएआर के अतिरिक्त होगा।
 - 17.7.4.2 महायोजना के अनुसार इस तरह की सुविधाओं हेतु कोई भी आवश्यक खुली जगह, प्लॉट के अंदर प्रदान की जाएगी।
- vii) सड़क लेआउट
 - क) सेक्टर रोड नेटवर्क योजना के सड़क पदानुक्रम और स्ट्रीट डिजाइन विनियमों को शामिल करेगा। साइकिल चलाने और पैदल चलने की सुविधाओं का नेटवर्क अनिवार्य आवश्यकता होगी। सभी प्रमुख सड़कों (24 मीटर और उससे अधिक) को ट्रंक सेवाओं को समायोजित करने के लिए भूमिगत उपयोगिता डक्टस प्रदान की जाएंगी।

- ख) कलेक्टर सड़कों के तहत क्षेत्र का कम से कम 50% क्षेत्र न्यूनतम 24 मीटर मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के साथ विकसित किया जाएगा।
- ग) मौजूदा राजस्व सड़कों और फिरनी सड़कों को, जो एक सेक्टर के भीतर प्रमुख आवाजाही गलियारों के रूप में कार्य करते हैं, सुधार किया और/अथवा चौड़ा किया जाएगा और यदि संभव हो तो सेक्टर लेआउट में एकीकृत किया जाएगा।
- घ) 24 मी आरओडब्ल्यू की सड़कों पर सीधे वाहनों के प्रवेश अथवा पार्किंग प्रवेश/निकास से बचा जाएगा, और लेआउट के हिस्से के रूप में एक वैकल्पिक वाहन प्रवेश को विकसित किया जाएगा।
- ङ) नया विकास अनुमोदित अथवा निर्मित योजनाबद्ध विकास के मौजूदा गतिविधि नेटवर्क के साथ निरंतरता बनाए रखेगा।
- viii) बफर: अन्य सभी अनिवार्य बफर आवश्यकताओं के अलावा, कंसोर्टियम/डीई और सार्वजनिक एजेंसियां, डीसीएन के अनुसार प्रमुख प्राकृतिक नालों के साथ बफर बनाए रखेंगे।
- क) ऐसे बफर्स का उपयोग विभिन्न पदानुक्रमों के पार्कों को विकसित करने के लिए किया जाएगा, अथवा किनारों को पैदल चलने/साइकिल चलाने हेतु सड़कें प्रदान करने के उद्देश्य से संरक्षित किया जाएगा।
- ख) प्राकृतिक नालों के बफर के किनारों पर स्थित इमारतें बफर की ओर का सामना करते हुए, बाल्कनियों, खिड़कियों, पैदल प्रवेश, फ्रंट-शाप, प्लाजा आदि के रूप में सक्रिय अग्रभाग बनाए रखेंगी।
- ix) सार्वजनिक प्लाजा: सार्वजनिक स्थानों की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए लेआउट में विभिन्न पैमानों के सार्वजनिक प्लाजा शामिल किए जाएंगे। प्लाजा के विकास को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा:
- क) न्यूनतम 2000 वर्गमी. के सार्वजनिक प्लाजा, सेक्टर लेआउट प्लान के हिस्से के रूप में परस्पर जुड़ने वाली सड़कों के सभी प्रमुख चौराहों पर नियोजित किए जाएंगे।
- ख) सभी मास ट्रांजिट स्टेशन यात्रियों के अधिप्लाव (स्लिपओवर) हेतु और मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन के लिए प्लॉट क्षेत्र के 20% को एक एकल खुली पहुंच वाले सार्वजनिक प्लाजा के रूप में प्रदान करेंगे।

- ग) 1 हेक्टेयर से ऊपर के आकार के सभी प्लॉटों में प्लॉट क्षेत्र के 10% को मिड-स्ट्रीट या कॉर्नर पब्लिक प्लाजा के रूप में भी प्रदान किया जाएगा। प्लॉटों के अंदर दिए गए ऐसे प्लाजा के तहत क्षेत्र के लिए एफएआर, शेष प्लॉट पर लोड किया जाएगा।
- x) सक्रिय फ्रंटेज:
- क) 24 मीटर आरओडब्ल्यू अथवा वाली सभी सड़कों पर सक्रिय फ्रंटेज का अनुरक्षण किया जाएगा।
- ख) भवन के किनारों के 70% हेतु बिल्ट-टू-एज विकास सहित 3 मी. सेटबैक को हरित क्षेत्र और वृक्षारोपण के साथ बनाए रखा जाएगा। फ्रंटेज का कम से कम 50% आर्केड्स, कोलोनेड्स, शॉप-फ्रण्ट्स, पैदल यात्री प्रवेश, प्लाजा आदि का उपयोग करते हुए ग्राउंड/पोडियम फ्लोर पर सक्रिय रखा जाएगा।
- ग) ये अनिवार्यताएं केवल व्यावसायिक, औद्योगिक और पीएसपी प्लॉटों के साथ साथ वर्टिकल मिक्सिंग प्लॉटों पर लागू होंगी;
- xi) स्थिरता विशेषताएं:
- क) लैंड पूलिंग क्षेत्रों के भीतर सभी परियोजनाएं अनिवार्य 0.2 के ग्रीन ब्लू फैक्टर को हासिल करेंगी (देखें डीसीएन)।
- ख) सेक्टर में भौतिक अवसंरचना निम्नलिखित को सुनिश्चित करेगी:
- शोधित अपशिष्ट जल का 100% शोधन एवं अधिकतम पुनःउपयोग।
 - हरित-अपशिष्ट को अलग करना और 100% पुनःउपयोग;
 - सौर ऊर्जा जैसे अक्षय स्रोतों के माध्यम से सेक्टर की 10% ऊर्जा की मांग को पूरा करना;
 - लागू मानदंडों के अनुसार सीधे पुनः उपयोग और भूजल पुनर्भरण हेतु बरसाती जल का अधिकतम प्रतिधारण।
- इन स्थिरता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कई क्षेत्र/योजनाएँ एक साथ लाई जा सकती हैं।

17.7.5 प्लॉट एवं भवन नियंत्रण

i) नीचे दिए गए विभिन्न प्रकार के प्लॉटों के लिए निम्नलिखित नियंत्रण लागू होंगे:

	नियंत्रण	आवासीय प्लॉट - प्लॉटिड आवास	आवासीय प्लॉट - समूह आवास	पीएसपी/व्यावसायिक/औद्योगिक प्लॉट	वीएम प्लॉट
1	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र	- 5000 वर्गमीटर न्यूनतम भूमि पर केवल क्लस्टर विकास की अनुमति* - प्लॉटों के आकार 100-300 वर्गमीटर के बीच होंगे - ईडब्ल्यूएस इकाइयों को अलग-अलग ब्लॉक के रूप में, क्लस्टर के भीतर या अन्य डीई के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया जाना है	3000 वर्ग मी.	विभिन्न उपयोग परिसरों के लिए योजना के मानदंडों के अनुसार	5000 वर्ग मी.
2	अधिकतम एफएआर	दि.मु.यो. के अनुसार, बशर्ते क्लस्टर हेतु समग्र एफएआर (अर्थात 200) से अधिक नहीं हो**	200	विभिन्न उपयोग परिसरों के लिए मानदंडों के अनुसार	400
3	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	दि.मु.यो. के अनुसार	33% तक	विभिन्न उपयोग परिसरों के लिए मानदंडों के अनुसार	50% तक
4	अनिवार्य सड़क पहुंच	- 18 मी और उससे अधिक के	कम से कम एक तरफ 18	विभिन्न उपयोग	- कम से कम एक

		<p>आरओडब्ल्यू पर अनुमेय नहीं है</p> <p>- समग्र क्लस्टर के पास न्यूनतम 12 मी. सड़क से पहुंच होगी।</p> <p>व्यक्तिगत प्लॉटों को 9 मी सड़क से पहुंच प्रदान की जा सकती है।</p>	<p>मी</p> <p>आरओडब्ल्यू</p>	<p>परिसरों के लिए योजना के मानदंडों के अनुसार</p>	<p>तरफ 24 मीटर या उससे अधिक की कलेक्टर सड़क</p> <p>- 12 मी. आरओडब्ल्यू से अनिवार्य वैकल्पिक पहुंच</p>
5	सेटबैक्स	दि.मु.यो. के अनुसार	<ol style="list-style-type: none"> 1. संबंधित भूमि उपयोगों के विभिन्न प्लॉटों के आकार के लिए दि.मु.यो. के अनुसार। 2. 24 मी. आरओडब्ल्यू और उससे ऊपर के प्लॉट हेतु फ्रंट सेटबैक खंड 17.7.4(x) के अनुसार होगा। 3. साइड और रियर सेटबैक भवन निर्माण उपविधि / एनबीसी के अनुसार ऊंचाई और वेंटिलेशन की आवश्यकताओं के अधीन होंगे। 		

*सभी सुविधाएं, स्थानीय पहुंच मार्ग और ठोस अपशिष्ट तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन हेतु विकेंद्रीकृत अवसंरचना, क्लस्टर विकास के अंदर समायोजित की जाएंगी।

**यदि किसी प्लॉट के लिए गणना किया गया क्षेत्र निम्न श्रेणी के अनुमत प्लॉट क्षेत्र से कम है, तो निम्न श्रेणी के अधिकतम निर्मित क्षेत्र को अनुमति दी जाएगी।

--- X --- X ---- X --- X ---

18.0 हरित विकास क्षेत्र में विकास

18.1.1 हरित विकास क्षेत्र (जीडीए) नीति में दिल्ली के निम्नलिखित क्षेत्रों में विकास के लिए एकीकृत फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है:

- i) हरित पट्टी- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा के साथ, जहां तक संभव हो, एक परिधीय राजस्व ग्राम सीमा की गहराई तक भूमि।
- ii) कम सघन आवासीय क्षेत्र (एलडीआरए) - गांवों का वह क्षेत्र जिसे कम घनत्व वाले विकास और फार्महाउस की बहुलता वाले क्षेत्र के कारण अधिसूचित किया गया हो, जिसे कम घनत्व का आवासीय प्लॉट या एलडीआरपी कहा जाता है।

18.1.2 यह नीति 'हरित विकास' को प्रोत्साहित करेगी, कम एफएआर और बड़े वनीय और भू-दृश्य वाले क्षेत्र जिसकी विशेषता होगी ताकि:

- i) हरित जीवन-शैली और मनोरंजन के लिए शहरी स्तर के केंद्रों के निर्माण को प्रोत्साहन मिल सके, ग्रीन-जाब्स का सृजन और अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण हो सके,
- ii) खाद्य और अन्य प्राकृतिक उपज के भरपूर उत्पादन को बढ़ावा देना ताकि खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके और बागवानी की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
- iii) एक क्षेत्रीय पर्यावरणीय बफर बनाना, वायु प्रदूषण, शहरी तापन के प्रभावों को कम करना, वर्षा का पूर्वानुमान लगाने में सुधार लाना और मरुस्थलीकरण के खतरे का मुकाबला करना।

18.2 अनुप्रयोज्यता

18.2.1 जीडीए के फैलाव और सीमा में हरित पट्टी और एलडीआरए के रूप में अधिसूचित गांवों के क्षेत्र शामिल होंगे। हालांकि, जीडीए का फैलाव और सीमा जमीन पर किए गए वास्तविक परिसीमन के आधार पर भिन्न हो सकती है।

18.2.2 सभी मौजूदा और भावी विकास को जीडीए के प्रावधानों द्वारा शासित किया जाएगा, जो हरित पट्टी और एलडीआरए के लिए पहले के प्रावधानों को अधिक्रमित करेंगे।

18.2.3 यह नीति निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होगी:

- i) अनधिकृत कालोनियों के अंतर्गत भूमि (जिन्हें अभी नियमित किया जाना है);
- ii) मुकदमेबाज़ी वाली भूमि जिसमें अधिग्रहण की कार्यवाही वाली भूमि भी शामिल है, जब तक मामले का निपटान नहीं हो जाता;
- iii) लाल डोरा क्षेत्रों (आबादी) में निर्मित भू-खंड, गांवों के अधिसूचित विस्तारित लाल डोरा क्षेत्र;
- iv) ऐसी भूमि जहां जीडीए विनियमों की अधिसूचना के समय, दि.वि.प्रा. या किसी अन्य सरकारी एजेंसी ने अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किए हैं या जहां किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा योजना को विकास के लिए अनुमोदित किया गया है;
- v) ऐसी भूमि / संपत्ति जहां सरकार या दि.वि.प्रा. या स्थानीय निकायों के पक्ष में परिसर से बेदखली / खाली करने के लिए अदालत का आदेश जारी किया गया है;
- vi) ऐसी भूमि जो समय-समय पर संशोधित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत संरक्षित स्मारक/क्षेत्र में आती है;
- vii) अधिसूचित वन/सरकारी भूमि (अनिर्धारित उपयोग) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत आने वाली ऐसी भूमि, जिसके लिए जीडीए विनियमों की अधिसूचना के समय भू-उपयोग में परिवर्तन की कार्रवाई अधिनियम की धारा 11 (ए) के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है;
- viii) पहले से मौजूद संस्थान जिन्हें नियमितीकरण के लिए मंजूरी दी गई है या उन पर विचार किया जा रहा है या अभी भी सरकार द्वारा जांच की जा रही है;
- ix) अनुमोदित और अधिसूचित बुनियादी ढांचे के मार्गाधिकार के भीतर आने वाली भूमि जैसे कि मौजूदा / प्रस्तावित महायोजना सड़कें, मुख्य ट्रंक जल आपूर्ति और सीवेज लाइनें, एचटी लाइनें, परिवहन और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे;
- x) प्राकृतिक नालों, प्राकृतिक जलाशयों, धरोहर स्थलों, बाढ़ और सिंचाई विभाग, रेलवे और हवाई अड्डे के अंतर्गत भूमि;

- xi) अधिसूचित वन भूमि या क्षेत्रीय पार्क क्षेत्र में आने वाले फार्महाउस (क्षेत्रीय पार्क में निजी स्वामित्व वाली भूमि पर बनाए गए 07.02.2007 तक स्वीकृत फार्महाउस को छोड़कर, इस संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अधीन)।

उपर्युक्त खण्ड (i) और (ii) के अंतर्गत सूचीबद्ध भूमि के भूस्वामी भूमि से सभी बाधाओं को हटाने के बाद ही इस नीति के अंतर्गत भाग ले सकते हैं।

18.3 मार्गदर्शक सिद्धांत

- 18.3.1 ये सिद्धान्त हरित विकास के लिए प्रस्तावित उपयोगों/ कार्यकलाप/मिश्रित गतिविधियों के लिए अनुमेय उपयोग, कार्यकलाप/ मिश्रित गतिविधियों और एफएआर को परिभाषित करने वाले एक व्यापक ढांचे का प्रावधान करते हैं। इन उपयोगों/कार्यकलाप के मिश्रित रूप की अनुमति होगी।
- 18.3.2 भू-स्वामियों को भूमि का आर्थिक मूल्य प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए पर्यावरणीय रूप से सतत विकास का विकल्प देते हैं।
- 18.3.3 जीडीए के भीतर और आसपास के क्षेत्रों के वास्तविक और प्रकार्यात्मक एकीकरण के लिए कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे का प्रावधान करते हैं।
- 18.3.4 जीडीए के भीतर अनुमत गतिविधियाँ, निर्धारित एफएआर और अनिवार्य वनीय क्षेत्र के अनुसार होंगी।
- 18.3.5 जीडीए में हरित विकास के तीन ग्रेड की अनुमति खंड 18.4.1 के अनुसार दी जाएगी।
- 18.3.6 जीडीए के भीतर भूमि का विकास वैयक्तिक प्लॉटों पर या विभिन्न भूमि मालिकों द्वारा पूल किए गए बड़े योजना क्षेत्रों पर निजी पहल के माध्यम से होगा।
- 18.3.7 ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर को निम्नानुसार विकसित किया जाएगा:
- i) दि.वि.प्रा./सेवा प्रदाता एजेंसियां (एसपीए) भूस्वामियों द्वारा बाह्य विकास प्रभार (ईडीसी) अदा किए जाने के बाद बुनियादी ढाँचा विकसित कर सकती हैं।

- ii) निजी संस्था दि.वि.प्रा./सेवा प्रदाता एजेंसियों (एसपीए) द्वारा अनुमोदित योजना के आधार पर बुनियादी ढांचे का विकास कर सकती है।

18.4 अनुप्रयोज्य मानदंड

18.4.1 विकास के निम्नलिखित ग्रेड को अनुमति दी जाएगी:

तालिका 18.0: जीडीए में अनुमत विकास की श्रेणियां

	श्रेणी - 1	श्रेणी - 2	श्रेणी - 3
क. अनुमेयता			
1. न्यूनतम भूमि क्षेत्र	न्यूनतम 600 वर्ग मी.	4000 वर्ग मी.	10,000 वर्ग मी. (1 हेक्टेयर)
2. न्यूनतम पहुंच मार्ग	6 मी. मार्गाधिकार	प्लॉट तक पहुँच 12 मीटर मार्गाधिकार से होनी चाहिए जो प्लॉट की परिधि के कम से कम 15% के समतुल्य एक निरंतर लंबाई की हो;	प्लॉट तक पहुँच कम से कम 30 मीटर मार्गाधिकार से होनी चाहिए जो प्लॉट की परिधि के कम से कम 15% के समतुल्य एक निरंतर लंबाई की हो;
3. हरित रेटिंग*	आवश्यक नहीं	समस्त योजना जीआरआईएचए 3 या समतुल्य की न्यूनतम हरित रेटिंग का अनुपालन करे	समस्त योजना जीआरआईएचए 3 या समकक्ष की न्यूनतम हरित रेटिंग का अनुपालन करे
4. अनुमत गतिविधियाँ	<ul style="list-style-type: none"> कृषि, बागवानी, फूलों की खेती, वानिकी स्मृति वन, कब्रिस्तान, सिमेट्री, और श्मशान 	<ul style="list-style-type: none"> फार्महाउस खुले बाजार / मंडी (जैसे किसानों का बाजार, हस्तकला या प्रयुक्त माल बाजार) 	<ul style="list-style-type: none"> उच्च शिक्षा परिसर (व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित) साइबर और ज्ञान उद्योग, अनुसंधान

	<ul style="list-style-type: none"> • कंपोस्टिंग सुविधा • प्राकृतिक अपशिष्ट जल शोधन सुविधा • सौर क्षेत्र और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापनाएं 	<ul style="list-style-type: none"> • जूलाॅजिकल पार्क और चिड़ियाघर • खेल सुविधाएँ • प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण सुविधाएँ • स्वास्थ्य सुविधाएं (पशु चिकित्सा सुविधाओं सहित) • रिजॉर्ट्स, मोटल और क्लब • भंडारण सुविधाएँ, शोरूम और मरम्मत कार्यशालाओं / सेवा केंद्रों की 18 मीटर मार्गाधिकार और उससे ऊपर को अनुमति दी जाएगी। • ग्रीन हाउस • ग्रेड 1 के अंतर्गत यथा-निर्धारित एफएआर के साथ सभी ग्रेड 1 उपयोगों को अनुमति • पशुपालन • सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएँ 	<p>और विकास जैसे गैर-प्रदूषणकारी कार्य केंद्र,</p> <ul style="list-style-type: none"> • एगो प्रोसेसिंग और पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज • ग्रीन हाउस • कन्वेंशन और प्रदर्शनी केंद्र • कॉन्सर्ट स्पेस, स्टेडियम**, सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल, संग्रहालय, आर्ट गैलरी • मनोरंजन पार्क (वाटर पार्क को छोड़कर जिसे जीडीए के अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी)। • ग्रेड 1 के अंतर्गत यथा-निर्धारित एफएआर के साथ सभी ग्रेड 1 और 2 उपयोगों को अनुमति।
--	---	--	--

ख. विकास नियंत्रण मानदंड

1. अनुमेय एफएआर	एफएआर: 5 (किसी भी आकार की	एफएआर: 20 (अतिरिक्त खरीद योग्य 10 एफएआर	एफएआर: 60 (अतिरिक्त खरीद योग्य
-----------------	------------------------------	---	-----------------------------------

	भूमि पर निर्मित क्षेत्र के न्यूनतम 30 वर्ग मीटर और अधिकतम 200 वर्ग मीटर पर)	के साथ)	20 एफएआर के साथ)
2. अधिकतम भूमि कवरेज	5%	10%	20%
3. अनिवार्य वनीय क्षेत्र	आवश्यक नहीं	प्लॉट क्षेत्र का 15%	प्लॉट क्षेत्र का 45%
4. सेटबैक***	सभी साइडों पर 3 मीटर सेटबैक	10 मीटर अग्र सेटबैक और शेष पार्श्वों पर 5 मीटर सेटबैक। इसमें खंड 18.5.1(iv) के अनुसार छूट दी जा सकती है।	सभी साइडों पर 10 मीटर सेटबैक
5. बेसमेंट	अनुमति नहीं	अनुमेय एफएआर के भीतर केवल निर्मित संरचनाओं के तहत अनुमति दी गई है	अनुमत एफएआर के भीतर केवल निर्मित संरचनाओं के तहत अनुमति दी गई है
6. पार्किंग प्रावधान****	<ul style="list-style-type: none"> सतह पार्किंग के लिए प्लॉट क्षेत्र का 5% हिस्सा रखा जाना है (कच्चा रखा जाना है) 	<ul style="list-style-type: none"> सतह पार्किंग के लिए प्लॉट क्षेत्र का 10% हिस्सा रखा जाना है (कच्चा रखा जाना है) 	<ul style="list-style-type: none"> सतह पार्किंग के लिए प्लॉट क्षेत्र का 10% हिस्सा रखा जाना है (कच्चा रखा जाना है)
7. पक्की सतह	<ul style="list-style-type: none"> तल कवरेज का उपयोग करने के बाद पक्की सतह प्लॉट क्षेत्र की 5% से अधिक नहीं होगी। 50% क्षेत्र में उपयोग करने के लिए जल शोषक फ़र्श सामग्री। 		

* ग्रेड 2 और 3 के विकास में भी दि.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य हरित मानदंडों का पालन किया जाएगा।

**स्टेडियमों को अधिकतम एफएआर 40 की अनुमति होगी।

***राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ पड़ने वाले सभी निर्माण ढांचे एनएचएआई मानदंडों का पालन करेंगे।

**** आयोजनों/सभाओं के लिए प्रस्तावित प्लॉटों के मामले को छोड़कर, जिसमें स्थानीय निकाय की नीति के अनुसार न्यूनतम पार्किंग आवश्यकताएं होंगी।

18.4.2 अनुकूल मिश्रित कार्यकलाप को अनुमति दी गई है बशर्ते खंड 18.4.1 के अनुसार अनुमेय एफएआर और पहुँच की शर्तें पूरी की जाएं।

18.4.3 सभी विकास निर्धारित हरित रेटिंग का अनुपालन करेंगे और इन मानदंडों के किसी भी उल्लंघन को दंडित किया जाएगा। जीडीए की सभी योजनाओं को अनिवार्य जीबीएफ (जीबीएफ) 0.4 हासिल करना होगा। निर्धारित जीबीएफ से अधिक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाए।

18.4.4 सभी ग्रेडों के तहत ग्रीनहाउस, सौर क्षेत्र और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापना क्षेत्रों के निर्माण की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि इन संस्थापना क्षेत्रों के अंतर्गत कुल क्षेत्र प्लॉट के 30% से अधिक नहीं हो (यथाप्रयोज्य अनिवार्य वनीय क्षेत्र को छोड़कर)।

18.4.5 अनुमेय एफएआर के अधिकतम 20% का उपयोग छोटी दुकानों, रेस्तरां या कार्यालय जैसी सहायक सुविधाओं के लिए किया जा सकता है। (संदर्भ: डीसीएन)

18.4.6 सभी योजनाओं को पारिस्थितिक रूप से आत्मनिर्भर इकाइयों के रूप में निम्नानुसार डिजाइन किया जाएगा:

- i) अपशिष्ट जल का 100% विकेंद्रीकृत शोधन और अधिकतम पुनः उपयोग।
- ii) सभी हरित अपशिष्ट और जानवरों के अपशिष्ट का स्थल पर 100% प्रसंस्करण।
- iii) स्थल पर (ऑन-साइट) ऊर्जा आवश्यकताओं के 30% हिस्से को नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा किया जाना।
- iv) भू-दृश्य और शहरी डिजाइन के भाग के रूप में अनिवार्य वर्षा जल संचयन, कच्चे प्राकृतिक (अनलाइंड) भंडारण तालाबों और जलाशयों के द्वारा अधिकतम वर्षा-जल को स्थल पर ही रोकना।
- v) खाद बनाने और पुनः चक्रण की इन सुविधाओं को साझा सुविधाओं के रूप में विकसित किया जा सकता है।

18.4.7 निम्नलिखित की अनुमति दी जाएगी:

- i) किसी भी प्रविष्टि या प्रवेश शुल्क, किराए की उगाही करना;

- ii) कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए किराये/पट्टे के मॉडल के लिए विकल्प का विकल्प;
- iii) फार्महाउस या थीम फार्मिंग क्लस्टर आदि के रूप में भूमि को उप-विभाजित करना और प्लॉट की बिक्री करना/पट्टे पर देना;
- iv) कृषि, वानिकी या भूमि से प्राप्त अन्य उपज का व्यावसायिक रूप से उपयोग करना।

18.4.8 विकास के ग्रेड में परिवर्तन की अनुमति है, बशर्ते खंड 18.4.1 के अनुसार सभी शर्तें पूरी हों। अनिवार्य वनीय क्षेत्र को ग्रेड परिवर्तन के अनुसार बढ़ाया जाएगा। हालांकि, किसी भी स्थिति में एक निश्चित ग्रेड के तहत अनुमोदित होने के बाद यह क्षेत्र कम नहीं किया जाएगा।

18.4.9 दि.वि.प्रा. पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे निचले इलाकों, भूजल पुनर्भरण के लिए संभावित स्थल, उच्च वृक्ष घनत्व के मौजूदा क्षेत्र आदि) की पहचान करेगा, जहां केवल ग्रेड 1 के विकास की अनुमति होगी।

- i) ऐसे भू-स्वामियों को टीडीआर के रूप में मुआवजा दिया जाएगा जिसका उपयोग चिन्हित प्राप्ति-क्षेत्रों के भीतर किया जा सकता है।
- ii) यदि प्लॉट का एक हिस्सा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका उपयोग अनिवार्य वनीय क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। शेष प्लॉट का उपयोग खंड 18.4.1 के अनुसार किसी भी ग्रेड की गतिविधि के लिए किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, प्रतिपूरक टीडीआर केवल पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि के लिए दिया जाएगा।
- iii) सार्वजनिक सभा, आयोजनों और समारोहों के मानदंड संबंधित स्थानीय निकाय की नीति के अनुसार होंगे।

18.5 फार्महाउस के लिए विशेष शर्तें

18.5.1 फार्महाउस के विकास के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी की जानी होंगी:

- i) नए फार्महाउस को एकल (स्टैंडअलोन) प्लॉट या फार्महाउस क्लस्टर के रूप में अनुमति दी जाएगी। न्यूनतम 12 मीटर मार्गाधिकार पर

स्टैंडअलोन प्लॉटों की अनुमति दी जाएगी। फार्महाउस क्लस्टर में, आंतरिक सड़कें 9 मीटर मार्गाधिकार की होंगी, क्लस्टर तक पहुंच 12 मीटर मार्गाधिकार से होनी चाहिए।

- ii) 9 मीटर की न्यूनतम पहुंच वाली निजी भूमि पर निर्मित मौजूदा फार्महाउस को (इस नीति की अधिसूचना की तारीख तक) ग्रेड 2 के अंतर्गत नियमित किया जाएगा।
- iii) जहां मार्गाधिकार 9 मीटर से कम है, वहां सड़क के आसपास सभी भूस्वामी पहुंच संबंधी शर्तों को पूरा करने के लिए भूमि प्रदान करेंगे, हालांकि मूल प्लॉट के अनुसार अनुमेय एफएआर लागू होगा। यदि यह संभव नहीं है, तो आपातकालीन वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए निर्माण उप-विधि (यूबीबीएल)/आईआरसी में दिए गए उपयुक्त न्यूनतम सड़क ज्यामिति के साथ न्यूनतम 6 मीटर मार्गाधिकार प्रदान किया जाएगा।
- iv) मौजूदा फार्महाउस जो ग्रेड 2 के विकास के लिए सेटबैक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, वे अग्रभाग पर और कम से कम 5 मीटर के किसी एक पार्श्व पर सेटबैक प्रदान करेंगे।

18.5.2 सभी फार्महाउस पर विकास के लिए अन्य प्रयोज्य मानक:

- i) फार्महाउस प्लॉट (चाहे स्टैंडअलोन या क्लस्टर का हिस्सा हो) के लिए निर्मित अधिकतम क्षेत्र, 3000 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा, चाहे प्लॉट का आकार कुछ भी हो।
- ii) निर्मित संरचनाओं की ऊंचाई 12 मीटर से अधिक नहीं होगी।
- iii) मौजूदा फार्महाउसों में ऐसे बेसमेंट जो अनुमत एफएआर से अधिक हैं, को अनुमत अधिकतम ग्राउंड कवरेज के अपेक्षित नियमितीकरण शुल्क के भुगतान करने पर नियमित किया जाएगा।
- iv) अनुमेय एफएआर के अलावा, सामुदायिक सेवा कर्मियों के लिए प्रति 4000 वर्गमीटर भूमि क्षेत्र पर प्रत्येक 30 वर्ग मीटर की 2 आवास इकाइयों (प्रति फार्महाउस प्लॉट पर ऐसी अधिकतम 5 आवास इकाइयां) की अनुमति दी जाएगी।

- v) यूबीबीएल के अनुसार चारदीवारी अथवा प्रवेश द्वार के निकट अधिकतम 20 वर्ग मीटर की निगरानी गार्ड इकाई की अनुमति होगी जो एफएआर और सेटबैक मानदंडों से मुक्त होगी ।
- vi) न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार की स्वतंत्र पहुंच के साथ 4000 वर्गमीटर से कम के प्लॉटों का उप-विभाजन नहीं किया जाएगा।

18.6 जीडीए में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी की व्यवस्था

18.6.1 दि.वि.प्रा., सेवा प्रदाता एजेंसियों (SPA) के साथ समन्वय करके जीआईएस आधारित एकीकृत जीडीए योजना (आईजीपी) तैयार करेगा। आईजीपी निम्नलिखित निर्देशों वाली एक स्ट्रक्चर योजना होगी (जिसमें कोई पूर्व-निर्धारित भूमि उपयोग नहीं है):

- i) छोड़े गए क्षेत्र (जैसा कि इस नीति के विनियमों में दिया गया है);
- ii) पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र;
- iii) मुख्य पहुंच सड़कें जो जीडीए तक कनेक्टिविटी मुहैया करेंगी। इसमें सभी महायोजना, क्षेत्रीय योजना सड़कें और कोई भी स्थानीय या राजस्व सड़कें शामिल होंगी।

18.6.2 हरित विकास क्षेत्र से गुजरने वाली महायोजना और क्षेत्रीय योजना सड़कों के संरेखण का पालन किया जाएगा।

18.6.3 जीडीए से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों द्वारा क्षेत्रीय सड़कों का विकास किया जाएगा। ऐसी सड़कों के लिए भूमि की आवश्यकता को प्लानिंग प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जाएगा जैसा कि जीडीए विनियमों में विस्तृत रूप से बताया गया है और इसके लिए टीडीआर जैसे उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान किए जा सकते हैं।

18.6.4 भूस्वामी स्थानीय जरूरतों के अनुसार सामाजिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिताओं जैसे पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, फ्यूल स्टेशन, सब-स्टेशन, टेलीकॉम टॉवर आदि के लिए भूमि प्रदान करेंगे। विशेष सुविधा के लिए निर्दिष्ट मानदंडों, जिनमें सड़क तक पहुँच की शर्तें, सेटबैक आदि शामिल हैं,

का पालन करने की आवश्यकता है। ऐसी सभी सुविधाओं को महायोजना में दी गई अनुमति के अनुसार और अधिसूचित जीडीए विनियमों के अनुसार जीडीए में स्थित किसी भी भूमि पर विकसित किया जा सकता है।

18.6.5 पानी, विद्युत और दूरसंचार के लिए ट्रंक अवसंरचना का निर्माण इस नीति के विनियमों के अनुसार होगा।

--- x --- x ---- x --- x ---

19.0 शहरी पुनरूद्धार

- 19.1.1 दिल्ली में वर्ष 1940 से 1970 के बीच बड़ी संख्या में क्षेत्रों का विकास हुआ, जिसके परिणामस्वरूप यहां पुरानी निर्मित संरचनाओं का एक स्टॉक बना हुआ है। इनमें से कई क्षेत्र जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, जिन्हें पुनरूद्धार की आवश्यकता है और इनका इष्टतम उपयोग किया जा सकता है। इन क्षेत्रों की अलग-अलग विशेषताएं, आवश्यकताएं, क्षमताएं और बाधाएं हैं, जो पूरे शहर भर में पुनरूद्धार के लिए एक सूक्ष्म व सटीक रणनीति की जरूरत पर बल देती हैं।
- 19.1.2 इस कार्यनीति का उद्देश्य पुराने और असुरक्षित इमारतों के स्टॉक को नवीनीकृत करने और इन क्षेत्रों में रहने और काम करने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए नियोजन और डिजाइन उपकरण के रूप में पुनरूद्धार का उपयोग करना है। यह उनकी अंतर्निहित क्षमता को प्रकट करते हुए, भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के प्रावधान के साथ, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के पुनरूद्धार, सार्वजनिक क्षेत्र का संवर्धन तथा चुनिंदा क्षेत्रों में कार्यनीतिक विकास की सुविधा भी प्रदान करेगा।

19.2 मार्गदर्शक सिद्धांत

- 19.2.1 नियोजित आवासीय परिवेश और आर्थिक केंद्रों से लेकर घने अनियोजित क्षेत्रों तक विभिन्न संदर्भों पर ध्यान देने के लिए **सूक्ष्म संरचना**।
- 19.2.2 किसी क्षेत्र के पुनरूद्धार के लिए साधनों के मिश्रण का उपयोग करने के विकल्प के साथ **लचीली संरचना** अर्थात् रेट्रोफिटिंग, पुनर्निर्माण अथवा पूर्ण/आंशिक पुनर्विकास, बशर्ते कि संरचनात्मक सुरक्षा, सतत सेवाएं, और चलने की बेहतर सुविधा की आवश्यकताओं को पूरा किया गया हो। मौजूदा अच्छी गुणवत्ता के निर्मित स्टॉक का पुनःउपयोग निर्माण के लिए एक स्थायी सर्कुलर इकोनोमी दृष्टिकोण है।
- 19.2.3 **पुनरूद्धार हेतु एकीकृत संरचना** जो एकीकृत योजना को प्राप्त करने के लिए, अच्छी तरह से आनुपातिक खुले स्थानों का निर्माण करने, सड़क

नेटवर्क में सुधार करने, पैदल चलने योग्य और सतत स्थल डिज़ाइन के लिए प्लॉटों के समामेलन और पुनर्गठन की अनुमति देता है।

19.2.4 सार्वजनिक परिणामों से जुड़ी प्रोत्साहनात्मक संरचना जो इस शर्त पर उच्च एफएआर या छूटप्रद मानदंड/शुल्क जैसे प्रोत्साहन प्रदान करता है कि परियोजना सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करेगी, उदाहरण के लिए नए सार्वजनिक स्थान और पार्क का निर्माण, सतत विकास आदि।

19.2.5 शहर के उच्च संभावित क्षेत्रों के मूल्य को उजागर करने और उच्चतर एफ.ए.आर., घनत्व और पब्लिक ट्रांजिट नोड्स तथा नेटवर्क के समीप केंद्रित मिश्रित उपयोगों के साथ दीर्घकालिक (25-30 वर्ष) अवधि में बेहतर शहरी रूप को प्राप्त करने हेतु और कार्यनीतिक केंद्रों के विकास की सुविधा प्रदान करना।

19.3 अनुप्रयोज्यता

19.3.1 यह नीति निम्नलिखित को छोड़कर सभी मौजूदा विकसित क्षेत्रों पर लागू होगी:

- i) प्राकृतिक हरित क्षेत्र और जलाशय, नाले और बफर तथा पर्यावरणीय संरक्षण के लिए पहचाने गए किसी भी अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र।
- ii) जोन 'ओ'
- iii) हरित विकास क्षेत्र
- iv) लैंड पूलिंग क्षेत्र
- v) टीओडी नोड्स
- vi) स्मारक निषिद्ध क्षेत्र एवं अधिसूचित विरासत स्थल/प्लॉट
- vii) सिविल लाइंस बंगला क्षेत्र (उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दि.वि.प्रा. के लेआउट प्लान के अनुसार)
- viii) लुटियन्स बंगलो जोन (एनडीएमसी, एलएंडडीओ की लेआउट योजनाओं के अनुसार)
- ix) दूतावास / डिप्लोमैटिक एन्क्लेव / विदेशी मिशन

19.3.2 योजना की अधिसूचना के 6 महीने के भीतर पुनरूद्धार के लिए **विनियम** तैयार और अधिसूचित किए जाएंगे।

19.4 प्लॉट स्तर पर पुनर्निर्माण

19.4.1 दिल्ली में, विरासत भवनों और अवैध संरचनाओं को छोड़कर सभी इमारतों को लागू विकास नियंत्रण मानदंडों के अनुसार एकल प्लॉट स्तर के पुनर्निर्माण की अनुमति है। रीजेनरेशन एफएआर भूखंड स्तर पर अनुमत नहीं होगा पुनर्निर्माण केवल उन भूखंडों के लिए उपलब्ध होगा जो इस नीति की शर्तों को पूरा करते हैं (खंड 19.5 के अनुसार रीजेनरेशन योजना की तैयारी सहित)।

19.4.2 निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार प्लॉट स्तर पर केवल_निम्नलिखित टाइपोलॉजी को पुनर्निर्माण अथवा परिवर्धन/परिवर्तन की अनुमति दी जाएगी:

19.4.2.1 **प्लॉटिड आवासीय विकास** को दि.मु.यो. के अनुसार प्लॉटिड आवास हेतु प्रचलित एफएआर का उपयोग करके एकल प्लॉट स्तर के पुनर्निर्माण की अनुमति दी जाएगी।

i) छोटे आकार के प्लॉटों को केवल 64 वर्गमीटर तक के क्षेत्र में समामेलित किया जा सकता है।

19.4.2.2 **मिश्रित उपयोग स्ट्रीट/व्यावसायिक स्ट्रीट:** आवासीय विकास के मानदंडों के अनुसार प्लॉट-स्तर के पुनर्निर्माण की अनुमति होगी।

i) सड़क के साथ प्लॉटों की एक पंक्ति के रैखिक समामेलन की अनुमति होगी, बशर्ते कि एकल प्लॉट 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के हों। मार्ग के साथ लगातार क्रमबद्ध सक्रिय फ्रंटैज को बनाए रखा जाएगा। इस तरह की योजनाएं प्लॉट के भीतर पार्किंग आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगी।

ii) अनुमत एफएआर में से 10% अतिरिक्त एफएआर स्टैक पार्किंग के लिए प्रदान किया जाएगा।

19.4.2.3 गैर-पदानुक्रमिक व्यावसायिक केंद्र/नामित सीसी/नामित एलएससी/नामित सीएससी/दुकान-एवं-निवास भूखंड: को अनुमेय प्लॉटिड आवासीय एफएआर के अनुसार प्लॉट-स्तर के पुनर्निर्माण की अनुमति दी जाएगी।

- i) अनुमेय ग्राउंड कवरेज मौजूदा संरचना के फुटप्रिंट, सर्कुलेशन स्पेस और खुले स्थल के अनुसार होगा।
- ii) साझा दीवारों वाली दुकानों में, संपत्ति के मालिक परस्पर सहमत हो सकते हैं और ब्लॉक अथवा सड़क स्तर पर पुनर्निर्माण कर सकते हैं।
- iii) अधिकतम दो परस्पर जुड़े प्लॉटों / संपत्तियों को समामेलित किया जा सकता है।

19.4.2.4 शाहजहांनाबाद में गैर-विरासत भवनों वाले प्लॉटों को प्लॉट स्तर के पुनर्निर्माण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अनुसार प्रदान की जाएगी:

- i) परंपरागत समरूपता और गलियों के विन्यास को संरक्षित किया जाएगा। पुनर्संरचना के बगैर मौजूदा प्रचलन पद्धति में सुधार किया जाना चाहिए।
- ii) आवासीय प्लॉट आवास के लिए मानदंडों के अनुसार प्लॉट एफएआर के लिए पात्र होंगे और अधिकतम अनुमेय ऊंचाई 12 मी. होगी। प्लॉट जो अनुमेय एफएआर का उपयोग करने में असमर्थ हैं, वे टीडीआर के लिए पात्र होंगे।
- iii) प्लॉट स्तर पर मौजूदा बेसमेंट भंडारण के लिए उपयोग किया जा सकता है। किसी भी भवन में किसी नए बेसमेंट की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- iv) अनुमेय ग्राउंड कवरेज मौजूदा कवरेज के समान होगा।
- v) बिल्ट-टू-एज फ्रंटेज को पहुंच सड़कों के साथ बनाए रखा जाएगा और चारदीवारी शहर विरासत (वाल्ड सिटी हेरिटेज) जोन में किसी स्टिल्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- vi) अनिवार्य ईसीएस मानदंड चारदीवारी शहर विरासत क्षेत्र में लागू नहीं होंगे, और केवल निवासियों को अल्पतम पार्किंग की अनुमति दी जाएगी।

- vii) गैर-विरासत संरचनाओं वाले अधिकतम 2 प्लॉटों को ही समामेलन की अनुमति होगी।
- viii) भूतल पर स्थानीय स्तर की व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति होगी। पूरे भवन में खुदरा, गेस्ट हाउस, बोर्डिंग और लॉजिंग, सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं, मरम्मत की दुकानें, रेस्तरां आदि की अनुमति दी जाएगी, यदि न्यूनतम 6 मीटर सड़क से पहुँच उपलब्ध है।
- ix) सामाजिक सुविधाओं हेतु मानदंड खंड 19.10.4.2 के अनुसार होंगे।
- x) ऐसे किसी भी बाहर की तरफ उभार/छज्जे/बाल्कनी को अनुमति नहीं दी जाएगी जो 6मी चौड़ाई से कम की सड़क की तरफ खुलते हों।

19.4.2.5 विशिष्ट भवन और शहरी डिजाइन नियंत्रणों के साथ एकीकृत रीजेनरेशन योजनाएं करोल बाग में विशेष क्षेत्रों, चारदीवारी शहर के बाहर के क्षेत्र और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर पहचाने गए किसी भी अन्य क्षेत्रों के लिए मामला दर मामला आधार पर विकसित की जाएंगी।

19.4.2.6 जेजे पुनर्स्थापन कॉलोनियाँ :

- i) प्लॉट स्तर के पुनर्निर्माण हेतु अधिकतम 64 वर्ग मीटर तक की अनुमति प्लॉट के समामेलन के साथ दी जाएगी।
- ii) झुग्गी पुनर्स्थापन के मानदंडों के अनुसार एक जे.जे. पुनर्स्थापन कॉलोनी के तहत पूरे क्षेत्र के लिए पुनरूद्धार योजना की अनुमति दी जाएगी।

19.5 पुनरूद्धार योजनाएं

19.5.1 व्यापक नियोजन के लिए बड़े क्षेत्र को कवर करने वाली पुनरूद्धार योजनाएं (आरपी) तैयार की जाएंगी। इसके उपरान्त, एकल या एकाधिक प्लॉटों के लिए अलग-अलग पुनरूद्धार योजनाएं तैयार और कार्यान्वित की जाएंगी।

- 19.5.2 पुनरूद्धार योजनाएं, पहुंच और सर्कुलेशन प्रदान करने के लिए, लगभग 500 मी. सी/सी की दर से 18-24 मी. सड़कों के सार्वजनिक रोड ग्रिड/नेटवर्क का निर्धारण करेंगी। पुनरूद्धार योजनाओं में अतिरिक्त ढांचागत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- 19.5.3 पुनरूद्धार योजनाओं को दि.वि.प्रा. अथवा किसी विकासकर्ता संस्था (डीई) द्वारा तैयार किया जा सकता है जो पुनरूद्धार योजनाओं को हाथ में लेने के लिए इच्छुक हो। डीई द्वारा इस प्रकार तैयार पुनरूद्धार योजनाओं को दि.वि.प्रा. अथवा स्थानीय निकाय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह क्षेत्र आता है। डीई किसी विशेष क्षेत्र जहां एक से अधिक पुनरूद्धार योजनाओं की पहचान की गई है, के लिए पुनरूद्धार योजनाएं तैयार करने हेतु दि.वि.प्रा. से भी संपर्क कर सकते हैं।
- 19.5.4 पुनरूद्धार योजनाओं को न्यूनतम 4 हेक्टेयर के क्षेत्र के लिए अथवा ऐसे किसी क्षेत्र के लिए अनुमोदित किया जा सकता है जिसकी सुस्पष्ट चारदीवारी हो।
- 19.5.4.1 किसी मौजूदा स्वीकृत लेआउट योजना की पुनरूद्धार योजना अथवा किसी पॉकेट/ब्लॉक/अन्य सब-डिवीजन जिसमें सुस्पष्ट सीमाएं हैं, पर विचार किया जाएगा। एक लम्बे छोर के साथ न्यूनतम 18 मीटर मार्गाधिकार से सीधी पहुंच इसके लिए अनिवार्य है। उदाहरण के लिए एक ग्रूप हाउसिंग कॉलोनी में कोई पॉकेट या सेक्टर अथवा किसी औद्योगिक लेआउट का एक सब-डिवीजन।
- 19.5.4.2 एलएससी, सीसी, डीसी और एकीकृत कार्यालय परिसर के लिए पुनरूद्धार योजनाओं को पूरे अनुमोदित लेआउट के लिए तैयार किया जाएगा।
- 19.5.5 पुनरूद्धार योजनाओं के अनुमोदन पर, आरपी के भीतर छोटे क्षेत्र निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, एकल पुनरूद्धार योजनाओं हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं:
- 19.5.5.1 न्यूनतम निर्धारित पहुंच शर्तों को पूरा किया जाता है।

19.5.5.2 पुनरूद्धार योजनाओं को खाली भूमि पर अनुमति नहीं दी जाएगी। योजना क्षेत्र पर कम से कम 50% संचयी एफएआर (निर्माण के समय अनुमेय) पुनरूद्धार हेतु योजना प्रस्तुत करते समय निर्मित किया जाना चाहिए। यह शर्त कार्यनीतिक क्षेत्रों अर्थात टीओडी स्कीमों, व्यवसाय संवर्धन जिलों अथवा योजना द्वारा अधिसूचित किसी अन्य कार्यनीतिक क्षेत्र पर लागू नहीं होगी।

19.5.6 सड़कों और सार्वजनिक सुविधाओं को अनुमोदित पुनरूद्धार योजनाओं के अनुसार सभी पुनरूद्धार योजनाओं में प्रदान किया जाएगा।

19.6 नियोजित लेआउट में पुनरूद्धार योजनाओं हेतु मानदंड

19.6.1 पुनरूद्धार योजनाओं में न्यूनतम 18 मी. मार्गाधिकार सड़क से पहुँच होगी। उसी सकल भूमि उपयोग वाले प्लॉटों के लिए ही समामेलन की अनुमति होगी। पूरी योजना क्षेत्र के लिए प्लॉटों का पुनर्गठन किया जा सकता है।

19.6.1.1 खंड 19.2.2 के अनुसार सभी योजनाओं को पुनरूद्धार हेतु कार्यनीतियों के मिश्रण का उपयोग करने की अनुमति होगी।

19.6.1.2 सार्वजनिक क्षेत्र, जैसे सड़कें, खुली जगह, नाले आदि को एकीकृत योजना के लिए शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि सार्वजनिक सड़कें 18 मी. मार्गाधिकार से कम हों, और 5 मी. से कम चौड़ाई वाले सार्वजनिक नाले हों, और सार्वजनिक पार्क 'टॉट-लॉट्स' से बड़े आकार के नहीं हों और इससे आसपास के प्लॉटों तक पहुँच में कोई बाधा नहीं हो। ऐसे क्षेत्रों पर अनुमेय एफएआर और ग्राउंड कवरेज की गणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

19.6.1.3 प्लॉटों के पुनर्गठन की अनुमति होगी। मौजूदा सड़कों और खुले स्थानों के पुनःसंयोजन की अनुमति होगी, बशर्ते कि:

- i) पुनःसंयोजित किए गए लेआउट, सड़कों और खुले स्थानों के तहत समान या अधिक क्षेत्र प्रदान करते हों। जिन क्षेत्रों में सड़कों का ठीक-ठाक नेटवर्क पहले से मौजूद है, उसे यथासंभव बनाए रखा जाना चाहिए।
- ii) सार्वजनिक पार्कों और सड़कों के पुनर्गठन के लिए संबंधित सार्वजनिक एजेंसियों से विधिवत अनुमोदन लेना होगा। पुनर्गठित सार्वजनिक क्षेत्रों को संबंधित सार्वजनिक एजेंसी को सौंप दिया जाएगा, और यह

जनता के लिए खुला रहेगा। इससे मौजूदा पेड़ों का शून्य अथवा न्यूनतम क्षति होगी।

19.6.1.4 पुनरूद्धार योजनाओं को मौजूदा आवश्यकता से अधिक और अतिरिक्त जल आपूर्ति नहीं मिलेगी, सिवाय रिक्त भूमि वाली योजनाओं को छोड़कर, जिनके लिए अतिरिक्त पानी की आपूर्ति मामला-दर-मामला आधार पर की जा सकती है। पानी की अतिरिक्त आवश्यकता को पानी के पुनर्चक्रण और वर्षा जल के संचयन/एकत्रीकरण द्वारा पूरा किया जाना चाहिए।

19.6.2 किसी पुनरूद्धार योजना के लिए न्यूनतम क्षेत्र 3000 वर्गमीटर होगा। इसमें सहकारी समूह आवासीय समितियों के लिए 2000 वर्ग मीटर और औद्योगिक प्लॉटों के लिए 1000 वर्गमीटर की छूट दी जाएगी।

19.6.3 निम्नलिखित खंडों में विभाजित पुनरूद्धार एफएआर, पुनरूद्धार योजनाओं पर लागू होगा।

क्र.सं.	प्रोत्साहन पुनरूद्धार एफएआर की गणना हेतु कारक	विकास का मापन (कम से कम 3000 वर्ग मी. लेकिन 1 हेक्टेयर से कम)*	विकास का मापन (कम से कम 1 हेक्टेयर लेकिन 4 हेक्टेयर से कम)	विकास का मापन (4 हेक्टेयर तथा उससे ऊपर)
1	सामान्य पुनरूद्धार कारक (सभी पुनरूद्धार योजनाओं हेतु उपलब्ध)	1.1X**	1.15X	1.2X
2	सतत शहरी सेवाएं (एसयूएस) कारक (नीचे दिए गए 2ए और 2बी आवश्यकताओं को लागू करने हेतु उपलब्ध अतिरिक्त एफएआर)			
2A	ग्रीन रेटिंग***	0.15X (यदि प्लैटिनम/5 ग्रीन रेटिंग प्राप्त है)		
2B	20% सार्वजनिक खुले हरित क्षेत्र	लागू नहीं	0.05X	

3	आयु कारक (अतिरिक्त एफएआर केवल उन्ही योजनाओं के लिए उपलब्ध जिनमें 50% इमारतें 40 वर्ष से अधिक पुरानी हैं)	0.1X		
अधिकतम प्रोत्साहन पुनरूद्धार एफएआर		1.35X	1.45X	1.5X

* औद्योगिक और सहकारी समूह आवास प्लॉटों के लिए न्यूनतम योजना क्षेत्र खंड 19.6.2 के अनुसार होगा।

**X पुनरूद्धार योजना में शामिल किए जाने वाले प्रत्येक प्लॉट हेतु वर्तमान अनुमेय एफएआर को दर्शाता है।

***समय-समय पर सरकार द्वारा अनुमोदित कोई भी ग्रीन रेटिंग प्रणाली।

19.6.4 पुनरूद्धार योजनाओं में निम्नलिखित लागू होंगे:

19.6.4.1 योजना के भीतर विभिन्न परिसरों को डीसीएन के अनुसार अतिरिक्त उपयोग की अनुमति होगी।

19.6.4.2 = योजना के मानदंडों के अनुसार पुनरूद्धार योजना के भीतर अच्छी गुणवत्ता वाले ईडब्ल्यूएस आवास प्रदान किए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस एफएआर, आवासीय एफएआर के अतिरिक्त होगा, जिसकी योजना में अधिकतम अनुमेय आवासीय एफएआर के 15% के रूप में गणना की जाएगी। ईडब्ल्यूएस आवास की आवश्यकता को योजना के भीतर एक पृथक व अच्छी तरह से डिजाइन क्षेत्र के रूप में पूरा किया जाएगा, जिसमें निम्न/मध्य-वृद्धि, उच्च घनत्व निर्मित स्वरूप, सार्वजनिक हरित स्थल के उपयोग और सामाजिक सुविधाएं शामिल होंगी।

19.6.4.3 3000 वर्गमीटर से कम क्षेत्र की योजनाओं के लिए, किसी वैकल्पिक स्थल पर निर्धारित ईडब्ल्यूएस आवास के सामूहिक प्रावधान का विकल्प भी खोजा जा सकता है।

19.6.4.4 योजना क्षेत्र का 10% स्थान अनिवार्य रूप से सार्वजनिक उपयोग के लिए एक समेकित हरित सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, और इसे स्थानीय निकाय/दि.वि.प्रा. को सौंप दिया जाएगा। 1 हेक्टेयर और उससे अधिक क्षेत्र वाली योजनाओं में, इस आवश्यकता को एक से अधिक भूखंड प्रदान करते हुए पूरा किया जा सकता है, जो कि

समुदाय के लिए सार्वजनिक स्थल के रूप में उपयोग करने योग्य हो और जिसमें कम से कम एक भूखंड 1,000 वर्गमीटर का हो।

19.6.4.5 सभी पुनरूद्धार योजनाएं 0.2 का जीबीएफ कारक प्राप्त करेंगी। (देखें: डीसीएन)

19.6.4.6 नालों अथवा जलाशयों के साथ स्थित सभी योजनाएं, ईएनवी2 के अनुसार न्यूनतम अनिवार्य बफर्स और भवन अभिविन्यास बनाए रखेंगी।

19.6.4.7 1 हेक्टेयर से अधिक आकार वाले प्लॉटों की सभी योजनाएं, एचसीपी1 के अनुसार सार्वजनिक प्लाजा प्रदान करेंगी। प्रमुख सड़कों पर कॉर्नर प्लॉट, अनिवार्य रूप से कॉर्नर प्लाजा की सुविधा प्रदान करेंगे।

19.6.4.8 18 मीटर और उससे अधिक मार्गाधिकार वाली सभी सड़कों पर सक्रिय फ्रंटेज रखा जाएगा।

i) 70% भवनों के किनारों पर 3 मीटर का एक सेटबैक बिल्ट-टू-एज विकास के रूप में बनाए रखा जाएगा। इस तरह के बिल्ट-टू-एज फ्रंटेज का कम से कम 50% आर्केड्स, कोलोनेड्स, शॉप-फ्रन्ट्स, पैदल यात्री प्रवेश, प्लाजा आदि का उपयोग करते हुए ग्राउंड/पोडियम फ्लोर पर सक्रिय रखा जाएगा। आवासीय योजनाएँ कम से कम 20% सक्रिय फ्रंटेज बनाए रखेंगी।

ii) भवनों को 10 मी. अथवा दो मंजिलों की उंचाई तक रखा जाएगा।

19.6.5 आवासीय योजनाओं के मामले में:

19.6.5.1 योजना में स्थानीय स्तर की सुविधाओं (सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को छोड़कर) को संबंधित एजेंसियों के अनुमोदन के साथ शामिल किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, योजना में इसी प्रकार की समकक्ष सुविधाओं और क्षेत्र/यथानुपातिक आधार पर मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

19.6.5.2 अतिरिक्त स्थानीय सुविधाओं के प्रावधान के लिए कम से कम 5% स्वीकृत एफएआर का उपयोग किया जाएगा। 4 हेक्टेयर या उससे

अधिक आकार वाली योजनाएं प्रचलित मानदंडों के अनुसार शहर स्तर की पीएसपी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पात्र होंगी।

- 19.6.5.3 एफएआर का 5% व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है (जैसा कि सीएससी और एलएससी में अनुमेय है)।
 - 19.6.5.4 इस तरह के पीएसपी और व्यावसायिक उपयोग, जैसा कि खंड 19.6.5.2 और 19.6.5.3 में दिया गया है, ऊर्ध्वाधर मिश्रण के माध्यम से विकसित किए जा सकते हैं।
 - 19.6.5.5 योजना क्षेत्र (सहकारी समूह आवास समितियों के मामले में भी, जिसके लिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज द्वारा संबंधित विनियमों/अधिनियमों में संशोधन किया जा सकता है) में आवास इकाइयों की संख्या में वृद्धि की अनुमति दी जाएगी।
- 19.6.6 पारगमन स्टेशनों के 500 मीटर के दायरे में रीजेनरेशन योजनाओं के मामले में (टीओडी नोइस के रूप में घोषित को छोड़कर), निम्नलिखित की अनुमति होगी:
- 19.6.6.1 ग्राउंड कवरेज अधिकतम 50% तक
 - 19.6.6.2 टीओडी योजनाओं में लागू पार्किंग मानदंड
 - 19.6.6.3 आवासीय योजनाएं पीएसपी सुविधाओं के प्रावधान के लिए अनुमेय एफएआर के 10% तक का उपयोग कर सकती हैं

19.7 कार्यनीतिक पुनरूद्धार

- 19.7.1 व्यवसाय प्रोत्साहन जिले (बीपीडी) को कार्यनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। बीपीडी के रूप में पहचाने गए पूरे क्षेत्र के लिए पुनरूद्धार योजना तैयार की जाएगी।
- 19.7.2 **बीपीडी के भीतर योजनाओं को** खंड 19.6.1 और 19.6.4 के अनुसार विकसित किया जाएगा, उच्च पुनरूद्धार एफएआर को ऐसी योजनाओं के लिए निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रदान किया जाएगा:

क्र.सं.	प्रोत्साहन पुनरूद्धार एफएआर की गणना हेतु कारक	विकास का मापन (कम से कम 5000 वर्ग मी. लेकिन 1 हेक्टेयर से कम)	विकास का मापन (कम से कम 1 हेक्टेयर लेकिन 4 हेक्टेयर से कम)	विकास का मापन (4 हेक्टेयर तथा उससे ऊपर)
1	बेस पुनरूद्धार कारक (बीपीडी के साथ सभी पुनरूद्धार योजनाओं हेतु उपलब्ध)	1.2X*	1.3X	1.4X
2	सतत शहरी सेवाएं (एसयूएस) कारक (नीचे दिए गए 2ए और 2बी आवश्यकताओं को लागू करने हेतु उपलब्ध अतिरिक्त एफएआर)			
2A	ग्रीन रेटिंग	0.15X (यदि प्लैटिनम/5 ग्रीन रेटिंग प्राप्त है)		
2B	20% सार्वजनिक खुले हरित क्षेत्र	लागू नहीं	0.05X	
3	उपयोग संवर्धन (यूएसपी) कारक (केवल गैर आवासीय उपयोगों को लागू करने के लिए ही अतिरिक्त एफएआर उपलब्ध)	0.2X	0.2X	0.2X
अधिकतम प्रोत्साहन पुनरूद्धार एफएआर		1.55X	1.7X	1.8X

*X 'आधार एफएआर' को दर्शाता है, अर्थात पुनरूद्धार योजनाओं में शामिल किए जा रहे प्रत्येक प्लॉट के लिए वर्तमान अनुमेय एफएआर।

7.3 बीपीडी के भीतर योजनाओं को योजना स्तर पर अधिकतम 275 एफएआर, और टीडीआर के रूप में अतिरिक्त 25 एफएआर की अनुमति होगी।

19.8 अविकसित निजी भूखंडों का एकीकरण

19.8.1 दिल्ली में कुछ निजी स्वामित्व वाली भूमि पॉकेट्स/खंड हैं, जो कई कारणों से अब तक नियोजित विकास के दायरे से बाहर रहे हैं, जैसे अधिग्रहण की अनधिसूचना, अधिग्रहण से बहिष्कार, कानूनी अतिक्रमण आदि। ऐसी भूमि पॉकेट्स का नियोजित विकास "निजी स्वामित्व वाली भूमि के नियोजित विकास को सक्षम बनाने हेतु विनियम" के अनुसार होगा।

19.9 अनियोजित क्षेत्रों का पुनरूद्धार

19.9.1 दिल्लीवासियों की एक बड़ी आबादी भवनों की खराब स्थिति, अपर्याप्त पहुंच (विशेषकर आपात स्थिति के दौरान), और अपर्याप्त भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे की विशेषता वाले अनियोजित और/अथवा अनधिकृत क्षेत्रों में रहती है और काम करती है। हालांकि, ये क्षेत्र उच्च घनत्व, मिश्रण-उपयोग के केन्द्र के रूप में उभरे हैं, जो आवास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए किफायती विकल्प प्रदान करते हैं। कई धरोहर शहरी गांव भी नवीनतम खुदरा और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्थाओं के केंद्र के रूप में अपने आप को फिर से उभार रहे हैं। इन क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों, अवसंरचना और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करते हुए इस क्षमता को पुनःसुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

19.9.2 शहर में अनियोजित क्षेत्रों के चार व्यापक प्रकारों की पहचान की गई है। प्रत्येक प्रकार के लिए पुनरूद्धार के प्रावधान प्रदान किए गए हैं:

- i) अनधिकृत कालोनियां (यूसी), जिनमें नियमित की गई अनधिकृत कालोनियां और नियमितीकरण के लिए चिह्नित की गई कालोनियां शामिल हैं। (19.10)
- ii) शहर में अधिसूचित लाल डोरा और विस्तारित लाल डोरा क्षेत्रों सहित शहरी गांव (खंड 19.10.6 देखें)
- iii) स्लम और जेजे क्लस्टर (खंड 19.11 देखें)
- iv) असंगत औद्योगिक क्षेत्र (खंड 19.12 देखें)
- v) असंगत गोदाम क्लस्टर (खंड 19.13 देखें)

19.10 यूसी का पुनरूद्धार

19.10.1 यूसी/पार्ट यूसी में निम्नलिखित प्रकार से सुधार किया जाएगा:

- i) संबंधित भूमि अथवा संपत्ति के मालिक अथवा आरडब्ल्यूए एक पुनरूद्धार योजना के साथ आगे आ सकते हैं। ऐसी योजनाओं को लेआउट और निर्माण मंजूरी हेतु स्वतंत्र लेआउट के रूप में माना जाएगा, और नियमित लेआउट के साथ अथवा इसके बगैर इन्हें किसी भी अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) में प्रस्तावित किया जा सकता है।
- ii) विनियमों के अनुसार यूसी अपने मौजूदा लेआउट के नियमितीकरण के लिए वैकल्पिक रूप से आवेदन कर सकती हैं। एक बार लेआउट स्वीकृत हो जाने

के बाद, एकल भूमि / संपत्ति के मालिक निर्माण योजना की मंजूरी के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

19.10.2 अनधिकृत कॉलोनी (यूसी) पुनरूद्धार योजनाएं: यूसी/पार्ट यूसी जो यूसी पुनरूद्धार योजना को लागू करना चाहती है वह एक विकासकर्ता संस्था (डीई) के रूप में सामने आएगी और संबंधित विनियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार एक योजना प्रस्तुत करेगी। इस हेतु निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे:

19.10.2.1 इस योजना क्षेत्र में 12 मीटर मार्गाधिकार (योजना की परिधि के कम से कम 15% के लिए) की मौजूदा सड़क से सीधी पहुंच होगी। इस मानदंड को सड़क को चौड़ा करने के लिए क्षेत्र प्रदान करके पूरा किया जा सकता है, बशर्ते कि इस योजना में एक पूरी सड़क को शामिल किया जाए, जो कम से कम एक तरफ से न्यूनतम 12 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़क से जुड़ती हो।

19.10.2.2 चार प्रकार की योजनाओं को प्रस्तावित किया जा सकता है:

- i) स्तर 1: 2,000 - 3,000 वर्गमीटर समेकित भूमि क्षेत्र
- ii) स्तर 2: 3,000 - 5,000 वर्गमीटर समेकित भूमि क्षेत्र
- iii) स्तर 3: 5,000 - 10,000 वर्गमीटर समेकित भूमि क्षेत्र
- iv) स्तर 4: 10,000 वर्गमीटर से अधिक समेकित भूमि क्षेत्र

19.10.2.3 सड़कों के विकास अथवा उन्हें चौड़ा करने के लिए निर्धारित सेटबैक्स का एक बड़ा हिस्सा उपयोग किया जाएगा। यह न केवल यूसी के भीतर पहुंच में सुधार करेगा, बल्कि न्यूनतम पहुंच की शर्त को पूरा करके, अनियोजित क्षेत्रों को यूसी पुनरूद्धार योजनाओं के साथ आगे आने के अवसर भी प्रदान करेगा। इस प्रकार, जब भी आवश्यकता होगी, सार्वजनिक सड़कों के लिए सभी भूमि संबंधित स्थानीय निकाय को सौंप दी जाएगी।

19.10.2.4 डीई यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना नियमित आकार और सीमा में है। सड़क के साथ प्लॉटों की एकल पंक्ति के रैखिक समामेलन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि एकल प्लॉट 750 वर्ग मीटर या अधिक क्षेत्र में न हों।

19.10.2.5 दो या अधिक समीपवर्ती यूसी/पार्ट यूसी को एकल यूसी पुनरूद्धार योजना के तहत लाया जा सकता है। एक योजना में यूसी की सीमा के बाहर का अतिरिक्त क्षेत्र भी शामिल हो सकता है, यदि दोनों तरफ की भूमि/संपत्ति के मालिक इसे एकीकृत तरीके से नियोजित करने हेतु सहमत

हों। यह अतिरिक्त क्षेत्र, योजना क्षेत्र के 25% से अधिक नहीं होगा, और एफएआर की गणना के लिए इस क्षेत्र पर भूमि उपयोग के अनुसार दि.मु.यो. मानदंड लागू होंगे।

19.10.2.6 एकीकृत योजना के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र जैसे सड़क, खुली जगह, नाले आदि को स्तर 3-4 योजनाओं में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, ऐसी सार्वजनिक सुविधाओं के तहत क्षेत्र को न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने अथवा एफएआर, तथा ग्राउंड कवरेज की गणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों को अंतिम लेआउट के हिस्से के रूप में पुनःसंयोजित किया जा सकता है, बशर्ते कि खंड 19.4.5 में उल्लिखित सभी सामान्य शर्तों का पालन किया जाए।

19.10.3 अनधिकृत कॉलोनियों (यूसी) में पुनरूद्धार योजनाओं हेतु एफएआर:

19.10.3.1 किसी अनधिकृत कॉलोनी पुनरूद्धार योजना के लिए एफएआर की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

प्लॉट का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	अनुमेय एफएआर*
175 तक	350
175 से 250 तक	300
250 से 750 तक	250
750 से 1500 तक	225
1500 तथा इससे अधिक	200

*यदि किसी प्लॉट के लिए गणना किया गया क्षेत्र, इस हेतु निर्धारित निम्न श्रेणी क्षेत्र से कम है तो ऐसे प्लॉट के लिए निम्न श्रेणी के अधिकतम निर्मित क्षेत्र को अनुमति दी जाएगी।

19.10.3.2 यूसी में सुविधाओं की उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए, एक विशेष सुविधा एफएआर, प्रोत्साहन पुनरूद्धार एफएआर के रूप में उपलब्ध होगा:

अनधिकृत कॉलानी पुनरूद्धार योजना का स्तर	सुविधा एफएआर	विनियामक शर्तें
स्तर 1	20	माध्यमिक स्कूलों और शहर-

स्तर 2	30	स्तरीय सुविधाओं की अनुमति नहीं होगी ।
स्तर 3	40	सभी पीएसपी उपयोग की अनुमति होगी, बशर्ते कि खुली जगह की आवश्यकताएं पूरी की गई हों। शहर स्तर की सुविधाओं हेतु अलग प्रवेश/निकास तथा सर्विस कोर प्रदान किया जाएगा।
स्तर 4	50	

19.10.3.3 अनुमेय योजना एफएआर सभी संघटक भूमि खंडों के एफएआर का योग होगा, जिसमें अतिरिक्त एफएआर के साथ सुविधा एफएआर के रूप में अतिरिक्त एफएआर शामिल होगा।

19.10.3.4 सभी योजनाओं के लिए भूमि का आधार उपयोग आवासीय होगा।

i) जबकि दि.मु.यो. के मानक 200 एफ.ए.आर. को आधार एफएआर माना जाएगा और यह किसी भी नियमितीकरण शुल्क से मुक्त होगा, सभी अतिरिक्त योजना स्तर एफएआर को दि.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित दरों पर डीई को खरीदना होगा। इस तरह के शुल्क डीई द्वारा बनाए गए 60 वर्गमीटर के प्रत्येक सस्ते किराये की आवास इकाई के लिए माफ किए जाएंगे, और 15 वर्षों की अवधि के लिए विनियमित किराए पर इन्हें बनाए रखा जाएगा। ऐसी संपत्तियाँ एक सार्वजनिक किराये की आवास सूची का हिस्सा होंगी, और इस तरह की संपत्तियों के सभी किराये के लेनदेन को इस उद्देश्य के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा सृजित एक पोर्टल के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा।

ii) अंतिम योजना एफएआर का 5% स्थानीय स्तर पर व्यावसायिक और पीएसपी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाएगा। डीई के पास इस तरह की सुविधाओं के लिए 15% तक के एफएआर का उपयोग करने का विकल्प होगा।

19.10.4 अनधिकृत कॉलोनियों में पुनरुद्धार योजनाओं हेतु अन्य विकास मानदंड:

19.10.4.1 निम्नलिखित अन्य विकास मानदंड लागू होंगे:

मानदंड	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	स्तर 4
ग्राउंड कवरेज	50% तक	50% तक	40% तक	40% तक
छोर की स्थिति के अनुसार न्यूनतम सेटबैक*	- 12 मी. और इससे अधिक के मार्गाधिकार पर 2 मी. - 12 मी. से कम मार्गाधिकार से पहुंच पर साइडों पर 4.5 मीटर - विद्यमान निर्मित क्षेत्र से जुड़े सभी साइडों पर 6 मीटर			
सार्वजनिक स्थल**	एक ही प्लॉट के रूप में 10%	एक ही प्लॉट के रूप में 10%	सार्वजनिक उद्देश्य के लिए प्लॉट के रूप में 10% जिसमें कम से कम 500 वर्गमीटर का एक प्लॉट शामिल हो।	सार्वजनिक उद्देश्य के लिए प्लॉट के रूप में 10% जिसमें कम से कम 1000 वर्गमीटर का एक प्लॉट शामिल हो।
पार्किंग	1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर।			
सामाजिक आधारिक संरचना हेतु भूमि***	-	1 से 3 किमी के दायरे में पहले से मौजूद मौजूदा उपलब्ध आधारिक संरचना के आधार पर 5% से 15%		

*सेटबैक को हर समय बाधा रहित रखा जाएगा और आवश्यकता होने पर सड़क को चौड़ा करने /निर्माण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा

**इसमें न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार से पहुंच होगी और इसे स्थानीय निकाय को अंतरित किया जाएगा। स्थानीय निकाय आवश्यकता के अनुसार पार्क, प्लाजा अथवा उपयोगिताओं की स्थापना के लिए ऐसे सार्वजनिक स्थान का उपयोग कर सकते हैं।

***इसे न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार से पहुंच के साथ एक समेकित भूखंड के रूप में प्रदान किया जाएगा, और स्थानीय निकाय को अंतरित किया जाएगा। स्थानीय निकाय स्कूलों या बहु-सुविधा (स्वास्थ्य सुविधाएं, सामुदायिक हॉल, बस्ती विकास केंद्र, पुलिस पोस्ट, चाइल्ड-केयर सेंटर, प्रारंभिक शिक्षा केंद्र, छोटे पैमाने पर गैर-प्रदूषणकारी आर्थिक गतिविधियाँ, सामुदायिक ग्रीन-वेस्ट रीसाइक्लिंग, ढलाव अथवा सामग्री प्राप्ति केंद्र, अनौपचारिक बाजार आदि को मिलाकर) केंद्रों के प्रावधान के लिए भूमि का उपयोग कर सकते हैं।

19.10.4.2 यूसी पुनरुद्धार योजनाओं के हिस्से के रूप में, सामाजिक आधारिक संरचना के प्रावधान के लिए निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे:

सुविधा*	पृथक प्लॉट पर निर्मित सुविधाएं	ऊर्ध्वाधर मिश्रण के माध्यम से दी
---------	--------------------------------	----------------------------------

				जाने वाली सुविधाएं	
	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र (वर्गमीटर)	एफए आर	ग्राउंड कवरेज (%)	न्यूनतम निर्मित क्षेत्र (वर्गमीटर)	अतिरिक्त शर्तें
प्राथमिक स्कूल	800	120	30	960	खुले स्थल की आवश्यकताओं को पूरा करना।
सीनियर सेकेंडरी स्कूल	2000	150	35	3000	खुले स्थल की आवश्यकताओं को पूरा करना।
कोई अन्य स्थानीय सुविधा	बहु सुविधा सेंटर के रूप में 500 - 1000	120	30	600	अधिकतम 50 बिस्तरों वाली सुविधा (60 वर्गमीटर प्रति बिस्तर की दर से) के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को तैयार किया जा सकता है।

19.10.4.3 एक बार पुनरूद्धार योजना का अनुमोदन हो जाने के उपरान्त, स्तर 4 योजनाओं के मामले में न्यूनतम 3,000 वर्गमीटर के छोटे ब्लॉक के लिए कार्यान्वयन की अनुमति दी जा सकती है।

19.10.5 मौजूदा यूसी की लेआउट योजना का अनुमोदन विनियमों के अनुसार होगा।

19.10.5.1 एक बार लेआउट प्लान को मंजूरी मिल जाने के बाद, एकल प्लॉट-लेवल बिल्डिंग प्लान स्वीकृतियों हेतु आवेदन संबंधित स्थानीय निकाय को प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

19.10.5.2 सभी स्वीकृत प्लॉटों का भूमि उपयोग 'आवासीय' होगा। हालांकि, ऐसे यूसी के भीतर स्थानीय स्तर की सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित की अनुमति होगी:

- खंड 19.2.12 में उपरोक्त वर्णित उर्ध्वाधर मिश्रण के मानदंडों के अनुसार, 100 वर्गमीटर या उससे अधिक और 9मी. मार्गाधिकार के अंतर्गत आने वाले प्लॉटों को स्थानीय स्तर की सुविधाओं (सेकेंडरी स्कूलों को छोड़कर) के लिए आवासीय एफएआर का 100% तक उपयोग करने की अनुमति होगी।

- ii) न्यूनतम 6 मीटर मार्गाधिकार के साथ पहुंच वाले सभी प्लॉटों पर 5% तक व्यावसायिक कार्यों की अनुमति होगी।
- iii) इस तरह के उपयोगों को 'जहां है' वहां अनुमोदन के भाग के साथ-साथ प्लॉट स्तर के पुनर्निर्माण के रूप में अनुमति दी जाएगी।

19.10.6 **समृद्ध अनधिकृत कॉलोनियां:** समृद्ध यूसी, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा चिन्हित है, निर्धारित मानदंडों के अनुसार लेआउट योजना अनुमोदन और पुनरुद्धार योजनाओं के विकास के लिए पात्र होंगे।

19.11 स्व-स्थाने स्लम पुनर्वास योजनाएं

19.11.1 निम्नलिखित मानदंड स्व-स्थाने स्लम पुनर्वास योजनाओं के लिए लागू होंगे।

19.11.1.1 2000 वर्गमीटर (न्यूनतम 9मी. मार्गाधिकार पर) के न्यूनतम आकार वाले समूह आवास मानदंडों की अनुमति होगी। भूमि के आवासीय घटक पर अधिकतम 900 डीयू/हेक्टेयर सघनता की अनुमति होगी।

19.11.1.2 चिन्हित लाभार्थियों (प्रति डीयू 25-40 वर्गमीटर की दर से) को आवास प्रदान करने के लिए न्यूनतम 60% स्थल का उपयोग किया जाएगा, और अधिकतम 40% लाभकारी घटक होगा।

19.11.1.3 योजना को समग्र रूप से 400 के अधिकतम एफएआर के साथ लाभकारी भूमि के आवासीय घटक पर समग्र तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए। मिश्रित उपयोगों वाली भूमि के लाभकारी घटक पर 300 का एफएआर लागू होगा।

19.11.1.4 परियोजना/योजना के तहत समायोजित जनसंख्या के अनुसार, स्थानीय सुविधाओं को आवासीय एफएआर के हिस्से के रूप में प्रदान किया जाएगा। अधिभोगी परिवारों की आजीविका को बढ़ावा देने और नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, आवासीय घटक के अनुमेय एफएआर का 10% अनिवार्य रूप से व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों के सृजन के लिए उपयोग किया जाएगा। ऐसी सुविधाओं को ऊर्ध्वधर मिश्रण के भाग के रूप में समायोजित किया जा सकता है। सर्विस फ्लोर को सामुदायिक कार्य केंद्रों के रूप में उपयोग करने

की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि वहां कोई स्थायी संरचनाएं/फिक्चर्स नहीं बनाए गए हों।

- 19.11.1.5 सामुदायिक केंद्रों (न्यूनतम 18 मी. मार्गाधिकार वाली परियोजनाएं) और जिला केन्द्रों (30 मी. या उससे अधिक की मार्गाधिकार वाली परियोजनाओं) में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति होगी।
- 19.11.1.6 साइजा पार्किंग 0.5 ईसीएस प्रति 100 वर्गमीटर के तल क्षेत्र में आवासीय घटक के लिए प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें आवश्यकतानुसार छूट दी जा सकती है। लाभकारी उद्देश्यों के लिए संगत प्रासंगिक भूमि उपयोग के अनुसार लागू होगी।
- 19.11.1.7 निजी भागीदारों के लिए पर्याप्त लाभ सुनिश्चित करते हुए, इस तरह की योजनाओं के सामाजिक विकास के उद्देश्यों की प्राथमिकता को सुनिश्चित करने के लिए टीडीआर और/अथवा व्यवहार्यता गैप फंडिंग जैसे अभिनव वित्तपोषण तंत्र का उपयोग किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए कई योजनाओं को एक साथ विलय करने की संभावना की भी जांच की जा सकती है।
- 19.11.1.8 विशिष्ट स्थितियों में समग्र व्यापक योजना बनाने के लिए आसपास में जेजे साइटों के साथ बिखरे हुए भूखंडों को एक साथ मिलाने की आवश्यकता हो सकती है।

19.12 अनियोजित औद्योगिक क्षेत्रों का पुनरुद्धार

- 19.12.1 नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने पुनर्विकास के लिए असंगत क्षेत्रों में औद्योगिक संकेन्द्रण के क्लस्टरों को अधिसूचित किया है (अनुलग्नक 9)। ऐसे समूहों में 70% से अधिक प्लॉटों में औद्योगिक गतिविधियाँ होती हैं।
- 19.12.2 पुनर्विकास प्रक्रिया में सड़कों को चौड़ा करने, सेवाओं को मुहैया कराने, खुली जगह के विकास, पार्किंग आदि के लिए पुनर्विकास योजना तैयार करना शामिल है।

19.12.3 व्यावहारिक रूप में, ये क्षेत्र सेवाओं के संदर्भ में कम हैं, और पर्यावरण को खतरे में अधिक डालते हैं। ऐसे क्षेत्रों के पुनर्विकास को स्पष्ट रूप से परिभाषित मानदंडों के आधार पर करने की आवश्यकता है, स्वामियों/ उद्यमियों की भागीदारी के साथ आवश्यक बुनियादी ढाँचे के प्रावधान के बारे में उद्योगों के प्रकारों को एक व्यवस्थित तरीके से अनुमति दी जा सकती है, जो स्थानिक नियोजन मानदंडों और पर्यावरण से संबंधित शर्तों के संदर्भ में हो।

19.12.4 मौजूदा वास्तविकताओं, साथ ही साथ नियोजित विकास की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए, असंगत क्षेत्रों में औद्योगिक संकेन्द्रण के क्लस्टरों के पुनर्विकास के लिए निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे:

- i) असंगत क्लस्टरों के औद्योगिक संकेन्द्रण के न्यूनतम 4 हेक्टेयर में फैले समवर्ती क्षेत्र के लिए, जिसमें औद्योगिक गतिविधि/उपयोग के तहत क्लस्टर के भीतर 70% से अधिक प्लॉट हैं, उन्हें वास्तविक सर्वेक्षणों के आधार पर पुनर्विकास के लिए विचार किया जा सकता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा इस तरह के क्लस्टरों की अधिसूचना के बाद, पुनर्विकास योजना संबंधित स्थानीय निकाय/भूमि का स्वामित्व रखने वाली एजेंसी द्वारा तैयार की जाएगी।
- ii) क्लस्टर की कम से कम 18 मीटर की मार्गाधिकार सड़क से सीधी पहुंच होनी चाहिए।
- iii) पुनर्विकास योजना, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण प्रबंधन, सेवाओं के विकास, पार्किंग और रखरखाव की तैयारी को सुविधाजनक बनाने के लिए सोसाइटी और ऐसी किसी अन्य संस्था का गठन करना अनिवार्य होगा।
- iv) डीपीसीसी से केवल अनापत्ति प्राप्तकर्ता अनुमेय उद्योगों को ही अनुमति प्रदान की जाएगी।
- v) पुनर्विकास के लिए प्लॉटों के समामेलन और पुनर्गठन की अनुमति होगी।
- vi) सभी इकाइयों को सांविधिक मंजूरी प्राप्त करनी होगी। औद्योगिक इकाइयों के अलग-अलग बिजली कनेक्शन होंगे।
- vii) अन्य शर्तों में शामिल हैं:

- क. लगभग 10% क्षेत्र को सर्कुलेशन/सड़कों/सर्विस लेन के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए।
- ख. लगभग 10% अर्ध-प्रवेशयोग्य सतह को पार्किंग और लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए रखा जाना चाहिए।
- ग. क्लस्टर क्षेत्र का लगभग 8% पार्क/हरित क्षेत्रों के लिए आरक्षित होना चाहिए।
- घ. मानदंडों के अनुसार सीईटीपी, उप-स्टेशनों, पंप हाउस, फायर स्टेशन, पुलिस पोस्ट आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं के लिए कुल क्षेत्र का लगभग 10% आरक्षित होना चाहिए।
- ङ. लगभग 3% क्षेत्र व्यावसायिक उपयोग के लिए अनुमेय होगा।
- च. दिल्ली जल बोर्ड/सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी (जहां भी आवश्यक हो) द्वारा पंपिंग स्टेशनों, भंडारण टैंकों, भूजल रिचार्जिंग/वर्षा जल संचयन के लिए आवश्यकता के अनुसार पानी की आपूर्ति की योजना बनाना और जल निकासी योजना तैयार करना।
- छ. 100 वर्गमीटर से अधिक के प्लॉटों की न्यूनतम 9.0 मीटर मार्गाधिकार तक पहुंच होनी चाहिए; और 100 वर्गमीटर से कम के प्लॉटों की न्यूनतम 7.5 मीटर मार्गाधिकार तक पहुंच होनी चाहिए।
- ज. सामान्य पार्किंग 60 वर्गमीटर से नीचे के प्लॉटों के लिए प्रदान की जानी चाहिए और लेआउट योजना में इसे निर्धारित किया जाना चाहिए, जबकि पार्किंग और लोडिंग तथा अनलोडिंग के लिए, न्यूनतम 3 मीटर के फ्रंट सेटबैक को 60 वर्गमीटर से ऊपर के प्लॉटों हेतु बिना चार दीवारी के प्रदान किया जाएगा।
- झ. वैकल्पिक तौर पर, सोसायटी डीसीएन में निर्धारित भूमि वितरण के आधार पर लेआउट योजना/पुनर्विकास योजना तैयार करने के विकल्प को अपना सकती है।

viii) अन्य प्रावधान/विकास नियंत्रण मानदंड यथा निर्धारित लागू होंगे। जमीनी स्थितियों के आधार पर, दि.वि.प्रा. की तकनीकी समिति 10% तक की छूट मापदंडों में दे सकती है।

नोट: 12.4.7 (ए, बी, सी, डी) में उल्लिखित ये सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जो औद्योगिक क्लस्टर के भीतर अथवा आसपास के क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता की शर्त के आधार पर हैं।

19.12.5 पुनरूद्धार कार्य सोसाइटी द्वारा स्वेच्छा से, अथवा संबंधित स्थानीय निकाय/एजेंसियों द्वारा किया जा सकता है। यदि एजेंसियां पुनर्विकास का कार्य करती हैं, तो वे प्रत्यक्ष तौर पर एकल उद्योगों से प्रभार वसूलेंगी। भूमि उपयोग में परिवर्तन, बढ़ी हुई एफएआर और भूमि (जहां भी लागू हो) में परिवर्तन के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान संबंधित एजेंसी को करना होगा।

19.12.6 योजना की अधिसूचना के 2 वर्ष की अवधि के भीतर पुनरूद्धार योजना तैयार की जाएगी। योजना के अनुमोदन के बाद योजना 3 वर्ष की समयावधि के भीतर पूरी की जाएगी। क्लस्टर, जो निर्दिष्ट समय-अवधि के भीतर पुनर्विकास प्रस्तावों को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें अन्य संगत औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करना होगा, और असंगत क्लस्टरों में कार्य करने वाली इकाइयों को बंद करना होगा। ऐसे मामलों में, लाइसेंसिंग प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारी से भूमि उपयोग की मंजूरी प्राप्त किए बिना, औद्योगिक इकाइयों को लाइसेंस नवीनीकरण/जारी नहीं करेगा। भूमि उपयोग की मंजूरी लिए बिना, असंगत क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

19.12.7 निम्नलिखित क्षेत्र औद्योगिक क्लस्टर पुनर्विकास योजना के लिए पात्र नहीं होंगे: बंगला जोन (नई दिल्ली और सिविल लाइंस), रिज, रिवर बेड (जोन-ओ), जलाशयों के साथ लगे क्षेत्र, नहर, सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण और विरासत क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित वन, दि.वि.प्रा. फ्लैट्स, सहकारी समूह आवासीय सोसायटी, सरकारी फ्लैट/बंगले/नियोक्ता आवास आदि, और इनसे सटे अन्य क्षेत्र।

19.13 असंगत क्षेत्रों में गोदाम क्लस्टरों के पुनर्विकास हेतु मानदंड

19.13.1 दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष खंड) द्वितीय अधिनियम-2011 में "ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर निर्मित स्कूलों, औषधालयों, धार्मिक संस्थानों, सांस्कृतिक संस्थानों, भंडार, वेयरहाउस और कृषि इन्पुट अथवा उपज (डेयरी और मुर्गी पालन सहित) के लिए उपयोग किए जाने वाले गोदामों के बारे में व्यवस्थित तौर पर प्रबंधन हेतु नीति अथवा योजना और मौजूदा गोदाम समूहों, जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है, के पुनर्विकास हेतु दिशा-निर्देश (गैर-कृषि वस्तुओं के भंडारण हेतु)" का भी प्रावधान है।

19.13.2 दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में गोदाम, खाद्यान्न, पत्थर और अन्य सामान के गोदाम अस्तित्व में आए हैं जो पूर्ववर्ती दि.मु.यो. में नहीं थे जैसे कि गांव का लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा आदि। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष खंड) अधिनियम 2007 को वर्ष 2023 तक नीति का निर्माण करने हेतु विस्तारित किया गया है। निम्नलिखित मानदंड स्टैंड अलोन एवं गोदाम क्लस्टर के लिए लागू होंगे।

- i) स्टैंड अलोन गोदाम: स्टैंड अलोन गोदाम प्लॉट, जो बड़े क्लस्टरों का हिस्सा नहीं बनते हैं, निम्नलिखित शर्तों के साथ शासित होंगे।
- ii) स्टैंड-अलोन गोदामों (गैर प्रदूषणकारी/गैर खतरनाक सामग्री के भंडारण) को न्यूनतम 30 मीटर मार्गाधिकार (मार्गाधिकार) पर अनुमति दी जाएगी।
- iii) ग्राम अबादी (लालडोरा क्षेत्र) और विस्तारित लालडोरा क्षेत्रों में गैर-प्रदूषणकारी/गैर-खतरनाक सामग्रियों के भंडारण गोदामों की अनुमति दी जाएगी:
 - क) 300 वर्गमीटर तक के प्लॉट के आकार के साथ 9 मीटर मार्गाधिकार (राजस्व विभाग द्वारा सड़क को परिभाषित/अनुमोदित किए जाने के मामले में 7.5 मी।)
 - ख) 300 वर्गमीटर से अधिक आकार के प्लॉट हेतु 12 मी मार्गाधिकार।

- iv) इन गोदामों को प्लॉट के भीतर पार्किंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की दिल्ली अग्निशमन सेवाओं से एनओसी प्राप्त की गई हो।
- v) प्लॉट के भीतर वाहनों पर लोडिंग/अनलोडिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- vi) स्टैंड अलोन गोदामों के मालिकों को निश्चित समय-अवधि हेतु योजनाओं की मंजूरी लेनी होगी। असंगत क्षेत्रों में आने वाले प्लॉटों के मालिकों और 30 मीटर से कम मार्गाधिकार पर स्थित मौजूदा गोदामों को दिनांक 31.12.2023 तक अन्य संगत क्षेत्रों/गोदाम क्लस्टरों में स्थानांतरित करना होगा। असंगत क्षेत्रों में कार्यरत ऐसे गोदामों को उपरोक्त समय-अवधि के भीतर बंद करना होगा।

19.13.3 असंगत गोदाम क्लस्टर: वास्तविक सर्वेक्षणों के आधार पर, पहचान किए गए क्षेत्र का पुनरूद्धार के लिए गोदाम/वेयरहाउसिंग गतिविधियों के असंगत क्लस्टरों पर विचार किया जा सकता है, जो न्यूनतम 2 हेक्टेयर के सन्निहित क्षेत्र में अवस्थित है और जिनमें क्लस्टरों के भीतर प्लॉटों का 55% से अधिक संकेन्द्रण है।

19.13.4 स्थानीय निकायों/रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा इस तरह के समूहों की अधिसूचना के बाद, पुनरूद्धार योजना को सोसाइटी (भूमि मालिकों द्वारा गठित) द्वारा निम्नलिखित मानदंडों/शर्तों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए, और उसके बाद संबंधित स्थानीय निकाय से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

- i) क्लस्टर में न्यूनतम 30 मीटर मार्गाधिकार की सड़क से सीधी पहुंच होनी चाहिए।
- ii) पुनरूद्धार योजना/योजना तैयार करने, सेवाओं के विकास, पार्किंग और रखरखाव, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण प्रबंधन की सुविधाओं हेतु समूह अथवा सोसाइटी का गठन अनिवार्य होगा।

- iii) योजना क्षेत्र के अंतर्गत पुनरूद्धार हेतु प्लॉटों के समामेलन और पुनर्गठन की अनुमति होगी।
- iv) गोदामों के मालिकों को जहां भी आवश्यक हो, संबंधित एजेंसियों से अपेक्षित सांविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। सोसाइटी द्वारा पुनरूद्धार के लिए लेआउट योजना की मंजूरी प्राप्त करने के उपरान्त, स्थानीय निकाय से प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर, पहचान किए गए समूहों को भूमि उपयोग के परिवर्तन के लिए प्रक्रियागत किया जाएगा।
- v) अन्य शर्तों में शामिल होंगे:
- क. लगभग 10% क्षेत्र को सर्कुलेशन / सड़कों / सर्विस लेन के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए।
- ख. लगभग 10% अर्ध-प्रवेशयोग्य सतह को साझे पार्किंग, स्थिर पार्किंग, और लोडिंग/अनलोडिंग क्षेत्रों के लिए रखा जाना चाहिए।
- ग. मानदंडों के अनुसार, संबंधित बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के लिए लगभग 10% क्षेत्र को आरक्षित किया जाना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, फायर स्टेशन, पुलिस पोस्ट, सर्विसिंग, लॉजिंग, बोर्डिंग, और अनौपचारिक बाजार क्षेत्र आदि के लिए।
- घ. दिल्ली जल बोर्ड/केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण (जहां भी आवश्यक हो) द्वारा पंपिंग स्टेशनों, भंडारण टैंकों, भूजल पुनर्भरण/वर्षा जल संचयन और जल निकासी योजना के साथ जलापूर्ति हेतु योजना तैयार करना।
- ङ. लगभग 8% क्षेत्र को पार्क/हरित क्षेत्रों के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए।
- च. प्लॉट के भीतर ईएसएस, भूमिगत जल भंडारण टैंक, वर्षा जल संचयन प्रणाली, सौर ताप/प्रकाश व्यवस्था आदि जैसी उपयोगी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- छ. योजना के अंतर्गत सभी प्लॉटों का न्यूनतम 12 मीटर मार्गाधिकार से सीधी पहुंच होनी चाहिए।
- ज. अन्य प्रावधान / विकास नियंत्रण यथा निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार लागू होंगे।

नोट: उपरोक्त v) (ए, बी, सी, ई) में उल्लिखित इन सुविधाओं हेतु भूमि की उपलब्धता के अधीन गोदाम क्लस्टर के भीतर अथवा इसके आसपास के क्षेत्र पर विचार किया जाएगा।

- vi) सरकार द्वारा समय-समय पर (जहां भी लागू हो) निर्दिष्ट किए गए अपेक्षित परिवर्तन शुल्क और किसी अन्य शुल्क का भुगतान संबंधित प्राधिकारी को करना होगा।
- vii) एकल क्लस्टरों की पुनरुद्धार योजनाएं सोसाइटी द्वारा तैयार की जानी चाहिए, और उसके बाद संबंधित स्थानीय प्राधिकरण/एमसीडी द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए। योजनाओं के अनुमोदन की तारीख से तीन साल के भीतर पुनर्विकास को पूरा किया जाना चाहिए।
- viii) क्लस्टर, जो उपरोक्तानुसार निर्दिष्ट समय-अवधि के भीतर पुनर्विकास प्रस्तावों को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें अन्य संगत औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करना होगा, और असंगत क्लस्टरों में कार्य करने वाले ऐसे गोदामों को बंद करना होगा। ऐसे मामलों में, लाइसेंसिंग प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारी से भूमि उपयोग की मंजूरी प्राप्त किए बिना, ऐसे गोदामों को लाइसेंस नवीनीकरण/जारी नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग की मंजूरी प्राप्त किए बिना, असंगत क्षेत्रों में कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

19.13.5 अन्य शर्तें

19.13.5.1 यूबीबीएल 2016 की तालिका 3.2 के अनुसार जोखिम आधारित वर्गीकरण को शामिल करने वाले गोदाम प्लॉट हेतु विकास नियंत्रण मानदंड निम्नानुसार होंगे:

प्लॉट का आकार (वर्ग मीटर में)	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	अधिकतम एफएआर	अधिकतम ऊंचाई	पार्किंग
500 तक	70	140	15 मी. से नीचे	300 वर्गमीटर तक के प्लॉटों के मामले में साझा पार्किंग प्रदान की
500 से ऊपर - 2000	60	120	15 मी. से नीचे	
2000 से ऊपर - 10,000 तक	50	100	15 मी. से नीचे	

10,000 से ऊपर	40	80	15 मी. से नीचे	जाएगी। 300 वर्ग मीटर से ऊपर के प्लॉटों हेतु 3 ईसीएस/ 100 वर्गमीटर का तल क्षेत्र।
---------------	----	----	----------------	--

टिप्पणियां:

1. जहां कहीं भी भवन निर्माण विनियम विभिन्न श्रेणियों के प्लॉटों के लिए प्रदान किए गए हैं, वहां कवर किया गया क्षेत्र और तल क्षेत्र किसी भी स्थिति में निचली श्रेणी में प्लॉटों के सबसे बड़े आकार के लिए क्रमशः अनुमेय कवर क्षेत्र और तल क्षेत्र से कम नहीं होगा।
 2. यूबीबीएल 2016 और दिल्ली अग्नि शमन सेवा अधिनियम के अनुसार जोखिम आधारित वर्गीकरण पर आधारित अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप होने चाहिए।
 3. साझे पार्किंग को 300 वर्गमीटर आकार तक के प्लॉटों के लिए प्रदान किया जाएगा, और पार्किंग और लोडिंग/अनलोडिंग प्रयोजनों के उपयोग हेतु चारदीवारी के बिना फ्रंट सेटबैक प्रदान किया जाएगा।
 4. 300 वर्गमीटर से अधिक के प्लॉटों के लिए मालिकों द्वारा उनके प्लॉटों के भीतर पार्किंग और लोडिंग/अनलोडिंग के प्रावधान किए जाएंगे।
 5. बेसमेंट का प्रावधान/उपयोग दि.मु.यो.-2021 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार होगा।
 6. सांविधिक निकायों से मंजूरी के अधीन गोदाम परिसर के भीतर गोदाम गतिविधि से संबंधित कार्यक्षेत्र/कार्यालय (अनुमेय एफएआर के 25% से अधिक नहीं) हेतु एक स्थायी संरचना की अनुमति दी जाएगी, जो धूल और प्रदूषण नियंत्रण की उचित व्यवस्था की शर्त के साथ होगी।
- 19.13.5.2 शेष प्लॉट मालिकों को दि.मु.यो./यूबीबीएल/नीति दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, और सभी सांविधिक निकायों से मंजूरी/अनुमति प्राप्त करने के बाद, मौजूदा उपयोग के साथ जारी रखने अथवा गोदामों में परिवर्तन अथवा किसी भी अनुमेय उपयोग की अनुमति दी जाएगी।

- 19.13.5.3 इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत सभी पुनरूद्धार योजनाएं, सभी सांविधिक प्रावधानों और महायोजना की शर्तों/यूबीबीएल 2016 के अनुरूप होंगी।
- 19.13.5.4 संबंधित स्थानीय निकाय और हितधारक निर्धारित शुल्कों/प्रभारों की वसूली के लिए प्रणाली तैयार करने का कार्य करेंगे।
- 19.13.5.5 सड़क को चौड़ा करने के लिए भूमि के प्रत्यार्पण/सurrender के मामले में, मूल प्लॉट का एफएआर अनुमेय होगा।
- 19.13.5.6 इन विनियमों के कार्यान्वयन को स्थानीय निकाय द्वारा उपयोगकर्ता_के अनुकूल मार्गदर्शिका के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसमें ऐसी परियोजनाओं के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) शामिल हैं।
- 19.13.5.7 निम्नलिखित क्षेत्र गोदाम क्लस्टरों के पुनरूद्धार योजनाओं के लिए पात्र नहीं होंगे: बंगला क्षेत्र (नई दिल्ली और सिविल लाइंस), रिज, रिवर बेड (जोन-ओ), जलाशयों के साथ लगे क्षेत्र, नहर, सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र, संरक्षण और विरासत क्षेत्र, आरक्षित/संरक्षित वन, दि.वि.प्रा. फ्लैट्स, सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, सरकारी फ्लैट/बंगले/नियोक्ता आवास आदि, और इनसे सटे अन्य क्षेत्र।

--- x --- x ---- x --- x ---

20.0 पारगमन उन्मुख विकास

- 20.1.1 पारगमन उन्मुख विकास [ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी)] एक अभिनव शहरी परिप्रेक्ष्य है जिसमें सार्वजनिक पारगमन के मौजूदा और आगामी बुनियादी ढांचे तथा संबद्ध उपयोगकर्ताओं की बड़ी संख्या के माध्यम से लाभ प्राप्त करना शामिल है जिससे निरंतर आवा-जाही की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके और सुसंबद्ध मिश्रित-उपयोग विकास द्वारा भूमि का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके।
- 20.1.2 दिल्ली में टीओडी दृष्टिकोण लोगों और नौकरियों को बड़े पैमाने पर पारगमन तंत्र के करीब लाने में मदद करेगा तथा इसके परिणामस्वरूप शहर में भूमि उपयोग और परिवहन के बीच बहुत आवश्यक एकीकरण संभव हो सकेगा। इससे ट्रांजिट स्टेशनों के प्रभाव क्षेत्रों में सुसंबद्ध, चलने योग्य, मिश्रित-उपयोग के विकास कार्य हो सकेंगे। यह एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य बदलाव है जो संभवतः सार्वजनिक पारगमन की सवारियों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, वाहनों की भीड़ को कम कर सकता है और दीर्घकालिक संदर्भ में ग्रीनहाउस उत्सर्जन और प्रदूषण को कम कर सकता है।
- 20.1.3 टीओडी, शहर में अवरुद्ध आर्थिक क्षमता और भूमि मूल्यों को बेहतर बनाने की भी एक महत्वपूर्ण कार्यनीति है। यह कार्यनीति सार्वजनिक क्षेत्र में योजनाबद्ध गहन उपयोग और कार्यकलाप शुरू करके, नए बुनियादी ढांचे के प्रसार और सुधार के ज़रिए शहर में चुनिंदा नोड/क्षेत्रों के विकास/पुनःसुधार को संभव बनाएगी। यह शहर को सार्वजनिक पारगमन के बुनियादी ढांचे - मेट्रो रेल, क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) आदि में किए जा रहे बड़े पैमाने पर निवेश से लाभ कमाने का मौका देगी। ऐसा अनुकूल रूप से अवस्थित पारगमन नोड के आसपास पुराने आवास स्टॉक में सुधार करने के साथ-साथ नए आवास स्टॉक और आर्थिक केंद्रों का निर्माण करके तथा लाभ कमाने के अवसरों को खोलकर किया जाएगा।
- 20.1.4 दिल्ली के लिए टीओडी पॉलिसी के माध्यम से निम्नलिखित प्रमुख परिणामों को लक्षित किया जाएगा।
- 20.1.4.1 **अनुकूल घनत्व और उपयोग और कार्यकलाप का विविधीकरण:** यह उच्च एफएआर मानदंडों और सुसंबद्ध मिश्रित उपयोग के विकास से सुगम होगा जिसमें सेवा प्रदाता एजेंसियों द्वारा बुनियादी ढांचे का विस्तार किया

जाएगा और हरित भवनों तथा पर्यावरण संरक्षण के मानदंडों को लागू किया जाएगा। इस तरह के दृष्टिकोण से सार्वजनिक पारगमन प्रणालियों के निकट कार्यकलाप और नौकरियों के उच्च घनत्व का सर्वोत्तम मिश्रित रूप सामने आएगा, इन क्षेत्रों की विकास क्षमता में वृद्धि हो सकेगी और लाभ कमाने की सुविधा होगी।

20.1.4.2 वर्धित आवाजाही :

- i) पैदल यात्री और गैर मोटरीकृत परिवहन (एनएमटी) अनुकूल वातावरण - यातायात प्रबंधन योजनाओं, सड़क-सुधार, पैदल यात्री और एनएमटी मार्गों के बेहतरीन नेटवर्क का निर्माण और सीमित एवं महंगी सार्वजनिक पार्किंग जैसी विभिन्न कार्यनीतियों द्वारा पैदल चलने वालों और गैर मोटरीकृत परिवहन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है।
- ii) परिवहन के विभिन्न साधनों के एकीकरण, पैदल चलने की स्थिति को बेहतर करने और अंतिम मील कनेक्टिविटी के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन के पक्ष में साधन-परिवर्तन ।

20.1.4.3 **बेहतर सार्वजनिक क्षेत्र:** सभी आयु वर्गों के लिए एक जीवंत और सुरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण जिसमें बाधा रहित सार्वभौमिक पहुंच की सुविधा हो जो सार्वजनिक प्लाजा और खुले / हरे-भरे स्थानों, बहु-उपयोगिता क्षेत्रों, सार्वजनिक कला के लिए स्थान आदि बनाने के लिए जगह बनाने की कार्यनीतियों से हासिल की गई हो।

20.1.4.4 **बहु-साधन एकीकरण:** रेल और सड़क-आधारित प्रणालियों का एकीकरण जिसमें मेट्रो, रेल/रैपिड रेल, बस/बीआरटीएस और मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) शामिल हो सकते हैं तथा जिसमें फीडर सेवाओं, टैक्सियों, ऑटो-रिक्शा और निजी मोड तथा गैर मोटरीकृत परिवहन शामिल हैं जैसे साइकिल-रिक्शा, साइकिल, पैदल यात्री, आदि।

20.2 नीति की अनुप्रयोज्यता

20.2.1 दि.वि.प्रा., टीओडी नोड की पहचान करेगा और प्रत्येक टीओडी नोड के लिए परिसीमित टीओडी योजना क्षेत्र को दिखाने वाले मानचित्र जारी करेगा। टीओडी नीति केवल ऐसे टीओडी नोड के प्रभाव क्षेत्रों में ही लागू होगी। यह नीति

निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होगी अथवा जैसा भी दि.वि.प्रा. द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए:

- i) नालियों, प्राकृतिक जलाशयों, अधिसूचित वन, किसी भी अन्य पर्यावरणीय संरक्षित क्षेत्रों की भूमि ।
- ii) ज़ोन 'ओ' और बफ़र।
- iii) हरित विकास क्षेत्र।
- iv) लैंड प्लानिंग नीति के अंतर्गत अधिसूचित गांव।
- v) स्मारक निषिद्ध क्षेत्र ।
- vi) सिविल लाइंस बंगला क्षेत्र (उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दि.वि.प्रा. के ले-आउट प्लान के अनुसार) ।
- vii) लुटियन्स बंगला जोन, चाणक्यपुरी (जोन-डी के उप-जोन डी-13 के अनुसार) ।
- viii) चारदीवारी शहर ।
- ix) दूतावास / डिप्लोमैटिक एन्क्लेव / विदेशी मिशनों के अंतर्गत भूमि ।
- x) अनधिकृत कॉलोनियां ।

20.3 मार्गदर्शक सिद्धांत

20.3.1 यह फ्रेमवर्क एफएआर हेतु उच्चतर मानदंड और मिश्रित उपयोग प्रदान करेंगे। इस तरह के विकास-कार्यों के प्रभावों का प्रबंधन करने और अवसर बढ़ाने के लिए, इस नीति को अधिक विकास क्षमता वाले चुनिंदा टीओडी नोड में युक्तिपूर्वक लागू किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप संपोषणीयता के सिद्धांतों के अनुसार विकसित किए गए सुनियोजित विकास केंद्र शहर के लिए भावी आर्थिक संचालकों और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित होने में सक्षम हो पाएंगे।

20.3.2 दि.वि.प्रा. इस शहर में विभिन्न ट्रांजिट नोड की विकास क्षमता का तेजी से आकलन करेगा और उनके कार्यनीतिक महत्व एवं कार्यान्वयन में आसानी के आधार पर सीमित संख्या में टीओडी नोड की पहचान करेगा।

20.3.2.1 इस तरह के ट्रांजिट नोड मेट्रो रेल, रेलवे, आरआरटीएस या किसी भी ऐसी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के आस-पास होंगे, जो एक समर्पित

कैरिजवे के साथ 5,000 या अधिक का व्यस्ततम घंटा प्रति दिशा यातायात (पीएचपीडीटी) ले जाने की क्षमता रखती हैं।

20.3.2.2 इन महत्वपूर्ण नोड की पहचान निम्नलिखित व्यापक विचारों के आधार पर की जाएगी:

- i) नोड में वे स्थल होंगे जिन्हें आसानी से टीओडी स्कीम (न्यूनतम 8 हेक्टेयर मिलाकर) के रूप में तत्काल शुरू किया जा सकता है, जैसे कि खाली या कम प्रयोग में लाई जा रही सरकारी जमीन, सरकारी आवास, वाणिज्यिक केंद्र, औद्योगिक एस्टेट आदि। ऐसे स्थलों की उपलब्धता से सुनिश्चित होगा कि प्रेरक परियोजनाओं (ट्रिगर प्रोजेक्ट) को प्राथमिकता पर शुरू किया जा सकता है ताकि अन्य परियोजनाओं को नोड में आने के लिए आवश्यक प्रेरणा दी जा सके।
- ii) उनके पास ग्रीन फील्ड और/अथवा कम घनत्व वाले ब्राउन फील्ड का अच्छा खासा मिला-जुला रूप होगा;
- iii) उनकी अवस्थिति सामरिक होगी - या तो शहर के लिए आर्थिक / सांस्कृतिक केंद्र के रूप में या शहर में अल्प-विकसित क्षेत्रों के विकास / पुनःसुधार के लिए संभावित प्रेरणा के रूप में।
- iv) वे जलापूर्ति, सीवरेज आदि जैसे बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

20.3.3 इसके अतिरिक्त, और अधिक टीओडी नोड पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब घटक भूमि/संपत्ति के मालिकों द्वारा पर्याप्त रुचि व्यक्त की गई हो, अर्थात्, एकल या एकाधिक टीओडी योजनाओं के रूप में कम से कम 8 हेक्टेयर भूमि को विकसित करने का प्रस्ताव हो। दि.वि.प्रा. के समक्ष एक संयुक्त आवेदन किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- i) टीओडी योजनाओं के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्तावित स्थल दिखाने वाला मानचित्र,
- ii) टीओडी योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित भूमि के स्थान और क्षेत्रफल के विवरण के साथ भू-स्वामियों की सूची,
- iii) सभी संबन्धित भूमि और संपत्ति स्वामियों से सहमति-पत्र।

दि.वि.प्रा. ऐसे प्रस्तावों की जांच करेगा और इन्हें नीति के अंतर्गत शामिल करने के लिए ऐसे नोड पर विचार कर सकता है।

- 20.3.4 दि.वि.प्रा. / डीई संबंधित टीओडी नोड के परिसीमित टीओडी नियोजित क्षेत्र के लिए एक आईजेडपी (IZP) तैयार करेगा। डीई द्वारा तैयार आईजेडपी अनुमोदन के लिए दि.वि.प्रा. को प्रस्तुत किया जाएगा। दि.वि.प्रा. आईजेडपी की तैयारी की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता फर्म/संस्थान नियुक्त कर सकता है।
- 20.3.4.1 यदि दो या दो से अधिक टीओडी नोड, अतिव्याप्ति (ओवरलैप) करने वाले टीओडी योजना क्षेत्रों के निकट हैं, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए एकीकृत आईजेडपी के रूप में योजना बनाई जाएगी।
- 20.3.4.2 आईजेडपी उस क्षेत्र के लिए प्रस्तावित किसी भी अन्य योजनाओं या स्कीमों को एकीकृत करेगा, जैसे कि चलने की क्षमता बढ़ाने की योजनाएं, सड़क सुधार, पार्किंग प्रबंधन, क्षेत्र योजनाएँ आदि। संबन्धित परिवहन एजेंसियों द्वारा आईजेडपी तैयार करते समय परिवहन स्टेशनों के आसपास प्रस्तावित मल्टी-मोडल एकीकरण (एमएमआई) और स्टेशन क्षेत्र विकास परियोजनाओं पर भी विचार किया जाएगा।
- 20.3.4.3 क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईजेडपी को समय के साथ-साथ अद्यतन/संशोधित (यथा अपेक्षित) किया जा सकता है ताकि विकास गतिविधि के कारण हुए परिवर्तन परिलक्षित हो सकें।
- 20.3.5 संबंधित प्रभाव क्षेत्र के भीतर समस्त भूमि और संपत्तियां इस नीति के मानदंडों के अनुसार विकास करने के लिए पात्र होंगी, बशर्ते वे प्रयोज्यता के अनुसार टीओडी योजनाएं शुरू करने की अपेक्षाओं को पूरा करें। इच्छुक भू-स्वामी विनियमों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार टीओडी योजना तैयार करके विकासकर्ता संस्था (डीई) के रूप में आवेदन कर सकते हैं।
- 20.3.6 हालांकि टीओडी नीति के अंतर्गत भागीदारी स्वैच्छिक है, इस नीति के विकास नियंत्रण मानदंड का लाभ केवल अनुमोदित टीओडी योजनाओं के माध्यम से भाग लेकर उठाया जा सकता है। टीओडी नोड के भीतर, घटक भूमि / संपत्ति स्वामी जो टीओडी पॉलिसी में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें टीओडी लाभों को ध्यान में रखे बिना अनुमेय एफएआर के अनुसार अपने मौजूदा भवनों के पुनर्निर्माण / परिवर्धन / परिवर्तन करने की अनुमति होगी। वे दि.वि.प्रा. की किन्हीं अन्य नीतियों के मानदंडों का लाभ उठाने के लिए भी पात्र नहीं होंगे, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा न कहा जाए।

20.4 टीओडी योजनाएँ

20.4.1 टीओडी योजनाओं को पात्र होने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

20.4.1.1 टीओडी योजना में न्यूनतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल होना चाहिए। टीओडी योजनाएँ टीओडी नोड के गहन विकास क्षेत्र में पूरी तरह या आंशिक रूप से शामिल हो सकती हैं। किसी भी स्थिति में -

i) योजना क्षेत्र का कम से कम 25% हिस्सा गहन विकास क्षेत्र में आएगा।

ii) संपूर्ण योजना क्षेत्र टीओडी योजना क्षेत्र के अंतर्गत आएगा।

20.4.1.2 टीओडी योजना 18 मीटर के न्यूनतम मार्गाधिकार मौजूदा सड़क से पहुँच योग्य होनी चाहिए जो योजना की परिधि के कम से कम 15% के समतुल्य अबाध लंबाई की हो।

20.4.2 आवासीय क्षेत्र और इलाके के स्तर के पीएसपी (सीनियर सेकेंडरी स्कूलों और पार्कों को छोड़कर) के लिए निर्धारित प्लॉट को टीओडी स्कीमों में शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि अंतर्निहित जमीन डीई/ डीई के घटक भू-स्वामियों की हो। ऐसे मामलों में, योजना में उसी प्रकार की और उसी क्षेत्र की समतुल्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये सुविधाएं इस नीति के अंतर्गत निर्धारित अनिवार्य पीएसपी अपेक्षाओं के अतिरिक्त होंगी।

20.4.3 सार्वजनिक क्षेत्र जैसे सड़क, खुली जगह, नालियाँ आदि को एकीकृत योजना के प्रयोजनार्थ टीओडी योजना में शामिल किया जा सकता है, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं:

20.4.3.1 सार्वजनिक सड़कें (18 मीटर से कम मार्गाधिकार)

20.4.3.2 सार्वजनिक नालियाँ (5 मीटर की चौड़ाई से अधिक नहीं)

20.4.3.3 सार्वजनिक पार्क (योजना के अनुसार छोटे बच्चों के खेल के मैदान की खुली जगह के क्रम से अधिक नहीं)

हालांकि, ऐसी सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत क्षेत्र पर अनुमेय एफएआर / ग्राउंड कवरेज की गणना के लिए न्यूनतम योजना क्षेत्र की अपेक्षा को पूरा करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

20.4.4 सभी टीओडी योजनाओं के लिए प्लॉटों का समामेलन और पुनर्गठन (आवासीय क्षेत्र और इलाके के पीएसपी सहित) की अनुमति दी जाएगी। टीओडी योजना क्षेत्र के भीतर मौजूदा सड़कों और खुली जगहों के पुनर्विन्यास की अनुमति होगी, बशर्ते कि:

20.4.4.1 पुनः विन्यास किए गए ले-आउट में सड़कों और खुले स्थानों में बराबर अथवा अधिक क्षेत्र प्रदान किया जाए। जिन क्षेत्रों में पैदल चलने वालों की आवाजाही के लिए सड़कों का ठीक-ठाक नेटवर्क पहले से मौजूद है, वहाँ तक इसे यथासंभव संरक्षित किया जाएगा।

20.4.4.2 सार्वजनिक पार्कों और सड़कों के मामले में संबंधित सार्वजनिक एजेंसियों से विधिवत अनुमोदन प्राप्त किया गया हो। ऐसे सार्वजनिक क्षेत्रों को संबंधित सार्वजनिक एजेंसी को सौंप दिया जाएगा और हर समय जनता के लिए खुला रखा जाएगा।

20.4.4.3 मौजूदा पेड़ों को कम से कम नुकसान हो।

20.4.4.4 खंड 20.4.3.3 के अनुसार मौजूदा सार्वजनिक पार्कों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों (यदि कोई हो) को संरक्षित किया जाएगा और उनकी गणना योजना की न्यूनतम हरित सार्वजनिक स्थान संबंधी अपेक्षा के प्रति नहीं की जाएगी।

20.4.5 ब्राउन फील्ड स्थलों के मामले में, इस नीति के अंतर्गत आवासीय इकाइयों की संख्या में वृद्धि की अनुमति दी जाएगी (सहकारी समूह आवास समितियों के मामले में भी, जिसके लिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज द्वारा संगत विनियमों/अधिनियमों में संशोधन किया जा सकता है)। हालांकि टीओडी स्कीम में मौजूदा आवासीय इकाइयों की संख्या को कम करने की अनुमति नहीं होगी।

20.4.6 टीओडी योजनाओं के अंतर्गत विकास-कार्य में नए विकास-कार्य, आंशिक/पूर्ण पुनर्निर्माण और मौजूदा संरचनाओं के आंशिक/पूर्ण रेट्रोफिटिंग का मिला-जुला रूप हो सकता है।

20.4.7 टीओडी योजनाओं में विभिन्न भूमि उपयोगों/उपयोग परिसरों के अंतर्गत प्लॉट शामिल हो सकते हैं। टीओडी योजना में प्रत्येक प्लॉट के लिए अनुमेय मिश्रित उपयोग निर्धारित भूमि-उपयोग/उपयोग परिसर पर निर्भर करते हुए नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगा:

तालिका 20.1: टीओडी में मिश्रित उपयोग/एफएआर का वितरण

जेडडीपी/ले-आउट प्लान के अनुसार भूमि उपयोग/प्लॉट का उपयोग परिसर	अनुमेय मिश्रित उपयोग (टीओडी योजना में एफएआर का वितरण)			
	आवासीय उपयोग के लिए एफएआर का न्यूनतम %	व्यावसायिक उपयोग के लिए एफएआर का न्यूनतम %	पीएसपी और/अथवा अन्य उपयोगी सेवाओं के लिए एफएआर का न्यूनतम %	अन्य उपयोग
आवासीय	50%	10%	20%	अन्य उपयोग* 20% तक की अनुमति है।
व्यावसायिक	30%	50%	10%	अन्य उपयोग* 10% तक की अनुमति है।
औद्योगिक	30%	10%	10%	शेष 50% एफएआर औद्योगिक उपयोग के लिए है।
सरकारी	30%	10%	10%	शेष 50% एफएआर किसी भी सरकारी उपयोग के लिए हो सकता है।
परिवहन	30%	10%	10%	शेष 50% एफएआर का उपयोग परिवहन सुविधाओं के लिए सभी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद किसी भी* प्रयोजन के लिए हो सकता है
पीएसपी (खंड 20.4.2 के अनुसार केवल आवासीय और आस-पड़ोस के स्तर पर पीएसपी प्लॉटों की अनुमति है)	ऐसे प्लॉटों के लिए एफएआर का उपयोग टीओडी योजना में पूरी तरह पीएसपी और/अथवा जन-उपयोगिताओं के लिए किया जाएगा।			

* इस शेष एफएआर का उपयोग परियोजना की आवश्यकता के अनुसार आवासीय, व्यावसायिक और पीएसपी के मिश्रित रूप में किसी भी अनुपात में किया जा सकता है।

- 20.4.8 अधिसूचित मिश्रित उपयोग/व्यावसायिक सड़कों के अंतर्गत आने वाले किसी भी प्लॉट, जो टीओडी योजना का हिस्सा हैं, को तालिका 20.1 में 'आवासीय' के लिए निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार विकसित किया जाएगा।
- 20.4.9 टीओडी योजना में प्रत्येक घटक के लिए एफएआर और मिश्रित उपयोग की अलग-अलग गणना की जाएगी। टीओडी योजना के लिए समग्र मिश्रित उपयोग प्रत्येक घटक प्लॉट के लिए परिकल्पित मिश्रित उपयोग का कुल योग होगा। डीई के पास डिजाइन को ध्यान में रखते हुए पूरे पुनर्गठित योजना क्षेत्र पर ऐसे समग्र मिश्रित उपयोग का प्रयोग करने की स्वतन्त्रता होगी। निर्धारित मिश्रित उपयोग को भवनों के भीतर उपयोग के ऊर्ध्वाधर मिश्रित उपयोग करके भी प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि:
- 20.4.9.1 केवल गैर-विनिर्माण उद्योग (सेवा उद्योग जैसे आईटी / आईटीईएस, बीपीओ/केपीओ आदि) और गैर-प्रदूषणकारी एमएसएमई इकाइयां ही आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत उपयोग जैसे अन्य उपयोगों के साथ जोड़ी जाएँ।
- 20.4.9.2 शैक्षणिक संस्थानों, आंगनवाड़ियों, शिशुगृह, वृद्धाश्रम आदि को अस्पतालों, दंड संस्थानों जैसे कि सुधार गृह, जेल, या विनिर्माण और/या भण्डारण केन्द्रों के साथ न जोड़ा जाए।
- 20.4.9.3 उपर्युक्त सुविधाओं को अनिवार्यतः निचली मंज़िलों पर निर्मित किया जाना चाहिए, अधिमानतः टीओडी योजना के खुले स्थानों तक पहुंच की सुविधा के साथ ।
- 20.4.9.4 प्रचलित यूबीबीएल की वैधानिक अपेक्षा का अनुपालन करते हुए उपयोगों के ऊर्ध्वाधर मिश्रण वाले भवनों में आवश्यक अलग प्रवेश-स्थल/निकास और सर्विस कोर प्रदान करना होगा।
- 20.4.10 टीओडी योजना के अंतर्गत परिवहन भूमि के उपयोग के अंतर्गत आने वाले प्लॉटों के लिए, एफएआर, भूमि कवरेज, न्यूनतम योजना क्षेत्र और मिश्रित उपयोग की गणना के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा:

20.4.10.1 ट्रांज़िट स्टेशनों के प्लेटफार्मों का क्षेत्र जिसमें केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई तक पटरियों के नीचे की भूमि होगी।

20.4.10.2 डिपो के मामले में, परिचालन क्षेत्र जिसमें ऐसे प्लॉटों के भीतर पटरियों के नीचे की भूमि होगी।

इन क्षेत्रों में ओवर स्टेशन और ओवर ट्रैक विकास कार्य की अनुमति होगी। ओवर स्टेशन का विकास कार्य प्लेटफॉर्म की लंबाई तक सीमित होगा।

20.4.11 व्यावसायिक एफएआर का उपयोग सामुदायिक केंद्र (टीओडी योजनाओं में 18 से 30 मीटर के मार्गाधिकार के साथ) और जिला केंद्रों (टीओडी योजनाओं में 30 मीटर या उससे अधिक के मार्गाधिकार के साथ) में अनुमेय कार्यकलाप करने के लिए किया जा सकता है।

20.4.12 डीई टीओडी योजना ले-आउट के भाग के रूप में निम्नलिखित अनिवार्य सार्वजनिक क्षेत्र की व्यवस्था करेगा:

20.4.12.1 हरित सार्वजनिक स्थल:

i) समामेलित प्लॉट का 20% क्षेत्र सार्वजनिक उपयोग के लिए हरित सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। डीई इसे छोटे टुकड़ों (पार्सल) के रूप में डिजाइन और विकसित करेगा जो सार्वजनिक स्थल के रूप में समुदाय के लिए उपयोगी हो तथा कम से कम एक टुकड़ा 2000 वर्ग मीटर का होना चाहिए। इस तरह के हरित स्थान को गेट-मुक्त रखा जाएगा, कम से कम एक तरफ से एक मार्गाधिकार (18 मीटर या उससे अधिक) से सीधे पहुंच-सुविधा हो और रखरखाव के लिए संबंधित स्थानीय निकाय को सौंपा जाएगा। ऐसे हरित स्थल पर किसी पार्किंग या बेसमेंट की अनुमति नहीं होगी।

ii) डीई द्वारा अधिभोगियों के अनन्य उपयोग के लिए अतिरिक्त 10% हरित स्थल/मनोरंजक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसमें प्लाज़ा, बच्चों के खेल के स्थान, हरित स्थल, बगीचा, साइकिल क्षेत्र आदि शामिल हो सकते हैं, जो बेसमेंट, पोडियम, टैरेस आदि पर भी दिए जा सकते हैं। इस प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाए गए पोडियम क्षेत्र को ग्राउंड कवरेज की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

- iii) परिवहन भूमि उपयोग के मामले में, जहां पटरियों के नीचे बड़े क्षेत्र वाली टीओडी योजनाओं में जमीनी स्तर पर हरित सार्वजनिक स्थल बनाना संभव नहीं है, इस अपेक्षा को पोडियम स्तर के सार्वजनिक हरित स्थल बनाकर पूरा किया जा सकता है। इस तरह के हरित स्थल का रखरखाव संबंधित परिवहन एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

20.4.12.2 सार्वजनिक सड़क नेटवर्क: डीई टीओडी योजना के भीतर निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार सार्वजनिक उपयोग के लिए अतिरिक्त सड़कों / गलियों का निर्माण करेगा।

- i) सड़क नेटवर्क की योजना लगभग 250 मीटर सी/सी के वाहन मार्ग नेटवर्क के साथ और लगभग 100 मीटर सी/सी के पैदल यात्री नेटवर्क के साथ बनाई जाएगी।
- ii) जमीनी परिस्थितियों के आधार पर, इसमें अधिकतम 10% तक की छूट दी जा सकती है।

20.4.13 शहर स्तर के पीएसपी प्लॉट (सामुदायिक या क्षेत्रीय पीएसपी और माध्यमिक स्कूल) किसी भी टीओडी योजना का हिस्सा नहीं हो सकते। हालांकि, टीओडी नोड में बढ़ी हुई आबादी को सेवा देने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य पीएसपी सुविधाओं हेतु अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए, टीओडी योजना क्षेत्र के भीतर पूरी तरह से शामिल ऐसे किसी भी पीएसपी प्लॉट (1 हे. से अधिक या समकक्ष) को स्टैंड-अलोन टीओडी योजनाओं के रूप में आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है। इस तरह की योजनाएं मौजूदा अनुमेय एफएआर के 1.5 गुना तक अतिरिक्त एफएआर प्राप्त कर सकती हैं, जो अधिकतम 500 तक होगी। निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें लागू होंगी:

20.4.13.1 मिश्रित उपयोग मानदंड ऐसे स्थलों पर लागू नहीं होंगे, और मौजूदा उपयोग- आधार बरकरार रखा जाएगा।

20.4.13.2 स्कूल के प्लॉटों के मामले में, खेल के मैदान के अंतर्गत मौजूदा क्षेत्र को उसी प्लॉट के भीतर बनाए रखा जाएगा या बढ़ाया जाएगा।

20.4.13.3 निकटवर्ती सड़क का मार्गाधिकार 30 मी. से कम नहीं होगा।

20.4.14 दो टीओडी नोड में आने वाली टीओडी योजनाओं (जहां ऐसे टीओडी नोड के प्रभाव क्षेत्र समीप और निकटवर्ती हैं) के संबंध में अनुमोदन के लिए विचार किया जा सकता है, बशर्ते वे इस नीति के अंतर्गत अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हों।

20.4.15 स्टेशन क्षेत्र विकास अथवा मल्टी-मोडल ट्रांजिट हब के विकास के लिए कई परिवहन एजेंसियों के बीच संयुक्त उद्यम शुरू करने पर विचार किया जा सकता है। इस तरह की परियोजनाओं को विभिन्न परिवहन सेवाओं के बीच एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा और यात्रियों की सहज आवाजाही के लिए एक ही भवन/परिसर के हिस्से के रूप में डिज़ाइन किया जा सकता है। जहां भी संभव हो, टीओडी योजना के विकास और बड़े परिवहन स्टेशनों के बीच, सम्मिलन स्तर का एकीकरण सुनिश्चित किया जाएगा, और उसकी लागत डीई द्वारा वहन की जाएगी।

20.4.16 डीई टीओडी विनियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास-कार्य करेगा।

20.5 टीओडी योजनाओं के लिए विकास नियंत्रण मानदंड

20.5.1 इस नीति के विकास नियंत्रण मानदंड सभी टीओडी योजनाओं पर लागू होंगे और प्लान के अंतर्गत किसी भी अन्य नीति/प्रावधानों के साथ मतभेद के मामले में प्रभावी होंगे। टीओडी योजनाओं के अंतर्गत विकास-कार्य नए विकास, मौजूदा संरचनाओं के आंशिक/पूर्ण पुनर्निर्माण और आंशिक/पूर्ण रेट्रोफिटिंग का मिला-जुला रूप हो सकता है। इस संबंध में अपनाई जाने वाली कार्यनीति डीई द्वारा टीओडी योजना के भाग के रूप में प्रस्तुत की जाएगी और विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित की जाएगी।

20.5.2 एफएआर

20.5.2.1 टीओडी योजना के लिए एफएआर की गणना सभी घटक प्लॉटों के लिए एफएआर गणना के योग के रूप में की जाएगी। प्रत्येक घटक प्लॉट के लिए एफएआर पात्रता की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

- i) एफएआर प्लॉट पर मौजूदा अनुमेय एफएआर का 1.5 गुना या 300 होगा, जो भी अधिक हो।
- ii) टीओडी योजनाओं में शामिल किसी भी प्लॉट के लिए अधिकतम एफएआर सीमा 500 होगी।
- iii) 4 हेक्टे. और उससे अधिक के क्षेत्र वाली बड़ी टीओडी योजनाएं, जहां 30 मी. मार्गाधिकार वाली सड़कों से सीधी पहुंच हो, सभी घटक प्लॉटों पर 500 के एफएआर के लिए पात्र होंगी, यदि व्यवहार्य हो।

- 20.5.2.2 हालांकि संपूर्ण पात्र एफएआर का उपयोग करना अनिवार्य नहीं है, सभी टीओडी योजनाओं द्वारा निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाएगा:
- न्यूनतम एफएआर का उपयोग प्रत्येक प्लॉट के लिए मौजूदा अनुमेय एफएआर के समतुल्य हो।
 - मिश्रित उपयोग के समग्र अनुपात को हमेशा बनाए रखा जाए।
- 20.5.2.3 ऐसी टीओडी योजनाओं के मामले में, जिनमें मौजूदा सर्विस लेन/सार्वजनिक सड़कें/सार्वजनिक नालियां/सार्वजनिक पार्क आदि शामिल हैं, ऐसे क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली भूमि को एफएआर की गणना के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।
- 20.5.2.4 विकास-कार्य के हिस्से के रूप में दी गई कोई भी सार्वजनिक सुविधा जैसे कि सार्वजनिक शौचालय, पुल इत्यादि एफएआर से मुक्त होगी, इस शर्त के अधीन कि उनका रखरखाव डीई द्वारा नियमित रूप से किया जाए और दिन भर जनता के लिए खुली और सुलभ रहें, ऐसा न होने पर संबंधित स्थानीय निकाय उसका अधिग्रहण कर लेगा।
- 20.5.2.5 ऐसी टीओडी योजनाएं जो ऊंचाई संबंधी प्रतिबंधों के कारण अनुमेय एफएआर का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अग्नि सुरक्षा अपेक्षा के अधीन और हरित सार्वजनिक स्थल के अंतर्गत बनाए रखे जाने वाले क्षेत्र को कम किए बिना ग्राउंड कवरेज और सेटबैक में छूट दी जा सकती है।
- 20.5.2.6 30 मीटर और अधिक के मार्गाधिकार से सीधी पहुंच वाली बड़ी टीओडी योजनाओं (4 हेक्टेयर या उससे अधिक) को टीडीआर प्राप्त क्षेत्रों के रूप में माना जाएगा और डीसीएन के अनुसार टीडीआर का उपयोग किया जाएगा।

20.5.3 आवासीय इकाइयों का आकार

- 20.5.3.1 टीओडी योजना के भीतर मौजूदा आवासीय इकाइयों को समायोजित करने के लिए आवासीय इकाइयों के आकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- 20.5.3.2 टीओडी योजनाओं के भीतर किरायती और गैर-स्वामित्व वाले आवास (किराये के आवास, छात्रों के लिए मकान और छात्रावास) को प्रोत्साहित करने के लिए, निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे
- मौजूदा आवास इकाइयों की संख्या को समायोजित करने के बाद, शेष आवासीय एफएआर का 60 वर्ग मीटर तक के आकार की

आवासीय इकाइयों का निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

- ii) यदि टीओडी योजना में ऐसे प्लॉट शामिल हैं जहां कोई मौजूदा आवासीय विकास-कार्य नहीं हुआ है, वहाँ आवासीय एफएआर के कम से कम 50% का उपयोग 80 वर्ग मीटर तक के आकार की आवासीय इकाइयों को निर्मित करने के लिए किया जाएगा।
- iii) यदि टीओडी योजनाओं में मौजूदा निर्मित और खाली प्लॉटों का मिलाजुला रूप है, तो टीओडी स्कीम में आवास इकाइयों का अंतिम मिश्रित रूप उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार यथानुपात आधार पर तय किया जाएगा।

20.5.4 ग्राउंड कवरेज और सेटबैक: सेटबैक और ग्राउंड कवरेज संबंधी मानदंड योजना क्षेत्र के लिए पुनर्गठित प्लान के अंतर्गत संपूर्ण टीओडी योजना सीमा पर लागू होंगे।

20.5.4.1 अधिकतम 40% ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी।

20.5.4.2 निम्नलिखित सेटबैक बनाए रखे जाएंगे:

तालिका 20.2: टीओडी स्कीमों में सेटबैक

प्लॉट के छोर का प्रकार	सेटबैक
18 मी. और अधिक के मार्गाधिकार वाली सार्वजनिक सड़क	<ul style="list-style-type: none"> • कोई सेटबैक नहीं। • बिल्डिंग लाइन का कम से कम 90% छोर तक निर्मित होगा।
18 मी. मार्गाधिकार से कम वाली सड़कें या स्थल का छोर जिसके सामने पार्क, प्राकृतिक नाले, जंगल, आदि हैं। समीपवर्ती प्लॉट के साथ साझा छोर ।	<ul style="list-style-type: none"> • 6 मी का सेटबैक। • सार्वजनिक आवाजाही के लिए सेटबैक को हर समय अनवरुद्ध रखा जाएगा। • शोर में कमी के लिए वृक्षारोपण और अग्नि हाइड्रेंट जैसी जन-उपयोगिताओं की अनुमति दी जाएगी।

20.5.4.3 सक्रिय अग्रभाग में आर्केड, कोलोनेड, शॉपफ्रंट, पैदल यात्री प्रवेश स्थल / निकास, प्लाज़ा, एक्सेस पॉइंट, पारदर्शी खिड़कियां आदि शामिल हैं।

- i) 18 मी. के मार्गाधिकार वाली सड़कों के साथ अग्रभाग का कम से कम 50% और अन्य सभी सड़कों (सार्वजनिक सड़कों सहित) के साथ कम से कम 10% अग्रभाग को सक्रिय अग्रभाग के रूप में रूप में बनाए रखा जाएगा।
- ii) छोर तक बनाए गए भवनों में से आगे निकले किसी हिस्से को बढ़ाने (बालकनियां, तिरपाल आदि) की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- iii) सभी वाहन साइड स्ट्रीट से प्रवेश करेंगे। ऐसे स्थलों के मामले में, जहां कोई साइड स्ट्रीट उपलब्ध नहीं है, वहाँ टीओडी योजना के हिस्से के रूप में 12 मीटर मार्गाधिकार वाली कम से कम एक सड़क बनाई जानी होगी।
- iv) व्यावसायिक अग्रभाग का भूतल स्तर पर कम से कम 50% पारदर्शी (अन-टिंटेड) अग्रभाग होगा। आवासीय अग्रभाग में बालकनियां/ बरामदे और सक्रिय स्थल होंगे जिनका मुख सार्वजनिक मार्गाधिकार की ओर होगा।
- v) सभी पार्किंग संरचनाओं/पोडियम या स्टिल्ट का भू-तल मुख्य सड़कों की ओर सक्रिय अग्रभाग के साथ निर्मित होना चाहिए।
- vi) 10 मीटर से अधिक की ऊंचाई अथवा दो मंजिल से अधिक की ऊंचाई के सभी भवनों को 10 मीटर तक कम किया जा सकता है। पर्याप्त प्रकाश और खुली हवा के लिए आवश्यक अन्य किसी भी ऐसी व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा।

20.5.5 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आवास: डीई प्लान के मानदंडों के अनुसार टीओडी योजना के भीतर अच्छे ईडब्ल्यूएस आवास निर्मित करेगा। ईडब्ल्यूएस का एफएआर आवासीय एफएआर के अतिरिक्त होगा जो योजना में अधिकतम स्वीकार्य आवासीय एफएआर के 15% के रूप में परिकल्पित किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस आवास की अपेक्षा को योजना के भीतर एक पृथक सु-अभिकल्पित क्षेत्र के रूप में पूरा किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक हरित क्षेत्र और सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता के साथ कम/मध्य-ऊंचाई, उच्च घनत्व वाला निर्माण होगा।

20.5.6 पार्किंग:

- 20.5.6.1 टीओडी योजनाएं कवर किए गए प्रति 100 वर्ग मीटर में एक कार के समतुल्य स्थान (ईसीएस) मुहैया करेगी जहां पार्किंग क्षेत्र का 5% हिस्सा अनिवार्यतः साइकिल और व्हीलचेयर के लिए निर्धारित होगा।
- 20.5.6.2 डीई टीओडी योजनाओं के भीतर सभी पार्किंग सुविधाओं का कम से कम 50% हिस्सा 'सार्वजनिक पार्किंग' सुविधा के रूप में देगा।
- 20.5.6.3 पार्किंग क्षेत्र का कम से कम 10% हिस्सा निर्धारित नीति / यूबीबीएल के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट से लैस होगा।

20.5.7 अन्य नियंत्रण

20.5.7.1 भवन-निर्माण संबंधी अन्य नियंत्रण:

- i) भवन डिजाइन में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी आवास इकाइयों में प्राकृतिक वेंटिलेशन हो और कम से कम एक रहने योग्य कमरे में सूर्य का सीधा प्रकाश प्राप्त हो।
- ii) जहां इमारतें बड़े ट्रांजिट स्टेशनों के निकट हैं वहाँ शोर में कमी करने के पर्याप्त उपाय किए जाएंगे:

20.5.7.2 विभिन्न उपयोग परिसरों का अवस्थिति :

- i) पीएसपी और व्यावसायिक उपयोग निचली मंजिलों पर स्थित होंगे जहां पर्याप्त सार्वजनिक अग्रभाग दिया जाएगा।
- ii) बच्चों के लिए क्रेच (बाल देखभाल केन्द्र), डे केयर सेंटर जैसी सुविधाएं और बुजुर्गों के लिए सुविधाएं टीओडी योजना के हिस्से के रूप में प्रदान की जाएंगी। इस तरह की सुविधाएं योजना के भीतर बनाई गई सार्वजनिक सड़क पर होंगी जहां योजना के अंदर नियोजित सार्वजनिक हरित क्षेत्र भी सुलभ होगा।

20.5.7.3 टीओडी योजना के भीतर सार्वजनिक सड़कों संबंधी मानदंड:

- i) सभी नई सड़कें (स्ट्रीट फर्नीचर, प्रकाश और रोशनी और सार्वजनिक सुविधाएं) स्ट्रीट डिजाइन विनियम (अनुलग्नक 7) के अनुसार होंगी और एमएमआई के किसी भी प्रस्ताव के साथ पूरी तरह से एकीकृत होंगी, पैदल चलने और साइकिल चलाने के संबंध में टीओडी नोड के लिए आईज़ेडपी के अनुसार बनाई जाएंगी।

- ii) सार्वजनिक सुविधाओं के डिजाइन में पृथक चाइल्ड केयर रूम, साइकिल चालकों के लिए कपड़े बदलने के लिए स्थान और पीने के पानी की व्यवस्था शामिल होगी।
- iii) नेटवर्क के साथ प्रत्येक 100 मीटर के अंतराल पर साइकिल पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। इनकी गणना ईसीएस की अनिवार्य अपेक्षा के रूप में की जा सकती है।
- iv) टीओडी योजनाओं के भीतर सार्वजनिक सड़क नेटवर्क को आंशिक रूप से वॉकवे, पुल या बिल्डिंग ब्लॉक के माध्यम से कवर किया जा सकता है, बशर्ते कि:
 - कवर की गई लंबाई नेटवर्क की कुल लंबाई के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो।
 - ऐसे वॉकवे, पुल या बिल्डिंग ब्लॉक की ऊंचाई सड़क के उच्चतम बिंदु के भाग से स्पष्ट रूप से 8 मीटर ऊपर हों।
- v) ऐसी टीओडी योजनाएं जिनमें योजना क्षेत्र के भीतर मेट्रो स्टेशन शामिल हैं, वे जमीन पर या समतल स्तर पर सभाओं/अधिक भीड़ के लिए पैदल यात्री प्लाज़ा बनाएंगे, जैसा भी व्यवहार्य हो। इस तरह की योजनाओं के डिजाइन में आईपीटी, बसों, निजी वाहनों के लिए ड्रॉप-ऑफ आदि के लिए बहु-मोडल एकीकरण सुविधाएं शामिल होनी चाहिए।
- vi) सड़क नेटवर्क को हर समय सड़क के किनारों पर उपयुक्त सार्वजनिक गतिविधि प्रोग्रामिंग के ज़रिए सक्रिय रखा जाएगा जैसे कि वैंडिंग ज़ोन, प्लाज़ा, दुकानें, रेस्तरां, खुली जगह, आदि।

20.5.7.4 वहनीयता विशेषताएँ:

- i) टीओडी योजनाएं, दि.वि.प्रा. द्वारा अधिसूचित सभी हरित मानदंडों को योजना की मंजूरी के समय पूरा करेंगी। एक स्कीम के भीतर हरित और सार्वजनिक स्थलों को आपस में जोड़ा जाएगा ताकि जहां तक संभव हो ग्रीन-ब्लू और सार्वजनिक स्थल नेटवर्क बनाया जा सके।
- ii) प्रत्येक टीओडी योजना निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:
 - अपशिष्ट जल का 100% उपचार और अधिकतम पुनःउपयोग;
 - हरित अपशिष्ट की 100% छंटाई और उसका पुनःउपयोग;

- ऊर्जा की कम से कम 10% मांग को सौर-ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से पूरा किया जाना चाहिए।
- वर्षा जल को लागू मानदंडों के अनुसार प्रत्यक्ष पुनः उपयोग और भूमिगत जल के पुनर्भरण के लिए प्रयोग में लाना।
- सतह वाली पार्किंग और खुले मैदानों पर केवल पारगम्य सामग्रियों का उपयोग किया जाए।

अनेक योजनाएं/डीई इन वहनीयता अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक साथ आ सकते हैं।

20.5.7.5 **सार्वभौमिक बाधा-रहित पहुँच** - टीओडी योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित सभी सार्वजनिक स्थल, सड़कें, हरित सार्वजनिक स्थल, पार्किंग क्षेत्र, भवन आदि और आईज़ेडपी के अनुमोदन के अनुसार शुरु किए गए सभी क्षेत्र सुधार कार्यों को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन एवं बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बाधा-रहित सार्वभौमिक पहुँच के वातावरण हेतु तैयार किए गए सुमेलित दिशानिर्देश और स्थान मानक के अनुसार डिज़ाइन किया जाएगा।

खंड 8

योजना निगरानी और मूल्यांकन

21.0 निगरानी फ्रेमवर्क

- 21.1.1 शहरी विकास को दिशा देने के लिए महायोजना एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। योजना की कार्यनीतियों का बदलती जरूरतों के अनुसार ढलना और उनके समनुरूप होना और यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि शहर के विकास के लिए पहचाने गए विज्ञान और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रावधान प्रासंगिक और प्रभावी बने रहें। इसके लिए प्रमुख निष्पादन संकेतकों, समय-सीमा और कार्य-बिंदुओं का समय-समय पर जायजा लेने के लिए एक मजबूत निगरानी फ्रेमवर्क की आवश्यकता होगी।
- 21.1.2 महायोजना की विभिन्न नीतियों के कार्यान्वयन की वास्तविक धरातल पर हुई प्रगति की सतत निगरानी की जाएगी, जिससे डाटा प्राप्ति और विश्लेषण में लगने वाला समय कम होगा। हर पांच वर्ष में विस्तृत समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो महायोजना को संशोधित भी किया जाएगा।
- 21.1.3 इस प्रकार के गतिशील फ्रेमवर्क को बहु-आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से सुदृढ बनाया जाएगा:
- केपीआई आधारित मूल्यांकन:** योजना की प्रभावशीलता को मापने के लिए विभिन्न प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) वाले एक मूल्यांकन फ्रेमवर्क का प्रस्ताव किया जा रहा है। केपीआई शहर के संबंध में बड़े परिणामों को मापने पर केंद्रित है और लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस मार्ग में सुधार करने में सहायक होंगे।
 - बहु-एजेंसी समन्वय:** इसमें अनेक संबंधित एजेंसियों के सदस्यों सहित विभिन्न समन्वय समितियां शामिल होंगी। ये समितियाँ कार्यान्वयन की प्रगति का जायजा लेंगी, अंतर-एजेंसी समन्वय को सुसाध्य बनाएंगी और बाधाएं आने पर (यदि कोई हो) उनका समाधान करेंगी।
 - डाटा साझा करना और प्रबंधन:** संबंधित निगरानी एजेंसियों द्वारा डाटा साझा करने की प्रक्रिया, विवरण और आवधिकता तय करने के लिए एक डाटा प्रोटोकॉल निर्धारित किया जाएगा ताकि योजना निगरानी के लिए आवश्यक डाटा की तुलना की जा सके।

- iv) **समर्पित निगरानी इकाई:** योजना की प्रगति की निगरानी के लिए दि.वि.प्रा. में एक अंतःअनुशासनिक टीम का गठन किया जाएगा।
- v) **कार्यान्वयन सहायता:** समुचित कार्यान्वयन के लिए, विभिन्न स्थानिक नीतियों (देखें: भाग 7) के कार्यान्वयन से जुड़ी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को एकल खिड़की प्रणालियों, मजबूत शिकायत प्रबंधन फ्रेमवर्क और वास्तविक समय में ट्रैकिंग करके सुव्यवस्थित किया जाएगा। विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हितधारकों को तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाएगी।

21.2 मूल्यांकन फ्रेमवर्क

21.2.1 योजना अवधि के लिए निर्धारित विज्ञान और लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में दिल्ली द्वारा की गई प्रगति को निम्नलिखित प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआर) से मापा जाएगा:

- i) स्थानीय वायु प्रदूषण में कमी
- ii) जल प्रदूषण नियंत्रण
- iii) हरित क्षेत्र में वृद्धि
- iv) जलाशयों का पुनरुद्धार
- v) बाढ़ जोखिम में कमी
- vi) अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग
- vii) भूजल संवर्धन
- viii) लैंडफिल दबाव को कम करना
- ix) अपशिष्ट का संपन्नता में परिवर्तन
- x) कुल ऊर्जा उपयोग में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा
- xi) भूकंपीय अनुपालन
- xii) आग लगने की घटनाओं से सुरक्षा
- xiii) नए आवास स्टॉक में छोटे आकार के आवास का हिस्सा
- xiv) स्लम पुनर्वास
- xv) सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की ओर बढ़ना
- xvi) इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाना
- xvii) मानव विकास सूचकांक
- xviii) विरासत संरक्षण

- xix) सार्वजनिक सड़कों की जीवंतता
- xx) कार्यबल में महिला भागीदारी

21.2.2 इन संकेतकों का विवरण अनुलग्नक 11 में दिया गया है।

21.2.3 ये संकेतक महायोजना के लक्ष्यों से जुड़े तीन प्रमुख सूचकांकों में योगदान करेंगे:

- 21.2.3.1 पर्यावरणीय संपोषणीयता सूचकांक: जो योजना के लक्ष्य 1 (जी1) के अनुरूप है,
- 21.2.3.2 निर्मित पर्यावरण सूचकांक: जो योजना के लक्ष्य 2 (जी2) के अनुरूप है,
- 21.2.3.3 शहर जीवंतता-सूचकांक (सिटी वाइटलिटी इंडेक्स): जो योजना के लक्ष्य 3 (जी3) के अनुरूप है।

21.2.4 केपीआई निम्नानुसार इन सूचकांकों की गणना में सहायता करेगा:

21.2.4.1 दस महत्वपूर्ण केपीआई पर्यावरणीय संपोषणीयता सूचकांक में योगदान करते हैं। ये हैं- स्थानीय वायु प्रदूषण में कमी; जल प्रदूषण नियंत्रण; हरित क्षेत्र में वृद्धि; जलाशयों का पुनरुद्धार; बाढ़ जोखिम में कमी; अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग; भूजल संवर्धन; लैंडफिल दबाव को कम करना; अपशिष्ट का संपन्नता में परिवर्तन; और कुल ऊर्जा-उपयोग में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा। इसके अतिरिक्त, दो अन्तःसंबन्धित (क्रॉस-कटिंग) केपीआई, अर्थात् सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की ओर बढ़ना और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना भी इस सूचकांक में योगदान करते हैं।

21.2.4.2 छह महत्वपूर्ण केपीआई निर्मित पर्यावरण सूचकांक में योगदान करते हैं। ये हैं-भूकंपीय अनुपालन; आग लगने की घटनाओं से सुरक्षा; नए आवास स्टॉक में छोटे आकार के आवास का हिस्सा; स्लम पुनर्वास; सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की ओर बढ़ना और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना। इसके अतिरिक्त, बाढ़ जोखिम में कमी के रूप में अन्तःसंबन्धित (क्रॉस-कटिंग) परिवर्तनीय कारक भी इस सूचकांक में योगदान देता है।

- 21.2.4.3 चार महत्वपूर्ण केपीआई शहर की जीवंतता-सूचकांक (सिटी विटैलिटी इंडेक्स) में योगदान करते हैं। ये हैं- *मानव विकास सूचकांक, विरासत संरक्षण, सार्वजनिक सड़कों की जीवंतता और कार्यबल में महिला भागीदारी।*
- 21.2.4.4 योजना के कार्यान्वयन में शहर की समग्र प्रगति का आकलन करने के लिए एक व्यापक **दिल्ली निवास-योग्यता सूचकांक (Liveability Index)** भी विकसित किया जाएगा। यह सभी 20 संकेतकों के संबंध में हुई प्रगति का उपयोग करके आकलित किया जाएगा।
- 21.2.4.5 सभी केपीआई मात्रात्मक हैं, और 2021-41 के बीच प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के लिए वांछित लक्ष्यों से तुलना करके इनका आकलन किया जाएगा। खण्ड 21.3 में इंगित तीन समन्वय समितियां योजना के कार्यान्वयन के पहले वर्ष के भीतर इन वांछित लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होंगी। विभिन्न संबंधित विभागों/एजेंसियों के परामर्श से लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे।

21.3 बहु-एजेंसी समन्वय फ्रेमवर्क

- 21.3.1 तीन निगरानी समितियां नामतः पर्यावरणीय संपोषणीयता समिति (ईएस-सीओएम), निर्मित पर्यावरण समिति (बीई-सीओएम) और शहर जीवंतता समिति (सीवी-सीओएम) गठित की जाएंगी जो योजना के तीन लक्ष्यों के संबंध में की गई प्रगति की निगरानी करेंगी। इन समितियों में संबंधित विभागों/एजेंसियों के प्रतिनिधि होंगे और उनकी अध्यक्षता दि.वि.प्रा. के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- 21.3.1.1 पर्यावरणीय संपोषणीयता समिति (ईएस-सीओएम), अध्याय ईएनवी1, ईएनवी2, आईएनएफ1, आईएनएफ2, आईएनएफ3, आईएनएफ4, में कार्रवाई योग्य मदों में की गई प्रगति की निगरानी करेगी और पर्यावरणीय संपोषणीयता सूचकांक से संबंधित केपीआई का जायजा लेगी।
- 21.3.1.2 निर्मित पर्यावरण समिति (बीई-सीओएम) अध्याय एसएस1, एसएस2, एमओबी1, एमओबी2, एमओबी3, एमओबी4 में कार्रवाई योग्य मदों में

की गई प्रगति की निगरानी करेगी और निर्मित पर्यावरण सूचकांक से संबंधित केपीआई का जायजा लेगी।

21.3.1.3 शहर जीवंतता समिति (सीवी-सीओएम) अध्याय ईसीओ, एचसीपी1, एचसीपी2 में कार्रवाई योग्य मदों में की गई प्रगति की निगरानी करेगी और शहर जीवंतता-सूचकांक से संबंधित केपीआई का जायजा लेगी।

21.3.2 इन समितियों के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए ईएस-सीओएम, बीई-सीओएम और सीवी-सीओएम के अंतर्गत उप-समितियों का गठन किया जा सकता है। यह समितियां संबंधित एजेंसियों को लक्ष्य हासिल करने के लिए विस्तृत कार्य योजना और विशेष परियोजनाएं तैयार करने का निर्देश भी दे सकती हैं।

21.3.3 प्रत्येक निगरानी समिति द्वारा एक वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो योजना के वास्तविक धरातल पर हुए कार्यान्वयन के संबंध में यथास्थिति को उजागर करेगी और आवश्यकतानुसार सुधार के लिए उपाय सुझाएगी।

21.3.4 तीनों निगरानी समितियाँ दिल्ली के उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त-शीर्ष समीक्षा समिति को वार्षिक आधार पर रिपोर्ट करेंगी। शीर्ष समिति वार्षिक प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करेगी, समन्वय सहायता करेगी और आवश्यकतानुसार योजना में संशोधन का सुझाव देगी।

21.3.5 विभिन्न एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत किन्हीं चुनौतीपूर्ण कार्यान्वयन मुद्दों पर चर्चा करने, रोड मैप की समीक्षा करने और समग्र प्रगति एवं भविष्य की योजनाओं और परियोजनाओं का जायजा लेने के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा एक वार्षिक बहु-एजेंसी कार्यशाला का आयोजन किया जा सकता है।

21.4 डाटा साझा करना और प्रबंधन

21.4.1 शीर्ष समीक्षा समिति उन मुख्य डाटा बिंदुओं की सूची को अंतिम रूप देगी जिन्हें केपीआई के आकलन के लिए समय-समय पर प्रत्येक एजेंसी द्वारा निगरानी और साझा करने की आवश्यकता होती है। सभी संबंधित एजेंसियों के लिए एक औपचारिक डाटा शेयरिंग प्रोटोकॉल स्थापित किया जाएगा जिसमें डाटा बिंदुओं, मैट्रिक्स और मानकीकृत इकाइयों, डाटा कैप्चर करने के लिए स्रोत और तरीके,

रिपोर्टिंग की आवधिकता आदि को दर्शाया जाएगा। संबंधित एजेंसियों द्वारा इसका अनिवार्यतः पालन किया जाएगा।

21.4.2 दि.वि.प्रा. संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रत्येक केपीआई से संबंधित डाटा अपलोड करने के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल स्थापित करेगा, जिसे संबंधित केपीआई की निगरानी करने वाली समितियों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा।

21.5 दि.वि.प्रा. में योजना निगरानी और समीक्षा इकाई

21.5.1 दि.वि.प्रा. में एक समर्पित योजना निगरानी और समीक्षा इकाई (पीएमआरयू) स्थापित की जाएगी जिसमें योजना कार्यान्वयन के लिए आवश्यक विभिन्न सहायक कार्यों को पूरा करने के लिए पेशेवरों की एक अंतःअनुशासनिक टीम शामिल होगी।

21.5.2 पीएमआरयू निम्नलिखित निर्देशात्मक कार्य करेगा:

- i) विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर डाटा बैंक का विकास करना।
- ii) प्राप्त/संकलित आंकड़ों के आधार पर वार्षिक समीक्षा रिपोर्टें तैयार करना।
- iii) महायोजना (दिल्ली स्थानिक सूचना प्रणाली) के जीआईएस डाटाबेस की प्रबंध-व्यवस्था करना, जिसमें विभिन्न एजेंसियों से तत्काल प्राप्त जानकारी (रियल टाइम इनपुट) के साथ डाटाबेस को अद्यतन करना, जमीनी सर्वेक्षण, सीएलयू आदि शामिल हैं।
- iv) खंड 21.6.2 के अनुसार दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित ऑनलाइन नागरिक पोर्टल का प्रबंधन करना।
- v) अनेकानेक विषयों से संबंधित प्रमुख प्रवृत्तियों, मुद्दों और चुनौतियों का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन करना अथवा करवाना।
- vi) शीर्ष समीक्षा समिति के लिए एक तकनीकी सहायता इकाई के रूप में कार्य करना।

21.6 कार्यान्वयन सहायता

- 21.6.1 दि.वि.प्रा. योजना की विभिन्न स्थानिक विकास नीतियों (संदर्भ: भाग 7) के सुचारु कार्यान्वयन के लिए ऑनलाइन एकल खिड़की तंत्र स्थापित करेगा। यह पोर्टल आवेदन करने, योजनाओं में भाग लेने, अनुमोदन की स्थिति पर नज़र रखने आदि के लिए एक स्थान पर उपलब्ध सुविधा के रूप में कार्य करेगा।
- 21.6.2 दि.वि.प्रा. नियमित आधार पर जानकारी प्रदान करने के लिए तथा साथ ही नागरिकों द्वारा किए गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए एक ऑनलाइन नागरिक पोर्टल भी तैयार करेगा और उसे बरकरार रखेगा। एक ऑनलाइन डैशबोर्ड भी पोर्टल के भीतर शामिल किया जा सकता है जिसमें डाटा के तत्काल (रीयल टाइम) विश्लेषण और महत्वपूर्ण चरण/उपलब्धियों पर रिपोर्टिंग शामिल हो।
- 21.6.3 दि.वि.प्रा. और अन्य सरकारी एजेंसियां शहर के नियोजित और अनियोजित दोनों क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्र सुधार परियोजनाओं की संकल्पना तैयार करने, डिजाइन बनाने और निष्पादन के लिए हितधारक समूहों जैसे आरडब्ल्यूए, मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन या सिविल सोसाइटी संगठनों को तकनीकी सहायता और आरंभिक सहायता प्रदान कर सकती हैं।
- 21.6.4 दि.वि.प्रा. और अन्य सरकारी एजेंसियां, वास्तविक स्तर पर योजना कार्यान्वयन के प्रभावों को समझने और उनका आकलन करने; फीडबैक प्राप्त करने और राय जानने; शहर के लिए नियोजित विभिन्न परियोजनाओं और पहल पर सुझाव प्राप्त करने तथा सिटिजन-ड्रिवन इनोवेशन हेतु अवसर और मार्ग प्रदान करने के लिए विभिन्न नागरिक समूहों और हितधारकों जैसे महिलाएँ, युवा आदि के साथ निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करेंगी।
- 21.6.5 दि.वि.प्रा. सरल रूप में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और आईईसी सामग्री तैयार करेगा, सामुदायिक कार्य द्वारा सार्वजनिक स्थानों में सुधार, निर्मित

वातावरण को हरा-भरा करने आदि जैसे विषयों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करेगा और इस तरह की सामग्री को अपने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध कराएगा।

--- x --- x ---- x --- x --- x ---

खंड 9

**विकास कोड और
विकास नियंत्रण मानदंड**

22.0 विकास नियंत्रण मानदंड

विकास नियंत्रण मानदंड विशेष प्रावधान है जो योजना में निहित भूमि उपयोग प्लान और नीतिगत रूपरेखा के अंतर्गत विकास को नियंत्रित करते हैं। यह सभी प्लॉटो/ एकीकृत स्कीमों/क्षेत्रों पर लागू होते हैं और इसमें सभी स्थलों पर समुचित विकास को प्रोत्साहित करके निर्मित और प्राकृतिक वातावरण की गुणवत्ता में सुधार करने के परिकल्पना है। कोई भी विकास, विस्तार, उपयोग रूपांतरण नवीन अथवाविद्यमान, उपयोग परिवर्तन, साइट परिवर्तन स्थानांतरण, पुनर्निर्माण तथा अन्य कोई भवन अथवा अन्य संरचना इन मानदंडों द्वारा शासित होंगी।

22.1 दिल्ली 2041 के लिए भूमि उपयोग योजना

22.1.1 दिल्ली मुख्य योजना-2041 (एमपीडी-2041) के लिए भूमि उपयोग प्लान को जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) प्लेटफॉर्म पर भूमि/साइट की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। दिल्ली को 18 नियोजन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आधार मानचित्र में, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित भूमि के उपयोग, जोनल सीमाओं से संबंधित अतिव्यापी मुद्दों, मौजूदा/प्रस्तावित सड़कों की निरंतरता, वास्तविक साइट की स्थिति के अनुसार भूमि के वास्तविक आकार और आकृति का उपयोग/उपयोग क्षेत्रों का सुधार, आंचलिक योजना की सीमाओं को परिष्कृत करना आदि मास्टर प्लान में हल किए गए और शामिल किए गए हैं।

22.1.2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मैपिंग को समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा, जिसमें सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण सहित अनधिकृत विकास का पता लगाने और रोकने के लिए भूमि की स्थिति के संबंध में मूल्यवान डेटा शामिल होगा और यह हरित क्षेत्रों के संरक्षण को सुविधा प्रदान करेगा।

22.1.3 विकास को नियंत्रित करने के लिए, विकास संहिता में 27 उपयोग जोन में क्षेत्रों की पहचान की गई है। इन उपयोग जोनों को आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, मनोरंजनात्मक, परिवहन, उपयोगिता, सरकारी, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं और ग्रीन बेल्ट तथा जलाशय जैसे भूमि उपयोग की नौ श्रेणियों में प्रमुख तौर पर वर्गीकृत किया गया है। इन उपयोग जोनों में विकास, नियमों के अनुसार किया जाएगा, जैसा कि विकास संहिता और संबंधित अध्यायों में निर्दिष्ट किया गया है।

22.2 जोनल विकास योजनाएँ

22.2.1 मुख्य योजना 2041 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 18 योजना जोनों (डिवीजनों) में विभाजित किया गया है, जिन्हें 'ए' से 'पी' (जोन 'आई' को छोड़कर) तक निर्दिष्ट किया गया है।

22.2.2 जोनल योजनाएं लेआउट योजना और मास्टर प्लान के बीच कड़ी के रूप में कार्य करेंगी। विभिन्न उपयोग परिसरों को इंगित करने वाली विकास योजनाएं और लेआउट योजनाएं, मास्टर प्लान / जोनल योजनाओं के अनुरूप होंगी।

22.2.3 किसी भी क्षेत्र की जोनल योजना के अभाव में, मुख्य योजना के प्रावधानों के अनुसार विकास किया जाएगा। दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अनुसार मुख्य योजना में भूमि उपयोग / संशोधन के बिना किसी भी शहरी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जोनवार अनुमानित क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:

तालिका 22.1: जोन वार क्षेत्र

क्र.सं.	जोन	जोन का नाम	क्षेत्र (हेक्टेयर)
1	ए	चारदीवारी शहर + चारदीवारी शहर के अतिरिक्तकत (ओडब्ल्यूसी)	540.65+628.42=1169.07
2	बी	सिटी एक्सटेंशन (करोल बाग)	2317.05
3	सी	सिविल लाइन	3991.73
4	डी	नई दिल्ली	6657.30
5	ई	ट्रांस यमुना	8567.96
6	एफ	दक्षिणी दिल्ली-I	11088.82
7	जी	पश्चिमी दिल्ली-I	12311.22
8	एच	उत्तर पश्चिमी दिल्ली-I	5452.84
9	जे	दक्षिणी दिल्ली-II	15519.67
10	के-I	पश्चिमी दिल्ली-II	6461.91
11	के-II	द्वारका	5708.44
12	एल	पश्चिमी दिल्ली-III	22108.97
13	एम	उत्तर पश्चिमी दिल्ली-II	5594.68
14	एन	उत्तर पश्चिमी दिल्ली-III	14015
15	ओ-I*	यमुना जोन (सक्रिय बाढ़ निर्मित क्षेत्र)	6295.00
16	ओ-II*	नियंत्रित (रीवर फ्रंट)	3638.36

17	पी-I	नरेला	9623.26
18	पी-II	उत्तरी दिल्ली	8128.92

टिप्पणी: *उपरोक्त क्षेत्र अनुमानित हैं और जीआईएस के अनुसार हैं। प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ जोन का पुनःपरिसीमन और रिजोनिंग किया जा सकता है।

22.3 भूमि उपयोग और उपयोग जोन

22.3.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को नौ (9) भूमि उपयोग श्रेणियों में विभाजित किया गया है जैसा कि तालिका 22.2 में वर्णित है। प्रत्येक भूमि उपयोग श्रेणी को उपयोग जोनों की संख्या प्रदान की गई है, जिसे आगे उपयोग परिसरों की आवश्यक संख्या में उप-विभाजित किया जाएगा। उपयोग जोनों में से कोई भी एक या एक से अधिक स्थानों पर अवस्थित हो सकते हैं, जैसा कि भूमि उपयोग योजना में निर्दिष्ट किया गया है। उपयोग जोनों के विभिन्न पॉकेट्स की सीमाओं को भूमि उपयोग योजना में परिभाषित किया गया है।

तालिका 22.2: भूमि उपयोग और उपयोग जोन

क्र.सं.	भूमि उपयोग		
1	आवासीय	आरडी*	आवासीय क्षेत्र
		आरएफ	विदेशी मिशन
2	व्यावसायिक	सी1	खुदरा खरीदारी, सामान्य व्यापार और व्यवसाय, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, गैर-श्रेणीबद्ध व्यावसायिक केंद्र
		सी2	थोक और भांडागारण, कोल्ड स्टोरेज और तेल डिपो
		सी3	होटल
3	औद्योगिक	एम1	विनिर्माण, सेवा उद्योग और मरम्मत उद्योग
4	मनोरंजन	पी1	क्षेत्रीय पार्क
		पी2	सिटी पार्क, डिस्ट्रिक्ट पार्क, सामुदायिक पार्क, बहुउद्देश्यीय मैदान
		पी3	ऐतिहासिक स्मारक / पुरातत्व पार्क
		पी4	ग्रीन बफर
		पी5	खेल सुविधाएं / परिसर
5	परिवहन	टी1	एयरपोर्ट
		टी2	टर्मिनल / डिपो - रेल / एमआरटीएस / बस / ट्रक, यार्ड
		टी3	सर्कुलेशन - रेल / एमआरटीएस / रोड / आरआरटीएस / हाई स्पीड रेल
6	उपयोगिता	यू1	पानी (ट्रीटमेंट प्लांट आदि)
		यू2	सीवरेज (ट्रीटमेंट प्लांट आदि)

क्र.सं.	भूमि उपयोग		
		यू3	बिजली (पावर हाउस, सब-स्टेशन आदि)
		यू4	ठोस अपशिष्ट (उपचार, आदि)
		यू5	नाली
		यू6	अन्य उपयोगिताएँ
7	सरकारी	जी1	प्रेसीडेंट एस्टेट और संसद भवन
		जी2	सरकारी कार्यालय परिसर / न्यायालय / पीएसयू
		जी3	सरकारी भूमि (अनिर्धारित उपयोग)
8	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक	पीएस1	स्वास्थ्य, शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय / विश्वविद्यालय केंद्र, कॉलेज, सामाजिक - सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक परिसर / केंद्र, पुलिस / पुलिस मुख्यालय / पुलिस लाइंस, फायर स्टेशन / आपदा प्रबंधन केंद्र, धार्मिक, दफन भूमि / कब्रिस्तान / श्मशान
		पीएस2	ट्रांसमिशन साइट / केंद्र
9	ग्रीन बेल्ट और जलाशय	ए1	ग्रीन बेल्ट
		ए2	नदी जोन (सक्रिय बाढ़ क्षेत्र) जलाशय और प्राकृतिक नाले

नोट:

1. *जैसा कि राजस्व विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा अधिसूचित है, ग्राम आबादी (लाल डोरा/फिरनी) और विस्तारित लाल डोरा का भूमि उपयोग, जो किसी भी उपयोग जोन में अवस्थित हो, आवासीय है।
2. भूमि उपयोग योजना में मिश्रित उपयोग जोन में एक से अधिक उपयोग जोन शामिल हो सकते हैं।

22.4 स्थानिक विकास

22.4.1 ग्रीन फील्ड और ब्राउनफील्ड क्षेत्रों के लिए स्थानिक विकास को विशेष स्थानिक विकास नीति (डी ई वी 1,2,3,4) के द्वारा शासित किया जाएगा।

22.4.2 योजना व्यवसाय प्रोत्साहन जिलो (बीपीडी), पारगमन उन्मुख विकास (टीओडी), लैंडपूलिंग क्षेत्र, हरित विकास क्षेत्र आदि जैसे ओवर ले लोनों की पहचान करती है। ये जोन स्थानिक विकास नीति में निर्दिष्ट किए गए लागू मानदंडों के अनुसार विशेष प्रकार के विकास को सुदृढ़ करेगी।

22.5 योजनाओं की स्वीकृति

22.5.1 लेआउट योजना/साइट योजना और भवन योजना को स्थानीय निकायों और उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

22.5.2 कवरेज / एफएआर की सीमा से यौगिक विचलन हेतु अनुमेय कवरेज और एफएआर के 5% की सीमा तक जुर्माना लगाने के बाद प्राधिकरण / स्थानीय निकाय(यों) को सशक्त किया जाएगा, जो पूरा होने/अधिभोग प्रमाणपत्र पर विचार करते समय भवनों/परिसरों में अधिकतम 13.5 वर्गमीटर की शर्त के अधीन होगा। समूह आवास योजनाओं और सार्वजनिक तथा अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं में, अनुमेय एफएआर से उपर 5% एफएआर, पूरा होने / अधिभोग प्रमाण पत्र पर विचार करने के समय प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा संयोजित किया जा सकता है।

22.5.3 जहां कहीं आवश्यक हो, दि.वि.प्रा. की तकनीकी समिति चिन्हित किए गए अनुसार लेआउट योजनाओं, व्यापक/एकीकृत योजनाओं और पुनर्सृजन योजनाओं को अनुमोदन प्रदान करने के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करेगी। तकनीकी समिति को विकास संगठनों/स्थानीय निकायों से योजनाएं आमंत्रित करने हेतु और जहां भी आवश्यक हो, निर्देश/सिफारिशें देने के लिए सशक्त किया जाएगा। पुरानी पुनर्विकास योजनाओं को पुनर्सृजन योजनाओं के नाम से जाना जाएगा।

22.5.4 उपयोग परिसर की अवस्थिति, सीमाओं और प्रमुख उपयोग में किसी भी परिवर्तन को विधिवत अनुमोदित किया जाएगा और लेआउट योजना में शामिल किया जाएगा।

22.5.5 प्राधिकरण अथवा कानून के अनुसार किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पहले से अनुमोदित लेआउट योजना, विधिवत अनुमोदित योजना मानी जाएगी। कोई ऐसा क्षेत्र जिसके संबंध में कोई स्वीकृत लेआउट योजना नहीं है, वह मास्टर प्लान/जोनल विकास योजना के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगा।

22.5.6 सभी लेआउट योजनाओं/एकीकृत योजनाओं से संबंधित सेवा योजना सभी भौतिक अधोसंरचनाओं के प्रावधान के लिए, जैसे कि पानी की आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी आदि, नगरपालिका नियमावलियों / सेवा प्रदाता एजेंसी के अनुरूप होंगे।

22.5.7 जहाँ मुख्य योजना/जोनल योजना, अथवा कोई अन्य विनियमों द्वारा भूमि उपयोग रूपांतरण को परिसर स्तर पर सक्षम किया जाता है, वहाँ सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए रूपांतरण शुल्क / अन्य प्रभारों का भुगतान करना होगा।

22.5.8 स्थानिक विकास के मामले में, योजना और अनुमोदन के लिए निर्धारित न्यूनतम क्षेत्र इस संबंध में लागू नीति के अनुसार होगा।

22.5.9 ले आउट और बिल्डिंग प्लान अनुमोदन के लिए विभिन्न नीतियों के अंतर्गत यथा निर्दिष्ट अपेक्षित प्लान आवश्यक रूप से जरूरी होंगे।

22.5.10 आवासीय उपयोग जोन के अंतर्गत अपेक्षित सामाजिक अवसंरचना के प्रावधान 10000 जनसंख्या के नगर स्तरीय मानदंडों द्वारा शासित होंगे।

22.6 सुविधाओं की श्रेणी

उचित और सुनियोजित विकास के प्रयोजन के लिए स्थानीय स्तर से शहरी स्तर तक की रैंज की विकास श्रेणियों के विभिन्न स्तर तक अनिवार्य और सहायक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता होगी। सभी अपेक्षित सुविधाओं के लिए योजना मानक निम्न प्रकार से है:-

स्तर	सुविधाएं	प्लॉटों की संख्या	प्रति यूनिट क्षेत्रफल	प्रदान किया जाएगा	
				एलओपी	जेडडीपी
स्थानीय स्तर	बिना बेड के स्वास्थ्य सेवाएं	1 @ 10,000	न्यूनतम 800 वर्ग मीटर	√	

स्तर	सुविधाएं	प्लॉटों की संख्या	प्रति यूनिट क्षेत्रफल	प्रदान किया जाएगा	
				एलओपी	जेडडीपी
पॉप: 10000 तक	लर्निंग सेंटर / क्रेच	1 @ 10,000	न्यूनतम 500 वर्ग मीटर	√	
	स्कूल (टाईप-I)	1 @ 10,000	रेंज - 2000-4000 वर्ग मीटर	√	
	स्कूल (टाईप-II)	1 @ 10,000	न्यूनतम 4000-8000 वर्ग मीटर	√	
	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा(टाईप-I)	1 @ 10,000	रेंज 800 – 2000 वर्ग मीटर	√	
	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाईप-I)	2 @ 10,000	न्यूनतम 400 वर्ग मीटर	√	
	स्थानीय स्तर खेल क्षेत्र	1 @ 10,000	न्यूनतम 5000 वर्ग मीटर	√	
	यातायात और पुलिस नियंत्रण कक्ष	आवश्यकता अनुसार	अधिकतम 25 वर्ग मीटर		
	पुलिस चौकी	आवश्यकता अनुसार	अधिकतम 150 वर्ग मीटर	√	
	पीएंडटी सुविधा (टाईप-I)	आवश्यकता अनुसार		√	
	मिल्क बूथ/ मिल्क, फल एवं सब्जी बूथ /दिल्ली दुग्ध आपूर्ति बूथB/ फेयर प्राइस शॉप	1 @ 5,000	संबंधित विभाग के मानक डिजाइन के अनुसार	√	
	टॉट लॉट	40 @ 10,000	न्यूनतम 125 वर्ग मीटर	√	
	स्थानीय स्तर पार्क	1 @ 10,000	न्यूनतम 1 हे.	√	
	श्री व्हीलर और टेक्सी स्टैंड	1 @ 10,000	न्यूनतम 400 वर्ग मीटर	√	
	बस टर्मिनल	1 @ 10,000	न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर	√	
	सुविधा बाजार केंद्र	1 @ 5,000	न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर	√	
	स्थानीय बाजार केंद्र	1 @ 10,000	न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर	√	
सर्विस मार्केट	1 @ 10,000	न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर	√	√	
अनौपचारिक सेक्टर मार्केट	1 @ 10,000	न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर	√		
सामुदायिक स्तर पॉप : तक 1 लाख	बिना बेड के स्वास्थ्य सेवाएं (पशु चिकित्सा)	1 @ 1 लाख	न्यूनतम 300 वर्ग मीटर	√	
	स्वास्थ्य सुविधा (लघु)	6 @ 1 लाख	न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर	√	
	अस्पताल	3 @ 1 लाख	रेंज-0.2 से 1.5 हेक्ट.	√	√
	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा(टाईप-II)	2 @ 1 लाख	न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर	√	
	पुलिस चौकी	1 @ 1 लाख	अधिकतम 2500 वर्ग मीटर	√	
	अग्निशमन पोस्ट	1 @ 1 लाख	अधिकतम 2500 वर्ग मीटर	√	
	रैन बसेरा	1 @ 1 लाख	न्यूनतम 100 वर्ग मीटर	√	
	सामुदायिक खेल केंद्र	1 @ 1 लाख	रेज- 1.0 to 3.0 हेक्ट.	√	
	सामुदायिक पार्क	1 @ 1 लाख	न्यूनतम 3.5 हेक्ट.		√
	सामुदायिक बहुउद्देशीय मैदान	1 @ 1 लाख	न्यूनतम 2.0 हेक्ट.	√	√
	बुकिंग कार्यालय सहित एलपीजी गोदाम	आवश्यकता अनुसार	न्यूनतम 600 वर्ग मीटर (पीईएसओ के लागू मानकों के प्रावधानों के अनुसार)	√	
	बस टर्मिनल	1 @ 1 लाख	न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर	√	
	बसों, एलएमवी, आईपीटी आदि की पार्किंग के लिए पार्किंग स्पेस	2 @ 1 लाख	न्यूनतम 3000 वर्ग मीटर	√	
सामुदायिक केंद्र	1 @ 1 लाख	न्यूनतम 2.0 हेक्ट.	√	√	

स्तर	सुविधाएं	प्लॉटों की संख्या	प्रति यूनिट क्षेत्रफल	प्रदान किया जाएगा	
				एलओपी	जेडडीपी
उप-शहरी स्तर पॉप: 5 लाख तक	अस्पताल	32 @ 5 लाख	न्यूनतम 1.5 हेक्ट.	√	√
	डी-एडिक्शन/ रीहैबिलेशन केंद्र	1 @ 5 लाख	न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर	√	
	पशु चिकित्सा अस्पताल	1 @ 5 लाख	न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर	√	
	विशेष स्कूल	4 @ 5 लाख	न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर	√	
	अनुसंधान एवं विकास केंद्र	1 @ 5 लाख	न्यूनतम 4000 वर्ग मीटर	√	√
	संस्थान	1 @ 5 लाख	न्यूनतम 4000 वर्ग मीटर	√	√
	कॉलेज	2 @ 5 लाख	As per UGC/ AICTE Norms		√
	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाईप-III)	1 @ 5 लाख	न्यूनतम 5000 वर्ग मीटर		√
	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाईप-II)	5 @ 5 लाख	न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर	√	
	जिला खेल केंद्र	1 @ 5 लाख	रेंज - 3.0 to 10.0 हेक्ट.		√
	पुलिस स्टेशन	2 @ 5 लाख	अधिकतम 1.0 हेक्ट.	√	√
	अग्निशमन स्टेशन	2 @ 5 लाख	अधिकतम 1.0 हेक्ट.	√	√
	आपदा प्रबंधन इकाई	1 @ 5 लाख	रेंज - 0.5 to 1.0 हेक्ट.		√
	शमशान घाट	1 @ 5 लाख	न्यूनतम-5000 वर्ग मीटर	✗	
	इनेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम	1 @ 5 लाख	न्यूनतम-5000 वर्ग मीटर		√
	जिला पार्क	1 @ 5 लाख	न्यूनतम 25 हेक्ट.		√
	जिला बहुद्देशीय मैदान	1 @ 5 लाख	न्यूनतम 4.0 हेक्ट.		√
	बस टर्मिनल	12 @ 5 लाख	न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर	√	√
बस डिपो	1 @ 5 लाख	न्यूनतम 4000 वर्ग मीटर	√	√	
ईंधन स्टेशन	आवश्यकता अनुसार	डीसीएन के अनुसार	√		
जिला केंद्र	1 @ 5 लाख	न्यूनतम 10 हेक्ट.	√	√	
शहर स्तर	मेडिकल कॉलेज	आवश्यकता अनुसार	भारतीय चिकित्सा परिषद् और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् मानदंड		√
	पशु चिकित्सा संस्थान	आवश्यकता अनुसार	भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्/ मंत्रालय मानदंड		√
	अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र (आईईसी) सहित यूनिवर्सिटी कैम्पस	आवश्यकता अनुसार	यूजीसी/एआईसीटीई मानदंडों के अनुसार		√
	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाईप-IV)*	आवश्यकता अनुसार		√	
	शहर स्तर के खेल: शहर स्तर के खेल: प्रादेशिक खेल केंद्र *	1 @ 10 लाख और उससे अधिक	न्यूनतम 10 हेक्ट.		√
	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाईप-III)	आवश्यकता अनुसार	न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर	√	√
	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाईप-IV)	आवश्यकता अनुसार			√
	जिला न्यायालय	1 @ 50 लाख	न्यूनतम 2 हेक्ट.		√
	पुलिस लाइंस	आवश्यकता अनुसार	अधिकतम 1 हेक्ट.		√
	जिला पुलिस कार्यालय एवं बटालियन	आवश्यकता अनुसार	अधिकतम 1 हेक्ट.		√
	पुलिस प्रशिक्षण संस्थान / कॉलेज	आवश्यकता अनुसार	अधिकतम 5 हेक्ट.		√
	पुलिस फायरिंग रेंज	आवश्यकता अनुसार	अधिकतम 5 हेक्ट.		√
	पुलिस कैम्प	आवश्यकता अनुसार	अधिकतम 5 हेक्ट.		√

स्तर	सुविधाएं	प्लॉटों की संख्या	प्रति यूनिट क्षेत्रफल	प्रदान किया जाएगा	
				एलओपी	जेडडीपी
	अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान	आवश्यकता अनुसार	अधिकतम 5 हेक्ट.		√
	आपदा प्रबंधन केंद्र	आवश्यकता अनुसार	अधिकतम 5 हेक्ट.		√
	पीएंडटी सुविधा (टाईप-II)	2 @ 20 लाख	न्यूनतम 2500 वर्ग मीटर		
	पीएंडटी सुविधा (टाईप-III)	आवश्यकता अनुसार			√
	कब्रिस्तान	1 @ 10 लाख	न्यूनतम 1 हेक्ट.		√
	सिमेंटरी	1 @ 10 लाख	न्यूनतम 1 हेक्ट.		√
	पशुओं के लिए कब्रिस्तान	1@ 10 लाख	न्यूनतम-2000 वर्ग मीटर		√
	सिटी पार्क	2@10 लाख	न्यूनतम 40 हेक्ट.		√
	सिटी बहुदेशीय मैदान	1@10 लाख	न्यूनतम 8.0 हेक्ट.		√
	बस डिपो	आवश्यकता अनुसार			√
	ईंधन स्टेशन	आवश्यकता अनुसार		√	
	आईएसबीटी	आवश्यकता अनुसार	न्यूनतम 10 हेक्ट.		√
	Wholesale	1@ 10 लाख	न्यूनतम 8.0 हेक्ट.		√

* लैंड पूलिंग एरिया में 200 हेक्ट. तक आरक्षित रखा जाए, जहां तक संभव हो

उपयोगिताएं

जल आपूर्ति और सैनैटाइजेसन

स्तर	सुविधाएं	प्लॉटों की संख्या	प्रति यूनिट क्षेत्रफल	एलओपी	जेडडीपी
एनए	सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी)				
	एसटीपी (एसपीएस एवं ईपीएस के साथ) - 5 एमजीडी तक (22.7 एमएलडी) क्षमता	आवश्यकता अनुसार	650 वर्ग मीटर /एमएलडी		
	एसटीपी (एसपीएस एवं ईपीएस के साथ) - 5 एमजीडी से अधिक क्षमता (22.7 एमएलडी)	आवश्यकता अनुसार	1,100 वर्ग मीटर /एमएलडी	√	√
	सीवेज पम्पिंग स्टेशन (एसपीएस)	आवश्यकता अनुसार	50 वर्ग मीटर		
	निस्सारण पम्पिंग स्टेशन (ईपीएस)	आवश्यकता अनुसार	50 वर्ग मीटर		
	जल शोधन संयंत्र (डब्ल्यूटीपी)				
	डब्ल्यूटीपी - 80 एमजीडी (363 एमएलडी)	आवश्यकता अनुसार	300 वर्ग मीटर /एमएलडी	√	√
	डब्ल्यूटीपी - 40 एमजीडी (182 एमएलडी)	आवश्यकता अनुसार	400 वर्ग मीटर /एमएलडी	√	√
	बूस्टर पम्पिंग स्टेशन के साथ भूमिगत जलाशय				
	5 एमएल क्षमता	आवश्यकता अनुसार	700 वर्ग मीटर /एमएल	√	
50 एमएल क्षमता	आवश्यकता अनुसार	600 वर्ग मीटर /एमएल	√		
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन					
स्थानीय स्तर	अपशिष्ट को अलग करने के लिए क्षेत्र और उपयोगिता वाहनों की पार्किंग (पहले: इलावा)	1 @ 10,000	200 वर्ग मीटर	√	
उप-शहर स्तर	सामग्री रिक्वरी सुविधा (सेमी-ऑटोमेटिक): 200 टीपीडी	1 @ 5 लाख	6,000 - 8,000 वर्ग मीटर	√	
शहर स्तर	सामग्री रिक्वरी सुविधा (ऑटोमेटिक) : > 10,000 टीपीडी	1@ > 20 लाख	10,000 - 20,000 वर्ग मीटर	√	√
Power					
स्थानीय स्तर	इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन 11 केवी	1 @ 10,000	40 वर्ग मीटर	√	

स्तर	सुविधाएं	प्लॉटों की संख्या	प्रति यूनिट क्षेत्रफल	प्रदान किया जाएगा	
				एलओपी	जेडडीपी
सामुदायिक स्तर	इलेक्ट्रिक सब-सटेशन 66 केवी	2 @ 1 लाख	2,500-4,000 वर्ग मीटर	√	
उप-शहर स्तर	इलेक्ट्रिक सब-सटेशन 220 केवी	1 @ 5 लाख	7,000-10,000 वर्ग मीटर	√	
शहर स्तर	इलेक्ट्रिक सब-सटेशन 400 केवी	1 @ 20	4.0 हेक्ट.	√	√

22.7 निर्दिष्ट उपयोग जोन एवं उपयोग परिसर

22.7.1 प्रत्येक उपयोग जोन में कई उपयोग परिसर शामिल होते हैं जो अपने आप में विशिष्ट होते हैं। उपयोग परिसर में संगत गतिविधियां शामिल होती हैं और इन्हें स्टैंडअलोन भूखंडों (प्रत्येक उपयोग परिसर के लिए निर्धारित) के रूप में अथवा एकीकृत/व्यापक योजनाओं (जैसे डिस्ट्रिक सेंटर, कम्युनिटी सेंटर आदि) के रूप में विकसित किया जा सकता है।

- प्रत्येक उपयोग परिसरों को विशिष्ट उपयोग/उपयोग गतिविधियों को करने अनुमति होगी।
- लेआउट प्लान में निर्दिष्ट अनुसार प्रत्येक उपयोग परिसर की अवस्थिति और सीमाएं अनुरूप होंगी।
- उपयोग परिसरों की अवस्थिति, सीमाओं और प्रमुख उपयोग में किसी भी परिवर्तन, जिस भी कारणों से हो और विधिवत अनुमोदित होने, को लेआउट योजना में शामिल किया जाएगा।

22.8 आवासीय

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका 22.3: उपयोग परिसर और परिभाषाएं आवासीय:

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1	ग्रुप हाउसिंग	कोई परिसर जिसका क्षेत्रफल 3000 वर्गमीटर (झुग्गी/जेजे पुनर्वास क्षेत्र/विशेष क्षेत्र/ग्राम (लाल डोरा/फिरनी)/विस्तारित लाल डोरा के लिए 200 वर्गमीटर) से कम नहीं है, जिसमें बुनियादी सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, सुविधा की दुकानें, सार्वजनिक उपयोगिता आदि, के साथ आवासीय फ्लैट शामिल हैं।

2	प्लॉटेड हाउसिंग*	एक या एक से अधिक आवास इकाई(यों) के लिए परिसर, जिसमें एक या एक से अधिक मुख्य भवन ब्लॉक और गैराज तथा सेवा पर्सनल के लिए अन्य सहायक ब्लॉक हो सकते हैं।
3	स्टूडियो अपार्टमेंट	कारपेट एरिया** 40-60 वर्गमीटर प्रति इकाई के साथ आवासीय फ्लैट्स हेतु परिसर।
4	धर्मशाला या इसके अनुरूप	लघु अवधि के लिए अस्थायी आवास प्रदान करने वाले परिसर।
5	राज्य भवन / राज्य अतिथि गृह	राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मेहमानों हेतु ट्रांजिट आवास प्रदान करने वाले सरकारी स्वामित्व के परिसर।
6	अफोर्डेबल सार्वजनिक किराये के मकान	आवासीय फ्लैट के साथ अस्थायी आवास सुविधाओं वाले परिसर, और भोजन की सुविधाओं अथवा इसके बिना सामान्य सुविधाओं के साथ शयनगृह वाले परिसर।
7	स्लम पुनर्वास योजना	झुग्गी क्षेत्र पुनर्बसावट/पुनर्वास के हिस्से के रूप में लाभार्थियों हेतु प्रदान किए गए आवासीय फ्लैटों का परिसर।
8	होस्टल	कोई परिसर जिसमें कमरों के रूप में आवासीय आवास प्रदान किया जाता है।
9	रैन बसेरा (नाइट शेल्टर)	बिना किसी शुल्क या टोकन शुल्क के व्यक्तियों को रात्रि आवास प्रदान करने की सुविधा वाले परिसर। यह स्थानीय सरकार या स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा संचालित हो सकते हैं।***
10	गेस्ट हाउस, लॉजिंग और बोर्डिंग हाउस	लघु अवधि के लिए अस्थायी आवास प्रदान करने वाले परिसर।
11	कम घनत्व वाले आवासीय भूखंड	शहरी विस्तार में मौजूदा फार्म हाउस जिन्हें नीति के अनुसार और नए कम घनत्व वाले आवासीय भूखंडों के रूप में नियमित किया गया हो, हरित विकास क्षेत्र के रूप में अनुमति दी जा सकती है।
12	विदेशी मिशन	विदेशी मिशन के लिए परिसर।

नोट:

1. *वर्ष 1962 के पूर्व भूखंड के तौर पर निर्धारित किए गए दो-मंजिला फ्लैट्स को आवासीय भूखंड माना जाएगा।
2. *आवासीय भूखंड/फ्लैट में बिस्तर और नाश्ता आवास प्रदान करना एक अनुमेय गतिविधि हो सकती है, यदि यह समय-समय पर पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार / जीएनसीटीडी द्वारा अधिसूचित योजना के तहत पंजीकृत है।
3. **रेरा (आरईआरए) के अनुसार कारपेट एरिया की परिभाषा।
4. ***जैसा कि भूमि की एक सीमा है, इसलिए आवासीय और पीएसपी भूखंडों में बहुउद्देशीय सुविधाओं के निर्माण हेतु भूमि का इष्टतम तथा बेहतर उपयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए। रेलवे, स्वास्थ्य, उद्योग, डीटीसी, पुलिस जैसी संबंधित एजेंसियों द्वारा रेलवे टर्मिनलों, बस टर्मिनलों, थोक/खुदरा बाजारों, फ्रेट कॉम्प्लेक्स, पुलिस स्टेशनों आदि के अंदर मौजूदा भवनों में और नए प्रस्तावित निर्माणों आदि में, जहाँ भी स्थान उपलब्ध हो, रैन बसेरों का निर्माण किया जाना

चाहिए, तथा इन रैन बसेरों में उपयुक्त संशोधनों के साथ-साथ नवीन अवधारणाओं को अपनाकर, जैसे कि भूतल पर व्यावसायिक स्थानों के साथ एकीकृत परिसर हो सकते हैं और प्रथम मंजिल पर रैन बसेरा।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका 22.4: उपयोग परिसर एवं अनुमेय गतिविधियां: आवासीय

क्र. सं.	उपयोग जोन	आवासीय क्षेत्र (आरडी)					
	उपयोग परिसर	1	2	3	4	5	6
	अनुमेय गतिविधियां	ग्रुप हाउसिंग	प्लॉटेड हाउसिंग	स्टूडियो अपार्टमेंट	धर्मशाला या इसके समान	राज्य भवन / राज्य अतिथि गृह	अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग
1	आवास (प्लॉटेड)		✓				
2	आवासीय (फ्लैट)	✓		✓			✓
3	खुदरा दुकानें, (20 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र के साथ भूतल पर)	✓		✓	✓		✓
4	मिश्रित उपयोग गतिविधि	✓	✓				
5	सोसायटी कार्यालय / पंजीकृत आरडब्ल्यूए कार्यालय	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	सामुदायिक कक्ष / बस्ती विकास केंद्र	✓		✓			✓
7	क्रेच / डे केयर सेंटर /	✓	✓	✓			✓

	आंगनवाड़ी						
8	वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन कक्ष	✓		✓			✓
9	मनोरंजन क्लब / हॉल	✓		✓			✓
10	स्विमिंग पूल	✓		✓			
11	धार्मिक	✓		✓			✓
12	शयनागार						✓
13	अतिथि कक्ष					✓	
14	भोजन क्षेत्र (विशेष क्षेत्रों को छोड़कर)			✓	✓	✓	✓
15	वाँच और वार्ड निवास (20 वर्गमीटर)	✓		✓	✓	✓	✓
16	कॉन्फ्रेंस हॉल और संबंधित सुविधाएं					✓	
17	सरकारी कार्यालय					✓	
18	सोविनियर शॉप					✓	
19	रेस्टोरेंट					✓	
20	एटीएम	✓			✓	✓	
21	स्टाफ आवासीय आवास					✓	
22	गैराज		✓				
23	उचित मूल्य की दुकान						✓

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.5: ग्रुप हाउसिंग

उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
गुप हाउसिंग	3000 वर्ग मी.	33.33% (मौजूदा डीयू में शेष बचे एफएआर को प्राप्त करने के लिए परिवर्धन/परिवर्तन के मामले में, ग्राउंड कवरेज को 40% तक अनुमति दी जाएगी।)	200	18	एनआर (एएआई / अग्निशमन विभाग तथा अन्य सांविधिक निकायों से अनापत्ति की शर्त पर)

अन्य नियंत्रण

- i. घनत्व की ऊपरी सीमा को लचीली आवास इकाई आकारों के साथ 200 डीयू/हेक्टेयर (900 पीपीएच) के रूप में लिया जाएगा, ताकि भूमि का इष्टतम उपयोग हो सके। केंद्र सरकार दि.वि.प्रा. के परामर्श से सार्वजनिक आवास और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के लिए घनत्व और अन्य मानदंडों को शिथिल कर सकती है।
- ii. विशेष क्षेत्र/गाँव (लाल डोरा / फिरनी) / विस्तारित लाल डोरा/अनधिकृत कॉलोनियां में समूह आवास भूखंड, न्यूनतम 7.5 मार्गाधिकार सड़कों के साथ 2000 वर्गमीटर की होंगी। ये भूखंड के अंदर पार्किंग आवश्यकताओं की पूर्ति और ट्रैफिक पुलिस विभाग और जीएनसीटीडी की दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) से अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्राप्ति की शर्तों के अधीन होंगी। इस तरह के भूखंडों को इन क्षेत्रों के विकास / लेआउट योजनाओं में समूह आवास भूखंडों के रूप में इन्हें शामिल करते हुए बाद में तैयार किया जाएगा, यदि ऐसी योजनाएं पहले से ही अनुमोदित नहीं हैं।
- iii. 400 वर्गमीटर को अथवा अनुमेय एफएआर के 6% की दर से अतिरिक्त फ्लोर क्षेत्र, जो भी कम हो अनुमति दी जाएगी, को सामुदायिक आवश्यकताओं जैसे सामुदायिक / मनोरंजन हॉल, क्रेच / डे केयर, लाइब्रेरी, वाचनालय, वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन कक्ष/क्लब और सोसाइटी कार्यालय को पूरा करने के लिए एफएआर से मुक्त करते हुए अनुमति दी जाएगी।
- iv. कम-ऊँचाई उच्च घनत्व वाले आवास को प्राप्त करने के लिए 40% तक के ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी।
- v. विकासकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित एफएआर (200 से अधिक अनुमेय एफएआर और 200 डीयूएस/हे. का घनत्व) का न्यूनतम 15% समुदाय-सेवा कार्मिकों / ईडब्ल्यूएस और निम्न श्रेणी के लिए निर्मित किया गया है। इस तरह के फ्लैटों में न्यूनतम 32 वर्गमीटर का कारपेट क्षेत्र होगा। इन ईडब्ल्यूएस डीयू के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:
 - क. ईडब्ल्यूएस हाउसिंग स्टॉक का 50% विकासकर्ता संस्था (डीई) द्वारा अनुरक्षित रखा जाएगा और अपार्टमेंट मालिकों, तथा केवल समूह आवास के निवासियों/मालिकों के लिए काम कर रहे सामुदायिक सेवा कार्मिकों (सीएसपी) को बाजार दरों पर दिया जाएगा। इन्हें संबंधित समूह आवास स्थलों/परिसरों अथवा इससे सटे स्थान पर डीई द्वारा विकसित किया जाएगा।

- ख. ईडब्ल्यूएस आवास उद्देश्य के लिए डीई द्वारा विकसित आवास इकाइयों के शेष बचे 50% को स्थानीय निकायों द्वारा दि.वि.प्रा. की नीति के अनुसार चिन्हित किए गए पात्र लाभार्थियों को बेचे जाएंगे। इन्हें डीई द्वारा समीपवर्ती किसी वैकल्पिक स्थल पर विकसित किया जा सकता है।
- ग. इस अलग आवास पॉकेट के लिए डीई द्वारा सभी आवश्यक पार्किंग, व्यावसायिक और पीएसपी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।
- घ. जैसा कि सरकार/दि.वि.प्रा. द्वारा इस संबंध में निर्धारित किया गया है, डीई द्वारा निर्मित ईडब्ल्यूएस आवास घटक गुणवत्ता आश्वासन जांच की शर्त के अधीन होगा। इस घटक का अंतिम तौर पर सौंपा जाना/अधिग्रहण करना, गुणवत्ता आश्वासन आवश्यकताओं को पूरा करने की शर्त के अधीन होगा।
- ड. दि.वि.प्रा./स्थानीय निकायों द्वारा दि.वि.प्रा. द्वारा निर्धारित दरों पर लाभान्वित पात्र लाभार्थियों को निर्धारित भूमि और ईडब्ल्यूएस आवास घटक को बेचने/हस्तांतरित करने के बाद ही संभावित खरीदारों को निर्धारित दर पर अपने हिस्से/स्वामित्व के तहत बिक्री योग्य घटक का वास्तविक हस्तांतरण/लेनदेन करने की अनुमति दी जाएगी।
- vi. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी अभिकरणों के नियोक्ता आवास को सामुदायिक सेवा पर्सनल / ईडब्ल्यूएस और निम्न आय वर्ग के लिए एफएआर अथवा आवास इकाइयों की आवश्यकताओं का पालन करना अनिवार्य नहीं है।

तालिका 22.6: प्लॉटेड हाउसिंग

उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र (वर्ग मी.)		अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	डीयू की अधिकतम सं.	ऊँचाई (मी.)
प्लॉटेड हाउसिंग	1	50 तक	90*	350	3	15 मीटर (स्टिल्ट के बिना)
	2	50 से ऊपर 100 तक	90*	350	4	
	3	100 से ऊपर 250 तक	75**	300**	4	17.5 मीटर (स्टिल्ट के साथ)
	4	250 से 500 के ऊपर तक	75	225	6	व्यक्तिगत भूखंड के लिए अग्निशमन विभाग से निकासी के अधीन
	5	500 से ऊपर 750 तक	60	225	6	
	6	750 से ऊपर 1000 तक	50	200	9	
	7	1000 से ऊपर 1500 तक	50	200	9	
	8	1500 से ऊपर	50	200	12	

		2250 तक			
9		2250 से ऊपर 3000 तक	50	200	15
10		3000 से ऊपर 3750 तक	50	200	18
111		3750 से ऊपर	50	200	21

अन्य नियंत्रण

- i. घनत्व की गणनाओं के उद्देश्य से आवास इकाई में 4.5 व्यक्तियों को समायोजित करने और सेवकों के निवास में 2.25 व्यक्तियों को समायोजित करने पर विचार किया जाएगा।
- ii. संबंधित स्थानीय निकाय निम्नलिखित के लिए सक्षम होगा:
 - क) वर्ग गज से वर्गमीटर तक के क्षेत्र के रूपांतरण से उत्पन्न होने वाले भूखंड के आकार में 2% तक के अंतर की अनदेखी करने हेतु।
 - ख) *भूखंड के आकार की पूर्ववर्ती श्रेणी के लिए लागू 100% भूमि आवृत क्षेत्र के मानदंड, निर्माण के नियमितीकरण के लिए सक्षम होंगे, जो दिनांक: 22.09.06 को अधिसूचित शुल्कों के भुगतान पर पहले से ही विद्यमान हैं।
 - ग) **100 से 175 वर्गमीटर के बीच के आकार के भूखंड से सम्बंधित 100% भूमि आवृत क्षेत्र और 350 एफएआर दिनांक: 22.09.06 को अधिसूचित शुल्कों के भुगतान पर पहले से विद्यमान निर्माण के नियमितीकरण के लिए सक्षम होंगे।
- iii. आवासीय भूखंड का न्यूनतम आकार 32 वर्ग मीटर होगा।
- iv. आवास इकाइयों की अतिरिक्त संख्या नागरिक अवस्थापना के संवर्द्धन के लिए लेवी के भुगतान के अधीन होगा।
- v. किसी भी भूखंड में कुल भूमि आवृत क्षेत्र और अनुमेय एफएआर अगली पूर्ववर्ती श्रेणी में सबसे बड़े भूखंड के अनुमेय एफएआर से कम होगा।
- vi. भवन की अधिकतम ऊँचाई बिना स्टिल्ट पार्किंग वाले भूखंडों में 15 मी. और स्टिल्ट पार्किंग वाले भूखंडों में 17.5 मी. होगी। ऐसे आवासीय भवन को गगनचुम्बी भवन नहीं माना जाएगा। अग्नि और जीवन सुरक्षा की आवश्यकताओं के उद्देश्य से, अग्निशमन विभाग की स्वीकृति व्यक्तिगत भवन स्वामी द्वारा प्राप्त की जाएगी।
- vii. भूखंडों के उपविभाजन की अनुमति नहीं दी जाती। हालाँकि, अगर एक आवासीय भूखंड में एक से अधिक भवन हैं, तो ऐसे सभी भवनों के निर्मित क्षेत्र और भूमि आवृत क्षेत्र का योग, उस भूखंड में अनुमेय निर्मित क्षेत्र और भूमि आवृत क्षेत्र से अधिक नहीं होगा।
- viii. दो भूखंडों जिनका अधिकतम योग 64 वर्गमीटर होगा, के एकीकरण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ दी जाएगी:
 - क) स्थानीय निकाय लेआउट योजना को एक साथ संशोधित करेगा।
 - ख) अधिकतम भूमि आवृत क्षेत्र, सेटबैक, पार्किंग, आवास इकाईयाँ आदि एकीकृत भूखंड के आकार के लिए होंगे।
 - ग) दो व्यक्तिगत भूखंडों के मामले में अनुमेय अधिकतम एफएआर अनुमेय एफएआर से कम

नहीं होगा।

- ix. यदि मेजेनाइन फ्लोर का निर्माण किया जाता है, तो इसकी गिनती एफएआर में की जाएगी।
- x. 100 वर्गमीटर से 750 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल वाले भूखंडों के लिए स्टिल्ट का प्रावधान अनिवार्य होगा। 750 वर्गमीटर से अधिक के भूखंडों के लिए, एमपीडी के मानदंडों के अनुसार, पार्किंग/ ईसीएस प्राप्त करने के लिए सेटबैक / स्टिल्ट में पार्किंग प्रदान की जाएगी। यदि भवन का निर्माण आवास के लिए अनुपयुक्त ऊँचाई (2.4 मी. से कम) के स्टिल्ट क्षेत्र के साथ किया जाता है जिसका उपयोग पार्किंग के लिए किया जाएगा तो ऐसे स्टिल्ट क्षेत्र को एफएआर में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, परन्तु भवन की ऊँचाई के लिए इसकी गणना की जाएगी।
- xi. स्वीकृत लेआउट योजना के अनुसार, सर्वेट क्वार्टर की संख्या उपलब्ध करायी जाएगी और निर्धारित ऊँचाई के अन्दर इनका निर्माण किया जाएगा। हालांकि, यदि गैराज ब्लॉक का विलय मुख्य भवन के साथ कर दिया जाता है, तो मुख्य भवन के एक भाग के रूप में अलग से किसी सर्वेट क्वार्टर ब्लॉक या सर्वेट क्वार्टर की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, अनुमेय भूमि आवृत क्षेत्र के एफएआर के अंतर्गत आवास इकाई के एक भाग के रूप में सर्वेट रूप के प्रावधान की अनुमति दी जाएगी।
- xii. निर्धारित ऊँचाई प्रतिबन्ध के साथ अनुमेय एफएआर के अंतर्गत, आवासीय इकाई के एक भाग के रूप में सर्वेट रूम का प्रावधान (खाना पकाने का स्थान, बरामदा, स्नानागार और शौचालय की विशेषताओं के साथ, 11 वर्गमीटर से अधिक के फर्श क्षेत्र) की अनुमति दी जाएगी। सर्वेट क्वार्टर का अधिकतम आकार 25 वर्गमीटर होगा। यदि यह आकार में बड़ा है, तो सर्वेट क्वार्टर की गणना पूर्ण आवास इकाई के रूप में घनत्व में की जाएगी।
- xiii. *मानक योजनाएं:* प्राधिकरण द्वारा अभिकल्पित और अनुमोदित मानक भवनों की कई योजनाएं हैं। जब भी लागू हो, ऐसी योजनाओं का संचालित होना जारी रहेगा। ऐसी योजनाओं को उपयुक्त विकास नियंत्रणों के अनुसार संशोधित किया जाएगा।
- xiv. सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को नियमित नहीं किया जाएगा और निम्नलिखित को छोड़कर अतिरिक्त निर्माण या ऊँचाई के नियमितीकरण के लिए स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व इन्हें हटा दिया जाएगा:
- क) प्रक्षेपों (बाहर निकले हुए भाग) / छज्जे / ढके हुए छज्जे के निर्मित भाग जो भूमि तल से 3 मी. की ऊँचाई से 1 मी. अधिक तक, दिनांक: 07.02.2007 से पूर्व विद्यमान था, को अनियोजित क्षेत्रों (विशेष क्षेत्र, ग्राम की जनसँख्या और अनाधिकृत नियमित कालोनियों सहित) और पुनर्वास कॉलोनियों में 1962 से पूर्व के कॉलोनियों (ए एवं बी श्रेणी को छोड़कर) के 24 मी. मार्गाधिकार से कम की सड़कों पर 175 वर्गमीटर तक के आकार वाले भूखंडों को नियमित किया जाएगा। भू-स्वामियों / कब्जाधारकों को एक न्यायसंगत समयावधि के अन्दर संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाणपत्र और अग्नि निकासी प्राप्त करनी होगी, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। ऐसे प्रक्षेपों / निर्मित भागों को एफएआर में गिना जाएगा और अनुमेय एफएआर के अतिरिक्त, एफएआर के मामले में ऐसे एफएआर को उचित शुल्क के भुगतान की शर्त पर नियमित किया जाएगा, जैसा कि सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- ख) संबंधित स्थानीय निकाय नियमित किये जाने वाले ऐसे सभी प्रक्षेपों का एक सर्वेक्षण करेगा

और नियमितीकरण के लिए सर्वेक्षण करेगा और कब्जाधारकों/ भूस्वामियों और सूची में ऐसे प्रक्षेपों के समावेशन / बहिष्करण के लिए जनता के किसी भी प्रतिनिधि से प्राप्त आपत्तियों के लिए पब्लिक डोमेन में ऐसी सूची उपलब्ध करेगा और उसके उपरांत इस सूची को लिखित में प्राप्त ऐसे आपत्तियों पर सोच-विचार के बाद एक माह की अवधि के अन्दर अंतिम रूप दिया जाएगा।

- xv. अतिरिक्त एफएआर और / या ऊँचाई की स्वीकृति या नियमितीकरण की मांग करने वाला प्रत्येक आवेदक किसी संरचनात्मक अभियंता से प्राप्त संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। जहां पर इस तरह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या भवन को अन्यथा संरचनात्मक रूप से असुरक्षित पाया जाता है, तो संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा एक न्यायसंगत निर्धारित अवधि के अन्दर संरचनात्मक त्रुटि को ठीक करने के लिए भूस्वामी को औपचारिक नोटिस दिया जाएगा, ऐसा करने में असफल होने पर संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया जाएगा और भूस्वामी या स्थानीय निकाय द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा।
- xvi. न्यूनतम सेटबैक्स निम्नांकित तालिका के अनुसार होंगे:

तालिका 22.7: आवासीय क्षेत्र के लिए न्यूनतम सेटबैक मानदंड-प्लॉटेड हाउसिंग

क्र.सं.	प्लॉट का आकार (वर्गमीटर)	न्यूनतम सेटबैक (मीटर में)			
		सामने	पीछे	साइड 1	साइड 2
1	100 से नीचे	0	0	0	0
2	101 से 250 तक	3	0	0	0
3	251 से 500 तक	3	3	3	0
4	501 से 2000 तक	6	3	3	3
5	2001 और 10000 तक	9	6	6	6
6	10000 से ऊपर	15	9	9	9

- क. यदि अनुमेय भूमि आवृत्त क्षेत्र किसी भूखंड में उपरोक्त सेटबैक्स के साथ अर्जित नहीं किया जाता है, तो पूर्ववर्ती श्रेणी के सेटबैक्स की अनुमति दी जा सकती है।
- ख. 50 वर्गमीटर से 100 वर्ग मी. तक के क्षेत्रफल वाले आवासीय भूखंडों में न्यूनतम 2मी. X 2मी. खुला आंगन / सर्विस डॉक्टर प्रदान की जाएगी।

तालिका 22.8: स्टूडियो अपार्टमेंट

उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
स्टूडियो	2000 वर्ग	33.33%	200	12	एनआर

अपार्टमेंट	मी.				(एएआई / अग्निशमन विभाग और अन्य सांविधिक निकायों से निकासी के अधीन)
अन्य नियंत्रण					
i. फ्लैट का अधिकतम कारपेट क्षेत्र 60 वर्ग मीटर होगा।					
ii. 400 वर्गमीटर या अनुमेय एफएआर के 6% के दर पर जो भी कम हो, अतिरिक्त फर्श क्षेत्र को एफएआर से मुक्त होने की अनुमति दी जाएगी जो समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, जैसे कि समुदाय/ मनोरंजन हॉल, शिशु गृह, पुस्तकालय, वाचनालय, वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन कक्ष/ क्लब और समिति कार्यालय।					

तालिका 22.9: धर्मशाला

उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
धर्मशाला	500 वर्ग मी.	30%	120		15

तालिका 22.10: राज्य भवन/राज्य अतिथि गृह

उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
राज्य भवन/राज्य अतिथि गृह	--	50%	200	--	एनआर (एएआई / अग्निशमन विभाग और अन्य सांविधिक निकायों से निकासी के अधीन)
अन्य नियंत्रण					
i. ज़ोन-डी के सब-ज़ोन डी -13 के मामले में, अधिकतम ऊँचाई 26 मी. से अधिक नहीं होगी (अग्नि और अन्य वैधानिक/ संरक्षा निकासी जिसकी आवश्यकता समय-समय पर पड़ सकती है)।					

तालिका 22.11: अफोर्डेबल सार्वजनिक किराए के मकान

उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
अफोर्डेबल सार्वजनिक किराए के मकान (एपीआरएच)	2000 वर्ग मी.	33.33%	200	12	एनआर (एएआई / अग्निशमन विभाग और अन्य सांविधिक निकायों से निकासी के अधीन)

अन्य नियंत्रण

- i. 400 वर्गमीटर के अतिरिक्त तल क्षेत्रफल या अनुमेय एफएआर के 6% के दर पर, जो भी कम हो, को एफएआर मुक्त कर दिया जाएगा, ताकि सामुदाय की आवश्यकताओं को पूरा कर सके जैसे कि सामुदायिक/ मनोरंजनात्मक हॉल, क्रेच/ डे केयर, भण्डारण सुविधाएँ और सोसायटी कार्यालय।
- ii. सरकारी निकायों सहित, एपीआरएच का निर्माण, संचालन और रखरखाव किसी भी संस्था द्वारा किया जा सकता है या फिर भारत सरकार के एआरएचसी योजना के मॉडल-1 (मौजूदा सरकारी वित्त पोषित रिक्त घरों को रियायत अनुबंध के माध्यम से अफोर्डेबल किराये के आवास में परिवर्तित करना) के अनुसार, इसे संचालन और रखरखाव के लिए किसी रियायतकर्ता (निजी संस्थाओं) को सौंपा जा सकता है।
- iii. अफोर्डेबल किराए का आवास (एआरएच) पीपीपी आधार (मॉडल II) पर हो सकता है।
 - क. इस मॉडल के माध्यम से निर्मित एआरएच में सभी सामान्य सुविधाओं सहित, आवासीय इकाई (प्रत्येक एक/ दो शयनकक्ष के लिए क्रमशः 32/60 वर्गमीटर का कारपेट क्षेत्र) और 4/6 बेड की डोरमेट्री (10 वर्गमीटर का कारपेट क्षेत्र तक, प्रति बिस्तर के लिए) का सम्मिश्रण सम्मिलित होगा।
 - ख. एआरएच के एकल परियोजना में कम से कम 40 डीयू (दो शयनकक्ष/ एक शयनकक्ष) या समकक्ष डॉर्मिटरी बिस्तर होंगे (32 वर्गमीटर क्षेत्र तक के 1 शयनकक्ष इकाई को 3 डॉर्मिटरी बिस्तरों के समकक्ष माना जाता है)।
 - ग. निजी / सार्वजनिक संस्थाओं को एक / दो शयनकक्ष और डॉर्मिटरीज (4/6 इकाईयों) के किसी भी तरह का संयोजन करने के लिए उदार होना होगा। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह के परिसरों का उपयोग शहरी प्रवासी / गरीब या ईडब्ल्यूएस / एलआईजी श्रेणी के लिए किया जाता है और किसी अन्य उद्देश्यों के लिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जाता है, लाइसेंस की अधिकतम अवधि का प्रावधान किया गया है।
- iv. परिसर में अनुमेय एफएआर के 10% तक के व्यावसायिक घटक की अनुमति दी जा सकती है जिसे संस्था द्वारा किराए पर दिया या बेचा जा सकता है।
- v. एआरएच के सभी निवासी आवासीय कॉम्प्लेक्स के स्वामी द्वारा उनको प्रदान किए गए लाइसेंस के अधिकारों के आधार पर घरों पर कब्जा ले सकते हैं।
- vi. ऐसे लाइसेंसों का अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।
- vii. लाइसेंस दस्तावेज का नवीनीकरण अधिकतम कार्यकाल से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।
- viii. एक एआरएच कॉम्प्लेक्स में, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के स्वामी का यह दायित्व होगा कि:
 - (क) वह किसी भी निवासी को लाइसेंस प्रदान करने के लिए उस पर कोई प्रीमियम नहीं लगाएगा।
 - (ख) किसी भी निवासी को उसके लाइसेंस का पुनः निष्पादन करके लाइसेंस के अधिकतम कार्यकाल से अधिक घर / कॉम्प्लेक्स में रहने की अनुमति प्रदान नहीं करेगा।
- ix. एआरएच के संबंध में रूपरेखाएँ अफोर्डेबल किराये के आवासीय कॉम्प्लेक्सों के लिए जारी संचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे, जैसा कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी और दि.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित किया गया है।

- x. ऐसे मामले में जहां पर दिशानिर्देशों में प्रावधान स्पष्ट नहीं हैं, दि.वि.प्रा. / प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन, अलग विकास नियंत्रण मानदंड निर्धारित किए जाएंगे।

तालिका 22.12: स्लम पुनर्वास

उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
स्लम पुनर्वास	2000 वर्ग मी.*	पुनर्वास परियोजना के डिजाइन में लचीलेपन के लिए भूमि आवृत्त क्षेत्र (सेटबैक्स को छोड़कर) पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।	400	9	एनआर (एएआई / अग्निशमन विभाग और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी के अधीन)

अन्य नियंत्रण

- (*) सार्वजनिक आवास के मामले में, दि.वि.प्रा. की तकनीकी समिति न्यूनतम भूखंड के आकार में 10% की छूट दे सकती है।
- झुग्गी पुनर्वास के लिए दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं (स्थल-विशिष्ट छूट को आवश्यकतानुसार अपनाया जा सकता है):
 - स्लम और जेजे क्लस्टर (स्व-स्थाने उन्नयन / पुनर्वास / स्लम और जेजे क्लस्टरों का पुनर्विकास, पुनर्वास कॉलोनियां) और इडब्ल्यूएस सार्वजनिक आवास योजनाओं के घनत्व की अधिकतम सीमा 900 डीयू / प्रति हेक्टेयर होना चाहिए।
 - स्लम/जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए भूमि क्षेत्र निर्धारित भूमि विमुद्रीकरण के माध्यम से पीपीपी मॉडल के आधार पर स्लम पुनर्वास विनियम / नीति के अनुसार लिया जाएगा। स्लम पुनर्वास योजना के लिए भूमि क्षेत्र का न्यूनतम आवासीय घटक 60% और लाभकारी उपयोग के लिए अधिकतम क्षेत्र 40% होना चाहिए।
 - इस योजना की रूपरेखा भूमि के आवासीय घटक (लाभार्थी अर्थात् 60%) पर अधिकतम 400 एफएआर के साथ संयुक्त रूप से बनायी जाएगी। भूमि के लाभकारी घटक पर अधिकतम 300 एफएआर भूमि का उपयोग होने के बाद भी लागू होगा।
 - दि.मु.यो. के प्रावधानों के अनुसार, किसी भी उपयोग / उपयोगों के मिश्रण को लाभकारी घटक में अनुमति दी जाएगी। यदि डीई उपयोगों के सम्मिश्रण का प्रस्ताव देता है, तो पार्किंग और विकास नियंत्रण के मानदंड प्रत्येक उपयोग के लिए प्रयुक्त एफएआर पर यथानुपात आधार पर लागू होंगे।
 - व्यावसायिक विकास के लिए अनुमेय आवासीय एफएआर के 10% का उपयोग एक एकीकृत योजना के रूप में किया जाएगा। इस एफएआर के उपयोग के लिए किसी भी पृथक भूखंड का

सीमांकन नहीं किया जाएगा।

- vi. उपरोक्त के अतिरिक्त, घर आधारित आर्थिक गतिविधियों (एमपीडी मानदंडों के अनुसार घरेलू उद्योग) के लिए 10% अनुमेय आवासीय एफएआर की अनुमति सामुदायिक कार्य स्थलों के विकास के लिए दी जा सकती है।
- vii. विशिष्ट स्थितियों में एक समग्र व्यापक योजना तैयार करने के लिए एक ही स्थल के अन्दर फैले हुए कब्जाधारकों को एकत्रित करने की आवश्यकता पड़ सकती है। 2000 वर्गमीटर से छोटे भूखंडों पर मलिन एवं झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर को उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार यथावत पुनर्वास किये जाने के स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
- viii. एक क्लस्टर में डीयू के बीच आकस्मिक रिक्त स्थान निर्मित करने के लिए विभिन्न तलों पर भवनों को रिसेसड किया जा सकता है।
- ix. योजनाओं में उन हरित क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जहाँ पर एक बड़ा केंद्रीय हरित / खुला स्थान निर्मित करना संभव नहीं है, छोटे हरित क्षेत्र उपलब्ध कराये जायेंगे।
- x. योजनाओं को संबंधित निकाय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- xi. योजनाएं / डिजाइन शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के अनुकूल होनी चाहिए।
- xii. सामाजिक और भौतिक अवस्थापना के मानदंड डीसीएन के अनुसार होंगे।

तालिका 22.13: छात्रावास

उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र (वर्ग मी.)	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
छात्रावास	500	30	120	--	15

अन्य नियंत्रण

- ये मानदंड मिश्रित उपयोग के अंतर्गत, छात्रावासों के लिए लागू नहीं होंगे।
- कामकाजी पुरुष-मिहला छात्रावासों के लिए मानदंड “ अन्य सामुदायिक सुविधाओं” के अंतर्ग प्रावधानों के अनुसार होंगे।

तालिका 22.14: रैन बसेरा (नाइट शेल्टर)

उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र (वर्ग मी.)	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
रैन बसेरा (नाइट शेल्टर)	100	60	200	--	26

तालिका 22.15: गेस्ट हाउस, लॉजिंग और बोर्डिंग हाउस

उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र (वर्ग मी.)	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
गेस्ट हाउस, लॉजिंग और बोर्डिंग हाउस	500	30	120	--	15

अन्य नियंत्रण

- ये मानक मिश्रित उपयोग के अंतर्गत, अतिथि-गृह के लिए लागू नहीं होंगे।

तालिका 22.16: कम घनता वाले आवासीय भूखंड

उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
कम घनत्व वाले आवासीय भूखंड	ग्रीन डेवलमेंट क्षेत्र के अनुसार				

तालिका 22.17: फॉरेन मिशन (आरएफ)

उपयोग परिसर	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
फॉरेन मिशन	--	25%	75	--	15

अन्य नियंत्रण

- भूखंड क्षेत्र के 50% की अधिकतम सीमा के लिए भवन के आवरण रेखा तक बेसमेंट की अनुमति दी जाएगी। बेसमेंट क्षेत्र, यदि पार्किंग और सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है, की गणना एफएआर में नहीं की जाएगी।
- अनुमोदित ले-आउट प्लान के भाग के रूप में निम्नलिखित उपयोग परिसरों को फॉरेन मिशन उप-उपयोग जोन में अनुमति दी जाएगी: फॉरेन मिशन, आवास (मिशन कर्मचारियों के लिए), अतिथि गृह, स्थानीय बाजार, बैंक, मनोरंजनात्मक क्लब, हेल्थ सेंटर-अस्पताल, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र डिस्पेंसरी, एकीकृत आवासीय स्कूल, सांस्कृतिक एवं सूचना केंद्र, पुलिस चौकी, दमकल केंद्र, डाक एवं तार कार्यालय ।

आवासीय उपयोग क्षेत्र से संबंधित अन्य नियंत्रण

- मानदंडों के अनुसार, सामुदायिक और स्थानीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, इन सुविधाओं के प्रावधान के लिए निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:
 - इन सुविधाओं को न्यूनतम 12 मीटर मार्गाधिकार वाले आंतरिक सड़कों के साथ प्रदान किया जाना चाहिए, बशर्ते ऐसा निर्दिष्ट किया गया हो। संबंधित क्षेत्रों में उपलब्धि का आकलन करने के लिए अवस्थापना के विकास का निरीक्षण किया जाना चाहिए।
 - पार्किंग की आवश्यकताएं पार्किंग मानदंडों के अनुसार होंगी।
 - क्लस्टर स्तर पर कुल लॉट का न्यूनतम आकार 125 वर्गमीटर होगा।
 - कॉमन पार्किंग स्पेस और खेल के मैदान को साझा करने की सुविधा के लिए क्लस्टर के रूप में स्कूलों और आंगनवाड़ियों के लिए स्थान लेआउट प्लान में बनाया जाना चाहिए।

- v. भौतिक अवसंरचना, अर्थात् भूमिगत टंकी, सीवरेज-पंपिंग प्रणाली, वर्षाजल संचयन, दोहरी पाइप प्रणाली, अपशिष्ट पृथक्करण क्षेत्र, विद्युत उप-केंद्र, खंभे पर स्थापित इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, विकेन्द्रीकृत मल-सीवरेज शोधन मानदंडों के अनुसार बनाए जाने चाहिए।
2. सुरक्षा आवश्यकताओं सहित, संचरण प्रणाली से संबंधित आवासीय नेबरहुड की योजना को बीआईएस मानकों या संबंधित एजेंसियों के मानदंडों के अनुसार शासित किया जाएगा।
 3. नेबरहुड के लिए अनुकूल भूदृश्यांकन योजनाओं को पार्को और सड़क किनारे वृक्षारोपण आदि के विकास के लिए तैयार किया जाएगा।
 4. योजनाएँ/ डिजाइन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनुकूल होना चाहिए।
 5. सभी योजनाओं, ले-आउट और योजनाओं को संबंधित एजेंसियों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
 6. बेसमेंट, यदि निर्मित किया गया हो और इसका उपयोग केवल पार्किंग, जनसुविधाओं और सेवाओं के लिए किया गया हो, तो उसकी गणना एफएआर में नहीं की जाएगी।
 7. स्टिल्ट्स: यदि भवन का निर्माण गैर-निवास योग्य/ निर्धारित ऊँचाई के स्टिल्ट क्षेत्र के साथ किया जाता है और पार्किंग, भूदृश्यांकन आदि के लिए उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, तो स्टिल्ट फ्लोर को एफएआर में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता नहीं है और ऊँचाई के लिए इसकी गणना की जाएगी।
 8. फायर टैंडर के अनिवार्य आवागमन वाले सड़क पर पार्किंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 9. अतिरिक्त एफएआर पर शुल्क समय-समय पर सरकार के अनुमोदन के साथ अधिसूचित दरों पर लगाया जाएगा।
 10. संबंध विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट अथवा प्राधिकरण के अनुमोदन के अनुसार विशेष मामलों में निम्न (ओअर) मानदंड अपनाए जाएंगे।

22.9 व्यावसायिक

22.8.1 सामान्य व्यापार और व्यवसाय

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका 22.18: उपयोग परिसर एवं परिभाषा - व्यवसाय

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1.	रिटेल शॉप	उपभोक्ता को वस्तुओं की सीधी बिक्री करने की एक ऐसी दुकान जिसमें आवश्यक भंडारण स्थान भी है।
2.	रिपेयर शॉप	घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ऑटोमोबाइल, साइकिल आदि की मरम्मत के लिए खुदरा दुकान जैसी ही शॉप।
3.	पर्सनल सर्विस शॉप	खुदरा दुकान जैसी ही दुकान जहां दर्जी, नाई आदि पर्सनल सेवाएं दी जाती हैं।
4.	वेंडिंग बूथ/ कियोस्क	बूथ के रूप में एक दुकान जहां यांत्रिक उपकरणों की मदद से या अन्यथा किसी तरीके से दैनिक जरूरतों के सामान की बिक्री की जाए।
5.	सुविधा शॉपिंग सेंटर	आवासीय क्षेत्र में ऐसी दुकानों का समूह जो लगभग 5,000 व्यक्तियों की आबादी को सेवा दे रहा हो।
6.	लोकल शॉपिंग सेंटर	आवासीय क्षेत्र में ऐसी दुकानों का समूह जो 10,000 व्यक्तियों की आबादी को सेवा प्रदान कर रहा हो।
7.	कार्यालय	कार्यालय आदि के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्थान।
8.	बैंक	बैंकिंग कार्य और संचालन करने के लिए बैंकिंग कार्यालय परिसर।
9.	मोटर गैराज और वर्कशॉप	ऑटोमोबाइल की सर्विसिंग और मरम्मत हेतु परिसर।
10.	सिनेमा / सिनेप्लेक्स / मल्टीप्लेक्स	फिल्मों और चित्रों के प्रसारण की सुविधाओं वाला परिसर और जहां दर्शकों को बिठाने के लिए कवर्ड स्थान हो।
11.	रेस्टोरेंट	ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की सुविधाओं के साथ व्यावसायिक आधार पर खाद्य पदार्थों को खिलाने की भी सुविधा हो। यहाँ बैठने की व्यवस्था के लिए छतदार या खुली जगह या दोनों सुविधाएं हो सकती हैं।
12.	व्यावसायिक गतिविधियाँ	व्यावसायिक गतिविधियाँ का अर्थ वे गतिविधियाँ होंगी जिनमें व्यावसायिक कौशल के आधार पर सेवाएं शामिल हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, और चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, इंजीनियर, टाउन प्लानर, मीडिया प्रोफेशनल और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, मैनेजमेंट प्रोफेशनल और आहार विशेषज्ञ / पोषण विशेषज्ञ।

13.	साप्ताहिक बाजार	ऐसा क्षेत्र जिसे बाजार के रूप में अनौपचारिक दुकान प्रतिष्ठानों के समूह द्वारा सप्ताह में एक बार उपयोग में लाया जाता है। ये बाजार सप्ताह के विभिन्न दिनों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट किए जाते हैं।
14.	अनौपचारिक क्षेत्र इकाई	खुदरा/सेवा इकाई, स्थिर अथवा चलती-फिरती, छत के बिना काम करना जिनमें सड़क के किनारे छोटे खोखे शामिल हैं। फेरी वाला (स्ट्रीट वेंडर) - ऐसा व्यक्ति जो बिना स्थायी निर्मित संरचना के लेकिन अस्थायी स्थैतिक संरचना या चलते फिरते स्टॉल (या हेड लोड) की मदद से जनता को सामान या सेवाओं की बिक्री करता है।

नोट: छोटी शॉप: अधिकतम 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की शॉप जो रिटेल और व्यक्तिगत सेवा संबंधी व्यापार और कार्य में हो जिसमें बिल्डिंग मैटेरियल की रिटेल शॉप, ऑटोमोबाइल की रिपोयर शॉप/वर्कशॉप, टायर रीसोलिंग और री-ट्रीडिंग, और बैटरी चार्जिंग, स्टोरेज, गोदाम तथा वेयरहाउसिंग, जंक शॉप (पेपर और ग्लास वेस्ट को छोड़कर), शराब की दुकान, प्रिंटिंग, रंगाई एवं वर्निशिंग।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका 22.19 : उपयोग परिसर एवं अनुमेय गतिविधियां - व्यावसायिक

क्र.सं.	उपयोग जोन	आरडी				सी1			
		1	2	3	4	5	6	7	8
	उपयोग परिसर								
	अनुमेय गतिविधियां	सुविधा बाजार (सीएससी)	लोकल शॉपिंग सेंटर (एलएससी)	सर्विस मार्किट	अनौपचारिक बाजार	कम्युनिटी सेंटर (सीसी)	एनएचसी	डिस्ट्रिक्ट सेंटर / उपसीबीडी / उपशहर स्तर के व्यावसायिक क्षेत्र	एमसीसी
1.	रिटेल शॉप	✓	✓	छोटी दुकानें	छोटी दुकानें	✓	✓	✓	✓
2.	मिल्क बूथ, फल और	✓	✓			✓	✓	✓	✓
3.	औषधियों और दवाओं के		✓			✓	✓	✓	✓

	स्टॉकिस्ट एवं डीलर								
4.	उचित मूल्य की दुकान	✓	✓						
5.	मरम्मत / सेवा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6.	पर्सनल सर्विस शॉप	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.	कार्यालय	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
8.	स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रम के कार्यालय		✓	✓	✓	✓		✓	✓
9.	सम्मेलन की सुविधा					✓		✓	✓
10.	सिनेमा, सिनेप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स		✓			✓		✓	✓
11.	होटल					✓		✓	✓
12.	गेस्ट हाउस		✓			✓		✓	✓
13.	सर्विस अपार्टमेंट					✓		✓	✓
14.	रेस्टोरेंट	✓	✓			✓	✓	✓	✓
15.	बैंकवेट हॉल					✓		✓	✓
16.	सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियाँ / मनोरंजन क्लब /					✓	✓	✓	✓
17.	कोचिंग सेंटर / प्रशिक्षण संस्थान		✓			✓	✓	✓	✓
18.	पुलिस पोस्ट, फायर पोस्ट।					✓	✓	✓	✓

19.	पेट्रोल पंप / सीएनजी स्टेशन					✓		✓	✓
20.	बस टर्मिनल							✓	✓
21.	बहु-स्तरीय पार्किंग					✓	✓		✓
22.	सेवा बाजार, मोटर गैराज और कार्यशाला			✓	✓	✓	✓	✓	✓
23.	बैंक	✓	✓			✓	✓	✓	✓
24.	एटीएम	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25.	अनौपचारिक क्षेत्र इकाई	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26.	नर्सिंग होम / प्रसूति गृह आदि।		✓			✓		✓	✓
27.	औषधालय, क्लिनिकल लैब,		✓			✓		✓	✓
28.	क्लिनिक और पॉलीक्लिनिक	✓	✓			✓	✓	✓	✓
29.	पाथ लैब, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी		✓			✓		✓	✓
30.	स्पा, जिम और सैलून	✓	✓			✓	✓	✓	✓
31.	संग्रहालय / आर्ट गैलरी					✓		✓	✓
32.	क्रेच / डे केयर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ नियंत्रण और सुरक्षा संबंधी विचारों के अध्यक्षीन

नोट:

- i. जन-उपयोगी सेवाएँ, सार्वजनिक सुविधाओं को मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
- ii. मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर, डिस्ट्रिक सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में निर्धारित मानकों के अनुसार पार्किंग की अनिवार्य अपेक्षा को मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण से पूरा किया जाएगा।

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.20 : व्यावसायिक

क्र.सं.	उपयोग परिसर	सं.	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र (वर्गमीटर) / यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई
क. स्थानीय							
10,000 तक जनसंख्या							
1	सुविधा शॉपिंग सेंटर (सीएससी)	2	1000	50%	100	12	एनआर
2	लोकल शॉपिंग सेंटर (एलएससी)	1	3000	50%	100	18	एनआर
अन्य नियंत्रण:							
i. व्यावसायिक केंद्रों की एकीकृत योजनाओं के मामले में, समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित अपेक्षित प्रभार के भुगतान के अध्यक्षीन, व्यावसायिक केंद्रों के संबंधित पदानुक्रम के अनुमत उपयोग के लिए भूखंडों के समामेलन और उप-विभाजन की अनुमति है।							
ii. एलएससी में केवल एट्रियम निर्मित करने के लिए अधिकतम 10% अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी।							
iii. यदि एट्रियम के लिए अनुमेय अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज का उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किए गए ग्राउंड कवरेज का 25% एफएआर में गिना जाएगा।							
3	सेवा बाजार	1	2000	50%	100	18 मी.	एनआर
4	अनौपचारिक क्षेत्र बाजार	1	1000	50%	40	18 मी.	एनआर

एलएससी / सीएससी के अप्रयुक्त स्थलों के लगभग 10% को सेवा बाजारों में परिवर्तित किया जा सकता है।

क्र.सं.	उपयोग जोन	सं.	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र (वर्गमीटर) / यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई
व्यावसायिक केंद्र							
सामुदायिक							
जनसंख्या 1,00,000							
1	कम्युनिटी सेंटर (सीसी)	1	20,000	50%	125	30 मी.	एनआर

	<p>एलएससी में केवल एट्रियम निर्मित करने के लिए अधिकतम 10% अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी।</p> <p>यदि एट्रियम के लिए अनुमेय अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज का उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किए गए ग्राउंड कवरेज का 25% एफएआर में गिना जाएगा।</p>						
उप-शहर							
जनसंख्या 5,00,000							
1	डिस्ट्रिक सेंटर (डीसी) / उप-केंद्रीय व्यापार जिला / उप-शहरी स्तर के व्यावसायिक क्षेत्र	1	10 हेक्टेयर	50%	150	30 मी.	एनआर
i.	<p>एलएससी में केवल एट्रियम निर्मित करने के लिए अधिकतम 10% अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी।</p> <p>यदि एट्रियम के लिए अनुमेय अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज का उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किए गए ग्राउंड कवरेज का 25% एफएआर में गिना जाएगा।</p>						
ii	सर्विस मार्केट और/अथवा अनौपचारिक मार्केट के लिए अधिकतम 10% अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज की अनुमति होगी।						
शहर							
जनसंख्या 20,00,000							
मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर / सीबीडी							
1	कमर्शियल प्लॉट: रिटेल एवं कॉमर्स मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर अर्थात् कनॉट प्लेस और उसका एक्सटेंशन			25%	150	मौजूदा रूप में	एनआर
अन्य नियंत्रण							
<p>i. भूखंड का आकार व्यावसायिक क्षेत्र के लेआउट में निर्धारित किए अनुसार होगा, कनॉट प्लेस और उसके विस्तार क्षेत्र में भूखंड का कोई भी उप-विभाजन करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।</p> <p>ii. विकास संबंधी नियंत्रण स्थानीय निकाय द्वारा क्षेत्र की व्यापक योजना के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।</p> <p>क. कनॉट प्लेस के मामले में, मौजूदा ऊँचाई बनाए रखी जाएगी और आनुपातिक ग्राउंड कवरेज को बढ़ाकर एफएआर हासिल किया जा सकता है।</p> <p>ख. कनॉट प्लेस के मध्य(इनर) सर्कल में किसी भी बेसमेंट की अनुमति नहीं होगी।</p> <p>ग. अनिवार्य वास्तुकला नियंत्रण लागू होंगे।</p> <p>iii. व्यापक योजनाओं के अंतर्गत विकसित किए गए भूखंडों के लिए, अनुमत एफएआर वैध पट्टा विलेख के अनुसार होगा।</p>							
2	फायर ब्रिगेड लेन और जनपथ लेन में व्यावसायिक परिसर	-	-	25%	150	मौजूदा रूप में	एनआर
<p>i. ग्राउंड कवरेज और एफएआर की गणना वर्तमान में उपलब्ध भूखंडों के क्षेत्र पर की जाएगी।</p> <p>ii. इस क्षेत्र को व्यापक योजना के आधार पर विकसित किया जाएगा।</p>							
कोई अन्य व्यावसायिक केंद्र							

1	गैर-श्रेणीबद्ध व्यावसायिक केंद्र (एनएचसीसी)	-	-	50%	125	-	एनआर
2	जिसमें रेलवे / एमआरटीएस स्टेशन / आईएसबीटी के साथ व्यावसायिक घटक शामिल हैं	3 हेक्टेयर तक		25%	100	एनआर	
सांविधिक मंजूरी के अध्यक्षीन। विकास संबंधी नियंत्रण अनुमोदित योजना के अध्यक्षीन भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।							
3	आसफ अली रोड़ (दिल्ली गेट-अजमेरी गेट योजना में व्यावसायिक पट्टी के रूप में दिखाया गया क्षेत्र)	-	-	80%	200	18 मी.	20
सेटबैक अनिवार्य नहीं हैं। पुनर्निर्माण के मामले में पार्किंग के लिए स्टिल्ट निर्मित किए जाएंगे।							
4	मौजूदा अस्थायी सिनेमा (एक या उससे अधिक सिनेमा हॉल में न्यूनतम 300 सीटें)		1200 वर्गमीटर- 4000 वर्गमीटर यदि किसी सिनेमा के पास अधिक भूमि है, तो शेष क्षेत्र को हरा-भरा रखा जाएगा।	50% एमपीडी के अनुसार न्यूनतम सेटबैक के अध्यक्षीन पालन किया जाएगा।	क. 100 अधिकतम 3000 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र के अध्यक्षीन। ख. यदि प्लॉट का आकार इससे अधिक है और यह 24 मी. के मार्गाधिकार (मार्गाधिका र) और उससे अधिक पर स्थित है, तो अधिकतम एफएआर 4000 वर्ग मीटर से	18 मी.	15 मी.

					अधिक नहीं होना चाहिए।		
					<p>क. नए अस्थायी सिनेमाघर निर्मित करने की अनुमति नहीं होगी, हालांकि पहले से मौजूद अस्थायी सिनेमाघरों को निर्धारित शर्तों के अनुसार स्थायी आधार पर जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।</p> <p>ख. 300 सीटों की क्षमता वाले सिनेमा हॉल के लिए आवश्यक स्थान को छोड़कर व्यावसायिक गतिविधियां अनुमेय होंगे। व्यावसायिक स्थान लोकल शॉपिंग सेंटर (एलएससी) के लिए यथानुमत गतिविधियां के लिए ही दिया जाएगा।</p> <p>ग. सिनेमा, सिनेमैटोग्राफी अधिनियम और अन्य सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करेगा। तदनुसार मल्टीप्लेक्स की अनुमति दी जाएगी।</p> <p>घ. भूमि उपयोग रूपांतरण प्रभार, एफएआर प्रभार, बेहतरी प्रभार और अन्य प्रभार समय-समय पर सरकार द्वारा यथा अनुमोदित अनुसार लगाए जाएंगे।</p> <p>ङ. सरकारी भूमि पर चल रहा अस्थायी सिनेमा नहीं रहेगा।</p> <p>च. ऐसे मामलों में अतिरिक्त भूमि यदि किसी बड़े सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक है, तो उन्हें अधिगृहीत किया जाएगा और उसे संबंधित स्थानीय एजेंसियों द्वारा मानदंडों के अनुसार विकसित किया जाएगा।</p> <p>छ. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संबंधित भूखंड क्षेत्रों के भीतर पर्याप्त पार्किंग सुविधा प्रदान की जाए।</p> <p>ज. स्थानीय निकाय और लाइसेंसिंग प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेंगे कि लाइसेंस का नवीकरण करने से पहले उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन किया जाए।</p> <p>झ. व्यक्तिगत मामलों पर उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।</p>		
					<p>किसी भी अन्य व्यावसायिक केंद्र के लिए अन्य नियंत्रण</p> <p>i. सांविधिक मंजूरी के अध्यक्षीन। विकास संबंधी नियंत्रण अनुमोदित योजना के अध्यक्षीन भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।</p>		

अन्य नियंत्रण

- अतिरिक्त एफएआर प्रभार, रूपांतरण प्रभार, बेहतरी प्रभार/बाहरी विकास प्रभार आदि समय-समय पर सरकार द्वारा तय किए अनुसार लगाए जाएंगे।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और जीएनसीटीडी के अग्निशमन विभाग की मंजूरी के अध्यक्षीन कोई प्रतिबंध नहीं।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ऊंचाई संबंधी प्रतिबंध के किसी भी मामले में, स्थल पर वर्धित एफएआर हासिल करने के लिए 40% के बजाय 50% तक ग्राउंड कवरेज अनुमेय होगा।
- एनआर - कोई प्रतिबंध नहीं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली अग्नि शमन सेवा और अन्य सांविधिक निकायों की मंजूरी के अध्यक्षीन।
- एफएआर: 30 मी. मार्गाधिकार (मार्गाधिकार) से कम पर 325 एफएआर मानदंड अथवा 30 मी मार्गाधिकार (मार्गाधिकार) से अधिक पर 375 एफएआर मानदंड और 40% ग्राउंड कवरेज इन

सब पर लागू होगा (I) उन होटलों पर जिनमें कमर्शियल सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर/उप-केंद्रीय व्यापार ज़िला/उप-नगर स्तर के व्यावसायिक क्षेत्र और मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर/सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, एलबीजेड क्षेत्र सिविल लाइंस बंगलो क्षेत्र में स्थित को छोड़कर और धरोहर संरचनाओं पर स्थित होटल भूखंड शामिल हैं और (II) होटल-सह-व्यावसायिक भूखंडों पर। यह खंड 4.4 में उल्लिखित होटलों की सभी श्रेणियों पर लागू होगा। कमर्शियल सेंटरों और मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर/सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के साथ-साथ होटल-सह-कमर्शियल प्लॉट के लिए एफएआर, जहां एफएआर का आवंटन मूल पट्टे की शर्तों के अनुसार होगा और यह उस सीमा तक स्वतः बढ़ाए गए माने जाएंगे, केवल इस प्रयोजनार्थ यदि उपलब्ध नहीं हो।

- vi. जन-उपयोगी सेवाओं जैसे कि भूमिगत जल भंडारण टैंक, छत पर जल संचयन प्रणाली, अलग-अलग सूखे और गीले इस्टबिन, डाक-सुपुर्दगी काउंटर आदि की व्यवस्था भूखंड के भीतर ही की जानी हैं। सभी होटलों, रेस्तरां, ऑटो वर्कशॉप, अस्पताल, अत्याधुनिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र आदि को ठोस कचरा निपटान और प्राथमिक अपशिष्ट शोधन की व्यवस्था करनी होगी।
- vii. 5000 वर्गमीटर या अधिक के फ्लोर एरिया वाले व्यक्तिगत भूखंड में भूखंड के भीतर ईएसएस और जनरेटर की व्यवस्था करनी होगी। उन्हें बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के समय ऊर्जा की खपत/ऑडिट जमा करना होगा।
- viii. जहां भी पार्किंग भूखंड/बेसमेंट के भीतर प्रदान की जाती है और उसका दुरुपयोग किया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा उसका निगमीकरण/अधिग्रहण किया जा सकता है।
- ix. जहां भी मौजूदा व्यावसायिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए एक व्यापक योजना की तैयारी करना आवश्यक होता है, वह कार्य स्वयं पट्टाधारी/मालिकों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया जा सकता है और अनुमोदन के लिए भूमि-स्वामी एजेंसी/ योजना प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जा सकता है। जहां भी एफएआर में किसी वृद्धि को मंजूरी दी जाती है, वह लाभार्थियों से उचित प्रभार वसूलने के अध्यक्षीन होगा। मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर के लिए, विकास संबंधी नियंत्रण अनुमोदित नियंत्रण योजना के अनुसार होंगे।
- x. व्यावसायिक केंद्रों की एकीकृत योजनाओं के मामले में, भूखंडों का समामेलन और उप-विभाजन अनुमत गतिविधियां के लिए अनुमेय किया गया है, जिनका वर्णन व्यावसायिक केंद्रों के संबंधित पदानुक्रम की तालिका में दिया गया है जो समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित अपेक्षित प्रभार के भुगतान के अध्यक्षीन होंगे।

कोई अन्य व्यावसायिक केंद्र

दुकान एवं निवास भूखंड / दुकान भूखंड

- i) दुकान-एवं-निवास परिसर (दुकान-सह-निवास भूखंड/दुकान भूखंड) जिन्हें बाद में सीसी/एलएससी/सीएससी के रूप में नामित किया गया है, (जैसाकि शहरी स्थानीय निकायों/जीएनसीटीडी द्वारा अधिसूचित संबंधित क्षेत्रीय विकास योजनाओं में पहले से ही चिह्नित किया/दर्शाया गया है) को निम्नलिखित शर्तों पर स्थानीय शॉपिंग सेंटर में गतिविधियां जारी रखने की अनुमति दी जाएगी:

क. ऐसे प्लॉट का एफएआर आवासीय विकास-प्लॉट के संबंधित आकार के लिए निर्धारित किए गए अथवा पट्टा विलेख / हस्तांतरण विलेख / बिक्री विलेख / आवंटन शर्तों में

निर्धारित, जो भी अधिक हो, किए अनुसार होगा। हालाँकि, यदि मौजूदा भवन में कुल एफएआर 100 वर्गमीटर से अधिक और 250 वर्गमीटर तक के आकार के प्लॉट पर अनुमेय एफएआर से अधिक है, तो ऐसे अतिरिक्त एफएआर (अधिकतम 350 एफएआर तक) की अनुमति सरकार के अनुमोदन के अनुसार निर्धारित पेनलटी प्रभार का भुगतान करने के अध्याधीन दी जाएगी।

ख. अतिरिक्त एफएआर की अनुमति यथा प्रयोज्य अतिरिक्त एफएआर प्रभार के भुगतान करने पर दी जाएगी।

ग. "आवासीय" से बदलकर "व्यावसायिक" करने के लिए रूपांतरण प्रभार का भुगतान सरकार के अनुमोदन से यथानिर्धारित अनुसार किया जाएगा।

घ. एलएससी, सीएससी और दुकान भूखंड जो पहले से ही व्यावसायिक उपयोग क्षेत्र के तहत हैं, उन्हें किसी भी रूपांतरण प्रभार का भुगतान नहीं करना होगा।

ड. उपर्युक्त श्रेणी के तहत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/दुकान भूखंडों में, जहां पहले से ही स्वीकृत लेआउट योजनाओं/पट्टा विलेख/हस्तांतरण विलेख/बिक्री विलेख से कोई विचलन नहीं किया गया है, को किसी भी अतिरिक्त प्रभार का भुगतान नहीं करना होगा।

ii) अन्य मौजूदा दुकान-एवं-निवास भूखंडों को भी आवासीय प्लॉट में किए गए विकास के एफएआर के साथ मूल अनुमत उपयोग जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। प्रयोज्य प्रभार का भुगतान करने के बाद ऊपरी मंजिलों को व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तित किया जा सकता है।

iii) ऐसे दुकान-एवं-निवास भूखंडों/परिसरों में बेसमेंट की अनुमति दी जाएगी जहां मिश्रित उपयोग विनियमों के तहत प्रासंगिक प्रावधानों के अध्याधीन, बाद में सीसी/ एलएससी/सीएससी के रूप में नामित किया गया हो। यदि बेसमेंट के इस तरह के उपयोग से भूखंड पर अनुमेय एफएआर अधिक हो जाता है, तो इस तरह का अतिरिक्त एफएआर सरकार के अनुमोदन से निर्धारित प्रयोज्य प्रभार के भुगतान के अधीन होंगे।

iv) उपर्युक्त सभी मामलों में, मालिक किसी भी परिवर्धन / परिवर्तन / नए निर्माण / रूपांतरण के लिए संबंधित स्थानीय निकाय से निर्माण की उप-विधियों, संरचनात्मक सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा आदि के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में, सभी सांविधिक स्वीकृतियों के अध्याधीन संशोधित निर्माण योजनाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त करेगा।

v) पार्किंग संबंधी प्रावधान आवासीय प्लॉट के विकास-कार्य के लिए प्रचलित मानदंडों के अनुसार और तालिका 22.46 में निर्धारित किए अनुसार होंगे। वन-टाइम पार्किंग प्रभार का भुगतान सरकार के अनुमोदन के अनुसार निर्धारित प्रभार के भुगतान के अध्याधीन या तो तत्काल भुगतान के रूप में किया जाएगा अथवा अधिकतम चार किस्तों में किया जाएगा।

vi)	पार्किंग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, संबंधित स्थानीय निकाय संबंधित व्यापारियों / प्रतिष्ठानों / आरडब्ल्यूए के साथ साझा / कॉमन पार्किंगकी व्यवस्था करने के लिए भूमि की पहचान और विकास-कार्य करेंगे। सार्वजनिक पार्किंग के प्रावधान के लिए योजना क्षेत्र के भीतर 5% अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज की अनुमति होगी।
vii)	पार्किंग को बढ़ावा देने के लिए, भूखंड के मालिक को कम से कम 1000 वर्ग मीटर के भूखंड के आकार के भूखंडों को समामेलित करने की अनुमति दी जाएगी, ताकि समामेलित भूखंड पर अतिरिक्त पार्किंग सुविधा दी जा सके। ऐसे भूखंड रूपांतरण प्रभार में 50% की छूट के हकदार होंगे।
viii)	यदि आसपास के क्षेत्र में कोई पार्किंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित स्थानीय निकाय ऐसे क्षेत्रों को खरीदारी हेतु पैदल चलने की सड़कों/क्षेत्रों के रूप में घोषित कर सकता है। सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण इन क्षेत्रों के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सुविधा सुनिश्चित करेगा।

घ. अनौपचारिक क्षेत्र

विभिन्न उपयोग जोन के योजनाबद्ध विकास में शामिल किए जाने वाले अनौपचारिक क्षेत्र के बाजार निम्नानुसार हैं:

तालिका 22.21: अनौपचारिक क्षेत्र की व्यापार इकाइयों के लिए मानदंड

क्र.सं.	उपयोग जोन / उपयोग परिसर	अनौपचारिक दुकानों (शॉप) / यूनिटों की संख्या
i)	खुदरा व्यापार: मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, सुविधा शॉपिंग सेंटर,	प्रति 10 औपचारिक दुकानों के लिए 3 से 4 यूनिट (अनौपचारिक बाजार / सर्विस मार्केट घटकों में प्रदान की जाएं)
ii)	सरकारी और व्यावसायिक कार्यालय	प्रति 1000 कर्मचारियों के लिए 5 से 6 यूनिट
iii)	थोक व्यापार और फ्रेट (माल भाड़ा) परिसर	प्रति 10 औपचारिक दुकानों के लिए 3 से 4 यूनिट
iv)	अस्पताल / तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र	प्रति 100 बेड के लिए 3 से 4 यूनिट
v)	बस टर्मिनल	दो बस बे के लिए 1 यूनिट

vi)	पार्क डिस्ट्रिक्ट पार्क नेबरहुड पार्क	प्रत्येक मुख्य प्रवेश पर 8 से 10 यूनिट 2 से 3 यूनिट
vii)	आवासीय	1 इकाई / 1000 आबादी
viii)	औद्योगिक	प्रति 1000 कर्मचारियों के लिए 5 से 6 यूनिट
ix)	रेलवे टर्मिनस / एमआरटीएस स्टेशन	परियोजना की तैयारी के समय सर्वेक्षण पर आधारित होना।

22.9.2 थोक, वेयरहाउसिंग

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका 22.22 : उपयोग परिसर एवं परिभाषा - थोक, वेयरहाउसिंग

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1	थोक	एक ऐसा परिसर जहां से माल और वस्तुएं खुदरा विक्रेताओं को बेची और वितरित की जाती हैं। परिसर में भंडारण और गोदाम, माल-लदान और माल-उतराई की सुविधाएं शामिल हैं।
2	वेयरहाउसिंग / भंडारण / गोदाम / कोल्ड स्टोरेज	एक ऐसा परिसर जहां से माल और वस्तुओं को संग्रहित किया जाता है।
3	एकीकृत फ्रेट परिसर	क्षेत्रीय और अंतः शहरी माल की आवाजाही के लिए और शहर में विशेषीकृत बाजारों के साथ इंटरलॉक की सुविधाएं प्रदान करने के लिए परिसर। इस परिसर में भंडारण सुविधाएं, सर्विसिंग, माल वाहनों के लिए निष्क्रिय पार्किंग और अन्य संबंध कार्य शामिल हैं।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका 22.23 : उपयोग परिसर एवं अनुमत गतिविधियां - थोक, वेयरहाउसिंग

क्र.सं.	उपयोग जोन उपयोग परिसर	सी2		
		1	2	3
	अनुमत गतिविधियां	एकीकृत फ्रेट कॉम्प्लेक्स	थोक / सब सिटी / मार्केट	वेयरहाउसिंग / भंडारण / गोदाम

1	थोक की दुकान	✓	✓	✓
2	वेयरहाउसिंग	✓	✓	✓
3	गोदाम और भंडारण की दुकानें	✓	✓	गैर-प्रदूषणकारी / गैर-खतरनाक सामग्रियों का भंडारण
4	कार्यालय	✓	✓	✓
5	रिटेल शॉप (पर्सनल सेवा की दुकान सहित)		✓	✓
6	रेस्टोरेंट	✓	✓	✓
7	मरम्मत / सेवा / मोटर गैराज और वर्कशॉप (अधिकतम 10% एफएआर)	✓	✓	✓
	(4 से 7 - 25% तक एफएआर)			
8	रैन बसेरा	✓	✓	
9	150 वर्गमीटर तक सीमा चौकी, ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम (अधिकतम 25 वर्गमीटर), फायर पोस्ट।	✓	✓	
10	फ्यूल स्टेशन (ईंधन स्टेशन)	✓	✓	
11	बस टर्मिनल	✓	✓	
12	बहु-स्तरीय पार्किंग	✓	✓	
13	बैंक	✓	✓	
14	एटीएम	✓	✓	✓

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.24 थोक, वेयरहाउसिंग

क्र.सं. #	उपयोग जोन	सं.	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र (वर्गमीटर) / यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	मार्गाधिकार (मी.) (न्यूनतम)	ऊँचाई (अधिकतम)
1	एकीकृत फ्रेट कॉम्प्लेक्स		आवश्यकता अनुसार	40%	100	30	एनआर
2	थोक		8 हेक्टेयर	40%	100	30	एनआर

3	वेयरहाउसिंग / गोदाम / भंडारण / कोल्ड स्टोरेज					
		500 तक	70	140	18	15
		501-2000	60	120	18	15
		2001-10000	50	100	18	15
		10,000 से ऊपर	40	80	24	15

अन्य लागू शर्तें:

विनिर्दिष्ट मानदंडों के अतिरिक्त, सभी भूखंडों/एकीकृत योजनाओं पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

- i. 30 मी. मार्गाधिकार से सीधी पहुंच वाले 1 हेक्टे और उससे अतिधिक आकार के प्लॉटों पर बिग-बॉक्स रिटेल के रूप में वेयरहाउस विकसित किए जा सकते हैं। ऐसे प्लॉटों पर सरकार द्वारा समय समय पर यथानिर्धारित प्रभारोंका भुगतान करने पर अनुमय एफ ए आर के 50% तक में रिटेल कार्य करने की अनुमति होगी।
- ii. जन-उपयोगी सेवाएँ, सार्वजनिक सुविधाएं आवश्यकतानुसार प्रदान की जाएंगी।
- iii. ऊँचाई का निर्धारण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एसआई, दिल्ली अग्नि शमन सेवा (डीएफएस), अन्य संबंधित प्राधिकरण और सांविधिक निकायों से प्राप्त मंजूरी के अध्यक्षीन होगा।
- iv. परिवहन विकास नियंत्रण मानदंडों के अनुसार न्यूनतम पार्किंग निर्धारित की जाएगी। जहां कहीं पार्किंग भूखंड/बेसमेंट के भीतर प्रदान की जाती है और उसका दुरुपयोग किया जाता है, तो वहां प्राधिकरण द्वारा उसका निगमीकरण / अधिग्रहण किया जा सकता है। 300 वर्ग मीटर से कम आकार के भूखंडों के मामले में कॉमन पार्किंग सुविधा दी जा सकती है।
- v. स्टैक पार्किंग के लिए 5% अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज प्रदान किया जाएगा।
- vi. 500 वर्ग मीटर और इससे अधिक आकार के भूखंडों के मामले में, ई.एस.एस, भूमिगत जल भंडारण टैंक, छत पर जल संचयन प्रणाली, अलग-अलग सूखे और गीले इस्टबिन, सौर हीटिंग/ प्रकाश व्यवस्था आदि जैसी जन-उपयोगी सेवाएं भूखंड के भीतर प्रदान की जाएंगी।
- vii. अतिरिक्त एफएआर प्रभार, रूपांतरण प्रभार, एफएआर प्रभार, बेटरमेंट लेवी और अन्य प्रभार समय-समय पर सरकार द्वारा यथा-अनुमोदित आधार पर लगाए जाएंगे।

viii. व्यक्तिगत भूखंड जो किसी विस्तृत / एकीकृत विकास योजना का भाग नहीं है के मामले में विकास नियंत्रण पहले से अनुमोदित योजना/लेआउट प्लान के अनुसार होगा।

22.9.3 होटल (सी3)

क. उपयोग परिसर - परिभाषा

तालिका 22.25 : उपयोग परिसर एवं परिभाषा - होटल

क्र.सं. #	उपयोग परिसर	परिभाषा
1	होटल	ऐसा परिसर जहां अल्प/दीर्घकालिक आधार पर कम से कम 10 व्यक्तियों के ठहरने के लिए कमरे और 15 या उससे अधिक व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था हो। इस परिसर में बैंक्वेट (भोज-कक्ष), कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं, स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, डिस्कोथेक शामिल हो सकते हैं। होटल धरोहर वर्गीकरण वाला हो और उनका वर्गीकरण 3 स्टार वाले होटल से ऊंचा हो।
2	बजट होटल	मिड सेगमेंट होटल (अर्थात् 1-3 स्टार)
3	सर्विस अपार्टमेंट	ऐसा परिसर जो भोजन बनाने की सुविधा के साथ पूरी तरह से सुसज्जित, सर्विसड (सेवित) और स्वतः पूर्ण हो तथा जिसे अल्पकालिक या दीर्घकालिक रूप से व्यक्तियों, परिवार या कॉर्पोरेट आवास के लिए उपयोग किया जाता है। परिसर में सम्मेलन सुविधाएं और कार्यालय स्थान भी शामिल हो सकते हैं।
4	मोटल	लॉजिंग और निःशुल्क पार्किंग सुविधाएं प्रदान करने वाले परिसर, विशेष रूप से सड़क के किनारे होटल जिसमें बाहरी पार्किंग क्षेत्र सटे कमरे हों।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका 22.26 : उपयोग परिसर एवं अनुमत गतिविधियां - होटल

क्र.सं. #	उपयोग जोन उपयोग परिसर	सी3		
		1	2	3
अनुमत गतिविधियां		होटल	बजट होटल	सर्विस अपार्टमेंट
1.	सर्विस अपार्टमेंट	✓	✓	✓
2.	अतिथि कक्ष	✓	✓	✓
3.	अतिथि सुइट	✓	✓	✓

4.	बैंकवेट	✓		
5.	सम्मेलन सुविधा			
6.	रेस्टोरेंट	✓	✓	✓
7.	स्विमिंग पूल	✓		✓
8.	हेल्थ क्लब	✓		
9.	फूड कोर्ट	✓		
10.	डिस्कोथेक	✓		
11.	कार्यालय	✓	✓	✓
12.	खुदरा और सर्विस शॉप	✓		
13.	भोजन और संबंधित सुविधाएं	✓	✓	
14.	वॉच एंड वार्ड (20 वर्गमीटर तक)	✓	✓	✓

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.27 : होटल

क्र. सं. #	उपयोग जोन	सं.	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र (वर्गमीटर) / यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	मार्गाधिकार (मी.) (न्यूनतम)	ऊँचाई
1	होटल (होटल भूखंडों सहित)		- -	40%	क. 30 मी. मार्गाधिकार से कम - 325 ख. 30 मी. और उससे ऊपर मार्गाधिकार - 375	12 मी.	एनआर
2	बजट होटल		1200		100		

3	सर्विस अपार्टमेंट		200	30%	225	18 मी.	एनआर
उपर्युक्त (1, 2 और 3 के लिए) अन्य नियंत्रण							
i) एफएआर का अधिकतम 20% व्यावसायिक कार्यालयों, खुदरा और सेवा दुकानों के लिए उपयोग किया जा सकता है।							
3	मोटल	-		40%	175	30	एनआर
<p>i. अधिकतम 175 एफएआर, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 550 (अ) दिनांक 16-06-1995 तथा भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 04-03-2002 को जारी मोटल दिशानिर्देशों के अनुरूप 07-02-2007 की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत योजना में बताए गए भूखंड क्षेत्र पर अनुमेय होगा।</p> <p>ii. स्थल पर वर्धित एफएआर हासिल करने के लिए 40% के बजाय 50% तक ग्राउंड कवरेज अनुमेय होगा, यदि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से ऊँचाई संबंधी कोई प्रतिबंध हो।</p> <p>iii. अतिरिक्त एफएआर प्रभार, रूपान्तरण प्रभार, बेटरमेंट लेवी/बाहरी विकास प्रभार आदि समय-समय पर सरकार द्वारा तय किए अनुसार लगाए जाएंगे।</p> <p>iv. मोटल के सामने कम से कम 30 मीटर का मार्गाधिकार होगा (यदि सड़क को चौड़ा करने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होती है, तो इसे मोटल क्षेत्र से बाहर सुरक्षित रखा जाना चाहिए)।</p> <p>v. अन्य मानदंड और अनुमेय गतिविधियां वही होंगे जो होटल के उपयोग परिसर पर लागू हैं।</p> <p>vi. पानी, बिजली की आपूर्ति, सीवरेज, जल-निकासी, ट्रैफिक की आवाजाही, पर्याप्त मार्गाधिकार वाली सड़क को जोड़ने का प्रावधान और इस तरह की अन्य बुनियादी सुविधाएं मालिक द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर तब तक प्रदान की जाएंगी जब तक कि उन्हें सेवा प्रदान करने वाली एजेंसियों द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जाती है। मोटल मालिक को संबंधित एजेंसियों द्वारा की गई मांग के अनुसार पर्याप्त मार्गाधिकार की सड़क को जोड़ने की व्यवस्था करने के साथ-साथ बाहरी विकास प्रभार का भुगतान भी करना होगा।</p>							

अन्य लागू शर्तें:

विनिर्दिष्ट मानदंडों के अतिरिक्त, सभी व्यावसायिक भूखंडों/एकीकृत योजनाओं पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

- जन-उपयोगी सेवाएँ, सार्वजनिक सुविधाएं आवश्यकतानुसार प्रदान की जाएंगी।
- अतिरिक्त एफएआर प्रभार, रूपान्तरण प्रभार, एफएआर प्रभार, बेटरमेंट लेवी और अन्य प्रभार समय-समय पर सरकार द्वारा अनुमोदित/निर्धारित/ अधिसूचित किए अनुसार लगाए जाएंगे।
- एट्रिअम के लिए अधिकतम 10% अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी। यदि एट्रिअम के लिए अनुमेय अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज का उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किए गए ग्राउंड कवरेज का 25% एफएआर में गिना जाएगा।
- अतिरिक्त एफएआर का लाभ उठाने के लिए, भवन-निर्माण योजना में संशोधन के मामले में, होटल अतिरिक्त एफएआर का लाभ तभी उठा सकता है, जब भूखंड के भीतर पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था हो।
- 30 मी. मार्गाधिकार (मार्गाधिकार) से कम पर 325 एफएआर मानदंड अथवा 30 मी. मार्गाधिकार (मार्गाधिकार) या उस से अधिक पर 375 एफएआर मानदंड और 40% ग्राउंड कवरेज इन सब पर लागू होगा

क. होटलों पर जिनमें व्यावसायिक केंद्र, कम्युनिटी सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर/उप-केंद्रीय व्यापार जिला/उप-नगर स्तर के व्यावसायिक क्षेत्र और मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर/सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, एलबीजेड क्षेत्र में स्थित को छोड़कर, सिविल लाइंस बंगला क्षेत्र और धरोहर संरचनाओं पर स्थित होटल भूखंड शामिल हैं और

ख. होटल-एवं-व्यावसायिक भूखंड।

यह होटलों की सभी श्रेणियों के लिए लागू होगा। व्यावसायिक केन्द्रों और मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटरों/सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ होटल एवं व्यावसायिक भूखंडों के लिए एफएआर, जहां एफएआर का अनुपात मूल पट्टा शर्तों के अनुसार होगा और यदि इस प्रयोजन के लिए एफएआर उपलब्ध नहीं है, तो यह स्वतः ही उस सीमा तक बढ़ जाएगा।

- vi. ऐसे होटलों के संबंध में जहां भवन-निर्माण योजनाएं 27.1.2006 से पहले मंजूर की गई हैं, वहाँ 100 वर्ग मीटर के फ्लोर एरिया के लिए 3 ईसीएस का पार्किंग मानक केवल अतिरिक्त एफएआर हेतु लागू होगा, जिसे दि.मु.यो. -2021 में संशोधन के परिणामस्वरूप प्राप्त किया जाएगा। ऐसे होटलों के संबंध में जहां 27.1.2006 को या उसके बाद भवन-निर्माण योजनाएं मंजूर की गई हैं, वहाँ 100 वर्ग मीटर के फ्लोर एरिया के लिए 3 ईसीएस का पार्किंग मानक पूरे भूखंड पर लागू होगा।
- vii. होटल और मोटल में कचरे के स्थायी प्रबंधन की जिम्मेदारी मालिक की होगी और कुल प्रदूषण डिसचार्ज शून्य होना चाहिए।
- viii. मोटल के कचरे के निपटान में आधुनिक तकनीकों को अपनाना होगा अर्थात् ठोस अपशिष्ट का खाद-योग्य और गैर खाद-योग्य कचरे में पृथक्करण करना खाद बनाने योग्य कचरे को स्थानीय खाद के गड्ढों में जमा किया जाना चाहिए; खाद न बनाए जा सकने वाले कचरे को प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के अध्यक्षीन मोटल द्वारा बनाए गए इंसीनेटर में नष्ट किया जाना चाहिए।
- ix. संशोधित भवन-निर्माण योजनाएं, भवन निर्माण उप-विधियों के तहत मंजूरी के लिए स्थानीय निकायों अर्थात् संबंधित नगर निकाय/दिविप्रा को, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत की जाएंगी।
- x. ऊँचाई का निर्धारण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एएसआई, दिल्ली अग्नि शमन सेवा (डीएफएस), अन्य संबंधित प्राधिकरण और सांविधिक निकायों से मंजूरी के अध्यक्षीन होगा।
- xi. खंड 22.12.1 के अनुसार न्यूनतम पार्किंग को चिन्हित किया जाएगा। जहां कहीं भी पार्किंग भूखंड/बेसमेंट के भीतर प्रदान की जाती है और उसका दुरुपयोग किया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा उसका निगमीकरण/ अधिग्रहण किया जा सकता है।

22.10 उद्योग

22.10.1 योजनाबद्ध औद्योगिक क्षेत्र

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषा

तालिका 22.28 : उपयोग परिसर एवं परिभाषा - उद्योग

क्र.सं. #	उपयोग परिसर	परिभाषा
1.	औद्योगिक भूखंड	औद्योगिक गतिविधियों का परिसर ऐसा परिसर है जहां जोखिमरहित, प्रदूषणरहित गतिविधियां की जाती हैं।
2.	औद्योगिक फ्लैटेड	छोटे औद्योगिक एककों के समूह का परिसर जहां प्रदूषणरहित स्वरूप की सामान्य सेवाएं और सुविधाएं दी जाती हैं।
3.	एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र / योजना	औद्योगिक गतिविधियां का परिसर जहां जोखिमरहित, प्रदूषणरहित गतिविधियां किए जाते हैं। यह भूखंड या फ्लैट का मिक्स हो सकता है।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका 22.29 : उपयोग परिसर एवं अनुमत गतिविधियां-उद्योग

क्र.सं.	उपयोग जोन उपयोग परिसर	एम1						
		विनिर्माण / सेवा उद्योग / सेवा और मरम्मत						
		भूखंड				फ्लैट		
		50 वर्ग मीटर तक।	50 से ऊपर - 400 वर्ग मीटर तक	400 से ऊपर - 2000 वर्ग मीटर तक	2000 से ऊपर वर्ग मीटर तक	न्यूनतम 400 से - 2000 वर्ग मीटर	2000 वर्ग मीटर से ऊपर - 20,000	20,000 वर्ग मी. से ऊपर
1	खुदरा दुकान / मरम्मत की दुकान / कार्मिक सेवा की दुकान				✓		✓	✓
2	कैंटीन				✓		✓	✓
3	औद्योगिक गतिविधि से संबंधित वेयरहाउस / भंडारण / गोदाम:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	अधिकतम 10% एफएआर तक							
4	कार्यालय					✓		
5	वॉच और वार्ड निवास (20 वर्ग मीटर)		✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	ट्रीटमेंट प्लांट, ई.एस.एस.			✓	✓	✓	✓	✓
7	स्टॉक / श्रमिकों के लिए आवासीय: एफएआर का अधिकतम 10% तक				✓		✓	✓
8	आर एंड डी सुविधाएं				✓		✓	✓
9	इन्क्यूबेशन केंद्र / सह- कार्य			✓	✓	✓	✓	✓

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.30 : उद्योग

क्र.सं.	उपयोग जोन उपयोग परिसर	एम1				
		भूखंड क्षेत्र (न्यूनतम)	ग्राउंड कवरेज (अधिकतम)	#एफएआर	मार्गाधिकार (मी.) (न्यूनतम)	ऊँचाई (मी.)
1.	औद्योगिक भूखंड	50 से ऊपर वर्गमीटर तक	100	200	9	8
		50 से 400 वर्गमीटर से ऊपर	60	200	100 वर्गमीटर से नीचे के भूखंड: 9 100 वर्ग मीटर से ऊपर के भूखंड: 12	15
		400 से से ऊपर 2000 वर्गमीटर तक	50	200	12	एनआर*
		2000 वर्गमीटर से ऊपर	40	200	2 हेक्टेयर तक: 24 2 हेक्टेयर से ऊपर: 30	एनआर*
2.	औद्योगिक फ्लैट	400-2000	30	200	12	26

		2000 से से ऊपर 20,000 तक	30	200	24	एनआर*
		20,000 से ऊपर	30	200	30	एनआर*

*एएआई / अग्निशमन विभाग और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी के अधीन।

अतिरिक्त एफएआर प्रभार सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए अनुसार देय होंगे।

अन्य नियंत्रण:

- i. सभी उद्योगों के पास ठोस कचरे के निपटान से पहले उसे अलग करने का प्रावधान होना चाहिए। किसी भी अनुपचारित बहिस्राव को विसर्जित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अपेक्षानुसार बहिस्राव का प्राथमिक उपचार भूखंड स्तर पर ही किया जाएगा।
- ii. 60 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के मामले में, कॉमन पार्किंग प्रदान की जाएगी, जबकि 60 वर्ग मीटर से ऊपर के भूखंडों के लिए फ्रंट सेटबैक (कम से कम 3 मीटर) पार्किंग तथा माल-लदान और माल-उतराई की सुविधा के लिए बिना चारदीवारी के दिया जाएगा।
- iii. स्टेक पार्किंग के लिए 5% अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज प्रदान किया जाएगा।
- iv. 500 वर्ग मीटर और उससे ऊपर आकार के भूखंडों के मामले में, ई.एस.एस, भूमिगत जल भंडारण टैंक, छत पर जल संचयन प्रणाली, अलग-अलग सूखे और गीले डस्टबिन, सौर हीटिंग / प्रकाश व्यवस्था आदि जैसी जन-उपयोगी सेवाएं भूखंड के भीतर प्रदान की जाएंगी।
- v. सेवा केन्द्र भूखंड पर बने औद्योगिक क्षेत्र के मानदंडों के अनुसार नियोजित किए जाएंगे।
- vi. अधिकतम 10% एफएआर का उपयोग विनिर्माण और सेवा/मरम्मत के कार्यालय के लिए किया जा सकता है।
- vii. खुदरा दुकान/मरम्मत की दुकान/पर्सनल सेवा की दुकान/कैंटीन - अधिकतम 10% एफएआर तक 500 वर्ग मीटर, जो भी कम हो।
- viii. औद्योगिक क्षेत्रों में स्टार्ट-अप और इनोवेशन क्लस्टर्स को सुसाध्य बनाने के लिए, औद्योगिक भूखंडों पर बिना किसी उपयोग रूपांतरण के 10% एफएआर तक सह-कार्यशील स्थान (को वर्किंग स्पेस) निर्मित करने की अनुमति दी जाएगी।

- ix. कम से कम 30 मी. मार्गाधिकार की सड़क से सीधे पहुंच वाले भूखंडों पर वेयरहाउसिंग की अनुमति दी जाएगी।

घ. योजनाबद्ध औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग रूपान्तरण के लिए अनुमेय उपयोग

तालिका 22.31 : योजनाबद्ध औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग रूपान्तरण के लिए अनुमेय उपयोग

क्र. सं.	औद्योगिक क्षेत्र/पुनर्विकास योजना की लेआउट योजना में संशोधन के हिस्से के रूप में अनुमेय उपयोग परिसर*	शर्तों के अधीन	
		न्यूनतम प्लॉट का आकार (वर्ग मी.)	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)
1	व्यवसायिक उपयोग		
क.	व्यावसायिक (होटल / सिनेप्लेक्स को छोड़कर)		
	अन्य नियंत्रण		
i.	अनुमत गतिविधि भूखंड के आकार और मार्गाधिकार से संबंधित डीसीएन के अनुसार होगी।*		
ख.	वेयरहाउसिंग / भंडारण / गोदाम	न्यूनतम 1000 वर्गमीटर	30
	अन्य शर्तें		
i.	औद्योगिक भूखंड में गोदाम के डीसीएम के अनुसार रूपान्तरण किया जाता है।		
ii.	30 मीटर मार्गाधिकार से सीधी पहुंच वाले 1 हेक्टेयर और उससे अधिक आकार के भूखंडों के गोदामों के भंडार पर सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित प्रभारों का भुगतान करने पर अनुमेय एफएआर के 50% तक खुदरा गतिविधि की अनुमति होगी।		
iii.	माल लदान करने और उतारने की सभी सुविधाएं भूखंड के भीतर ही प्रदान की जाती हैं।		
2	पीएसपी		
क.	शिक्षा संबंधी सुविधाएं:	पीएसपी	24

	अनुसंधान और विकास केंद्र, संस्थान, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, आईटीआई / पॉलिटेक्निक / कौशल केंद्र, व्यावसायिक / प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, प्रबंधन संस्थान, कोचिंग सेंटर, अन्य प्रशिक्षण संस्थान (व्यावसायिक और सचिवीय प्रशिक्षण केंद्र), जनरल कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेज, कॉलेज।	डीसीएन द्वारा यथा: निर्धारित भूखण्ड के आकार से संबंधित मानदंड असली भूमि उपयोग के अनुसार एफएआर	
ख.	स्वास्थ्य सुविधाएं: अस्पताल / तृतीयक (टर्शिएरी) स्वास्थ्य देखभाल केंद्र (100 बेड तक) अन्य शर्तें मौजूदा विकास नियंत्रण मानदंडों के भीतर भू-खंड रूपान्तरण इन शर्तों के अध्यक्षीन है कि एक भूखंड पर बनाए जाने वाले बेड्स की संख्या की प्रति बेड सकल फ्लोर एरिया {@ 80 वर्गमीटर} के अनुसार किया जाएगा। एफ ए आर मूल भूमि उपयोग के अनुसार लागू है।	पीएसपी डीसीएन द्वारा यथा: निर्धारित भूखण्ड के आकार से संबंधित मानदंड	24
ग.	बैंकवेट हॉल अग्निशमन मानदंड जो निर्धारित किए गए हों, सहित विनिर्देशन/ विनियमों के अध्यक्षीन। 1. बैंकवेट प्लॉट का डी सी एन लागू होगा। 2. संविधित उपयोग का डी सी एन लागू होगा।	800	24
घ.	रेस्तरां, मनोरंजन क्लब, छात्रावास और वृद्धाश्रम, सामुदायिक और मनोरंजन हॉल, नर्सिंग होम और स्वास्थ्य केंद्र को औद्योगिक क्षेत्र के लेआउट प्लान में संशोधन के हिस्से के रूप में अनुमति दी जाती है।	असली भूमि उपयोग के डीसीएन द्वारा यथा निर्धारित मानदंड	
3	ग्रुप हाउसिंग		
क.	ग्रुप हाउसिंग	3000	24
	i. ग्रुप हाउसिंग के अनुमेय एफएआर के 1.5 गुना एफएआर के प्रोत्साहन के साथ ग्रुप हाउसिंग के विकास नियंत्रण मानदंडों के भीतर भू-प्रयोग रूपान्तरण के लिए पात्र है। ii. आवासीय आबादी के लिए अधिमानत आवश्यक व्यावसायिक और पीएसपी गतिविधि, और अनुमेय एफएआर के 15% तक तक कार्य स्थल की अनुमति दी जाएगी।		

अन्य नियंत्रण:

- i. एएआई (भारतीय विमान पतन प्राधिकरण), दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी के अध्यक्षीन ऊँचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- ii. औद्योगिक उपयोग समय-समय पर सरकार द्वारा यथा निर्धारित वर्तमान बाजार मूल्य और पार्किंग की लागत के आधार पर आकलित भू-प्रयोग रूपान्तरण प्रभार के भुगतान के अध्यक्षीन मौजूदा विकास नियंत्रण मानदंडों के भीतर अन्य उपयोगों के लिए भू-प्रयोग रूपान्तरण के पात्र होंगे।
- iii. मौजूदा क्षेत्रों में बड़े औद्योगिक भूखंडों का उप-विभाजन या औद्योगिक भूखंडों के आमेलन और साथ ही इन औद्योगिक भूखंडों पर अनुमोदित योजनाओं/लेआउट/ भवन योजनाओं की अनुमति दी जाएगी।
- iv. अवसंरचनागत सेवाओं पर अतिरिक्त बोझ कम करने के लिए अधिमानतः पुनः उपयोग के लिए वर्षा जल संग्रहण के साथ वर्षा जल संचयन, एसटीपी, दोहरी पाइपिंग प्रणाली, सौर पीवी के उपयोग का प्रावधान किया जाएगा।
- v. इन प्रावधानों की शर्तों को गैर अनुरूप / विनियमित औद्योगिक क्लस्टर पर प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- vi. उपरोक्त प्रावधानों का किसी भी रूप में संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- vii. औद्योगिक क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए, न्यूनतम 4 हेक्टेयर की पुनरुद्धार योजना तैयार की जाएगी जहां पुनरुद्धार के लिए पात्र भूखंड का न्यूनतम आकार 1000 वर्गमीटर होगा। ऐसे पुनर्विकास में भूखंड के आकार की निचली सीमा में 5% तक की छूट दी जाएगी।
- viii. औद्योगिक भूखंडों के पुनर्विकास में, मौजूदा योजनाबद्ध औद्योगिक क्षेत्र के लिए विनियमों और दिशानिर्देशों के संबंध में दिनांक 01.04.2011 की अधिसूचना एस.ओ. 683 (ई) में अनुमत एफएआर का 1.5 गुना पहले ही अधिसूचित कर लिया गया है, अतः औद्योगिक भूखंड पर सभी अनुमेय उपयोगों पर अनुमेय एफएआर के 1.5 गुना की अनुमति दी जाएगी।

ड. विभिन्न उपयोग जोन में औद्योगिक इकाइयों के लिए मानदंड और गैर-औद्योगिक उपयोग जोन क्षेत्रों में उद्योगों के अनुमेय परिसरों का उपयोग।

औद्योगिक वर्गीकरण के लिए, उद्योगों की प्रकृति, क्षेत्र और औद्योगिक विकास की प्रकृति के अनुसार पैरामीटर की सीमा तय की जाएगी।

तालिका 22.32 : गैर-औद्योगिक उपयोग जोन में औद्योगिक इकाइयों के लिए मानदंड

क्र.सं.	उपयोग परिसर	समूह की अनुमति (देखें अनुलग्नक)	शर्तें	
			श्रमिकों की अधिकतम सं.	अधिकतम औद्योगिक पावर (बिजली)

				लोड (किलोवाट)
1	आवासीय			
क.	प्लॉटेड हाउसिंग (घरेलू उद्योग)	अनुलग्नक 5 / (अनुलग्नक 12) में सूचीबद्ध गतिविधियाँ	9	11
ख.	ग्राम आबादी	अनुलग्नक 5 में सूचीबद्ध गतिविधियाँ	9	11
2	व्यावसायिक			
क.	सुविधा शॉपिंग सेंटर, लोकल शॉपिंग सेंटर	एम1 (अनुलग्नक 12)	5	11
ख.	कम्युनिटी सेंटर		9	11
ग.	डिस्ट्रिक सेंटर		19	11
घ.	सर्विस मार्केट, सर्विस सेंटर	(अनुलग्नक 12) और (अनुलग्नक 13)	--	--
3	औद्योगिक उपयोग			
क.	प्लॉटेड विकास	निषिद्ध और गैर- प्रदूषणकारी और गैर- खतरनाक प्रकृति के उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योग।	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
ख.	फ्लैटेड उद्योग	निषिद्ध और गैर- प्रदूषणकारी और गैर- खतरनाक प्रकृति के उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योग जिनमें शोर/पानी/कंपन /गंध प्रदूषण उत्पन्न करनेवाले उद्योग शामिल नहीं हैं।	² [आवश्यकतानुसार]	आवश्यकतानुसार

अन्य नियंत्रण:

- सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार अधिकतम श्रमिक होंगे।
- प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के प्रचालन और गैर-विनिर्माण उपयोग के लिए बिजली की आवश्यकता पूर्वोक्त अनुमत लोड के अतिरिक्त होगी।

22.10.2 नए औद्योगिक क्षेत्र

i. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नई औद्योगिक गतिविधि को हाई-टेक और सेवा-आधारित उद्योगों (अनुलग्नक 12) तक सीमित होनी चाहिए। ये गतिविधियाँ, संबंधित प्राधिकरण / स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित किए गए और वसूले गए अवसंरचना उन्नयन प्रभारों के भुगतान के अध्यक्षीन मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमेय होंगी।

ii. औद्योगिक उपयोग जोन - दिशानिर्देश

औद्योगिक उपयोग जोन का उपयोग परिसर में उप-विभाजन और तदुपरांत औद्योगिक सम्पदा के लिए लेआउट योजनाओं का अनुमोदन निम्नलिखित मानदंडों द्वारा शासित होगा:

क) डीई / दिविप्रा निम्नलिखित विकल्पों के आधार पर लेआउट योजना / पुनरुद्धार योजना तैयार करेगा।

तालिका 22.33 : नए औद्योगिक क्षेत्र में भूमि वितरण (एकीकृत योजना)

उपयोग परिसर	भूमि का प्रतिशत
औद्योगिक (वास्तविक क्षेत्र)	50%
आवासीय*: श्रमिकों का आवास	20%
मनोरंजन: बफर जोन, पार्क, वॉटर बॉडीज़, एचटी लाइनों के नीचे ग्रीन क्षेत्र, जोन के बीच आंतरिक पक्का पैदल मार्ग, ओपन एयर थिएटर आदि।	7%-10%
अन्य उपयोग की अनुमति: व्यावसायिक शॉपिंग सेंटर, रिटेल, प्रदर्शनी स्थल, गेस्ट हाउस / बजट होटल, लॉजिंग और बोर्डिंग, संचार, सूचना केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं, रेस्तरां, पुरुष-महिला हॉस्टल आदि।	2%-3%
सामाजिक और भौतिक सुविधाएं 1. सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक: फायर स्टेशन / फायर पोस्ट, पुलिस स्टेशन / पुलिस पोस्ट, अस्पताल / तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र / औषधालय, आईटीआई / पॉलीटेक्निक, धर्मशाला, नाइट शेल्टर, डे केयर सेंटर, आदि। 2. उपयोगिताएँ: इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, सीईटीपी, पम्पिंग स्टेशन, भूमिगत जल संचयन / अग्निशमन टैंक और अन्य उपयोगिताएं, आदि ठोस अपशिष्ट संग्रह केंद्र, जल पुनर्चक्रण संयंत्र आदि।	6%-8%
परिवहन: सर्कुलेशन, पार्किंग, पैदल चलने वालों/साइकिल सवारों के लिए रास्ता, गुड्स व्हीकल (मालवाहक वाहन) पार्किंग फ्यूल स्टेशन आदि।	15%-18%
कुल	100

* ग्रुप हाऊसिंग के लिए विनियम लागू होंगे। इस आवास का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कामगारों/ कर्मचारियों के लिए किया जाएगा।

अन्य नियंत्रण:

अफोर्डेबल किराया आवास विकसित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों (1 हेक्टेयर से ऊपर) के लिए, अनुमेय आवासीय एफ ए आर का 15% अतिरिक्त एफएआर का उपयोग किया जा सकता है।

- i. भूखंड के भीतर भंडार, 10% तक सीमित होगा और संबंधित भूखंड (कच्चा माल, तैयार उत्पाद, आदि, भंडारण) में औद्योगिक गतिविधि से उत्पन्न आकस्मिक भंडारण के रूप में प्रदान किया जाएगा।
- ii. पार्किंग मानदंड खण्ड 22.12.1 के अनुसार लागू किए जाने चाहिए।

औद्योगिक उपयोग जोन के लिए लेआउट योजनाओं के अनुमोदन के लिए अन्य शर्तें:

- i. सभी नए औद्योगिक संपदा / क्षेत्रों की पहुंच कम से कम 30 मीटर मार्गाधिकार की एक सड़क से होगी।
- ii. ऑटोमोबाइल वॉशिंग क्षेत्र के पास ग्रीस ट्रेप प्रदान किया जाना चाहिए।
- iii. नए औद्योगिक क्षेत्र, बड़ी मुख्य मार्गीय सड़कों के आसपास अवस्थित होने चाहिए। प्रमुख अवसंरचना नेटवर्क जैसे सीएनजी, एलपीजी, तेल, ऑप्टिकल फाइबर, बिजली, आदि भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से इस कॉरीडोर के साथ-साथ उपलब्ध कराए जाएं।
- iv. सीईटीपी, ठोस अपशिष्ट पृथक्करण/ शोधन संयंत्रों का प्रावधान औद्योगिक क्लस्टर स्तर पर किया जाएगा।
- v. संबंधित एजेंसी द्वारा समुचित आपदा प्रबंध किए जाएंगे।
- vi. क्षेत्र के लिए भूदृश्यांकन योजना तैयार की जाएगी।
- vii. सभी उद्योगों में ठोस अपशिष्ट के निपटान से पहले अलग करने का प्रावधान होना चाहिए। ई-कचरे के प्रबंधन के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

22.11 मनोरंजन

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका 22.34 उपयोग परिसर एवं परिभाषा - मनोरंजन

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1	क्षेत्रीय पार्क	इस क्षेत्र में वन विभाग द्वारा सत्यापन करने के अधीन नादर्न, सेंट्रल, साउथ सेंट्रल और सदरन रिज शामिल होंगे।
2	सिटी पार्क/जिला पार्क /सामुदायिक पार्क	पार्क प्राकृतिक, अर्ध-प्राकृतिक क्षेत्र होता है या मनुष्यों के मनोरंजन और मौज मस्ती के लिए बनाया गया क्षेत्र होता है। इसमें सुरक्षा/संरक्षण के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र शामिल है।
3	थीम आधारित / एम्पूजमेंट पार्क	एक बड़ा आउटडोर क्षेत्र, जो आमतौर पर मनोरंजन प्रयोजनार्थ अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ राइड, खेल कूद जैसे विभिन्न आकर्षणों की विशेषताओं वाले विषय/विचार पर आधारित होता है।
4	बहुउद्देशीय मैदान	मनोरंजनात्मक सुविधाओं से युक्त बहुत सी सार्वजनिक गतिविधियों /समारोहों के लिए एक खुला स्थान।
5	पुरातत्व पार्क	आर्कियोलॉजिकल पार्क एक ऐसा क्षेत्र है जहां पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील संपत्ति के साथ धरोहर महत्व की मिली-जुली संपत्ति होती है।
6	ऐतिहासिक स्मारक	ऐतिहासिक परिसर, जिनकी ऐतिहासिक और/या सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व के परिसर के रूप में पहचान की गई है।
7	जैव विविधता पार्क	ये अनूठे भू-भू दृश्यांकन वाले विशेष पार्क हैं जो देशी वनस्पतियों और जीवों के क्षेत्र और आश्रय के लिए प्रकृति के भंडार का काम करते हैं।
8	ग्रीन बफर	बफर्स ग्रीन्स, जलाशयों, प्राकृतिक नालों, एचटी लाइन्स आदि के आसपास विकसित हरित क्षेत्र/ कॉरिडोर होते हैं।
9	स्पोर्ट्स सेंटर	दर्शकों के लिए पवेलियन भवनों, स्टेडियम संरचना और संबंधित सुविधाओं से युक्त आउटडोर और इनडोर खेलों के लिए प्रयुक्त परिसर।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका 22.35 उपयोग परिसर और अनुमत गतिविधियां क्षेत्रीय पार्क, सिटी पार्क, डिस्ट्रिक्ट पार्क, सामुदायिक पार्क और बहुउद्देशीय (मल्टी परपज़) मैदान:-

क्र. सं. #	उपयोग जोन उपयोग परिसर अनुमत गतिविधियां	पी1	पी2							आरडी
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		क्षेत्रीय पार्क *	सिटी पार्क	डिस्ट्रिक्ट पार्क	सामुदायिक पार्क	थीम आधारित/ एम्यूज़मेंट पार्क	शहर	जिला	समुदाय	स्थानीय स्तर के पार्क
1	वन / वुडलैंड्स (वन प्रदेश)	✓	✓	✓						
2	वॉच एंड वार्ड रूम (पहरा और निगरानी कक्षा)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	पिकनिक हट्स एवं ग्राउंड्स	✓	✓	✓	✓	✓				
4	जैव-विविधता पार्क	✓	✓	✓						
5	प्राणि उद्यान / पक्षी अभयारण्य	✓								
6	बॉटेनिकल गार्डन / आर्बोरेटम	✓	✓	✓						
7	स्थानीय सरकारी कार्यालय (रखरखाव)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
8	ओपन एयर	✓	✓	✓		✓				

क्र. सं. #	उपयोग जोन	पी1	पी2							आरडी
	उपयोग परिसर	1	2	3	4	5	6	7	8	स्थानीय स्तर के पार्क
		क्षेत्रीय पार्क *	सिटी पार्क	डिस्ट्रिक्ट पार्क	सामुदायिक पार्क	थीम आधारित/ एम्यूजमेंट पार्क	शहर	जिला	समुदाय	
	अनुमत गतिविधियां						बहुउद्देशीय मैदान			
	थिएटर / रंगशाला (एम्फीथिएटर)									
9	शूटिंग रेंज	✓				✓				
10	पुलिस पोस्ट / फायर पोस्ट	✓	✓	✓		✓				
11	ऑर्चर्ड	✓	✓	✓		✓				
12	प्लांट नर्सरी	✓	✓	✓						
13	राष्ट्रीय स्मारक (कैबिनेट / भारत सरकार द्वारा अनुमोदित)		✓	✓						
14	एक्वा पार्क / वाटर स्पोर्ट्स पार्क / एक्वेरियम		✓	✓		✓				
15	खेलकूद संबंधी गतिविधियां		✓	✓						
16	खेल का मैदान		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	मनोरंजन क्लब		✓	✓		✓				
18	ओपन-एयर		✓	✓	✓	✓				

क्र. सं. #	उपयोग जोन उपयोग परिसर अनुमत गतिविधियां	पी1	पी2							आरडी
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		क्षेत्रीय पार्क *	सिटी पार्क	डिस्ट्रिक्ट पार्क	सामुदायिक पार्क	थीम आधारित/ एम्प्लूजमेंट पार्क	शहर	जिला	समुदाय	स्थानीय स्तर के पार्क
	फूड कोर्ट									
19	चिल्ड्रन पार्क / चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क		✓	✓	✓	✓				✓
20	विशेष पार्क		✓	✓		✓				
21	पुरातत्व पार्क		✓	✓						
22	एम्प्लूजमेंट पार्क / थीम पार्क सवारी (राइड्स) मैकेनिकल + वॉटर राइड), खेल, शो, थीम प्रदर्शन आदि।		✓	✓		✓				
23	सुख सुविधा युक्त (एमेनिटी) संरचना	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	ओपन जिम		✓	✓	✓					
25	रेस्तरां / कैफे		✓	✓		✓				
26	वैडिंग बूथ /कियोस्क		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	सार्वजनिक सभा मैदान,						✓	✓	✓	

क्र. सं. #	उपयोग जोन	पी1	पी2							आरडी
	उपयोग परिसर	1	2	3	4	5	6	7	8	स्थानीय स्तर के पार्क
		क्षेत्रीय पार्क *	सिटी पार्क	डिस्ट्रिक्ट पार्क	सामुदायिक पार्क	थीम आधारित/ एम्यूजमेंट पार्क	शहर	जिला	समुदाय	
	अनुमत गतिविधियां						बहुउद्देशीय मैदान			
	सार्वजनिक संबोधन मंच, सार्वजनिक सामारोह / विवाह / उत्सव पंडाल और अन्य सार्वजनिक और सामाजिक समारोह आदि के लिए प्रावधान।									
28	खेल क्षेत्र					✓	✓	✓	✓	✓
29	सार्वजनिक मेला ग्राउंड / मेला						✓	✓		

नोट:

*उच्चतम (सर्वोच्च) न्यायालय की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के रिज प्रबंधन बोर्ड से आवश्यक मंजूरी के अध्यक्षीन मौजूदा फार्म हाउसों के नियमितीकरण के लिए लागू नीति के अनुसार 01.08.90 से पहले [या बाद में अगर [संबंधित नगर निकाय द्वारा अनुमोदित हों] संस्वीकृत किए गए अनुमोदित फार्म हाउस, की अनुमति है।]

तालिका 22.36 उपयोग परिसर और अनुमत गतिविधियाँ- पुरातत्व पार्क, जैव विविधता पार्क और ग्रीन बफर

क्र.सं.	उपयोग जोन	पी3	पी4
---------	-----------	-----	-----

#	उपयोग परिसर अनुमत गतिविधियां	10	11	12	13
		पुरातत्व पार्क	ऐतिहासिक स्मारक	जैव विविधता पार्क	ग्रीन बफर
1	सार्वजनिक उत्सव / प्रदर्शनियाँ (अस्थायी संरचनाएँ)	✓	✓		
2	साइक्लिंग और वॉकिंग ट्रैक्स	✓		✓	✓
3	इंटरप्रीटेशन / आगंतुक केंद्र (विजिटर सेंटर)	✓	✓	✓	
4	रेस्तरां / फूड कोर्ट	✓	✓	✓	
5	बगीचे / आर्बोरेटम, ग्रीनहाउस, बागवानी क्लब, सामुदायिक सब्जी उद्यान और पौधे की नर्सरी, आदि।	✓		✓	✓
6	विशेष पार्क (बटरफ्लाई पार्क, फर्नेरियम आदि) / फ़्लोरा और फौना के लिए सुविधाएं			✓	
7	ओपन एयर-थिएटर			✓	✓
8	एमेनिटी संरचनाएं* (सुख सुविधाएं)	✓	✓	✓	
9	वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ			✓	
10	प्रशासनिक कार्यालय	✓	✓	✓	
11	शिविर स्थल			✓	
12	पानी आधारित पारिस्थितिकी के लिए वेटलैंड्स (दलदली भूमि) और दलदल			✓	✓
13	सक्रिय सार्वजनिक उपयोग; पार्क, योगा स्थान, सक्रिय खेल कूद (औपचारिक सीटिंग के बिना) और बोटिंग				✓

क्र.सं. #	उपयोग जोन	पी3			पी4
	उपयोग परिसर अनुमत गतिविधियां	10	11	12	13
		पुरातत्व पार्क	ऐतिहासिक स्मारक	जैव विविधता पार्क	ग्रीन बफर
14	कियोस्क	✓	✓	✓	

नोट:

*सुख-सुविधा संरचनाओं में प्रसाधन ब्लॉक, पंप रूम, इलेक्ट्रिक रूम, गार्ड कक्ष, भंडार कक्ष और उपकरण कक्ष शामिल हैं। स्थानीय स्तर को छोड़कर ये सभी पार्कों में अनुमेय होंगे।

तालिका 22.37 उपयोग परिसर और अनुमत गतिविधियाँ- खेल सुविधाएं

क्र.सं. #	उपयोग जोन	पी5 (खेल सुविधाएं)			आरडी
	उपयोग परिसर अनुमत गतिविधियाँ	14	15	16	17
		शहर स्तर के खेल: प्रभागीय खेल केंद्र	जिला खेल केंद्र	सामुदायिक खेल केंद्र	स्थानीय स्तर पर खेल क्षेत्र
1	मल्टीयूज स्टेडियम (बैठने की क्षमता 15,000)	✓			
2	स्टेडियम	✓	✓	✓	
3	एक्वाटिक सेंटर (कवर्ड या अन्यथा पूर्ण आकार वाले प्रतियोगिता पूल, प्रशिक्षण/लैप पूल, डाइविंग पूल जिनका प्रयोग वाटर पोलो और सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग के साथ-	✓			

क्र.सं. #	उपयोग जोन	पी5 (खेल सुविधाएं)			आरडी
	उपयोग परिसर	14	15	16	17
		अनुमत गतिविधियाँ	शहर स्तर के खेल: प्रभागीय खेल केंद्र	जिला खेल केंद्र	सामुदायिक खेल केंद्र
	साथ अन्य जलीय मनोरंजन सुविधाओं जैसे वॉटरस्लाइड्स, वेव पूल, हाइड्रोथैरेपी पूल, अखाड़ा आदि के लिए भी किया जा सकता है।)				
4	बहुउद्देशीय हॉल (बैठने की क्षमता 4,000) [प्रदर्शनियों, व्यापार कार्यक्रमों, बैंक्वेट, बहुत से संबंधित खेल और सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए]	✓			
5	खेल सुविधाएं (आउटडोर और इनडोर)	✓	✓	✓	
6	खेल अकादमी / खेल प्रशिक्षण केंद्र	✓	✓		
7	स्पोर्ट्स चिकित्सा केंद्र	✓			
8	स्विमिंग पूल	✓	✓	✓	
9	आधारिक संरचना सहायता; चेंजिंग रूम, मल्टी जिम, आदि जैसी सुविधाओं के लिए भंडारण के लिए स्थान / स्थल	✓	✓	✓	
10	दुकान	✓	✓	✓	
11	रेस्टोरेंट / कैफेटेरिया	✓	✓	✓	
12	बैंक एक्सटेंशन (काउंटर)	✓	✓	✓	
13	कार्यालय (विभागीय)*	✓	✓	✓	
14	खेल संबंधी व्यक्तियों / खिलाड़ियों के लिए छात्रावास / आवासीय आवास, प्लॉटिंग	✓	✓		

क्र.सं. #	उपयोग जोन	पी5 (खेल सुविधाएं)			आरडी
	उपयोग परिसर	14	15	16	17
		अनुमत गतिविधियाँ	शहर स्तर के खेल: प्रभागीय खेल केंद्र	जिला खेल केंद्र	सामुदायिक खेल केंद्र
	हाउसिंग (रखरखाव और प्रबंधन कर्मचारी): कुल एफएआर का 5%				
15	पुलिस पोस्ट, फायर पोस्ट, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कियोस्क	✓	✓	✓	
16	चिल्ड्रन'स कॉर्नर	✓	✓	✓	✓
17	खेल का मैदान	✓		✓	✓
18	वॉच एंड वार्ड रेजिडेंस	✓	✓	✓	

नोट:

*कुल एफएआर के अधिकतम 5% के लिए क्र. सं. 10 से 13 तक की सभी गतिविधियों की अनुमति है।

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.38 मनोरंजन

क्र.सं. #	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)/यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
स्थानीय स्तर							
जनसंख्या 10000 तक							
1	टॉट लॉट	40	125	--	--	--	--
2	हाउसिंग क्षेत्र पार्क	2	5000	--	--	--	--
3	हाउसिंग क्षेत्र खेल का मैदान	2	5000 (0.5 हेक्टेयर)			--	एनआर*
4	स्थानीय स्तर पर पार्क	1	10,000 (1 हेक्टेयर)	--	--	--	--
5	स्थानीय स्तर	1	5000-10,000	2%	4	--	एनआर*

	पर खेलने का क्षेत्र		(0.5 से 1 हेक्टेयर)				
--	---------------------	--	---------------------	--	--	--	--

* एएआई, अग्निशमन विभाग और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी के अधीन।

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)/यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
---------	-------------	--------	--	--------------------------	-------	---------------------------	-------------

सामुदायिक स्तर

जनसंख्या 100,000 तक

1	सामुदायिक पार्क	1	35000 वर्ग मीटर (3.5 हेक्टेयर)		---	18	सभी प्रकार की आवास योग्य निर्मित संरचनाओं के लिए अधिकतम अनुमेय ऊँचाई 4.8 मीटर है।
---	-----------------	---	--------------------------------	--	-----	----	---

अन्य नियंत्रण:

- पार्क में सभी अनुमेय स्थायी निर्मित संरचनाएं पार्क क्षेत्र के 0.5% या 100 वर्ग मीटर, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होंगी।
- क्षेत्र के 20% को सघन वृक्षारोपण के रूप में विकसित किया जाएगा।

2	सामुदायिक बहुउद्देशीय मैदान	1	20,000 वर्ग मी. (2 हेक्टेयर)	एनए*	एनए**	18	सभी प्रकार की आवास योग्य निर्मित संरचनाओं के लिए अधिकतम अनुमेय ऊँचाई 4.8 मीटर है।
---	-----------------------------	---	------------------------------	------	-------	----	---

अन्य नियंत्रण:

- * कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम 50% सॉफ्ट पार्किंग के अंतर्गत होगा और शेष 50% का उपयोग गतिविधियों के लिए किया जाएगा।
- ** बहुउद्देशीय मैदानों के भीतर सभी स्थायी निर्मित संरचनाएं, भूखंड क्षेत्र के 1% या 500 वर्ग मीटर, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3	सामुदायिक खेल	1	1 हेक्टेयर से	20%	40	24	एनआर*
---	---------------	---	---------------	-----	----	----	-------

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)/यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
सामुदायिक स्तर							
जनसंख्या 100,000 तक							
	केंद्र		3 हेक्टेयर				
अन्य नियंत्रण:							
निम्नलिखित के लिए अधिकतम 5% एफएआर की अनुमति है:							
i. दुकान,							
ii. रेस्टोरेंट,							
iii. बैंक एक्सटेंशन (काउंटर),							
iv. कार्यालय (विभागीय),							
v. पुलिस पोस्ट, फायर पोस्ट,							
vi. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कियोस्क।							
* एएआई, अग्निशमन विभाग और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी के अधीन।							

क्र. सं.	उपयोग परिसर	सं.	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)/यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
उप-शहर स्तर							
जनसंख्या 5,00,000							
1	डिस्ट्रिक्ट पार्क	1	2,50,000 वर्ग मी. (25 हेक्टेयर)		एनए**	30	सभी प्रकार की आवास योग्य निर्मित संरचनाओं के लिए अधिकतम अनुमेय ऊँचाई 4.8 मीटर है।
अन्य नियंत्रण:							
i. डिस्ट्रिक्ट पार्क के भीतर निर्मित संरचनाओं के लिए निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे जिनका क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से अधिक है।							
क. रेस्टोरेंट प्लॉट का क्षेत्रफल 0.8 हेक्टेयर या जिला पार्क का 1% जो भी कम हो, से अधिक नहीं होना चाहिए।							

क्र. सं.	उपयोग परिसर	सं.	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)/यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
उप-शहर स्तर जनसंख्या 5,00,000							
<p>ख. रेस्टोरेंट प्लॉट बाकी जिला पार्क क्षेत्र से भौतिक रूप से अलग नहीं होना चाहिए।</p> <p>ग. यह भवन एक मंजिला संरचना होना चाहिए। जिसका अधिकतम एफएआर 5 होना चाहिए और इसकी अधिकतम ऊँचाई 4 मी. होनी चाहिए और यह आवासीय सुविधा तथा आस-पास के क्षेत्र में किसी सामंजस्य के बिना होना चाहिए।</p> <p>घ. यदि आस-पास के क्षेत्र में कोई पार्किंग लॉट नहीं है तो पार्किंग रेस्तरां से उपयुक्त दूरी पर होनी चाहिए। पार्किंग क्षेत्र रेस्तरां परिसर/हरित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होगा।</p> <p>ड. भूखंड क्षेत्र के 30% को सघन वृक्षारोपण के रूप में विकसित किया जाएगा।</p>							
2	जिला बहुउद्देशीय मैदान	1	40000 वर्ग मी. (4 हेक्टेयर)	एनए*	एनए**	24	सभी प्रकार की आवास योग्य निर्मित संरचनाओं के लिए अधिकतम अनुमेय ऊँचाई 4.8 मीटर है।
अन्य नियंत्रण: <ol style="list-style-type: none"> ** बहुउद्देशीय मैदान के भीतर सभी स्थायी निर्मित संरचनाएं, भूखंड क्षेत्र के 1%या 500 वर्ग मीटर, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए। * कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम 50% सॉफ्ट पार्किंग के अंतर्गत होगा और शेष 50% का उपयोग गतिविधियों के लिए किया जाएगा। 							
3	जिला खेल केंद्र	1	3 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर	20%	40	24	एनआर*
अन्य नियंत्रण: अधिकतम 20% एफएआर क. अधिकतम 5% के लिए- <ol style="list-style-type: none"> दुकान, रेस्टोरेंट, बैंक एक्सटेंशन (काउंटर), कार्यालय (विभागीय)। ख. न्यूनतम 5% के लिए-							

क्र. सं.	उपयोग परिसर	सं.	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)/यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
उप-शहर स्तर जनसंख्या 5,00,000							
i. छात्रावास / आवासीय आवास (खेल संबंधी व्यक्तियों / खिलाड़ियों के लिए), ii. प्लॉटिंग हाउसिंग (रखरखाव और प्रबंधन कर्मचारी), iii. पुलिस पोस्ट / फायर पोस्ट, iv. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कियोस्क। * एएआई, अग्निशमन विभाग और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी के अधीन।							

क्र.सं.	उपयोग परिसर	सं.	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र /यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
शहरी स्तर जनसंख्या 20,00,000 से ऊपर							
1	क्षेत्रीय पार्क	---	एनए	एनए*	---	एनए	सभी प्रकार की आवास योग्य निर्मित संरचनाओं के लिए अधिकतम अनुमेय ऊँचाई 4.8 मीटर है।
अन्य नियंत्रण:							
i. निर्मित संरचना में ऐसे स्थलों के प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा केबिनों और मनोरंजन जोन/पहुंच जोन के रूप में चिह्नित क्षेत्रों में संबंधित एजेसियों के अनुमोदन से प्रति वर्ग मीटर 2 (दो) प्रसाधन कक्ष का प्रावधान शामिल होगा। ii. किसी साइट का अधिकतम 0.1% क्षेत्र, पक्की सतह तक प्रतिबंधित होगा। जहाँ भी संभव हो, फ़र्श के लिए केवल भेदय सामग्री का उपयोग किया जाएगा। नोट:							

क्र.सं.	उपयोग परिसर	सं.	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र /यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
शहरी स्तर जनसंख्या 20,00,000 से ऊपर							
**क्षेत्रीय पार्क के अंतर्गत आने वाली वन भूमि में विकास वन विभाग के अनुसार होगा।							
2	सिटी पार्क	2 @10,00,000 जनसंख्या	40 हेक्टेयर	1	एनए**	30	सभी प्रकार की आवास योग्य निर्मित संरचनाओं के लिए अधिकतम अनुमेय ऊँचाई 4.8 मीटर है।
अन्य नियंत्रण:							
i. ऐसे सिटी पार्क के भीतर निर्मित संरचनाओं के लिए निम्नलिखित मानदंड लागू होंगे जिनका क्षेत्रफल 80 हेक्टेयर से अधिक है। <ul style="list-style-type: none"> ऐसी गतिविधियों के लिए पार्किंग क्षेत्र निर्मित परिसर/हरित क्षेत्र का हिस्सा नहीं होना चाहिए। 							
ii. 30% भूखंड क्षेत्र को सघन वृक्षारोपण के रूप में विकसित किया जाएगा।							
3	शहरी बहुउद्देशीय मैदान	1 @10,00,000 जनसंख्या	80,000 वर्ग मी. (8 हेक्टेयर)	एनए*	एनए**	30	सभी प्रकार की आवास योग्य निर्मित संरचनाओं के लिए अधिकतम अनुमेय ऊँचाई 4.8 मीटर है।
अन्य नियंत्रण:							
i. ** बहुउद्देशीय मैदान के भीतर सभी स्थायी निर्मित संरचनाएं, भूखंड क्षेत्र का 1% या 500 वर्ग मीटर, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए।							
ii. * कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम 50% सॉफ्ट पार्किंग के अंतर्गत होगा और शेष 50% का उपयोग गतिविधियों के लिए किया जाएगा।							

क्र.सं.	उपयोग परिसर	सं.	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र /यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
शहरी स्तर जनसंख्या 20,00,000 से ऊपर							
4	थीम आधारित / एम्प्लूजमेंट पार्क	---	10 हेक्टेयर तक	10% तक	60	30	12
5	पुरातत्व पार्क	---	एनए	0.5%*	---	18	सक्षम प्राधिकारियों सेप्राप्त अनुमति के अनुसार अधिकतम अनुमेय ऊँचाई 6 मी. है।
अन्य नियंत्रण:							
<p>i. * स्थायी संरचनाओं के लिए अधिकतम निर्मित क्षेत्र, पार्क के 0.5% क्षेत्र या 10,000 वर्ग मीटर, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।</p> <p>ii. इस निर्मित क्षेत्र की गणना में अनुकूली पुनः उपयोग के लिए पहचानी गई किसी भी धरोहर संपत्ति को शामिल नहीं किया जाएगा।</p> <p>iii. निर्मित क्षेत्र, धरोहर संपत्तियों पर अधिशासित अधिनियमों और नियमों सहित लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार होगा।</p> <p>iv. संरचनाओं के डिजाइन और ऊँचाई से धरोहर संपत्ति की दृश्यता बाधित नहीं होगी और इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।</p> <p>v. लोक कला और स्थापनाओं को निर्मित क्षेत्र का हिस्सा नहीं माना जाएगा।</p> <p>vi. पार्क से होकर जाने वाले साइकिल ट्रैक, स्थानीय पैदल मार्ग और वांछित पहुंच मार्गों का रख रखाव किया जाएगा और निश्चित समय के दौरान जनता के लिए खुला रखा जाएगा।</p>							
6	जैव विविधता पार्क	---	एनए	0.5%*	---	---	ढलान वाली छत संरचनाओं के लिए अधिकतम 12 मीटर के दो

क्र.सं.	उपयोग परिसर	सं.	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र /यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
शहरी स्तर जनसंख्या 20,00,000 से ऊपर							
							मंजिला
अन्य नियंत्रण:							
i. निर्मित संरचनाओं का अधिकतम अनुमेय क्षेत्र पार्क क्षेत्र का 0.5% या 10,000 वर्ग.मी. जो भी कम हो, होगा।							
ii. जैव-विविधता पार्कों के भीतर बने भवनों के "हरित भवन" मानदंड (गृह 4 स्टार रेटिंग) पूरे होने चाहिए।							
7	ग्रीन बफर	---	एनए	0.5%*	---	एनए	4.8 मी.**
निर्मित संरचनाओं के लिए नियंत्रण:							
i. * स्थायी संरचनाओं के लिए अधिकतम निर्मित क्षेत्र, साइट के 0.5% क्षेत्र से अधिक नहीं होगा।							
ii. ** स्थायी संरचनाओं की अधिकतम ऊँचाई 4.8 मी. होगी सिवाए एएआई, एचसीसी, डीयूएसी, डीटीएल द्वारा यथा निर्धारित।							
iii. जहाँ बफर विकास के लिए किसी परियोजना में धरोहर संपत्ति शामिल हो, वहाँ निर्मित क्षेत्र, धरोहर संपत्तियों पर शासित अधिनियमों और नियमों सहित लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार होगा।							
iv. अधिकतम सहायक अनुमेय कुल निर्मित संरचना का 20% - संग्रहालय और सूचना केंद्र, रेस्तरां, कैफे (1 हेक्टेयर के न्यूनतम समेकित क्षेत्र पर लागू) है।							
अन्य नियंत्रण:							
i. पार्क साइट से होकर जाने वाले साइकिल ट्रैक, स्थानीय पैदल मार्ग और वांछित पहुंच मार्गों को रख रखाव किया जाएगा और निश्चित समय के दौरान जनता के लिए खुला रखा जाएगा।							
ii. जहां भी संभव हो, ऐसी साइटों के कोनों के साथ-साथ नई संरचनाएं इन स्थलों के सामने होंगी। चारदीवारी 1 मी. की ऊँचाई से ऊपर पारदर्शी होंगी। ग्रीन बफर का रख रखाव किया जाना चाहिए, जो सभी अधिभारों से मुक्त और जनता के लिए खुला होना चाहिए।							
8	शहर स्तर के खेल: प्रभागीय खेल केंद्र	1 @10,00,000 जनसंख्या	1,00,000 वर्ग मी. (10 हेक्टेयर)	20%	40	30	एनआर*
अन्य नियंत्रण:							
कुल एफएआर का अधिकतम 20%							
क. अधिकतम 5%							

क्र.सं.	उपयोग परिसर	सं.	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र /यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
शहरी स्तर							
जनसंख्या 20,00,000 से ऊपर							
i. दुकान, ii. रेस्टोरेंट, iii. बैंक एक्सटेंशन (काउंटर), iv. कार्यालय (विभागीय)। क. न्यूनतम 5% के लिए- i. छात्रावास / आवासीय आवास (खेल संबंधी व्यक्तियों / खिलाड़ियों के लिए), ii. प्लॉटिंग हाउसिंग (रखरखाव और प्रबंधन कर्मचारी), iii. पुलिस पोस्ट / फायर पोस्ट, iv. डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कियोस्क। *एएआई, अग्निशमन विभाग और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी के अधीन।							

मनोरंजन क्षेत्रों के लिए अन्य नियंत्रण:

- i. जलनिकास या जलाशयों के साथ-साथ अवस्थित सभी नई परियोजनाओं में (1 हेक्टेयर से ऊपर), जहां तक संभव हो, जलाशयों / जलनिकास के किनारे से 10 मीटर का न्यूनतम अनिवार्य बफर बरकरार रखा जाएगा।
- ii. सभी स्थायी और अस्थायी निर्माण को सभी के लिए समावेशी बनाया जाएगा और इसमें दिव्यांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं को समाहित किया जाएगा।
- iii. सभी रहने योग्य निर्मित संरचनाएं 4.8 मीटर से अधिक नहीं होंगी जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए जैसाकि जैव विविधता पार्क आदि के मामले में किया जाता है।
- iv. यमुना फ्लड प्लेन में मनोरंजनात्मक गतिविधियों की अनुमति होगी जैसाकि दिविप्रा द्वारा विकसित यमुना कॉम्प्रहेंसिव प्लान के रूप में पहचान की गई है (संदर्भ: ENV: 2)। इन ज़ोन में विकसित निर्मित संरचनाओं के मानदंड निम्नानुसार होंगे:
 - क. ऐसी सभी संरचनाओं के लिए अधिकतम निर्मित क्षेत्र, भू-खण्ड के 0.5% क्षेत्र या 10,000 वर्ग मीटर, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।
- v. **पार्क और बहुउद्देशीय मैदानों के लिए:**
 - क. पक्की सतह कुल पार्क क्षेत्र के 1% से अधिक नहीं होगी।
 - ख. वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट पार्क या सिटी पार्क के रूप में संचालित/प्रयुक्त कोई भी पार्क इसी नाम के अंतर्गत बना रहेगा।
 - ग. कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम 50% सॉफ्ट पार्किंग के अंतर्गत होगा और शेष 50% का उपयोग गतिविधियों के लिए किया जाएगा।

- घ. शेष क्षेत्र का न्यूनतम 3% (सॉफ्ट पार्किंग क्षेत्र को छोड़कर) का उपयोग इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, प्रसाधन, सुरक्षा और अन्य विवाह से संबंधित गतिविधियों आदि के लिए किया जाएगा।
- ङ. बहुउद्देशीय मैदान को न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूखण्ड क्षेत्र के साथ समुचित रूप से उप-विभाजित किया जाता सकता है ताकि एक समय में बहुत-से कार्य किए जा सकें।
- च. सभी पार्क/बहुउद्देशीय मैदानों (5 से 10%) में वर्षा जल संचयन के प्रावधान होंगे।
- छ. नेबरहुड पार्क, हाउसिंग पार्क, पड़ोस का खेल का मैदान, हाउसिंग, खेल का मैदान और टोट लॉट्स पूरी तरह से आवासीय क्षेत्र का हिस्सा होंगे।
- ज. सभी प्रकार की आवास योग्य निर्मित संरचनाओं के लिए अधिकतम अनुमेय ऊँचाई 4.8 मीटर है (जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो)। न्यूमेटिक संरचनाएं और काइनेटिक आंगन (अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार), अस्थायी संरचनाएं, प्रतिष्ठित संरचनाएं, मूर्तियां और स्थापना वास्तुशिल्प की विशेषताओं वाली संरचनाएं जो रहने योग्य नहीं हैं, एफएआर से मुक्त होंगी और प्राधिकरण का अनुमोदन होने पर इन पर कोई ऊँचाई प्रतिबंध लागू नहीं होगा। पुरातात्विक पार्कों के लिए, अनुमोदन अधिकारियों से आवश्यक अनुमति लेनी होगी।
- झ. सुख-सुविधा संरचनाओं में प्रसाधन ब्लॉक, पंप रूम, इलेक्ट्रिक रूम, गार्ड कक्ष, भंडार कक्ष और उपकरण कक्ष शामिल हैं। ये स्थानीय स्तर को छोड़कर सभी पार्कों में अनुमेय होंगे।
- ञ. जिन पार्कों की पहचान बाढ़ में डूबे क्षेत्रों के रूप में की गई है, उनके पास कोई स्थायी निर्माण नहीं होगा।
- ट. उन पार्कों में मल्टी-जिम अनुमेय होगा जिनका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है और जिनमें न्यूनतम 225 और अधिकतम 500 वर्ग मी. का निर्मित क्षेत्र होगा।
- ठ. इन पार्कों के प्रवेश द्वार पर अनौपचारिक दुकानों की निम्नवत अनुमति दी जाएगी:
- शहर/जिला पार्क: प्रमुख प्रवेश द्वार पर 8-10
 - सामुदायिक पार्क: प्रमुख प्रवेश द्वार पर 2-5
 - बहुउद्देशीय मैदान प्रमुख प्रवेश द्वार पर 2-5
- ड. नालों के किनारे-किनारे पार्कों और हरित कॉरिडोर के विकास में भूजल और जलाशयों निकायों के संरक्षण को शामिल किया जाना चाहिए। भूजल पुनर्भरण के लिए, जलाशयों और वर्षा जल का संरक्षण अनिवार्य करना होगा। नजफगढ़ झील और उसके आसपास के क्षेत्र और रिज को संभावित जल संरक्षण क्षेत्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

vi. खेल सुविधाएँ:

- क. शैक्षिक संस्थानों और भू-दृश्यांकन क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्र में अधिमानतः नए खेल के मैदान उपलब्ध/विकसित किए जाएंगे।
- ख. ग्रुप हाउसिंग क्षेत्रों, स्कूलों, क्लबों आदि के भीतर खेल सुविधाओं और स्विमिंग पूल (अधिकतम 100 वर्ग मीटर) के विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्राउंड कवरेज और एफएआर की गणना नहीं की जाएगी।
- ग. इन सभी विभिन्न खेल सुविधाओं में लेआउट योजना, भू-दृश्यांकन योजना और पार्किंग योजना आदि होंगे।
- घ. खेल का मैदान और खेल सुविधाएं, जहां संभव हो, पैदल और साइकिल ट्रैक के नेटवर्क द्वारा सुलभ होनी चाहिए।

- ड. पर्याप्त पार्किंग के साथ समुचित लेआउट योजना और भू-दृश्यांकन योजना के अनुसार खेल सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
- च. मौजूदा खेल अवसंरचनाओं को उन्नत किया जाएगा और कुशलता से पुनः नियोजित किया जाएगा ताकि बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें।
- छ. उन पार्कों में जिनका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है और 225 वर्गमीटर का अनुमत निर्मित क्षेत्र हो, मल्टी-जिम अनुमेय होगा।

22.12 परिवहन

क. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.39 - परिवहन

क्र.सं.	उपयोग परिसर	विकास नियंत्रण [^]					
		भूखंड क्षेत्र (न्यूनतम)	संचालन के तहत क्षेत्र (%) (अधिकतम)	भवन के अंतर्गत क्षेत्र (%) (अधिकतम)	एफएआर*	यात्री / कर्मचारी आवास के लिए एफएआर (%) (अधिकतम)	मार्गाधिकार** (मी.)
1.	एयरपोर्ट	एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) के मानदंडों के अनुसार					
2.	रेल टर्मिनल / इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल	-लागू नहीं-	70	30	100	15	- लागू नहीं -
3.	आईएसबीटी	10 हेक्टेयर	60	40	100	30	45
4.	बस डिपो	0.4 हेक्टेयर	50	50	100	25	24
5.	सार्वजनिक बसों के लिए बहु-स्तरीय पार्किंग	2 हेक्टेयर	100	50	100	25	24
6.	बस टर्मिनल	0.1 हेक्टेयर (सामुदायिक स्तर)	50	50	100	25	18
		0.2 हेक्टेयर (उप-शहर स्तर)	50	50	100	25	18
7.	मेट्रो स्टेशनों के लिए संपत्ति विकास	3 हेक्टेयर तक	आवश्यकता के अनुसार	25	100	- लागू नहीं-	- लागू नहीं-
8.	मेट्रो /	- लागू नहीं-	80%	20%	100	15%	- लागू नहीं -

	आरआरटीएस यार्ड						
9.	बहु-स्तरीय पार्किंग	0.1 हेक्टेयर	-लागू नहीं-	66.6%	100	- लागू नहीं-	18
10.	फ्यूल स्टेशन	30 मीटर X 36 मीटर (न्यूनतम) 33 मीटर X 45 मीटर (अधिकतम)	80	20	40	- लागू नहीं -	30

^ नीचे उल्लिखित 'अन्य नियंत्रणों' के साथ पढ़ा जाए।

* एफएआर की गणना और उपयोग केवल भवन भूखंड पर किया जाना चाहिए। बस शेल्टर के तहत क्षेत्र को एफएआर में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

** सभी मौजूदा उपयोग परिसर कार्य करना जारी रखेंगे।

अन्य नियंत्रण:

i. एयरपोर्ट:

क. अनुमत गतिविधियां: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित हवाईअड्डे/विमानन यात्रियों से संबंधित सभी सुविधाएं।

ii. रेल टर्मिनल / इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल / मेट्रोपॉलिटन पैसेंजर टर्मिनल:

क. अनुमत गतिविधियां: रेलवे संचालनों, यात्रियों, गुड्स हैंडलिंग, वॉच एंड वार्ड, होटल, रैनबसेरो से संबंधित सभी सुविधाएं।

ख. केवल टीओडी मानदंडों के अनुसार निर्धारित किए गए रेल टर्मिनल/इंटीग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल/मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को विकसित किया जाएगा, जो कि आसपास के सड़क नेटवर्क से संबंधित यातायात और परिवहन अध्ययन की शर्तों के अधीन होगा।

iii. आईएसबीटी:

क. अनुमत गतिविधियाँ: बस संचालन और यात्रियों, बस टर्मिनल, पार्किंग, वॉच और वार्ड, सॉफ्ट ड्रिंक और स्नैक स्टाल, कार्यालय, होटल, नाइट शेल्टर, वाणिज्यिक, सामाजिक बुनियादी ढांचे, आवासीय, सेवा अपार्टमेंट, छात्रावास से संबंधित सभी सुविधाएं।

ख. एफएआर अधिकतम 10 हेक्टेयर क्षेत्र पर अथवा साइट के क्षेत्र, जो भी कम हो, पर उपलब्ध होगा। परिचालन संरचनाओं सहित आईएसबीटी का अधिकतम एफएआर 70 है, और होटल/यात्री आवास तथा सुविधाओं का अधिकतम एफएआर 30 है।

ग. पार्किंग: आईएसबीटी / बसों के लिए पार्किंग की आवश्यकता के अलावा, होटल / यात्री आवास और सुविधाओं के लिए पार्किंग, 2 ईसीएस प्रति 100 वर्गमीटर के फर्श क्षेत्र की दर से होगा।

घ. विकास को एक समग्र तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा।

ड. केवल आईएसबीटी को यदि टीओडी नोड के रूप में निर्धारित किया गया है तो इसे टीओडी मानदंडों के अनुसार विकसित किया जाए, जो कि आसपास के सड़क नेटवर्क से संबंधित यातायात और परिवहन अध्ययन की शर्तों के अधीन होगा।

iv. बस डिपो:

क. अनुमत गतिविधियाँ: बस संचालन और यात्रियों, बस टर्मिनल, पार्किंग, वॉच और वार्ड, सॉफ्ट ड्रिंक और स्नैक स्टाल, कार्यालय, होटल, वाणिज्यिक, सामाजिक बुनियादी ढांचे, आवासीय, सेवा अपार्टमेंट, छात्रावास से संबंधित सभी सुविधाएं।

ख. उप-शहरी स्तर पर बस डिपो के क्षेत्र आवश्यकता अनुसार होंगे।

ग. जहां तक संभव हो, बस डिपो को बस टर्मिनलों के रूप में कार्य करना चाहिए।

घ. बस डिपो साइट को, यदि टीओडी नोड के रूप में निर्धारित किया गया है तो उसे टीओडी मानदंडों के अनुसार विकसित किया जाए, जो कि आसपास के सड़क नेटवर्क से संबंधित यातायात और परिवहन अध्ययन की शर्तों के अधीन होगा।

v. सार्वजनिक बसों के लिए बहु-स्तरीय पार्किंग:

क. मनोरंजन हेतु खुले स्थान और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर, सभी उपयोग जोनों में बहुस्तरीय बस पार्किंग की अनुमति होगी।

ख. साइट पर न्यूनतम 1 बस प्रति 70 वर्गमीटर की दर से कम से कम वांछित संख्या के बसों के लिए आवश्यक पार्किंग की जगह होनी चाहिए।

ग. भूखंड क्षेत्र के 50% से अधिक क्षेत्र के लिए 100 का एफएआर अनुमेय है। इसमें पोटियम-आधारित भवन के मानदंड लागू होंगे।

घ. परिचालन संरचनाएं और संचलन क्षेत्र भूखंड क्षेत्र के 100% को शामिल (कवर) कर सकते हैं, और इसे एफएआर के अंदर गिना नहीं जाएगा।

ड. अधिकतम ऊँचाई स्थानीय बाध्यताओं जैसे उड़ान पथ, विरासत जोन के अनुसार होगी।

च. संरचनात्मक सुरक्षा की शर्तों के अधीन, बेसमेंट के स्तरों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

छ. एकीकृत योजनाओं के मामले में, ऊँचाई सहित विकास नियंत्रण अनुमोदित योजना के अनुसार अथवा स्थानीय प्रतिबंध, यदि कोई हो, के अनुसार होगा।

vi. बस टर्मिनल:

क. अनुमत गतिविधियाँ: बस संचालन और यात्रियों, सॉफ्ट ड्रिंक और स्नैक स्टाल से संबंधित सभी सुविधाएं।

vii. मेट्रो स्टेशनों के लिए संपत्ति विकास:

क. मनोरंजन और क्षेत्रीय पार्क/रिज उपयोग जोन, लुटियंस बंगला जोन और विरासत जोन को छोड़कर, मेट्रो स्टेशनों के साथ-साथ 3.0 हेक्टेयर के अधिकतम क्षेत्र तक के संपत्ति विकास (समग्र विकास) के लिए सभी उपयोग जोनों में अनुमति दी जाएगी, जो कि दिविप्रा की तकनीकी समिति से प्राप्त अनुमोदन की शर्त के अधीन होगा।

ख. संपत्ति विकास के इस प्रावधान को सक्षम कर के निम्नलिखित व्यापक विकास नियंत्रण होंगे:

1. 25% ग्राउंड कवरेज और 100 एफएआर, जिसमें बिना किसी उंचाई प्रतिबंधों के मेट्रो स्टेशन के तहत शामिल क्षेत्र, जो कि एसआई, विमानपत्तन प्राधिकरण, डीयूएसी आदि जैसे सांविधिक निकायों से अनुमोदन की शर्तों के अधीन होंगे।
 2. मेट्रो स्टेशनों के लिए पार्किंग की जरूरतों के अतिरिक्त कमर्शियल अवयवों की पार्किंग प्रति 100 वर्गमीटर के 2 ईसीएस की दर पर होगी।
 3. विकास को एक समग्र तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा और डीएमआरसी सभी संबंधित स्थानीय निकायों/एजेंसियों से अनुमोदन प्राप्त करेगा।
- ग. मेट्रो साइट, जिन्हें टीओडी नोड के रूप में निर्धारित किया गया है तो उसे टीओडी मानदंडों के अनुसार विकसित किया जाए जो कि आसपास के सड़क नेटवर्क से संबंधित यातायात और परिवहन अध्ययन की शर्तों के अधीन होगा।
- घ. निम्नलिखित संरचनाओं को परिचालन संरचनाओं के रूप में माना जाएगा:
1. सभी मेट्रो स्टेशन और ग्रेड सपोर्टिंग ट्रैक, एलिवेटेड और अंडरग्राउंड जिसमें प्रवेश संरचनाएं सहायक भवनों से हाउस डीजी सेट, चिलिंग प्लांट और इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, सप्लाइ एग्जॉस्ट और टनल वेंटिलेशन शाफ्ट आदि शामिल हैं।
 2. डिपो और रखरखाव कार्यशालाएं।
 3. कर्षण (ट्रेक्शन) उप-स्टेशन।
 4. परिचालन नियंत्रण केन्द्र।
 5. पुलिस स्टेशन।
 6. परिचालन और रखरखाव कर्मचारियों के लिए भर्ती और प्रशिक्षण केंद्र।
 7. केवल परिचालन कर्मचारियों और मेट्रो सुरक्षा पर्सनल के लिए आवास।
 8. मेट्रो परियोजना के निर्माण के लिए पुनर्वास कार्य को प्रारंभ करना।
 9. सार्वजनिक सुविधाओं को पूरा करने के लिए मेट्रो स्टेशनों में दुकानें।
 10. मेट्रो स्टेशनों के फुटप्रिंट पर प्लैटफॉर्म के ऊपर संरचनाएं।

viii. मेट्रो / आरआरटीएस यार्ड:

क. अनुमत गतिविधियां: कोचों की खाली पार्किंग, धुलाई और सफाई की सुविधा, रखरखाव से संबंधित सुविधाएं, चौकसी एवं निगरानी (वाँच एंड वार्ड), तथा कर्मचारियों से संबंधित सुविधाएं।

ix. बहु-स्तरीय पार्किंग:

1. स्थानीय निकायों द्वारा बहु-स्तरीय कार पार्किंग (एमएलसीपी) के लिए पहले से ही भू-खंडों को चिह्नित/निर्धारित कर लिया गया है, मौजूदा विकास नियंत्रण मानक निम्नानुसार लागू रहेंगे:

क. भू-खंड का न्यूनतम आकार-1000 वर्ग मी.

ख. अधिकतम अनुमेय एफएआर (पार्किंग क्षेत्र को छोड़कर)

भू-खंड का आकार	एफएआर
3000 वर्ग मीटर तक	100
3000 -10,000 वर्ग मी. से अधिक	3000 वर्ग मी. तक 100 एफएआर+शेष बची भूमि पर अतिरिक्त 60 एफएआर

10,000 वर्ग मी.	3000 वर्ग मी. तक 100 एफ ए आर+10,000 वर्ग मीटर तक अतिरिक्त 60 एफएआर+शेष बची भूमि पर अतिरिक्त 50 एफएआर
-----------------	--

ग. अधिकतम ग्राउंड कवरेज-66.6%

घ. सक्षम एजेंसी से व्यवहार्यता रिपोर्ट और यातायात पुलिस और अन्य संविधिक निकायों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की शर्त पर 12 मी. और इससे अधिक के मार्गाधिकार की सड़कों पर एमएलसीपी भू-खंड होंगे।

ड. लाभकारी उपयोग अर्थात् स्थानीय शॉपिंग सेंटर में अनुमेय गतिविधियों, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक उपयोग और बैंकवेट हॉल और मल्टीप्लेक्स को छोड़कर आवासयी उपयोग।

x. ईंधन स्टेशन:

क. 'रीजनल पार्क/रिज', विकसित डिस्ट्रिक्ट पार्क और जोन 'ओ' को छोड़कर, सभी उपयोग जोनों में सीएनजी स्टेशनों को अनुमति दी जा सकती है। जोन 'ओ' तथा मनोरंजन उपयोग जोन को छोड़कर सभी उपयोग जोनों में पेट्रोल पंपों की अनुमति होगी।

ख. ईंधन स्टेशनों को मास्टर प्लान/जोनल योजना सड़कों में अनुमति दी गई है और क्षेत्र का अनुमोदित जोनल प्लान की न होने की स्थिति में इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

ग. ईंधन स्टेशन एवं सर्विस स्टेशनों को अवस्थित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाई गई नीति/ लिए गए निर्णयों/ समय समय पर जारी सरकार अधिसूचनाओं द्वारा विकास नियंत्रण और अनुमेयता से संबंधित विनियमों को शासित किया जाएगा।

घ. ईंधन स्टेशन निम्नलिखित नियंत्रणों द्वारा विनियमित होंगे:

1. ईंधन स्टेशन न्यूनतम 24 मीटर मार्गाधिकार की सड़कों पर स्थित होंगे।
2. ईंधन स्टेशनों के लिए भूखंड का आकार न्यूनतम 30 मीटर X 36 मीटर और अधिकतम 33 मीटर X 45 मीटर होगा (आवश्यकता अनुसार सीएनजी मुख्य स्टेशन के लिए 75 मीटर X 40 मी)।
3. सड़क चौराहों की मार्गाधिकार लाइन से भूखंड की न्यूनतम दूरी इस प्रकार होगी:
 - 30 मी से कम मार्गाधिकार वाली छोटी सड़कों के लिए - 50 मी.
 - 30 मी अथवा अधिक चौड़ाई वाली सड़कों के लिए - 100 मी.
 - भूखंडों का फ्रंट 30 मी से कम नहीं होने चाहिए।

ड. अधिकतम ऊँचाई: 6 मी.

च. कैनोपी/छत: सेटबैक के भीतर ग्राउंड कवरेज के बराबर।

छ. गैर-ज्वलनशील, गैर-खतरनाक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अधिकतम 10 एफएआर अनुमेय है, जो कि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए परिवर्तन शुल्क/प्रभारों के भुगतान की शर्त के अधीन होगा।

ज. मौजूदा पेट्रोल पंपों के मामले में व्यावसायिक गतिविधि हेतु अधिकतम 10 एफएआर का प्रावधान केवल उन ईंधन स्टेशनों/पेट्रोल पंपों के लिए अनुमेय होगा, जो उपरोक्त घ) i, ii और iii में दिए नियंत्रणों के अनुरूप हों तथा समुचित शुल्क/करों/दुरुपयोग अर्थदंड तथा अन्य प्रभारों के भुगतान की शर्त पर होगा।

झ. सभी प्रकार के सीएनजी वाहनों से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सीएनजी स्टेशनों की वितरण क्षमता में पर्याप्त तौर पर वृद्धि की जानी चाहिए।

ञ. विभिन्न उपयोग जोनों अर्थात् आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, पीएसपी सुविधाओं और अन्य क्षेत्रों की लेआउट योजनाओं की तैयारी के समय, ईंधन स्टेशन के स्थान निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार प्रदान किए जाने चाहिए:

तालिका 22.40 ईंधन स्टेशन मानदंड

क्र.सं.	भूमि उपयोग/उपयोग परिसर	मानदंड
1.	आवासीय उपयोग जोन	कुल आवासीय क्षेत्र के 150 हेक्टेयर पर दो फ्यूल स्टेशन (एक पेट्रोल पंप + एक सीएनजी स्टेशन)
2.	औद्योगिक उपयोग जोन	कुल औद्योगिक क्षेत्र के 40 हेक्टेयर पर दो फ्यूल स्टेशन (एक पेट्रोल पंप + एक सीएनजी स्टेशन)
3.	फ्रेट कॉम्प्लेक्स	प्रत्येक में चार ईंधन स्टेशन (दो पेट्रोल पंप + दो सीएनजी स्टेशन)
4.	डिस्ट्रिक्ट सेंटर	प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट सेंटर में चार फ्यूल स्टेशन (दो पेट्रोल पंप + दो सीएनजी स्टेशन)
5.	कम्युनिटी सेंटर	प्रत्येक में दो फ्यूल स्टेशन (एक पेट्रोल पंप + और एक सीएनजी स्टेशन)
6.	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक उपयोग जोन	प्रत्येक पीएसपी क्षेत्र में दो ईंधन स्टेशन (एक पेट्रोल पंप + एक सीएनजी स्टेशन)।
7.	सुरक्षा बल कैम्पस / पुलिस / अस्पताल / तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र / सरकार	निजी उपयोग हेतु/आवश्यकतानुसार।

ट. इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों को, जहां भी व्यवहार्य हो, ईंधन स्टेशनों के भीतर एक एकीकृत स्थापना के रूप में अनुमति दी जाएगी।

22.12.1 पार्किंग मानक

- प्रत्येक उपयोग परिसर में पार्किंग मानकों को निर्धारित किया गया है। हालाँकि, जहाँ भी इसे निर्धारित नहीं किया गया है, वहाँ इसका निम्नानुसार अनुपालन किया जाएगा:

तालिका 22.41 कॉमन पार्किंगमानक

क्र.सं.	उपयोग परिसर	निर्मित क्षेत्र का प्रति 100 वर्गमीटर अनुमेय समतुल्य कार स्थान (ईसीएस)*
1.	आवासीय	22.45 टेबल देखे
2.	व्यावसायिक	22.45 टेबल देखे
3.	औद्योगिक	22.45 टेबल देखे
4.	सरकारी	22.45 टेबल देखे
5.	सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं	22.45 टेबल देखे

नोट:

- क. अतिरिक्त पार्किंग केवल भुगतान पर तथा साझा पार्किंग सुविधाओं के रूप में निर्मित किए जा सकते हैं, जो हर समय जनता के लिए सुलभ हों।
- ख. कई उपयोगों वाले परिसर के साथ एकीकृत योजनाओं के मामले में, पार्किंग मानदंडों को प्रत्येक उपयोग के अनुपात में युक्तिसंगत बनाया जा सकता है, जब तक कि इसे अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो (उदाहरण के लिए टीओडी योजनाओं में)। यह दिविप्रा की तकनीकी समिति के अनुमोदन की शर्त के अधीन होगा।
- ii. पार्किंग स्थानों के प्रावधान के लिए, स्थान मानक निम्न तालिका में दिए गए अनुसार होंगे।

तालिका 22.42 कार पार्किंग के लिए स्पेस मानक

क्र.सं.	पार्किंग का प्रकार	क्षेत्र प्रति ई.सी.एस (वर्ग मीटर)
1.	खुली पार्किंग	23
2.	कवर्ड ग्राउंड फ्लोर	28
3.	बेसमेंट	32
4.	रैंप के साथ मल्टी-लेवल	30
5.	लिफ्टों के साथ स्वचालित बहुस्तरीय पार्किंग	16

- iii. उपयोग परिसरों में पार्किंग उपरोक्त मानकों के अनुसार भूखंड के भीतर प्रदान की जाएगी।
- iv. ऐसे मामलों में, जहां स्वीकृत योजना के साथ भवन (होटल को छोड़कर) मौजूद / निर्माणाधीन है, और जहाँ भवन की योजनाएँ एमपीडी-2021 के अनुसार स्वीकृत हैं, उपयोग किए गए अतिरिक्त एफएआर के लिए पार्किंग उपलब्ध कराई जानी चाहिए, और यह एमपीडी-2041 में निर्दिष्ट पार्किंग मानकों के अनुसार होगा।
- v. अनुमोदित जोनल योजना/लेआउट योजना के अनुसार, पार्किंग, क्षेत्रीय पार्क/रिज, मनोरंजनात्मक खुले स्थान और पार्को को छोड़कर सभी उपयोग जोनो में अनुमेय गतिविधियों में से एक है।
- vi. समतुल्य कार स्पेस (ईसीएस) में दिए गए मानकों में सभी प्रकार के वाहनों अर्थात कार, स्कूटर, साइकिल, हल्के और भारी व्यावसायिक वाहन, बस आदि के लिए पार्किंग शामिल होगी। स्टैंडिया, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए पार्किंग पर्याप्तता विवरण/अध्ययन किया जाना उचित होगा। अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली ड्राइंगों पर मोड-वार पार्किंग स्थान चिह्नित किए जाने चाहिए।

तालिका 22.43 परियोजनाओं के लिए सांकेतिक ऑन-साइट पार्किंग (ईसीएस) आवश्यकताएँ*

साधन	साधन द्वारा ईसीएस मानक	परिसंचरण सहित क्षेत्र (वर्ग मीटर)	साधन द्वारा वितरण - प्रति 1 ईसीएस	साधन द्वारा वितरण - प्रति 1 ईसीएस (टीओडी स्कीम)
कार / टैक्सी	1.00	23.00	0.60	0.60
2 व्हीलर्स	0.25	5.75	0.25	0.10
साइकिल	0.10	2.30	0.05	0.10
बसें / साइकल वैन	3.50	80.50	0.05	0.10
कमर्शियल वाहन	3.50	80.50	0.05	0.10
कुल			1.00 ईसीएस	1.00 ईसीएस

*उपरोक्त आंकड़े सांकेतिक मात्र हैं और ये भिन्न-भिन्न मामले के आधार पर अनुकूलित किए जा सकते हैं। हालांकि, साइकिल पार्किंग का न्यूनतम अनुपात अनिवार्य है।

- vii. सार्वजनिक परिहन अभिगम्यता स्तर (पीटीएएल) मान के अध्ययन के परिणामों के आधार पर, पार्किंग मानदंडों को निम्नलिखित कटौतियों द्वारा कम किया जाएगा।

तालिका 22.44 पार्किंग मानदंडों में पीटीएएल कटौती

पीटीएएल स्तर	एक्सेस इंडेक्स रेंज	पार्किंग मानदंडों में कटौती %			
		आवासीय	कमर्शियल	औद्योगिक	पीएसपी *
0	0 - 2	0	0	0	0
1	2 - 3	0	0	0	0
2	3 - 5.5	10	5	5	10
3	5.5 - 7	20	10	10	20
4	7 - 8.5	20	20	20	20
5	8.5 - 12	20	20	20	30
6	12 - 20	20	30	30	30
7	20 - 30	30	30	30	30
8	30 और उससे ऊपर	30	30	30	30

- viii. **एमएलसीपी कटौती:** यदि कोई मल्टी-लेवल कार पार्किंग (एमएलसीपी) किसी संपत्ति के 500 मीटर के दायरे में स्थित है, तो उस संपत्ति के भीतर पार्किंग की आवश्यकता को 10% तक कम किया जाएगा। एमएलसीपी कटौती आवासीय उपयोग/परिसर पर लागू नहीं होगी।
- ix. **सभी उपयोग परिसरों हेतु ईसीएस मानदंड निम्न तालिका के अनुसार होंगे।** इन पार्किंग मानदंड प्रावधानों पर पीटीएएल तथा एमएलसीपी कटौतियां लागू होंगी।

तालिका 22.45 न्यूनतम पार्किंग मानदंड

उपयोग जोन	पार्किंग प्रावधान*	कटौती	
		पीटीएएल	एमएलसीपी
आवासीय परिसर			
ग्रुप हाउसिंग	<ul style="list-style-type: none"> ईडब्ल्यूएस / सेवा कार्मिक आवास डीयू का आकार: 40 वर्ग मीटर से कम - पार्किंग 0.5 ईसीएस प्रति डीयू* डीयू का आकार: 40 वर्ग मीटर से 100 वर्ग मीटर - पार्किंग 1.0 ईसीएस प्रति 	पी	एनपी

	<p>डीयू*</p> <ul style="list-style-type: none"> • डीयू का आकार: 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर - पार्किंग 2.0 ईसीएस प्रति डीयू* • डीयू का आकार: 200 वर्ग मीटर से अधिक - पार्किंग 2.0 ईसीएस प्रति डीयू* और अतिरिक्त 1.0 ईसीएस प्रति 100 वर्ग मीटर अथवा उसका भाग <p>* डीयू का आकार: प्लिंथ क्षेत्रफल</p> <p><u>सरकारी आवासीय परियोजनाओं के मामले में पार्किंग मानदंड जीपीआरए कालोनियों के मामले में लागू मानदंडों के अनुसार होंगे।</u></p>		
स्टूडियो अपार्टमेंट	<ul style="list-style-type: none"> • निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 एम2 • बेसमेंट का यदि निर्माण 	पी	एनपी

	<p>किया जाता है, और केवल पार्किंग के लिए उपयोग किया गया है, तो उपयोगिता और सेवाओं को एफएआर में शामिल नहीं किया जाएगा।</p>		
प्लॉटेड हाउसिंग	<ul style="list-style-type: none"> • 250 से 300 वर्गमीटर आकार के भूखंडों में 2 समतुल्य कार स्थान (ईसीएस) 	एनपी	एनपी
	<ul style="list-style-type: none"> • 300 वर्गमीटर से अधिक के भूखंडों में 1 ईसीएस प्रत्येक 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र के लिए, 	एनपी	एनपी

	<p>बशर्ते कि यदि किसी भूखंड में उपर्युक्त उल्लिखित त पार्किंग मानदंडों के साथ अनुमेय कवरेज और एफएआर प्राप्त नहीं किया गया है, तो पूर्ववर्ती श्रेणी के पार्किंग मानदंडों को अनुमति दी जाएगी।</p>		
<p>होस्टल/धर्मशाला या इसके समकक्ष/गेस्ट हाउस/ लोजिंग एंड बोर्डिंग हाउस/सराय</p>	<ul style="list-style-type: none"> • निर्मित क्षेत्र का 0.5 ईसीएस / 100 एम²। • ये मानक मिश्रित उपयोग विनियमों के अंतर्गत, अतिथि-गृह 	<p>पी</p>	<p>एनपी</p>

	के लिए लागू नहीं होंगे।		
निम्न घनत्व आवासीय भूखंड (एलडीआरपी)	<ul style="list-style-type: none"> • 0.4 से 2 हेक्टेयर के भूखंडों हेतु न्यूनतम 50% भूखंड क्षेत्र को सॉफ्ट पार्किंग और भू-दृश्यांकन के लिए छोड़ा जाएगा। • 2 हेक्टेयर से अधिक के भूखंडों हेतु जो न्यूनतम 18 मी. चौड़ाई वाली सड़कों पर अवस्थित हैं, न्यूनतम 50% भूखंड क्षेत्र को सॉफ्ट पार्किंग के लिए छोड़ा जाएगा, अधिकतम 25% भूखंड क्षेत्र को भू-दृश्यांकन के लिए और अधिकतम 25% भूखंड क्षेत्र को समारोहों / भवन उद्देश्यों के लिए छोड़ा 	एनपी	एनपी

	जाएगा।		
राज्य भवन / राज्य अतिथि गृह	निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 एम2	एनपी	एनपी
किफायती सार्वजनिक किराया आवास (एपीआरएच) / किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी)	निर्मित क्षेत्र का 0.5 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	एनपी
स्लम पुनर्वास योजना	<ul style="list-style-type: none"> निर्मित क्षेत्र के प्रति 100 वर्गमीटर में 0.5 ईसीएस पर आवासीय घटक को, जहां कहीं आवश्यक हो, शिथिल किया जा सकता है। पारिश्रमिक उद्देश्यों के लिए पार्किंग प्रासंगिक भूमि उपयोग के लिए यथा मान्य अनुसार लागू होगी। 	पी	एनपी
रैन बसेरा	<ul style="list-style-type: none"> कोई अनिवार्य पार्किंग प्रदान नहीं की जाएगी 	एनपी	एनपी
विदेशी मिशन	--	एनपी	एनपी
अर्थव्यवस्था - उद्योग, व्यापार और वाणिज्य			
सुविधा शॉपिंग सेंटर / स्थानीय शॉपिंग सेंटर / स्थानीय स्तर के वाणिज्यिक क्षेत्र	निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
सर्विस मार्केट	निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस /	पी	पी

	100 वर्ग मीटर		
कम्युनिटी सेंटर / गैर-श्रेणीबद्ध वाणिज्यिक केंद्र	निर्मित क्षेत्र का 3.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
डिस्ट्रिक्ट सेंटर / उप-केंद्रीय व्यापार जिला / उप-शहर स्तर के वाणिज्यिक क्षेत्र	निर्मित क्षेत्र का 3.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
कमर्शियल प्लॉट: रिटेल एंड कॉमर्स मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर अर्थात् कनाॅट प्लेस और उसका एक्सटेंशन, फायर ब्रिगेड लेन और जनपथ लेन	निर्मित क्षेत्र का 3.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
कोई अन्य कमर्शियल केन्द्र, जिसमें शामिल हैं- i. रेलवे / एमआरटीएस स्टेशनों / आईएसबीटी के साथ / भीतर कमर्शियल घटक ii. आसफ़ अली रोड (दिल्ली गेट - अजमेरी गेट योजना में कमर्शियल स्ट्रीप के रूप में दिखाया गया क्षेत्र))	निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
एकीकृत माल परिसर / थोक बाजार	निर्मित क्षेत्र का 3.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
गोदाम प्लॉट	300 वर्गमीटर तक के भूखंडों के मामले में उपलब्ध कराई जाने वाली कॉमन पार्किंग 300 वर्ग मीटर से ऊपर के भूखंडों के लिए फर्श क्षेत्र का 3 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
होटल	• निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	एनपी

	<ul style="list-style-type: none">• ऐसे होटलों के संबंध में जहां भवन-निर्माण योजनाएं 27.1.2006 से पहले मंजूर की गई हैं, वहाँ 100 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र के लिए 3 ईसीएस का पार्किंग मानक केवल अतिरिक्त एफएआर हेतु लागू होगा, जो एमपीडी-2021 में संशोधन के परिणामस्वरूप प्राप्त किया जाएगा। ऐसे होटलों के संबंध में जहां 27.1.2006 को या उसके बाद भवन-निर्माण योजनाएं मंजूर की गई हैं, वहाँ 100 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र के लिए 3 ईसीएस का पार्किंग		
--	---	--	--

	मानक पूरे भूखंड पर लागू होगा।		
सर्विस अपार्टमेंट	निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	एनपी
मोटल	<ul style="list-style-type: none"> निर्मित क्षेत्र का 3.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर सभी अतिथि पार्किंग की पूर्ति मॉटेल परिसर के भीतर ही की जानी चाहिए। 	पी	पी
विनिर्माण, सेवा और मरम्मत उद्योग	निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
जिला न्यायालय	निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
एकीकृत कार्यालय परिसर, सरकारी कार्यालय (केंद्र/ राज्य सरकार/ स्थानीय निकाय)	निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
सामाजिक अवसंरचना			
प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर- प्रशिक्षण संस्थान, फिजिकल एजुकेशन सेंटर आदि।	निर्मित क्षेत्र का 1.33 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
नर्सरी स्कूल	निर्मित क्षेत्र का 1.33 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	एनपी	एनपी
प्राथमिक स्कूल	निर्मित क्षेत्र का 1.33 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	एनपी	एनपी
सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एकीकृत स्कूल	निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	एनपी	एनपी
मानसिक रूप से विकलांगों के लिए स्कूल, दिव्यांग	निर्मित क्षेत्र का	एनपी	एनपी

व्यक्तियों के लिए स्कूल	1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर (नई)		
अनुसंधान और विकास केंद्र	निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
संस्थान, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला	निर्मित क्षेत्र का 1.33 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, आईटीआई / पॉलिटेक्निक / कौशल केंद्र, प्रबंधन संस्थान, कोचिंग सेंटर, प्रशिक्षण संस्थान आदि	निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
सामान्य कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेज आदि	निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
विश्वविद्यालय परिसर	निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
औषधालय, क्लीनिक, नैदानिक सुविधा, प्रसूति गृह, नर्सिंग होम, अस्पताल, तृतीयक स्वास्थ्य केंद्र आदि	निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	एनपी
पैरामेडिकल संस्थान	निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज	निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
पालतू जानवरों और पक्षियों के लिए औषधालय पालतू जानवरों और पक्षियों के लिए पशु चिकित्सा अस्पताल	निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	एनपी	एनपी
पशु चिकित्सा संस्थान	प्रशासनिक निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	एनपी	एनपी
बहु-सुविधा प्लॉट	निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	एनपी
वृद्धाश्रम / प्रौढ़ शिक्षा केंद्र / अनाथालय / चिल्ड्रन'स सेंटर	निर्मित क्षेत्र का 1.8 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
दिव्यांग व्यक्तियों / मानसिक रूप से विकलांगों के लिए आवासीय देखभाल केंद्र	निर्मित क्षेत्र का 1.8 ईसीएस /	एनपी	एनपी

	100 वर्ग मीटर		
विशाल धार्मिक केंद्र	निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
बैंकवेट हॉल	निर्मित क्षेत्र का 6.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	एनपी	एनपी
फिटनेस सेंटर	निर्मित क्षेत्र का 3.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	एनपी	एनपी
बहुउद्देशीय सामुदायिक हॉल, सामाजिक-सांस्कृतिक संस्थान, सांस्कृतिक और सूचना केंद्र	निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
मनोरंजन क्लब, कन्वेंशन सुविधाओं, संग्रहालय, सार्वजनिक / अन्य पुस्तकालय	निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	एनपी	पी
सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र, विज्ञान केंद्र, तारामंडल, प्रदर्शनी-सह-मेला ग्राउंड, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, आदि	<ul style="list-style-type: none"> सांविधिक मंजूरी के अधीन निर्मित क्षेत्र का 2.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर 	पी	पी
पुलिस चौकी	निर्मित क्षेत्र का 1.33 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	एनपी	एनपी
पुलिस पोस्ट / स्टेशन, फायर पोस्ट / स्टेशन, पुलिस लाइन, जिला पुलिस कार्यालय, जिला आपदा प्रबंधन, जिला जेल, पुलिस / अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान / कॉलेज, पुलिस शिविर, सुरक्षा शिविर, आपदा प्रबंधन केंद्र, सुरक्षा स्थापनाएं	निर्मित क्षेत्र का 2 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर		पी
प्रमुख डाकघर, दूरसंचार सुविधाओं, डिजिटल बुनियादी सुविधाएँ	निर्मित क्षेत्र का 1.33 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
मीडिया / रेडियो सेवाएं, उपग्रह और दूरसंचार केंद्र, वेधशाला और मौसम कार्यालय, मीडिया और समाचार एजेंसी, डिजिटल अवसंरचना सुविधाएँ	निर्मित क्षेत्र का 1.33 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
ग्रीन और मनोरंजन क्षेत्र			
3.5 हेक्टेयर से ऊपर पार्क के लिए- सिटी पार्क, डिस्ट्रिक्ट पार्क और सामुदायिक पार्क	आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थानों पर 25 से 40 ईसीएस के समूह में पार्किंग प्रदान की जा सकती	एनपी	एनपी

	है।		
शहर बहुउद्देशीय मैदान, जिला बहुउद्देशीय मैदान और सामुदायिक बहुउद्देशीय मैदान	कुल क्षेत्र का न्यूनतम 50% सॉफ्ट पार्किंग के अधीन होगा।		
मनोरंजन पार्क / थीम आधारित	100 कारों के लिए न्यूनतम पार्किंग प्रदान करने हेतु अनुबंध के साथ निर्मित क्षेत्र का 3 ईसीएस / 100 वर्गमीटर।	एनपी	एनपी
जैव विविधता पार्क	आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थानों पर 20 से 25 ईसीएस के लॉट में पार्किंग प्रदान की जा सकती है।	एनपी	एनपी
खेल सुविधाएँ	निर्मित क्षेत्र का 2 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
अन्य उपयोग परिसर			
ट्रांजिट स्टेशनों में संपत्ति विकास	वाणिज्यिक घटक के निर्मित क्षेत्र का 1.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
अस्थायी सिनेमा	निर्मित क्षेत्र का 3.0 ईसीएस / 100 वर्ग मीटर	पी	पी
आईएसबीटी के भीतर होटल / यात्री आवास	निर्मित क्षेत्र का 2 ईसीएस प्रति 100 वर्गमीटर	पी	पी

नोट-

* सभी उपयोग परिसरों में, उपरोक्त मानकों और लागू कटौती के आधार पर पार्किंग भूखंड के भीतर प्रदान की जाएगी।

22.13 उपयोगिताएँ

22.13.1 जल आपूर्ति और स्वच्छता

तालिका 22.46 जल आपूर्ति और स्वच्छता

क्र.सं.	उपयोगिताएँ	सं.	प्रति यूनिट क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	10,000 तक स्थानीय स्तर की जनसंख्या		आवश्यकता के अनुसार
	सीवेज पंपिंग स्टेशन		
	बूस्टर स्टेशन और ओएचटी के साथ भूमिगत पानी की टंकी		
2	5,00,000 तक उप-शहर स्तर की जनसंख्या		आवश्यकता के अनुसार
	स्थानीय स्तर पर अपशिष्ट जल उपचार की सुविधा		
3	शहरी स्तर जनसंख्या 20,00,000		आवश्यकता के अनुसार
	सीवेज पंपिंग स्टेशन		

	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (180 एमएलडी)	
--	--------------------------------------	--

तालिका 22.47 जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए क्षेत्र की आवश्यकता

क्र.सं.	उपयोगिता	क्षमता	भूमि की आवश्यकता (वर्गमीटर)
1	सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)	एसटीपी (एसपीएस और ईपीएस के साथ) - 5 एमजीडी (22.7 एमएलडी) तक की क्षमता	650 वर्ग मी. / एमएलडी
2		एसटीपी (एसपीएस और ईपीएस के साथ) - 5 एमजीडी (22.7 एमएलडी) से अधिक क्षमता	1,100 वर्ग मी. / एमएलडी
3		सीवेज पम्पिंग स्टेशन (एसपीएस)	50 वर्ग मी.
4		एफ्लुएंट पंपिंग स्टेशन (ईपीएस)	50 वर्ग मी.
5	जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूटीपी)	डब्ल्यूटीपी - 80 एमजीडी (363 एमएलडी)	300 वर्ग मी./एमएलडी
6		डब्ल्यूटीपी - 40 एमजीडी (182 एमएलडी)	400 वर्ग मी./एमएलडी
7	बूस्टर पंपिंग स्टेशनों के साथ	5 एमएल क्षमता	700 एसक्यू/एमएल
8	भूमिगत जलाशय	50 एमएल क्षमता	600 एसक्यू/एमएल

22.13.2 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

तालिका 22.48 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्षेत्र की आवश्यकता

क्र.सं.	उपयोगिताएँ (क्षमता)	सं.	प्रति यूनिट क्षेत्र (वर्गमीटर)
1	उपयोगिता वाहनों के अपशिष्ट और पार्किंग के अलगाव के लिए क्षेत्र (पहले: ढलाव)	1	200
2	उप-शहरी स्तर की जनसंख्या 5,00,000	1	6,000 - 8,000
3	शहरी स्तर की जनसंख्या 20,00,000	1@ > 20,00,000	10,000 - 20,000
टिप्पणी: एमआरएफ (सामग्री पुनःप्राप्ति सुविधा) एसबीएम दिशानिर्देशों के अनुसार			

22.13.3 बिजली

तालिका 22.49 बिजली के लिए क्षेत्र की आवश्यकता

क्र.सं.	स्तर	उपयोगिता	सं.	प्रति यूनिट क्षेत्र (वर्गमीटर)
1	10,000 तक स्थानीय स्तर की	इलेक्ट्रिक सब स्टेशन 11	1	40

	जनसंख्या	के.वी.		
2	सामुदायिक स्तर की जनसंख्या 1,00,000	इलेक्ट्रिक सब स्टेशन 66 के.वी.	2	2,500-4,000
3	उप-शहरी स्तर की जनसंख्या 5,00,000	इलेक्ट्रिक सब स्टेशन 220 के.वी.	1	7,000-10,000
4	शहरी स्तर की जनसंख्या 20,00,000	इलेक्ट्रिक सब स्टेशन 400 के.वी.	1	40,000

22.13.4 हाई टेंशन (एचटी) लाइन बफर

तालिका 22.50 हाई टेंशन (एचटी) लाइन से बफर

क्र.सं.	उपयोगिता	वोल्टेज	न्यूनतम ऊंचाई (ग्राउंड क्लीयरेंस)	मार्गाधिकार आवश्यकता
1	एचटी लाइन बफर	765 के.वी.	12.1 मी.	67 मी.
2		400 के.वी.	8.8 मी.	52 मी.
3		220 के.वी.	7 मी.	35 मी.

22.14 सरकारी

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका 22.51 उपयोग परिसर एवं परिभाषा - सरकारी

क्र.सं.	उपयोग परिसर / श्रेणी	परिभाषा
1	राष्ट्रपति भवन और संसद भवन	राष्ट्रपति भवन और संसद भवन
2	सरकारी कार्यालय	केंद्रीय / राज्य / स्थानीय सरकारी विभागों / एजेंसियों के कार्यालय के लिए उपयोग किए जाने वाले परिसर।
3	एकीकृत कार्यालय परिसर	केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारी विभागों / एजेंसियों और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालयों के लिए परिसर / कार्यालय परिसर। इन परिसरों में एकल / एकाधिक विभागों / एजेंसियों के कार्यालय शामिल हो सकते हैं।
4	जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, आदि।	न्यायपालिका के कार्यालयों और वकीलों के चैंबर जैसी संबंधित गतिविधियों के लिए परिसर / न्यायालय परिसर का उपयोग किया जाता है।
5	सरकारी भूमि (अनिर्धारित उपयोग)	सरकारी भूमि के मापदंड (कम उपयोग किया जाए) अनुमोदित लेआउट/योजना के अनुसार होंगे, जिसके लिए विकास नियंत्रण संबंधित उपयोग परिसरों के अनुसार होंगे।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका 22.52 उपयोग परिसर एवं अनुमेय गतिविधियां

क्र.सं.	उपयोग जोन	जी2 (सरकार)	
	उपयोग परिसर अनुमेय गतिविधियां	1	2
		जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, आदि।	सरकारी कार्यालय / सार्वजनिक उपक्रम, एकीकृत कार्यालय परिसर
1	न्यायालय	✓	
2	सरकारी कार्यालय		✓
3	अधिकतम आवासीय एफएआर 5%	✓	✓
4	डाक घर	✓	✓
5	कैंटीन / कैफेटेरिया	✓	✓
6	पुलिस पोस्ट	✓	✓
7	फायर पोस्ट	✓	
8	रेस्टोरेंट	✓	✓
9	खुदरा दुकान	✓	✓
10	पुस्तकालय	✓	✓
11	औषधालय	✓	✓
12	प्रशासनिक कार्यालय	✓	
13	बैंक और ए.टी.एम.	✓	✓
14	वकीलों के चैंबर	✓	
15	कार्यालय	✓	✓
16	डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा	✓	✓
17	जिम / योग / ध्यान केंद्र (नॉन- कमर्शियल)	✓	✓
18	क्रेच / चाइल्ड केयर सेंटर	✓	✓

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.53 सरकारी कार्यालय

क्र.सं.	उपयोग परिसर	प्लॉट क्षेत्र	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
1	जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, आदि।	1 हेक्टेयर	50%	300	18	एएआई, डीएफएस और अन्य सांविधिक निकायों से अनापत्ति की शर्त पर कोई ऊँचाई प्रतिबंध नहीं।
2	सरकारी कार्यालय					
3	एकीकृत कार्यालय परिसर					

नोट

- केवल सभी नए आवंटनों के लिए। पहले से ही आवंटित भूमि इस प्रावधान के तहत शामिल नहीं है।
- जोनल विकास योजनाओं में दिए गए अन्य प्रावधानों के साथ, जोन ओ में और जोन सी और जोन डी के बंगला क्षेत्र में अवस्थित उपयोग परिसरों हेतु अधिकतम एफएआर 200 होगा।

अन्य नियंत्रण

- आवासीय उपयोग - आवासीय गतिविधियों के लिए अधिकतम कुल 5% अनुमेय एफएआर का उपयोग किया जा सकता है।
- पुनर्विकास के मामले में को आर्थिक रूप से संभव बनाने के लिए कमर्शियल उपयोग हेतु कुल अनुमेय एफएआर का 10% का उपयोग। यह भूमि-स्वामित्व एजेंसी और संबंधित स्थानीय निकाय के अनुमोदन की शर्त के अधीन होगा।
- वाणिज्यिक कार्यालयों को कुल फर्श क्षेत्र का 10% तक सीमित किया जाना है।
- सरकारी भूमि के मानदंड (कम उपयोग किया जाए) अनुमोदित लेआउट/योजना के अनुसार होंगे, जिसके लिए विकास नियंत्रण संबंधित उपयोग परिसरों के अनुसार होंगे।

22.15 सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक - सामाजिक अवसंरचना

22.15.1 स्वास्थ्य सुविधाएँ

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका 22.54 उपयोग परिसर एवं परिभाषा - स्वास्थ्य सुविधाएं

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1.	बिना बैड के स्वास्थ्य सुविधाएं	ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सा सलाह, दवाइयों की व्यवस्था, और/अथवा किसी बिमारी के लक्षणों की पुष्टि हेतु विभिन्न टैस्ट किए जा सके। ऐसी सुविधाओं के लिए निरीक्षण बैड प्रदान किए जा सकते हैं। (जैसे औषधालय/क्लीनिक/क्लीनिकल लैबोरेट्री आदि)
2.	बिना बैड के स्वास्थ्य सुविधाएं (पशु चिकित्सालय)	ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सा सलाह हेतु सुविधाएं हों और दवाइयों की व्यवस्था हो (जैसे पशुओं और पक्षियों के लिए औषधालय, पालतु पशुओं के लिए क्लीनिक आदि)
3.	बैड सहित स्वास्थ्य सुविधाएं (लघु)	ऐसा परिसर जिसमें 50 बिस्तरों तक इन्डोर और आउटडोर रोगियों के लिए उपचार/देखभाल हेतु चिकित्सा सुविधाएं हों। ऐसे परिसर में विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों, बुजुर्गों आदि के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं हों और किसी रोग/बिमारी की पुष्टि के लिए किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति के पैथालॉजिकल/रेडियोलॉजिकल मूल्यांकन हेतु सुविधाएं हों। (जैसे नर्सिंग होम/प्रसुति गृह/पॉलिक्लीनिक/पीएचसी/परिवार कल्याण केंद्र/बाल चिकित्सा केंद्र/गीरेट्रीक केंद्र/ट्रांजिसन-हॉम/रिसपाइट केयर सेंटर, स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाएं, नैदानिक केंद्र, नशा मुक्ति/पुर्नवास सुविधाएं आदि)
4.	अस्पताल	ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों के उपचार हेतु सामान्य अथवा विशेष/उन्नत प्रकृति की चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएगी। ऐसे परिसरों में स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित आर एण्ड डी सुविधाएं भी शामिल होंगी। (जैसे- अस्पताल तृतीयक स्वास्थ्य रक्षा केंद्र)
5.	नशामुक्ति/पुर्नवास केंद्र	ऐसा परिसर जिसमें किसी पदार्थ (जैसे ड्रग, एल्कोहल इत्यादि) का उपयोग करने के कारण उत्पन्न विकार का उपचार प्रदान करने की सुविधा हो तथा एक्यूट डीटोक्सिफिकेशन सेंटर से दीर्घकालिक उपचार केंद्रों की श्रृंखला तक रीहैबिलेशन सुविधा हो। (जैसे स्टैडअलोन डी-एडिक्शन सेंटर/रीहैबिलेशन सेंटर)
6.	पशु चिकित्सा अस्पताल	पशुओं और पक्षियों के आंतरिक और बाह्य उपचार के लिए चिकित्सा सुविधाओं वाला कोई परिसर। (जैसे- पशु चिकित्सा अस्पताल)
7.	पशु चिकित्सा संस्थान	पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में डिग्री, डिप्लोमा, लाइसेंस प्रदान करने हेतु चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने वाला कोई परिसर।
8.	चिकित्सा महाविद्यालय	सुविधाओं वाला कोई परिसर, जिसमें कोई व्यक्ति अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के द्वारा ऐसे किसी भी स्नातकोत्तर पाठक्रम सहित अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के पाठक्रम को पूरा कर सकता है, जो उसे किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता प्राप्त करने के लिए अर्हता प्रदान करेगा।

नोट: स्वास्थ्य सुविधाओं को सार्वजनिक/निजी/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका 22.55 उपयोग परिसर एवं अनुमेय गतिविधियाँ - स्वास्थ्य सुविधाएँ

क्रम सं.	उपयोग जोन	आर डी	पी एस 1						
	उपयोग परिसर	बिना बैड के स्वास्थ्य सुविधाएं	बिना बैड के स्वास्थ्य सुविधाएं (पशु चिकित्सा)	बैड सहित स्वास्थ्य सुविधाएं (लघु)	अस्पताल	नशामुक्ति/पुर्नवास केंद्र	पशु चिकित्सालय	चिकित्सा महाविद्यालय	पशु चिकित्सा संस्थान
	अनुमत गतिविधियां	1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रशासनिक कार्यालय	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	रोगियों के आन्तरिक उपचार के लिए सुविधाएं			✓	✓	✓	.	✓	.
3	रोगियों के वाह्य उपचार के लिए सुविधाएं	✓		✓	✓	✓	.	✓	.
4	पशुओं और पक्षियों के आन्तरिक उपचार के लिए सुविधाएं		✓	.	✓
5	पशुओं और पक्षियों के वाह्य उपचार के लिए सुविधाएं		✓	.	.	.	✓	.	✓
6	नशामुक्ति/पुर्नवास/ परामर्श केंद्र			✓	✓	✓		✓	
7	आर एवं डी सुविधाएं				✓		✓	✓	✓
8	लैबोरेट्रिक	✓		✓	✓		✓	✓	✓
9	नैदानिक सुविधाएं			✓ *	✓	✓	✓	✓	✓
10	कॉलेज / संस्थान				✓			✓	✓
11	पुस्तकाल/वाचनालय				✓			✓	✓
12	वॉच एंड वाई रेजिडेंस (20 वर्ग मी. तक)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	खुदरा दुकान (कैमिस्ट शॉप केवल 20 वर्ग मी. तक)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	खुदरा दुकान (कैमिस्ट के अलावा)				✓			✓	
15	कैंटीन/ कैफेटेरियां	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	एटीएम	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
17	वेडिंग बूथ/क्योस्क	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
18	स्टाफ के लिए आवास				✓	✓	✓	✓	✓
19	रोगियों की देखभाल करने के लिए आवास				✓	✓	✓	✓	
20	हॉस्टल				✓			✓	✓
21	इन्डोर गेम हॉल							✓	✓
22	बैंक एक्सटेंशन काउंटर				✓		✓	✓	✓
23	उपासना कक्ष			✓	✓		✓	✓	✓

क्रम सं.	उपयोग जोन	आर डी	पी एस 1						
	उपयोग परिसर	बिना बैड के स्वास्थ्य सुविधाएं	बिना बैड के स्वास्थ्य सुविधाएं (पशु चिकित्सा)	बैड सहित स्वास्थ्य सुविधाएं (लघु)	अस्पताल	नशामुक्ति/पुनर्वास केंद्र	पशु चिकित्सालय	चिकित्सा महाविद्यालय	पशु चिकित्सा संस्थान
	अनुमत गतिविधियां	1	2	3	4	5	6	7	8
24	क्रेच/डे-केयर सुविधाएं				✓		✓	✓	✓
25	यातायात पुलिस नियंत्रण कक्ष / पुलिस चौकी				✓			✓	
26	अग्निशमन चौकी							✓	✓
27	पोस्ट आफिस काउंटर							✓	✓
28	ऑडिटरियम							✓	✓

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.56 स्वास्थ्य सुविधाएँ

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र (वर्ग मी.) / यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
स्थानीय स्तर							
जनसंख्या 10000 तक							
1	बिना बैड के स्वास्थ्य सुविधाएं	1	800	30%	150	12	
सामुदायिक स्तर							
जनसंख्या 100000 तक							
1	बिना बैड के स्वास्थ्य सुविधाएं (पशु चिकित्सालय)	1	300	35%	100	18	
2	स्वास्थ्य सुविधाएं (लघु)	6	1000*	30%	150	18	
3	अस्पताल	3	2000-15000	40% और 5% (एमएलसी पी) बी आर टी	24 मीटर से कम मार्गाधिकार के लिए 250 24 मीटर से अधिक मार्गाधिकार के लिए 300, 30 मीटर से		

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र (वर्ग मी.)/ यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
					अधिक मार्गाधिकार के लिए 375		
उप-शहरी स्तर जनसंख्या 500000 तक							
1	अस्पताल*	3	1.5 हेक्ट. से अधिक	40% एवं 5% (एमएलसीपी)	18 मीटर से 24 मीटर मार्गाधिकार के लिए 250, 24 मीटर से ऊपर मार्गाधिकार के लिए 300 मीटर 30 मीटर से ऊपर मार्गाधिकार के लिए 375 मीटर	18	
2	नशा मुक्ति केंद्र/पुर्नवास केंद्र	1	2000	35%	150	18	
3	पशु चिकित्सा अस्पताल	1	2000	30%	150	18	
शहरी स्तर जनसंख्या 20,00,000 तक							
1	मेडिकल कॉलेज	आवश्यकता अनुसार	एमसीआई मानदंडों के अनुसार	35%	सकल एफएआर: 160 कॉलेज और	24	

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्र (वर्ग मी.)/यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊँचाई (मी.)
2	पशु चिकित्सा संस्थान		भारतीय पशु चिकित्सा परिषद / मंत्रालय के मानदंड		अस्पताल = न्यूनतम 75% आवास = न्यूनतम 20% अन्य = 5% तक		

नोट:

* विकसित क्षेत्रों में प्लॉट का आकार भूमि की उपलब्धता के आधार पर भिन्न हो सकता है।

**आवासीय क्षेत्र में अस्पताल के प्लॉट का आकार 1.5 हेक्टेयर तक सीमित होगा, जिसमें प्लॉट के तीन तरफ से खुले होने और एक तरफ कम से कम 18 मीटर का मार्गाधिकार होने को प्राथमिकता दी जाएगी। अस्पताल का कुल फ्लोर एरिया इसमें स्वीकृत बिस्तर की कुल संख्या के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

उपरोक्त उपयोग परिसर के लिए अन्य नियंत्रण:

- एएआई, डीएफएस, डीएमए, एनएमए और अन्य वैधानिक निकायों से मंजूरी के अध्यक्षीन ऊँचाई पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- प्रसूति गृह, नर्सिंग होम/पॉलीक्लिनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, परिवार कल्याण केंद्र, बाल चिकित्सा केंद्र/जराचिकित्सा केंद्र, डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए न्यूनतम सकल क्षेत्र प्रति बिस्तर **60 वर्ग मीटर होना चाहिए** तथा अस्पतालों, अत्याधुनिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, नशामुक्ति/पुनर्वास केंद्र, अनुसंधान और विकास सुविधाओं, पालतू पशुओं और अन्य पशुओं के लिए पशु चिकित्सा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, पशु चिकित्सा संस्थान जैसे उपयोग परिसरों के लिए न्यूनतम सकल फ्लोर एरिया **80 वर्ग मीटर प्रति बिस्तर** होगा।
- अस्पतालों, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, पशु चिकित्सा अस्पतालों, नशामुक्ति/पुनर्वास केंद्रों तथा अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) सुविधाओं के लिए, एट्रियम प्रदान करने हेतु अधिकतम 10% ग्राउंड कवरेज की अनुमति होगी। यदि एट्रियम के अनुमेय के अतिरिक्त तल कवरेज उपयोग किया जाता है तो उपयोग किए गए 25% ग्राउंड कवरेज को एफएआर के लिए गिना जाएगा।
- अस्पतालों, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, पशु चिकित्सा अस्पतालों, नशामुक्ति/पुनर्वास केंद्रों तथा अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) सुविधाओं के लिए मल्टीलेवल पोडियम पार्किंग की सुविधा संरचनागत सुरक्षा के अध्यक्षीन, भवन की निर्माण-परिधि तक अनुमत होगी, एफएआर और ग्राउंड कवरेज से मुक्त होगी ताकि खुले स्थान में पर्याप्त पार्किंग की सुविधा उपलब्ध हो सके।
- अस्पतालों, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, पशु चिकित्सा अस्पतालों, नशामुक्ति/पुनर्वास केंद्रों तथा अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) सुविधाओं के लिए, उपलब्ध एफएआर का अधिकतम 10% मुफ्त होगा, यदि इसका उपयोग प्रतीक्षा और स्वागत कक्ष के लिए किया जाए। तथापि,

- अस्पताल की पार्किंग के प्रावधान के लिए मानदंडों के अनुसार इस क्षेत्र को हिसाब में लिया जाएगा।
- vi. अस्पतालों, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, पशु चिकित्सा अस्पतालों, नशामुक्ति/पुनर्वास केंद्रों तथा अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) सुविधाओं के लिए, 1.8 मीटर की ऊंचाई वाली सर्विस फ्लोर को एफएआर में नहीं गिना जाएगा।
 - vii. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रचलित विनियमों के अनुसार पर्यावरणीय अनापत्ति अनिवार्य है।
 - viii. सीवरेज के लिए शून्य डिस्चार्ज की शर्त प्रमोटर्स पर लागू की जाएगी तथा इसका खर्च वे ही उठाएंगे और शोधन के बाद पानी का इस्तेमाल परिसर में बागवानी, फ्लशिंग, कूलेंट टॉवर, धुलाई या अन्य निर्माण स्थलों की जरूरतों के लिए किया जा सकता है। ये मुद्दे स्थानीय निकायों से संबंधित हैं और योजना को मंजूरी देते समय मौजूदा विनियमों के अनुसार इन पर कार्रवाई की जा सकती है।
 - ix. एट्रियम के लिए छत के रोशनदान की शर्त में छूट दी गई है और एट्रियम पर निर्माण की अनुमति दी जा सकती है।
 - x. मौजूदा परिसरों / स्थलों के मामले में, वर्धित एफएआर की अनुमति दी जाएगी जो प्राधिकरण / भूमि स्वामित्व एजेंसी द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान और अन्य स्वीकृतियों के अध्यक्षीन होगा।
 - xi. पार्किंग के लिए उपयोग के बाद बेसमेंट; सेवा आवश्यकताएँ जैसे कि एयरकंडीशनिंग प्लांट और उपकरण, पानी का भंडारण, बॉयलर, इलेक्ट्रिक सबस्टेशन, एचटी एंड एलटी पैनेल रूम, ट्रांसफार्मर कम्पार्टमेंट, कंट्रोल रूम, पंप हाउस, जनरेटर रूम; स्टाफ लॉकर रूम, स्टाफ चेंजिंग रूम, किचन की सुविधा के बिना स्टाफ डाइनिंग सुविधाएं, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाय विभाग, बैंक एंड ऑफिस; अन्य यांत्रिक सेवाएँ; विद्युत और अग्निशमन उपकरणों की संस्थापना; और अन्य सेवाएं जैसे कि रसोई, लांड्री और रेडियोलॉजी लैब तथा भवन के रखरखाव/कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक अन्य आवश्यक सेवाएं, संबंधित एजेंसियों की पूर्व स्वीकृति के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उपयोग में लाई जा सकती हैं।
 - xii. **अनुषंगी उपयोग हेतु शर्तें:**
 - क. अस्पताल (1.5 हेक्टेयर के मामले में)
 - i. आवासीय घटक/उपयोग जैसे कि जरूरी स्टाफ और रोगियों के परिचारकों के आवास के लिए अधिकतम 25 % एफ ए आर की अनुमति होगी।
 - ii. आवासीय घटक से अलग सहायक सुविधाओं के लिए 300 वर्ग मीटर तक की अनुमति होगी।
 - ख. अस्पताल (1.5 हेक्टेयर से ऊपर) और पुनर्वास सुविधा के मामले में:
 - i. आवासीय घटक/उपयोग जैसे कि जरूरी स्टाफ और रोगियों के परिचारकों के आवास के लिए अधिकतम 25% एफएआर
 - ii. आवासीय घटक से अलग सहायक सुविधाओं के लिए 500 वर्ग मीटर तक के निर्मित क्षेत्र के **11% एफएआर** की अनुमति होगी।
 - ग. पशु अस्पताल के मामले में:

- i. आवासीय घटक/उपयोग जैसे कि जरूरी स्टाफ और परिचारकों के आवास हेतु अधिकतम 10% एफ ए आर की अनुमति होगी।
- ii. आवासीय घटक से अलग सहायक सुविधाओं के लिए 300 वर्ग मीटर तक निर्मित क्षेत्र के अधिकतम 1% एफएआर की अनुमति होगी।
- घ. मेडिकल कॉलेज और पशु चिकित्सा संस्थान के मामले में: अनुमत सहायक गतिविधियों के लिए अधिकतम 30% एफएआर की अनुमति होगी।
- i. आवासीय घटक/उपयोग जैसे कि जरूरी स्टाफ और रोगियों के परिचारकों के आवास, विद्यार्थियों के छात्रावास के लिए अधिकतम 20% एफएआर की अनुमति होगी।
- ii. आवासीय से अलगक अन्य सहायक/अनुषंगी सुविधाओं के लिए अधिकतम 5% एफएआर की अनुमति होगी।

22.15.2 शिक्षण सुविधाएं

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका 22.57 शिक्षण सुविधाओं के लिए उपयोग परिसर और परिभाषा

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1	शिक्षण केंद्र/क्रेच	सहायक/समांतर शिक्षा सुविधाओं को प्रदान करने के लिए उपयोग किया गया परिसर
2	स्कूल (टाइप-I)	ऐसा परिसर जहां कक्षा पाँच तक के छात्रों के लिए शैक्षिक और खेल सुविधाएं हों। V/VIII (जैसे- प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल)
3	स्कूल (टाइप-II)	ऐसा परिसर जहां कक्षा बारह तक के छात्रों के लिए शैक्षिक और खेल सुविधाएं हों। (जैसे सीनियर सेंकेण्डरी स्कूल, सेंकेण्डरी स्कूल, इंटीग्रेटेड स्कूल)
4	स्पेशल स्कूल	ऐसा परिसर जहां मानसिक रूप से विकलांग और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए शैक्षिक (औपचारिक और व्यावसायिक) और खेलने की सुविधाएं हों। (जैसे- मानसिक रूप से विकसित बच्चों के लिए स्कूल, दिव्यांगजनों के लिए स्कूल)
5	अनुसंधान और विकास केंद्र	किसी विशेष क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास हेतु सुविधाएं प्रदान करने वाला एक परिसर (जैसे- अनुसंधान और विकास केंद्र)
6	संस्थान	व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा (रोजगार के लिए तकनीकी/व्यवसायिक/प्रबंधन/प्रारंभिक) (जैसे- व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान/आईटीआई/पॉलिटेक्निक/व्यावसायिक/प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान,

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
		वाणिज्यिक/सचिवीय प्रशिक्षण केंद्र, होटल प्रबंधन, नर्सिंग और पैरामैडिक संस्थान आदि)
7	कॉलेज	ऐसा परिसर जहां विश्वविद्यालय के अंदर अंडरग्रेज्युएट और पोस्ट ग्रेज्युएट कोर्स के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक और खेलने की सुविधाएं हैं। (जैसे- जनरल कॉलेज प्रोफेशनल कॉलेज)
8	विश्वविद्यालय	ऐसा परिसर जहां स्थित शिक्षण संस्थान उन्नत शिक्षण की कई शाखाओं में छात्रों के शिक्षण, परीक्षा, या दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया हो, विभिन्न संकायों में डिग्री प्रदान करता है, और अक्सर कॉलेजों और समान संस्थानों का मूर्त रूप होता है।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका 22.58 उपयोग परिसर एवं अनुमत गतिविधियां - शिक्षण सुविधाएं

	उपयोग जोन	आर डी			पी एस 1				
	अनुमत उपयोग	शिक्षण केंद्र/क्रेच	स्कूल टाइप - I	स्कूल टाइप - II	स्पेशल स्कूल	अनुसंधान एवं विकास कें	संस्थान	कॉलेज	विश्वविद्यालय
	अनुमत गतिविधियां	1	2	3	4	5	6	7	8
1	क्रेच एवं डे-केयर सेंटर	✓							
2	नर्सरी स्कूल		✓	✓					
3	कियोस्क		✓	✓	✓				
4	कैंटीन/कैफीटीरियां			✓	✓		✓	✓	✓
5	20 वर्ग मीटर तक देखभाल और निगरानी आवास		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	20 वर्ग मी. तक खुदरा दुकाने		✓	✓	✓		✓	✓	✓
7	बैंकएक्सटेंशन काउंटर			✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	एटीएम			✓		✓	✓	✓	✓
9	ऑडिटोरियम			✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	इंडोर गेम्स हॉल			✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	स्वीमिंग पूल			✓		?	?	✓	✓
12	पोस्ट आफिस काउंटर सुविधा			✓	✓			✓	✓
13	छात्रावास सुविधा			✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	जरूरी स्टाफ और छात्रों का आवास उपयोग			✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	पुनर्वास केंद्र				✓				
16	वर्कशॉप				✓				
17	कॉलेज							✓	✓
18	खेल का मैदान							✓	✓
19	पुस्तकालय					✓	✓	✓	✓

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.59 : शिक्षा सुविधाएं

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफए आर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
स्थानीय स्तर जनसंख्या 10000 तक							
1	शिक्षण केंद्र/क्रेच	1	500	35%	120	12	
2	स्कूल (टाइप-I)	1	2000-4000	30%	120	18	18
3	स्कूल (टाइप-II)	1	4000-8000	35%	150	18	18
अन्य नियंत्रण: क. नए स्कूलों के मामले में, आगंतुकों की पार्किंग हेतु स्थान देने के लिए सामने की चारदीवारी (फ्रंट बाउंड्री वॉल) को सेटबैक क्षेत्र के अंदर 6 मी. पीछे करके निर्मित किया जाएगा। ख. भूखंड के आकार में 10% तक के अंतर की अनुमति है। विशेष क्षेत्र, नियमित कर दी गई अनधिकृत कॉलोनियों, शहरी गांवों और पुनर्वास कालोनियों पर विभेदक मानदंड लागू होंगे। ग. खेल का मैदान स्थानीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में पूल(समूहबद्ध) के आधार पर विकसित किया जाएगा। नोट: आवासीय उपयोग में प्री-प्राइमरी स्कूल / नर्सरी स्कूल / मॉटेसरी स्कूल / क्रेच, प्ले स्कूल अनुमेष्य हैं							

	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफए आर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
उप-शहरी स्तर जनसंख्या 5,00,000 तक							
1	विशेष स्कूल	4	2000	50%	120	18	18
2	अनुसंधान और विकास केंद्र	1	4000	35%	225	24	37
3	संस्थान	1	4000	35%	225	24	37
4	कॉलेज*	2	यूजीसी/एआ ईसीटीईके मानदंडों के अनुसार	35%	225	24	37
अन्य नियंत्रण:							

	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफए आर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)									
उप-शहरी स्तर जनसंख्या 5,00,000 तक																
<p>क. प्लॉट के आकार में 10% तक का अंतर अनुमेय है।</p> <p>ख. स्पेशल स्कूल के मामले में, जरूरी स्टाफ और छात्रों के रहने के आवास उपयोग हेतु अधिकतम 20% अनुमेय एफएआर की अनुमति होगी।</p> <p>ग. अनुसंधान एवं विकास केंद्रों, संस्ानों और कॉलेजों के मामले में छात्रों और स्टाफ के लिए छात्रावास निवास हेतु अधिकतम 30% अनुमेय एफएआर उपयोग किया जा सकता है।</p> <p>घ. ओल्ड कॉलेज (4 हेक्टेयर क्षेत्रफल से ऊपर) के मामले में, प्लॉटों को निम्नानुसार विभाजित किया जाएगा:</p> <table border="1"> <tr> <td>क कॉलेज बिल्डिंग क्षेत्र</td> <td>1.8 हेक्टेयर</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>ख खेल का मैदान</td> <td>1.8 हेक्टेयर</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>ग आवासीय सहित छात्रावास क्षेत्र</td> <td>0.4 हेक्टेयर</td> <td>10%</td> </tr> </table> <p>अकादमिक कॉलेज बिल्डिंग और आवासीय के लिए विकास नियंत्रण मानदंड उस विश्वविद्यालय के समान ही होंगे।</p>								क कॉलेज बिल्डिंग क्षेत्र	1.8 हेक्टेयर	45%	ख खेल का मैदान	1.8 हेक्टेयर	45%	ग आवासीय सहित छात्रावास क्षेत्र	0.4 हेक्टेयर	10%
क कॉलेज बिल्डिंग क्षेत्र	1.8 हेक्टेयर	45%														
ख खेल का मैदान	1.8 हेक्टेयर	45%														
ग आवासीय सहित छात्रावास क्षेत्र	0.4 हेक्टेयर	10%														

	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफए आर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
शहरी स्तर जनसंख्या 20,00,000 तक							
1	अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र (आईईसी) सहित विश्वविद्यालय परिसर - बड़े परिसर (10 हेक्टेयर और उससे ऊपर) को निम्नलिखित चार भागों में विभाजित किया जाएगा:	आवश्यकताओं के अनुसार	यूजीसी / एआईसी टीई मानदंडों के अनुसार			24	37
	क) प्रशासन सहित अकादमिक (कुल भूमि क्षेत्र का 45%)			30%	225		37
	ख) आवासीय (कुल भूमि क्षेत्र का 25%)			1. सामूहिक आवास के लिए विनियम लागू होंगे। 2. भूमि को आवासीय मानदंडों के अनुसार निर्धारित सुविधाओं के लिए			

	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफए आर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
				आरक्षित रखा जाएगा।			
	ग) खेल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ (15%)			10%	15		26
	घ) पार्क और लैंडस्केप (15%)			लागू नहीं			

22.15.3 डाक और दूरसंचार सुविधाएं

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका 22.60 उपयोग परिसर एवं परिभाषा - डाक और दूरसंचार सुविधाएं

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1	पी एवं टी सुविधा (टाइप-I)	डाक, कोरियर सेवा, डिजिटल अवसंरचना और दूर संचार सुविधा (जैसे-डाकघर काउंटर, कोरियर सेवा कार्यालय, डिजिटल इंफ्रा सुविधा आदि) के लिए सुविधा/काउंटर सहित परिसर
2	पी एवं टी सुविधा (टाइप-II)	ऐसा परिसर जहां इससे जुड़े कई डाकघरों में/से डाक और दूरसंचार सेवा के लिए आवाजाही की सुविधा हो। (जैसे- प्रधान डाक घर, मुख्य डाक घर, उप-शहर स्तरीय डिजिटल इंफ्रा सुविधा आदि)
3	पी एवं टी सुविधा (टाइप-III)	ऐसा परिसर जहां संबंधित माध्यम से समाचार और अन्य कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग, प्रसारण और संचार, सैटेलाइट और दूरसंचार प्रौद्योगिकी का अनुसंधान एवं विकास मौसम और पूर्वानुमान संबंधी डाटा का अनुसंधान एवं विकास की सुविधाएं, हों।
4	ट्रांसमिशन टॉवर और वायरलेस स्टेशन	ऐसा परिसर जो संचार उद्देश्यों के लिए टॉवर की संस्थापना के लिए इस्तेमाल किया जाए।

* पी एवं टी सुविधा (टाइप-III) के भाग के रूप में ट्रांसमिशन साइट/सेंटर पर विचार किया जाएगा। तथापि, ऐसे स्थलों का विकास आवश्यकता के

अनुसार होगा।

ख. अनुमेय गतिविधियाँ

तालिका 22.61 उपयोग परिसर एवं अनुमत गतिविधियाँ - डाक और दूरसंचार सुविधाएं

क्रम सं.	उपयोग जोन	पी एस 1	
	उपयोग परिसर	पी एवं टी सुविधा (टाइप-II)	पी एवं टी सुविधा (टाइप-III)
	अमुमत गतिविधि	1	2
1.	खुदरा दुकान	✓	✓
2.	कैंटीन /कैफेटेरिया/ वेडिंग बूथ/कियोस्क	✓	✓
3.	ऑडिटोरियम		✓
4.	स्टाफ के लिए निवास/आवास	✓	✓
5.	देखभाल और निगरानी आवास (20 वर्ग मी. तक)	✓	✓
6.	लाइब्रेरी/रिडिंग रूम	✓	✓
7.	फिटनेस सेंटर (गैर-व्यावसायिक उपयोग)		✓
8.	विद्यार्थी/प्रशिक्षणार्थियों के लिए हॉस्टल आवास		✓
9.	प्रेस क्लब		✓
10.	डायनिंग एरिया		✓
11.	मीडिया (प्रिंट, टेलीविजन और इंटरनेट) हेतु सुविधाएं।		✓
12.	अनुसंधान प्रयोगशाला		✓
13	डाटा सेंटर	✓	✓

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.62 डाक और दूर-संचार सुविधाएं

	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम प्लॉट क्षेत्रफल	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफए आर	न्यूनतम मार्गाधि कार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
स्थानीय स्तर							
जनसंख्या 10000 तक							
1	पी एवं टी सुविधा (टाइप-I)		मनोरंजनात्मक उपयोग क्षेत्र को छोड़कर, अपेक्षानुसार सभी उपयोग क्षेत्रों में/मिश्रित उपयोग के तहत यह अनुमत है कि ले-आउट प्लान में कोई विशिष्ट स्थल आरक्षित नहीं रखा जाएगा।				लागू नहीं
शहरी स्तर							
जनसंख्या 2000000 तक							

2	पी एवं टी सुविधा (टाइप-II)	2	2500 वर्ग मी.	30%	120	18	26
3	पी एवं टी सुविधा (टाइप-III)	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	35%	150	18	26
<p>नोट: प्लॉट के आकार में 10% तक का अंतर होने की अनुमति है। अन्य नियंत्रण: i) पी एवं टी सुविधा (टाइप II) के लिए, आवासीय घटक और अन्य सहायक सुविधाओं के लिए 15% तक एफ ए आर अनुमत है। ii) पी एवं टी सुविधा (टाइप III) के लिए, छात्रों के लिए हॉस्टल आवास और अनिवार्य स्टाफ के आवासीय उपयोग के लिए 30% तक एफ ए आर अनुमत है।</p>							

22.15.4 सुरक्षा-पुलिस सुविधाएं

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका 22.63 उपयोग परिसर एवं परिभाषा - सुरक्षा-पुलिस सुविधाएं

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1	ट्रैफिक कंट्रोल रूम	ऐसा परिसर जहां यातायात और संबंधित मुद्दों के प्रबंधन की सुविधाओं वाली अस्थायी संरचनाएं हैं।
2	पुलिस चौकी	ऐसा परिसर जहां कानून और व्यवस्था का प्रबंधन करने हेतु लोगों और उपकरणों के लिए अस्थायी संरचनाएं हैं।
3	पुलिस पोस्ट	ऐसा परिसर जहां पुलिस स्टेशन की तुलना में अस्थायी स्वरूप की या अपेक्षाकृत छोटे पैमाने की स्थानीय पुलिस चौकी के लिए सुविधा है।
4	पुलिस स्टेशन	ऐसा परिसर जहां स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों के लिए सुविधाएं हैं।
5	जिला पुलिस कार्यालय और बटालियन	ऐसा परिसर जहां कार्यालयों और अर्धसैनिक बलों के लिए सुविधाएं हैं।
6	पुलिस लाइन	ऐसा परिसर जहां अर्धसैनिक बलों के कार्य के लिए और आवास हेतु सुविधाएं हैं।
7	जेल	ऐसा परिसर जहां कानून के तहत अपराधियों को कैद करने, कारावास और सुधार के लिए सुविधाएं हैं।
8	पुलिस प्रशिक्षण संस्थान / कॉलेज	ऐसा परिसर जहां अर्धसैनिक बलों के प्रशिक्षण के

		लिए सुविधाएं हैं।
9	पुलिस फायरिंग रेंज	ऐसा परिसर जहां अर्धसैनिक बलों हेतु फायरिंग अभ्यास के लिए सुविधाएं हैं।
10	सिविल डिफेंस और होमगार्ड आदि।	ऐसा परिसर जहां आंतरिक रक्षा हेतु सिविल संगठन के कार्यालयों और अन्य कार्यों के लिए सुविधाएं हैं।
11	फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला	ऐसा परिसर जहां चिकित्सा ज्ञान के अनुप्रयोग के लिए सुविधा है।
12	राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान	ऐसा परिसर जहां राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी अथवा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथा परिभाषित/अधिसूचित प्रतिष्ठान स्थित हैं।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका 22.64 उपयोग परिसर एवं अनुमत गतिविधियां - सुरक्षा-पुलिस सुविधाएं

#क्र.सं.	उपयोग जोन	आरडी		पीएस1			
		1	2	3	4	5	6
	उपयोग परिसर	ट्रैफिक कंट्रोल रूम	पुलिस चौकी	पुलिस पोस्ट	पुलिस स्टेशन	जिला पुलिस कार्यालय और बटालियन	पुलिस लाइन
	अनुमत गतिविधियां						
1.	कर्मचारियों के लिए आवास				✓	✓	✓
2.	कैंटीन		✓	✓	✓	✓	✓
3.	बैंक एक्सटेंशन काउंटर				✓	✓	✓
4.	छात्रावास					✓	
5.	खेल का मैदान					✓	
6.	इनडोर गेम्स की सुविधा					✓	✓
7.	एनसीआर (गैर-संज्ञेय रिपोर्ट) की रिकॉर्डिंग और आपातकालीन उपकरणों के भंडारण के लिए		✓				

#क्र.सं.	उपयोग जोन	आरडी		पीएस1			
	उपयोग परिसर	1	2	3	4	5	6
		अनुमत गतिविधियां	ट्रैफिक कंट्रोल रूम	पुलिस चौकी	पुलिस पोस्ट	पुलिस स्टेशन	जिला पुलिस कार्यालय और बटालियन
	सुविधाओं के साथ अधिकारी कक्ष						
8.	शौचालय और स्नान सुविधाओं और रसोई के साथ डोरमेट्री		✓				✓
9.	संचार केंद्र					✓	✓
10.	सर्विस वर्कशॉप					✓	✓
11.	धार्मिक सुविधा					✓	✓
12.	वैंडिंग बूथ/क्योस्क					✓	✓
13.	वाचनालय / पुस्तकालय					✓	✓
14.	गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए फिटनेस सेंटर					✓	✓

#क्र.सं.	उपयोग जोन	पीएस1					
	उपयोग परिसर	7	8	9	10	11	12
		अनुमत गतिविधियां	जिला जेल	पुलिस प्रशिक्षण संस्थान / कॉलेज	पुलिस फायरिंग रेंज	सिविल डिफेंस और होमगार्ड आदि।	फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला
1.	कैंटीन	✓	✓		✓	✓	✓
2.	बैंक एक्सटेंशन काउंटर		✓		✓		✓
3.	छात्रावास		✓	✓	✓		✓
4.	खेल का मैदान / खेल की सुविधा	✓	✓	✓	✓		

#क्र.सं.	उपयोग जोन	पीएस1						
		उपयोग परिसर	7	8	9	10	11	12
			जिला जेल	पुलिस प्रशिक्षण संस्थान / कॉलेज	पुलिस फायरिंग रेंज	सिविल डिफेंस और होमगार्ड आदि।	फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला	राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान
अनुमत गतिविधियां								
5.	कर्मचारियों के लिए आवास	✓	✓	✓	✓		✓	
6.	प्रत्येक 20 वर्ग मीटर क्षेत्र की खुदरा दुकान	✓	✓	✓			✓	
7.	ऑडिटोरियम		✓					
8.	स्विमिंग पूल		✓	✓				
9.	डाकघर काउंटर की सुविधा		✓					
10.	प्राथमिक चिकित्सा सुविधा						✓	
11.	आपातकालीन बैकअप / आपदा की तैयारी						✓	
12.	वाँच और वार्ड रेजिडेंस (20 वर्ग मीटर तक)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13.	संचार केंद्र		✓	✓			✓ (अस्थायी)	
14.	वाचनालय / पुस्तकालय		✓	✓			✓	
15.	गैर- व्यावसायिक उपयोग के लिए फिटनेस सेंटर		✓	✓			✓	
16.	कियोस्क		✓	✓			✓	
17.	स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाएं		✓	✓			✓	

#क्र.सं.	उपयोग जोन	पीएस 1		
		13	14	15
	उपयोग परिसर	केंद्रीय पुलिस संगठन	सुरक्षा बल शिविर	पुलिस कैंप
	अनुमत गतिविधियां			
1.	बैंक एक्सटेंशन काउंटर	✓	✓	✓
2.	छात्रावास	✓	✓	✓
3.	20 वर्ग मीटर क्षेत्र की खुदरा दुकान	✓	✓	✓
4.	स्विमिंग पूल	✓	✓	✓
5.	संचार केंद्र	✓	✓	✓
6.	ध्यान / आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं	✓	✓	✓
7.	गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए फिटनेस सेंटर	✓	✓	✓
8.	कर्मचारियों के लिए आवास	✓	✓	✓
9.	छात्रावास	✓	✓	✓
10.	अस्पताल / नर्सिंग / पैरामेडिक सुविधा	✓	✓	✓
11.	पालतू पशु और जानवरों के लिए पशु चिकित्सा अस्पताल	✓	✓	✓
12.	नशामुक्ति / पुनर्वास केंद्र	✓	✓	✓
13.	कैटीन	✓	✓	✓

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.65 सुरक्षा-पुलिस सुविधाएं

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)/यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
स्थानीय स्तर							
जनसंख्या 10000 तक							

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)/यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
1	ट्रैफिक और पुलिस कंट्रोल रूम	आवश्यकतानुसार सभी उपयोग परिसरों/जोन में अनुमेय और आवश्यकतानुसार स्कीम में प्रदान की जाएंगी।	स्थल की व्यवहार्यता के आधार पर सड़क के मार्गाधिकार के रूप में, प्रमुख सड़क जंक्शनों/हिस्सों आदि पर आवश्यकता के अनुसार। 2. अधिकतम क्षेत्र = 25 वर्ग मी.			---	
2	पुलिस चौकी		150 तक	75%	300	18 मी.	
सामुदायिक स्तर जनसंख्या 100,000 तक							
1	पुलिस पोस्ट	1	2500 तक	50%	300	18 मी.	
उप-शहरी स्तर जनसंख्या 500,000 तक							
1	पुलिस स्टेशन	2	1 हेक्टेयर तक	50	300	18 मी.	
शहरी स्तर जनसंख्या 20,00,000 तक							
1	जिला जेल	1 प्रति 50.0 लाख	2 हेक्टेयर तक	50	300	18 मी.	
2	पुलिस लाइंस	आवश्यकता के अनुसार	1 हेक्टेयर तक	50	300	18 मी.	

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)/यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
3	जिला पुलिस कार्यालय और बटालियन						
4	पुलिस प्रशिक्षण संस्थान / कॉलेज	आवश्यकता के अनुसार	5 हेक्टेयर तक	50	300	18 मी.	
5	पुलिस फायरिंग रेंज						
6	पुलिस कैंप						

अन्य नियंत्रण

- क्षेत्रीय विकास योजनाओं में दिए गए अन्य प्रावधानों के साथ ज़ोन ओ में उपयोग परिसरों और ज़ोन सी तथा ज़ोन डी के बंगला क्षेत्र के लिए अधिकतम एफएआर 120 होगा।
- सुरक्षा-पुलिस सुविधाओं के मामले में, सभी उपयोग परिसरों के लिए, आवासीय और अनुमत गतिविधियां के लिए अधिकतम अनुमेय 30% एफएआर की अनुमति दी जा सकती है जैसा कि ऊपर तालिका में दिया गया है। आवासीय घटक आवासीय प्लॉट-समूह आवास के अनुसार होगा।
- राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान जैसे उपयोग परिसर की अनुमति उपर्युक्त तालिका में वर्णित श्रेणियों के भीतर दी जाएगी।
- उपर्युक्त प्लॉटों के लिए एएआई, दिल्ली अग्निशमन सेवा और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी मिल जाने पर कोई ऊंचाई प्रतिबंध नहीं होगी।

22.15.5 अग्नि-सुरक्षा सुविधाएँ

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका 22.66 उपयोग परिसर एवं परिभाषा - अग्नि-सुरक्षा सुविधाएँ

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1	फायर पोस्ट	अग्निशमन की कम सुविधाओं वाला परिसर। यह पोस्ट अग्नि संभावित गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसर से जोड़ा जा सकता है।
2	दमकल केंद्र	ऐसा परिसर जहां इसके निकटवर्ती क्षेत्र के लिए अग्निशमन-सुविधा हो। इसमें आवश्यक कर्मचारियों का आवास शामिल है।
3	अग्नि प्रशिक्षण संस्थान	ऐसा परिसर जहां आग लगने, भवन गिरने आदि की स्थिति में आपातकालीन समय में स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं हैं।
4	आपदा प्रबंधन केंद्र	ऐसा परिसर जहां आपदा आपातकालिक बैकअप-सुविधा, अस्पताल की सुविधा, आपदा की तैयारी के लिए प्रशिक्षण केंद्र, वायरलेस कम्यूनिकेशन आदि की सुविधा है।
5	आपदा प्रबंधन इकाइयाँ	ऐसा परिसर जहां आपदा प्रबंधन के मुद्दों पर कार्रवाई करने वाले या समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथा परिभाषित/अधिसूचित प्रतिष्ठान हैं।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका 22.67 उपयोग परिसर एवं अनुमत गतिविधियाँ - अग्नि-सुरक्षा सुविधाएँ

क्र.सं.	उपयोग जोन उपयोग परिसर	पीएस1				
		1 फायर पोस्ट	2 दमकल केंद्र	3 अग्नि प्रशिक्षण संस्थान	4 आपदा प्रबंधन केंद्र	5 आपदा प्रबंधन इकाइयाँ
1.	कर्मचारियों के लिए आवास	✓	✓	✓	✓	✓
2.	सर्विस वर्कशॉप		✓			✓
3.	छात्रावास			✓	✓	
4.	दमकल केंद्र			✓	✓	
5.	वॉच और वार्ड रेजिडेंस (20 वर्ग मीटर तक)			✓	✓	✓
6.	स्वास्थ्य देखभाल सुविधा			✓	✓	
7.	अभ्यास और राहत शिविर / आपदा तैयारी के लिए खुले अभ्यास मैदान			✓	✓	✓
8.	संचार केंद्र			✓	✓	✓ अस्थायी
9.	प्राथमिक चिकित्सा सुविधा					✓
10.	आपातकालीन बैकअप					✓
11.	कैंटीन	✓	✓	✓	✓	✓
12.	बैंक एक्सटेंशन काउंटर		✓	✓	✓	✓
13.	रैन बसेरा					✓
14.	वेंडिंग बूथ/क्योस्क		✓			✓
15.	वाचनालय / पुस्तकालय			✓	✓	✓
16.	इनडोर गेम्स की सुविधा			✓	✓	

क्र.सं.	उपयोग जोन	पीएस1				
		उपयोग परिसर	1	2	3	4
	अनुमत गतिविधियां	फायर पोस्ट	दमकल केंद्र	अग्नि प्रशिक्षण संस्थान	आपदा प्रबंधन केंद्र	आपदा प्रबंधन इकाइयाँ
17.	गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए फिटनेस सेंटर		✓	✓	✓	✓

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.68 अग्नि-सुरक्षा सुविधाएँ

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)/ यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफए आर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
सामुदायिक स्तर जनसंख्या 100,000 तक							
1	फायर पोस्ट	1	2500 वर्ग मीटर तक	50%	300	18 मी.	
उप-शहरी स्तर जनसंख्या 500,000 तक							
1	दमकल केंद्र	2	1 हेक्टेयर तक	50	300	18 मी.	
2	आपदा प्रबंधन इकाई	1	5000-10000	50	300	18 मी.	
शहरी स्तर जनसंख्या 20,00,000 तक							
1	अग्नि प्रशिक्षण संस्थान	आवश्यकता के अनुसार	5 हेक्टेयर तक	50	300	18 मी.	
2	आपदा प्रबंधन केंद्र	आवश्यकता के अनुसार	5 हेक्टेयर तक	50	300	18 मी.	

अन्य नियंत्रण

- i. दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) आग के खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान करेगी और अग्निशमन सेवाओं (अग्नि-शमन केंद्र/ अग्नि-शमन चौकी) की के स्थान की पहचान इस तरह की जाएगी कि यह समुदाय को अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने में युक्तिसंगत ढंग से लाभकारी हो।
- ii. क्षेत्रीय विकास योजनाओं में दिए गए अन्य प्रावधानों के साथ जोन ओ में उपयोग परिसरों और जोन सी तथा जोन डी के बंगला क्षेत्र के लिए अधिकतम एफएआर 120 होगा।
- iii. अग्नि-सुरक्षा सुविधाओं के मामले में, सभी उपयोग परिसरों के लिए, आवासीय और अनुमत गतिविधियां के लिए अधिकतम 30% अनुमेय एफएआर की अनुमति दी जा सकती है जैसा कि ऊपर तालिका में दिया गया है। आवासीय घटक आवासीय प्लॉट-समूह आवास के अनुसार होगा।
- iv. उपर्युक्त प्लॉटों के लिए एएआई, दिल्ली अग्निशमन सेवा और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी मिल जाने पर कोई ऊँचाई प्रतिबंध नहीं होगी।

22.15.6 वितरण योग्य सुविधाएं

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका 22.69 उपयोग परिसर एवं परिभाषा - वितरण योग्य सुविधाएं

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1	दूध बूथ / दूध, फल और सब्जी बूथ / दिल्ली दुग्ध आपूर्ति बूथ / उचित मूल्य की दुकान	स्थानीय आबादी को दैनिक किराने के सामान की आपूर्ति के लिए बुनियादी सुविधा वाला परिसर।
2	बुकिंग कार्यालय सहित एलपीजी गोदाम	स्थानीय आबादी को एलपीजी की बुकिंग, भंडारण और आपूर्ति के लिए परिसर।
3	गैस गोदाम	एलपीजी, गोदाम, आदि के थोक भंडारण की सुविधा वाला परिसर।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका 22.70 उपयोग परिसर एवं अनुमत गतिविधियाँ - वितरण योग्य सुविधाएं

क्र.सं.	उपयोग जोन	पीएस 1		आरडी
	उपयोग परिसर	1	2	3
	अनुमेय गतिविधियां	गैस गोदाम	बुकिंग कार्यालय सहित एलपीजी गोदाम	दूध बूथ / दूध, फल और सब्जी बूथ / दिल्ली दुग्ध आपूर्ति बूथ

1.	डेयरी उत्पादों / फलों और सब्जियों आदि की बिक्री एवं प्रदर्शन के लिए बूथ / निर्मित संरचना।			✓
2.	वॉच एंड वार्ड रेजिडेंस (20 वर्गमीटर तक)	✓	✓	
3.	बुकिंग कार्यालय		✓	
4.	स्टोर / गोदाम	✓	✓	
5.	केयर टेकर कार्यालय	✓		

नोट:

1. बुकिंग कार्यालय एवं गोदाम: आवासीय और मनोरंजनात्मक उपयोग जोनों को छोड़कर सभी उपयोग जोनों में अनुमत।
2. सभी उपयोग जोनों में एलपीजी बुकिंग कार्यालय को अनुमति दी जा सकती है।

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.71 वितरण योग्य सुविधाएं

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
1	दूध बूथ / दूध, फल और सब्जी बूथ / दिल्ली दुग्ध आपूर्ति बूथ / उचित मूल्य की दुकान	प्रति 5000 जनसंख्या पर एक					
			i. संबंधित विभाग के मानक डिजाइन के अनुसार ii. स्वीकृत लेआउट योजना के अनुसार सभी जोनों में अनुमत।				
2	बुकिंग कार्यालय सहित एलपीजी गोदाम	आवश्यकता के अनुसार					
			i. प्लॉट का आकार - बुकिंग कार्यालय और सुरक्षा कक्ष सहित 600 वर्ग मीटर तक। ii. आवासीय और मनोरंजनात्मक उपयोग जोनों को छोड़कर सभी उपयोग जोनों में सांविधिक मंजूरी की शर्त पर अनुमत ।				

अन्य नियंत्रण:	<ol style="list-style-type: none"> 1. दूध, फल, सब्जी और रसोई गैस दिन-प्रतिदिन के जीवन की मूलभूत जरूरतें हैं और इनका उचित वितरण सेट-अप होना चाहिए। 2. ईडब्ल्यूएस / एलआईजी आवास / पुनर्वास कॉलोनियों के पास उचित मूल्य की दुकानें हो सकती हैं। 3. एलपीजी गोदामों के लिए मानदंड और मानक पीईएसओ (पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन) के अनुसार होंगे।
-----------------------	--

22.15.7 सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका 22.72 उपयोग परिसर एवं परिभाषा - सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-I)	स्थानीय स्तर की सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां, अधिगम(संगीत, कला आदि, खेल कूद, परस्पर संपर्क बैठक और एकत्र होने के स्थल (अर्थात् बैंकट हॉल आदि) के लिए सुविधाओं वाले परिसर
2	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप- II)	विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सुविधाओं/प्रशिक्षण सुविधाओं सहित परिसर, जहां समुदाय स्तर पर जन-सभा/समारोह और सार्वजनिक समारोह किए जा सकते हैं। इसमें सांस्कृतिक और सूचना सेवाओं के लिए सुविधाएं भी शामिल की जा सकती हैं। (अर्थात् बहुउद्देशीय सामुदायिक हॉल, सामाजिक-सांस्कृतिक संस्था (अधिगम और संगीत, नृत्य के प्रदर्शन, अन्य प्रदर्शन कला, प्रदर्शनी स्थल, कला गैलरी (भवन), पुस्तकालय, सृजनात्मक वर्कशॉप (कार्यशालाएं) ऑडिटोरियम, छोटे थिएटर के लिए सुविधाओं सहित, सांस्कृतिक और सूचना केंद्र आदि)
3	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-III)	सांस्कृतिक और अन्य सूचनात्मक तथा मनोरंजनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली सुविधाओं सहित परिसर (अर्थात् मनोरंजन क्लब, पब्लिक लाइब्रेरी आदि)
4	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा	बड़ी जन सभाएं और समारोह जैसे प्रदर्शनियों,

(टाइप-VI)	अन्तरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय सम्मेलन, बैठकों, संगोष्ठियों आदि आयोजित करने के लिए सुविधाओं सहित परिसर/ इनमें बड़ी मनोरंजन/सामाजिक सांस्कृतिक सुविधाएं भी शामिल होगी। (अर्थात् सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र, साइंस सेंटर, प्लैनिटोरियम, म्यूजियम (संग्रहालय), अन्तरराष्ट्रीय सम्मलेन केंद्र (कन्वेंशन सेंटर), प्रदर्शनी सह मेला मैदान
-----------	--

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका 22.73 उपयोग परिसर एवं अनुमेय गतिविधियां - सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं

क्रम सं.	उपयोग जोन	आरडी	पीएस 1		
	उपयोग परिसर	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-I)	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-II)	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-III)	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-IV)
	अनुमत गतिविधियां	1	2	3	4
1	कैंटीन	✓		✓	
2	बैंक एक्सटेंशन काउंटर		✓	✓	✓
3	वेडिंग बूथ/क्रियोस्क	✓	✓	✓	✓
4	रेस्टोरंट		✓	✓	✓
5	निगरानी आवास (20 वर्ग मी. तक)		✓	✓	✓
6	प्रदर्शनी सेंटर और आर्ट गैलरी			✓	✓
7	सामुदायिक केंद्र		✓		.
8	हॉस्टल		✓	.	
9	संगीत, नृत्य और नाटक प्रशिक्षण केंद्र			.	✓
10	पुस्तकालय		✓	✓	✓
11	ऑडिटोरियम			.	✓
12	सार्वजनिक समारोहों, विवाहों, खाना पकाने की सुविधाओं और अन्य सुविधाओं के लिए हॉल	✓			

क्रम सं.	उपयोग जोन	आरडी	पीएस 1		
	उपयोग परिसर	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-I)	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-II)	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-III)	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-IV)
	अनुमत गतिविधियां	1	2	3	4
13	संग्रहालय			.	✓
14	एटीएम	✓	✓	✓	✓
15	स्वास्थ्य देखरेख सुविधा				✓
16	व्यवसायिक कार्यालय			.	✓
17	होटल				✓
18	पुलिस चौकी				✓
19	अग्निशमन चौकी				✓
20	रख-रखाव स्टाफ के लिए आवास			✓	✓
21	ओपन ऐयर थियेटर/एम्फीथियेटर		✓	✓	✓
22	मेला मैदान				✓
23	कन्वेंशन और बैठक स्थान/कन्वेंशन सेंटर				✓
24	फिल्म सेंटर				✓
25	बहुउद्देश्य प्रशिक्षण और बैठक कक्ष				✓
26	खुदरा दुकान			✓	✓
28	अतिथि गृह/अतिथि कक्ष			✓	✓
29	इंडोर/ आउटडोर खेल			✓	
30	स्वीमिंग पूल			✓	✓

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.74 सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं

क्र. सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)/ यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफए आर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
----------	-------------	--------	---	--------------------------	--------	---------------------------	-------------

क्र. सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)/ यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफए आर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
स्थानीय स्तर जनसंख्या 10000 तक							
1	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-I)		800-2000	30%	150	12	
सामुदायिक स्तर जनसंख्या 100,000 तक							
2	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-II)	2	1000	40%	120	24	-
उप-शहरी स्तर जनसंख्या 500,000 तक							
3	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-III)	1	5000	40%	120	24	-
शहरी स्तर जनसंख्या 2,00,0000 तक							
4	सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-IV)	अपेक्षानुसार	अपेक्षानुसार	35% + 5% (एमएल सीपी)	120	30	

क्र. सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)/ यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफए आर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
	<p>नोट:</p> <p>* प्रदर्शनी-एवं-मेला मैदान, जैसी गतिविधियों के लिए अधिकतम ग्राउंड कवरेज 20% और एमएलसीपी के लिए ग्राउंड कवरेज 5% और अधिकतम एफएआर 20 होगा।</p>						

अन्य नियंत्रण:

- i. एलबीजेड एरिया, सिविल लाइन्स बंगलो एरिया, मनोरंजनात्मक उपयोग जोन में और धरोहर संरचनाओं पर मौजूद मनोरंजक क्लबों का उनसे संबंधित मामलों के आधार पर निपटान किया जाएगा और दि.वि.प्रा. की टेक्निकल कमेटी मौजूदा स्थिति के आधार पर विकास नियंत्रण मानदंडों को मंजूरी देगी।
- ii. खुले क्षेत्रों में आउटडोर गेम्स/खेल-कूद सुविधाओं, स्विमिंग पूल के अलावा 300 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र को ग्राउंड कवरेज से मुक्त रखने की अनुमति होगी।
- iii. बैंक्वेट हॉल के मामले में,
 - तल आवरण के अंतर्गत आने वाले बेसमेंट में पार्किंग की अनुमति होगी। पार्किंग के लिए स्टिल्ट फ्लोर की अनुमति है
 - सेवाओं/स्टोरेज के लिए 30% बेसमेंट क्षेत्र की गिनती एफएआर में नहीं की जाएगी।
- iv. इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के मामले में, प्रांगण प्रदान करने के लिए अधिकतम 10% ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी। यदि, प्रांगण के लिए अनुमेय अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज का उपयोग किया जाता है, तो उपयोग किए गए ग्राउंड कवरेज का 25% एफएआर में गिना जाएगा।
- v. उपर्युक्त प्लॉट के लिए एएआई, दिल्ली अग्निशमन सेवा और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी प्राप्त होने पर कोई ऊंचाई प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
- vi. **सहायक (आनुषंगिक) इस्तेमाल के लिए शर्तें:**
 - क. सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-II और टाइप-III) के मामले में: सहायक/आनुषंगिक सुविधाओं की स्वीकार्य एफएआर के अधिकतम 20% तक अनमति दी जाएगी।
 - ख. अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और सामाजिक - सांस्कृतिक केंद्र के अलावा सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधा (टाइप-IV) के मामले में: सहायक/आनुषंगिक सुविधाओं की स्वीकार्य एफएआर के अधिकतम 50% तक अनमति दी जाएगी।
 - ग. अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के मामले में: प्रदर्शनी स्थल, कन्वेंशन और बैठक स्थल स्वीकार्य एफएआर का न्यूनतम 40% होगा। सहायक आनुषंगिक सुविधाओं (फुटकर दुकान, कार्यालय स्थल/व्यावसायिक कार्यालय, होटल और संबंधित गतिविधियां) की स्वीकार्य एफएआर के अधिकतम 60% तक अनमति दी जाएगी।
 - घ. सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र के मामले में: सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां स्वीकार्य एफएआर के न्यूनतम 40% होगी। सहायक आनुषंगिक सुविधाओं (फुटकर दुकान,

कार्यालय स्थल/व्यावसायिक कार्यालय, होटल और संबंधित गतिविधियां) की स्वीकार्य एफएआर के अधिकतम 60% तक अनमति दी जाएगी।

22.15.8 अन्य-सामुदायिक सुविधाएं

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका 22.75 उपयोग परिसर एवं परिभाषा - अन्य-सामुदायिक सुविधाएं

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1	रैन बसेरा	बिना किसी शुल्क या टोकन शुल्क के साथ व्यक्तियों को रात्रि आवास प्रदान करने की सुविधा वाले परिसर। यह स्थानीय सरकार या स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा संचालित हो सकते हैं।
2	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-I)	परिसर, जहां बहुविध छोटे पैमाने की सामुदायिक धार्मिक सुविधाएं होंगी। (अर्थात् छोटे स्तर पर धार्मिक सुविधा आदि)
3	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-II)	परिसर में बुजुर्गों/विकलांग व्यक्तियों/ मानसिक रूप से विकलांग, महिलाओं और बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण और भोजन तथा आवास की सुविधा है। इसमें कामकाजी महिला/पुरुषों के लिए आवासीय सुविधाएं और व्यस्कों के लिए शिक्षा/प्रशिक्षण सुविधाएं भी शामिल हैं। (अर्थात् वृद्ध आश्रम, दिव्यांग व्यक्तियों/ मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए देख रेख केंद्र, कार्यरत महिलाओं-पुरुष के होस्टाल, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदि)
4	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-III)	कानून से जुड़ रहे अथवा अपराध करने वाले बच्चों के सुधार, परामर्श और आवास के लिए सुविधाओं सहित परिसर/आचरण सुधार के लिए संबंधित न्यायिक सुविधाएं और सेवाएं भी यहां स्थित होंगी। (अर्थात् सुधारक/अवलोकन गृह/विशेष गृह/बाल गृह)
5	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-IV)	ज्यादा आवाजाही सहित बड़ी धार्मिक सुविधाओं के लिए परिसर। (अर्थात् बड़ी धार्मिक सुविधा)

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका 22.76 उपयोग परिसर एवं अनुमत गतिविधियां - अन्य-सामुदायिक सुविधाएं

क्रम सं.	उपयोग जोन		आर डी	पीएस 1			
			अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-I)	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-I)	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-III)	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-IV)	
	परिसर का उपयोग	रात्रि विश्राम गृह	1	2	3	4	5
	अनुमत गतिविधियां						
1	स्टाफ के लिए आवास		✓	✓	✓		
2	होस्टल			✓	✓		
3	खुदरा दुकान (20 वर्ग मी. तक)		✓	✓	✓		.
4	बैंक एक्सटेंशन काउंटर						✓
5	प्रचारकों, भक्तों/प्रबंधन स्टाफ के लिए आवास (कुल एफएआर का अधिकतम 15%)						✓
6	लंगर हॉल/किचन						✓
7	प्रार्थना हॉल		✓				✓
8	आडीटोरियम						✓
9	संग्राहलय						✓
10	म्यूजियम/आर्ट गैलरी/ प्रदर्शनी सेंटर						✓
11	योग के लिए प्रशिक्षण केंद्र						✓
12	आवासीय सुविधा के साथ देखरेख गृह				✓		
13	स्वास्थ्य सुविधाएं/जिम				✓		
14	डाइनिंग सुविधा				✓	✓	
15	कल्याण केंद्र				✓		
16	रात्रि विश्राम गृह और संबंधित सुविधाएं	✓					
17	मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, यहूदी सभाघर (प्रार्थना भवन), आश्रम						✓
18	स्नान घाट						✓
19	गौशाला						✓
20	दरगाह						✓
21	चैरिटेबल स्वास्थ्य सुविधा						✓
28	कैंटीन				✓	✓	✓
29	रेस्टोरेंट						
30	निगरानी आवास (20 वर्ग मी. तक).				✓		

32	एटीएम			✓	✓	
33	प्रशासन कार्यालय के लिए स्थान			✓	✓	
34	ध्यान/आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं			✓	✓	
35	म्यूजिक और कला के अन्य रूप में प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं/स्टूडियो			✓		

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.77 अन्य-सामुदायिक सुविधाएं

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)/ यूनिट	अधिकतम ग्राउंड कवरेज (%)	एफएआर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
स्थानीय स्तर							
जनसंख्या 10000 तक							
1	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-I)	2	400	40	100	12	ऊंचाई कोई प्रतिबंध नहीं, भारतीय विमानपतन प्राधिकरण, दिल्ली अग्नि शमन सेवा, डीएमए, एनएमए और अन्य सांविधिक निकायों की मंजूरी के अधीन।
सामुदायिक स्तर							
जनसंख्या 100000 तक							
1	रैन वसेरा*	1	100	60	200		26 मी.
उप-शहरी स्तर							
जनसंख्या 5000000 तक							

1	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-II)	5	1000	40%	120	18	ऊँचाई कोई प्रतिबंध नहीं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली अग्नि शमन सेवा, डीएमए, एनएमए और अन्य सांविधिक निकायों की मंजूरी के अधीन।
शहरी स्तर							
जनसंख्या 2000000 तक							
1	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-III)	आवश्यकतानुसार	2000	40%	150	18	ऊँचाई कोई प्रतिबंध नहीं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली अग्नि शमन सेवा, डीएमए, एनएमए और अन्य सांविधिक निकायों की मंजूरी के अधीन।
2	अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-IV)	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	30%	100	24	ऊँचाई कोई प्रतिबंध नहीं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली अग्नि शमन सेवा, डीएमए, एनएमए और अन्य सांविधिक निकायों की मंजूरी के अधीन।

अन्य नियंत्रण:

- स्थानीय निकाय के मानदंडों के अनुसार धोबी घाटों/कपड़े धोने के लिए जगह आवासीय उपयोग क्षेत्र/पीएसपी सुविधा क्षेत्रों में प्रदान की जाएगी। ऐसी स्थलों पर निम्नलिखित सुविधाओं की अनुमति होगी। ओवरहेड टैंक, अंडरग्राउण्ड टैंक, आक्सीडेशन पॉड सैप्टिक टैंक, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय, विद्युत उप-केंद्र, डलाव और इस्टबिन, धोबीघाट, मशीन लाउंड्री।
- *नाइट शेल्टर का स्थान व्यावहारिक मांग/मूल्यांकन के आधार पर स्थानीय अधिकारियों / जीएनसीटीडी द्वारा तय किया जाएगा। नाइट शेल्टर के भौगोलिक वितरण के लिए, प्रति प्रशासनिक इकाई जैसे राजस्व सब-डिवीजन या पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में कम से कम

एक नाइट शेल्टर बनाने की योजना के लिए मानदंड भी बनाए जाएंगे। नए प्रस्तावित निर्माणों में, भूतल पर व्यावसायिक स्थान और पहली मंजिल पर रैन बसेरे के साथ एकीकृत परिसर जैसी नवीन अवधारणाओं को अपनाकर; और मौजूदा भवनों में उपयुक्त संशोधनों के साथ रैन बसेरा बनाने की अनुमति होंगी। रेलवे, स्वास्थ्य, उद्योग, डीटीसी, पुलिस, आदि जैसी संबंधित एजेंसियों द्वारा, जहां व्यवहार्य हो, रेलवे के टर्मिनलों, बस टर्मिनलों, थोक/खुदरा बाजारों, फ्रेट कॉम्प्लेक्स, पुलिस स्टेशनों आदि में नाइट शेल्टर बनाए जा सकते हैं।

iii. **कामकाजी पुरुष-महिला छात्रावास स्थानों का निर्धारण कार्य/रोजगार केंद्रों की निकटता और मांग के आकलन के आधार पर किया जाएगा।

iv. **आनुषांगिक उपयोग के लिए शर्तें:**

क. अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-I) के मामले में सहायक/आनुषांगिक सुविधाएं अधिकतम 50 वर्ग मी. तक अनुमेय होंगी।

ख. अन्य सामुदायिक सुविधा (टाइप-II और III) के मामले में सहायक/आनुषांगिक सुविधाएं अधिकतम 20% अनुमेय एफएआर तक अनुमत होंगी।

ग. अन्य सामुदायिक सुविधाएं (टाइप-IV) के मामले में सहायक/आनुषांगिक सुविधाएं अधिकतम 5% अनुमेय एफएआर तक अनुमत होंगी।

22.15.9 श्मशान भूमि, कब्रिस्तान और सिमेट्री

क. उपयोग परिसर एवं परिभाषाएँ

तालिका 22.78 उपयोग परिसर एवं परिभाषा - श्मशान भूमि, कब्रिस्तान और सिमेट्री

क्र.सं.	उपयोग परिसर	परिभाषा
1	कब्रिस्तान	परिसर में शवों को दफनाने की सुविधा है।
2	श्मशान भूमि	परिसर में शवों को जलाकर अंतिम संस्कार करने की सुविधा है।
3	सिमेट्री	परिसर में शवों को दफनाने की सुविधा है।
4	विद्युत दाह गृह	परिसर में मृतक का अंतिम संस्कार करने की सुविधा है।
5	पशुओं के लिए दफन भूमि	परिसर में जानवरों को दफनाने की सुविधा है।

ख. अनुमेय गतिविधियां

तालिका 22.79 उपयोग परिसर एवं अनुमत गतिविधियाँ - श्मशान भूमि, कब्रिस्तान और सिमेट्री

क्र.सं.	उपयोग जोन	पीएस1				
		1	2	3	4	5
		दफन भूमि	श्मशान भूमि	कब्रिस्तान	विद्युत दाह गृह	जानवरों के लिए दफन भूमि
	अनुमेय गतिविधियां					
1.	अनुष्ठान करने के लिए शेड		✓	✓	✓	
2.	मौतों के पंजीकरण के लिए सुविधाएं	✓	✓	✓	✓	
3.	लकड़ी, फूलों और अन्य संबंधित सामग्री की खुदरा दुकानें	✓	✓	✓	✓	✓
4.	पेय जल	✓	✓	✓	✓	✓
5.	पार्किंग	✓	✓	✓	✓	✓
6.	वाँच एंड वार्ड रेजिडेंस (20	✓	✓	✓	✓	✓

	वर्गमीटर)					
--	-----------	--	--	--	--	--

ग. विकास नियंत्रण मानदंड

तालिका 22.80 श्मशान भूमि, कब्रिस्तान और सिमेट्री

क्र.सं.	उपयोग परिसर	संख्या	न्यूनतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)	अधिकतम ग्राउंड कवरेज	एफए आर	न्यूनतम मार्गाधिकार (मी.)	ऊंचाई (मी.)
1	कब्रिस्तान	10 लाख जनसंख्या के लिए 1	10000	लागू नहीं	लागू नहीं	18	लागू नहीं
2	श्मशान भूमि	5 लाख जनसंख्या के लिए 1	5000	50%	100	18	ऊंचाई कोई प्रतिबंध नहीं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली अग्नि शमन सेवा, डीएमए, एनएमए और अन्य सांविधिक निकायों की मंजूरी के अधीन।
3	सिमेट्री	10 लाख जनसंख्या के लिए 1	10000	लागू नहीं	लागू नहीं	18	लागू नहीं
4	विद्युत दाह गृह	5 लाख जनसंख्या के लिए 1	5000	50%	100	18	लागू नहीं
5	पशुओं के लिए दफन भूमि	10 लाख जनसंख्या के लिए 1	2000	लागू नहीं	लागू नहीं	18	लागू नहीं

अन्य नियंत्रण:

- i) श्मशान घाट के मामले में, शवदाहगृह (बेसिक / ग्रीन / गैसीफायर आधारित/ बिजली) के लिए प्रावधान तैयार किया जाएगा। मौजूदा श्मशान घाटों में, शवदाहगृह के लिए प्रावधान बनाया जाना चाहिए।

22.15.10 बहु-सुविधा प्लॉट

तालिका 22.81 बहु सुविधा भूखंड के लिए विकास नियंत्रण मानदंड

उपयोग परिसर	भूखंड क्षेत्र (वर्ग मी.)	ग्राउंड कवरेज (अधिकतम)	एफएआर	मार्गाधिकार (मी.) (न्यूनतम)	ऊंचाई (मी.)	अनुमेय गतिविधियां
बहु सुविधा भूखंड	500	50%	200	18	ऊंचाई कोई प्रतिबंध नहीं, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली अग्नि शमन सेवा, डीएमए, एनएमए और अन्य सांविधिक निकायों की मंजूरी के अधीन।	स्थानीय स्तर पर पीएसपी सुविधाओं का मिश्रण स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक अन्य सामुदायिक सुविधाएं, संचार सुविधाएं
<p>नोट: भूखंड पर कई सुविधा प्रदान करने के लिए, अधिकतम 2/3 बीयूए तक एकल फंक्शन करने की अनुमति होगी।</p>						

22.15.11 सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाएं / परिसर

ये मानदंड उन पीएसपी सुविधाओं / परिसरों के मामले में लागू होंगे, जिनके लिए विशिष्ट विकास नियंत्रण निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं।

1. अधिकतम ग्राउंड कवरेज 30%
2. अधिकतम फर्श क्षेत्र का अनुपात 120
3. अधिकतम ऊंचाई 26 मी.

नोट:

- i. सरकारी भूमि आवास, एजेंसियों द्वारा राजनीतिक दलों को आवंटित किए गए भूखंडों के मामले में, अधिकतम 15% तक एफएआर, आवासीय छात्रावास आवास के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- ii. दिमुयो-2021 के प्रावधानों के अनुसार अनुमेय पीएसपी सुविधाओं के साथ एक या एक से अधिक उपयोग के लिए छोटे पीएसपी भूखंडों को जोड़ने या बड़े पीएसपी भूखंडों के उप विभाजन की अनुमति दी जाती है।

22.16 उपयोग जोन में उपयोग परिसरों की अनुमति

लेआउट योजना के अनुमोदन या प्राधिकरण से प्राप्त विशेष अनुमति के मामले में, उपयोग जोन आरडी, सी1, सी2, एम, पीएस में चयनित उपयोग परिसर की अनुमति निम्नलिखित के अनुसार है:

तालिका 22.82 उपयोग जोन में उपयोग परिसरों की अनुमति

क्र.सं.	उपयोग परिसर	उपयोग जोन				
		आरडी	सी ₁	सी ₂	एम	पीएस
आरडी	आवासीय					
i.	आवासीय भूखंड - प्लॉटिड हाउसिंग	पी	पी**	एनपी	एनपी	एनपी
ii.	आवासीय भूखंड - ग्रुप हाउसिंग	पी	पी	एनपी	पी	पी
iii.	स्टूडियो अपार्टमेंट	पी	एनपी	एनपी	एनपी	एनपी
iv.	निवास - सह - कार्य प्लॉट	पी	पी	एनपी	एनपी	एनपी
v.	विदेशी मिशन	पी	पी	एनपी	एनपी	एनपी
vi.	छात्रावास / वृद्धाश्रम	पी	पी	एनपी	पी	पी
vii.	अल्पावधि आवास - छात्रावास / अतिथि गृह / लॉजिंग और बोर्डिंग हाउस / सराय / कामकाजी महिला-पुरुष छात्रावास, धर्मशाला और इसके समान / सेवा अपार्टमेंट	पी	पी	पी	पी	पी
viii.	बहुउद्देशीय सामुदायिक हॉल / बारात घर	पी	पी	एनपी	पी	पी
ix.	रैन बसेरा	पी	पी	पी	पी	पी
x.	सामुदायिक / मनोरंजन हॉल, पुस्तकालय, वाचनालय, सोसायटी कार्यालय, क्रेच और डे केयर सेंटर।	पी	पी	पी	पी	पी
xi.	राज्य भवन / राज्य अतिथि गृह	पी	पी	पी	पी	पी
ग	व्यावसायिक					
i.	स्थानीय स्तर (सुविधा / स्थानीय शॉपिंग सेंटर)	पी	पी	पी	पी	पी
ii.	सिनेमा / मल्टीप्लेक्स	एनपी	पी	पी	पी*	एनपी
iii.	सेवा बाजार / अनौपचारिक बाजार	पी	पी	पी	पी	एनपी
iv.	थोक व्यापार	एनपी	पी	पी	एनपी	एनपी
v.	भंडार, गोदाम और भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और बर्फ कारखाने, गैस गोदाम।	एनपी	एनपी	पी	पी	एनपी
vi.	गेस्ट हाउस / लॉजिंग और बोर्डिंग हाउस	पी	पी	पी	पी	पी
vii.	सर्विस अपार्टमेंट	एनपी	पी	पी	पी	पी
viii.	होटल	एनपी	पी	पी	पी	एनपी
पी	मनोरंजनत्मक					

i.	मनोरंजनत्मक (पार्क, प्ले ग्राउंड, स्विमिंग पूल) / स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स / स्टेडियम / एम्यूजमेंट पार्क / मनोरंजन क्लब आदि।	पी	पी	पी	पी	पी
एम	उद्योग					
i.	औद्योगिक भूखंड, फ्लैटेड समूह उद्योग	एनपी	एनपी	एनपी	पी	एनपी
ii.	सेवा केंद्र और सेवा उद्योग	एनपी	पी	पी	पी	एनपी
टी	परिवहन					
i.	परिसंचरण (सड़क फर्नीचर, बस टर्मिनल, एमआरटीएस स्टेशन, पार्किंग आदि के साथ सड़क नेटवर्क)	पी	पी	पी	पी	पी
ii.	बस डिपो और वर्कशॉप	एनपी	एनपी	एनपी	पी	एनपी
iii.	निजी साधनों के लिए बहु-स्तरीय पार्किंग	एनपी	पी	पी	पी	पी
जी	सरकार					
i.	स्थानीय / सरकारी रखरखाव कार्यालय	पी	पी	पी	पी	पी
ii.	उपयोगिता सेवाएं प्रदान करने वाली एजेंसियों के कार्यालय	पी	पी	पी	पी	पी
iii.	सरकारी कार्यालय (केंद्रीय / राज्य सरकार / स्थानीय निकाय), एकीकृत कार्यालय परिसर	एनपी	पी	पी	पी	पी
iv.	जिला न्यायालय / परिवार न्यायालय	एनपी	पी	पी	पी	पी
पीएस1	सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं					
स्वास्थ्य						
i.	अस्पताल (0.2 हेक्टेयर से 1.5 हेक्टेयर)	पी	पी	एनपी	पी	पी
ii.	तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र	पी	पी	एनपी	पी	पी
iii.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र / परिवार कल्याण केंद्र / मातृत्व गृह / औषधालय आदि, शिशु चिकित्सा केंद्र / जराचिकित्सा केंद्र, स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाएं, विस्तारित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (जैसे संक्रमण-घर, श्वसन देखभाल केंद्र, पैथोलॉजी प्रयोगशाला, छोटे स्वास्थ्य केंद्र), नशामुक्ति केंद्र	पी	पी	एनपी	पी	पी
iv.	नर्सिंग होम / पॉली क्लिनिक / क्लिनिक / नैदानिक प्रयोगशाला आदि।	पी	पी	एनपी	पी*	पी
v.	पशुओं और जानवरों के लिए औषधालय	पी	पी	पी	पी	पी
शिक्षा						

i.	प्राथमिक विद्यालय / माध्यमिक विद्यालय, पूर्व-प्राथमिक / नर्सरी / मॉटेसरी स्कूल,	पी	एनपी	एनपी	एनपी	पी
ii.	क्रेच और डे केयर सेंटर, आंगनवाड़ी, प्ले स्कूल	पी	पी	पी	पी	पी
iii.	सीनियर सेकेंडरी स्कूल	पी	एनपी	एनपी	एनपी	पी
iv.	मानसिक रूप से विकलांग / निःशक्तजन व्यक्तियों के लिए स्कूल	पी	एनपी	एनपी	एनपी	पी
v.	तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र (आईटीआई / पॉलिटेक्निक / व्यावसायिक / प्रशिक्षण संस्थान / प्रबंधन संस्थान / शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, आदि), कौशल केंद्र	पी	पी	एनपी	पी	पी
vi.	अनुसंधान और विकास केंद्र	एनपी	पी	एनपी	पी	पी
सुविधाएँ						
i.	बस टर्मिनल, टैक्सी स्टैंड, दूध / सब्जी बूथ, धार्मिक परिसर, वैंडिंग बूथ, पेट्रोल / सीएनजी फिलिंग पंप, मनोरंजक क्लब, पुलिस चौकी, पुलिस पोस्ट, पुलिस स्टेशन, फायर पोस्ट, फायर स्टेशन, पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ कार्यालय और टेलीफोन एक्सचेंज।	पी	पी	पी	पी	पी
ii.	निःशक्तजन और मानसिक रूप से विकलांग के लिए देखभाल केंद्र, अनाथालय / बच्चों के केंद्र, वरिष्ठ नागरिकों के क्लब।	पी	एनपी	एनपी	पी	पी

पी: अनुमति

पी*: केवल व्यावसायिक केंद्रों में अनुमति

एनपी: अनुमति नहीं

पी**: मिश्रित उपयोग / विशेष क्षेत्र विनियमों के अनुसार विशेष अनुमति

नोट:

1. सभी उपयोग क्षेत्रों में पार्क, ओपन पार्किंग, सर्कुलेशन और सार्वजनिक उपयोगिताओं / सुविधा की अनुमति ।
 2. इन उपयोग जोनों में उपयोग परिसर की अनुमति उपयोग क्षेत्र में विशिष्ट कार्य द्वारा नियंत्रित की जाएगी।
- क. सी3- होटल,

- ख. पी3- ऐतिहासिक स्मारक,
- ग. टी1- एयरपोर्ट,
- घ. टी2- टर्मिनल / डिपो - रेल / एमआरटीएस / बस / ट्रक,
- ड. टी3- परिचालन - रेल / एमआरटीएस / सड़क,
- च. यू1- जल, यू2-सीवरेज, यू3-बिजली, यू4-ठोस अपशिष्ट, यू5-नाली,
- छ. जी1- राष्ट्रपति संपदा और संसद भवन,
- ज. जी3-सरकारी भूमि (अनिर्धारित उपयोग),
- झ. पीएस-श्मशान और दफन भूमि, धार्मिक,
- ञ. हरित विकास क्षेत्र
- ट. डब्ल्यू2 - नदी और नदी बाढ़ के मैदान।

22.17 अन्य विकास कोड

प्रत्येक उपयोग परिसर के लिए, निम्नलिखित डीसीएन लागू होंगे। जहां भी, इस योजना अथवा इस भाग में डीसीएन का उल्लेख नहीं किया गया है, राष्ट्रीय भवन संहिता को संदर्भित किया जाएगा।

22.15.1 हाई राइज बिल्डिंग

- i. सभी उपयोग जोनों में 15 मीटर (बिना स्टिल्ट) और 17.5 मीटर (स्टिल्ट सहित) से अधिक ऊंचे भवनों को ऊंचे भवन माना जाएगा।
- ii. स्टिल्ट फ्लोर में स्टैक-पार्किंग के प्रावधान के मामले में, स्टिल्ट फ्लोर के लिए न्यूनतम 2.4 मीटर ऊंचाई में ढील दी जा सकती है। हालांकि, स्टैक पार्किंग के मामले में, ऊंचाई डिजाइन और संरचनात्मक सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार होगी।
- iii. संबंधित एजेंसियों के पूर्व अनुमोदन से भवन के रखरखाव के लिए आवश्यक उपकरणों और सेवाओं की संस्थापना के लिए सविराम सर्विस फ्लोर की अनुमति दी जाएगी और इसे एफएआर में नहीं गिना जाना चाहिए। संरचनागत ढाँचों की गहराई, जल भंडार, अन्य उपकरण आदि उपलब्ध कराने के लिए ऊंचाई की आवश्यकता के आधार पर सर्विस फ्लोर की ऊंचाई का निर्णय किया जाएगा। किसी भी बीम के निचले तल से निचली ऊंचाई, फाल्स फ्लोर को छोड़कर, यदि कोई हो, पक्के फर्श स्तर से 1.8 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- iv. स्थानीय निकायों / विभागों, संबंधित नगर निगम और अग्निशमन विभाग से मंजूरी के अधीन सेटबैक सीमा रेखाओं के भीतर बेसमेंट की अनुमति दी जाएगी। जहां कोई सेटबैक नहीं है, बेसमेंट की 2 मीटर तक की अनुमति जाएगी और जहां सेटबैक है, यह भूखण्ड की चारदीवार से 6 मीटर की दूरी पर होना चाहिए।
- v. अग्निशमन विभाग से स्वीकृति के अधीन सेटबैक सीमा रेखाओं के भीतर पोजियम(यों) की अनुमति दी जाएगी। इस पोजियम के भीतर वाहनों की आवाजाही और पार्किंग

प्रतिबंधित होगी। स्विमिंग पूल, भूदृश्य, और संबंधित संरचनाओं जैसे उपयोगों के लिए रूपटॉप की अनुमति होगी।

vi. खंड 22.16.3 के अनुसार तहखाने के लिए अन्य शर्तें होंगी।

22.15.2 सेटबैक:

योजना में निर्धारित आवासीय प्लॉटेड और विशिष्ट निर्धारित क्षेत्रों के अतिरिक्त सभी प्रकार के विकास के लिए तालिका 22.81 के अनुसार न्यूनतम सेटबैक उपलब्ध कराया जाएगा।

तालिका 22.83 न्यूनतम सेटबैक (आवासीय प्लॉटेड विकास के अलावा)

प्लॉट का आकार (वर्गमीटर में)	न्यूनतम सेटबैक			
	सामने (मी.)	पीछे (मी.)	साइड (मी.) (1)	साइड (मी.) (2)
60 तक	0	0	0	0
60 से अधिक 150 तक	3	1.5 (औसत)	-	-
150 से अधिक 300 तक	4	2 (औसत)	-	-
300 से अधिक 500 तक	4	3	3	-
500 से अधिक 2,000 तक	6	3	3	3
2,000 से अधिक 10,000 तक	9	6	6	6
10,000 से अधिक	15	12	12	12

नोट:

- यदि उपर्युक्त दिए गए सेटबैक से स्वीकार्य कवरेज प्राप्त नहीं होता है, तो पूर्ववर्ती श्रेणी के सेटबैक की अनुमति दी जाएगी।
- ये सेटबैक, भवन उपनियमों के अनुसार ऊंचाई और वातायन की आवश्यकताओं के अधीन हैं।
- यदि कोई लेआउट, न्यूनतम निर्धारित सेटबैक से अधिक के साथ स्वीकृत किया जाता है, तो भवन योजनाओं की मंजूरी में इनका पालन किया जाएगा।
- दि.वि.प्रा. की तकनीकी समिति विशेष परिस्थितियों में सेटबैक, भूमि कवरेज और ऊंचाई में ढील दे सकती है।
- जहां भी भूखंड के भीतर ईएसएस प्रदान करने की आवश्यकता होगी, साइड/रियर सेटबैक को स्थानांतरित कर इसकी व्यावस्था करने की अनुमति होगी।

22.15.3 बेसमेंट:

- i. संबंधित एजेंसियों के पूर्व अनुमोदन से, पार्किंग और आवश्यक सुविधाओं, जैसे एयर कंडीशनिंग प्लांट और उपकरण, जल भंडारण, बॉयलर, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन एचटी और एलटी पैनल कक्ष, ट्रांसफार्मर कम्पार्टमेंट, नियंत्रण कक्ष, पंप हाउस, जनरेटर कक्ष और अन्य यांत्रिक सेवाओं और बिजली और अग्निशमन उपकरणों की स्थापना, और भवन के रखरखाव के लिए अपेक्षित अन्य सेवाओं के साथ अधिकतम समकक्ष सैटबैक लाइन तक बेसमेंट की अनुमति दी जा सकती है और एफएआर में इसकी गणना नहीं की जाएगी।
- ii. आवासीय उपयोग के मामले में, बेसमेंट को एफएआर में नहीं गिना जाएगा यदि इसे घरेलू भंडारण और पार्किंग के लिए उपयोग किया जाता है। बेसमेंट की गणना एफएआर में की जाएगी यदि यह अनुमेय मिश्रित-उपयोग गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। यदि बेसमेंट के ऐसे उपयोग से भूखण्ड पर अनुमेय एफएआर अधिक हो जाता है, तो सरकार के अनुमोदन से अतिरिक्त एफएआर पर निर्धारित उपयुक्त शुल्क वसूला जाएगा।
- iii. होटलों के मामले में, लौंड्री, खाद्य वस्तुओं के भंडारण के लिए शीतकक्ष, लिनन भंडार, कचराघर, हाउसकीपिंग स्टोर और शीत भंडारण के लिए बेसमेंट के उपयोग की अनुमति दी जाएगी।
- iv. हेल्थकेयर सुविधाओं के मामले में, संबंधित एजेंसियों के पूर्व अनुमोदन से पार्किंग; आवश्यक सेवाओं जैसे एयर कंडीशनिंग प्लांट और उपकरण, पानी का भंडारण, बॉयलर, इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, एचटी एंड एलटी पैनल कक्ष, ट्रांसफार्मर कम्पार्टमेंट, नियंत्रण कक्ष, पंप हाउस, जनरेटर कक्ष; स्टाफ लॉकर कक्ष, स्टाफ चेंजिंग रूम, रसोईघर की सुविधा के बिना स्टाफ डाइनिंग सुविधाओं, सेंट्रल स्टेराइल आपूर्ति विभाग, बैंक एंड ऑफिस; अन्य यांत्रिक सेवाओं; विद्युत और अग्निशमन उपकरणों की स्थापना; और अन्य सेवाओं जैसे कि रसोईघर, लौंड्री और रेडियोलॉजी लैब और भवन के रखरखाव / संचालन करने के लिए आवश्यक अन्य आवश्यक सेवाओं के उपयोग के बाद बेसमेंट का स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- v. ऊंची इमारतों के मामले में, संबंधित प्राधिकरणों से मंजूरी के अधीन सैटबैक लाइनों के भीतर भूखण्ड की चारदीवारी से 6 मी. तक बेसमेंट की अनुमति होगी।
- vi. भवन की लाइन से बाहर बेसमेंट (बेसमेंटों) को जमीन के साथ फ्लश रखा जाएगा और वातायन के यांत्रिक साधनों से हवादार रखा जाएगा।
- vii. बेसमेंट (बेसमेंटों) को इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि आवश्यकता पड़ने पर ये अग्नि शमन वाहन का पूरा भार उठा सकें, और इनमें पर्याप्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था हो।
- viii. यदि बेसमेंट उपयोग परिसरों के अनुरूप गतिविधि जहां अनुमत हो, के लिए उपयोग किया जाता है, इसे अग्निशमन प्राधिकरणों और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी के अधीन एफएआर में गिना जाएगा।
- ix. ईएसएस, अग्निशमन संस्थापनाओं और भूमिगत पानी की टंकी को न तो भूमि कवरेज में और न ही एफएआर में गिना जाएगा।

22.15.4 सर्विस प्लान

डेवलपिंग एजेंसी को 3000 वर्गमीटर और उससे अधिक आकार के भूखंडों की लेआउट योजनाओं (प्लानों) में निम्नलिखित की व्यवस्था करनी चाहिए:

- i. शोधित अपशिष्ट जल का पुनचक्रण जिसमें पेयजल और पुनचक्रीत जल के लिए अलग-अलग लाइनें हों। दोहरी पाइपिंग प्रणाली शुरू की जाए।
- ii. वर्षा जल संचयन, जल निकायों के संरक्षण के माध्यम से भूजल पुनर्भरण और भूजल को निकालने को विनियमित करना।
- iii. शोधित सीवेज अपवाह का पीने से इतर उपयोग जैसे बागवानी, वाहनों की धुलाई, टावरों को ठंडा करने, इत्यादि के लिए पुनचक्रण किया जाना चाहिए।
- iv. भूखंड के भीतर भूमिगत जल भंडारण टैंक, रूफ टॉप जल संग्रहण प्रणाली, सूखे और गीले अलग-अलग डस्टबिन आदि जैसी जन उपयोगिता सेवाओं की व्यवस्था की जाए।
- v. सभी अस्पतालों, व्यावसायिक, औद्योगिक, होटल, रेस्तरां, ऑटो वर्कशॉपों आदि में भूखंड के भीतर प्राथमिक अपशिष्ट शोधन की व्यवस्था करनी होगी।
- vi. ईएसएस और जनरेटर की व्यवस्था करने और ऊर्जा की खपत प्रस्तुत करने के लिए, भवन योजनाओं की मंजूरी के समय लेखा परीक्षा प्रस्तुत की जाएगी।
- vii. भवनों को ऊर्जा कुशल बनाने के लिए भवन में खोखली दीवारों, प्रांगण, छायादार उपकरणों के प्रावधानों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- viii. 300 वर्गमीटर और उससे अधिक क्षेत्रफल की छत वाले सभी भूखंडों पर सौर ताप प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी।
- ix. उपरोक्त को प्रोत्साहित करने के लिए, स्थानीय निकायों द्वारा किए गए प्रावधानों के आधार पर प्रोत्साहन के रूप में प्रत्येक पर 1% से 4% अतिरिक्त भूमि कवरेज और एफएआर दिया जाए। विशेष मामलों में 5% प्रोत्साहन की अनुमति दी जाएगी।
- x. ये प्रोत्साहन हरित भवनों के लिए 'ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट'(गृह) द्वारा निर्धारित रेटिंग मानदंडों पर आधारित होंगे।
- xi. यदि दखल प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद उपर्युक्त का पालन नहीं किया जाता, भू-स्वामी एजेंसी द्वारा प्रोत्साहन एफएआर के लिए बाजार दर पर जुर्माना लगाया जाएगा। उपरोक्त के प्रवर्तन के लिए विनियम पर्यावरण विभाग, जीएनसीटीडी के परामर्श से निदेशक, स्थानीय स्व-सरकार, जीएनसीटीडी द्वारा छह माह (संशोधनों की अधिसूचना के बाद) के भीतर विनियम तैयार किए जाएंगे और प्राधिकरण / केंद्र सरकार के अनुमोदन से अधिसूचित किए जाएंगे।

22.15.5 उपयोग परिसरों के भीतर भवन नियंत्रण के लिए विनियम

इन विनियमों का उद्देश्य आंतरिक व्यवस्था को छोड़कर उपयोग परिसर के भीतर भवन(नों) के लिए नियंत्रण प्रदान करना है, जो भवन उपनियम में कवर किए गए हैं।

सामान्य टिप्पणियां:

- i. जहां किसी उपयोग परिसर के लिए विकास नियंत्रण निर्धारित नहीं हैं, प्राधिकरण द्वारा इनका निर्धारण किया जा सकता है।
- ii. मेजेनाइन फ्लोर और सर्विस फ्लोर को, जहां भी प्रदान किए जाते हैं, कुल एफएआर का हिस्सा माना जाएगा। यदि सभी उपयोग जोनों में भवन की ऊंचाई 26 मीटर या उससे अधिक है, दिविप्रा की तकनीकी समिति विशेष परिस्थितियों में निम्नलिखित की अनुमति दे सकती है:

क) स्टिल्ट फ्लोर या बेसमेंट में स्टैक-पार्किंग के प्रावधान के मामले में, न्यूनतम ऊंचाई 2.4 मीटर होनी चाहिए।

ख) संबंधित एजेंसियों के पूर्व अनुमोदन से भवन के रखरखाव के लिए आवश्यक उपकरणों और सेवाओं की संस्थापना के लिए आंतरायिक सर्विस फ्लोर की अनुमति दी जा सकती है और इसे एफएआर में नहीं गिना जाएगा। सर्विस फ्लोर की ऊंचाई का निर्णय संरचनात्मक ढांचों की गहराई, जलभंडारण, अन्य उपकरणों आदि को प्रदान करने के लिए अपेक्षित ऊंचाई के आधार पर किया जाएगा। भवन में सर्विस फ्लोर की ऊंचाई 1.8 मीटर तक सीमित होगी।

- iii. यदि भवन का निर्माण गैर-रहने योग्य ऊंचाई (2.4 मीटर) के स्टिल्ट क्षेत्र के साथ किया जाता है और पार्किंग, भूदृश्यांकन आदि के लिए इसका उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, स्टिल्ट फ्लोर को एफएआर में शामिल नहीं किया जाएगा।
- iv. जहां भी विभिन्न श्रेणियों के भूखंडों के लिए भवन विनियम दिए गए हों, कवर एरिया और फ्लोर एरिया किसी भी मामले में पूर्ववर्ती श्रेणी में सबसे बड़े भूखंड के लिए क्रमशः अनुमत कवर एरिया और फ्लोर एरिया से कम नहीं होगा।
- v. 'आवासीय भूखण्ड - प्लॉटेड हाउसिंग' को छोड़कर, 1000 वर्गमीटर और उससे अधिक आकार के सभी भूखंडों के मामले में, व्यवस्था के अनुसार प्रांगण की अनुमति दी जाएगी- प्रांगण उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम 10% अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी। यदि प्रांगण के लिए अनुमेय अतिरिक्त ग्राउंड कवरेज का उपयोग किया जाता है, उपयोग किए गए ग्राउंड कवरेज का 25% एफएआर में गिना जाएगा।

22.15.6 आवासीय उपयोग परिसरों के भीतर गैर-आवासीय उपयोग के लिए मानदंड

- i. आवासीय उपयोग परिसर के भीतर तीन प्रकार की गैर-आवासीय गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी:
 - क. प्रोफेशनल गतिविधियाँ
 - ख. अन्य गतिविधियाँ - व्यावसायिक और पीएसपी का उपयोग
 - ग. घरेलू उद्योग

ii. लुटियंस बंगला जोन, सिविल लाइंस बंगला जोन, सरकारी आवास, सार्वजनिक और निजी एजेंसियों के संस्थागत / कर्मचारी आवास और धरोहर संरक्षण समिति द्वारा अधिसूचित और धरोहर भवनों/परिसरों के लिए धरोहर संरक्षण समिती/सक्षम प्राधिकारी का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही गैर आवासीय प्रयोग की अनुमति दी जाएगी।

iii. **मिश्रित उपयोग क्षेत्र/सड़कों को चिह्नित करना:**

निम्नलिखित सड़कों/क्षेत्रों को इस खंड के प्रयोजन हेतु मिश्रित उपयोग क्षेत्र/सड़क और कमर्शियल सड़कों के रूप में समझा जाएगा:

क. सक्षम प्राधिकारी द्वारा मिश्रित उपयोग सड़क या कर्मशयल सड़क के रूप में पहले से अधिसूचित सभी सड़क और स्ट्रेच (क्षेत्र विस्तार)

ख. आवासीय क्षेत्र और सड़क/कर्मशियल क्षेत्र/सड़क के रूप में पहले घोषित स्ट्रेच (क्षेत्र विस्तार) या जहां मुख्य योजना दिल्ली एनपीडी 1962 में कर्मशयल उपयोग अनुमत था, को उस सीमा तक जो एमपीडी-1962 के अनुसार अनुमेय थी, जारी रहेंगे।

ग. उनके दस्तावेजी साक्ष्य के अध्याधीन आवासीय क्षेत्रों में 1962 से पूर्व मौजूद कमर्शियल गतिविधियां।

घ. 1962 पूर्व कालोनियों में प्लॉटिड विकास को इस अध्याय के प्रयोजन हेतु उनकी संबंधित श्रेणियों (ए से जी) में पुनर्वास कालोनियों के रूप में समझा जाएगा।

ड. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना की प्रक्रियाधीन कोई सड़क/स्ट्रेच या जहां यह मामला अधिसूचना प्रक्रिया के पूरा होने पर वर्तमान में निर्णयाधीन है।

च. पहले चिह्नित सड़कों के अलावा किसी नई सड़क को मिश्रित उपयोग/कमर्शियल उपयोग सड़क के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाएगा।

छ. दिल्ली मुख्य योजना-21 के तहत मिश्रित उपयोग के लिए यथा अनुमोदित सभी मौजूदा भू-खंडों और उपयोगों को अनुमोदित शर्तों के अनुसार जारी रखने की अनुमति होगी।

iv. **प्रोफेशनल गतिविधियाँ:**

प्रोफेशनल गतिविधियों से आशय उन गतिविधियों से है, जिनमें व्यावसायिक कौशल नामतः डॉक्टर, वकील, वास्तुकार और चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, लागत और निर्माण कार्य लेखाकार, इंजीनियर, टाउन प्लानर, मीडिया प्रोफेशनल्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, मैनेजमेंट* प्रोफेशनल और डायटीशियन / न्यूट्रिशनलिस्ट्स से संबंधित सेवाएं शामिल हैं। सभी आवासीय उपयोग परिसरों (प्लॉटेड विकास और ग्रुप हाऊसिंग) में इनकी अनुमति दी जाएगी।

प्रोफेशनल गतिविधि निम्नलिखित में स्वीकार्य है :

क. ग्रुप हाऊसिंग और एकाधिक आवासीय इकाईयों वाले प्लॉटेड विकास में, किसी भी तल पर प्रत्येक आवासीय इकाई के अनुमेय अथवा स्वीकृत एफएआर, जो भी कम हो, के अधिकतम 50% के अधीन प्रोफेशनल गतिविधि अनुमत होगी।

ख. एकल आवासीय इकाई वाले प्लॉटेड विकास के मामले में, प्रोफेशनल गतिविधि केवल किसी एक मंजिल पर ही अनुमेय होगी, लेकिन यह उस प्लॉट पर अनुमत अथवा स्वीकृत एफ ए आर , जो भी कम हो, के 50% से कम तक प्रतिबंधित होगी ।

- ग. प्लॉटेड विकास में निर्माण उप-कानूनों, संरचनात्मक सुरक्षा मानदंडों और अग्नि शमन सुरक्षा मंजूरी के संबद्ध प्रावधानों के अधीन बेसमेंट में प्रोफेशनल गतिविधि अनुमत है। यदि बेसमेंट का प्रोफेशनल गतिविधि के लिए उपयोग भूखण्ड पर अनुमेय एफएआर से अधिक हो जाता है, तो ऐसे अतिरिक्त एफएआर का उपयोग सरकार के अनुमोदन से निर्धारित उचित शुल्क के भुगतान के अधीन किया जाएगा।
- घ. आवासीय इकाई को मिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी गतिविधियां आयोजित करने के लिए संबंधित एजेंसियों से सभी आवश्यक लाइसेंस, अनुमति और मंजूरी प्राप्त की जाएगी।

v. घरेलू उद्योग

औद्योगिक गतिविधियों (अनुलग्नक-4 में सूचीबद्ध) निम्नलिखित शर्तों के अनुसार सभी आवासीय उपयोग परिसरों में घरेलू उद्योगों के रूप में अनुमति दी जाएगी।

- क. कामगारों की अधिकतम संख्या-9
- ख. अधिकतम विद्युत भार (पावर लोड): 11 किलो वाट
- ग. परिसर के भीतर किसी ज्वलनशील या खतरनाक पदार्थ को नहीं रखा जाएगा।
- घ. आवासीय इकाई के 50% अनुमेय तल क्षेत्र की सीमा तक किसी तल पर घरेलू आद्योगिक इकाई की अनुमति होगी। बेसमेंट में इस तरह की गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।
- ड. अलग औद्योगिक इलैक्ट्रिक कनेक्शन (सिंगल फेज) और नगर निगम लाइसेंस संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त किया जाएगा।
- च. आवासीय क्षेत्रों में एनोडाइज करने, ब्लीच करने, कोयला जलाने, डिब्बाबंद सुविधा, झाड़ू करने, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, मोल्डिंग कार्य, सीएफसी गैस के उपयोग, वार्निश करने, धुलाई करने और अन्य अधिक जल उपयोग वाली प्रक्रियाओं जैसे कार्यों को करने की अनुमति नहीं होगी।

vi. मिश्रित उपयोग में व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों की अनुमति

क. व्यावसायिक गतिविधियाँ

तालिका 22.84 चिन्हित मिश्रित उपयोग क्षेत्रों / सड़कों और व्यावसायिक सड़कों में अनुमत गतिविधियों के प्रकार

गतिविधियाँ	अनुमत उपयोगों के प्रकार	अधिसूचित मिश्रित उपयोग सड़कों के मामले में	अधिसूचित व्यावसायिक सड़कों के मामले में
------------	-------------------------	--	---

व्यावसायिक	<ul style="list-style-type: none"> - खुदरा दुकान, मरम्मत की दुकान, कार्मिक सेवा की दुकान - कार्यालय - रेस्टोरेंट 	अनुमत भूमि कवरेज तक संपूर्ण भूतल।	<ul style="list-style-type: none"> क. एफएआर के 100% तक अनुमत ख. एलएससी में अनुमत सभी उपयोगों की अनुमति दी जाएगी ग. बैंकवेट हॉल की भी अनुमति होगी
------------	---	-----------------------------------	---

नोट:

i. मिश्रित उपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी:

- क. भवन निर्माण सामग्री (टिम्बर, टिम्बर से बने उत्पाद (फर्नीचर को छोड़कर) मार्बल लोह और इस्पात (बजरी, सीमेंट और बालू रेत 2), ईंधन कोयला और कोई आग पकड़ने वाले पदार्थ और अन्य भारी सामग्री की खुदरा दुकाने (रिटेल शॉप)
- ख. ऑटो मोबाइल, टायर रीसोलिंग और री-ट्रेयडिंग और बैटरी चार्ज करने की मरम्मत शॉप/वर्कशॉप।
- ग. भंडारण, गोदाम और वेअर हाउसिंग)
- घ. जंक शॉप (सिवाए पेपर और ग्लास वेस्ट को छोड़कर)
- ङ. शराब की दुकान
- च. प्रिंटिंग डाईंग और वार्निशिंग
- छ. कोई अन्य गतिविधि जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो।

ii. 24 मीटर और उससे अधिक मार्गाधिकार वाली मिश्रित- उपयोग अथवा व्यावसायिक अधिसूचित सड़कों पर

- परिष्कृत निर्माण सामग्री (बजरी, रेत और सीमेंट सहित) की दुकानों को केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब कोई कटिंग और पॉलिशिंग गतिविधि नहीं की जाती है। अधिकतम 50% भूमि कवरेज वाले न्यूनतम 100 वर्गमीटर के भूखंडों पर इनकी अनुमति दी जाएगी।
- ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकानों और वर्कशॉपों को 30 मीटर या उससे अधिक मार्गाधिकार पर अनुमति दी जाएगी।

दि.वि.प्रा. के फ्लैटों के मामले में, अधिसूचित सड़कों पर फ्लैटों के पूरे भूतल को निम्नानुसार अनुमति दी जाएगी:

- केवल एक छोटी दुकान- अधिकतम 20 वर्गमीटर क्षेत्र की अनुमति होगी।
- फ्लैटों को मिलाने की अनुमति नहीं होगी।

यदि गैर-आवासीय गतिविधियों के लिए बेसमेंट का उपयोग प्लॉट पर अनुमेय एफएआर से अधिक हो जाता है, तो ऐसे अतिरिक्त एफएआर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उचित शुल्क के भुगतान के अधीन होगा।

ख. अन्य गतिविधियां

मोटे तौर पर निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार और निर्धारित न्यूनतम मार्गाधिकार की सड़कों के आसपास के भूखंडों पर "अन्य गतिविधि" 'सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक' सुविधाओं की प्रकृति की होती है। आवासीय भूखंडों में अनुमेय अन्य गतिविधियों के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी, चाहे सड़क को मिश्रित उपयोग वाली सड़क के रूप में अधिसूचित किया गया हो अथवा नहीं:

- i. क, ख, ग और घ कालोनियों में, न्यूनतम 200 वर्ग मीटर वाले भूखंडों पर और ड, च, छ कालोनियों में न्यूनतम 75 वर्ग मीटर भूखंडों पर सभी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। न्यूनतम मार्गाधिकार इस प्रकार होगा:

तालिका 22.85 अन्य गतिविधियों के लिए न्यूनतम मार्गाधिकार शर्तें

कॉलोनी के प्रकार	शर्त
ए और बी कॉलोनियाँ	केवल 24 मी. और उससे अधिक मार्गाधिकार पर
सी और डी कॉलोनियाँ	नियमित आवासीय प्लॉटेड विकास में, केवल 24 मी. या उससे अधिक मार्गाधिकार, पुनर्वास कॉलोनियों और नियमित-अनधिकृत कॉलोनियों, पुनर्वास कॉलोनियों, मार्गाधिकार और शहरी गाँवों में 9 मीटर मार्गाधिकार ।
ई, एफ और जी कॉलोनियाँ	नियमित आवासीय प्लॉटेड विकास में, केवल 13.5 मी. या उससे अधिक मार्गाधिकार, पुनर्वास कॉलोनियों और नियमित-अनधिकृत कॉलोनियों, पुनर्वास कॉलोनियों, एओडब्ल्यूसी और शहरी गाँवों में 9 मीटर मार्गाधिकार ।
नोट: दि.मु.यो.-21 के प्रावधानों के अनुसार सभी प्रकार की कॉलोनियों (मौजूदा मुख्य योजना की अधिसूचना से पहले) में स्वीकृत किसी भी मौजूदा उपयोग की अनुमति देना जारी रहेगा ।	

ii अन्य गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

तालिका 22.86 चिन्हित मिश्रित उपयोग क्षेत्रों / सड़को और व्यावसायिक सड़को में अनुमत अन्य गतिविधियाँ

अन्य गतिविधियाँ	अनुमत उपयोगों के प्रकार	अन्य शर्तें
-----------------	-------------------------	-------------

<p>पीएसपी</p>	<ul style="list-style-type: none"> • बैंक • औषधालय, क्लिनिक, क्लिनिकल प्रयोगशाला, पैथोलॉजी प्रयोगशाला, छोटे संग्रह केंद्र, प्रसूति गृह, नर्सिंग होम / पॉलीक्लिनिक • प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नर्सिंग होम, परिवार कल्याण केंद्र शिशु चिकित्सा केंद्र / जराचिकित्सा(जेरियाट्रिक) केंद्र ,डॉयोग्नोस्टिक केंद्र, स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि। • स्वस्थता केन्द्र जिसमें डे स्पा/वजन घटाने वाले केन्द्र/आयुर्वेदिक उपचार प्रदान करने वाले आयुर्वेदिक केन्द्र/फिटनेस और सौंदर्य चिकित्सा सेवाओं की पेशकश करने वाले सैलून शामिल हैं। • प्री-प्राइमरी / नर्सरी / मॉटेसरी स्कूल; प्ले स्कूल • क्रेच और डे केयर सेंटर • कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान • व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, कौशल केंद्र, कोचिंग केंद्र, • वरिष्ठ नागरिकों की बैठक कक्ष, बैंकवेट हॉल, इनडोर खेल सुविधाएं, फिटनेस सेंटर और जिम • अतिथि गृह (लोजिंग हाउस सहित) कमरों की संख्या के बिना। 	<p>क. अनुमेय एफएआर का अधिकतम 2/3 भाग उपयोग किया जा सकता है। हालाँकि, बैंक 600 वर्ग मीटर तक सीमित रहेगा।</p> <p>ख. 24 मी. मार्गाधिकार / अधिसूचित मिश्रित उपयोग / व्यावसायिक सड़क से सटे भू खंडों पर सभी गतिविधियाँ अनुमत एफएआर के 100% तक स्वीकार्य होंगी।</p> <p>ग. बैंक लॉकर यदि मौजूदा बैंक का भाग हैं तो उनको उन्हीं परिसरों में संबंधित बेसमेंट में अनुमति होगी।</p> <p>घ. क एवं ख कॉलोनियों में निम्नलिखित की अनुमति होगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> • गेस्ट हाउस (लॉजिंग हाउस सहित) • नैदानिक केंद्र • प्रसूति गृह, नर्सिंग होम/पॉली क्लीनिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, परिवार कल्याण केंद्र, बाल चिकित्सा केंद्र, जेरिएटिक केंद्र, विस्तार स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (जैसे-ट्रांजिशन होम, रिसपाइट केयर सेंटर, विकलांग और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के विशेष सुविधाएं। • प्री-प्राइमरी / नर्सरी, मॉन्टेसरी / क्रेच / डे केयर के उपयोग की अनुमति होगी। <ul style="list-style-type: none"> • बैंकों , गैर सरकारी संगठनों फिटनेस सेंटर और स्वस्थता केंद्रों को एमपीडी-2021. के प्रावधानों के अनुसार अनुमति होगी। <p>ङ. बेसमेंट में प्री-प्राइमरी/नर्सरी, मॉन्टेसरी/ क्रेच / डे केयर के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।</p> <p>च. 24 मीटर मार्गाधिकार वाली सड़कों पर न्यूनतम 1000 वर्गमीटर क्षेत्र वाले भूखंडों पर स्किलिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान के लिए उपयोग की अनुमति दी जाएगी।</p> <p>छ. 24 मीटर और उससे अधिक मार्गाधिकार पर ही बैंकवेट हॉल की अनुमति दी जाएगी। ये बेसमेंट और भूतल तक प्रतिबंधित रहेंगे।</p> <p>ज. स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में, आवासीय क्षेत्रों में विकिरण (रेडिएशन) आधारितधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p> <p>झ. 07.02.2007 को मौजूद और लागू अधिनियमों के तहत पंजीकृत केवल गैर-लाभकारी संगठनों / गैर सरकारी संगठनों का संचालन जारी रह सकता है।</p> <p>ञ. अधिसूचना की तारीख पर या उससे पहले मौजूद केवल उपयुक्त वैध लाइसेंसधारक और सभी वैधानिक मंजूरीयों वाले भूतल पर स्थित रेस्तरां को ही अधिसूचित मिश्रित उपयोग सड़कों पर अनुमति दी जाएगी।</p>
---------------	---	--

viii. चारदीवारी शहर तथा सांस्कृतिक परिसीमाओं में मिश्रित उपयोग के अधीन व्यावसायिक एवं अन्य गतिविधियों की अनुमेयता

तालिका 22.87 चारदीवारी शहर तथा सांस्कृतिक परिसीमाओं के भाग के रूप में चिन्हित भूखंडों के लिए लागू मानदंड

अनुमत उपयोग के प्रकार	मार्गाधिकार की आवश्यकता	न्यूनतम भूखंड का आकार
छोटी दुकानें	कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं	कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं अधिकतम 1 यूनिट प्रति भूखंड
खुदरा दुकान, मरम्मत की दुकान, कार्मिक सेवा की दुकान, कार्यालय और रेस्तरां)	न्यूनतम 6 मीटर मार्गाधिकार	75 वर्ग मी
<ul style="list-style-type: none"> • औषधालय, क्लिनिक, क्लिनिकल प्रयोगशाला, पैथोलॉजी प्रयोगशाला, छोटे संग्रह केंद्र, • प्रसूति गृह • नर्सिंग होम / पॉलीक्लिनिक • प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र • परिवार कल्याण केंद्र • शिशु चिकित्सा केंद्र / जेरियाट्रिक केंद्र • डायग्नोस्टिक सेंटर • प्री-प्राइमरी / नर्सरी / मॉटेसरी स्कूल; प्ले स्कूल • क्रेच और डे केयर सेंटर • कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान • वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, स्किलिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर • वाचनालय / पुस्तकालय, युवा केंद्र, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैठक कक्ष, ध्यान /आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं, बैंक्वेट हॉल, इनडोर खेल सुविधाएं, स्वास्थ्य केंद्र और जिम, लघु धार्मिक सुविधा, डाकघर काउंटर 	न्यूनतम 9 मीटर मार्गाधिकार	75 वर्ग मी

ix. ग्रुप हाउसिंग में गैर-आवासीय गतिविधियाँ

ले-आउट प्लान में विशेष रूप से उपबंधित ग्रुप हाउसिंग भूखंडों के मामले में, अनुमत एफएआर अथवा 1000 वर्गमीटर जो भी कम हो, छोटी दुकान और खुदरा दुकान, मरम्मत की दुकान, कार्मिक सेवा की दुकान का उपयोग के अधिकतम 1.5% तक की अनुमति दी जाएगी। स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली छोटी दुकानों की इकाइयों के प्रावधान के लिए ऐसी एफएआर का कम से कम 50% अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक 20 वर्गमीटर की न्यूनतम 4 दुकानें प्रदान की जाएंगी। इस तरह के उपयोग ऊर्ध्वाधर मिश्रण या भूखंड के भीतर अलग ब्लॉक के रूप में प्रदान किए जा सकते हैं।

x. आवासीय विकास के भीतर सभी गैर-आवासीय गतिविधियों पर लागू अतिरिक्त मानदंड:

- क. डीसीएन, जैसा कि विशेष आवासीय उपयोग के लिए लागू होता है, इस हेतु लागू होना जारी रहेगा भले ही भूखंड/आवासीय इकाई को मिश्रित उपयोग में रखा गया हो।
- ख. प्लॉटेड हाउसिंग भूखंडों में चारदीवारी मुख्य पहुंच सड़क के साथ वैकल्पिक होगी। स्टिल्ट पार्किंग वाले भूखंडों में, दुकान अग्रभाग और अन्य अनुमत मिश्रित उपयोग गतिविधियों को प्रदान करके सक्रिय फ्रंटेज को बनाए रखा जाएगा। ऐसी दुकानों की एफएआर के तहत गणना की जाएगी।
- ग. जहां भी सर्विस सड़क उपलब्ध है अथवा प्रस्तावित है, तो मिश्रित उपयोग परिसर को ऐसी सर्विस सड़क से पहुंच प्रदान की जाएगी, न कि सीधे मुख्य कैरिजवे सड़क से।
- घ. सड़कों अथवा सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ड. किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक, खतरनाक, ज्वलनशील, गैर-संगत और प्रदूषणकारी पदार्थ या प्रक्रिया से जुड़े किसी भी व्यापार या गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

च. लागू प्रभार निम्नानुसार होंगे:

- गैर-आवासीय गतिविधियों वाले सभी परिसरों के लिए संबंधित स्थानीय निकाय को ऐसे मिश्रित उपयोग की घोषणा करने की आवश्यकता होगी, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक प्रभारों का भुगतान करना होगा।
- गैर-आवासीय गतिविधियों वाले सभी परिसर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार, उस अवधि के लिए, जिसके दौरान गैर-आवासीय गतिविधियों के लिए संपत्ति का उपयोग किया गया है, संबंधित स्थानीय निकाय को लागू मिश्रित उपयोग प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- आवंटित/मालिक किसी भी गैर-आवासीय गतिविधि के लिए परिसर का उपयोग करने से पहले सभी आवश्यक शुल्क अथवा प्रभारों का भुगतान करेगा।
- मिश्रित उपयोग के तहत संपत्तियों की परीक्षण जांच के लिए संबंधित स्थानीय निकाय जिम्मेदार होगा, चाहे वह इसके साथ पंजीकृत हो अथवा नहीं।
- संबंधित अधिनियम के तहत उपलब्ध अन्य दंडात्मक कार्रवाई के अलावा, बिना पंजीकरण के अथवा इस अधिसूचना की शर्तों का उल्लंघन करते हुए मिश्रित उपयोग में पाए जाने वाली संपत्तियां, स्थानीय निकाय को ऐसे अर्थदंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया गया हो।

22.18 ग्रीन ब्लू फैक्टर (जीबीएफ)

जीबीएफ की गणना भूखंड स्तर पर की जाएगी, और इसे सभी भवन और लेआउट अनुमोदन के लिए एक शर्त के रूप में एकीकृत किया जाएगा। जीबीएफ गणना हेतु उपयोग किए जाने वाले कारक और कार्यप्रणाली निम्नानुसार हैं:

जीबीएफ विभिन्न प्रकार के नीले/हरे तत्वों के अंतर्गत(जैसा कि ऊपर चिन्हित किया गया है) उनके संबंधित कारक के विरुद्ध कुल भूखंड क्षेत्र के क्षेत्रफल का अनुपात है:

तालिका 22.88 जीबीएफ कैलकुलेटर

क्र.सं.	ब्लू / ग्रीन तत्व (एलिमेंट) का प्रकार (X)	कारक
1	अभेद्य सतह (पक्के फुटपाथ क्षेत्र, काले शीर्ष वाले ब्लैक टॉप ड्राइववे और आंतरिक सड़कें, हरे रंग की छत के बगैर छत की सतह सहित)	0
2	क्लोरीनयुक्त पानी की सुविधा (जैसे स्विमिंग पूल)	0.2
3	हरित दीवार (बाहरी दीवार सतहों पर पौधों के लिए समर्थित ऊर्ध्वाधर प्रणाली)	0.2
4	पानी सोखने वाली टाइलों के साथ पारगम्य सतह	0.3
5	मैनीक्योर किए लॉन और/अथवा ग्रीनहाउस के साथ पारगम्य सतह	0.5
6	हरित छत (न्यूनतम 70% क्षेत्र पौधों और झाड़ियों से ढंके हुए)	0.6
7	प्राकृतिक घास/मैदान और वनस्पति के साथ पारगम्य सतह (शहरी कृषि सहित)	0.8
8	पेड़ आच्छादन के तहत क्षेत्र (कैनोपी सघनता 10 से 40%)	0.9
9	सघन पेड़ आच्छादन के अधीन क्षेत्र (कैनोपी सघनता 40% अथवा अधिक)	1
10	गैर अवशोषी तल के साथ खुले जलाशय (गैर क्लोरीनीकृत)	1
<p>निम्न सूत्र का उपयोग करके किसी भूखंड हेतु जीबीएफ की गणना निम्न सूत्र का उपयोग करके की जाएगी:</p> $\text{जीबीएफ} = \{(\text{तत्व X संगत कारक के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र}) + \dots (\text{तत्व nX संगत कारक के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र})\} / \text{कुल भूखंड क्षेत्र}$		

22.19 विकास अधिकार का हस्तांतरण (टीडीआर)

हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) का अर्थ है मुख्य योजना द्वारा अनुमेय विशिष्ट स्थानों पर अप्रयुक्त विकास अधिकारों के एवज में प्रदान की गई एफएआर। टीडीआर का उपयोग योजना द्वारा चिन्हित टीडीआर प्राप्त किए जाने वाले क्षेत्रों में ही किया जा सकता है।

टीडीआर वहां दिए जाएंगे, जहां सार्वजनिक उद्देश्य जैसे कि आवश्यक अवसंरचना का प्रावधान, ऐतिहासिक क्षेत्रों का पुनर्सृजन, शहरी गरीबों के लिए आवास आदि के लिए भूमि/विकास का अधिकार जब्त किया गया है।

टीडीआर को टीडीआर प्रमाणपत्र के रूप में प्रदान किया जाएगा। इस हेतु निर्दिष्ट विनियमों के अनुसार टीडीआर प्रमाणपत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाएगा। इस योजना की अधिसूचना के 6 महीने के भीतर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा टीडीआर के कार्यान्वयन की प्रक्रिया संबंधी विनियमों का विवरण तैयार किया जाएगा।

टीडीआर प्रमाणपत्र केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर ही विकास अधिकार प्रदान करेगा। टीडीआर प्रमाणपत्र स्थायी रूप से वैध होगा और मालिक इसे किसी भी समय उपयोग कर सकता है अथवा उसे नियमों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को स्थानांतरित कर सकता है।

टीडीआर प्रमाणपत्र पर कई लेन-देन की अनुमति है जब तक कि जारी किए गए टीडीआर के कुल मूल्य का उपयोग नहीं कर लिया जाता। एक बार टीडीआर पूरी तरह से समाप्त हो जाने के बाद, टीडीआर प्रमाणपत्र अमान्य हो जाता है।

टीडीआर सृजन और प्राप्ति क्षेत्रों के निर्धारण, टीडीआर जारी करने, टीडीआर उपयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया जाएगा।

उपयोगिता हेतु टीडीआर की गणना: उपयोग के लिए टीडीआर का मान/मूल्य पूरे शहर में भूमि मूल्यों में भिन्नता के अनुसार अलग-अलग होगा। भिन्नता को युक्तिसंगत बनाने और प्राप्ति स्थल पर उपयोग किए जाने वाले टीडीआर के मूल्य की गणना करने के लिए निम्न सूत्र लागू होगा।

तालिका 22.89 टीडीआर

प्राप्ति स्थल पर टीडीआर का मूल्य $= (R_g/R_r) \times Y$
जहाँ, R_g = टीडीआर प्रमाण पत्र जारी होने वाले वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली साइट की सर्कल दर के अनुसार भूमि दर रुपये प्रति वर्गमीटर । R_r = उसी वर्ष, जिसके लिए r_g पर विचार किया गया है, के प्राप्ति स्थल की सर्कल दर के अनुसार भूमि दर रुपये प्रति वर्गमीटर । Y = अप्रयुक्त एफएआर (प्रमाणपत्र में यह टीडीआर मूल्य की संपूर्ण अथवा कुछ भाग हो सकती है।

टीडीआर उपयोग के लिए अन्य शर्तें:

- टीडीआर का उपयोग केवल टीडीआर प्राप्ति क्षेत्रों के भीतर किया जाएगा, जिन्हें दि.वि.प्रा. द्वारा सीमांकित और अधिसूचित किया गया हो।

- ii. टीडीआर का उपयोग किसी प्राप्ति स्थान/भूखंड पर अनुमत एफएआर के अतिरिक्त निर्माण के लिए किया जाएगा।
- iii. कोई भूखंड टीडीआर का उपयोग करने के लिए केवल तभी पात्र होगा, जब कम से कम 50% क्षेत्र अधिसूचित टीडीआर प्राप्ति क्षेत्र के भीतर आता हो।

टीडीआर उपयोग हेतु चिन्हित टीडीआर प्राप्ति क्षेत्र और शर्तें निम्नलिखित हैं:

लैंड पूलिंग जोनों में टीडीआर प्राप्ति क्षेत्र: केवल लैंड पूलिंग के तहत अधिसूचित क्षेत्र में लागू शहरी विस्तार सड़कों (यूईआर) के दोनों 500 मीटर का कॉरिडोर (संदर्भ: डीईवी1)।

- i. न्यूनतम 18 मीटर मार्गाधिकार से सीधे पहुंच वाले केवल न्यूनतम 3000 वर्गमीटर के भूखंड, टीडीआर प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। प्लॉटेड आवास टीडीआर प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- ii. टीडीआर का उपयोग भूखंड पर अनुमत समान भूमि उपयोग के लिए अनुमेय एफएआर के अधिकतम 10% तक किया जा सकता है।
- iii. ऊर्ध्वाधर मिश्रण भूखंडों पर युक्तिकरण के उपरान्त किसी भूमि उपयोग के लिए टीडीआर का उपयोग एफएआर के रूप में किया जा सकता है। इसे प्राप्त होने वाले भूखंड के भूमि उपयोग से जोड़ा नहीं जाएगा और इसका उपयोग आवासीय, व्यावसायिक, पीएसपी अथवा औद्योगिक एफएआर के रूप में किया जा सकता है, बशर्ते कि अधिकतम एफएआर सीमा इससे अधिक न हो, और भूखंड पर संगत उपयोगों को सुनिश्चित किया गया हो।
- iv. टीडीआर के उपयोग हेतु सेक्टर स्तर पर प्रत्येक भूमि उपयोग के लिए गणना की गई एफएआर की सीमा तक केवल 10% तक की वृद्धि की अनुमति होगी।
- v. अधिसूचित टीओडी नोड्स और व्यापार प्रोत्साहन जिलों में टीडीआर प्राप्ति क्षेत्र:
- vi. न्यूनतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र की टीओडी योजनाओं अथवा पुनर्सृजन योजनाओं के रूप में आने वाले केवल न्यूनतम 30 मीटर मार्गाधिकार से सीधी पहुंच वाले भूखंड ही टीडीआर प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- vii. अधिकतम टीडीआर अनुमत एफएआर का 10% होगा। किसी भूखंड पर टीडीआर सहित कुल एफएआर 500 से अधिक नहीं होगा।
- viii. ऐसी योजनाओं पर टीडीआर का उपयोग व्यावसायिक, पीएसपी और औद्योगिक उपयोगों के लिए किया जा सकेगा।

22.20 वर्टिकल मिक्सिंग के लिए मानदंड

- i. सुसंगत उपयोगों को किसी भू-खंड पर उसी भवन/संरचना के भाग रूप में विकसित किए जाने की अनुमति दी जाएगी।
- ii. प्रत्येक उपयोग के लिए पृथक प्रवेशनिकास और सेवा कोर की व्यवस्था की जाएगी।
- iii. सुविधा, कॉमर्स, स्कूल आदि जैसे सार्वजनिक उपयोगों की ग्राउंड लेवल से सीधी पहुंच तक निचले तल पर अवस्थित होंगे।

- iv. अस्पताल, स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, विश्वविद्यालय कैम्पस, उपयोगिताएं ईंधन स्टेशन पार्क और किसी प्रकार की संशोधन/पैनल सुविधाओं की अनुमति नहीं होगी। वर्टिकल मिक्सिंग के भाग के रूप में स्थानीय चिकित्सा सुविधाओं की अनुमति होगी।
- v. मिक्सिंग की अनुमति केवल सुसंगत उपयोगों के लिए दी जाएगी जो निम्न प्रकार से हैं।
- केवल गैर-विनिर्माणकारी उद्योग जैसे सेवा उद्योग (आई टी/आई टी ई एस बी पी ओ/के पी ओ आदि) पैकेजिंग और लॉजिस्टिक और गैर प्रदूषणकारी एम एस एम ई यूनिटों को पी एस पी के साथ मिलाया जा सकता है।
 - स्कूलों को केवल आवासीय उपयोग परिसरों के साथ मिलाया जा सकता है। अन्य शैक्षिक संस्थाओं को ऐसे स्वच्छ उद्योगों के साथ मिलाया जा सकता है। जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है।

--- x --- x ---- x --- x --- x ---

संक्षिप्तियों की सूची

ए

- एआई - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस)
- एएआई- एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
- एपीआरएच - अफोर्डेबल पब्लिक रेंटल हाउसिंग
- एएसआई - भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
- एटीए - सक्रिय यात्रा क्षेत्र
- एक्यूआई - वायु गुणवत्ता सूचकांक

बी

- बीएंडबी – बेड एंड ब्रेकफास्ट
- बीबीएमबी - भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड
- बीईई- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
- बीएफएसआई - बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा
- बीआईडी – बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट
- बीआईएस - भारतीय मानक ब्यूरो
- बीपीडी - बिजनेस प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट
- बीआरटी - बस रैपिड ट्रांजिट
- बीयूए – निर्मित-क्षेत्र (बिल्ड-अप एरिया)

सी

- सीबीडी - केंद्रीय व्यापार जिला
- सीएचबीएस - सहकारी आवास भवन सोसायटी
- सीबीओ - समुदाय-आधारित संगठन
- सीबीडब्ल्यूटीएफ - सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं (कॉमन बायो-मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी)
- सीसी - सामुदायिक केंद्र
- सीसीटीवी – क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन
- सीएंडडी अपशिष्ट - निर्माण और डेमोलिशन अपशिष्ट
- सीईटीपी - कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट
- सीजीडब्ल्यूबी - केंद्रीय भू-जल बोर्ड
- सीएमपी - व्यापक गतिशीलता योजना (कॉम्प्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान)
- सीएनजी - संपीड़ित प्राकृतिक गैस (कंप्रेसड नेचुरल गैस)
- सीएनसीआर- केंद्रीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
- सीपी - कनांट प्लेस
- सीपीसीबी - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- सीपीएचईईओ- केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन
- सीपीडब्ल्यूडी - केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

सीआरएमपी - सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन योजना
सीएससी - सुविधा शॉपिंग केंद्र
सीएसपी- सामुदायिक सेवा कार्मिक
सीएसओ - सिविल सोसायटी संगठन
सीएसआर - कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी
सीवी - वाणिज्यिक वाहन

डी

डीसी - जिला केंद्र
डीई- डेवलपर एन्टिटी
डीसीएन- विकास नियंत्रण मानदंड
डीसीआर - विकास नियंत्रण विनियम
डीडीए - दिल्ली विकास प्राधिकरण
डीडीएमए- दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
डीई - डेवलपर एन्टिटी
डीएफसी - डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
डीएफएस- दिल्ली अग्निशमन सेवा (दिल्ली फायर सर्विस)
डीडीएमए- दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
डीएमआरसी- दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
डीआईएमटीएस - दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांजिट सिस्टम
डीआईएससीओएम - वितरण कंपनी
डीजेबी - दिल्ली जल बोर्ड
डीएमए – डिस्ट्रिक्ट मीटर्ड एरिया
डीएमसी - दिल्ली नगर निगम
डीएमआईसी - दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर
डीएमआरसी - दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन
डीओएमसी - दिल्ली वन-मोबिलिटी कमीशन
डीपीसीसी - दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति
डीपीजीएस - दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी
डीआरयू - आपदा प्रतिक्रिया इकाई
डीएसए - डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट
डीएसआईआईडीसी - दिल्ली राज्य औद्योगिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
डीटीसी - दिल्ली परिवहन निगम
डीटीआईडीसी - दिल्ली परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
डीयू – आवासीय इकाई (डवेलिंग यूनिट)
डीयूएसी - दिल्ली शहरी कला आयोग
डीयूएचएफ - दिल्ली अर्बन हेरिटेज फाउंडेशन
डीयूएसआईबी - दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
डीवीसी - दामोदर घाटी निगम

ई

ईसीएस – इन्विटैलेंट कार स्पेस

ईसीबीसी- ऊर्जा संरक्षण भवन कोड
ईसीएस - इक्विवैलेंट कार स्पेस
ईडीसी - बाह्य विकास शुल्क
ईडीएमसी - पूर्वी दिल्ली नगर निगम
ईआईए - पर्यावरणीय प्रभाव आकलन
ईओडीबी – ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
ईएसजेड - इको-सेंसिटिव जोन
ईएसएस- इलेक्ट्रिक सब स्टेशन
ईडब्ल्यूएस- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
ईवी - इलेक्ट्रिक वाहन
ईडब्ल्यूएस - आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

एफ

एफएआर –तल क्षेत्रफल अनुपात
एफडीआई - विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
एफओबी - फुट ओवर ब्रिज
एफटीटीएच - फाइबर-टू-द-होम

जी

जीबीएफ - ग्रीन-ब्लू फैक्टर
जीडीए - ग्रीन डेवलपमेंट एरिया
जीडीपी - सकल घरेलू उत्पाद
जीईआर - सकल नामांकन दर
जीएचजी - ग्रीनहाउस गैस
जीआईएस - भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीएनसीटीडी - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
जीपीसीडी - गैलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन
जीपीआरए - सामान्य पूल रिहायशी आवास
जीआरआईएचए - एकीकृत आवास आकलन के लिए ग्रीन रेटिंग
जीएसएम - मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली
जीवीए - सकल मूल्य जोड़ा गया

एच

एचसीसी – धरोहर संरक्षण समिति
एचसीवी - भारी वाणिज्यिक वाहन
एचडीआई - मानव विकास सूचकांक
एचएच - घरेलू
एचटी – हाई टेंशन

आई

आईसीडी - अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आईसीटी - सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईसीवी - इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल
आईईसी- सूचना शिक्षा और संचार
आई एंड एफसी - सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग
आईएफसी - इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स
आईजीपी - एकीकृत जीडीए योजना
आईजीबीसी- भारतीय हरित भवन परिषद
आईआईए - औद्योगिक सुधार क्षेत्र
आईएनटीएसीएच - इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज
आईपीटी - इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट
आईआरसी - इंडियन रोड कांग्रेस
आईएसबीटी - इंटर स्टेट बस टर्मिनल
आईटी - सूचना प्रौद्योगिकी
आईएसबीटी - इंटर स्टेट बस टर्मिनल
आईटीईएस - सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं
आईटीआई - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आईटीएमएस - इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम

जे

जेजे क्लस्टर - झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर

के

केबीआई - ज्ञान आधारित उद्योग
केपीआई - मुख्य प्रदर्शन संकेतक

एल

एलबीजेड - लुटियंस बंगलो जोन
एसीए - जीवन चक्र विश्लेषण
एलसीवी - लाइट कमर्शियल व्हीकल
एलडीसी - लाइवेल दिल्ली समिति
एल एंड डीओ - भूमि और विकास कार्यालय
एलडीआरए - लो-डेंसिटी आवासीय क्षेत्र
एलडीआरपी - कम घनत्व वाला आवासीय भूखंड (लो-डेंसिटी रेसिडेंसियल प्लॉट)
एलईईडी- ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व
एलआईजी - निम्न आय वर्ग
एलओएस - सेवा का स्तर
एलपीसीडी - प्रति दिन लीटर प्रति व्यक्ति
एलपीजी - द्रवित पेट्रोलियम गैस
एलपीआर - श्रम भागीदारी दर
एलआरटी - लाइट रेल ट्रांजिट

एलएससी - स्थानीय शॉपिंग सेंटर

एम

एमसीसी - मेट्रोपॉलिटन सिटी सेंटर
एमसीडी - दिल्ली नगर निगम
एमसीवी - मीडियम कमर्शियल व्हीकल
एमडीआर - मोबिलिटी डेटा रिपोर्टिंग
एम एंड ई - निगरानी और मूल्यांकन
एमओईएफ और सीसी- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एमईएस - सैन्य इंजीनियर सेवाएं
एमएफए - सामग्री प्रवाह विश्लेषण
एमजीडी - प्रतिदिन लाखों गैलन
एमआईसीई - बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ
एमआईजी - मध्यम आय समूह
एमएलसीपी - मल्टी-लेवल कार पार्किंग
एमएमआई - मल्टी-मोडल इंटीग्रेशन
एमएमएससीएमडी - मिलियन मीट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रति दिन
एमएमटीएच - मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब
एमओएचयूए - आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
एमपीडी - दिल्ली महायोजना
एमआरएफ - सामग्री वसूली सुविधाएं
एमआरटीएस - मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम
एमएसएमई - माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज
एमएसडब्ल्यू - नगरपालिका ठोस अपशिष्ट
एमटीए - मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन
एमटीएनएल - महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
एमयू - मेगा यूनिट
एमयूजेड - बहु-उपयोगिता क्षेत्र
एमडब्ल्यू - मेगावाट
एम एंड डब्ल्यूसी - मेडिसिन और वॉक-इन क्लिनिक

एन

एनबीसी- नेशनल बिल्डिंग कोड
एनसीआर - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनसीआरपीबी - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
एनसीटीडी - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली
एनसीजेड - प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र
एनडीएमसी - नई दिल्ली नगर निगम
एनएफएचएस - राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनजीओ - गैर-सरकारी संगठन
एनएचआई - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एनएचसी - गैर-पदानुक्रमित वाणिज्यिक केंद्र

एनएचसीसी - गैर-पदानुक्रमित वाणिज्यिक केंद्र
एनएमए- राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण
एनएमटी - गैर-मोटर चालित परिवहन
एनएमवी- गैर-मोटर चालित वाहन
एनओसी - अनापति प्रमाण पत्र
एनआर- कोई प्रतिबंध नहीं
एनआरईपी - राष्ट्रीय संसाधन क्षमता नीति
एनआरडब्ल्यू - नॉन रेवेन्यू वाटर
एनटीई - नाइट टाइम इकोनॉमी

ओ

ओ-डी - मूल गंतव्य (ओरिजिन डेस्टिनेशन)
ओएंडएम - संचालन और रखरखाव

पी

पीबीएस - सार्वजनिक साइकिल शेयरिंग
पीडीएस - सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीएचपीडीटी - पीक ऑवर पीक डायरेक्शन (दिशा) ट्रैफ़िक
पीआईएस - यात्री सूचना प्रणाली
पीएलएफएस - आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण
पीएम - पार्टिकुलेट मैटर
पीएमडी - पार्किंग प्रबंधन डिस्ट्रिक्ट
पीएमडीएमयू - योजना निगरानी और डेटाबेस प्रबंधन इकाई
पीएमडीपी - पार्किंग प्रबंधन डिस्ट्रिक्ट योजना
पीएमकेवीवाई - प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
पीएम-यूडीएवई - दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के लिए प्रधानमंत्री आवास अधिकार योजना
पीएमवी - व्यक्तिगत मोटर वाहन
पीओपीएस - निजी स्वामित्व वाले सार्वजनिक स्थल
पीपीपी - सार्वजनिक निजी भागीदारी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप)
पीएसपी - सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक
पीटी - सार्वजनिक परिवहन
पीटीएएल - सार्वजनिक परिवहन पहुँच स्तर
पीयूएचसी - प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्र
पीवी- यात्री वाहन
पीडब्ल्यूडी - दिव्यांग व्यक्ति
सीपीडब्ल्यूडी - केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

आर

आरएंडडी- अनुसंधान और विकास

आरएफआईडी - रेडियो-आवृत्ति पहचान (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन)

आरओडब्ल्यू- मार्गाधिकार (राइट ऑफ वे)

आरओबी - रोड ओवर ब्रिज

आरयूबी - रेलवे अंडर ब्रिज

आरआरटीएस - क्षेत्रीय रेल परिवहन प्रणाली

आरआरटीएस - क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली (आर.आर.टी.एस.)

आरटीवी - रैपिड ट्रांजिट वाहन

आरडब्ल्यूए - रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन

एस

एससीएडीए - पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण

एसडीसी - स्थायी दिल्ली समिति

एसडीजी - सतत विकास लक्ष्य

एसडीएमसी - दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

एसईजेड - विशेष आर्थिक क्षेत्र

एसएमई - लघु और मध्यम स्तर के उद्यम

एसपीए - सेवा प्रदाता एजेंसियां

एसपीवी - विशेष प्रयोजन वाहन

एसआरडीसी - शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम

एसआरएस - सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम

एसटीपी - सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट

एसयूएस - स्थायी शहरी सेवाएँ

एसडब्ल्यूएम - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट)

एसडब्ल्यूओटी - शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरे

टी

टीडीआर - हस्तांतरणीय विकास अधिकार

टीईआरआई - ऊर्जा और संसाधन संस्थान

टीओडी - पारगमन-उन्मुख विकास (ट्रांजिट ओरिएन्टेड डेवलपमेंट)

टीओआर - विचारार्थ विषय (टमर्स ऑफ रेफरेंस)

टीपीडी - टन प्रति दिन

यू

यूबीबीएल - यूनिफाइड बिल्डिंग बाय लॉज

यूसी - अनधिकृत कॉलोनियां

यूईआर - शहरी विस्तार सड़कें

यूजीआर - अंडर ग्राउंड जलाशय

यूएलबी - शहरी स्थानीय निकाय

यूएमटीए - एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण

यूआरडीपीएफआई - शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन

यूटी- केंद्र शासित प्रदेश

यूटीएफ - शहरी परिवहन कोष

यूटीटीआईपीईएफ - एकीकृत यातायात और परिवहन अवसंरचना (योजना और इंजीनियरिंग) केंद्र

वी

वीडीसी - वाइब्रेंट दिल्ली कमेटी

वीजीएफ - व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण

डब्ल्यू

2डब्ल्यूए - दो पहिया वाहन

3डब्ल्यूए - तीन पहिया वाहन

4डब्ल्यूए - चार पहिया वाहन/पीवी (कारें)

डब्ल्यूएचओ - विश्व स्वास्थ्य संगठन

डब्ल्यूएसयूडी - वाटर सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन

डब्ल्यूटीपी - जल शोधन संयंत्र

जेड

जेडडीपी - क्षेत्रीय विकास योजना

जेड- फार्मिंग - जीरो एकड़ फार्मिंग

जेडडब्ल्यूएल - जीरो वेस्ट लोकेलिटीज

शब्दावली

ए

सक्रिय फ्रंटेज (एक्टिव फ्रंटेज)

किसी सड़क का ऐसा हिस्सा जहाँ सड़क और भवन के बीच दृश्यमान/भौतिक पारगम्यता से एक सक्रिय जुड़ाव है। सक्रिय फ्रंटेज में, भवन का अग्र भाग सड़क की अभिमुख होता है और सार्वजनिक गतिविधि जैसे कि खुदरा या मनोरंजक गतिविधियों की सुविधाएं प्रदान करता है। इससे सार्वजनिक सड़क पर पैदल चलने की गतिविधियां और निष्क्रिय निगरानी बढ़ती है।

सक्रिय यात्रा

परिवहन का एक साधन जिसमें जैसे एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाने के लिए शारीरिक गतिविधि जैसेकि पैदल चलना और साइकिल चलाना शामिल हो।

सक्रिय यात्रा क्षेत्र (एटीए)

एनएमटी गलियों के घनत्व में सुधार कर और/अथवा उस क्षेत्र में मौजूदा नेटवर्क की रेट्रोफिटिंग करके सक्रिय यात्रा को बढ़ावा देने के लिए पहचाना गया उपक्षेत्र / क्षेत्र।

अनुकूलक पुनः उपयोग

यह अनुमेय और संगत उपयोगों को समायोजित करने के लिए एक सूचीबद्ध मौजूदा भवनों के पुनः उपयोग की प्रक्रिया है। ऐतिहासिक भवनों में अनुकूल पुनः पुनः उपयोग से लंबे समय तक उपयोगी जीवन के साथ-साथ सौंदर्यपरक और ऐतिहासिक मूल्यों को बनाए रखा जा सकता है। भवन का पुनः उपयोग और उसमें अनुमेय परिवर्तन यूबीबीएल 2016 में दिए गए ग्रेड प्रावधानों के अनुसार होगा।

किराये की वहनीय आवास इकाइयाँ

अवधि (टेन्योर)-आधारित आवासीय इकाइयों में किराये की वहनीय रिहायशी इकाइयाँ और किराए पर शयनगृह आती हैं जैसाकि सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

सभी के उपयोग योग्य पार्क

मनोरंजन सुविधाओं/गतिविधियों के साथ बनाए गए पार्क जिससे ये सभी क्षमताओं और आयु समूहों के उपयोगकर्ताओं के लिए समावेशी बन जाते हैं

एमेन्टीज़ एफएआर

एमेन्टीज़ एफएआर, पुनरूद्धार की प्रक्रिया के रूप में अनियोजित क्षेत्रों में अतिरिक्त सामाजिक सुख-सुविधाओं (एमेन्टीज़) का प्रावधान करने के लिए एक प्रकार का इंसेंटिव एफएआर (अनुमेय एफएआर से अधिक) है।

पुरातत्व पार्क

एक स्थानिक सन्निहित क्षेत्र, जिसमें पारिस्थितिक संपत्ति के साथ धरोहर महत्व की संपत्ति भी जुड़ी हो। ऐसे पार्कों में पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त जनता के लिए एक व्याख्यात्मक और शैक्षिक संसाधन बनने की क्षमता है।

सहायता प्राप्त खरीद इकाइयाँ

अवधि (टेन्थोर)-आधारित रिहायशी इकाईयों में, किराये से स्वामित्व (रेन्ट टू ओन) मॉडल इकाइयां शामिल होती हैं जहां किरायोदार के पास पूर्व-निर्धारित अवधि के अंत में इकाई की खरीद का विकल्प के साथ उसे वार्षिक एकमुश्त राशि को अनिवार्य रूप से अलग रखना होता है।

बी

जैव-जल निकासी (बायो ड्रेनेज)

जैव-जल निकासी या जैविक जल निकासी, पौधों द्वारा वाष्पीकरण के माध्यम से अतिरिक्त मृदा जल को हटाता है, जो पौधों की प्रजातियों, वृक्षारोपण घनत्व, जल स्तर की गहराई और जलवायु पर निर्भर करता है।

बायो-स्वेल

वर्षाजल को बहते हुए रोकने, संसाधित करने और जमीन में वापस प्रविष्ट कराने के लिए वनस्पति से ढका, उथल भूदृश्य गड्ढे के तौर पर बनायी गई हरित अवसंरचना सुविधा।

नीली संपत्ति (ब्लू एसेट)

पारिस्थितिक विशेषताएं जैसे यमुना नदी और आर्द्रभूमि, तालाब, झील, प्राकृतिक नालें और मानव निर्मित सुविधाएं जैसे नहरें, बावली, कुएं आदि।

ब्राउनफील्ड क्षेत्र

शहर का मौजूदा निर्मित क्षेत्र।

व्यापार संवर्धन जिले (बीपीडी)

बीपीडी क्षेत्र में विशिष्ट मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र, जिला केंद्र और संस्थागत क्षेत्र आदि शामिल हैं जैसा कि योजना में पहचान की गई है।

सी

केनोपी डेनसिटी

किसी क्षेत्र का अनुपात जो वृक्षों से ढका हो और कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत में व्यक्त किया गया हो।

कैरिजवे

मोटर और मोटर रहित वाहनों की आवाजाही के लिए आरक्षित स्थान।

सर्कुलर इकोनोमी

आर्थिक मॉडल, जिसमें संसाधनों को यथासंभव लंबे समय तक उपयोग में रखा जाता है ताकि मूल्य अधिकतम हो और अपशिष्ट में कमी आए। यह 'मेक, यूज़, डिस्पोज़' के पारंपरिक रेखीय आर्थिक मॉडल का एक विकल्प है और इसमें पुनचक्रण और मरम्मत अर्थव्यवस्थाएँ, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग, पुनर्चक्रित सीएंडडी अपशिष्ट उत्पाद और निर्माण सामग्री (जैसे फ्लाइ ईश से निर्मित ईटें, मरम्मत किया गया ऐस्फाल्ट पेवमेंट आदि) मल कीचड़ का पुनचक्रमण आदि शामिल हैं।

शहरी स्तर के सर्किट

सांस्कृतिक और / या रचनात्मक अर्थव्यवस्थाओं की सुगमता के लिए उन्नत सुख-सुविधाओं/ सुविधाओं से समर्थित एक सुरक्षित और जीवंत नागरिक समाज/ सामाजिक व्यवहार को संपोषित करने के लिए सार्वजनिक स्थान नेटवर्क, जिसके साथ कभी-कभी थीम कार्यक्रम आदि होते हैं।

स्वच्छ अर्थव्यवस्था / उद्योग

गैर-प्रदूषणकारी और पर्यावरण-अनुकूल अर्थव्यवस्थाएं/उद्योग जैसे ज्ञान और साइबर अर्थव्यवस्थाएं, सांस्कृतिक और रचनात्मक अर्थव्यवस्थाएं, हरित अर्थव्यवस्थाएं, सर्कुलर इकोनोमी आदि, जिनका हवा और पानी की गुणवत्ता पर कम प्रभाव पड़ता है, अपशिष्ट का प्रबंधन करती हैं और इसके जेनरेशन में कमी लाती हैं और साथ ही रासायनिक जोखिम कम करती हैं।

वाणिज्यिक केंद्र

ये प्रमुख व्यापार ट्रेड और वाणिज्य और शॉपिंग केंद्र हैं जो बहु-मॉडल गतिविधियों के रूप में सेवाएं प्रदान करते हैं। इसमें महानगरीय सिटी सेंटर, जिला केंद्र, सामुदायिक केंद्र, स्थानीय शॉपिंग सेंटर, सुविधा शॉपिंग सेंटर और नॉन-हायरारिकल कमर्शियल सेंटर, थोक बिक्री और भंडारगृह (वेयरहाउसिंग) शामिल हैं।

व्यापक मोबिलिटी योजना (सीएमपी)

यह योजना में किसी शहर के लिए वांछनीय मोबिलिटी पैटर्न (लोग और वस्तुएं) का दीर्घकालिक विजन प्रस्तुत करती हैं और इस विजन को प्राप्त करने के लिए कार्यनीतिक और नीतिगत उपाय उपलब्ध कराती हैं।

कंजेशन प्राइजिंग

शहर के किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों पर लगाया जाने वाला शुल्क ताकि उन क्षेत्रों में वाहनों की संख्या और कंजेशन का स्तर कम किया जा सके।

कंसोर्टियम

एक विधिवत पंजीकृत एसोसिएशन जिसके पास विधि के अनुसार अधिकार, कर्तव्य और दायित्व हों, जिसमें कई भूस्वामी/डेवलपर संगठन शामिल होते हैं जो निर्धारित मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार विकास के लिए भूमि का पूल करने के लिए एक साथ आगे आते हैं।

परिवर्तन प्रभार (कनवर्जन प्रभार)

ये सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए शुल्क हैं जो विधि के अनुसार अनुमत लाईसेंस शुल्क के अतिरिक्त भूमि/गतिविधि के उपयोग में परिवर्तन करने पर देय होते हैं।

कम्पलीट स्ट्रीट

इस प्रकार बनाई गई और व्यवस्थित सड़कें जिन पर अन्य उपयोगकर्ताओं की अपेक्षा पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों को प्राथमिकता दी जाती हो और सभी उम्र और क्षमताओं वाले लोगों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित आवाजाही को सक्षम बना सके।

सांस्कृतिक और रचनात्मक अर्थव्यवस्था

पर्यटन, डिजाइन और फैशन, प्रकाशन, एफ एंड बी, मीडिया, दृश्य / प्रदर्शन कला आदि जैसे उद्योगों पर आधारित अर्थव्यवस्था।

सांस्कृतिक हॉटस्पॉट

अत्यधिक जन-गतिविधि, स्थान की पहचान, या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या किसी अन्य महत्व के कारण स्थानीय और पर्यटकों को आकर्षित करने वाले स्थान।

सांस्कृतिक उपक्षेत्र

एक क्षेत्र के भीतर अलग-अलग और गैर-सन्निहित धरोहर स्थलों और/या सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व के भवनों का समूह जो सड़कों या सड़क नेटवर्क द्वारा एक दूसरे से जुड़े हों जिससे एक संसक्त सांस्कृतिक हॉटस्पॉट बनता हो।

सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन योजना (सीआरएमपी)

यह प्रत्येक सांस्कृतिक उपक्षेत्र के लिए तैयार की जाने वाली योजना है जिसमें शहरी डिजाइन और निर्मित फॉर्म नियंत्रण शामिल हैं।

साइक्लिंग राजमार्ग

लंबी दूरी की सक्रिय यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी आवश्यक अवसंरचना युक्त पहचाने गए और विकसित समर्पित साइक्लिंग कॉरिडोर।

डी

विकासकर्ता संस्था (डवलपर एनटिटी) (डीई)

एकल भूमि/ संपत्ति स्वामी अथवा भूमि / संपत्ति स्वामियों का एक समूह, जिन्होंने डवलपमेंट / पुनरुद्धार के लिए एक या एकाधिक भूखण्डों का पूल बनाया हो।

ई

इको-सांस्कृतिक संपत्ति

ऐसी सुविधाएँ जहाँ किसी परिदृश्य के पारिस्थितिक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं को जोड़ा गया हो, जैसे कि ओपन ग्रील वाले संरक्षित स्मारक और धरोहर भवन, बगीचे, निर्मित जल प्रणालियाँ जैसे टैंक, कुएं (बावली) आदि।

अर्थव्यवस्था के मार्ग

शहर में समर्पित उच्च फ्रीक्वेंसी लो-फेयर मास ट्रांजिट रूट ।

अधिभार

कोई भी कानूनी या भौतिक बाधा जिससे किसी संपत्ति की हस्तांतरणीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो और इसका मुक्त उपयोग तब तक प्रतिबंधित होगा जब तक इसका अधिकार न हट जाए।

खाली स्थान (एन्कम्ब्रेंस)

आकाश के नीचे खुले क्षेत्र, जहां लोग आग, भूकंप आदि जैसी किसी घटना के समय एकत्र हो सकें। ये पार्क, बहुउद्देश्यीय मैदान, अन्य खुले स्थान आदि हो सकते हैं जो निवासियों की सहज पहुंच में हो।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)

ईडब्ल्यूएस परिवार को ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है जिनकी वार्षिक आय इस श्रेणी में पात्रता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर यथा: निर्धारित हो।

एक्सप्रेस मार्ग

हाई फुटफॉल मास ट्रांजिट स्टेशनों / गंतव्यों को जोड़ने वाले मार्ग ताकि यात्रा के दौरान स्टॉप / हॉल्ट स्टेशनों की संख्या कम से कम हो और यात्रा का समय अनुकूलित हो। *देखें एमओबी2, खंड 4.4*

बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी)

डीई / कंसोर्टियम द्वारा ट्रंक पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं के निर्माण, बिछाने और स्थापित करने की लागत के लिए चुकाए गए प्रभार होते हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सड़कें, जलापूर्ति, सीवरेज और जलनिकासी प्रणालियां, विद्युत आपूर्ति, हरियाली आदि शामिल हैं।

एफ

फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी

फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी से लोगों को किसी भी सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन हब ट्रिप जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड/डिपो या मेट्रो स्टेशन आदि के आरंभ स्थल से लेना अभिप्रेत है।

बाढ़ को रोकने (फलड डिटेनशन) हेतु सिंक / रिटेंशन सिंक

बाढ़ के पानी को रोकने/ भंडारित करने के लिए प्रयुक्त वर्षाजल प्रबंधन व्यवहार। सड़कों या अन्य अभेद्य सतहों से सतही जल प्रवाह को कम करने और शोधित करने के लिए डिटेंशन सिंक का उपयोग किया जा सकता है। इन्हें ऐसे क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन किया जाता है जिनमें वर्षाजल को एक समयावधि के लिए रोककर रखने की आवश्यकता होती है ताकि ठोस चीजें नीचे बैठ जाएं और जलप्रवाह को कम किया जा सके।

जी

हरी संपत्तियाँ (ग्रीन एसेट्स)

किसी निर्मित संरचना आदि में जैसे वन, बाग, नदीतट, विकास, योजनाबद्ध पार्क, वृक्ष और भूदृश्य वाले क्षेत्र, मनोरंजक हरित क्षेत्र, हरित बेल्ट, उद्यान और हरित छत, आदि जैसी पारिस्थितिक विशेषताएं।

ग्रीन-ब्लू फैक्टर (जीबीएफ)

यह प्लॉट स्तर पर विभिन्न हरी-नीली विशेषताओं अर्थात छत के बगीचे, बरामदें या मध्यवर्ती मंजिलों पर बगीचे, हरी दीवारें, भूदृश्य और/या विगत भूमि क्षेत्र आदि पर बगीचे) के संयोजन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक कारक है।

ग्रीन-ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर

बहु-पैमाने और बहु-प्रकार्य हरित और नीली संपत्ति का परस्पर जुड़ा नेटवर्क, जो प्राकृतिक हो सकता है या बनाया गया भूदृश्य / शहरी डिज़ाइन हो सकता है। यह अवधारणा शहरी नियोजन को संदर्भित करती है जहां जल निकाय और भूमि अन्योन्याश्रित हैं, और पर्यावरण और सामाजिक लाभ प्रदान करते हुए एक दूसरे की मदद से बढ़ता है।

हरित भवन

ऐसा भवन, जो अपने डिज़ाइन, निर्माण और संचालन से जलवायु और प्राकृतिक वातावरण पर नकारात्मक प्रभावों को कम या समाप्त करता है, और सकारात्मक प्रभाव का सृजन करता है और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रखता है।

हरित परिसर (ग्रीन कैम्पस)

कम कार्बन फुटप्रिंट और निवल शून्य ऊर्जा से बनाया गया परिसर। ऐसे स्थलों पर भवन के जीवनचक्र के सभी चरणों में स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल व्यवहारों को लागू करते समय हरित और खुले स्थानों का अनुपात काफी अधिक रखा जाता है।

ग्रीन सेस

विकास प्राधिकरण और स्थानीय निकायों द्वारा लगाया गया प्रशुल्क, शहर में विभिन्न पर्यावरण-संबंधी कार्यों और इंटरवेंशन को बढ़ावा देने के लिए उपयोग में लायी जाने वाली पृथक हरित निधि का निर्माण करता है।

ग्रीन कॉरिडोर

प्राकृतिक नालियों, जल निकायों के किनारे-किनारे प्रस्तावित निरंतर हरित और खुले स्थान जिनमें झाड़ियों से युक्त भूमि, बफर, बाढ़ के मैदान शामिल हो सकते हैं ताकि हरी-नीली संपत्तियों का पूरा शहर में व्यापक नेटवर्क सृजित हो।

ग्रीन कवर

पूरे शहर में पेड़-पौधों से घिरा कुल क्षेत्र जिसमें सार्वजनिक रूप से सुलभ और सार्वजनिक रूप से प्रबंधित हरे स्थान, पहुंच से परे हरित स्थान, निजी स्वामित्व वाली हरी-भरी भूमि (खेत, निजी उद्यान सहित) और भवनों पर हरियाली से घिरा क्षेत्र (हरित छत, बरामदा में बगीचे आदि) शामिल हैं।

ग्रीन डेवलपमेंट एरिया (जीडीए)

ग्रीन डेवलपमेंट एरिया (जीडीए) नीति के अनुसार बड़े वृक्ष और भू-भाग वाले क्षेत्रों से युक्त कम घनत्व और निम्न भवन फुट प्रिंट की विशेषता वाले क्षेत्र के लिए चिह्नित क्षेत्र।

हरित अर्थव्यवस्था (ग्रीन इकोनोमी)

ऐसी अर्थव्यवस्थाएँ जो कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण में कमी लाएं, ऊर्जा और संसाधन दक्षता बढ़ाएं और जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सिस्टम की क्षति को रोकथाम करें। उदाहरणों में शहरी खेती, बागवानी, सौर फार्म, थीम पार्क आदि शामिल हैं।

ग्रीनफील्ड क्षेत्र

एक शहर के भीतर शहरी उपयोग के विकास के लिए उपलब्ध नए क्षेत्र, आमतौर पर नए विकास के लिए बड़ी खाली जमीनों पर।

हरित ईंधन

हरित ईंधन या जैव ईंधन, हाइड्रोकार्बन है जो कि एक जीवित जीव से या उसके द्वारा बनाया जाता है जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है।

ग्रीन फंड

हरी-नीली संपत्तियों की सुरक्षा और वृद्धि संबंधी गतिविधियों/ पहल के लिए समर्पित कोष।

ग्रीनवेज़

ग्रीनवे बहु-क्रियाशील रेखीय भूदृश्य हैं जिनसे बहुत- से सामाजिक-पारिस्थितिक लाभ प्राप्त होते हैं। जब इन्हें प्राकृतिक नालों और नदियों के आसपास बनाया जाता है, तो ये पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए शहर स्तरीय समर्पित कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जाने की अपार संभावनाएं प्रदान करते हैं। ऐसे हरितमार्ग सुखपूर्वक पैदल चलने, परिवार के पिकनिक मनाने, साइकिल चलाने आदि के लिए सुरक्षित स्थान के साथ आसपास के क्षेत्र में एक कार्यनीतिक सक्रिय कॉरिडोर के लिए कनेक्शन प्रदान करने का दोहरा काम करते हैं।

सकल आवासीय उपयोग

किसी आवासीय नेबरहुड में स्थानीय स्तर पर आबादी के लिए पार्क, स्थानीय शॉपिंग सेंटर, स्कूल, औषधालय, धार्मिक भवन, युटिलिटी और अन्य आवश्यक सुविधाएं होती हैं।

एच

धरोहर संपत्तियाँ

धरोहर संपत्तियों में मूर्त (चल और अचल धरोहर संपत्तियां जैसे पेंटिंग, मूर्तियां, पांडुलिपियाँ आदि और स्मारक, धरोहर भवन, स्थल, स्थान, गलियाँ, क्षेत्र, बगीचे, भूदृश्य आदि) और अमूर्त तत्व (व्यवहार, ज्ञान, कौशल, रहन-सहन अभिव्यक्ति और परंपराएं जैसे कि त्योहार, कला रूप और लोक संस्कृति, खानपान, नृत्य और नाटक आदि।), दोनों शामिल हैं।

हेरिटेज बिल्डिंग

संबंधित एजेंसी और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सूचीबद्ध और अधिसूचित कोई भी प्रतिष्ठित/ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण भवन। वर्तमान में दिल्ली के भीतर 1459 अधिसूचित धरोहर भवन हैं।

हेरिटेज टीडीआर

भूमि / संपत्ति के मालिक को धरोहर भवन / स्थल की सुरक्षा के कारण उनकी भूमि के विकास अधिकारों में कमी/हानि के लिए एफएआर के रूप में दी गई प्रतिपूर्ति।

धरोहर उपक्षेत्र यह संबंधित एजेंसी द्वारा पहचाना गया क्षेत्र है जिसे ऐतिहासिक और/या वास्तुशिल्प और/या सौंदर्य और/या सांस्कृतिक और/या पर्यावरणीय और/या पारिस्थितिक उद्देश्य के लिए संरक्षण और/ या परिरक्षण की आवश्यकता है।

हेरिटेज जोन

ऐतिहासिक महत्व का एक बड़ा सन्निहित क्षेत्र जिसमें विशेष निर्मित संरचना, मूर्त और अमूर्त धरोहर संपत्ति के संग्रह, किसी विशेष राजवंश/युग या स्थापत्य शैली आदि के साथ जुड़ाव जैसी विशेषताएं हों।

घरेलू उद्योग (एचएचआई)

सभी आवासीय क्षेत्रों में (गैर औद्योगिक गतिविधि क्षेत्रों को छोड़कर) कुछ शर्तों के साथ अनुमत एक गैर प्रदूषणकारी, विषाक्तता मुक्त औद्योगिक इकाई।

आई

प्रभावी क्षेत्र योजना (आईजेडपी)

किसी टीओडी नोड के परिसीमित टीओडी योजना क्षेत्र के लिए तैयार की गई एक एकीकृत योजना, जिसमें विभिन्न क्षेत्र सुधार कार्य जैसे सड़क को चौड़ा करना, सार्वजनिक सड़कों के बहु-उपयोगिता क्षेत्रों को उन्नत करना, और आईपीटी, पैदल यात्रा और एनएमटी के लिए सुविधाएं, बहु-मोडल एकीकरण, सार्वजनिक पार्किंग का प्रावधान, शहरी फर्नीचर, साइनेज, सार्वजनिक सुविधाएं, स्ट्रीट वेंडिंग जोन आदि शामिल हैं।

एकीकृत जीडीए योजना (आईजीपी)

ग्रीन डेवलपमेंट एरिया (जीडीए)(जीडीए) में पहचान किए गए क्षेत्र के लिए एक व्यापक संरचना योजना।

परस्पर संबंधित क्षेत्र

प्राकृतिक और धरोहर संपत्तियों के भीतर पहचाने गए विशिष्ट क्षेत्र और ट्रेल्स, जहां मनोरंजन के प्रयोजनार्थ पर्याप्त सुविधाओं (प्रसाधन, पेयजल, फव्वारे, विश्राम स्थल, आगंतुक सूचना केंद्र आदि) के प्रावधान के साथ पूर्ण या विनियमित सार्वजनिक पहुंच की अनुमति दी जा सकती है।

इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट (आईपीटी)

इंटरमीडिएट पब्लिक ट्रांसपोर्ट (आईपीटी) जिसमें परिवहन के लिए ऑन-डिमांड मोड (टैक्सियां, ऑटो-रिक्शा आदि) शामिल हैं, जिनका कोई निश्चित रूट नहीं होता।

के

नोलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज/ साइबर इकोनोमी

उद्योग जो प्रौद्योगिकी के गहन उपयोग और अनुसंधान और विकास एवं ज्ञान इनपुट के मानदंडों पर आधारित है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य बायोटेक, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, वायविकी, साइबर अर्थव्यवस्थाओं, हाई-टेक रोबोटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्ञान और नवाचार, अनुसंधान एवं विकास आदि में शामिल फर्म।

एल

लैंड प्लानिंग

भूमि नीति और लैंड प्लानिंग नीति के संचालन के लिए विनियम के अनुसार उपयोग के लिए भूखण्डों का कानूनी समेकन।

लास्ट माइल कनेक्टिविटी

इससे मूल स्थान से ट्रांजिट प्रणाली अथवा ट्रांजिट प्रणाली से गंतव्य तक की यात्रा अभिप्रेत है जैसेकि किसी परिवहन स्टेशन जैसे रेलवे स्टेशन, बस डिपो या मेट्रो स्टेशन से अपने अंतिम गंतव्य या इसके विपरीत जाने वाले लोग।

निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकी

यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का एक तरीका है। निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकी निम्न-कार्बन या कार्बन-मुक्त के लिए सभी साधनों और विधियों का सामान्यीकरण करती है। यह निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था के अनुकूल होने की आवश्यकता के लिए उपयुक्त है।

एम

अनिवार्य वुडिड क्षेत्र

हरित विकास योजनाओं के हिस्से के रूप में प्राकृतिक वृक्षों (प्राकृतिक अनलाईन्ड जलाशयों सहित) से ढके क्षेत्र को व्यवस्थित रखा जाए। पेड़ों में 70% या अधिक का केनोपी घनत्व होगा और इसमें ऐसी प्रजातियां होंगी जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है और/या प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी हो, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित हो।

मुख्य पुनरूद्धार योजना

यह ऐसी योजना है जो विभिन्न एजेंसियों द्वारा मौजूदा सर्कुलेशन नेटवर्क को बढ़ाने और पुनरूद्धार करने के लिए छोटे पॉकेट्स/ब्लॉक बनाने के लिए बड़े मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए तैयार की जाएगी।

माइक्रो मोबिलिटी

हरित-मोबिलिटी विकल्प जो सक्रिय यात्रा जैसे बैटरी चालित साइकिल, ई-बाइक आदि को बढ़ावा देते हैं।

न्यूनतम अपशिष्ट लोकेलिटी (एमडब्ल्यूएल)

ऐसी लोकेलिटी (आवासीय क्षेत्र, हाउसिंग सोसाइटी, कॉलोनी, अपार्टमेंट, बाजार आदि) जहां सभी गीला ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन पर्यावरण के अनुकूल समाधानों जैसे खाद और जैव-मीथेनेशन आदि के माध्यम से लोकेलिटी सीमाओं के भीतर किया जाता है।

मियावाकी वन

वनीकरण तकनीक द्वारा बनाया गया एक घना, बहुस्तरीय शहरी वन जिसमें दिए गए क्षेत्र में कई देशी प्रजातियों का रोपण करना शामिल है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के रिस्टोरेशन, प्रदूषण को नियंत्रित करने, शहरी गर्मी के जमीन पर प्रभावों को कम करने और स्थानीय वन्यजीवों का समर्थन करने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

बहु-सुविधा भूखंड

एक भूखंड, जहाँ एक ही भूखण्ड में एक या एक से अधिक इमारत में एक मिश्रित तरीके से विभिन्न स्थानीय सुविधाएं विकसित किए जाने का प्रस्ताव है।

मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन (एमएमआई)

रेल और सड़क-आधारित प्रणालियों का एकीकरण, जिसमें मेट्रो, रेल / रैपिड रेल, बस / बीआरटीएस और इंटरमीडिएट सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) शामिल हो सकते हैं जिनमें गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) जैसे साइकिल-रिक्शा, साइकिल, पैदल, आदि सहित फीडर सेवाएं, टैक्सियां, ऑटो-रिक्शा और निजी मोड शामिल हैं।

मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच)

एक ट्रांजिट नोड जहां एक स्थान पर कई मोड हों जैसे रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी, आरआरटीएस स्टेशन और मेट्रो स्टेशन आदि।

बहु-उपयोगिता क्षेत्र (एमयूजेड)

शहरी सड़कों पर फुटपाथ/साइकिल ट्रैक और मोटर वाहन लेन के बीच एक समर्पित स्थान का तत्व, जहां उनके भीतर निम्नलिखित कार्यों में से किसी एक या सभी के लिए स्थान का प्रावधान है: वृक्षारोपण, ऑटो / साइकिल-रिक्शा स्टैंड, हॉकर जोन, पार्किंग, स्ट्रीट फर्नीचर, बस स्टॉप, सार्वजनिक शौचालय, सूचना कियोस्क, यातायात पुलिस बूथ और बिजली, पानी, अग्नि हाइड्रेंट, टेलीफोन, गैस आदि जैसे भूमिगत और ओवरहेड उपयोगिता सेवाएं।

एन

प्राकृतिक संपदा

प्राकृतिक पारिस्थितिक विशेषताएं जैसे वन, रिज, नदी, नाले, नालियां, झीलें, तालाब और आर्द्रभूमि आदि।

नाइटलाइफ सर्किट

सार्वजनिक स्थान नेटवर्क जिनसे सुरक्षा में सुधार, अलग-अलग समय पर गतिविधियों द्वारा भीड़ कम करके, विभिन्न गतिविधियों के लिए रिक्त स्थान का अधिकतम उपयोग करके और औपचारिक के साथ ही अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों के लिए उत्पादकता में सुधार करके और नाइट इकोनोमी का निर्माण करके एक सक्रिय नाइट लाइफ को बढ़ावा मिलता है।

रैन बसेरा

व्यक्तियों को निः शुल्क या नाममात्र शुल्क पर रात्रि आवास उपलब्ध कराने की सुविधा देनेवाला परिसर। यह स्थानीय सरकार या स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा चलाया जा सकता है।

नाइट इकोनोमी (एनटीई)

शहर और उन क्षेत्रों में निरंतर काम और उत्पादन के लिए वैकल्पिक समय और स्थान प्रदान करने वाली विभिन्न आर्थिक गतिविधियां, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों को रात्रि में आकर्षित करने के लिए सांस्कृतिक गतिविधि और मनोरंजन के लिए खुले रहते हैं।

एनएमवी / साइकिल ट्रैक

साइकिल, साइकिल रिक्शा और हैंड पुल गाड़ियों जैसे मोटर रहित चालित वाहनों की आवाजाही के लिए आरक्षित स्थान।

गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी)

सक्रिय परिवहन, जिसमें पैदल चलना, साइकिल चलाना और मनुष्य द्वारा संचालित आवाजाही के अन्य रूप शामिल हैं (साइकिल-रिक्शा, ठेले आदि)।

ओ

ऑन-स्ट्रीट पार्किंग

अधिकृत पार्किंग जो राईट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के अंतर्गत हो।

ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग

अधिकृत पार्किंग जो किसी निर्मित संरचना (अंडरग्राउंड, भूतल पर या भूतल से ऊपर) या सतह पार्किंग के रूप में बाहर खुले में हो सकती है। यहां एक ड्राइववे (जिससे बैरियर आधारित भुगतान प्रणाली होती है) से प्रवेश होता है।

पी

पार्किंग प्रबंधन क्षेत्र (पीएमए)

पार्किंग से संबंधित क्षेत्र जैसे कि मांग का प्रबंधन करने, आपूर्ति में वृद्धि करने, उपलब्ध पार्किंग विनियमित करने और पार्किंग से संबंधित बाह्य तत्वों को कम करने के लिए निर्धारित क्षेत्र।

पार्किंग प्रबंधन क्षेत्र योजना (पीएमएपी)

पार्किंग प्रबंधन, मौजूदा पार्किंग स्थलों का उपयोग, पार्किंग शुल्क, कंजेशन प्राइजिंग, आईटीएस एप्लीकेशन और योजना के प्रवर्तन सहित निर्दिष्ट पार्किंग प्रबंधन क्षेत्र (पीएमए) के लिए तैयार की गई योजनाएँ।

प्ले स्ट्रीट

खेल और मनोरंजन के उद्देश्य के लिए एक विशेष अवधि के लिए अस्थायी रूप से यातायात के लिए बंद की जाने वाली स्थानीय सड़कें।

निजी स्वामित्व वाले सार्वजनिक स्थान (पीओपीएस)

ऐसे स्थान जो निजी संपत्ति हैं और जिनका रखरखाव मालिक / डेवलपर द्वारा किया जाता है लेकिन जहां भवन के भीतर ग्राउंड या एलिवेटेड स्तर पर विनियमित घंटों के दौरान खुली सार्वजनिक पहुंच है।

निजी पार्किंग

पार्किंग जो उपयोगकर्ताओं के विशिष्ट समूहों, जैसे निवासियों या किरायेदारों के लिए आरक्षित है।

सार्वजनिक कला

कलात्मक व्याख्याओं के माध्यम से सार्वजनिक रूप से सुलभ स्थानों के संवर्धन और जीवंत बनाने के लिए साइट विशिष्ट कलाकृति जो एक व्यक्ति मूर्तिकला से लेकर एकीकृत वास्तुशिल्प और भूदृश्य विशेषताओं और शोधनों तक होती है।

सार्वजनिक प्लाजा:

आस-पड़ोस के चौक और नुक्कड़ से लेकर संस्थागत फ्रंट कोर्ट, शहर के चौक और पियाजा तक के प्लाज़ा और ये आवागमन नेटवर्क के साथ महत्वपूर्ण ठहराव स्थलों का सृजन करते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र

एक अनिवार्य शहरी सामान्य क्षेत्र, जिसमें शहर के शेयर्ड पब्लिक क्षेत्र शामिल हों, जो सभी से संबंधित हों और सभी की पहुंच में हों, जैसे स्ट्रीट्स पब्लिक और प्राइवेट प्लाजा, पार्क, ओपन स्पेस आदि।

सार्वजनिक स्थान

ऐसा क्षेत्र या स्थान जो सभी लोगों के लिए खुला और सुलभ है, चाहे उसका लिंग, जाति, आयु या सामाजिक-आर्थिक स्तर कुछ भी क्यों न हो। इनमें सार्वजनिक सभा स्थल (प्लाज़ा, चौक, पार्क) के साथ-साथ कनेक्टिंग स्थल (सड़क, सबवे) आते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व के कई सार्वजनिक स्थानों को गतिविधि नोड्स के रूप में जोड़ा जाता है और ये नेटवर्क सार्वजनिक जीवन को जीवंत बनाते हैं।

सार्वजनिक वाटरफ्रंट्स

क्षेत्रों में जलाशयों के आसपास निर्मित सार्वजनिक स्थान जो पहले उपेक्षित थे जैसेकि यमुना बाढ़ के मैदान, नालियों और जलाशय आदि।

सार्वजनिक परिवहन पहुंच स्तर (पीटीएएल)

पैदल चलने में लगने वाले समय और सेवा की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किसी क्षेत्र की सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क (सभी सार्वजनिक परिवहन मोड, आईपीटी आदि सहित) की पहुंच का एक विस्तृत और सटीक मापन।

सार्वजनिक पार्किंग

पार्किंग, जो आकस्मिक अल्पावधि पार्किंग उपयोग के लिए आम जनता के लिए खुली है।

आर

पुनरुद्धार

एक लचीला ढांचा, जो किसी क्षेत्र के विकास के लिए उपकरणों के मिश्रण का उपयोग करने की अनुमति देता है, नामतः रेट्रोफिटिंग, पुनर्निर्माण या पूर्ण/ आंशिक पुनर्विकास, बशर्ते सतत सेवाओं, संरचनात्मक सुरक्षा और बेहतर पैदलयात्रा की अपेक्षाएं पूरी की जाएं।

रिफ्यूज स्पॉट

आर.डब्ल्यू.ए. / स्थानीय निकायों द्वारा पहचान किया गया कोई भी नेबरहुड के भीतर स्थान जो संक्रमण बीमारी आउटब्रेक के समय पर स्वस्थ तथा अस्वस्थ निवासियों के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराता हो। ऐसे स्थान सामुदायिक केन्द्र, बहु सुविधाजनक केन्द्र या अन्य किसी सार्वजनिक पहुंच सुविधा में हो सकते हैं।

किराये आवास (रेंटल हाउसिंग)

आवासीय संपत्तियां, जिनमें डीयू और/या शयनगृह हों जो कि समझौते या ऐसे किसी शपथपत्र जैसे औपचारिक तंत्र के माध्यम से संभावित किराएदार को किराए पर लेने के लिए विशेष रूप से उपलब्ध हैं।

रिट्रोफिटिंग

एक मौजूदा संरचना में उस संरचना को बाढ़ या कटाव, तेज हवा, भूकंप या अन्य खतरों से नुकसान की संभावना को कम करने या समाप्त करने के लिए उस संरचना को नई तकनीक या सुविधाओं से युक्त करना।

राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू)

यातायात के सभी साधनों की आवाजाही के लिए एक आरक्षित स्थान जिसमें पैदल यात्री, साइकिल, साइकिल रिक्शा, बस, कार, स्कूटर, टैक्सी, ऑटोरिक्शा, आदि शामिल हैं। पैदल चलने के स्थान अथवा मोटर वाहन आवाजाही स्थान पर अतिक्रमण किए बिना सेवाओं, भूमिगत/ भूमि पर यूटिलिटी, पब्लिक कनविनियंस और सुविधाओं, विक्रेताओं, पेयजल कियोस्क आदि के लिए आरओडब्ल्यू के भीतर स्थान नियोजित और आरक्षित किया जाता है।

एस

सेक्टर

मौजूदा या प्रस्तावित सड़कों या भौतिक सुविधाओं जैसे कि हाई टेंशन तारों, रेलवे लाइनों, नालियों आदि से युक्त जोनल डेवलपमेंट प्लान (जेडडीपी) में एक निर्धारित क्षेत्र, जिसका क्षेत्रफल हैक्टेयर है।

सेवा बाजार (सर्विस मार्केट)

ऐसा क्षेत्र या बाजार जहां फलों और सब्जियों, सेवा और मरम्मत, कबाड़ और स्कैप सामग्री (कबाड़ी), हार्डवेयर और निर्माण सामग्री, ऑटोमोबाइल मरम्मत वर्कशॉप आदि हों, *देखें ईसीओ 1, खंड 3.6*

सेवा प्रदाता एजेंसी

जल आपूर्ति, सीवरेज निपटान, बिजली आपूर्ति, सड़कों का निर्माण, संचार और अन्य वितरण सेवाएं आदि जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी एजेंसी।

एकल खिड़की प्रणाली

किसी विशेष नीति/ योजना के कार्यान्वयन को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए आवेदन, सत्यापन, अनुमोदन, शिकायत आदि प्राप्त करने के लिए एकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किए गए ईज ऑफ डूइंग उपाय।

साझा गतिशीलता (शेयर्ड मोबिलिटी)

साझा गतिशीलता से परिवहन के सभी साधन अभिप्रेत है जो निजी स्वामित्व वाले नहीं हैं। इनमें से अधिकांश मोड में निर्धारित रूट और निर्धारित मूल्य और निर्धारित समय-सीमा (जैसे बसों, महानगरों आदि) होते हैं। इसमें सभी मांग-आधारित मोड भी शामिल हैं जो आरंभिक और अंतिम छोर की कनेक्टिविटी (साझा ऑटो, रिक्शा, टैक्सी, आदि) प्रदान करते हैं।

छोटे आकार के आवास

40 - 60 वर्ग मीटर के आकार वाली आवास इकाइयाँ।

सौर फार्म

सौर फार्म या सौर क्षेत्र बड़े पैमाने वाले सौर प्रतिष्ठान हैं जहां सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए फोटोवोल्टिक पैनल (सौर पैनल) का उपयोग किया जाता है।

विशेष एबिलिटीज पार्क

दिव्यांग और विशेष आवश्यकताओं वाले लोगों के साथ-साथ उपयोगकर्ताओं (विशेष रूप से बुजुर्ग, बच्चों और केयरगिवर्स के साथ शिशुओं) के खेलने और मनोरंजक गतिविधियों के लिए बनाए गए पार्क।

विशेष क्षेत्र

विकास / पुनर्विकास की योजना वाली विशेष विशेषताओं के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र।

कार्यनीतिक सक्रिय यात्रा कॉरिडोर

साइकिल चालकों और पैदल यात्रियों की वर्तमान या प्रत्याशित उच्च अनुपात वाले और विभिन्न गतिविधि केंद्रों को जोड़ने के लिए पहचाने गए विशेष मार्ग।

टी

सुनियोजित शहरीकरण

सुनियोजित शहरीवाद या पॉप-अप शहरीवाद, आरक्षित लेन द्वारा पैदल यात्रियों और एनएमटी आवाजाही को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए सड़क के एक खंड को अस्थायी रूप से रिट्रोफिट करने का एक उपाय है जिससे सड़क का हिस्सा पैदल चलने वालों आदि के लिए अनुकूल हो जाता है।

पारगमन-उन्मुख विकास (टीओडी)

भूमि क्षमता को अधिकतम करके, उच्च घनत्व, मिश्रित उपयोग और पैदल चलने योग्य ल और साइकिल चलाने योग्य नेबरहुड उन्मुखी डिजाइन युक्त उच्च क्षमता वाले ट्रांजिट नोड के आसपास एक कॉम्पैक्ट विकास।

टीओडी नोड्स

डीडीए द्वारा अधिसूचित गहन विकास के लिए चयनित और अधिसूचित बड़ा पारगमन स्टेशन। टीओडी (ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट) नीति के प्रावधान केवल ऐसे पहचाने गए टीओडी नोड्स के प्रभाव क्षेत्रों में लागू होंगे।

टीओडी योजना क्षेत्र

ट्रांजिट स्टेशनों के आसपास 500 से 800 मीटर के दायरे का क्षेत्र।

टीओडी योजना

टीओडी नोड के भीतर आने वाले और टीओडी नीति में निर्दिष्ट सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले क्षेत्र के लिए एक विकास प्रस्ताव।

ट्रांजिट हॉटस्पॉट

मिश्रण उपयोग और सार्वजनिक गतिविधि के केंद्र के रूप में विकसित पारगमन नोड्स।

वृक्ष निर्देशिका

किसी विशेष क्षेत्र में पेड़ की प्रजातियों का एक डाटाबेस, जिसमें विशेष वृक्ष समूह की पहचान की गई हो जैसे वृक्ष कॉरिडोर अथवा धरोहर वृक्ष, उच्च कार्बन भंडारण और अधिग्रहण दर आदि।

यू

अनधिकृत कालोनियाँ (यूसी)

ऐसी कॉलोनियाँ / समीपवर्ती क्षेत्र शामिल हैं जो संबंधित एजेंसियों की योजना के सिद्धांतों और लेआउट योजनाओं की मंजूरी, निर्माण योजनाओं पर विचार किए बिना विकसित किए गए हैं।

शहरी खेती

स्थानीय आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए शहर में या इसके आसपास पौधों की खेती या पशुपालन, जलीय कृषि और शहरी मधुमक्खी पालन के माध्यम से भोजन और अन्य उत्पादों का उगाना, प्रसंस्करण और वितरित करने का व्यवहारिक कार्य।

शहरी वनप्रदेश

संरक्षित वनों के भीतर के क्षेत्र जो लोगों को विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, जीवों और प्राकृतिक वातावरण तक पहुंच प्रदान करने के लिए विकसित किए गए हैं।

उपयोग परिसर

अनुमोदित लेआउट योजना में एक विशिष्ट उपयोग के लिए एक विशिष्ट भूखंड या कोई एक सब डिवीजन या कई सब डिवीजन। परिसर का भू-प्रयोग मास्टर प्लान के आधार पर निर्धारित किया जाना है।

उपयोग जोन

मास्टर प्लान में प्रावधान के अनुसार शहरी कार्यों की किसी भी निर्दिष्ट उपयोग श्रेणी के लिए कोई क्षेत्र।

वी

उपयोगों की वर्टिकल मिक्सिंग

एक भूखंड में लंबवत रूप से प्रतिबंधित परिस्थितियों में पहचान किए गए उपयोग परिसरों की वर्टिकल मिक्सिंग प्रावधान।

डब्ल्यू

पैदल चलने योग्य पथ (वॉकैबिलिटी)

वॉकैबिलिटी उस सीमा का एक मानदंड है जिस तक निर्मित वातावरण (बाधा मुक्त, सुरक्षित, सुप्रकाशित, आरामदायक आदि) की विभिन्न विशेषताओं के अनुसार एक क्षेत्र चलने योग्य होता है और विचाराधीन क्षेत्र के उस क्षेत्र में वृक्षछाया हो।

वाँक प्लान

पैदल यात्री और साइकिल चलाने की अवसंरचना के प्रावधान के साथ किसी भी विशिष्ट गंतव्य नोड के आसपास कम से कम **400-500 मीटर (5-10 मिनट की पैदल दूरी)** के हिस्सों के लिए तैयार की गई योजना। पैदल चलने की योजना के तहत क्षेत्र का वास्तविक निर्धारण पेड-शेड और / या वांछित लाइनों पर आधारित होगा।

जल संवेदनशील शहरी डिजाइन (डब्ल्यूएसयूडी)

एक एप्रोच, जिसमें शहरी नियोजन (जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल, वर्षाजल और भूजल प्रबंधन सहित) के प्रबंधन, संरक्षण और बचाव के साथ शहरी नियोजन को इस प्रकार एकीकृत किया गया हो, ताकि शहरी जल प्रबंधन प्राकृतिक जल विज्ञान और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के अनुरूप हो।

श्रमिक आवास

श्रमिक आवास से किसी व्यक्ति के आवासीय उपयोग के लिए अस्थायी या निर्धारित समय के रूप से प्रयोग में लाई जाने वाली संपत्ति अभिप्रेत है जो किसी भी उच्च कुशल, कुशल, अर्ध-कुशल या अकुशल, मैनुअल, तकनीकी या लिपिकीय कार्य करने के लिए नियोजित है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है जो मुख्य रूप से प्रबंधकीय या पर्यवेक्षी या प्रशासनिक क्षमता में कार्यरत हो। यह आवास कार्यस्थल पर या कार्यस्थल से अलग हो सकता है, और इसमें आवासीय इकाई या शयनकक्ष हो सकते हैं। श्रमिक आवास स्थलों में पर्याप्त पानी की आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाएं और आपातकालीन चिकित्सा सहायता, क्रेच आदि जैसी अन्य सुविधाएं शामिल होंगी।

जेड

जेड-फार्मिंग

जेड-फार्मिंग या जीरो-एकड़ खेती, कृषि का एक रूप है जहां ऐसी गतिविधि के लिए अलग भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अन्यथा अप्रयुक्त, गैर-पारंपरिक स्थानों जैसे छतों, घर के अंदर, भवनों के भीतर ऊर्ध्वाधर स्थान आदि का उपयोग किया जाता है।

जोनल विकास योजना

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एक क्षेत्र (प्रभाग) के लिए एक योजना जिसमें सामाजिक अवसंरचना, पार्कों और खुले स्थानों, संचलन प्रणाली, आदि के प्रावधान की विस्तृत जानकारी है।

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1: प्रतिबंधित / उद्योगों की नकारात्मक सूची

निम्नलिखित विनिर्माण करने वाले उद्योगों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर प्रतिबंधित किया जाएगा।
2 (हालाँकि, पर्यावरण विभाग, जीएनसीटीडी, उद्योग विभाग, जीएनसीटीडी के परामर्श से, किसी विशेष गतिविधि/उद्योग/कारखाने का पता लगाने के लिए अंतिम निर्णय लेगा, जो सीपीसीबी द्वारा निर्धारित मापदंडों/शर्तों के अनुसार और डीपीसीसी द्वारा अपनाया गया है।)

1. आर्क / इंडक्शन फर्नेस
2. अम्ल
3. क्षार
4. पशु और मछली के तेल
5. एल्डिहाइड
6. एसिड घोल
7. एसिटलाइड्स, फिएटिडाइन, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ई-नेफथोल, आदि
8. अमोनियम सल्फॉनाजनाइड, आर्सेनिक और इसके यौगिकों, बेरियम कार्बोनेट, बेरियम साइनाइड, बेरियम इथाईल्सुल्फेट, बेरियम एसीटेट सिनेबार, कॉपर सल्फोफाइड, फेरोसिनेसाइड, हाइड्रो साइनाइड, हाइड्रो साइनाइड एसिड, पोटेशियम बायोकेलेट, पोटेशियम, साइनाइड, पोटैश का प्रशसन, फिनीगलक एसिड, सिल्वर साइनाइड
9. विमान निर्माण
10. बुचड़खाने, पशु रक्त प्रसंस्करण (मौजूदा, पुनर्वास 1 (और नवीनतम तकनीक के साथ आधुनिक बूचड़खाने को छोड़कर), संबंधित एजेंसियों से सभी मंजूरी के अधीन, और इस संबंध में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश का अनुपालन करने की अनुमति दी जाएगी)। ये एनसीटी दिल्ली की आवश्यकता पर कड़ाई से निर्भर होंगे जिनका निर्धारण संबंधित स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
11. बिटुमन ब्लोइंग (गर्म)
12. ईंट भट्ठा (कच्चे माल के रूप में साफ मिट्टी का उपयोग, ईंधन के रूप में कोयला)
13. बी-नेफथोल
14. बैक्लाइट पाउडर (फॉर्मलाडिहाइड से शुरू)
15. बारले माल्ट और अर्क
16. अस्थि-ग्रिस्त, अस्थि-भोजन, हड्डियों की साल्टिंग, हड्डियों का खुला भाग, हड्डियों का सूखना
17. हड्डी का चारकोल निर्माण
18. ब्लास्ट फर्नेस - कोयला फायर्ड
19. साइकिलें (एकीकृत संयंत्र)

20. ब्रेवरी और पोटेबल स्पिरिट 2 (हालांकि, 500 लीटर/दिन की क्षमता तक के माइक्रोब्रेवरीज को किसी भी रेस्तरां/होटल/क्लब में स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है, जो साइट पर अपशिष्ट जल उपचार सुविधा की स्थापना के अधीन है, और अन्य सभी विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में हैं।)
21. क्लोरीन युक्त पैराफिन मोम शोधन
22. कार्बन ब्लैक
23. सीमेंट उद्योग
24. कैल्शियम कार्बाइड, फॉस्फोरस, एल्यूमीनियम धूल पेस्ट और पाउडर, तांबा, जस्ता, आदि (इलेक्ट्रोथर्मल इंडस्ट्रीज)
25. क्रेन, हॉइस्ट (ऊपर उठाने का यंत्र) और लिफ्ट (असेंबली को छोड़कर)
26. सामान्य औद्योगिक मशीनरी (जैसे हाइड्रोलिक उपकरण, ड्रिलिंग उपकरण, बॉयलर, आदि)
27. डीओपी (डियोक्टाइल फथालेट), डीबीपी और प्लास्टिसाइज़र
28. ड्राई सेल बैटरी
29. डाई और डाई इनर्मीडीइट
30. लकड़ी की आसवन, लकड़ी की रासायनिक काष्ठ संशोधन (प्राकृतिक काष्ठ संशोधन को छोड़कर)
31. विस्फोटक, यानी, पटाखे, गनपाउडर, गनकॉटन, आदि।
32. अर्थ मूविंग मशीनरी / उपकरण (असेंबली का निर्माण)
33. बिजली के तार और केबल (100 से अधिक कर्मचारी, 2000 वर्गमीटर भूखंड)
34. फेटी एसिड
35. कवकनाशी और कीटनाशक
36. फ्लेक्सोग्रफिक इंक
37. ईंधन तेल, इल्यूमीनेटिंग और अन्य तेल जैसे कि स्टैटिक तेल, शोयल तेल, लुब्रिकेंट्स
38. 1 [फाउंड्रीज (कपोला फर्नेस) *]
39. गैस कम्प्रेसर
40. ग्रेफाइट उत्पादन
41. ग्लास फर्नेस (1 टन / दिन से अधिक क्षमता)
42. गैस-कार्बन-डिसल्फाइड, अल्ट्रामरीन ब्लू, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, आदि (एलपीजी / सीएनजी / ऑक्सीजन / चिकित्सा गैसों के अलावा)
43. ग्लेंडयूलर/ ग्लेंड्स एक्सट्रैक्शन
44. हड्डियों और मांस से ग्लू और जिलेटिन
45. हॉट मिक्स प्लांट (डीपीसीसी/सीपीसीबी द्वारा अनुमोदित लोगों को छोड़कर)

46. खतरनाक अपशिष्ट प्रसंस्करण जैसे अस्पताल/2 [तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र]/ चिकित्सा / उद्योग अपशिष्ट। 3[हालांकि, नवीनतम तकनीक के साथ आधुनिक खतरनाक अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र को अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि सभी प्रकार की क्लीयरेंस, पर्यावरणीय क्लीयरेंस सहित, संबंधित एजेंसियों से क्लीयरेंस प्राप्त की गई हो और इस संबंध में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों का अनुपालन किया गया हो। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आवश्यकता पर सख्ती से निर्भर होगा जिसका निर्धारण स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

47. पॉल्यूरीथीन फोम

48. औद्योगिक जिलेटिन, नाइट्रो ग्लिसरीन और फुलमिनेट

49. लौह / इस्पात धातु फोर्जिंग (न्यूमेटिक हथौड़ा का उपयोग करके)।

50. औद्योगिक जिलेटिन, नाइट्रो ग्लिसरीन और फुलमिनेट

51. औद्योगिक ट्रक, ट्रेलर आदि।

52. रेखीय एल्केड बेंजीन

53. द्वितीयक सीसा उद्योग सहित प्रमुख विनिर्माण (अपशिष्ट स्क्रेप से सीसा की रिकवरी)

54. चूना भट्ठा।

55. चमड़े की टैनिंग और रंगाई (कच्ची खाल / स्किन टू सेमी फिनिश)

56. लोकोमोटिव और वैगोन

57. मेथनॉल

58. मिथाइलेटेड स्प्रिट

59. मैकेनिकल स्टोन क्रशर और मोटे रेत की धुलाई

60. लुगदी और कागज का विनिर्माण

61. मेलामाइन रेसिन

62. खनिज लवण (जिसमें एसिड का उपयोग होता है: $CuSO_4$, $FESO_4$, फिटकरी आदि)

63. डीजल इंजन, जनरेटर का विनिर्माण, असेंबली को छोड़कर

64. मोटर साइकिल, स्कूटर, कार, टेम्पो, ट्रक इत्यादि।

65. न्यूज प्रिंट मैनुफैक्चरिंग, पल्पिंग, फ्रेश पेपर मेकिंग

66. यौगिकों के लिए उर्वरकों के मिश्रण को छोड़कर नाइट्रोजनी और फॉस्फेटिक उर्वरक (बड़े पैमाने पर)

67. कार्बनिक विलायक, क्लोरीनयुक्त खनिज, मेथनॉल, एल्डिहाइड, मिथाइलेटेड स्प्रिट

68. पेट्रोलियम कोक प्रसंस्करण, ईंधन के रूप में नहीं

69. पॉटरीज / रीफ़ैक्टरीज (कोयले या भट्टी के तेल का उपयोग करके)

70. रेजिन सहित पॉलिथीन पॉलिमर

71. पेंट उद्योग (नाइट्रो सेलूलोज़ और अल्केड रेसिन आधारित)
72. प्लास्टिसाइज़र निर्माण
73. पिरामिड
74. फेनॉल फॉर्मलाडिहाइड रेसिन और पाउडर
75. पोर्सलेन के उत्पादित बर्तन (प्रति दिन 2 टन से अधिक उत्पादन क्षमता के कोयले का उपयोग करके)
76. रबड़ सोल्यूशन और थिनर (नेप्था और रबर स्क्रेप का उपयोग करके)
77. मिश्रण के अयस्क सल्फाइड ऑक्साइड की रोस्टिंग
78. रेयान फाइबर विनिर्माण
79. रीफ़ैक्टरीज
80. रबर का पुनर्ग्रहण।
81. टायर और ट्यूब का उत्पादन (अवमूल्यन)
82. सचचराइन
83. माध्यमिक जिंक उद्योग
84. सिंथेटिक रबड़
85. स्मेलटिंग (गलाना)
86. सिलाई मशीनें (एकीकृत इकाइयां) असेंबली को छोड़कर
87. स्लुइस गेट्स और गियर
88. स्टेनलेस स्टील पिक्लिंग
89. स्टीम इंजन
90. स्टील पाइप और ट्यूब (निरंतर वेल्डेड / सीमलेस)
91. चीनी, खांड सरी
92. सोडियम सिलिकेट उद्योग (1 टन / दिन से अधिक)
93. पत्थर की खदान
94. कपड़ा (सभी शिफ्टों में 100 से अधिक श्रमिक, एक एकड़ भूमि, 100 एलकेडी पानी)
95. थोरियम, रेडियम और इसी तरह के आइसोटोप और रेयर अर्थ की रिकवरी
96. टर्बाइन
97. यूरिया और फिनाइल फॉर्मलिडहाइड रेसिन
98. वनस्पति तेल हाइड्रोजेनरेटेड
99. अपशिष्ट (कच्चा / जला हुआ) तेल प्रसंस्करण (रिफाइनरी)

नोटः

- i. ऊपर उल्लिखित किसी भी गतिविधि में शामिल किसी भी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को पर्यावरण कानूनों की शर्तों के अधीन अनुमति दी जाएगी।
- ii. आगे यदि ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उचित और सार्वजनिक हित में माना जाता है, तो निषिद्ध उद्योगों की सूची में और परिवर्धन/परिवर्तन किए जा सकते हैं।
- iii. हालांकि, किसी भी प्रकार की भट्ठी की निरंतरता सीपीसीबी और डीपीसीसी के निर्धारित मापदंडों के भीतर होगी।

अनुलग्नक 2: हरे और नीले रंग की संपदा का विशिष्ट वर्गीकरण

प्राकृतिक और मौजूदा ग्रीन ब्लू संपदा

भूमि-आधारित

- अरावली (रिज), क्षेत्रीय पार्क, आरक्षित वन
- संरक्षित वन
- शहरी वन
- जैव विविधता पार्क
- प्राकृतिक नालों और जल निकायों के बफर
- पुरातात्विक पार्क और ऐतिहासिक स्मारकों के ग्रीन
- सरकारी एजेंसियों द्वारा प्राकृतिक सुरक्षा / संरक्षण के लिए क्षेत्रों की पहचान की गई

जल-आधारित

- यमुना नदी और इसका बाढ़ का मैदान
- ड्रेनेज मास्टर प्लान 2018 के अनुसार सभी प्राकृतिक नालियां
- दलदल और आर्द्र भूमि
- झीलों सहित जल निकाय (1 हेक्टेयर और उससे ऊपर)
- बावली (कुएं) और टैंक (दिल्ली की ऐतिहासिक जल प्रणाली का हिस्सा)

नियोजित हरे नीले संपदा और अन्य मनोरंजक क्षेत्र

- सभी पदानुक्रमों के नियोजित पार्क और खुले स्थान - क्षेत्रीय, शहर, जिला, समुदाय, पड़ोस, आवास क्षेत्र, टोटल लॉट, बहुउद्देशीय मैदान, गोल्फ कोर्स और खेल के मैदान। (कुछ बड़े पार्क दिल्ली में संरक्षित वनों का हिस्सा हैं)
- खेल केंद्र / परिसर, गोल्फ कोर्स
- बगीचे, पौधे नर्सरी
- प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान
- जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन्स

निर्मित इमारतों के भीतर अन्य हरे नीले रंग की संपदा

- निजी उद्यान, आंगन, छत उद्यान, पूल, आंतरिक स्ट्रीट आदि।
- संस्थागत / सरकारी परिसरों में चिन्हित बड़े हरे क्षेत्र
- रीजेनरेशन / टीओडी योजनाओं के माध्यम से निर्मित सार्वजनिक ग्रीन स्पेस
- भूतल / खुले पार्किंग क्षेत्र, सार्वजनिक प्लाज़ा
- बंद औद्योगिक सम्पदा में अनिवार्य हरित क्षेत्र
- एलबीजेड में अनिवार्य हरित क्षेत्र
- एचटी लाइनों / तेल पाइपलाइनों / अन्य सेवाओं के अनिवार्य बफर्स
- फ्लाईओवर के नीचे खाली स्थान, पानी के मुख्य मार्गों के साथ, रेलवे लाइनों के साथ, आदि।
- जड़ी बूटी, मसाला उद्यान, ग्रीनहाउस।
- सड़कों के सेंट्रल भाग पर वृक्षारोपण, सड़कों और सड़कों के किनारे वृक्षों का आवरण

नई और संभावित शहरी स्तर ग्रीन ब्लू संपदा

- परित्यक्त खदान और क्वैरीज, बिजली संयंत्र और भूमि भराव स्थल / पुनर्निर्मित भूमि
- प्राकृतिक नालियों के नए विकसित बफर
- हरित विकास क्षेत्र

**डीडीए द्वारा समय-समय पर पहचानी गई अन्य परिसंपत्तियों को जोड़कर सूची को बढ़ाया जा सकता है*

अनुलग्नक 3: दिल्ली में नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों की सूची (एमपीडी 2021 से निकाला गया)

औद्योगिक उपयोग जोन में निम्नलिखित स्थानों पर औद्योगिक गतिविधि का संचालन किया जाएगा, जैसा कि भूमि उपयोग योजना में इंगित किया गया है:

जोन ए से एच

1. नारायणा औद्योगिक क्षेत्र,
2. झंडेवालान फ्लैटेड फैक्ट्री,
3. मोतिया खान योजना,
4. डीसीएम फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स,
5. शहजादा बाग औद्योगिक क्षेत्र,
6. गुलाबी बाग औद्योगिक क्षेत्र,
7. राजस्थान उद्योग नगर जहाँगीरपुरी के पास जी.टी. रोड़,
8. एसएमए को-ऑप. औद्योगिक एस्टेट जहाँगीरपुरी के पास जी.टी. रोड़,
9. एसआईएसआई औद्योगिक क्षेत्र जहाँगीरपुरी के पास जी.टी. रोड़,
10. राणा प्रतापबाग के पास जी.टी. करनाल रोड औद्योगिक क्षेत्र,
11. हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, शिवाजी रेलवे स्टेशन के पास औद्योगिक क्षेत्र (मिंटो रोड),
12. ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस I, II और III,
13. मोहन को-ऑप औद्योगिक क्षेत्र,
14. मोदी फ्लोर मिल्स के पास एसआईएसआई कॉम्प्लेक्स ओखला,
15. जखीरा के पास नजफगढ़ रोड औद्योगिक क्षेत्र,
16. कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र, मायापुरी फेस I और II,
17. उद्योग नगर रोहतक रोड,
18. विकासपुरी के पास केशव पुर लेदर तन्नेरी योजना (सर्विस सेंटर का हिस्सा),
19. वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र,
20. लॉरेंस रोड औद्योगिक क्षेत्र,
21. मंगोल पुरी औद्योगिक क्षेत्र फेस I और II,
22. झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र,
23. पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र,
24. फ्रेंड्स कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र,
25. नरेला औद्योगिक एस्टेट,
26. बवाना औद्योगिक एस्टेट,
27. कंझावला औद्योगिक एस्टेट,
28. पीवीसी बाजार टिकरी कलां,
29. बादली
30. भोरगढ़

क. शहरी विस्तार क्षेत्रों के लिए योजना तैयार करते समय अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों को इंगित किया जाएगा।

ख. अनुमोदित कार्य-सह-उद्योग केंद्र, सेवा केंद्र आदि, जहां भूमि उपयोग/पहले के मास्टर प्लान के अनुसार विकास किया गया है, औद्योगिक होना जारी रहेगा, जो निर्धारित प्रावधानों की शर्तों के अनुरूप होगा।

अनुलग्नक 4: घरेलू उद्योग

1. अगरबत्ती और इसी तरह के उत्पाद
2. एल्यूमीनियम हैंगर (वायर ड्राइंग और एनोडाइजिंग को छोड़कर)।
3. आयुर्वेदिक / होम्योपैथिक / यूनानी दवाएं।
4. इलेक्ट्रॉनिक सामानों की असेंबली और मरम्मत।
5. सिलाई मशीनों की असेंबली और मरम्मत।
6. हाथ उपकरण की असेंबली।
7. बैडमिंटन शटलकॉक की असेंबली।
8. बिजली के गैजेट्स, कूलर / हीटर आदि की असेंबली और मरम्मत।
9. असेंबली और टाइपराइटर की मरम्मत (फ्रंट कास्टिंग को छोड़कर)।
10. बैकेलाइट स्विच की असेंबली।
11. मापने के उपकरणों की असेंबली और मरम्मत (मर्करी और खतरनाक सामग्रियों को संभालने के अलावा)।
12. आट्टा चक्की।
13. बाटिक कार्य।
14. ब्लॉक मेकिंग और फोटो बड़ा करना।
15. बिस्कुट, पापे, केक और कुकीज बनाना।
16. बटन बनाना, बटन और हुक को ठीक करना।
17. बुकबाइंडिंग।
18. ब्रश और झाड़ू (हाथ से)।
19. केलिको और वस्त्र उत्पाद।
20. बेंत और बांस के उत्पाद।
21. कैसेट रिकॉर्डिंग।
22. प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ क्ले और मॉडलिंग।
23. कॉयर और जूट उत्पाद।
24. कार्डबोर्ड बॉक्स।
25. मोमबत्तियाँ।
26. ताँबा और पीतल आर्ट वेयर।
27. डोरियाँ, रस्सी और सुतली बनाना।
28. बढ़ई।
29. कॉन्टेक्ट लेंस।
30. कैनवास बैग और होल्ड-ऑल मेकिंग।
31. कैंडी, मिठाई, रसमलाई आदि (जब डिब्बाबंद न हो)।
32. कपास / रेशम छपाई (हाथ से)।
33. कंप्यूटर मरम्मत और साइबर सूचना केंद्र।
34. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर।
35. दारी और कालीन बुनाई।

36. डिटर्जेंट (बिना भट्टी के)।
37. डाटा प्रोसेसिंग।
38. डेयरी उत्पाद उदाहरण क्रीम, घी, पनीर, आदि।
39. ड्राई क्लीनिंग (बड़ी कार्यशालाओं को छोड़कर)।
40. डेस्क टॉप पब्लिशिंग।
41. कढ़ाई।
42. एनामेलिंग विटरस (कोयले के उपयोग के बिना)।
43. तस्वीरों और दर्पणों की फ्रेमिंग।
44. फाउंटेन पेन, बॉल पेन और फेल्ट पेन।
45. सोना और चांदी का धागा, कालाबट्टू।
46. होजरी उत्पाद (रंगाई और ब्लिचिंग के बिना)।
47. हैट्स, टोपी, कढ़ाई सहित पगड़ी
48. सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं
49. फाउंटेन पेन के लिए स्याही बनाना।
50. इंटरलॉकिंग और बटनिंग।
51. आभूषण का सामान।
52. खादी और हथकरघा।
53. खुस्तलीस।
54. बुनाई का काम करता है।
55. फीता उत्पाद।
56. चमड़े के जूते।
57. चमड़े के बेल्ट और बकल की असेंबली (हाथ से)
58. निर्मित चमड़ा और रेक्सिन।
59. मिल्क क्रीम सेपरेशन।
60. जूट उत्पादों का निर्माण।
61. बिंदी का निर्माण।
62. नेम प्लेट मेकिंग।
63. निम्नलिखित वस्तुओं का उत्पादन।
 - i. ब्लैंको केक
 - ii. ब्रश
 - iii. कुल्फी और मिष्ठान।
 - iv. क्रायोन।
 - v. जैम, जेली और फल संरक्षित करने वाले उत्पाद।
 - vi. संगीत वाद्ययंत्र (मरम्मत सहित)।
 - vii. लेस का कार्य और पसंद।
 - viii. सजावटी चमड़े का सामान जैसे पर्स, हैंडबैग।
 - ix. छोटे इलेक्ट्रॉनिक सामान

64. पेपर स्टेशनरी आइटम और बुक बाइंडिंग।
65. पीट हैट, फूलों की माला और पिच।
66. पी.वी.सी. उत्पाद (अधिकतम एक मोल्डिंग मशीन)।
67. पेपर मशीन।
68. इत्र और सौंदर्य प्रसाधन
69. फोटोसेटिंग।
70. फोटोस्टेट और साइक्लोस्टाइलिंग।
71. रेखाचित्रों को बड़ा करने सहित चित्र की फोटो प्रति।
72. शैंपू की पैकेजिंग।
73. हेयर ऑयल की पैकेजिंग।
74. वादी, पापड़ आदि तैयार करना।
75. कौडिमेंट्स, मसालों, मूंगफली और दाल आदि का प्रसंस्करण।
76. पान मसाला।
77. मिठाई और नमकीन का उत्पादन (एक टन / दिन से कम)
78. पेपर माचे
79. पेपर कप। प्लेट्स, फ़ाइलें कवर और लैटर पैड (मुद्रण के बिना)।
80. फोटोग्राफी (विकास और मुद्रण)।
81. घड़ियाँ और दीवार घड़ियाँ की मरम्मत।
82. राखी बनाना
83. घरेलू विद्युत उपकरणों की मरम्मत।
84. रेडीमेड वस्त्र (बिना धोए)।
85. साइकिल की मरम्मत।
86. कंप्यूटर हार्डवेयर की मरम्मत और संयोजन।
87. चमड़े और पीवीसी सामग्री के उपयोग को छोड़कर बैग, ब्रीफकेस, सूटकेस की मरम्मत।
88. जल मीटर, स्टेबलाइजर, यूपीएस आदि की मरम्मत।
89. रबड़ की मौहरें।
90. स्टोन एनग्रेविंग।
91. खेल का सामान / स्पोर्ट्स नेट।
92. सर्जिकल बैंडेज रोलिंग और कटिंग।
93. स्टोव पाइप, सेफ्टी पिन और एल्यूमीनियम बटन (हाथ से प्रेस)।
94. सिल्वर फॉयल बनाना।
95. साड़ी का फॉल बनाना।
96. जूता लेस।
97. स्टाम्प पैड।
98. स्क्रीन प्रिंटिंग।
99. दर्जी।
100. थ्रेड बॉल और कपास भराव।

101. खिलौने और गुड़िया।
102. टाई।
103. टमाटर केचप।
104. छाता (अम्ब्रेला) असेम्बली।
105. बर्तन धोने का पाउडर (केवल मिश्रण और पैकेजिंग)।
106. वेलवेट कढ़ाई वाले जूते / शॉल।
107. वर्मसेली (सेवियां .या जर्वे) और मैकरोनी।
108. लकड़ी की नक्काशी और सजावटी लकड़ी का माल।
109. ऊन का गोला और लच्छे बनाना।
110. लकड़ी / कार्डबोर्ड ज्वेलरी बॉक्स (विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र के अधीन)।
111. ऊन बुनाई (मशीन के साथ)।
112. जरी जरदोजी।

अनुलग्नक 5: घरेलू उद्योग गांवों में अनुमेय (आबादी)

1. ब्लैक स्मिथ।
2. बेंत और बांस के उत्पाद।
3. प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ क्ले और मॉडलिंग।
4. दरी / कालीन / साड़ी बुनाई (रंगने और ब्लिचिंग को छोड़कर)।
5. रेफ्रिजरेशन द्वारा आइसक्रीम और पानी को ठंडा करना। (बिना कोल्ड स्टोरेज के)
6. स्टोन एनग्रेविंग।
7. गाँव के बर्तन उद्योग (बिना भट्टी के)।
8. ग्राम तेल घनी।
9. लकड़ी पर नक्काशी और सजावटी लकड़ी का माल।

नोट:

- i. खतरनाक रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 की अनुसूची I और/अथवा II और सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1990 के तहत सूचीबद्ध रसायनों का भंडारण निषिद्ध होगा।
- ii. भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार इकाइयों द्वारा किसी भी प्रकार के उत्पन्न होने वाले निस्सारण/उत्सर्जन की अनुमति नहीं दी जाएगी, और ये शोर/ध्वनि मानकों का सख्ती से अनुपालन करेंगे।

अनुलग्नक 6: शहरी-स्तरीय सर्किट की संकेतक सूची

- कोरोनेशन पार्क-शाहजहानाबाद
- लाल किला-हुमायूँ का मकबरा
- पुराना किला-राष्ट्रपति भवन
- हुमायूँ मकबरा-सफदरजंग मकबरा
- सफदरजंग मकबरा-महरौली
- तुगलकाबाद-जहाँपनाह-महरौली
- महरौली-सुल्तान गढ़ी

अनुलग्नक 7: स्ट्रीट डिजाइन विनियम

शहर के लिए समग्र गतिशीलता, सुरक्षा और पर्यावरणीय लक्ष्यों के आधार पर, निम्नलिखित विनियमों का पालन सभी सड़कों की डिजाइन, निष्पादन, प्रबंधन और रखरखाव के लिए किया जाना चाहिए:

1. अधिमान्य सार्वजनिक परिवहन उपयोग को बढ़ावा देना:

1क. सार्वजनिक पारगमन और पैदल यात्रियों के लिए मार्गों/सड़कों को समान अथवा उच्च प्राथमिकता के लिए पुनःसंयोजित होना चाहिए।

1ख. अन्य साधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर पार्किंग को प्रतिबंधित करें अथवा निजी वाहनों के लिए उच्च पार्किंग शुल्क को लागू करें।

1ग. पीक/चरम व्यस्तता अवधि के दौरान उच्च व्यस्तता वाले वाहनों (एचओवी) और कारपूल के लिए समर्पित गलियाँ प्रदान करें।

1घ. पारगमन-उन्मुख मिश्रित भूमि उपयोग पैटर्न प्रदान करें और जहाँ कहीं भी अनुमति हो, एमआरटीएस स्टॉप की पैदल दूरी के भीतर शहर को रीडेन्सीफाई करें।

2. डिजाइन द्वारा सभी सड़क उपयोगों की सुरक्षा के लिए:

2क. शहरी मुख्य सड़कों और सब उप मुख्य सड़कों पर डिजाइन द्वारा गति को 50 किमी प्रति घंटे और कलेक्टर तथा स्थानीय सड़कों पर 30 किमी प्रति घंटे तक सीमित करें। जहां संभव हो, उच्च गति सीमा के मामले में प्रवर्तन द्वारा सहायता प्राप्त करते हुए, स्ट्रीट डिजाइन का उपयोग गति को सीमित करने के साधन के रूप में किया जाना चाहिए।

2ख. पेड़ों, आइलैंड और स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग के साथ ड्राइववे और घुमावदार पथ के संकरीकरण के माध्यम से, 12 मीटर अथवा उससे कम के आरओडब्ल्यू वाली सभी सड़कों के ट्रैफिक को व्यवस्थित करना।

डिजाइन द्वारा गति को 20 किमी प्रति घंटा तक सीमित किया जाना चाहिए।

2ग. किनारों की अधिकतम ऊँचाई 150 मिमी से अधिक नहीं होगी, क्योंकि पैदल यात्रियों के लिए ऊंची किनारों पर चढ़ना कठिन होती है, जिससे उन्हें कैरिजवे पर चलना पड़ता है। कम व्यस्तता वाली अवधि के दौरान तेज गति के वाहनों के लिए उच्चतर किनारे/कर्ब खतरनाक हो सकते हैं, और वे वाहनों के पलटने तथा दुर्घटनाओं आदि के कारण बन सकते हैं।

- शहर की सभी सड़कों के लिए अंतिम सड़क स्तर तय किया जाना चाहिए। सड़कों की मरम्मत करते समय, पिछली परतों को इस तरह से हटाना चाहिए, कि अंतिम सड़क का स्तर पहले की तरह समान रहे।
- फुटपाथ का स्तर कभी भी इससे सटे कैरिजवे स्तर से 150 मिमी से अधिक नहीं होना चाहिए।

2घ. मोटर वाहन पार्किंग द्वारा फुटपार्थों को अतिक्रमण से बचाने के लिए कुछ कुछ अंतरालों पर लगाए गए बफर्स, बोलाई और अन्य भौतिक सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि, ऐसी सामग्री को लगातार

रेलिंग जैसे अवरोध का निर्माण नहीं करना चाहिए, जिससे पैदल चलने वालों के लिए बाधा उत्पन्न हो। फुटपाथों को अतिक्रमण से बचाने के लिए सक्रिय प्रवर्तन की आवश्यकता है।

2ड. ब्लाइंड टर्न और चौराहों पर वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए, कोनों के कर्ब की त्रिज्या 12 मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। कलेक्टर अथवा स्थानीय सड़कों पर कोई स्लिप रोड अथवा फ्री लेफ्ट टर्न नहीं दिया जाना चाहिए। यदि स्लिप रोड या टर्निंग पॉकेट को प्रमुख सड़कों पर दिया जाता है, तो ट्रैफिक को नियंत्रित करने और सिग्नल के साथ सुरक्षित स्तर पर पैदल यात्री क्रॉसिंग प्रदान की जानी चाहिए।

2च. सभी कलेक्टर और प्रमुख सड़कों पर बहु-उपयोगिता क्षेत्र (एमयूजेड) की चौड़ाई न्यूनतम 1.8 मीटर होनी चाहिए, जिससे कि बस स्टॉप, सड़क उपयोगिताओं, पेड़ों, स्ट्रीट फर्नीचर, तूफानी जल प्रबंधन के लिए रोपण, आईपीटी/एनएमटी स्टैंड, सशुल्क आईडल पार्किंग आदि को समायोजित किया जा सके और ये कैरिजवे या सुरक्षित पैदल चलने वालों हेतु स्थानों पर अतिक्रमण न करें।

2छ. सभी कलेक्टर और प्रमुख सड़कों पर साइकिल चालकों/एनएमटी हेतु सुरक्षित पार्किंग सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

2ज. प्रत्येक 500-800 मीटर की दूरी पर सुलभ सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध करवाएं जाएं, जो पैदल चलने वालों और सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ताओं द्वारा आसान पहुंच के लिए बस स्टॉप के निकट स्थित हो।

3. सभी सड़कों पर पैदल चलने वालों की सुरक्षा, आराम और सुविधा के लिए:

3क. पैदल चलने वालों को आरामदायक और सुरक्षित पहुंच के साथ ग्राउंड स्तर पर बने रहना चाहिए, और सबसे प्रमुख सड़क का कम से कम उपयोग करना चाहिए, जब तक कि कोई दूसरा विकल्प न हो।

3ख. सभी सड़कों के दोनों ओर एक निरंतर अबाधित फुटपाथ, जिसमें आरओडब्ल्यू 12मी से अधिक चौड़ा हो। पेड़ों / हरियाली / फेरी वालो हेतु स्थानों और सतह उपयोगिताओं के लिए स्थान के अलावा फुटपाथ की न्यूनतम चौड़ाई 1.8 मी (2.4 मी स्पष्ट ऊंचाई के साथ) होनी चाहिए। फुटपाथ की चौड़ाई पैदल चलने वालों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाएगी, और जहाँ भी आवश्यकता हो, 1.8 मीटर से अधिक चौड़ी होनी चाहिए।

3ग. फ्रंटेज जोन अथवा डेड विड्थ: खरीदारी के क्षेत्रों में फुटपाथों के लिए, फुटपाथ की चौड़ाई में एक अतिरिक्त 1 मीटर जोड़ा जाना चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में 0.5 मीटर की डेड विड्थ जोड़ी जा सकती है।

3घ. 18 मीटर आरओडब्ल्यू अथवा उससे कम की सड़कों पर, यदि पैदल चलने वाले व्यक्तियों की आवाजाही दोनों दिशाओं में 8000 प्रति घंटे से अधिक है, तो पूरे आरओडब्ल्यू को पैदल चलने के लिए रखा जाना चाहिए। आर्थिक गतिविधि और/अथवा सुरक्षा और सुविधा में सुधार की क्षमता के आधार पर, ऐसी सड़कों को पैदल चलने के लिए निर्धारित किए जाने पर विचार किया जा सकता है, भले ही पैदल चलने वाले व्यक्तियों की आवाजाही 8000 प्रति घंटे से कम हो।

3ड. हर समय कैरिजवे पर फुटपाथों की ऊंचाई 150 मिमी से कम होनी चाहिए और वर्षा जल के बहाव के लिए पर्याप्त क्रॉस ढलान होने चाहिए। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ पर आसानी से चढ़ने और उतरने के लिए ऊंचाई काफी कम होनी चाहिए।

3च. सभी सुविधाओं और जनसुविधाओं को कम गतिशीलता वाले सभी लोगों द्वारा सार्वभौमिक पहुंच हेतु सुगम व बाधा रहित होना चाहिए, जिसमें श्रवणबाधित और दृष्टिबाधित व्यक्ति भी शामिल हैं।

3छ. प्रति किलोमीटर कम से कम 5 सुरक्षित स्ट्रीट-लेवल क्रॉसिंग की सुविधाएं होनी चाहिए और दो क्रॉसिंग के बीच अधिकतम स्थान की दूरी 250 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्थानों की परिस्थिति के अनुसार इन क्रॉसिंग को वाहनों की गति को कम करने हेतु सिग्नल और/अथवा यातायात नियंत्रकों (सड़क स्तर पर 150 मिमी तक क्रॉसवाक बढ़ाने के माध्यम से) द्वारा प्रबंधित किए जा सकते हैं।

- प्रत्येक सड़क पार करने के स्थान पर 1 मीटर की न्यूनतम चौड़ाई के साथ पैडस्ट्रेन रेफ्यूज। जो मोटर वाहन कैरिजवे के 7 मीटर पार करने के बाद हो सकते हैं, अथवा बिना सिग्नल वाले मिडब्लॉक क्रॉसिंग पर दोनों ओर मोटर वाहन कैरिजवे के 10 मी के अंतराल में हो सकते हैं।
- जहां संभव हो पैदल यात्री रेफ्यूज की चौड़ाई को 1.75 मीटर तक बढ़ाया जा सकता है, ताकि एक साइकिल को समायोजित किया जा सके।
- गंतव्य तक पहुँचने के लिए अनावश्यक चक्करों को रोकने के लिए स्तरीय तौर पर अलग की गई संरचनाओं (फुट-ओवर ब्रिज और पैदल-उपमार्ग) से बचा जाना चाहिए।
- यदि शहरी क्षेत्रों के परिधीय क्षेत्रों में राजमार्गों की उपस्थिति के कारण स्तरीय तौर पर अलग किए गए पैदल यात्री क्रॉसिंग अपरिहार्य हैं, तो ऐसी क्रॉसिंग संरचनाएं कई स्थानों में थोड़े अंतरालों में होनी चाहिए। किनारों पर विकास वाले क्षेत्रों में प्रति किलोमीटर कम से कम 4 क्रॉसिंग सुविधाएं होनी चाहिए। प्रत्येक क्रॉसिंग को सार्वभौमिक रूप से सभी के लिए सुलभ होना चाहिए।

3ज. जहां भी मानदंडों के अनुसार अनुमति दी गई हो, प्राकृतिक निगरानी अथवा 'सड़क पर नज़र' को सभी सड़कों पर बाधाओं और बाउंड्री वॉल को हटाकर, सड़क के किनारे के निर्माण के लिए सक्षम किया जाना चाहिए। यह अंदर से लोगों को फुटपाथ पर नजर रखने सक्षम बनाएगा और इस प्रकार फुटपाथों, बस-स्टॉप और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के उत्पीड़न को हतोत्साहित करने में मदद करेगा।

- मुख्य इमारत के अग्रभाग को सड़क की ओर सम्मुख होना चाहिए, चाहे वह सेटबैक के बिना संपत्ति की लाइन पर स्थित है अथवा सेटबैक और पारदर्शी किनारे के भीतर सक्रिय उपयोग के साथ हो, जो सड़क सुरक्षा में मददगार होता है। सड़कों की दृश्य निगरानी की सुविधा के लिए व्यावसायिक फ्रंटेज पर न्यूनतम 50% पारदर्शिता (बिना रंग के) के साथ अग्रभाग होने चाहिए।
- यदि साइटों के बाड़े की आवश्यकता होती है, तो जमीन के स्तर से 300 मिमी की ऊंचाई से पारदर्शी बाड़े का उपयोग किया जाना चाहिए।
- सड़क को सक्रिय करने और इसे सुरक्षित बनाने के लिए, चलने के मार्ग के साथ और विशेष रूप से अत्यधिक संख्या में पैदल चलने वाले क्षेत्रों के साथ फेरीवाले स्थानों को चिन्हित किए जाने चाहिए। पीने के पानी के प्याउ-घर और शौचालय सहित उपयोगिताओं के लिए जगह की योजना बनाई जानी चाहिए ताकि चलने की जगह बढ़े और इसमें कोई समझौता नहीं किया गया हो।

3झ. कैरिएजवे के लिए प्रदान की गई कोई हाई-मास्ट लाइटिंग के अलावा पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वालों के लिए पर्याप्त लो-मास्ट स्ट्रीट लाइटिंग भी प्रदान किए जाने चाहिए। लगभग 20 एल्यूमिनियम का स्तर गैर-खरीदारी क्षेत्रों और फुटपथों के लिए उपयुक्त है और शॉपिंग क्षेत्रों, बस-स्टॉप, मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने और पैदल चलने वालों के इकट्ठा होने या प्रतीक्षा वाले किसी भी क्षेत्र में 25-30 एल्यूमिनियम-लेवल की आवश्यकता होती है।

3ञ. उच्च उपयोगिता के लिए सड़क के कोनों पर कूड़ेदान, पोस्ट-बॉक्स, साइनेज और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करें।

4. सभी सड़क उपयोगकर्ताओं हेतु क्लाइमेट कम्फर्ट के लिए:

4क. पेड़ सभी सड़कों के लिए एक आवश्यक घटक हैं - पैदल चलने वालों/साइकिल चालकों को छाया प्रदान करने और धूप की चिलचिलाहट से बचने के लिए।

- 12 मीटर से कम आरओडब्ल्यू वाली सड़कों के लिए प्रति किमी कम से कम 125 पेड़ और 12 मीटर से अधिक आरओडब्ल्यू वाली सड़कों पर प्रति फुटपाथ प्रति किमी कम से कम 125 पेड़ होने चाहिए।

पेड़ों के बीच अंतराल 12 मीटर से अधिक नहीं होने चाहिए केवल चौराहों वाले स्थान को छोड़कर।

4ख. नगरीय उष्मा प्रभाव (अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट) को कम करने के लिए सतह के निर्माण हेतु हाई एल्बेडो (परावर्तन को कम करने वाले) सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए।

4ग. ओवरहैंग्स और आर्केड्स के साथ किनारों पर फुटपाथ वाले भवनो का निर्माण किया जाना चाहिए जो पैदल चलने वालों को अच्छी सुरक्षा प्रदान करते हैं।

5. सभी सड़क उपयोगकर्ताओं हेतु सार्वभौमिक पहुंच और सुविधाएं सुनिश्चित करना:

5क. सभी सुविधाओं और जनसुविधाओं को कम गतिशीलता वाले सभी लोगों द्वारा सार्वभौमिक पहुंच हेतु सुगम व बाधा रहित होना चाहिए, जिसमें संहिता के अनुसार श्रवणबाधित और दृष्टिबाधित व्यक्ति भी शामिल हैं।

5ख. विकलांग व्यक्तियों/बुजुर्गों के लिए आवागमन में आसानी हेतु लगातार बने अवरोध मुख्य रूप से फुटपाथ प्रदान किए जाने चाहिए। विभिन्न स्थानों पर उपरी हिस्से/रैंप आदि के उचित प्रावधान के लिए फुटपाथ की ऊंचाई को आरओडब्ल्यू के साथ 150 मिमी के निरंतर स्तर पर बनाए रखा जाना चाहिए, जैसे कि संपत्ति में प्रवेश, क्रॉसिंग इत्यादि।

5ग. लगभग 70 से 250 मीटर के अंतराल पर एट-ग्रेड क्रॉसवॉक (राजमार्गों या बीआरटी कॉरीडोर्स पर फुट-ओवर ब्रिज) प्रदान किए जाने चाहिए, जो ट्रांजिट स्टॉप के स्थान, सड़क/भूमि उपयोग गतिविधियों के प्रकार और आसपास के भवन के प्रवेश और गंतव्यों के साथ संरेखित हों।

5घ. सुलभ सार्वजनिक शौचालय हर 500-800 मीटर की दूरी पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, अधिमानतः जो पैदल यात्रियों और सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ताओं द्वारा आसानी से पहुंचने के लिए बस स्टॉप के नजदीक स्थित हो।

6. नगरीय ऊष्मा प्रभाव (अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट) को कम करना और प्राकृतिक तूफानी जल प्रबंधन का सहयोग:

6क. पारगम्य फर्श के उपयोग, पेड़ लगाने वाले जोन आदि के माध्यम से अभेद्य सतहों को कम करना, भूजल संभरण को बढ़ाना और मौसमी बाढ़ को रोकना।

6ख. सड़क डिजाइन में बायो-फिल्टरेशन बेड्स, स्वेल्स और चारों ओर से घिरे तालाबों के माध्यम से प्राकृतिक तूफानी जल फिल्टरेशन और अवशोषण को एकीकृत करना।

6ग. हरियाली को बढ़ाने, वृक्षारोपण, प्रभावी परावर्तन फर्शों आदि के उपयोग द्वारा उष्मा द्वीप प्रभाव (हीट आइलैंड इफेक्ट) को कम करना।

7. इंटरमीडिएट सार्वजनिक परिवहन:

मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) ऐसे भाड़े पर लिए/साझाकृत किए गए परिवहन के साधन होते हैं जो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को समर्थन अथवा निजी परिवहन उपयोग के लिए एक अन्य विकल्प के रूप में फीडरों के तौर पर कार्य कर सकता है। आईपीटी में साइकिल-रिक्शा, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सियां और अन्य वाहन प्रकार शामिल हैं, जो परिवहन के एक साझा साधन/फीडर सेवा के रूप में सेवारत हैं और जो मोटर वाहन अधिनियम के तहत भी निर्दिष्ट हैं। टैक्सी एक एकीकृत परिवहन सेवा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि अन्य सभी मेट्रो शहरों की तरह सड़क पर भी उपलब्ध होनी चाहिए, ऐसे लोगों के लिए जो सार्वजनिक परिवहन के लिए कार का उपयोग नहीं करते हैं और कुछ यात्राओं के लिए टैक्सी को अपनाते हैं। ऑटो-रिक्शा भी सार्वजनिक परिवहन के लिए एक साझा अथवा किराए पर साधन के रूप में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं, जो विभिन्न प्रकार की यात्राओं के लिए घर-घर तक संपर्क प्रदान करते हैं, और निजी साधन के सापेक्ष एक किफायती विकल्प प्रदान करते हैं।

8. मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) की परिभाषा:

मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) को ऐसी किसी भी सार्वजनिक पारगमन प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें 10,000 से अधिक पीक ऑवर डायरेक्शन टिप्स (पीएचपीडीटी) ले जाने की क्षमता होती है।

अनुलग्नक 8: सांस्कृतिक परिसीमा की सांकेतिक सूची

- नजामुद्दीन दरगाह- हुमायूँ का मकबरा परिसर-सुन्दर नर्सरी
- शमशी किला-जहज़ महल-ज़फ़र महल-बावली-आदम खान मकबरा- कुतुबमीनार परिसर
- विजय मंडल - बेगमपुर - सराय शाहजी -लाल गुम्बद
- सफदरजंग मकबरा - लोधी उद्यान- लोधी संस्थागत क्षेत्र- लोधी कला मंच
- त्रिकोना पार्क- शाहपुरजाट फैशन स्ट्रीट - तोहफेवाला गुंबद- एशियाड विलेज सोसाइटी
- फिरोजशाह का मकबरा - हौजखास गांव - हौजखास झील
- खिड़की मस्जिद-सतपुलानुल्लाह- चिराग दिल्ली में स्मारक- जहाँपनाह जंगल
- हेरिटेज सिटी (हेरिटेज ज़ोन) के भीतर हेरिटेज प्रीकाइंट्स: ऐतिहासिक बाज़ार (जैसे खारी बावली, पराठेवाली गाली / कटरा / चांदनी चौक विस्टा / जामा मस्जिद के आसपास मोतिया महल / क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र)
- एलबीजेड के भीतर विरासत: सेंट्रल विस्टा

अनुलग्नक 9: पुनर्विकास के लिए गैर-अनुरूप क्षेत्रों में औद्योगिक कोन्सेन्ट्रेशन

गैर-अनुरूपण उद्योग	क्षेत्र (एचए)
आनंद परबत	49.5
शाहदरा	19.7
समयपुर बादली	20.1
जवाहर नगर	17.9
सुल्तानपुर माजरा	15.5
हस्तसाल पॉकेट - ए	5.5
नरेश पार्क एक्सटेंशन	12.7
लिबासपुर	32.4
पीरागढ़ी गाँव	17.2
ख्याला	47
हस्तसाल पॉकेट - डी	6
शलमर गाँव	5.1
नई मंडोली	24.7
नवादा	5.3
रिठाला	41.2
स्वर्ण पार्क मुंडका	6.9
हैदरपुर	22.2
करावल नगर	25.5
डाबरी	2.6
बसई दारापुर	-
प्रहलादपुर बांगर	23.4
मुंडका और मुंडका उद्योग नगर	80.8
रणहोला (*उद्योग विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा दिनांक 26 अगस्त 2019 को अधिसूचित किया गया	

अनुलग्नक 10: एमपीडी-41 के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (की-पर्फोमेंस इंडीकेटर)

क्र.सं.	केपीआई का नाम	माप के साधन	टिप्पणियाँ
1	स्थानीय वायु प्रदूषण में कमी	$\frac{\text{स्थानीय पीएम2.5 अवलोकनों की संख्या जो कम से कम 'अच्छी' श्रेणी के भीतर हों}}{\text{अवलोकनों की कुल संख्या}} \times 100$ <p>जिसमें,</p> <ul style="list-style-type: none"> स्थानीय पीएम2.5 = स्थानीय कारक X पीएम2.5 मूल्य अवलोकन = निगरानी केन्द्रों की संख्या x 365 (दैनिक मापन के लिए) अच्छी श्रेणी = सीपीसीबी द्वारा प्रदान किए निर्देशों से मेल खाती है। 	दिल्ली में अधिकांश प्रदूषण बाहरी स्रोतों से है, जिस पर इस शहर का कोई नियंत्रण नहीं है। स्थानीय/स्वदेशी कारक वह प्रदूषण है जो शहर में उत्पन्न होता है, जिसके स्रोत का पता स्रोत अध्ययनों के माध्यम से लगाया जा सकता है। ऐसे अध्ययन प्रत्येक 5 वर्ष में किए जाने चाहिए।
2	जल प्रदूषण नियंत्रण	$\frac{\text{प्राकृतिक निकाय में मापा गया विघटित ऑक्सीजन}}{\text{प्राकृतिक निकाय में न्यूनतम वांछित विघटित ऑक्सीजन}} \times 100$ <p>जिसमें,</p> <ul style="list-style-type: none"> प्राकृतिक निकायों में नदियां, जल निकाय और प्राकृतिक नाले शामिल हैं। न्यूनतम वांछित विघटित ऑक्सीजन (निगरानी के पहले चरण हेतु) = 4 mg/L (सीपीसीबी निर्देशों के अनुसार बाद में संशोधित किए जा सकते हैं) 	नदी, जल निकायों और नालों के लिए व्यक्तिगत स्कोर की गणना 2.4 में निर्दिष्ट मापदंड के अनुसार 1-5 की श्रेणी में की जानी चाहिए। तीन अंकों का एक औसत समग्र केपीआई स्कोर प्रदान करेगा।
3	हरित कवर संवर्धन	आधार रेखा के संदर्भ में शहर के हरित क्षेत्र (%) में वार्षिक वृद्धि (उदाहरण 2021 के आंकड़े)	हरित आच्छादन / कवर को भारतीय वन सर्वेक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार परिभाषित एवं गणना की गई है।
4	जल निकायों का कार्याकल्प	$\frac{1 \text{ हेक्टेयर एवं अधिक आकार के पुनरुद्धारित जल निकायों की संख्या}}{1 \text{ हेक्टेयर एवं अधिक आकार के कुल जल निकाय}} \times 100$	पुनरुद्धारित जल निकाय को परिभाषित करने हेतु मापदंड। <ul style="list-style-type: none"> जल निकायों में अथवा इसके आसपास ठोस अपशिष्ट की उपस्थिति का नहीं होना। जल निकायों में गैर-शोधित अपशिष्ट जल को प्रवाहित नहीं किया

			<p>जाना।</p> <ul style="list-style-type: none"> • जल निकाय के चारों ओर घेरे के रूप में सुरक्षा का होना। • जल निकाय में कोई भी दृश्य जलीय-सुपोषण (यूट्रोफिकेशन) का नहीं होना। • 4 mg/l का न्यूनतम डीओ • जनसाधारण के लिए सुलभ (वांछनीय लेकिन अनिवार्य नहीं) • नियमित रखरखाव प्रणाली का होना। • पिछले वर्ष की अपेक्षा पानी की मात्रा में कमी नहीं होना।
5	बाढ़ जोखिम में कमी	आधार-रेखा के संदर्भ में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों की संख्या में कमी होना (उदाहरण 2021 आंकड़े)	बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को लोकनिर्माण विभाग तथा दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा परिभाषित एवं चिन्हित किया जाना।
6	अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग	$\frac{\text{उपयोगित उपचारित जल अपशिष्ट}}{\text{कुल सृजित जल अपशिष्ट}} \times 100$	
7	भूजल संवर्धन	अवलोकन कूओं की संख्या जिसमें भूजल गहराई 'सुरक्षित' श्रेणी/स्तर में है।	'सुरक्षित' श्रेणी, जैसा कि सीजीडब्ल्यूबी द्वारा परिभाषित है।
8	लैंडफिल स्ट्रेस को कम करना	$\frac{\text{लैंडफिल्स में पहुंचने वाले कुल अपशिष्ट}}{\text{कुल सृजित अपशिष्ट}} \times 100$	
9	अपशिष्ट से वेल्थ में परिवर्तन	आधार-रेखा के संदर्भ में पुनर्चकृत सीएंडडी उत्पादों से राजस्व के सृजन में वृद्धि। (उदाहरण 2021 आंकड़े)	
10	कुल उपयोग में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा	$\frac{\text{नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा उपयोग}}{\text{कुल ऊर्जा उपयोग}} \times 100$	नवीकरणीय उर्जा स्रोतों में सौर, पवन, जल और जियोथर्मल शामिल हैं।
11	भूकंपीय अनुपालन	$\frac{\text{भूकंपीय प्रणाली सक्षम पंजीकृत भवनों की संख्या}}{\text{भूकंपीय प्रणाली की आवश्यकता वाले पंजीकृत भवनों की संख्या}} \times 100$	डीडीएमए निर्देशों के अनुसार भूकंपीय अनुपालन की

			आवश्यकता वाले भवन।
12	आग के प्रकोप से सुरक्षा	आधार-रेखा के संदर्भ में आग की घटनाओं की संख्या में कमी। (उदाहरण 2021 आंकड़े)	
13	न्यू हाउसिंग स्टॉक में लघु प्रारूप आवास का हिस्सा	$\frac{\text{निर्मित किए गए छोट फॉर्मेट के प्राधिकृत डीयू की संख्या}}{\text{निर्मित किए गए नए प्राधिकृत डीयू की संख्या}} \times 100$	देखें एसएसआई1: खंड 3.2.2.
14	स्लम पुनर्वास	$\frac{\text{पुनर्वास किए गए सूचीबद्ध झुग्गियों की संख्या}}{\text{कुल सूचीबद्ध झुग्गियों की संख्या}} \times 100$	डीयूसआईबी के अनुसार सूचीबद्ध झुग्गियां
15	पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर शिफ्ट	निजी साधन द्वारा कुल यात्राओं हेतु सार्वजनिक और परिवहन के साझा साधन द्वारा कुल यात्राओं का अनुपात (पैदल भ्रमण को छोड़कर)।	प्रत्येक पांच वर्ष में शहर के एक विस्तृत परिवहन मॉडल विभाजन सर्वेक्षण के माध्यम से आंकड़ों की पुष्टि किया जाना।
16	इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाना	$\frac{\text{नए पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन}}{\text{कुल नए पंजीकृत वाहन}} \times 100$	
17	मानव विकास सूची	स्वतः स्पष्ट	यूनडीपी द्वारा प्रचारित कार्यप्रणाली का उपयोग दिल्ली के लिए एचडीआई का पता लगाने हेतु किया जा सकता है।
18	धरोहर संरक्षण	$\frac{\text{संरक्षित विरासत स्थलों की संख्या}}{\text{विरासत स्थलों की कुल संख्या}} \times 100$	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यथानिर्धारित संरक्षण मापदंड।
19	सार्वजनिक सड़कों की जीवंतता	$\frac{\text{सड़क डिजाइन विनियम के अनुसार 18 मी और इससे अधिक लंबाई डिजाइन वाली सड़कें}}{\text{18 मी और इससे अधिक लंबाई वाली कुल सड़कें}} \times 100$	देखें अनुलग्नक 6 : स्ट्रीट डिजाइन विनियमन
20	कार्यबल में महिला भागीदारी	$\frac{\text{15 से 64 वर्ष की आयु के बीच कुल महिला कामगार}}{\text{15 से 64 वर्ष की आयु के बीच कुल महिलाएं}} \times 100$	

अनुलग्नक 11: इंडस्ट्रीज की सूची (एम1)

- इस श्रेणी में उच्च प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास, उच्च मूल्य वर्धित एवं ज्ञान गहन गतिविधियों में सम्मिलित व्यवसाय शामिल होंगे।
- इस औद्योगिक उपयोग जोन में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों अथवा उपयोग के श्रेणियों की अनुमति है जो प्रौद्योगिकी और अनुसंधान-उन्मुख उद्योग तथा प्रकृति में गैर-विनिर्माण से संबंधित हैं;

1. सॉफ्टवेयर उद्योग

- क. कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उद्योग और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सिस्टम एकीकरण करने वाले उद्योग।
- ख. कंप्यूटर और टेलीकॉम सुविधाओं के इंटरफेस को एकीकृत और मैनुप्लेट करने वाले उद्योग।
- ग. सॉफ्टवेयर उत्पाद और मोबाइल अनुप्रयोग आईटी, और आईटी सक्षम कार्य

2. आईटी सेवा उद्योग

- क. इंटरनेट और ईमेल सेवा प्रदाता
- ख. वर्ल्ड वाइड वेब सर्विसेज प्रोवाइडर ईकॉमर्स एंड कंटेंट डेवलपमेंट।
- ग. इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) सेवाएँ
- घ. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वी सैट, आईएसडीएन सेवाएं
- ङ. इलेक्ट्रॉनिक / आईटी डाटा सेंटर गतिविधियाँ

3. आईटीईएस उद्योग

- क. ग्राहक संपर्क सेवाएं, जैसे, कॉल / संपर्क केंद्र और ईमेल सहायता डेस्क
- ख. बैंक ऑफिस प्रोसेसिंग
- ग. वित्त और लेखा (दूरस्थ तौर पर प्रदत्त)
- घ. बीमा दावा प्रोसेसिंग (दूरस्थ तौर पर प्रदत्त)
- ङ. मानव संसाधन सेवाएं और अन्य परामर्श (दूरस्थ तौर पर प्रदत्त)
- च. वेब साइट विकास और रखरखाव सेवाएँ
- छ. दूरस्थ शिक्षा
- ज. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग
- झ. सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन विकास
- ञ. इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और उत्पाद विकास
- ट. इंजीनियरिंग डिजाइन और उत्पाद विकास
- ठ. डेटाबेस प्रदान करके अथवा दुनिया भर में फैले डेटाबेस तक पहुँच द्वारा उपयोग की जानकारी की आवश्यकता को पूरा करने वाले उद्योग।
- ड. सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न अथवा सभी घटकों के परिष्कृत परीक्षण हेतु सुविधाएं प्रदान करने वाले उद्योग।
- ढ. दूरसंचार और सेवाओं को सक्षम करना।

4. मीडिया

- क. टीवी और वीडियो कार्यक्रम उत्पादन।
- ख. फोटो कम्पोजिंग और डेस्कटॉप पब्लिकेशन।
- ग. पब्लिशिंग
- घ. ऑडियो-विजुअल सेवाएं

5. जैव प्रौद्योगिकी / चिकित्सा

- क. उत्पादों अथवा प्रक्रियाओं का अनुसंधान और विकास तथा विनिर्माण, जो विशिष्ट जीवित प्रणालियों (पौधों, जानवरों और रोगाणुओं अथवा उसके कुछ हिस्सों) का उपयोग करके अथवा उनसे प्राप्त किए गए एंजाइम/जैव रासायनिक अभिकारकों का उपयोग करते हैं।
- ख. जेनेटिक इंजीनियरिंग और कॉन्ट्रैक्ट अनुसंधान तथा नैदानिक परीक्षण
- ग. मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सेवाएं

6. अनुसंधान एवं विकास और डिजाइन

- क. इलेक्ट्रॉनिक्स आरएंडडी-डिजाइन और उत्पाद विकास
- ख. इंजीनियरिंग आरएंडडी- डिजाइन और उत्पाद विकास
- ग. जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास
- घ. डिजाइन गारमेंट्स उद्योग, रत्न और आभूषण, वेब डिजाइन आदि
- ड. कपड़ा डिजाइनिंग और फैब्रिक परीक्षण आदि।
- च. अंतर-अनुशासनात्मक अनुसंधान और विकास सेवाएं

6. अन्य

- क. पैकेजिंग
- ख. इलेक्ट्रॉनिक समान, विद्युत (इलेक्ट्रिकल) वितरण सेवाएं
- ग. टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की सेवा और मरम्मत।
- घ. ट्रांसपोर्ट सेवाएं
- ड. खाद्य और पेय सेवाएं
- च. संस्कृति और रचनात्मक उद्योग
- छ. स्टार्ट अप, इनक्यूबेटर और एक्सीलरेटर

नोट:

1. *सड़क का न्यूनतम आरओडब्ल्यू अथवा सड़क का फैलाव जिस पर क्रम संख्या 7 में उल्लिखित गतिविधियाँ अनुमत हैं, इस प्रकार है:
 - i. 1000 वर्गमीटर तक भूखंड- 12 मीटर मार्गाधिकार
 - ii. 1000 वर्गमीटर से ऊपर भूखंड- 18 मीटर मार्गाधिकार

2. जीएनसीटीडी के उद्योग विभाग के परामर्श से डीएसआईआईडीसी द्वारा अग्रेषित की गई सूची में परिवर्धन/परिवर्तन हेतु किसी भी सिफारिश को शामिल किया जाएगा, यदि इसे उचित और केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में माना जाता है।

अनुलग्नक 12: सर्विस और रिपेयर संबंधी उद्योग की सूची (एम1)

1. एयर कंडीशनर पार्ट्स।
2. एल्यूमीनियम दरवाजे / खिड़कियां / फिटिंग / फर्नीचर।
3. साइकिल का संयोजन और मरम्मत।
4. ऑटो पार्ट्स।
5. बल्ब (बैटरी)।
6. साइकिल चैन/ताले।
7. डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का काम।
8. इलेक्ट्रिक फिटिंग (स्विच, प्लग पिन आदि)
9. इंजीनियरिंग वर्क
10. फाउंड्री (उद्योग विभाग/डीपीसीसी की निर्धारित सीमा के अनुसार लघु जॉब वर्क)।
11. रेफ्रिजरेशन द्वारा (कोल्ड स्टोरेज के बिना) आइसक्रीम और ठंडा पानी
12. बर्फ (आईस) के बक्से और कूलर बाँडीज़।
13. लोहे की गिल और डोर मेकिंग।
14. जूट उत्पाद।
15. चाकू बनाना।
16. संगमरमर पत्थर की वस्तुएँ।
17. धातु लैथ कटिंग।
18. मोटर वाइंडिंग वर्क्स।
19. स्टील लॉकर
20. स्टील स्प्रिंग्स।
21. टिन बॉक्स बनाना।
22. ट्रांसफार्मर कवर।
23. टीवी, रेडियो रिकार्डर आदि.
24. टीवी / रेडियो / ट्रांजिस्टर केबिनेट।
25. टाइपराइटर पार्ट्स निर्माण और असेंबली।
26. पानी के मीटर की मरम्मत।
27. वेल्डिंग वर्क्स।
28. तार निटिंग।

29. लकड़ी फर्नीचर वर्क्स।

30. सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं और कंप्यूटर पार्ट्स

नोट: ये सभी उद्योग गैर-खतरनाक और गैर-प्रदूषणकारी प्रकृति के होंगे, और इस श्रेणी की सभी औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करना होगा।

अनुलग्नक 13: 1962 से पूर्व बिल्डअप रेजिडेंशियल एंड रिहैबिलिटेशन कॉलोनियों की सूची

1. अलीगंज
2. अन्धा मुगल
3. बलबीर नगर
4. भारत नगर
5. बी.के.दत्त कॉलोनी
6. दिलशाद गार्डन
7. गांधी नगर
8. गीता कॉलोनी
9. गुलाबीबाग
10. इंद्रपुरी
11. जंगपुरा - ए
12. जंगपुरा - बी
13. जंगपुरा एक्सटेंशन
14. जवाहर नगर
15. कालकाजी
16. कमला नगर
17. करोल बाग
18. किंग्सवे कैम्प
19. कीर्ति नगर
20. किशनगंज
21. किशन नगर
22. लाजपत नगर - I से IV
23. मलकागंज
24. मालवीय नगर
25. मानसरोवर गार्डन
26. मॉडल बस्ती
27. मॉडल टाउन
28. मोती नगर
29. मुल्तान नगर
30. नानकपुरा
31. निकल्सन मार्ग
32. न्यू राजेन्द्र नगर
33. ओल्ड राजेन्द्र नगर
34. ओट्ट्रम लाइन्स
35. पटेल नगर (ईस्ट)
36. पटेल नगर (वेस्ट)
37. पटेल नगर (साउथ)
38. प्रताप नगर
39. प्रेम नगर
40. पंजाबी बाग
41. राजौरी गार्डन
42. राणा प्रताप बाग
43. रमेश नगर
44. राम नगर
45. रोहतासनगर
46. रूप नगर
47. सराय रोहिल्ला
48. शाहदरा
49. शक्ति नगर
50. शेख सराय
51. शिवाजी पार्क
52. सुभाष नगर
53. तिलक नगर
54. तिमारपुर
55. तिहाड़ - I और II
56. विनोबापुरी
57. विजय नगर

Annexure 14: Service Plans

List of Annexures

ANNEXURE I:	SERVICE PLAN - DELHI JAL BOARD (DJB)
ANNEXURE II:	SERVICE PLAN - IRRIGATION AND FLOOD CONTROL DEPARTMENT (I&FCD)
ANNEXURE III:	SERVICE PLAN - DELHI CANTONMENT BOARD (DCB)
ANNEXURE IV:	SERVICE PLAN - EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION (EDMC)
ANNEXURE V:	SERVICE PLAN - SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION (SDMC)
ANNEXURE VI:	SERVICE PLAN - NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION (NORTH DMC)
ANNEXURE VII:	SERVICE PLAN - NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL (NDMC)
ANNEXURE VIII:	SERVICE PLAN - DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, GNCTD AND DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE (DPCC)
ANNEXURE IX:	SERVICE PLAN - DEPARTMENT OF POWER, GNCTD
ANNEXURE X:	SERVICE PLAN - DELHI TRANSCO LIMITED (DTL)
ANNEXURE XI:	SERVICE PLAN - INDRAPRASTHA GAS LIMITED (IGL)
ANNEXURE XII:	SERVICE PLAN - DEPARTMENT OF INFORMATION AND TECHNOLOGY, GNCTD

ANNEXURE I: SERVICE PLAN – DELHI JAL BOARD (DJB)

कॉपी संख्या (2021-22)
 डायरी सं. 59
 दिनांक 22/01/21

पत्र संख्या 35
 दिनांक 22/01/21
 उप-निदेशक (योजना) एच.डी.एच.आर. नए दिल्ली

शुभकृत (योजना) कार्यालय
 कार्या सं. I-82
 दिनांक 21.01.2021

**DELHI JAL BOARD : GOVT OF NCT OF DELHI
 OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
 VARUNALAYA PHASE-II, KAROL BAGH, NEW DELHI**

No. DJB/CEO/2021/ D-882

Date : 18.01.2021

To

**The Vice Chairman
 Delhi Development Authority
 Vikas Sadan
 New Delhi – 110023**

VCA Office
 Dy. No. 120-50
 Date 20/1/21

R&D SYSTEMS
 DDA, VIKAS SADAN
 Dy. No. 274
 Date 19/1/21

V.C.

Sub: Perspective Plan for Infrastructural Services for Delhi 2041- Water Supply & Sewerage

Ref: DO No. F 18(7)/2018-MPD/D-154 dated 16.07.2020 from Vice Chairman, DDA

Sir,

Inviting reference to your above letter on the captioned subject, I am to state that the Perspective Plans for Infrastructural Services for Delhi 2041-Water & Sewerage have been prepared, copies of which are enclosed as Annexure – 'A' & 'B'.

In this regard, it is submitted that Delhi has limited availability of raw water resources and therefore, infrastructure planning must necessarily incorporate enhanced water conservation measures including optimum utilization of treated effluent for non-potable purposes. Further, Rain Water Harvesting is also an integral part of the water conservation paradigm along with revival of water bodies for sustainability of ground water resources. These measures are required to be given focused attention in future Urban Planned Developments in the National Capital.

Com (P3)
Sharma 20/1

Also note for soft copy
Acc (P3) 22/1/21
Pt-send mail to DDA for providing soft copy
Handwritten signature
28/01/21

AD (P3) - 2/1/21 (P3) O.C. (P3) / m/m

Needless to emphasize, Delhi Development Authority, being the premier development agency in Delhi, has a pivotal role to facilitate additional availability of raw water to the National Capital for its planned and orderly development through liaison with the Central Ministries and agencies concerned.

Further, it had been earlier informed that a Consultant has been engaged for preparation of DPR for Integrated Infrastructural Master Plan (IIMP) for Land Pooling Zones. It is assured that DJB will provide all necessary available inputs on network design, identification of sites for WTPs/STP etc and extend fullest co-operation to the Consultant appointed by the DDA and facilitate the process of infrastructure planning for developments under Land Pooling Zones/MPD-2041.


(Nikhil Kumar)
Chief Executive Officer

- Encl: A. Perspective Plan for Infrastructural Services
for Delhi 2041- Water Supply
B. Perspective Plan for Infrastructural Services
for Delhi 2041- Sewerage

9650817009
Santosh K
SE 23B

Soft copy received vide email dt 19/01/2021. Kindly forward
with original letters to NIUA.

19/01/2021

Ms Nisha PA

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041
AGENCY: DELHI JAL BOARD (DJB)

(A) WATER SUPPLY

1. Present water demand

Delhi Jal Board (DJB) had earlier considered per capita potable water requirement @ 60 GPCD. As per the projected population of 23 million for 2021, the water demand is estimated to be 1380 MGD.

2. Water demand projections for 2041

DJB anticipated that by the year 2041 about 1500 MGD potable water @ 50 GPCD (225 LPCD) for a population of 30 million (3 crore) shall be required. For future planned developments, availability of potable water will be restricted to maximum of 40 GPCD (180 LPCD).

3. Basis for adopting per capita water requirement:

Due to limited water resources, demand for potable water has been rationalized by use of non-potable recycled water of desired quality standards for different non-potable uses. For future planned developments, availability of potable water will be restricted to a maximum of 40 GPCD as given in the Table - 1.

Table 1 Potable Water Demand as per use for future developments

Potable Water Demand	Quantity
Residential	135 LPCD
Non-Residential (Commercial/Institutional etc. including 5 LPCD for floating population)	20 LPCD
Fire Demand	2 LPCD
Transmission Losses @ 15%	23 LPCD
Total	180 LPCD (Say 40 GPCD)

Water requirement for toilet flushing purposes in residential developments and non-residential developments (about 75LPCD) shall have to be met by use of non-potable recycled water of desired quality standard with dual piping system. Water demand for industrial process water & horticulture/gardening/agriculture purposes shall also need to be necessarily met out from recycling of wastewater of desired quality standards. Necessary infrastructure for enabling use of recycled water such as dual piping and plumbing, etc. is to be ensured by DDA / Land Developing Agencies. For new buildings (land pooling / redevelopment), dual piping maybe enforced by the building plan sanctioning authorities.

The plumbing infrastructure for dual piping is very difficult and cost intensive to implement in existing developments. Therefore, Delhi Jal Board has assessed that with potable water demand of 40 GPCD in future planned developments, total requirement of potable water at the city level can be progressively brought down from 60 GPCD to 50 GPCD.

4. Action Plan for Water Augmentation for 2041

It is well known that the fresh water resources for the National Capital Territory of Delhi are limited and the situation is increasingly becoming challenging. Therefore, a twin-pronged strategy for water supply in the future focuses on the augmentation of both, ground water and surface water resources, while also emphasizing the need for increased wastewater treatment and reuse, rainwater harvesting initiatives, restoration of water bodies, etc.

Water Augmentation Plan for NCT of Delhi envisaged by Delhi Jal Board is given here under Table - 2:

Table 2 Water Augmentation Action Plan

Water Sources	Source of water	Proposed amount of water augmentation (in MGD)			
		2021-2026	2026-2031	2031-2036	2036-2041
Short to Medium term Plan (248 MGD)					
1. Ground Water Extraction (113 MGD)	a. Installation of additional Tube-Wells in Palla Area (200 Tube-Wells)	25			
	b. Aquifer Recharge and Ground Water Extraction from Water Bodies / Lakes (including reuse of treated effluent)	23			
	c. Ground Water Extraction from Localized Area having High Ground Water Levels				
	d. Additional Ground Water Recharge Projects in Palla Areas	65			
	e. Setting up Advanced WTPs at Okhla with Ground Water Sources from Ranny Wells				
2. Surface Water (70 MGD)	Discharge of high quality treated effluent in the River Yamuna at Palla and its reclamation at Wazirabad as raw water source (Reuse of treated effluent)	70			

3. HP share of unutilized water in Yamuna share (Surface Water - 65 MGD)	Additional Yamuna water to Delhi as per the MOU with Himachal Pradesh for utilization of their un-utilized Yamuna river water allocations.	65			
Medium to Long term Plans (336 MGD)					
4. Substitution of 51 cusec of Yamuna Water for irrigation purposes (16 MGD)	Utilization of 51 cusec of allocated irrigation water to Delhi at Hathnikund / Tajewala for its drinking water needs	16			
5. Raw water from Uttar Pradesh (140 MGD)	MOU with Uttar Pradesh for additional river water to Delhi in lieu of adequately treated effluent by Delhi for their irrigation needs	140			
6. Upstream Storages (180 MGD)	Upstream Storages – Renukaji, Lakhwar & Kishau dam projects <i>(*This is a highly tentative calculation. However, exact allocations will be decided by UYRB where Delhi hopes that drinking water requirements will be given primacy in allocations & return flow by Delhi will be considered in allocation of Yamuna water in Delhi for its consumptive needs.)</i>	180*			
Present Availability of Water		935 MGD			
Additional Water Augmented by 2041		584 MGD			
Total Water Availability by 2041		1519 MGD			

DDA has to earmark land required for water supply infrastructure and has to provide land to Delhi Jal Board for setting up Water Treatment Plants and Primary UGRs/Master Balancing Reservoirs with Booster Pumping Stations. JICA Study Report on Improvement of Water Supply in Delhi has suggested Master Plan Development Zones wise Primary UGRs/MBRs with pumping capacities totalling to 1560 MGD and four new Water Treatment Plants. Status of land for the proposed four new Water Treatment Plants is given in Table – 3.

Table 3 Land Requirement for new WTPs

Sr. No.	Name of WTP	Capacity (MGD)	Status of Land	Master Plan Development Zone
1	Iradat	80	Available with DJB	P-1
2	Dwarka Phase II	50	-do-	L
3	Najafgarh	75	DDA has to provide	L
4	Chattarpur	80	-do-	J

The land requirement includes additional provision of 15% & 25% for WTPs and UGR with BPS respectively for future expansions and ancillary infrastructure.

In addition, Water Treatment Plants for another 300 MGD would require to be setup for catering to the projected population of 30 million by 2041. Land for these WTPs will need to be earmarked as per norms mentioned below, depending on the source of raw water and the planned development to be carried out.

➤ **For Water Treatment Plants:**

- 80 MGD (363 MLD) capacity – 300 m²/MLD
- 40 MGD (182 MLD) capacity – 400 m²/MLD

➤ **For underground Reservoirs with Booster Pumping Stations:**

- 5 ML Capacity – 700 m²/ML
- 50 ML Capacity – 600 m²/ML

Assessment of land requirement should not be limited by the projected population for MPD-2041, but need to consider design period i.e. population projections for 2051 and further future urban expansions.

5. Water Conservation Initiatives by DJB

5.1. Groundwater Recharge through Rain Water Harvesting:

Central Ground Water Board has assessed that potential annual rainwater run-off of 24.39 MCM (5,372MG) out of the total of 175 MCM (38,546 MG) available for recharge areas in Delhi. This is proposed to be realized through construction of check dams and artificial recharge structures in rainwater drains. Annual potential of rooftop rainwater harvesting is assessed to be about 14.69 MCM (3,236MG).

RWH Structures are integral to the rainwater conveyance system. DJB has also published guidelines for encouraging adoption of Rooftop Rain Water Harvesting. DJB

has identified 89 buildings maintained by PWD/DMCs/Gol/DDA, etc.in 2019, where RWH system is feasible to be installed.

Eleven rain centers in the field and one at the Headquarter have been setup to facilitate the applicants to install rainwater-harvesting system. Nodal officers' in-charge of these rain centers has also been appointed. Intensive awareness program for publicity of Rain Water Harvesting is also carried out from time to time.

5.2. Revival and Rejuvenation of Existing Water Bodies and Creation of Artificial Water Bodies:

Traditional water bodies help sustain the city's eco system and act as a catalyst to its growth and development, and additionally their rejuvenation contributes to the aesthetics of the city. Majority of Delhi's traditional water bodies suffer from encroachment, illegal construction, over-extraction and water pollution. In order to address these issues, DJB has taken up the work of revival of 240 water bodies with an aim to recharge ground water. The scheme amounting to Rs. 37,678.92 lakh to revive 155 water bodies was approved by DJB in December 2018, out of which, work for 50 water bodies have already been awarded. Raw sewage is proposed to be treated and utilized to recharge ground water.

DJB is also creating artificial Lakes at PappanKalan Waste Water Treatment Plant (WWTP), Dwarka WTP, Timarpur Oxidation Pond, Rohini WWTP and Nilothi WWTP. About 46.5 MGD of treated effluent will be utilized after due treatment to fill the lakes for recharge of ground water. It is estimated that about 50% i.e. 23.25 MGD of water would be available as raw water source from extraction of ground water by installation of tube-wells in the surrounding areas of these artificial lakes.

Status on revival of existing water bodies and creation of new lakes is given in Table-4 & 5 Revival/rejuvenation of water bodies will involve following activities:

- Sewage flow into the identified water bodies will be trapped or stopped.
- Treated effluent from a nearby decentralized Waste Water Treatment plants will be used for rejuvenation of dry water bodies or DJB will install bioremediation Waste Water Treatment Plants to clean waste water coming into the water bodies.
- The surrounding of water bodies will be developed and people residing near-by will be given access to the water bodies.

Table 4 Status of Works on Existing Water Bodies

S. No.	Status of Water Bodies/Artificial Lake	No. of Water Bodies / Artificial	Awarded / Estimated	Timelines
--------	--	----------------------------------	---------------------	-----------

		Lakes	Cost(Lakh)	
1	In progress	46	7942.05	Works will be progressively completed in phased manner in next 3 to 4 years.
2	Proposal under Preparation for call of tenders	39	10639.22	
3	To be executed by M/S CSIR-NEERI as PMC	4	1348.25	
4	Proposed to be carried out through in-house technology on DBO basis	66	17749.40	
5	Water Bodies received from IFCD, Proposed to be carried out through in-house technology on DBO basis	85	22859.08	
	Total	240	60538.00	

Table 5 Status of New Artificial Lakes to be created

S. No.	Status of Artificial Lakes	Quantity of Treated Effluent to be Utilized (MGD)	Estimated Quantity available for use as Raw Water Source from Extraction of Ground Water (MGD)	Status	Timelines
1	At DWARKA WTP	15	7.5	In Progress	Works will be progressively completed in phased manner in next 3 to 4 years.
2	At Sector -25 Rohini WWTP	5.5	2.75	In Progress	
3	At Timarpur Oxidation Ponds	6	3	In Progress	
4	At Nilothi WWTP	15	7.5	Proposal revised	
5	At Pappankalan WWTP	5	2.5	In Progress	

5.3. Utilization of Treated Wastewater:

Present utilization of treated effluent in NCT of Delhi is about 90MGD, apart from the discharge of 267 MGD of treated effluent as return flow in the river Yamuna downstream of Wazirabad Barrage as per the present interim distribution of Yamuna water by UYRB. Further, proposed utilization of Treated Effluent to the extent of about 436-466 MGD is given in Table-6 as under, which will be undertaken in a phased manner.

Table 6 Proposed Utilization of Treated Effluent

Sr. No.	Proposed Utilization	Quantity (MGD)	Timelines	Remarks
1	Coronation Pillar STP	70-100	Dec-2023	To be used as source of Raw Water after tertiary treatment. This proposal has been agreed <i>in principle</i> by UYRB. The tenders for consultant have been received on 07.01.2021 and likely to be awarded by Feb, 2021.
2	Auchandi & Jaunti Regulator for irrigation use in NCT of Delhi	20	Jun-2023	Exchange with Haryana in lieu of irrigation component. This proposal is being considered by UYRB and joint inspection with UYRB was done on 08.01.2021.
3	Exchange in lieu of raw water with U.P	140	(3-4 years after MOU with UP) 2024-25	Exchange of raw water in lieu of Treated Effluent from Okhla STP. Matter is being pursued with U.P Govt. The feasibility report submitted by UP irrigation, under examination.
3	Committed use by PPCL	18	At present about 7 MGD is being taken by PPCL at their Bawana plant however, keeping in view their future expansion plans a provision of additional 18 MGD is kept for their committed use.	Committed use by PPCL at Rithala.
4	All water bodies, forests etc.	188	Dec-2024	
	Total	436 -466		

WAPCOS (India) Limited, a Government of India Undertaking, has submitted its report with identified proposed Recharge Schemes/Projects in NCT of Delhi such as Check dams/Nala bunds in Ridge area, Roof-top rainwater harvesting schemes in institutional and commercial buildings, percolation ponds, lake basins, aquifer storage and recovery wells, parks and gardens recharge regions, flyovers and city roads, Yamuna flood basin areas, etc. to be carried out by respective agencies.

6. Efforts for Service Level Improvements by DJB

Delhi Jal Board has taken numbers of steps to improve sanction of water and sewer connections in a time bound manner and to increase billing and revenue collection efficiency such as implementing Revenue Management System (RMS), mobile application for self-billing and online payments, doorstep delivery of public services, time bound grievance redressal, simplification of procedure of sanctioning of new water/sewer connection, strict actions against wastage of water, etc.

DJB endeavour is to provide equitable distribution of water to the citizens of Delhi and to meet their 24x7 demand of potable water continuously at adequate pressure. For this, Delhi Jal Board is revamping water supply distribution infrastructure including formation of District Metered Areas for reducing non-revenue water and minimizing physical loss of precious potable water through leakages. Installation of bulk flow meters for water auditing, replacement of old/damaged water pipelines, District Metered Areas (DMAs), reforms on revamping water distribution infrastructure under existing Chandrawal and Wazirabad WTPs, installation of SCADA systems at WTPs, UGRs and in water distribution systems, etc. are few of the DJB initiatives in this direction.

Several steps are being taken to overcome frequent Ammonia pollution in river Yamuna by DJB. Delhi Jal Board also has setup Quality Control Cell to check quality of raw water and treated water.

(B) WASTEWATER / SEWERAGE

1. Wastewater Projections for 2041

Estimated wastewater generation for a population of 30 million (water supplied @50 GPCD) at 80% of supplied water comes out to be 1200 MGD.

2. Perspective Sewage Disposal Plan for 2041

Perspective Sewerage Disposal Plan for 2041 comprises of a multi-dimensional approach with various crucial verticals like laying of sewerage system in unsewered areas of Delhi, rehabilitation of existing STPs, construction of new STPs or at mouth of the Drains, construction of Decentralized STPs in various parts of Delhi, up-gradation of existing STPs to higher parameters of BOD: TSS <10:10 and Zero Liquid Waste Discharge (ZLWD) policy in Land Pooling Area etc. The sewerage development plan for 2041 draws heavily from the SMP- 2031 and is a continuation of the sewerage management action plan being undertaken by DJB. Therefore, with suitable need based modifications depending on the actual growth patterns and spatial distribution, the Sewerage Master Plan -2031 prepared by DJB, will be able to fulfil the requirement of MPD-2041.

Based on various physical factors and zoning criteria, the whole NCT of Delhi has now been delineated into 12 (twelve) sewage-drainage zones, instead of six zones earlier, excluding the Cantonment and Airport areas. The zones have been primarily delineated based on the wastewater generation from each zone/sub zone, the capacity of existing WWTPs/WWPSs and land availability for any additional WWTP/WWPS, if required. Sewerage Schemes for each Zone are prepared considering the existing sewerage infrastructure, proposed sewerage infrastructure under various projects, development plans for a particular area, population projections, amount of waste water generation, land availability for proposed sewerage infrastructure and site feasibility.

The following table enlists the proposed delineated zones and sub zones:

S. No.	Drainage Zone	Sub Drainage Zone
Zone 1	Shahdara (SHD)	Yamuna Vihar (YV)
		Sonia Vihar (SV)
		Kondli (KN)
Zone 2	Okhla (OKH)	Okhla (OK)
		Tajpur (TP)
Zone 3	Keshopur (KSP)	Keshopur (KP)
Zone 4	Rohini-Rithala (RR)	Rithala (RT)
		Rohini (RH)

Zone 5	CORONATION PILLAR (COR)	Coronation Pillar (CP-1)
		Coronation Pillar (CP-2)
Zone 6	DWARKA (DWK)	Dwarka (DK-1)
		Dwarka (DK-2)
Zone 7	NAJAFGARH (NJF)	Najafgarh (NJ)
		Jhuljhuli (JH)
		Dhichaon Kalan (DK)
		Somesh Vihar (SV)
Zone 8	NILOTHI (NLT)	Nilothi (NT-1)
		Nilothi (NT-2)
Zone 9	NARELA (NRL)	Narela (NR)
		Palla (PL)
		Zindpur (ZP)
Zone 10	SOUTH DELHI (SD)	Mahrauli (MH)
		Vasantkunj (VK)
		Ghitorni (GH)
		Mahipalpur (MP)
		Kapashera (KH)
Zone 11	OUTER SOUTH DELHI (OSD)	Fatehpurberi and Chandanhola (FC)
		Rajpur Khurd (RK)
Zone 12	KANJHAWALA-BAWANA (KB)	Kanjhawala (KJ)
		Bawana (BW)

3. Sewage Treatment Augmentation Action Plan for 2041:

Detailed Perspective Plan for augmentation of sewage treatment capacity to cater to the projected requirements of year 2041 is as under:

S. No.	Particulars	Total (MGD)
1.	Present sewage treatment capacity	597
2.	STPs under up gradation / reconstruction through funding from NMCG, YAP-III and AMRUT (Okhla -30 MGD, Kondli-20 MGD, Coronation-40, Rithala-20 MGD)	110
3.	Construction of 56 DSTPs in various parts of Delhi	92
4.	Construction of STPs at Mouth of the Drain (10 MGD Mori gate, 10 MGD Delhi Gate, 20 MGD Barapulla)	40
5.	Construction of 7 MGD STP at Sonia Vihar and 25 MGD STP at Rohini	32
6.	Augmentation of treatment capacity through PAC (Poly Aluminum Chloride) extended aeration and construction of DSTP based on growth the population in the developing area.	89
7.	Land Pool area proposed to be designed on Zero Liquid Discharge basis. Therefore, DSTPs are to be constructed by Land Pooling agencies for 75 lacs population having water supply @ 40 GPCD @ of 80% Water supply.	240

Grand Total	1200 MGD
--------------------	-----------------

- 3.1. Augmentation of Sewage Treatment Capacity to 707 MGD by December – 2022 as per following:

S. No.	Name of STP	Present capacity (in MGD)	Total Treatment capacity After augmentation (in MGD)	Sewage capacity (in MGD)	Net Increase (in MGD)	Augmentation Plan
1	Coronation Pillar	30	70		40	Construction of new STP of 70 MGD
2	Rithala phase-I	20	40		20	Rehabilitation of Rithala STP phase-I under YAP-III
3	Kondli	70	90		20	Rehabilitation of Kondli STP under YAP-III
4	Okhla	140	170		30	Construction of new STP of 170 MGD under YAP-III
	Total	260	370		110	
Enhancement of Treatment by December 2022			110 MGD			

- 3.2. Upgradation of Existing STPs to BOD: TSS<10:10: 6 STPs (Pappankalan, Nilothi, Kapashera, CWG Village, Delhi Gate & Chilla) with total 70 MGD presently at 10:10. Upgradation Work in progress in 10 STPS with 289 MGD capacity- targeted completion by Dec-2022 in phased manner.

S.No	Location	Capacity	Targeted completion
1	Kondli STP Phase I	10 MGD	December 2021
2.	Kondli STP Phase II	25 MGD	December 2022
3.	Kondli STP Phase III	10 MGD	December 2021
4.	Yamuna Vihar STP Phase II	10 MGD	December 2022
5.	Okhla STP Phase I	30 MGD	In place of these four STPs, a New STP of 124 MGD capacity is under construction which is targeted to be completed by December 2022
6.	Okhla STP Phase II	12 MGD	
7.	Okhla STP Phase III	37 MGD	
8.	Okhla STP Phase IV	45 MGD	
9.	Rithala Phase-I	40 MGD	December 2022 subject to grant of tree cutting permission from Forest department.
10.	Coronation Pillar	70 MGD	In place of existing Coronation Pillar Phase-I,II& III (30 MGD) , new 70 MGD STP at Coronation is under construction which is likely to be commissioned; 50% by March, 2021 100% by June 2021.

Total	289 MGD
--------------	----------------

3.3. Up-gradation of balance Existing STPs with Parameters of BOD/TSS as 10/10 mg/l (including Bio-nutrient & pathogen removal & sludge management):

S. No.	Name of STP	Phase- Breakup	Wise	Design Capacity (in MGD)	Designed outlet Parameters BOD/TSS	Expected timelines of completion
1	Rithala	Phase - II		40	15/20	The completion period for up-gradation of STPs is 3 to 4 years from the date of availability of funds.
2	Okhla	Phase-V		16	30/50	
		Phase-VI		30	20/30	
3	Kondli	Phase - IV		45	20/30	
4	Keshopur	Phase-I		12	20/30	
		Phase-II		20	30/50	
		Phase-III		40	30/50	
5	Yamuna Vihar	Phase – I		10	30/50	
		Phase-III		25	20/30	
6	Vasant Kunj	Phase – I		2	30/50	
		Phase - II		3	30/50	
7	Mehrauli	Mehrauli		5	20/30	
8	Narela	Narela		10	30/50	
9	Nilothi	Phase – I		40	30/50	
10	Najafgarh	Najafgarh		5	30/50	
11	Pappankalan	Phase – I		20	30/50	
12	Dr. Sen Nursing Home Nalla	Dr. Sen Nursing Home Nalla		2.2	10/15	
13	Delhi Gate	Phase – I		2.2	10/15	
14	Rohini	Rohini		15	30/50	
15	Ghitorni	Ghitorni		5	30/50	
16	Molar-Bandh	Molar- Bandh		0.66	30/50	
		Total		348.06 MGD		

3.4. Construction of new STPs: Following new STPs are proposed to be constructed at new locations and at the mouth of the drains. Details are as under:

S. No	Name of STP	Capacity MGD	Timeline	Remarks
1	Sonia Vihar	7	December-2024	Process of appointment of consultant is in process.
2	Rohini	25	December-2024	Estimate under preparation
3	Delhi Gate	10	December-2024	Land is required from DDA/ Revenue Department
4	Mori Gate	10	December-2024	Allotment of land is awaited from DDA.
5	Barapulla	20	December-2024	Allotment of land is awaited from DDA.
Total		72 MGD		

- 3.5. **Construction of new Decentralized Sewage Treatment Plants (DSTPs) (92 MGD):** As per Sewerage Master Plan- SMP 2031, 32 Nos. STPs are to be constructed, out of which, 14 STPs are to be constructed in Najafgarh Drainage Zone and 18 STPs in Narela, Okhla, Outer South Delhi, Kanjhawala, Bawana, Shahdara Zone. Due to land constraint, it has been decided to construct Decentralized STPs at 42 locations in place of 18 STPs. For setting up 56 plants (42 d-STPs + 14 STPs) and 02 STPs at the mouth of drain, land at 73 locations is required, which includes 15 locations for Sewage Pumping Stations (SPS). Out of total 73 locations, land at 10 locations is already available with DJB and for the balance 63 location, land will have to be made available by different agencies as follows:

S.No.	Name of the Department / Agency	Land Locations
1	Land and Building Department, GNCTD after acquisition from private person	13 locations
2	Gaon Sabha lands	11 locations
3	DDA	39 locations
	Grand Total	63 locations

- 3.6. **Status of Decentralized Sewage Treatment Plants:**

S. No.	Name of STPs	Capacity (MGD)	Timeline	Remark
1.	14 (7+7) STPs in Najafgarh Drainage Zone	32	18 to 30 months after approval of funding of balance STPs by NMCG and allotment of land	Out of 14 locations, land is available only at 08 locations and land at balance 06 locations is yet to be allotted.
2.	42 Decentralized STPs at various locations. (+7 SPS)	60	24 to 36 months after allotment of land	Land for construction of 42 DSTPs and 07 SPS have been identified at various locations and it is still in the process of allotment by Revenue department of GNCT Delhi. Necessary action will be taken by DJB after allotment of land.
	Total	92 MGD		

- 3.7. **Extension of network to un-sewered areas:** The un-sewered area in Delhi mainly consists of unauthorized colonies. As per the list circulated by UD Dept., GNCTD, there are 1799 unauthorized colonies in Delhi. The present status and action plan for providing sewer network in these colonies is tabulated below:

S. No.	Status	Commutative Status as on November 2020 (Numbers)	Timeline	Remark
1.	Sewer line laid and notified	561	Completed	

2.	Work of sewer network is in progress	595	Up to Dec, 2024 in phased manner	
3.	Colonies where NOC is awaited/ O-Zone	131	About 03 years after receipt of NOC / Clearance from concerned department	The work shall be taken up after NOC from Forest Department/Ozone
4.	Colonies where sewerage network is to be laid along with Decentralized STP	512	For laying sewerage network in these colonies 3 years-time will be required after availability of land for DSTPs.	The work shall be taken up after allotment and possession of land by DDA & Revenue Dept. As sewer network cannot be laid in isolation without first identifying and taking possession of land for construction of SPS and decentralized STPs.
	Total	1799		

3.8. Sewage Generation anticipated in Land Pooling Area: As per Zero Liquid Discharge (ZLWD) policy for sewers, Decentralized STPs are to be constructed within premises of the Building / Complex in DDA Development/ Land Pooling Areas. Since Sewage is proposed to be treated within the Land Pooling Area, no centralized sewerage treatment system is required for Land Pooling Areas. Treated effluent from DSTPs within sector / Housing Complex will be reused for flushing, gardening and other secondary purposes to the maximum extent and unutilized treated effluent, if any may be utilized for recharging nearby Water Bodies etc. For Land Pooling Areas, Decentralized Sewage Treatment Plants (DSTPs) will be required to be constructed and provision for land for DSTPs will required to be made in DDA Master Plan – 2041 as per Sector Layout Planning. Land requirement norms for construction of STP/SPS/EPs will be as under:

- a) Land requirement for STP including Sewage Pumping Station & Effluent Pumping Station for capacity up to 22.7 MLD (up to 5 MGD) - **650 m²/MLD**.
- b) Land requirement for STP including Sewage Pumping Station & Effluent Pumping Station for capacity above 22.7 MLD (above 5 MGD) - **1100 m²/MLD**.
- c) Land requirement of **50 m²/MLD** for construction of Sewage Pumping Station and **50 m²/MLD** required for Effluent Pumping Station.

4. Initiatives taken by Delhi Jal Board for efficient sewerage management and mitigation of pollution in drains/river:

4.1. Interceptor Sewer Project (ISP)

The Interceptor Sewer Project (ISP) has been conceptualized for abatement of pollution in the River Yamuna. Under Interceptor Sewer Project, 108 Nos of the drains are trapped and provision of trapping of about 242 MGD flow is being made. Out of

proposed 242 MGD, provision for trapping of 238 MGD (98.35%) has already been made. Out of this, 158.70 MGD wastewater is being trapped and treated at the various STPs in the command.

However, the physical works under ISP is almost completed and facility of trapping 242 MGD will be in place, but the actual treatment of this entire quantity of sewage will be done in phased manner only after the completion of the Coronation Pillar, Rithala and Kondli STPs by December 2022.

4.2. Setting up of Decentralized STPs by Institutions/ Schools/ Agencies

DJB has framed a policy for Setting up of DSTPs by individual Schools/Institutions/ Complexes/ Parks/ Hospitals etc. to use the treated effluent for horticulture purpose in their parks.

4.3. Enhanced Use of Treated Effluent

In pursuit of promoting the use of treated effluent for non-potable purposes, DJB has installed filling points for treated effluent at almost all WWTPs. The Biochemical Oxygen Demand (BOD) stands at ≤ 20 ppm and the Total Suspended Solids (TSS) stands at ≤ 30 as well, making it usable for non-potable purposes. DJB has also written to and conducted workshops with a number of Government agencies such as DMRC, PWD, NDMC, SDMC EDMC, NTPC, Indian Railways (for their wagon and carriage washing) and others, encouraging them to use treated effluent. Also, through different incentives in its new policy, DJB is aiming to increase utilization of the treated effluent.

4.4. Rehabilitation of peripheral sewers in Delhi

Most of the peripheral sewers are too old and suffering from severe structural deterioration and have outlived their economical life span thereby, exhibiting operational deficiencies. To overcome these problems, it has been proposed to rehabilitate the peripheral system, so that entire sewage generated in city could be transferred to STPs for optimal utilization of installed capacity of plants and reduction of pollution in river Yamuna. Therefore, DJB intends to take up the rehabilitation of peripheral sewers, which are dysfunctional or partially functional due to multitude of problems such as settlement of sewers, sewage gas related structural failures, leaking joints, disjointed sewer pipes, heavy siltation, blockage due to indiscriminate throwing of rubbish and debris into manholes, illegal discharge of trade waste and collapsed sewers.

The Rehabilitation of peripheral sewers under Phase -I comprises of diameter ranging from 450mm to 1400mm having length of about 162 km. The Project has been divided into 6 packages and, work is in progress and likely to be completed by 2022.

4.5. Providing House Service Sewer Connection

Delhi Jal Board has started a scheme to encourage all such consumers who live in sewerage areas but have not taken sewer connections to apply and obtain sewer connections. Under this scheme, all those who applied for a new sewer connection before 31-03-2020 were not charged any amount and DJB provided them sewer connections at its own cost. All installation charges and road repair charges are to be reimbursed by Delhi Government to DJB as grant-in-aid under **“Mukhyamantri Muft Sewer Connection Yojna.”** Under this scheme, about 4.84 lac sewer connections have been sanctioned/ regularized.

4.6. Deployment of Mini Sewer Cleaning Machines

DJB has deployed 200 Nos. specially fabricated tailor made Sewer Cleaning machines in order to avoid hazardous operation of sewer cleaning by manual labour. The sewers in narrow lanes can be cleaned mechanically without man entry now.

4.7. Septage Management Rules 2018

DJB has made efforts to implement the septage management rules in Delhi ‘Delhi Water Board Septic Tank Waste Management Regulations Act -2018’ under Delhi Water Board Act-1998 for collection, transportation and disposal of waste of septic tank and matter connected therewith. As per the Septage Regulation 2018, DJB has issued 208 Nos. Licenses to the private tanker operators and they are engaged in the collection and disposal of Septage from the individual households from unauthorized colonies/ unsewered areas. The average collection of Septage is approximate to 6-7 Lac litres per day.

4.8. Management of wastewater in storm-water drains in Delhi:

As per directions of Hon’ble NGT, Integrated Drain Management Cell (IDMC) has been constituted on 17.03.2020 under the Chairmanship of Chief Secretary of Delhi for remediation and management of all drains of Delhi with representatives of all Drain owning Agencies (DoA).

The mandate of IDMC is to prepare a comprehensive action plan for “Alternate Technologies for Management of Waste Water in Drains” in Delhi as per the techno-economic evaluation of the multiple methodologies and techniques suggested in the reports of CPCB.

DJB is also making concerted efforts to trap the sewage flowing in the 18 major drains directly out falling into River Yamuna in the Delhi stretch between Wazirabad to Okhla by diverting sewage to nearest STPs. out of 18 major drains 13 drains have already been trapped.

ANNEXURE II: SERVICE PLAN - IRRIGATION AND FLOOD CONTROL DEPARTMENT (I&FCD)



OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER
GOVT. OF NCT OF DELHI,
IRRIGATION AND FLOOD CONTROL DEPARTMENT,
L.M. BUND OFFICE COMPLEX, KRISHAN KUNJ,
DELHI-110031.
Email-ceifcd@gmail.com



आयुक्त संख्या 56
दिनांक 09/02/21
उपनिदेशक (योजना) एम.पी.एम.आर., डी.डी.ए.
Sub:-

No. CEF/P&D/MPD/2041/2021-22/ 4918-41

Dated: 4/2/21

अति० आयुक्त (यो०)-II
डायरी सं० 102
दिनांक 09-02-21

✓ The Vice Chairman
Delhi Development Authority
Vikas Sadan, I.N.A,
New Delhi-110023.

VC Office

Uy. No. 36-DA

Dated 5/2/21

Service Plans for MPD 2041.

आयुक्त (योजना) कार्यालय
डायरी सं० T-160
दिनांक 08-02-2021

Sir,

am. (PLG)
Shukla

Kindly refer to your D.O. letter No. PS/VC/DDA//2021/03 dated 11.01.2021 addressed to Secretary (I&FC) and subsequent email received from Additional Chief Architect DDA dated 12.01.2021 vide which service plan for MPD 2041 was sought on top priority.

Accordingly, please find enclosed herewith service plan for drainage management MPD- 2041 in respect of I&FC Department, Govt. of NCT of Delhi, containing page from 1 to 127 alongwith Annexure B to E for further necessary action.

Yours faithfully

Encl:- As above

(Sanjay Saxena)
Chief Engineer (Zone-II)

No: CEF/P&D/MPD/2041/2021-22/

Dated:

Copy forwarded for information to:-

- Secretary (I&FC), Govt. of NCT of Delhi, Varunalaya Building, Karol Bagh, Delhi.

Chief Engineer (Zone-II)

4/2/21
AC(PLG) II MPMR
AD(PLG) II MPMR
PREVENT COVID
Ms. Nisha, PA-III

Dr. Anand
10/02/2021
D.D. chg. MPMR
Pls. share with NIVA.

10/02/2021

PREVENT COVID - MASK - WASH HANDS - FOLLOW SOCIAL DISTANCE

SERVICE PLAN for DRAINAGE MANAGEMENT

IRRIGATION AND FLOOD CONTROL DEPARTMENT (I&FC)

1. MANAGEMENT STRATEGY

Special recommendation

There should be a single institution that bears an overall responsibility of the management of the total storm water drainage system, within NCT of Delhi, for effective administrative management.

Dredging and cleaning of drains by I&FC department

I&FC Department has large banks along major drains for deployment and movement of machinery and desilted earth is also kept on these banks till its final disposal, either by filling in low lying areas/depressions along drains or shifting into earmarked sanitary land fill sites.

Strengthening of embankments of drains of I&FC department

Before onset of monsoon, all the embankments of I&FC Department drains are checked in respect of their stability and necessary restoration/repair work, as needed is carried out by respective divisions of I&FC Department. A certificate in this regard is also forwarded by concerned engineers to Head Quarter. I&FC Department also has departmental machinery for such restoration/ strengthening work in the form of hydraulic excavators and dozers.

Remodelling of various drains

The embankment strengthening/remodelling proposals as of now and their current status in respect of I&FC Department Drains is attached as Annexure-II (a). The above-cited table shows that embankment of most of the drains are in good and stable condition and there is no need for their strengthening. Similar situation is found in respect of need of remodelling of drains. The work of remodelling is in progress at Najafgarh Pond Drain and Bund Drain. For some drains, like Escape Drain No. 1 & Relief Drain, work of remodelling is required but there are land constraints. Remodelling of KSN drain is required as most of the catchment area of this drain is urbanized and many unauthorized colonies were also developed and are being developed. Due to this, there is no scope for percolation of storm water, which has to be carried by this drain. Besides this, due to lack of sewerage network in unauthorized colonies the discharge of sewage, household waste and other wastewater are also flowing into KSN drain through various drains of other Agencies.

There is no land available for remodelling since the adjacent area on both sides is developed and urbanized. Hence, there is a need, to acquire land for remodelling of KSN drain. For other drains, the work of remodelling and strengthening shall be taken up as per their requirement in future.

Canals and their management

To keep up the uninterrupted flow of irrigation water to the irrigated land in Delhi, all repair and maintenance works, cleaning/ dredging /desilting, strengthening of embankments are being taken up as per requirement and necessity.

Delineation, conservation and management of buffers for all major I&FC drains

There are 57 major drains owned and maintained by I&FC Department. The buffer land/ additional land width available along the drains for future development is tabulated and attached as Annexure-II (b).

Troublesome drains

There are eight troublesome drains, which are detailed out in the service plan report shared by I&FC Department:

Sr. No.	Drain Name	Problems / Constraints	Remedial Measures
1.	Escape Drain No. 1	Drain flow being obstructed by two water mains lying in the drain itself, No space for De-silting for a stretch, Heavy silt from WTP, Bed level of the drain flat.	The twin water mains may be shifted.
2.	Biharipur Drain	Bounded on both sides with closely packed houses, No space for movement of de-silting machine, Heavy dumping of MSW and cow dung.	A parallel carriageway may be provided, demolition of unplanned/ unauthorized construction on either side.
3.	Bund Drain	Bounded on both sides with closely packed houses, No space for movement of de-silting machine, Heavy dumping of MSW and cow dung.	Bar screen has been placed, Bypass drain constructed, Removing obstructions, A parallel carriage way may be provided, demolition of unplanned/unauthorized construction on either side.
4.	Relief Drain	No space for movement of de-silting machine, Heavy dumping of MSW in the drain by the local resident, Daily dumping of waste by the hawkers.	A parallel carriage way may be provided all along the length in the stretch from CRPF Camp to Khajuri Chowk by considering demolition of unplanned / un authorized construction on drain side. NHAI may be asked to remodel the drain in the entire length with proper outfall.
5.	Kirari Suleman Nagar Drain	106 unauthorized, un-sewered colonies contributing to all categories of house hold waste, sewage and also dumping of MSW,	DDA shall have to divert their wastewater out falling into KSN drain at two points of main DDA road drain to adjacent DDA drains. Three culverts of KSN drain shall be


		During flood season the residual treated water comes with more silt due to which the siltation occurs.	demolished and adequate hume pipes will be laid for increasing the water way and smooth discharge of wastewater.
6.	Pankha road drain	Heavy daily disposal of MSW and other household & market wastes, Non availability of banks and access for deployment of machines, Presence of high tension overhead electric line, Encroachment in the drain, Heavy floating materials, silt, debris etc. from inlets/ out falling drains, Local resistance for not stacking the material in front of their houses and shops	A scheme for construction of RCC retaining wall on both sides, The M.S Jalties have been erected over the bridges to discourage the localities from throwing of garbage, Joint survey with DJB and BSES is occasionally conducted time to time to cope with the ground realities, The MS boards being erected at vulnerable points to discourage people from dumping and throwing of household waste and garbage. Inviting specialized agencies to plan rejuvenation of drain. Deployment of Jal Rakshak.
7.	Nasirpur Drain	Heavy daily disposal of MSW and other household & market wastes, Non availability of banks and access for deployment of machine, Presence of water pipeline, electric & Telephone cables in the water way, Presence of high tension overhead electric line, Encroachment in the drain, Heavy floating materials, silt, debris etc. from inlets/ out falling drains, Non availability of space for stacking desilted materials, Local resistance for not stacking the materials in front of their houses and shops.	M.S Jalties have been erected over the bridges; MS boards are being erected at vulnerable points, Inviting specialized agencies to plan rejuvenation of drain, R&D for specialized machinery for effective cleaning of drain, stopping of sewerage water into the drain, Deployment of Jal Rakshak, Installation of MS Jalties on the mouth of out falling drains.
8.	Asola Drain	Inefficiency of civic agency i.e. MCD for collection of MSW from houses & markets, construction of Dhalaos, Lack of civic sense and awareness among local people. Lack of specialized machines fit for cleaning of	DJB may construct STP and lay sewer lines in the area. The MCD shall develop effective mechanism for collection of MSW of the household wastes and C&D wastes. R&D for specialized machinery for effective cleaning of drain. Immediate filling of vacant posts of technical and work

	the drain in existing circumstance; Lack of power to challan the defaulters.	charge staff. Stopping of sewerage water into the drain. Spreading of general awareness about health and hygiene among the people residing all along the drain.
--	--	---

2. FLOOD MANAGEMENT

Apex Committee

An Apex Committee has been constituted under the Chairpersonship of Hon'ble Chief Minister, Delhi to recommend, supervise and co-ordinate flood control measures in the National Capital Territory of Delhi. The Central Flood Control Room at LM Bund Office Complex, Shastri Nagar Delhi, remains in constant touch with the Control Rooms of different departments i.e. MCD's, NDMC, PWD and DDA to receive complaints and take appropriate remedial action in case of drainage congestion on account of heavy rains. Disaster management control room at office of D.M. (East) remains functional for relief & rescue operations. In case of any need, the Divisional Commissioner may seek assistance from Army in controlling floods, evacuation of the marooned people, distribution of food supplies and other related matters.



Sector Committee

Sector Committee is also constituted for each district, under the supervision of a Sector Officer of D.M. rank. The Sector Officer also acts as a link between the various departments, at District level, organized evacuation of the people, if necessary and to re-habilitate them in relief camps and distribution of relief supplies.

Function of the Sector Committee: Immediately after its constitution, the Sector Committees will meet within the areas of their jurisdiction and plan the steps needed for dealing with the problems arising out of floods or drainage congestion.

Flood Warnings

The first warning is issued by Central Flood Control Room as soon as the discharge from Hathnikund Barrage exceeds one-lakh cusecs or Discharge at Manasi exceeds 3500 cusecs for Sahibi / N.G. Drain- where upon the relevant Sector Control Rooms starts functioning and keeps a vigil in their respective areas. Second Warning been issued when the discharge from HathniKund Barrage exceeds 3 lakh cusecs or Discharge at Manasi exceeds 70000 cusecs for Sahibi / N.G. Drain- People residing within the river embankments near to active course shall be warned and arrangement made to shift them to safer places. The Police and the staff of the Flood Control Dept. would undertake patrolling along Right & Left marginal embankments and keep vigil on the vulnerable points. The third warning been issued when the discharge from HathniKund Barrage exceeds 5 lakhs cusecs while for Sahibi or Discharge at Manasi exceeds 1 lakh cusecs for Sahibi / N.G. Drain- This warning shall be issued when the discharge at Masani Barrage exceeds one Lakh cusecs. People residing in dangerously exposed areas will be advised to remain alert and move to places of higher altitude, in case of need.

Vulnerable Points			
Levels at Old Railway Bridge	S. No.	CRITICAL POINTS	ACTION REQUIRED
205.33 (Provisional Danger Level)	1.	Rescue Boat Club R/B River Yamuna	Additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.
	2.	Monastery Market R/B River Yamuna	Additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.
	3.	Geeta Ghat- Entry Point R/B River Yamuna	Additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.
	4.	Qudsia Ghat R/B River Yamuna	Hydra was deployed for operation of gates/inlets
	5.	Nigam Bodh Ghat R/B River Yamuna	Gaps were plugged by placement of filled earth bags
	6.	Tonga Stand Regulator R/B River Yamuna	-DO-
	7.	Vijay Ghat Regulator R/B River Yamuna	Additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.
	8.	Nalla No. 12 & 12A R/B River	Pumps were deployed for pumping

		Yamuna	continuously and additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.
	9.	Regulator at RD-180 m of R.M.E.	-DO-
	10.	Chilla Regulator	Gates closed as per requirement
	11.	Burari Regulator at RD-1135 m of Jahangirpuri Drain.	- DO-
206.00	12.	Neem Karoli-Gau Shaala R/B River Yamuna	Additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.
	13.	Civil Military Drain Regulator R/B River Yamuna	Were closed as per requirement
	14.	L. F. Bund in Trans Yamuna Area Shank RD. 1400m Shank RD. 800m	The hard stone and earth bags dumped to prevent erosion of Shanks & Embankment.
	15.	Nalla No. 14 Regulator R/B River Yamuna	Pumps were deployed for pumping continuously and additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.
	16.	Outfall of Toe Drain along RME near RD 2700m of Supplementary Drain	Additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.
207.00	17.	D.J.B site along Ring Road R/B River Yamuna	Additional Filled Earth Bags were placed to stop entry of water from Riverside.

3. Actions Taken by I&FC Department

- **Monitoring of flood**

In order to monitor the flood situation, control rooms and wireless network are setup throughout the monsoon season and a complete record of the discharges and their water levels is maintained in respect of river Yamuna as well as river Shahibi with the active assistance of CWC, IMD & the neighbouring States. Daily weather report having data of rainfall till date, rainfall during last 24 hours and forecast of the rain as well as floods is generated and shared with all stakeholders to take necessary measures.

- **Protection and Maintenance of embankments**

The department has constructed above embankments over different periods to fortify the city against the flood furry and to protect & maintain these embankments, different types of flood protection and maintenance works like protection of embankments, protection/ construction/restoration of spurs, launching aprons, stone pitching etc. are being undertaken by the department on regular basis as per the need. The staff of the Flood Control Dept. would undertake 24x7 patrolling along right & left marginal embankments and keep vigil on the vulnerable points.

- **Regulators**

The regulators constructed and maintained by I&FC department at 15 Nos. outfalls of different drains directly out falling into river Yamuna in the city reach will have to be operated from time to time to suitably pump out the city drainage in case the river is in high flood and heavy local rainfall. The regulators/ gate being closed at the time of heavy discharge in the river to check the reverse flow of river into the city side. A close liaison is to be maintained with U.P. Irrigation Department for timely opening of gates of Chilla regulator, if heavy discharge enters Delhi through Shahdara drainage system, either due to heavy local rainfall or rainfall in upstream Loni-Saharanpur U.P. areas. Boats and emergency portable pump sets will have to be kept ready to meet any exigency arising out of the flood situation.

- **Resources**

Boats and emergency portable pump sets will have to be kept ready to meet any exigency arising out of the flood situation. Resources are available with the I&FC department to meet out the requirement during monsoon season.

- **River training works**

They may be constructed on both sides of the river or only on one side, for some suitable river length, where the river is passing through towns or cities. (ii) Spurs or Groynes: These are constructed, in order to protect the bank from which they are extended, by deflecting the current away from the bank. (iii) Pitching of banks and provision of launching aprons: Banks of a river are directly protected by stone pitching, or by concrete blocks, or by brick lining or by growing vegetable cover, etc. Concrete blocks are very costly, and stone pitching is mostly adopted, if available without much difficulty. The banks of the river are made stable by giving them a stable slope varying from 1:1 to 2:1 depending upon the material of the bank. They are then pitched, so as to make them strong enough to resist erosion.

- **Flood Plain Zone**

In compliance to the directions of Hon'ble National Green Tribunal in the matter of Manoj Mishra Vs. Union of India (O.A. No. 06/2012) vide order dated 13.01.2015 vide which it has been directed that flood plain should be identified for flood, once in 25 years in the interest of ecology, biodiversity and the river flow. IIT Delhi has conveyed flood of 2011 as once in 25 years during which maximum discharge release from Tajewala and maximum gauge recorded at Old Railway Bridge was 205.72 in respect of discharge of 6,41,462 cusecs. The 20 sheets of flood plain maps have been prepared by GSDL based on the maximum water levels observed in year 2011 at various locations with the level of 205.72 round of to 206.00 and forwarded the same to Delhi Development Authority for physical demarcation of flood plain for river Yamuna.

4. KEY INFRASTRUCTURE OR SPECIAL PROJECTS IDENTIFIED DURING THE PLAN PERIOD, ALONG WITH DETAILS OF PROJECTS AND THEIR TIMELINES

S. No.	Project Name	Target	Timeline
1.	Creation of Water	The implementation of this project on a	

	Bodies/ Reservoirs in Flood Plains of River Yamuna by retaining excess water in the River during Monsoon Season from Palla to Wazirabad.	larger scale of about 1180 Acre, as proposed in the conceptual plan, shall result in recharge of flood plain of River Yamuna from Palla to Hiranki and the ground water can be tapped through the existing network of tube wells of DJB and this network can be further augmented by DJB for improving the fresh water supply to Delhi.	
2.	Details of Pilot Project at Ghoga Drain	Activity aimed at improving the quality of wastewater as well as to rejuvenate drains. A pilot project to treat at least ten lakh litres per day of wastewater by using ecologically sensitive & sustainable technology like constructed wet land system was created to treat wastewater flowing in Ghoga Drain. The Pilot Project comprises construction of SWAB based wetland system. The project has been envisaged to treat 1 MLD of wastewater flowing in Ghoga Drain and the Construction of 6 Nos. check dam of 0.50 M high with stone boulders within an interval of 1 Km each.	
3.	Pilot Project: Rejuvenation of Rajokari Water Body	In order to rejuvenate the water body a pilot project for rejuvenation of Rajokari water body was undertaken by the department with objective of: (i) Treatment of sewerage water by ecological sustainable technology to reduce pollutant as such BOD COD dissolved and suspended solid etc. and bring it to permissible level for water body. (ii) Landscaping of open area along with Horticulture work and provision for lighting of the area. Further installation of CCTV camera for security purpose, plantation of creeper plants over the boundary wall in order to increase aesthetic view and greenery, open gym equipment, children play equipment for the purpose of use of this area for complete recreation was also desired and the same is in process that will be completed by 30.04.2021.	Awarded award of Excellence awarded on 28.08.2020, under National Water Innovation Summit & Awards 2020.
4.	Widening &	Schemes were prepared for raising of	

	strengthening of Embankments along river Yamuna from Palla to Wazirabad.	embankment and strengthening by widening of embankment from existing single lane to two-lane carriageway They were placed and approved by the Technical Advisory Committee (TAC) in its 36 th & 41 st meetings. The Approximate expenditure on widening and strengthening of Embankment from Palla to Wazirabad shall be Rs. 3800 Lacs.	
5.	Water front development along Najafgarh drain	A scheme of Rs. 6.22 crores for the Comprehensive Consultancy services for Water Front Development on Najafgarh Drain from Chhawla Bridge to Basaidarapur Bridge with designing of two lane road on left & right bank of Najafgarh drain & various bridges have been approved by GNCT of Delhi.	Floating of tender is in process
6.	National Hydrology Project (NHP)	<p>The National Hydrology Project, (NHP) is a World Bank supported Govt. of India scheme with 100% grant in aid to Central & State implementing agencies (IA). I&FC Department & DJB have signed the NHP as an Implementing Agency (IA) for the State of Delhi.</p> <p>NHP aims at taking up the following main activities:</p> <p>a. Establishing and upgrading Hydro-met network in all the river basins. b. Bringing the entire hydro-metrological data on a standardized central database for easy storage, validation, analysis and dissemination. c. Development of Decision Support Systems for Flood Forecasting, reservoir operations, water resources planning & management, conjunctive use etc. following a river basin approach. d. Capacity building of the States and enhancing collaboration between Centre & States and amongst the State themselves through trainings, establishment of data centres, Centres of Excellence etc.</p> <p>Total allocation of Rs. 3679.76 Crores is made for this work, to be implemented by various Central and State Govt. Agencies. For this purpose, Rs. 25.00 Crores has been allocated for the State of Delhi.</p>	The work proposed will be partly taken up in the current Financial Year and the remaining work will be taken up in forthcoming years. On completion of this project, various data being generated on real time will be available on the server of NHP for real time monitoring & can be assessed by the authorized representative of all other State Govt.

		<p>Following activity has been approved for implementation by I&FC Department and Delhi Jal Board under National Hydrology Project: -</p> <p>1. Real Time information system on drainage network in Delhi. 2. Real Time information system for rainfall in Delhi. 3. Groundwater Measurement Equipment. 4. Upgradation of Water Testing Laboratories.</p>	
7.	Strengthening and raising of right bank of Najafgarh drain		Already undertaken.
8.	Rejuvenation of 10 water bodies entrusted to I&FC Dept.	<p>The water bodies in Delhi are in extremely bad shape and are in varying degrees of environmental degradation. Hence, the Govt. of Delhi taken up development and rejuvenation of water bodies as a flagship programme. Though I&FC Dept. is not land-owning agency but has taken up above 10 water bodies for rejuvenation as per present Govt. policy. The rejuvenation of above water bodies is being taken up in holistic manner by constructing the wet lands that are ecologically sensitive and sustainable which are most suitable in situ treatments for discharges of wastewater less than 1 MLD. As a part of rejuvenation, necessary landscaping works, walking tracks, cycling tracks, benches, solar lighting, public amenities like toilets, Amphitheatre where ever feasible will be taken up to facilitate effective utilization for recreation purpose of local public.</p> <p>The estimated cost for rejuvenation of above 10 water bodies including STP and landscaping is Rs. 21.54 Cr.</p>	After issue of Administrative Approval and Expenditure Sanction, the period of completion for rejuvenation of above 10 water bodies will be 18 months including all codal formalities.

5. ESTIMATED LAND REQUIREMENTS FOR PROJECTS

The department is facing a problem of disposal of desilted earth, as MCDs are reluctant to take the same; hence, it is necessary that DDA may give land parcels at different locations along the drains having size of around 1 ha. each at every 10 Km interval (totalling around 1000ha.).

It is recommended that the service lines in form of sewer, water, electric, communication etc. should be shifted outside the land boundary of I&FC drains.

Large chunks of I&FC land are being utilized for the construction of dhalaos by civic agencies, it is suggested that separate land should earmarked outside drain boundary for collection, processing, shifting and disposal of MSW as well as C&D waste along entire align of existing drains.

6. PROJECTED LAND REQUIREMENT IN VIEW OF MPD 2041

The drain wise projected land requirement considering expected remodeling, their operation and maintenance, creation of green belt, for processing of the desilted earth, for service road, for service lines, for C&D waste and additional stores etc. is attached as Annexure-II (b).

The additional land available for future use along drains varies with drains as well as their stretch/locations. In upper reaches of Najafgarh its width is more than 135 m. while in lower portion (which is highly urbanized) it comes down to 25 m. Similar situations exist in other drains also. This additional land is being utilised for service lines like sewer lines, water pipeline, H.T. lines, communications cables etc. in addition to construction of Dhalaos, Chhat Pooja Ghats, Mohalla clinics, Parks etc.

To create green zones along drains plantation work has also been done on the available drain land at different locations.

7. KEY TARGETS THAT WILL BE INCLUDED IN MPD 41 ACTION PLAN

Component	Current status	Target for 2041	Phasing Plan
Length (in km) of buffers created and maintained along major drains	The drain wise status of length of drain, width, depth of drain, catchment area, design discharge, present status of embankments & status of buffer land along the drains is annexed as (Annexure-II (b))		

8. SUGGESTIONS AND RECOMMENDATIONS

For construction of new drains in the sub cities to be planned under Master Plan 2041, following recommendations are made with regard to planning / construction of drainage system:

- a) The existing drainage network of Irrigation and Flood Control Department may be remodeled within the limits of the feasibility, to integrate the drainage network of sub-cities to be planned under Land Pooling Policy / MPD-2041, whenever, the relevant details are shared with I&FC Department in consultation with all stakeholders.
- b) Provision should be made for continuous green lines along the entire course of the drains on both sides.

- c) A separate provision for the services lines like sewer, water, electric, communication etc. should be made outside the drain boundary areas.
- d) A separate provision for land for collection, processing, transportation, shifting and disposal should be made for MSW as well as C&D waste.
- e) New development should be made in such a way that overall runoff from the area does not increase with the proposed urbanization. For that necessary measures in form of ponds, parks, porous pavements, green belts, artificial lakes / or other rainwater harvesting and storage structures etc. may be adopted.
- f) The officers involved in drainage and flood management should be given exposure to International best practices, so as to adopt the same to the National Capital City of Delhi.

Referred annexures for I&FC Service Plan:

Annexure II (a): Embankment Strengthening /Remodelling Status of Drains

Annexure II (b): Details of Buffers along Drains of I&FC Department

Annexure II (c): Detail of Effluent Irrigation System

ANNEXURE – II (a) : Embankment Strengthening /Remodelling Status of Drains

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
CD-I				
Najafgarh Drain, CD-I-45316m	45.31	Stable	No	NA
Palam Drain	4.20	Stable	No	NA
Palam Link Drain	1.47	Stable	No	NA
Najaf Garh Pond Drain	1.95	Stable	No	Yes Work in progress.
Nasirpur Link Drain	2.90	Stable	No	NA
Bijwasan Drain	4.20	Stable	No	NA
Pankha Road Drain	3.60	Stable	No	NA
Shahbad Mohammadpur Drain	0.23	Stable	No	NA
Mudhela Drain CD-I-6920m,	6.95	Stable	No	NA
CD-II				
Supplementary Drain D 16436 m to RD 22471 m	6.04	Inspection path i) L/B 17700 to 19362- CC Road ii) R/B 16436 to 16700- CC Road iii) R/B 21350 to 22137-CC Road Mohalla Clinic(RD 17700m R/B) 1500 plants proposed b/w RD 16436m to 22471m at scattered locations 350 Sapling already planted and their maintenance is in progress	-N/A- Section already lined	-N/A- Section already lined

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
Najafgarh Drain, RD 45316 m to RD 57140m	11.82	Inspection Road i) L/B RD 47390m to RD 48300m CC/Bituminous Road ii) L/B RD 54346m to Nose Point CC/Bituminous Road iii) L/B RD 56306m to RD 57106m CC/Bituminous Road iv) R/B RD 46870m to RD 48315m CC Road v) R/B RD 54346m to RD 56704m Bituminous Road	No proposal of strengthening as of now - strengthening work shall be done if so necessitated in future	No proposal of remodelling as of now - Remodelling work shall be done if so required in future.
CD-III				
Trunk Drain No.I , CD-III-5260m,	5.26	Good	NO	NO
RD 0m to RD 3200m				
RD 3200m to 5260m				
Trunk Drain No. II	4.55	Good	NO	NO
RD-4550m to RD-3900m				
RD-3900m to RD-3230m				
RD-3230m to RD-1980m				
RD-1980m to RD-0m				
Shahdara Outfall Drain	5.90	Good	NO	NO

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
RD-5900m to RD-0m				
Ghazipur Drain				
RD-0m to RD-2135m				
RD-2135m to RD-3505m	6.15	Good	NO	NO
RD-3505m to RD-5090m				
RD-5090m to RD-6157m				
Shahdara Link Drain				
RD 4545m to RD-3500m= 45.15m				
RD 3500m to RD-3065m= 53.50m				
RD 3065m to RD-2565m= 44.50m	4.56	Good	No	NO
RD 2565m to RD-2150m= 36.45m				
RD 2150m to RD 1330m = 43.45m				
RD 1330m to RD-930m = 43.45m				

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
RD 930m to RD-330m = (covered portion) 43.00m				
RD 330m to RD 130m= 43.45m				
CD-IV				
Trunk Drain No.I , CD-IV-5260m, to 13387m	8.13	Good	No	No
RD 5260m to 6690m	1.43			
RD 6690m to 10330m	3.64			
RD 10330m to 13387m	3.06			
Karawal Nagar Drain	2.48	Good	No	No
Biharipur Drain	1.00	No sufficient land is available for Embankment.	No	No
RD 0m to RD 650m	0.65			
RD 650m to RD 1000m	0.35			
Bund Drain	3.45	No sufficient land is available for Embankment.	Yes	Remodelling of drain is in progress on existing section as the no sufficient land is available

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
				along the drain.
Escape Drain No. I	2.98	Good from RD 0m to RD 2650m. No sufficient land is available for Embankment from RD 2650m to RD 2980m.	NA	Drain is passing through thickly populated area. Due to land constraint, no any remodeling is proposed between RD 1650m to RD 2560m. However remodeling is required in near future.
RD 0m to 980m	0.98			
RD 980m to 1650m	0.67			
RD 1650m to 2650m	1.00			
RD 2650m to 2980m	0.33			
Escape Drain No. II	0.45	Good	No	No
Relief Drain	2.18	No sufficient land is available for Embankment.	NA	Drain is passing through thickly populated area. Due to land constraint, no any remodeling is proposed. However remodeling is required in near future.
RD 0m to 695m	0.70			
RD 695m to 965m	0.27			
RD 965m to 1860m	0.90			
RD 1860m to 2180m	0.32			
CD-V				
Ali Drain	2.78	1 side Road 1 side NTPC.	No	No
Asola Drain	3.39	on Right side from 400 to 600 RD.	There is kuchcha zigzag drain passes through private land and water spreads in the open	

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
			field and there is no outfall of drain.	
Molar Bund Extension Drain	1.38	No	No	No
Sarita Vihar Drain	1.30	Earthen	No	No
CD-VI				
Drain No. 6	14.73	Good condition	Not required	Not required
Burari Creek	8.86	Good condition	Not required	Not required
Burari Drain	6.04	Good condition	Not required	Not required
New Drain	5.40	Good condition	Not required	Not required
Jagatpur Link Drain (Link Drain No. II)	2.46	Good condition	Not required	Not required
Toe Drain	4.00	Good condition	Not required	Not required
CD-VII				
BAWANA ESCAPE DRAIN	19.79	Strengthen	No	No
Bankner Link Drain	5.43	Good	Yes	No
Khera Khurd Drain	5.20	Good	Yes	Yes
Ghoga Link Drain	5.12	Good	No	No

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
Naya Bas Link Drain	3.00	Good	No	Yes
Sanoth Link Drain	3.35	Good	No	Yes
Alipur Link Drain	0.88	Good	No	No
Tikri Khurd Link Drain	1.94	Good	Yes	Yes
Khera Kalan Drain (Link)	0.86	Good	No	No
Bawana Drain RD 9561M to RD 11391M	1.830	Good	No	No
Nangloi Drain CD-VII-2100m	2.10	Good	No	No
CD-VIII				
MungeshPur Drain RD 15850 m to RD 37550 m	21.65	Earthern	-	-
Bazitpur Drain RD 0 m to RD 8049 m	8.05	Earthern	-	-
Bawana Drain RD 0 m to RD 9561 m	10.83	Earthern	-	-
Ladpur Link Drain RD 0 to RD 2300 m	2.30	Earthern	-	-
Katewara Link Drain RD 0 m to RD 1330 m	1.33	B/Work	-	-

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
Jatkhor Link Drain RD 0 m to RD 3760 m	3.76	Earthern	-	-
Nangal Thakran Link Drain RD 0 m to RD 900 m	0.90	Earthern	-	-
Madanpur Drain RD 4100 m to RD 8229 m	4.13	Earthern	-	Channelization of drain near Ghewra village on up stream of Railway line crossing is required
Kirari Suleman RD 4150 to RD 7850 m	3.70	Dry brick	-	Remodelling of KSN drain is required as the most of the catchment area of this drain is urbanized and many unauthorized colonies were also developed and being developed. Due to this, there is no scope for percolation of storm water and which has to be carried by this drain. Besides this, due to lack of sewerage network in unauthorized colonies the discharge of sewage, household waste

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
				and other wastewater are also flowing into KSN drain through various drains of other Govt. Agencies. There is no land available for remodeling since the adjacent area in both sides is developed and urbanized. Hence, there is a need, to acquire land for remodeling of KSN drain.
Sultanpur Drain RD 0 m to RD 9200 m	9.20	Earthern	Strengthening of bank is required on upstream side of Karala-Kanjhawala road at Rupali Enclave	-
Rasulpur Link Drain RD 0 m to RD 750 m	0.75	Earthern	-	-
CD-IX				

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
Supplementary drain from RD 0 to RD 16436m	16.44	Inspection road, dhalao, twin pipeline of DJB, PWD Road, Plantation and Mohalla Clinic etc. exist on Bank of Supplementary Drain.	Strengthening Required	Remodelling Required
CD-X				
Jahangir Puri Outfall drain	5.47			
RD 0m to RD 1700m		RD 0m to RD 4800m both side bank PCC tile lined & RD 4800m to RD 5470m both side bank stone pitching	Strengthening and upgradation of regulator at RD 1135m. (Work being taken by Mechanical Division-II, in year 2020-21.)	No
RD 1700m to RD 3000m				
RD 3000m to RD 4000m				
RD 4000m to RD 4800m				
RD 4800m to RD 5470m				
CD-XI				
Supplementary Drain, CD-XI				
RD 22471m to RD 25075m	2.604	Land/Road exist on left bank of Supplementary Drain where park, Mohalla Clinic, Chhat Ghat, Inspection Road and Dhalao have been constructed.	Strengthening required	Remodelling required
RD 25075m to RD 26060m	0.985			

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
RD 26060m to RD 28080m	2.020	Around 10000 nos. plants has been planted on left bank of Supplementary Drain. On the right bank Kaccha inspection Road exists which is common bank of N G Drain and Supplementary Drain.		
RD 28080m to RD 31300m	3.220			
RD 31300m to RD 34500m	3.200			
CD-XII				
Madanpur Drain (RD 0m to RD 4100m)	4.10	-	Not Required	Not Required
Kirari Suleman Nagar Drain (RD 0m to RD 4100m)	4.10	-	Not Required	Not Required
(RD 0m to RD 1722m)	1.72	-		
(RD 1722m to RD 3700m)	1.98	-		
(RD 3700m to RD 4100m)	0.40	-		
Mundka Peripheral Drain (RD 0m to RD 2345m)	2.35	-	Not Required	Not Required

Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Present status of Embankment	Whether any strengthening proposed or required	Whether remodelling of drain is proposed/ required
Ranhola Pond Drain (RD 0m to RD 1160m)	1.16	-	Not Required	Not Required
CD-XIII				
MungeshPur Drain CD-XIII-10362m	10.362 0m to 1575m = 1575m to RD. 6600m RD.6600m to 10362M	Stable	No	No
Bhupania Chudania Drain (including Haryana portion)	8.55 RD. 0m to 2736m RD. 6280m to 8550M RD.2736m to 6280M (Haryana State)	Stable	No	No
Mudhela Drain CD-XIII- From 6950 to 12560m	5.60	Stable	No	No
Nangli Sakrawati Link Drain, CD-XIII- RD-0m to 385m = 385m, CD-XIII-RD-1712m to 2262m = 550m	0.93 RD. 0m to 385 RD. 1712m to RD.2262m	Stable	No	No

ANNEXURE – II (b): Details of Buffers along Drains of I&FC Department

DETAILS OF BUFFERS ALONG DRAINS OF I&FC DEPARTMENT																
						Additional land required										
Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Reach wise total land width (in mtr.) / Right of way	Reach wise top drain width (in mtr.) including water way	Depth of drain (in mtr.)	Balance land width (in mtr.) (Buffers)	Remodelling / augmentation	Operation & maintenance	Creation of green belt	For processing of desilted earth	For Service road	For services like; electric line, communication cable, pipe lines water/sewer & dhalao	For C&D waste	For additional stores of I&FC Dept.	Others , if any	Total (in hectare)	Remarks
FC-I																
Jahangir Puri Outfall drain																
RD 0m to RD 1700m	5.47	75.00	54.00	1.80m	21.00	3.50 mtr each side Total = 7.00 mtr	---	2.00 mtr each side Total = 4.00 mtr	---	---	2 mtr each side Total = 4.00 mtr	---	---	---	8.20	
RD 1700m to RD 3000m		66.00	48.00		18.00											
RD 3000m to RD 4000m		31.00	27.00		4.00											
RD 4000m to RD 4800m		35.00	33.00		3.00											
RD 4800m to RD 5470m		54.00	43.00		12.00											
Trunk Drain No.I , CD-III-5260m	5.26			2.67									20.00			Drains under the jurisdiction are passing

DETAILS OF BUFFERS ALONG DRAINS OF I&FC DEPARTMENT																
						Additional land required										
Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Reach wise total land width (in mtr.) / Right of way	Reach wise top drain width (in mtr.) including water way	Depth of drain (in mtr.)	Balance land width (in mtr.) (Buffers)	Remodelling / augmentation	Operation & maintenance	Creation of green belt	For processing of desilted earth	For Service road	For services like; electric line, communication cable, pipe lines water/sewer & dhalao	For C&D waste	For additional stores of I&FC Dept.	Others , if any	Total (in hectare)	Remarks
RD 0m to RD 3200m		54.86	38.00		16.86		10.00	7.50	14.00	7.50	5.00	5.00			15.68	through the densely populated area, acquisition of the proposed additional land is only possible if the redevelopment of the nearby area of the drain proposed by DDA
RD 3200m to 5260m		22.86	20.00		2.86		24.00	7.50	14.00	7.50	5.00	5.00			12.98	
RD 5260m to 6690m	1.43	45.00	33.00	4.00	12.00		8.00	10.00			5.00	5.00			4.00	
RD 6690m to 10330m	3.64	45.00	25.00	4.50	20.00			10.00			5.00	5.00			7.28	
RD 10330m to 13387m	3.06	37.00	15.00	4.50	22.00			10.00			5.00	5.00			6.11	
Trunk Drain No. II																
RD-4550m to RD-3900m	4.55	15.24	15.24	2.60	0.00		32.00	7.50	14.00	7.50	5.00	5.00			4.62	
RD-3900m to RD-3230m		32.74	20.05		12.69		20.00	7.50	14.00	7.50	5.00	5.00			3.95	

DETAILS OF BUFFERS ALONG DRAINS OF I&FC DEPARTMENT																
						Additional land required										
Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Reach wise total land width (in mtr.) / Right of way	Reach wise top drain width (in mtr.) including water way	Depth of drain (in mtr.)	Balance land width (in mtr.) (Buffers)	Remodelling / augmentation	Operation & maintenance	Creation of green belt	For processing of desilted earth	For Service road	For services like; electric line, communication cable, pipe lines water/sewer & dhalao	For C&D waste	For additional stores of I&FC Dept.	Others , if any	Total (in hectare)	Remarks
RD-3230m to RD-1980m		45.24	20.55		24.69		8.00	7.50	14.00	7.50	5.00	5.00			5.88	
RD-1980m to RD-0m		54.86	22.80		32.06			7.50	14.00	7.50	5.00	5.00			7.72	
Shahdara Outfall Drain	5.90			3.26												
RD-5900m to RD-0m		135.00	58.764		76.236			10.00	14.00		5.00	5.00			20.06	
Ghazipur Drain	6.15			3.11												
RD-0m to RD-2135m		104.00	54.44		49.56		5.00	7.50	14.00		5.00	5.00			7.79	
RD-2135m to RD-3505m		104.00	53.83		50.17			7.50			5.00	5.00			2.40	
RD-3505m to RD-5090m		104.00	52.59		51.41			7.50			5.00	5.00			2.77	
RD-5090m to RD-6157m		85.00	47.73		37.27			5.00	7.50	7.00	3.50	5.00		5.00		

DETAILS OF BUFFERS ALONG DRAINS OF I&FC DEPARTMENT																	
						Additional land required											
Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Reach wise total land width (in mtr.) / Right of way	Reach wise top drain width (in mtr.) including water way	Depth of drain (in mtr.)	Balance land width (in mtr.) (Buffers)	Remodelling / augmentation	Operation & maintenance	Creation of green belt	For processing of desilted earth	For Service road	For services like; electric line, communication cable, pipe lines water/sewer & dhalao	For C&D waste	For additional stores of I&FC Dept.	Others , if any	Total (in hectare)	Remarks	
Shahdara Link Drain	4.56			2.135													
RD 4545m to RD-3500m		45.15	22.25		22.90	10.00	7.50	10.00		5.00	5.00					3.92	
RD 3500m to RD-3065m		53.50	22.25		31.25	10.00	7.50	10.00		5.00	5.00					1.63	
RD 3065m to RD-2565m		44.50	22.25		22.25		7.50	5.00		5.00	5.00					1.13	
RD 2565m to RD-2150m		36.45	22.25		14.20		7.50	5.00		5.00	5.00					0.93	
RD 2150m to RD 1330m		43.45	22.25		21.20		7.50	5.00		5.00	5.00					1.85	
RD 1330m to RD-930m		43.45	22.25		21.20		7.50	5.00		5.00	5.00					0.90	
RD 930m to RD-330m (Covered Portion)		43.00	15.45		27.55		7.50	5.00		5.00	5.00					1.35	

DETAILS OF BUFFERS ALONG DRAINS OF I&FC DEPARTMENT																
						Additional land required										
Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Reach wise total land width (in mtr.) / Right of way	Reach wise top drain width (in mtr.) including water way	Depth of drain (in mtr.)	Balance land width (in mtr.) (Buffers)	Remodelling / augmentation	Operation & maintenance	Creation of green belt	For processing of desilted earth	For Service road	For services like; electric line, communication cable, pipe lines water/sewer & dhalao	For C&D waste	For additional stores of I&FC Dept.	Others , if any	Total (in hectare)	Remarks
RD 330m to RD 130m		43.45	22.25		21.20			7.50	5.00		5.00	5.00			0.45	
Karawal Nagar Drain	2.48	38.96	14.00	4.00	24.96			5.00			5.00	5.00			3.72	
Biharipur Drain	1.00	4.00														
RD 0m to RD 650m	0.65	4.50	2.00	1.50	2.50	5.00	6.00	5.00	6.00	6.00	3.00	3.00			2.14	
RD 650m to RD 1000m	0.35	8.00	2.00	1.50	6.00	5.00	4.00	5.00	5.00	4.00	3.00	3.00			1.02	
Bund Drain	3.45	7.50	3.70	2.00	3.80	5.00	4.00	5.00	3.00	6.00	3.00	3.00			10.00	
Escape Drain No. I	2.98															
RD 0m to 980m	0.98	25.90	8.00	4.00							3.00	3.00			0.60	
RD 980m to 1650m	0.67	23.00	6.00	3.00	17.90		4.00	5.00	5.00	6.00	3.00	3.00			1.74	
RD 1650m to 2650m	1.00	18.23	6.00	2.50	17.00	5.00	4.00	5.00	5.00	6.00	3.00	3.00			3.10	

DETAILS OF BUFFERS ALONG DRAINS OF I&FC DEPARTMENT																
						Additional land required										
Name of Drain	Length of Drain (in KMs)	Reach wise total land width (in mtr.) / Right of way	Reach wise top drain width (in mtr.) including water way	Depth of drain (in mtr.)	Balance land width (in mtr.) (Buffers)	Remodelling / augmentation	Operation & maintenance	Creation of green belt	For processing of desilted earth	For Service road	For services like; electric line, communication cable, pipe lines water/sewer & dhalao	For C&D waste	For additional stores of I&FC Dept.	Others , if any	Total (in hectare)	Remarks
RD 2650m to 2980m	0.33	17.00	2.80	2.00	12.23	5.00	4.00	5.00	5.00	6.00	3.00	3.00			1.02	
Escape Drain No. II	0.45	30.00	10.00	3.00	20.00			5.00			3.00	3.00			0.50	
Relief Drain	2.18															
RD 0m to 695m	0.70	27.00	13.00	2.00	14.00		3.00		3.00	6.00	3.00	3.00			1.26	
RD 695m to 965m	0.27	Not visible marsh land				5.00	3.00	5.00	3.00	6.00	3.00	3.00			0.76	
RD 965m to 1860m	0.90	8.00	2.60	1.20	5.40	5.00	3.00	5.00	3.00	6.00	3.00	3.00			2.52	
RD 1860m to 2180m	0.32	15.00	5.00	1.50	10.00		3.00	5.00	3.00	6.00	3.00	3.00			0.74	
														FC-I	154.24	

FC-II

Drain No.6	14.73	1. RD 0m to 2650m = 45.00 Mtr	1. RD 0 m to 1725m = 26.95 Mtr.	Varies from 3.40 Mtr 4.10 Mtr	1. RD 0 m to 1725m = 18.05 Mtr.	(26.95x0.5) x1725 = 23244 Sqm.	----	RD 0 to 13025m = 13025 m x 5m X 2= 130250 Sqm.	RD 10000 m to RD 11000 m 40000 Sqm	----	For Services 13025x2 = 26050 Sqm For Dhalao RD 2600m RD 2315 RD 2975 RD 12000 RD 11700 5 x 15m x 15m = 1025 Sqm.	----	RD 2600m = 20m x 15m = 300 Sqm.	----	37.275
		2. RD 2650m to 6600m = 44.00 Mtr	2. RD 1725m to 2250m = 26.60 Mtr.		2. RD 1725m to 2250m = 18.40 Mtr.	(26.6x0.5)x(2250-1725) = 6983 Sqm	----	----	----	----	RD 7700m = 20m x 15m = 300 Sqm.	----			
		3. RD 6600m to 12500m = 40.00 Mtr	3. RD 2250m to 2650m = 22.05 Mtr.		3. RD 2250m to 2650m = 27.95 Mtr.	(22.05x0.5) x(2650-2250) = 4410 Sqm	----	----	----	----	----	----			
		4. RD 12500m to 14725m = 28.00 Mtr.	4. RD 2650m to 2825m = 26.60 Mtr.		4. RD 2650m to 2825m = 17.40 Mtr.	(26.6x0.5)x(2825-2650) = 2328 Sqm	----	----	----	----	----	----			
			5. RD 2825m to 6600m = 28.70 Mtr.		5. RD 2825m to 6600m = 15.30 Mtr.	(28.7x0.5)x(6600-2825) = 54171 Sqm	----	----	----	----	----	----			

Burari Creek	8.86	20.00	10 to 12	2.10	10 to 8	(12x0.5)x(8867) = 53202 Sqm	----	From RD 0 m to RD 8867 m x 5.0 m x 2 = 88670 Sqm	----	From RD 0 m to RD 8867 m x 3.0 m = 26601 Sqm	For Services From RD 0 m to RD 8867 m x 2.0 m = 17734 Sqm For Dhalao Near RD 450 M Near RD 1050M Near RD 1450 M Near RD 1950 M Near RD 4150 M Near RD 5250 M Near RD 5850 M Near RD 6500 M Near RD 7850 M Near RD 450 M New Course 10x15x15 =2250 Sqm	----	500 Sqm (Near RD 2300 M Near RD 6000 M)	----	18.90	
Burari Drain	6.04	3.50 to 6.00 M	3.50 to 6.00 M	0.60	Nil	(5x0.5)x(6040) = 15100 Sqm	From RD 0 m to RD 5488 m 5488 x 5.00 = 27440 Sqm	From RD 0 m to RD 5488 m 5488 x 5.00x2 =54880Sqm	----	----	For services 5488x2 = 10976 Sqm For Dhalao Near RD 3500 M Near RD 5100 M 2 x 15.00x 15.00 = 450.00 Sqm	----	----	----	10.8846	
New Drain	5.40	61.00	48.00	5.20	13.00	(48x0.5)x(5400) = 129600 Sqm	From RD 0 to 5400 m 5400x5x2 = 54000 Sqm	----		For services from RD 0 to 5400 m 5400*2 = 10800 Sqm		19.44	
Jagatpur Link Drain (Link Drain No. II)	2.46	4.00	2.50	2.50	1.50	(2.5x0.5)x(2460)= 3075 Sqm	From RD 0 m to RD 500 m500 x 5.00 = 2500 Sqm	From RD 0 to 2460 m2460x5x 2 = 24600 Sqm	----	----	For services 2460x2 = 4920 SqmFor DhalaoNear RD 300 M1 x 15.00x 15.00 = 225.00 Sqm	----	----	----	3.532	

Toe Drain	4.00	1.50	1.50	1.20	Nil	(1.5x0.5)x(4000) = 3000 Sqm	From RD 0 m to RD 4000 m 4000 x 5.00 = 20000 Sqm	From RD 0 m to RD 4000 m 4000x5x2 = 40000 Sqm	----	----	For services 4000x2 = 8000 Sqm For Dhalao Near RD 3240 M Near RD 2500 M Near RD 1900 M Near RD 850 M 4 x 15.00x 15.00 = 900.00 Sqm	----	----	----	7.19	
												Total Area CD-VI			97.22	
BAWANA ESCAPE DRAIN	19.79	40.50 M (Avg)	19.425 M (Avg.)	1.50 to 4.80	21.0475	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD 19790 M = 19790M Width extended 10 M area 19790 x 10 = 1,97,900 Sqm or 19.79 Ha.	-	Length RD 0 M to RD 19790 M = 19790M Width 5 M both side of drain area 2 x 19790 x 5 = 1,97,900 Sqm or 19.79 Ha.	At RD 11000 M area 5 Acre or 2 Ha.	For service lane Length RD 0 M to RD 19790 M = 19790M Width 4.25 M both side of drain area 2 x 19790 x 4.25 = 1,68,215 Sqm or 16.82 Ha.	i) RC 19100 M & 19200 M (Budhpur) ii) RD 4165 M to RD 4795 M (Near R/B) J.J. Amar Colony Bawana – Narela Road. (iii) RD 13400 M (R/B) Metro Vihar Holambi Kalan. area 3x 15M x 15 M = 675 Sqm 0.0675 Ha	-	for store at RD 9900 M area 15M x 15 M = 225 Sqm 0.02 Ha	-	78.28	

Bankner Link Drain	5.43	14.10 Avg.	11.25	1.00	2.85	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD 5430 M = 5430M Width extended 8 M area 5430 x 8 = 43,440 Sqm or 4.34 Ha.	-	Length RD 0 M to RD 5430 M = 5430M Width 5 M both side of drain area 2 x 5430 x 5 = 54300 Sqm or 5.43 Ha.	-	For service lane Length RD 0 M to RD 5430 M = 5430M Width 4.25 M both side of drain area 2 x 5430 x 4.25 = 46,155 Sqm or 4.62 Ha.	RD 2950 M (Near Saboli Road X-ing culvert). RD 3906 M (Pio Manihari Road X-ing). area 2x 15M x 15 M = 450 Sqm 0.045 Ha	-	-	-	14.435	
--------------------	------	------------	-------	------	------	--	---	---	---	---	--	---	---	---	--------	--

Khera Khurd Drain	5.20	6.75	3.40	0.80	3.35	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD 5200 M = 5200M Width extended 5 M area 5200 x 5 = 26,000 Sqm or 2.60 Ha.	-	Length RD 0 M to RD 5200 M = 5430M Width 5 M both side of drain area 2 x 5200 x 5 = 52000 Sqm or 5.20 Ha.	-	For service lane Length RD 0 M to RD 5200 M = 5200M Width 4.25 M both side of drain area 2 x 5200 x 4.25 = 44,200 Sqm or 4.42 Ha.	RD 740 M (Near Bhatte wala Road) area 15M x 15 M = 225 Sqm 0.0225 Ha	-	-	-	12.243	
-------------------	------	------	------	------	------	--	---	---	---	---	--	---	---	---	--------	--

Ghoga Link Drain	5.12	5.00	5.00	0.80	0.00	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD 5120 M = 5120M Width extended 5 M area 5120 x 5 = 25600 Sqm or 2.56 Ha.	-	Length RD 0 M to RD 5120 M = 5120M Width 5 M both side of drain area 2 x 5120 x 5 = 51200 Sqm or 5.12 Ha.	-	For service lane Length RD 0 M to RD 5120 M = 5120M Width 4.25 M both side of drain area 2 x 5120 x 4.25 = 43520 Sqm or 4.35 Ha.	-	-	-	-	12.03	
------------------	------	------	------	------	------	---	---	---	---	--	---	---	---	---	-------	--

Naya Bas Link Drain	3.00	8.50 Avg	7.00	0.45 to 0.50	1.50	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD 3000 M = 3000M Width extended 5 M area 3000 x 5 = 15000 Sqm or 1.50 Ha.	-	Length RD 0 M to RD 3000 M = 3000M Width 5 M both side of drain area 2 x 3000 x 5 = 30000 Sqm or 3.00 Ha.	-	For service lane Length RD 0 M to RD 3000 M = 3000M Width 4.25 M both side of drain area 2 x 3000 x 4.25 = 25500 Sqm or 2.55 Ha.	RD 490 M CULVERT (Narvihar Holambi Khurd) area 15M x 15 M = 225 Sqm 0.0225 Ha	-	-	-	7.073	
---------------------	------	----------	------	--------------	------	---	---	---	---	--	---	---	---	---	-------	--

Sanoth Link Drain	3.35	10.80	9.00	1.40	1.80	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD 3350 M = 3350M Width extended 5 M area 3350 x 5 = 16750 Sqm or 1.68 Ha.	-	Length RD 0 M to RD 3350 M = 3350M Width 5 M both side of drain area 2 x 3350 x 5 = 33500 Sqm or 3.35 Ha.	-	For service lane Length RD 0 M to RD 3350 M = 3350M Width 4.25 M both side of drain area 2 x 3350 x 4.25 = 28475 Sqm or 2.85 Ha.	-	-	-	-	-	7.88
-------------------	------	-------	------	------	------	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	------

Alipur Link Drain	0.88	30.00	3.50	2.50	26.50	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD 880 M = 880M Width extended 5 M area 880 x 5 = 4400 Sqm or 0.44 Ha.	-	Length RD 0 M to RD 880 M = 880M Width 5 M both side of drain area 2 x 880x 5 = 8800 Sqm or 0.88 Ha.	-	For service lane Length RD 0 M to RD 880 M = 880M Width 4.25 M both side of drain area 2 x 880 x 4.25 = 7480 Sqm or 0.75 Ha.	RD 0 M, (Near Kiran Garden) ii) RD 435 M (Near Alipur City Forest Road) area 2x 15M x 15 M = 450 Sqm 0.045 Ha	-	2.115	
-------------------	------	-------	------	------	-------	---	---	--	---	--	--	---	-------	--

Tikri Khurd Link Drain	1.94	The drain existing in the NH-1 Land	3.50	0.80	-	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD 1940 M = 1940 M Width extended 5 M area 1940 x 5 = 9700 Sqm or 0.97 Ha.	-	Length RD 0 M to RD 1940 M = 1940 M Width 5 M both side of drain area 2 x 1940 x 5 = 19400 Sqm or 1.94 Ha.	-	For service lane Length RD 0 M to RD 1940 M = 1940 M Width 4.25 M both side of drain area 2 x 1940 x 4.25 = 16490 Sqm or 1.65 Ha.	-	-	-	-	-	4.56
------------------------	------	-------------------------------------	------	------	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	------

Nangloi Drain CD-VII-2100m	2.10	17.50	9.16	2.00	8.34	Remodelling augmentation for future requirement Length along drain RD 0 M to RD 2100 M = 2100M Width extended 5 M area 2100 x 5 = 10500 Sqm or 1.05 Ha.	-	Length RD 0 M to RD 2100 M = 2100M Width 5 M both side of drain area 2 x 2100x 5 = 21000Sqm or 2.10 Ha.	-	For service lane Length RD 0 M to RD 2100 M = 2100M Width 4.25 M both side of drain area 2 x 2100 x 4.25 = 17850 Sqm or 1.79 Ha.	-	-	-	-	4.94	
															Total Area CD-VII	145.58
Mungesh Pur Drain RD 15850 m to RD 37550 m	21.65	32.69 m to 10.00 m	8.54 m to 18.76 m	1 m to 1.50 m	24.15 m to 1.46 m	(12.70 x 0.50 x 21650/10000)=13.74 Ha	-	(2 x 5 x 21650/10000)=21.65 Ha	RD 21785 m to RD 21285 m(500 x 100/10000)=5 Ha	-	For dhalaos(5 x 15 x 15 /10000) =0.11 Ha.	-	-	-	40.50	
Bazitpur Drain RD 0 m to RD 8049 m	8.05	8.60 m to 12.00	4.47 m	1.00 m	5.83 m	(4.09 x 0.50 x 8050/10000) =1.64 Ha	-	(2 x 5 x 8050/10000) =8.05 Ha	-	-	For dhalaos (3 x 15 x 15 /10000) =0.06 Ha.	-	-	-	9.75	

Bawana Drain RD 0 m to RD 9561 m	10.83	5.30 m to 12.00 m	4.75 m	0.75 m	0.55 m to 7.25 m	(4.47 x 0.50 x 10830/10000) =2.42 Ha	(1.50 x 10830/10000) =1.62 Ha	(2 x 5 x 10830/10000) =10.83 Ha	-	-	For dhalaos (4 x 15 x 15 /10000) =0.09 Ha.	-	-	-	14.96
Ladpur Link Drain RD 0 to RD 2300 m	2.30	11.00 m	2.92 m	0.30 m	8.08 m	(1.67 x 0.50 x 2300/10000) =0.19 Ha	-	(2 x 5 x 2300/10000) =2.30 Ha	-	-	-	-	-	-	2.49
Katewara Link Drain RD 0 m to RD 1330 m	1.33	2.50 m	0.60 m	0.80 m	1.90 m	(0.60 x 0.50 x 1330/10000) =0.04 Ha	-	(2 x 5 x 1330/10000) =1.33 Ha	-	-	-	-	-	-	1.37
Jatkhori Link Drain RD 0 m to RD 3760 m	3.76	2.75 m to 3.50 m	1.834 m to 2.587 m	0.30 m	0.163 m to 1.66 m	(1.45 x 0.50 x 3760/10000) =0.27 Ha	(1.50 x 3760/10000) =0.56 Ha	(2 x 5 x 3760/10000) =3.76 Ha	-	-	-	-	-	-	4.59
Nangal Thakran Link Drain RD 0 m to RD 900 m	0.90	3.64 m	2.14 m	Dry	1.50 m	(1.67 x 0.50 x 900/10000) =0.07 Ha	(1.50 x 900/10000) =0.135 Ha	(2 x 5 x 900/10000) =0.90 Ha	-	-	-	-	-	-	1.11
Madanpur Drain RD 4100 m to RD 8229 m	4.13	12.50 m	9.02 m	1.00 m	3.48 m	(4.85 x 0.50 x 4130/10000) =1.00 Ha	-	(2 x 5 x 4130/10000) =4.13 Ha	-	-	For dhalaos (3 x 15 x 15 /10000) =0.06 Ha.	-	-	-	5.19

Kirari Suleman RD 4150 to RD 7850 m	3.70	7.50 m to 15 m	6.98 m	2.02 m	0.52 m to 8.02 m	$(3.66 \times 1.0 \times 3700/10000)$ =1.35 Ha	-	$(2 \times 5 \times 3700/10000)$ =3.70 Ha	-	-	For dhalaos (5 x 15 x 15 /10000) =0.11 Ha. For all services (1.50 x 3700/10000) =0.55 Ha. Total =0.66 Ha	-	-	-	5.71
Sultanpur Drain RD 0 m to RD 9200 m	9.20	4.20 m to 12.60 m	4.57 m	0.75 m	8.03 m	$(2.945 \times 0.50 \times 9200/10000)$ =1.35 Ha	$(1.50 \times 9200/10000)$ =1.38 Ha	$(2 \times 5 \times 9200/10000)$ =9.20 Ha	-	-	For dhalaos (3 x 15 x 15 /10000) =0.06 Ha.	-	-	-	11.99
Rasulpur Link Drain RD 0 m to RD 750 m	0.75	6.80 m	3.214 m	0.30 m	3.61 m	$(0.91 \times 0.50 \times 750/10000)$ =0.03 Ha	-	$(2 \times 5 \times 750/10000)$ =0.75 Ha	-	-	-	-	-	-	0.78
											Total Area CD-VIII			98.44	
Madanpur Drain(RD 0m to RD 4100m)	4.10	14.50 (Av.)	11.50	1.00	3.00	$(4100 \times 3.00)/10000$ = 1.23 Ha	$(2300 \times 5.00)/10000=1.15$ Ha	$(4100 \times 2.00 \times 5.00)/10000=4.10$ Ha	RD 900m)(500 x 100/10000)= 5 Ha	$(4100 + 2300) \times 4.25/10000$ =2.72 Ha	For dhalaos (3 x 15 x 15 /10000) =0.06 Ha.	-	$(2 \times 15 \times 15)/10000$ = 0.045 Ha(RD 3700 and RD `900)	-	14.31

Kirari Suleman Nagar Drain (RD 0m to RD 4100m)	4.10	15.00m to 24.00m	(A) 9.00m to 11.00m (B) 5.30m Rcc Trough Section	1.40	(A) 6.00m to 13.00m (B) 9.70m to 19.70m	(2400 x 5.00) /10000 = 1.20 Ha	(1150 x 5.00) /10000 =0.60 Ha	(4100 + 2400) x 5.00 /10000 =3.25 Ha	RD 2900m) (500 x 100/10000) =5 Ha	(4100+ 2700) x 4.25 /10000 =2.89 Ha	For dhalaos (3 x 15 x 15 /10000) =0.06 Ha.	-	(2 x 15 x 15) /10000 = 0.045 Ha (RD 1400 and RD 1722)	-	13.05			
(RD 0m to RD 1722m)	1.72																	
(RD 1722m to RD 3700m)	1.98																	
(RD 3700m to RD 4100m)	0.40																	
Mundka Peripheral Drain (RD 0m to RD 2345m)	2.35	2.50	2.00	1.50	0.50	-	(2350 x 5.00) /10000 =1.175 Ha	(2350 x 2.00 x 5.00) /10000 =2.35 Ha	-	(2350+ x 4.25 x 2.00) /10000 =2.00 Ha	-	-	(1 x 15 x 15) /10000 = 0.023 Ha (RD 850)	-	5.55			
Ranhola Pond Drain (RD 0m to RD 1160m)	1.16	1.20	1.20	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
																	Total Area CD-XII	32.90
																	Total Area FC-II	374.13

FC-III

Supplementary Drain RD 16436 m to RD 22471 m	6.04	55.00	50.00	3.66	5	--	9.00	12.00	3	6.00	6	-	-	-	36.00	
Najafgarh Drain, RD 45316 m to RD 57140m	11.82	70.00	45.00	5.50	25.00	--	18	24	3	12	12	-	-	-	69.00	
Supplementary drain from RD 0 to RD 16436m	16.44	RD 0m to RD8800m =152.40	61.40	3.66	RD 0m to RD 8800m = 91.00m	-	-	-	-	-	9 Ha.	-	-	-	9	
		RD 8800m to RD 9400m = 113.00m			RD 8800m to RD 9400m = 51.60m	-	-	-	-	-		-				
		RD 9400m to RD 16436m = 123.10m			RD 9400m to RD 16436m = 61.70m	-	-	-	-	-		-				
Supplementary Drain, CD-XI																
RD 22471m to RD 25075m	2.604	68.30	46.27	3.66	22.03	-	4	5	-	3	3	-	-	-	15	
RD 25075m to RD 26060m	0.985	103.00	48.72		54.28	-	-	-	-	-	1				1	

RD 26060m to RD 28080m	2.020	125.00	48.72		76.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RD 28080m to RD 31300m	3.220	84.67	48.72		35.95		4.5	3	-	3	3					13.5	
RD 31300m to RD 34500m	3.200	118.00	48.72		69.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																Total	143.50 Ha.
																Total Area FC-III	143.50

FC-IV

Najafgarh Drain, CD-I-45316m	45.31	RD. 0m to 17905m-200m to 325m	RD. 0m to 6000m-126.68m RD.	-	-	12000x30x2=720000 Sqm	12000x12x2=288000 Sqm	12000x25x2=600000 Sqm	{45000} Sqm	12000x15x2=360000 Sqm	12000x10x2=240000 Sqm	3000/2100 Sqm	2000 Sqm	-	838.07
		RD. 17905m to 20180m-150m to 200m RD. 20180m to 22435m-250m to 300m RD. 22435m to 28180m -200m to 250m RD. 28180m to 30180m -250m to 300m RD. 30180m	RD. 6000m to 12000m-Jheel Portion RD. 12000m to 17905m-110.00m RD. 17905m to 30180m -120.00m RD. 30180m to 45316m -98.00m	4.90	135.82	5905x55=324775 Sqm	5905x12x2=141720 Sqm	5905x25x2=295250 Sqm	5905x25x2=295250 Sqm	5905x10x2=118100 Sqm	5905x15x2=177150 Sqm	5905x10x2=118100 Sqm	1475/1033 Sqm	2000 Sqm	
		RD. 28180m -200m to 250m RD. 28180m to 30180m -250m to 300m RD. 30180m	RD. 12000m to 17905m-110.00m RD. 17905m to 30180m -120.00m RD. 30180m to 45316m -98.00m		117.00	12275x30x2=736500 Sqm	15136x12x2=363264 Sqm	12275x25x2=613750 Sqm	15136x15x2=368250 Sqm	12275x15x2=368250 Sqm	15136x10x2=302720 Sqm	3068/2148 Sqm	<u>2000 Sqm</u> Total 8000 Sqm	-	
						15136x30x2=908160 Sqm	Total 1087584 Sqm	15136x25x2=756800 Sqm	Total 2265800 Sqm	15136x15x2=454080 Sqm	15136x10x2=302720 Sqm	Total 19254 Sqm			

Palam Drain	4.20	37.00	18 to 10.34	2.50	22.83	-	4200x12x2 = 100800 Sqm	4200x25x2 = 210000 Sqm Both side	5000 Sqm	4200x15x2 = 126000 Sqm	4200x5x2 = 42000 Sqm	1050/735 Sqm	2000 Sqm	-	48.75	
Palam Link Drain	1.47	10.00 (Approx.)	4.50 to 2.25	1.30	6.62	1470x10x2 = 29400 Sqm	1470x12x2 = 35288 Sqm Both side	1470x5x2 = 14700 Sqm	2000 Sqm	1470x7.50x2 = 22050 Sqm	1470x5x2 = 14700 Sqm	368/257	2000 Sqm	-	12.08	
Najaf Garh Pond Drain	1.95	17.00 (Approx.)	4.50	0.95	12.50	1950x10x2 = 39000 Sqm	1950x12x2 = 46800 Sqm	1950x5x2 = 19500 Sqm	2000 Sqm	1950x7.50x2 = 29250 Sqm	1950x5x2 = 19500 Sqm	488/340	-	-	15.69	
Nasirpur Link Drain	2.90	12.00 (Approx.)	6.50	2.10	5.50	2900x10x2 = 58000 Sqm	2900x12x2 = 69600 Sqm Both side	2900x5x2 = 29000 Sqm	3000 Sqm	2900x7.50x2 = 43500 Sqm	2900x5x2 = 29000 Sqm	725/508	2000 Sqm	-	23.53	
Bijwasan Drain	4.20	20.00 to 30.00	4.00	0.91	21.00	4200x10x2 = 84000 Sqm	4200x12x2 = 100800 Sqm Both side	4200x5x2 = 42000 Sqm	5000 Sqm	4200x7.50x2 = 63000 Sqm	4200x5x2 = 42000 Sqm	1050/735	2000 Sqm	-	34.06	
Pankha Road Drain	3.60	19.60 to 24.00	8.00	2.30	13.80	3600x10x2 = 72000 Sqm	3600x12x2 = 86400 Sqm Both side	3600x25x2 = 180000 Sqm	4000 Sqm	3600x7.5x2 = 54000 Sqm	3600x5x2 = 36000 Sqm	900/630	2000 Sqm	-	43.59	
Shahbad Mohammadpur Drain	0.23	14.50	2.35	1.22	12.15	-	225x12x2 = 5400 Sqm Both side	225x5x2 = 2250 Sqm	1000 Sqm	225x7.50x2 = 3375 Sqm	225x5x2 = 2250 Sqm	57/40	2000 Sqm	-	1.64	
Mudhela Drain CD-I-6920m,	6.95	16.50	5.00	1.52	11.50	6950x10x2 = 139000 Sqm	-	6950x5x2 = 69500 Sqm	2000 Sqm	6950x7.50x2 = 104250 Sqm	6950x5x2 = 69500 Sqm	1740/1200	-	-	38.72	
TOTAL CD-I															1056.13	

Ali Drain	2.78	40.45	35.00	4.00	5.00	--	2780X12X2 = 66720 Sqm. (6.67 Hectare)	2780X10X2 = 55600 Sqm. (5.56 Hectare)	2000 Sqm. (0.2 Hectare)	--	2780X5X2=2780 Sqm. (2.78 Hectare)	500 sqm & 300 Sqm. (0.085 Hectare)	500 Sqm. (0.05 Hectare)	--	15.345	
Asola Drain	3.39	5.00 Mt. (Avg.)	2 to 5	Av. Depth 3.00	2 to 5	5470X4 = 21880 Sqm. (2.19 Hectare)	5470X12X2= 131280 Sqm. (13.13 Hectare)	5470X10X2= 109400 Sqm. (27.35 Hectare)	2000 Sqm. (0.2 Hectare)	5470X7= 38290 Sqm. (3.8 Hectare)	5470X5X2=54700 Sqm.(5.47) Hectare	500 sqm & 300 Sqm. (0.085 Hectare)	2000 Sqm. (0.2 Hectare)	--	52.425	
Molar Bund Extension Drain	1.38	0 to 615-2.25	615 to 1335-2.25	1.50 to 2.25 Mtr.	Nil	--	1380X12X2= 33120 Sqm. (3.31 Hectare)	1380X10X2=27600 Sqm. (2.76 Hectare)	2000 Sqm. (0.2 Hectare)	1380X7= 9660 Sqm. (0.97 Hectare)	1380X5X2 = 1380 Sqm. (1.38 Hectare)	500 sqm & 300 Sqm. (0.085 Hectare)	2000 Sqm. (0.2 Hectare)	--	8.905	
Sarita Vihar Drain	1.30	20.00	15.00	2.50	5.00	--	1300X12X2= 31200 Sqm.(3.12 Hectare)	1300X10X2=2600 Sqm. (2.6 Hectare)	2000 Sqm. (0.2 Hectare)	1300X7= 9100 Sqm. (0.91 Ha)	1300X5X2=13000 Sqm. (1.30 Hectare)	500 sqm & 300 Sqm. (0.085 Hectare)	2000 Sqm. (0.2 Hectare)	--	8.415	
TOTAL CD-V															85.09	
Mungesh Pur Drain CD-XIII-10362m	10.362 0m to 1575m = 1575m to RD. 6600m RD.6600 m to 10362M	137 54 66	29.02 29.02 29.02	3.32	107.98 24.98 36.98	10362x 30x2 = 621720. 00 Sqm or 62.17 Hectare	10362x50x2 =1036200 Sqm or 103.62 Hectare	10362x25 x2= 518100.00 Sqm or 51.81 Hectare	2 Hectare	10362x20x2 = 414480.00 Sqm or 41.45 Hectare	-	2 Hectare	0.80 Hectare		= 263.85- 82.21 (Available land) = 181.64	

Bhupania Chudania Drain (including Haryana portion)	8.55 RD. 0m to 2736m RD. 6280m to 8550M RD.2736 m to 6280M (Haryana State)	90 65 22	22 22 Un-demarcation Portion	3.05	68 43 -	8550x30x2 = 513000 Sqm or 51.30Hectare	8550x50x2 = 855000 Sqm or 85.50 Hectare	8550x25x2 = 427500 Sqm or 42.75 Hectare	2 Hectare	8550x20x2 = 342000 Sqm or 34.20 Hectare	-	2 Hectare	0.80 Hectare		= 218.55-47.18 Available land = 171.37	
Mudhela Drain CD-XIII- From 6950 to 12550m	5.60	17.6	6.57	0.91	11.3	5600x15x2 = 168000 Sqm or 16.80Hectare	5600x20x2 = 224000Sqm or 22.40Hectare	5600x25x2 = 280000Sq m or 28.00 Hectare	2 Hectare	5600x20x2 = 242000Sqm or 22.40 Hectare	-	0.40 Hectare	0.40 Hectare		92.40-9.86 Available land = 82.54	
Nangli Sakrawati Link Drain, CD-XIII- RD-0m to 385m = 385m, CD-XIII-RD-1712m to 2262m = 550m	0.93RD. 0m to 385 RD. 1712m to RD.2262 m	1.801.20	1.801.20	1.50	00	930x5x1 = 4650 Sqm or 0.47 Hectare	930x5x1 = 4650 Sqm or 0.47 Hectare	-	-	930x20x1 = 18600Sqm or 1.86 Hectare	-	0.40 Hectare	0.40 Hectare		= 3.6 - 0.14 Available land = 3.46	
TOTAL CD-XIII															439.01	
Total Projected Land Area FC-IV															1580.23	
TOTAL AREA (FC-I + FC-II + FC-III + FC-IV)															2252.10	

ANNEXURE – II (c) : Detail of Effluent Irrigation System

I. Keshopur Effluent Irrigation System (KEIS)

The Irrigation Network under Civil Division No. XII also known as Keshopur effluent irrigation system (KEIS) consists of irrigation Channels and Minors and feeder channels spanning across a total length of 30.40 Km to take the effluent treated water from Keshopur Sewerage treatment Plant of Delhi Jal Board, thereafter being supplied by pumping through Keshopur Pump House and Tilangpur Kotla Pump House throughout the year for agricultural land for Irrigation in the Villages Nilothi, Ranhola, Mundka, Tilangpur Kotla, Baprola, Bakkarwala, Dichaonkalan, Hirankudna and Neelwal in Dist. West of Delhi. The total area irrigated is approximately 1630 Acres. A road network comprising of inspection path with cumulative length of approximately 20.00 Km also exist along the irrigation channels and minors to facilitates watch and ward, day to day repair maintenance etc. in r/o the irrigation network which are also being used by local residents for daily commuting. The discharge of 180 cusecs is conveyed and distributed through above Irrigation Network System for irrigating the said agriculture land.

II. Coronation Effluent Irrigation System at Burari (CTP)

The Irrigation Network under Civil Division No.VII also known as Effluent Irrigation System for Burari Area consists of irrigation Channels and Minors and feeder channels spanning across a total length of 17.37 Km to take the effluent treated water from Coronation Pillar Sewage Treatment Phase-I&II (20 MGD), Phase-III (10 MGD) of DJB, Near Coronation Park of Delhi Jal Board, thereafter being supplied by pumping through Pump House at Burari throughout the year for agricultural land for Irrigation in the Villages Burari, Jharoda, Bhalaswa, Mukundpur, Kadipur, Ibrahimpur in Dist. West of Delhi. The total area irrigated is approximately 325 Acres. A road network comprising of inspection path with cumulative length of approximately 17.37 Km also exist along the irrigation channels and minors to facilitates watch and ward, day to day repair maintenance etc. in r/o the irrigation network which are also being used by local residents for daily commuting. The discharge of 20 cusecs is conveyed and distributed through above Irrigation Network System for irrigating the said agriculture land.


III. Okhla Effluent Irrigation System

The Irrigation Network under Civil Division No. V also known as Okhla effluent irrigation system consists of irrigation Channel spanning across a total length of 05.00 Km to take the effluent treated water from Okhla Sewerage Treatment Plant of Delhi Jal Board, thereafter being supplied for Irrigation in the Villages Ali, Mandapur Khadar & Jaitpur in District (South-East) of Delhi. The total area irrigated is approximately 500 Acres day-to-day repair maintenance etc. in r/o the irrigation network which are also being used by local residents for daily commuting. The discharge of 20 cusecs is conveyed and distributed through above Irrigation Network System for irrigating the said agriculture land.

Conclusion:

Due to rapid urbanization in Delhi Territory, thereby the agriculture land area in Delhi is diminishing, therefore, the necessity of remodelling / expansion of above Effluent Irrigation Systems is not envisaged.

Key Plan of Effluent Irrigations Systems:



I&FC Deptt. Govt. of NCT of Delhi



ANNEXURE III: SERVICE PLAN - DELHI CANTONMENT BOARD (DCB)



दिल्ली छावनी परिषद
DELHI CANTONMENT BOARD
सदर बाज़ार, दिल्ली छावनी- 110010
Sadar Bazar, Delhi Cantt - 110010

हर काम देश के नाम



Tel. No.: 011-25693837, 25695450 |✉: ceodelhicantt@gmail.com |🌐: www.delhi.cantt.gov.in

No.DCB/IT/SWM-AP/2020

Dated: 21.01.2021

To

The Vice President
Delhi Development Authority
Vikas Sadan, I.N.A.
New Delhi - 110023

Subject: Service Plan for Municipal Solid Waste Management

Sir

Reference your DO letter No. PS/VC/DDA/2021/10 dated 12.01.2021.

2. Vide above referred DO letter, this office was directed to submit Service Plan for Municipal Solid Waste Management. The Service Plan for Delhi Cantonment Board Municipal Solid Waste Management is annexed herewith as **Annexure-A**.
3. This is for information please.

Yours faithfully,

Chief Executive Officer
Delhi Cantonment
(SVR Chandra Sekhar)

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041
AGENCY: DELHI CANTONMENT BOARD

1. BACKGROUND - DELHI CANTONMENT BOARD

The administration of Delhi cantonment is carried out through a Board, which has 16 members, out of which 08 are nominated/ Ex-officio members and 08 members are elected by the public residing in civil as well as military area. The civil and military populations reside in different pockets in the cantonment. The needs and challenges of both pockets differ from each other in respect of solid waste management.

Basic information about Delhi Cantonment Board is mentioned below:

S. No.	Item	Details
1	Year of establishment	1914
2	Total Area	10452 Acres
3	Total Population (Census 2011)	1,10,351
4	No. of wards	08
5	Commercial areas	02
6	Urban Villages	06
7	Schools	16
8	Slums	02
9	Length of Roads	50.60 km
10	Hospital/ Dispensaries	04
11	Parks	17

2. SOLID WASTE GENERATION IN DELHI CANTONMENT BOARD

1	SOILD WASTE GENERATION - Current status			
	S. NO	Item	Details	
	1	Total solid waste generated per day	68 MT	
	2	Waste generated from civil area per day	23 MT	12 MT Dry waste
				11 MT Wet waste
	3	Waste generated from Army area per day	45 MT	24 MT Dry waste
	4	Total Dry waste processed per day in waste to energy Plant at Okhla	30 MT	
	5	Wet waste processed per day in waste to energy plant at Okhla	07 MT	
	6	Waste dumped in Landfill site at Okhla per day	31 MT	
CIVIL AREA - Current status				
<ol style="list-style-type: none"> The Household waste is segregated into wet & dry streams at source. Approx. 95% segregation at source has been achieved so far. All the waste collected from civil area is transferred to different Waste Transfer Centers (WTCs). All the WTCs have been designed for the temporary storage of dry & wet waste, as separate fractions. Rag pickers have been integrated into the system to pick up recyclable items, from the 				

	waste collected at the WTC's.	
2	ACTION PLAN FOR SEGREGATION AT SOURCE - MUNICIPAL SOLID WASTE	
	CIVIL AREA	ARMY AREA
	<p>It is estimated that Municipal Solid Waste likely to be generated from civil area by 2041 will be 37 MT per day. The challenge before the Board is to maintain the level of source segregation in civil area. For this, the following exercise is being undertaken on regular basis:</p> <ol style="list-style-type: none"> Two sanitary guides accompany the door-to-door collection vehicle, they make announcement and make sure that only segregated waste is collected. A register is maintained to keep a check on those residents who are not handing over segregated waste. The repeated offenders to be penalized according to the provisions of Delhi Cantonment Board solid waste Management Bye-Laws. Regular interaction with residents and awareness campaigns in the form of street play, mohalla meeting etc. is organized to keep the residents aware and motivated on source segregation. Formal training is being imparted to Rag pickers/ Safaiwalas to improve the level segregation on monthly basis. The rag pickers were issued separate I- cards and have been successfully integrated into the system. 	<p>The population of army area is mostly comprised of army troops. Therefore, it is estimated that there will be no difference in the quantity of Municipal solid waste generated today and which is likely to be generated in 2041.</p> <ol style="list-style-type: none"> A system is being worked out for on-site composting of food waste generated by transit camps, officer's messes, community kitchens of army units and institutes. Further, it is proposed that army authorities will be asked to install decentralized composting machines. This step shall considerably reduce the problem of segregation at source, which in turn would lessen the amount of non-recyclable waste being transported to the landfill site at Okhla. It has been decided that station headquarters and Delhi Cantonment Board will sensitize RWAs, existing in the army area, to segregate and process the wet waste in their own compound.
3	MUNICIPAL SOLID WASTE COLLECTION	
	CIVIL AREA	ARMY AREA
	<p>For civil area, 14 door-to-door vehicles are deployed for collecting both dry and wet waste, which is segregated at household level. These vehicles have been suitably modified to carry the solid waste in segregated form. A few salient aspects of door to door collection are as under:</p> <ol style="list-style-type: none"> All vehicles have been fitted with tracking system (GPS) Announcement system with specific message for segregation has been incorporated. The staff has been deployed ward wise for the collection of segregated waste at source. The mobile numbers of the staff have been made public to ensure transparency and commitment of Delhi Cantonment Board. 	<p>For Army area, 27 vehicles have been deployed to collect the solid waste. Separate bins have been provided for dry and wet waste. The waste collected from the army area is directly taken to the processing plant and landfill site at Okhla.</p>

3. MANAGEMENT STRATEGY

3.1. DETAILS OF SORTING AND MATERIAL RECOVERY FACILITY

There are eleven secondary storage points, with the facility of separate storage of dry and wet waste, within the territorial jurisdiction of Delhi Cantonment Board. Out of this, one secondary storage point at Tigris Road has been converted into sorting and material recovery facility with capacity to handle 30 MT waste daily. Further, rag pickers have been integrated into the system to pick up recyclable items, from the waste stored at Tigris Road. Accordingly, two more material recovery facilities will be developed to meet the need, which will arise in 2041.

3.2. DETAILS OF PROCESSING OF SOLID WASTE

All the waste after collection is moved to waste transfer centers, where the recyclable waste is retrieved. Therefore, the solid waste is carried by respective vehicles to Okhla. On average, approximately 30 MT of dry waste and 7 MT of wet waste are disposed in the Waste to Energy and Waste to Compost plants respectively. The processing of waste at Okhla is done under the management of South Delhi Municipal Corporation. Only 31 MT of solid waste is being dumped at the landfill site at Okhla. 100% of solid waste, which is generated in Delhi Cantonment, is either processed or dumped at the landfill site, on a daily basis.

A pilot project exclusively for the processing of food waste generated from market area, with a total capacity of 175 Kg, is fully functional for the last 2 years in the WTC at Tigris Road.

It is also proposed that 4 to 5 sorting- cum- compositing machine, with a capacity of 10 MT each will be installed at different locations, within 4 years, to handle the wet waste generated within the territorial jurisdiction of Delhi Cantonment Board.

3.3. DETAILS OF MANAGEMENT OF PLASTIC WASTE

There is a complete ban on the use polythene bags of less than 50-micron thickness. The Assistant Sanitary Inspectors keep a regular check in market area and also impose fine if someone is found in violation.

A committee has also constituted to identify and replace specific items of non-biodegradable plastic like plastic straw, plastic spoon disposable plastic glass, plastic plates etc. with biodegradable items. These processes of replacement of non-biodegradable plastic items have been successfully achieved in Gopinath Bazar & the committee keeps visiting the commercial areas for ensuring that people and shop keeper get habituated for such practice.

A baling machine has been installed in the waste transfer centre at Tigris Road, for making bales of plastic and polythene waste material, for ease of handling/ disposal through the rag pickers.

3.4. DETAILS OF MANAGEMENT OF HORTICULTURE WASTE

A total of 17 parks of various sizes are being maintained in the Cantonment area. All the parks have been provided with pits for collection of horticulture waste.

The horticulture waste is further carried to the nearest shredding machine, four of which have been installed in different areas of the cantonment. The shredded horticulture waste is converted into compost in the natural process, duly augmented with the spray of appropriate quantity of EVM. The compost generated is being utilized within its geographical limits.

3.5. DETAILS OF MANAGEMENT OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION (C&D) WASTE

- a) On an average up to 1.0 metric tons of C&D, waste is generated in Delhi Cantonment area, on daily basis.
- b) A central storage facility for C&D waste has been created in Jharera village for temporary holding of the same before further disposal.
- c) The C&D waste is transported from the central storage facility to the processing facility setup at Shastri Park by IL&FS, under the management of EDMC.
- d) Explicit directions have been issued to all contractors working under Delhi cantonment Board, as well as Military Engineering services (MES), to follow the above procedure for the disposal of C & D waste.
- e) Vulnerable areas have been put under CCTV surveillance to prevent dumping at unauthorized sites.
- f) Punitive action is promptly taken against the defaulters.

ANNEXURE IV: SERVICE PLAN - EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION (EDMC)



EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION

Office of Chief Engineer SHN/(EMS)/HQ
419, Udyog Sadan Patpar Ganj Indl. Area,
Delhi-110092 Phone No. 011-66667504



No.: CE-HQ/EMS/SHN/EDMC/2020-21/D- 697

Dated: 20/11/2021

To,
Commissioner (Planning)
Delhi Development Authority
5th Floor, Vikas Minar,
New Delhi-110002

Subject:- Service Plan for Municipal Solid Waste Management

Please refer the D.O. Letter No. PS / VC / DDA / 2021 / 07 dated 11.01.2021 from V.C. DDA to Commissioner EDMC vide which it was requested to share service plan for Municipal Solid Waste Management.

In this connection it is submitted that The Hon'ble Supreme Court vide its orders dated 17.08.2018, in the matter of SWM (C) No. (S) 1/2015 in re: Outrage as Parents End Life After Child's Dengue Death, had directed the Lt. Governor of Delhi to constitute a Committee to go in depth into all aspects of solid waste management in Delhi including cleaning up the dumpsites in Gazipur, Bhalswaand Okhla and frame a workable and implementable policy.

Accordingly, the said committee had already submitted its report to Hon'ble Supreme Court. On the suggestions and direction of the Committee, EDMC has outsourced Door to Door Collection and Transportation of Municipal Solid Waste to processing facility / landfill for entire EDMC under Public Private Partnership (the "PPP") mode on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (the "DBFOT") basis"

EDMC already has one 1300 TPD Waste to Energy Plant, one 1000 TPD C&D Waste processing plant, 10 nos one TPD accelerated composters, 02 nos five TPD bio-methnation plant and 10 TPD one number XAPPER Machine for decentralized processing the waste.

EDMC is also developing one 2000 TPD integrated facility waste management facility which will have one 600 TPD WIE plant for combustible waste, 1200 TPD Bio-methnation plant for wet waste and 200 TPD C&D waste processing plant for inert waste at Ghonda Gujran in association with NTPC and likely to be operational by September, 2022 through joint venture company NEWS. In addition 3 nos. 1 TPD accelerated compost plants are under installation.

East Delhi Municipal Corporation is maintaining is one sanitary landfill at Ghazipur spread over in area of about 70 acres having over 140 lac tonne legacy waste. Approximate 2000-2200 MT fresh / residue MSW is received daily. Recently, EDMC has started processing of legacy waste through excavating, windrowing, drying, segregating through different size of trommels. The outputs are C&D waste, combustible waste like RDF, filling inert material of size 6 to 30mm and soil like inert material of less than 6mm size. Till date over 3.7 lacs tonne of legacy waste has already being processed through 15 trommels with approximate 3000 TPD capacity. The same will be increased as per the Action Plan attached in the template. The land so reclaimed will be use for waste management facilities as Technology park show casing different technologies of wet waste and recyclable waste.

Further, EDMC has planned processing of wet waste through decentralized processing by installing 20 nos. bio-methnation plant at different location depending upon availability of land and funds. The detailed IEC plan has been prepared for Door-to-Door segregated collection of waste with the help of local through ward wise Safai Nigrani Samities headed by DC of the Zone with local Councilor.

The information in the template as desired is attached.

Encl: as above

Pu
20/11/2021
Chief Engineer (HQ)
East Delhi Municipal Corporation

Copy for kind information to:-

1. VC, DDA
2. OSD to Commissioner for information to Commissioner
3. E-in-C
4. Office Copy

Pu
20/11/2021
Chief Engineer (HQ)

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041
AGENCY: EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION

1. MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT (MSWM)

Aspect	Information required
Generation	Presently – 2600 TPD By 2040 – 6000 TPD
	Present estimations of Green waste – 1300 TPD Dry waste – 30 % and inert – 20% By 2040 Green waste – 3000 TPD Dry waste – 30 % and inert – 20%
Management strategy	Separate management plans (collection, segregation and processing) for: <ul style="list-style-type: none"> • Green Waste • Reusable Waste • Inert EDMC outsourced door-to-door collection of segregated waste collection and expected to achieve segregated collection by March 2021 and processing 2000 TPD- integrated facility at Ghonda Gujran by 2022. 1200 TPD - waste processing through bio - methanization.
	Management plans to include information regarding the following aspects: 1. Improving collection, segregation efficiency at local level (RWA/Mohalla/Market association/Solid waste zone/Wards etc.) EDMC has outsourced collection and transportation of Municipal Solid waste and Street Sweeping waste and any other solid waste specified by East DMC from time to time as per MSW Rules 2016. Broadly the work includes primary collection and transportation of Municipal solid waste (MSW) and street sweeping waste in segregated manner from households, slums, informal settlements, commercial, institutional and other non- residential premises, multi storied buildings, large commercial complexes, malls, housing complexes.
	2. Maximizing wet waste processing (e.g., Composting, Bio-methanation etc.) locally <ul style="list-style-type: none"> • Decentralized accelerated composting, presently, 10 numbers of 1 TPD capacity are operational and 02 plants of capacity 1 TPD are under progress • Home composting – 50 TPD • Decentralized Bio-methanation – 5 TPD (02 in numbers are operational), 10 TPD (01 in number is in progress) • Target: Decentralized accelerated composting, 20 numbers of 1 TPD • Decentralized Bio- methanation, 10 numbers of 5 TPD • 1 Material Recovery Facility (MRF) in each ward i.e. 64 numbers • Centralized Bio-methanation – 1200 TPD by September 2022 (a joint venture company is already been formed with NTPC)
	3. Improving sorting and material recovery (MPD will recommend re-purposing of dhalao as material recovery facilities at the decentralized level) etc.

	<ul style="list-style-type: none"> EDMC propose 01 MRF centre in each ward deals with recyclable material under process. Details of existing/ proposed processing facilities on already allotted land. <table border="1"> <tr> <td>Shastri Park</td> <td>C & D Plant- 1000 MT- operational</td> </tr> <tr> <td>Vinod Nagar</td> <td>Workshop/ Parking - operational</td> </tr> <tr> <td>Geeta Colony</td> <td>Workshop/ Parking - operational</td> </tr> <tr> <td>Singhola (Narela)</td> <td>Disposal of silt- operational</td> </tr> </table>	Shastri Park	C & D Plant- 1000 MT- operational	Vinod Nagar	Workshop/ Parking - operational	Geeta Colony	Workshop/ Parking - operational	Singhola (Narela)	Disposal of silt- operational
Shastri Park	C & D Plant- 1000 MT- operational								
Vinod Nagar	Workshop/ Parking - operational								
Geeta Colony	Workshop/ Parking - operational								
Singhola (Narela)	Disposal of silt- operational								
	<p>4. Reclamation of landfill sites and reuse/recycle of legacy waste</p> <ul style="list-style-type: none"> Action plan for clearing legacy waste at Gazipur dumpsite is attached herewith as Annexure – IV (a). After reclamation, land will be used for Technology Park showcasing all the technologies of wet waste processing and recycling of waste. <p>5. Conversion of existing landfills to engineered/scientific landfills</p> <ul style="list-style-type: none"> There is no such type of proposal, however, whenever land is provided that will be constructed as engineered/ scientific landfills. 								
Special plans for:	<p>Integration of informal sector in core SWM system (for improved management vis-a-vis ensuring safety, hygiene and healthy work conditions for the workers).</p> <p>EDMC to establish a system to recognize organizations of waste pickers or informal waste collectors and promote and establish a system for integration of these authorized waste pickers and waste collectors to facilitate their participation in solid waste management including door to door collection of waste.</p>								
	<p>Marketing strategies for compost and other reusable/recycled products</p> <p>As there is less amount of compost produce from plant, the whole quantity of compost is being utilized in, Municipal parks and gardens generated from waste in EDMC area. There shall also be a provision for the households to directly deposit or sell their recyclable waste to Kabadiwala/ secondary market and deposit sales realizations in ESCROW account of EDMC and this amount of EDMC and this amount will be used for payment of collection of garbage.</p>								
	<p>Awareness, capacity building and behavioural changes programs</p> <p>Annexure – IV (b)</p>								
Other information	<p>Key infrastructure or special projects proposed for the plan period, along with details of projects and their timelines</p> <p>2000 TPD Integrated facility waste management and Energy Generation facility will be developed at Ghonda Gujran by September 2022 as a JV between NTPC & EDMC</p> <p>Details of existing/ proposed processing facilities on already allotted land is attached as Annexure – IV (c)</p> <p>Future land requirement (if any) for scientific (engineered) landfill sites, provided only inert are to be dumped</p> <p>Land is required for Engineered/ Scientific Landfills, in future.</p> <p>At Sonia Vihar 100 acre of land is required for disposal of reject/ inert of capacity 200 TPD for 20 Years. This land belongs to DDA.</p>								

2. Key targets that will be included in MPD 41 Action Plan:

Component	Current status	Target for 2041	Phasing Plan			
MSW collection efficiency	100 %	100%	Nil			
MSW segregation efficiency	25 %	100 %	Settlement Pattern	20 % (To be accomplished)	50 % (To be accomplished)	80 % (To be accomplished)
			CGHS and Bulk generators	September 2021	Dec, 2021	March, 2022
			Planned Colonies	September 2021	Dec, 2021	March, 2022
			Un-planned colonies	September 2021	Dec, 2021	March, 2022
			JJ Clusters	September 2021	Dec, 2021	March, 2022
Percentage of green waste processed (e.g. composted or any other processing method) locally	10 %	100 %	In first year – 10% In the 5 th year- 25% In the 10 th year – 100%			
Percentage of recyclable waste sent to recycling centres/industry	-	100 %	In first year – 15% In the 5 th year- 50% In the 10 th year – 100%			
Identification and listing of informal waste workers and units (recyclers, kabariwalas, rag pickers etc.)			List of informal waste workers / Kabadiwalas prepared			
Percentage of identified informal waste workers and units integrated with the formal MSW management plan	10 %	100 %	March - 2022			
Reduction in waste going to land fill sites	50 %	90 %	By September - 2022			
Reclamation of land fill sites (greening and processing of legacy wastes)			140 MT as per action plan attached			

Annexure – IV (a) : ACTION PLAN FOR CLEARING LEGACY WASTE AT GHAZIPUR DUMP SITE

East Delhi Municipal Corporation is maintaining a Sanitary Land Fill (SLF) near NH-24. This SLF site is spread in about 70 acres of Land. About 2000-22090 MT fresh MSW is received daily and about 3000, MT (as an average) of legacy waste is being processed daily. About 3.00 lac MT of legacy waste has been processed at SLF Ghazipur dumpsite. Time line to clear legacy waste of 140.00 lac MT is as follows:

Sr. No.	No. of Trommels/ Equivalent Machines	Month	Daily Qty. Of processed legacy waste (MT)	Monthly Qty. Of processed legacy waste (MT)	Quarterly Qty. Of processed legacy waste (MT)	Cumulative Qty. Of processed legacy waste (MT)	Balance Qty. Of Legacy Waste (MT)
1	15 (10 no. -30mm & 5 no. - 6mm)	01.12.2020	3000	84000	0	300000	13700000
2	15 (10 no. -30mm & 5 no. - 6mm)	01.04.2021	3000	84000	336000	636000	13364000
3	27 (18 no. -30mm & 9 no. - 6mm)	01.07.2021	5400	151200	453600	1089600	12910400
4	39 (26 no. -30mm & 13 no. - 6mm)	01.10.2021	7800	218400	655200	1744800	12255200
5	42 (28 no. -30mm & 14 no. - 6mm)	01.01.2022	8400	235200	705600	2450400	11549600
6	42 (28 no. -30mm & 14 no. - 6mm)	01.04.2022	8400	235200	705600	3156000	10844000
7	42 (28 no. -30mm & 14 no. - 6mm)	01.07.2022	8400	235200	705600	3861600	10138400
8	45 (30no. -30mm & 15 no. - 6mm)	01.10.2022	9000	252000	756000	4617600	9382400
9	51 (34 no. -30mm & 17 no. - 6mm)	01.01.2023	10200	285600	856800	5474400	8525600
10	57 (39 no. -30mm & 18 no. - 6mm)	01.04.2023	11400	319200	957600	6432000	7568000
11	63 (42 no. -30mm & 21 no. - 6mm)	01.07.2023	12600	352800	1058400	7490400	6508600
12	66 (44 no. -30mm & 22 no. - 6mm)	01.10.2023	13200	369600	1108800	8599200	5400800
13	72 (48 no. -30mm & 24 no. - 6mm)	01.01.2024	14400	403200	1209600	9808800	4191200
14	78 (52 no. -30mm & 26 no. - 6mm)	01.04.2024	15600	436800	1310400	11119200	2880800
15	84 (56 no. -30mm & 28 no. - 6mm)	01.07.2024	16800	470400	1411200	12530400	1469800
16	87 (58 no. -30mm & 29 no. - 6mm)	01.10.2024	17400	487200	1461600	13992000	8000
17	87 (58 no. -30mm & 29 no. - 6mm)	31.12.2024	17400	487200	1461600	15453600	-1453600

1. 25% of legacy waste will be processed by March-2022.
2. 50% of legacy waste will be processed by March-2023.
3. 75% of legacy waste will be processed by March-2024.
4. 100% of legacy waste will be processed by December-2024.

EDMC is making all efforts to achieve all the above mentioned timeline but there are some constraints as below:

1. As the garbage at SLF site Ghazipur has attained the height of about 65 mtrs. and no space available at ground. EDMC has creating space above the garbage at certain locations for installation of trommels. The trommels are being installed after clearing/ processing a stretch of legacy waste and constructing platform over the legacy waste. Installing the trommels in this way, EDMC has been installed 15 nos. trommels of 300 TPD each at SLF site Ghazipur.
2. At SLF site Ghazipur no space is available for stacking of segregated material.
3. Monsoon period and Winter Season reduces the efficiency of processing the legacy waste.
4. Practical problems like break down of machines/ power supply also hampers the progress.
5. EDMC is densely populated and there is no space for filling of this soil like inert material in such a huge quantity. However EDMC is making all out efforts with other agencies and also signed an MoU with NHAI to use this soil like material in their road construction in 2016 but till date no headway achieved. Earlier EDMC has proposed DDA to construct a missing portion of bund between ISBT to Wazirabad Road on Eastern Bank of Yamuna River. In response to this DDA has informed that this matter will be taken up with PWD & I&FC department of GNCTD. Matter has been taken up with these departments for construction of bund on priority.
6. For disposal of RDF matter is being taken up with cement industries as per the RDF utilization policy of Govt. of India.
7. About 12 mtrs. height in certain stretches of dump has been reduced by biomining and efforts are being made to increase the number of trommels to further reduce the height of dump.

Assistance Required for achieving the target:

- NHAI may be asked to expedite their tender for utilization of processed legacy waste.
- Other agencies like this PWD, DSIDC, I&FC, DDA, Northern Railway, DMRC, NBCC, NHAI may be asked for utilization of soil like inert material in low lying area under their jurisdiction.
- PWD & I&FC may be asked to expedite the construction of missing portion of bund on the eastern side of Yamuna River.
- For transporting of the processed legacy waste environmental cess may be waived off.


Executive Engineer (SLF)

The objective of the Solid Waste Management project designed is to modernize the waste management process, and thus reduce the waste collected in Dhalao, Street Corner Bins and Open Sites. For this purpose, emphasis has been laid for door-to-door collection of waste/street level collection of waste and vehicle-to-vehicle transfer of waste for transportation.

To introduce 3 Rs (Reduce, Re-use and Recycle) so as to reduce the load of disposal of solid waste. For this purpose, the concept of segregation of waste (dry and wet) at household level, separate waste handling chain for different kind of waste and recycling centers at ward level have been envisaged.

The Citizen being one of the most important stakeholder in the project, due emphasis is required to have an IEC strategy for increased participation of citizens and residents.

The IEC strategy shall be prepared with an objective to create awareness among target audience and ensure public participation in the municipal solid waste management program envisaged.

This IEC strategy would provide the framework and facilitate EAST DMC to address the communication needs related to implementation of sanitation and waste management in the city.

The main objectives of developing and implementing the IEC campaign are to change the attitude and behavior of the target audience through:

- Increasing level of awareness on the concept of waste accumulation and the way it affects their lives.
- Inducing the waste generators to adopt modern waste management system introduced by EAST DMC such as segregation of waste as 'Dry & Wet Waste' at source, usage of 'door-to-door' and 'street level' collection systems, storage of segregated waste in separate bins, separation of hazardous waste from the regular wastes and safe disposal of all the segregated waste as per the designed waste management system.
- Sharing information about the waste management system placed by the municipal corporation like schedule of collection of different kinds wastes,

free and chargeable facilities, change or update in any fixed schedule/s or route/s, emergency or on-demand facilities, complaint redressal numbers, customer care centres etc.

- Promoting public participation in the successful operation and maintenance of waste management system through sensitisation of citizens, RWAs, Traders Associations, etc.
- Propagating the message that the "Clean City" is a pride of every citizen.
- Approaching Zero Waste situation in due course

1.1. IEC Strategy adopted by East DMC

- a. The East DMC shall its own cost engage a-Consultant to aid and advise the East DMC for carrying out the media campaign.
- b. East DMC to procure all material for providing IEC campaign its own cost
- c. EDMC to implement the IEC campaign.

1.2. Roles of various Agencies

a. Communication Strategy Partner (CSP)/Consultant

- Prepare an IEC strategy for 2040 and budget estimates for the same.
- Define role of East DMC, and CSP in the IEC campaign.
- Prepare suitable strategies for various target groups such as different housing groups (LIG/HIG/MIG/JJ Clusters/ Villages/ Resettlement Colonies/Unauthorized / Commercial Area/ Markets/ daily markets/ SabziMandi/ School and College students etc.
- Establish two way communication mechanisms with stakeholders of the project such as citizens, the media, RWAs/Trade Organizations on one hand and the implementing agencies & EDMC on the other hand.
- Prepare and design Short Films, Advertisement Campaign, Posters, Brochures, Flax, Hoardings, Pamphlets, Stickers, Radio jingles, etc. for the campaign
- Monitor quality and accuracy of contents of the advertisement material
- Lay out ward wise annual plan for conducting campaign events such as: meetings, workshops, street corner plays, movies etc. Detailing number of event content, schedule, target group which are to be conducted by

the Concessionaire in association with RWAs/Trade Associations/ School and collage Managements/ NGOs and East DMC, etc.

- Train resource persons from the East DMC, RWA/ Trade Associations etc. for propagating awareness
- Conduct workshops for staff East DMC and training them by using manuals and other IEC materials
- Any other activity as may be approved by East DMC.

b. The Role of EAST DMC

- Provide all advertising and campaign material to the Concessionaire at its own cost for the IEC campaign during entire concession period
- Printing of campaign materials like brochures, posters, stickers etc., at its own cost and making them available to concessionaires as per plan provided by CSP
- Pursue with various media including cinema halls in public interest to create awareness.
- Issue of Advertisements, Films, Radio Jingles etc., to media at its own cost
- Identifying resource person from the EAST DMC / any other local organizations and training them to propagate awareness amongst staff on continuous basis
- Conducting orientation programs for line department staff.
- Attend events organized EDMC.

Annexure – IV (c) : DETAILS OF EXISTING/PROPOSED PROCESSING FACILITIES ON ALREADY ALLOTTED LAND

Page | 1 Land requirement for various activities for solid waste management upto 2050

Name of Local Body :- East Delhi Municipal Corporation

Present solid waste generation (in MT) :- 2600

Expected solid waste generation 2025(in MT) :- 4000

Expected solid waste generation 2030(in MT) :- 5000

Expected solid waste generation 2040(in MT) :- 6000

Expected solid waste generation 2050(in MT) :- 7500

Details of existing/proposed processing facilities on already allotted land

S. No	Location	Land Owning agency	Area in Acres	Year of allotment	Details of facilities		Present Status	Remarks
					Type	Capacity (in MT)		
1.	Ghazipur	Delhi Govt.	5.6	2008	Waste to Energy	1300	Operational	PPP Facility upto 2035
2.	Shastri Park	DDA	5	2018	C&D Plant	1000	Operational	PPP upto 2030
3.	Vinod Nagar	DDA	2.88	2014	Workshop/ Parking	-	Operational	PPP upto 2029
4.	Geeta Colony	DDA	9.55	2018	Workshop/Parking	-	Operational	PPP upto 2029 not started due to public resistance/ court order
5.	Singhola (Narela)	DDA	7.2	2018	Disposal of Silt	-	Operational	Saturated
6.	Ghonda Gujran	DDA	42.5	2019	Integrated waste management facilities	2000	Under process	To be developed with NTPC and likely to be operational by 2022
Total processing capacity of SWM present /proposed (in MT)						1300/3300		

Details of existing /proposed landfill on already allotted land

S. no	Location	Land Owning agency	Area in Acres	Year of allotment	Present Status	Remarks
1.	Ghazipur	DDA	70	1984	over saturated	Remediation work started

Details of land requirement for future activities in phases upto 2050

S. no	Location	Land Owning agency	Land Requirement (Area in Acres)	Purpose	Capacity	Time for start of operation after allotment	Remarks
1.	Sonia Vihar	DDA	100	Disposal of rejects/inert	200 TPD For 20 Years	18 Months	
2.	CBD Ground Karkardoma	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
3.	CBD ground Karkardooma	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	Accelerated
4.	Near Paper Mkt. Ghazipur.	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
5.	Behind MC Pry. School Khichripur.	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	

6	Near Karkardoom Metro Station	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
7	Infront of Chand Cinema Kalyanpuri.	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
8	Behind Buland Maszid Shastri Park	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
9	Near red fox Hospital	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
10	Open Land in between Jhilmil drain and ITI Vivek Vihar Boundary	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
11	D-Block Krishna Nagar.	DDA	2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
12	Ambedkar Park DDA land Ghazipur Village		3	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
13	50 TPD Biomethanization with gas		2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
14	Shastri Park DDA road		2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
15	Sewa Dham road behind open		2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
16	Safeda Park		2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
17	Old Police Station Khajuri		2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
18	In front of furniture centre		2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
19	Behind gagan Cinema		2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	
20	Vacant Plot behind Suraksha Nursing Home		2	Bio-methanization plant/ Accelerated composting / MRF	10-50 TPD	18 Months	

Details of low lying area identified for disposal of inert from legacy waste

S. no	Location	Land Owning agency/ Embankment filling	Land available in Acres	Estimated Volume of filling (In CuM)	Time for filling	remarks
1.	Area behind Dayanand Vihar upto Railway Line	DDA	Over 100 acres	80000	12 months	
2.	Shastri Park District Centre & Facility Centre	DDA	Appx. 40 acres	20000	6 months	
3.	Central Business District Shashdara	DDA	Appx. 50 acres	25000	6months	
4.	Near College of Wazirabad Road:	DDA	Appx. 10 acres	50000	12 months	
5.	RPF camp, Police Line	DDA/Delhi Police	Appx. 60 acres	50000	12 months	
6.	Low lying area along Meerut Expressway towards	DDA	Appx. 2 acres	20000	3 months	

	Akshardham					
7.	Site opposite Kondli STP near Noida Border at Kondli.	DDA	Appx. 8 acres	70000	12 months	
8.	Mandoli Extension	DDA	Appx. 10 acres	75000	12months	
9.	Land for district Centre at Dilshad Guarden	DDA	Appx. 12 acres	50000	12 months	
10.	Mayur Vihar Ph-II facility cum shoping centre opposite Chand Cinema		Appx. 20 acres	100000	10 month	

ANNEXURE V: SERVICE PLAN - SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION (SDMC)

GYANESH BHARTI

IAS

Commissioner



SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
Dr. SPM Civic Centre, 9th Floor (E1 Block)
Jawaharlal Nehru Marg
New Delhi-110 002

Phones : 011-23225901-5902
Fax : 011-23225903

D.O. NO.D-027/COM/SDMC/2021
Dated: 28/01/2021

अति० आयुक्त (सो०)-II
डावरी सं० 75
दिनांक 11/2/2021

आयुक्त (योजना) कार्यालय
डावरी सं० I-123
दिनांक 29.1.2021

VC Office
Dy. No. 21-DA
Dated 28/1/21

Respected Sir,

Kindly refer to your d.o. letter No.PS/VC/DDA/2021/05 dated 11th January, 2021 regarding submission of Service Plan with regard to Municipal Solid Waste Management (MSWM) for preparation of Master Plan for Delhi 2041.

As desired, a copy of the said Service Plan for MSW Management, in the desired template, is enclosed.

With Regds

Yours sincerely,

(GYANESH BHARTI)

डावरी संख्या 45
दिनांक 01/02/2021
उप-निदेशक (योजना) एच.सी.एन.आर., डी.डी.ए.

Com. (P/G)
Shri Anurag Jain
Encl : as above

Shri Anurag Jain,
Vice Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan, INA
New Delhi-110023.

11/2/2021
AC (PA) / II

J.B.
02/01/2021

D.O. (reg) / MMA

Kindly Share it with NCHA.

AD (Pg) - II, MMA
09/02/2021
Ms. Nisha, PA

Dravid
08/02/2021

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041
AGENCY: SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION

1. MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT IN SDMC:

Aspect	Information Required
Generation	<p>Approx. 7000 TPD in 2040-41</p> <p>Estimated green waste- (biodegradable waste): @36%= 2520 TPD</p> <p>Estimated dry waste: @34% = 2380 TPD (Reusable waste paper, textile, plastic and rubber)</p> <p>Inert material @30% = 2100 TPD)</p>
Management strategy	<p>(Collection, segregation and processing)</p> <p>Door to door collection, segregation of green waste (biodegradable waste) and reusable waste through concessionaires and involvement of waste pickers in all four zones of SDMC. Green waste is being processed at Compost Plant Okhla, decentralization bio-methanation plants and through home composting.</p> <p>Inert (C&D waste) is collected in two zones at ward level through concessionaires/private contractors and the same is being processed at Bakarwala C&D waste plant and proposed C&D waste plant. Another C&D waste processing facility is proposed at Maidan garhi/Tehkhand for South zone and Central zone.</p> <p>(Improving collection and segregation efficiency) RWA/ Mohalla/ Market association/ Solid waste zone/Wards etc.)</p> <p>Improving collection, segregation efficiency at ward level by awareness through public notices in newspapers, distribution of pamphlets, radios, nukkad nataks, education in schools, and interaction with RWAs through concessionaries by involvement of waste pickers. Interaction with RWAs through concessionaires by involvement of waste pickers.</p> <p>Wet waste is processed through composting at Compost plant, bio-methanation plants and decentralization composting at ward level. Three, 1 TPD and 5 TPD plants are presently functioning. One, 1 TPD and 5 TPD are under construction. However, such plants are proposed subject to availability of land. Further, ward composting has been started locally through pits.</p> <p>Material Recovery Facility (MRF) to be setup at ward level for sorting of waste material at FCTS/Dhalaos.</p> <p>Some dhalaos where is possible will be used as material recovery facilities at ward level.</p> <p>Reclamation of landfill site at Okhla (dumpsite) is being done through bio mining of legacy waste.</p> <p>Reuse/Recyclable of legacy waste is being utilized is as under: - Refuse Derived Fuel (RDF): - Waste to Energy plant Okhla and private industries.</p>

	<p>Inert: - NTPC Eco park and Tajpur pit.</p> <p>C&D waste: - At SLF Okhla to cover the dumped waste and making of approaches.</p>
	<p>After completion of bio-mining/remediation of legacy, waste at existing SLF Okhla (dumpsite) will be converted into Engineered/Scientific Landfill/solid Waste Management facility.</p> <p>Establishing the system to recognize organizations of waste pickers and Establish a system for integration of the various waste pickers to facilitate their participation in solid waste management including segregation and door-to-door collection of waste through concessionaires ensuring safety, hygiene and healthy working conditions for the workers.</p> <p>Marketing of compost is being done through concessionaires of composite plant. Regarding other reusable/recycled products is being done through departmental as well as contractors and private participation.</p> <p>Awareness, capacity building and behavioural changes programs is being done through concessionaire as well as sanitation officers of department.</p>
Key infrastructure or special projects Proposed for the plan period, along with details of projects and their timelines.	<ol style="list-style-type: none"> 1. One Compost Plant Okhla, having capacity of 200 MT of MSW per day for making compost is being operated by concessionaire, M/s IL&FS. 2. One waste to Energy Plant at Okhla having capacity of 1950 MT of MSW per day to produce 23 MW of power is being operated by concessionaire. 3. Another Waste to Energy Plant at Tehkhand having capacity of 2000 MT of Solid waste per day to 25 MW of power is under construction. This plant is likely to be functional in 2022. 4. Engineered Sanitary landfill at Tehkhand is to be developed up to Dec 2022. 5. Plant for processing of Refuse Derived Fuel (RDF) Tehkhand will be setup by Indian Oil corporation and NTPC. 6. Plan for processing of plastic waste at Tehkhand will be setup by Indian Institute of Petroleum Research (IIPR). 7. A 200 TPD material recovery facility is proposed at Tehkhand/Okhla under PPP model.
Future land requirement (if any) for Scientific (engineered) landfill sites, provided only inert are to be dumped.	<p>Future land requirement has been prepared and the same is annexed herewith as annexure V (a).</p>

2. Targets to be included in the MPD-2041:

S.no	Component	Current status	Target for 2041	Phasing plan
1	MSW collection efficiency	MSW collection in some areas is being done through concessionaires by involvement of waste pickers in all four zones of SDMC.	Door to door, collection of MSW in entire area of SDMC will be done through concessionaires by involvement of waste pickers.	90% up to 2021 and 100% up to 2025 Subject to the availability of funds and lands.
2	MSW segregation efficiency	MSW segregation in some areas is being done through concessionaires by involvement of waste pickers in all four zones of SDMC.	Segregation of MSW in entire area of SDMC will be done through concessionaires by involvement of waste pickers.	90% up to 2021 and 100% up to 2025 Subject to the availability of funds and lands.
3	Percentage of green waste biodegradable (e.g., composted or any other processing method) locally	10% of green waste is being processed at Compost Plant Okhla, bio-methanation plants, composters, compost pits etc. at ward level.	100% of green waste (biodegradable waste) will be processed at compost plants, bio-methanation plants, composters, compost pits etc. at ward level.	25% up to 2021 50% up to 2023 75% up to 2025 100% up to 2030 Subject to the availability of funds and lands.
4	Percentage of recyclable waste sent to recycling centres/industry	About 10% of recyclable waste is being sent to recycling centres/industry through waste pickers and private participation.	100% of recyclable waste will be sent to recycling centres/industry through waste Pickers and	25% up to 2022 50% up to 2023 70% up to 2025 100% up to 2030 Subject to the availability of funds and lands.

			private participation.	
5	Identification and listing of informal waste workers and units integrated with the formal MSW management plan	Identification and listing of informal waste workers and units integrated with the formal MSW management plan is being done through concessionaires in all four zones of SDMC.	100% Identification and listing of informal waste workers and units integrated with the formal MSW Management plan will be done through concessionaires in all four zones of SDMC.	25% up to 2021 50% up to 2023 75% up to 2025 100% up to 2030 Subject to the availability of funds and lands.
6	Reduction in waste going to land fill sites	Efforts are being done in reduction of waste going landfill site through processing of waste at ward level and setting up of new Waste to Energy Plants, decentralized, composting.	Likely to be done in 2030.	80% up to 2023 100% up to 2030 Subject to the availability of funds and lands.
7	Reclamation of land fill sites (preening and processing of legacy wastes)	Reclamation of landfill site at Okhla (dumpsite) is being done through bio mining of legacy waste. Thereafter this land will be converted into green/used for setting up Solid Waste Management facilities.	Likely to be completed in 2030.	100% up to 2030 Subject to the availability of funds and lands.

ANNEXURE – V (a)

REQUIREMENT OF LAND AGAINST THE 1500 ACRES AS PER PROVISION IN DELHI MASTER PLAN 2021 FOR IMPLEMENTATION OF SOLID WASTE MANAGEMENT FACILITIES IN DIFFERENT LOCATIONS IN ALL FOUR ZONES OF SDMC :-

Sr. No.	Name of facilities	Facilities available (In nos.)	Facilities required (In nos.)	Approx. Land required (in sqm. /acres)	Approx. Land available (in sqm. /acres)	Approx. Remaining land required (in acres)
1	Community Bins/ Receptacles/ (FCTS/PCTS)	92	102	102x300 = 30600 sqm. Or 7.5 acres	92x 250 sq.m or 5.7 acres	1.80
2	Material Recovery Facilities (MRF)	Nil	2x4=8	8x2=16 acres	Nil	16.00
3	Facilities for Kabariwala	Nil	2x4=8	8x1=8 acres	Nil	800
4	Attendance Office for SI/ASI	30	1x74= 74	74x100 =7400 sqm or 1.82 acres	Nil	1.82
5	Training Centre facilities for waste pickers and SDMC staff	Nil	1x4=4	4x600= 2400 sqm. or 0.6 acres	Nil	0.60
6	Workshops and parking space for vehicles engaged in Solid Waste Management.	2	4x4=16	4x4=16 acres	8.0 acres	8.00
7	Processing Disposal of Solid Waste, C&D waste and Residue	1	2	67+425= 492 acres	67 acres	425.00
8	Disposal of inert like soil fine fraction etc.	1	2	10+300=310 acres	10 acres	300.00
9	Processing/	Nil	4	4x2=8 acres	Nil	8.00

	disposal of Plastic waste					
Total				859.92 acres	90.70 acres	769.22 acres

ANNEXURE VI: SERVICE PLAN – NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION (NORTH DMC)

Sanjay Goel, IAS
Commissioner



NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION

Office of the Commissioner
4th floor, Dr. SPM Civic Centre
JLN Marg, Delhi- 110 002

VC Office

By. No. 97-DA

Dated 8/4/21

Dated: 7/4/21

No. D-78/CMR/MDMC/CC/9091

The Vice Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan, INA,
New Delhi- 110023.

Subject: Service Plan for Municipal Solid Waste Management (MSWM) to be integrated in MPD, 2041

Reference: D.O. letter no. PS/VC/DDA/2021/05 dated 11.1.2021

Dear Sir,


Please find attached herewith copy of Service Plan for Municipal Solid Waste Management (MSWM) & templates to be integrated in Master Plan document, 2041 pertaining to North DMC, sent earlier vide letter no. D-in-C/DEMS/North DMC/2021/D-7 dated 28.1.2021 for your kind information & perusal. The Part C & D of "Annexure-A" of the said report regarding land requirements for various activities for SWM upto 2041 have been modified for additional land requirements apart from the details/ information, already sent.

Accordingly, you are, requested, to please look into the matter and Service Plan for Municipal Solid Waste Management (MSWM) pertaining to North DMC, may be integrated in Master Plan document, 2041 for effective Solid Waste Management in future.

Thanking you,

Encl.: as above

Com (PS)
ds
9/4

Yours sincerely,

(Sanjay Goel, IAS)



NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE DIRECTOR-IN-CHIEF (DEMS)
6th Floor, Dr. SPM Civic Centre, J.L.N. Marg
NEW DELHI-110002



No. - D-m-c DEMS/North DMC/2021/D-7

Dated: 28-01-2021

The Vice Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan, INA,
New Delhi- 110023.

Subject: Service Plan for Municipal Solid Waste Management (MSWM)

Reference: D.O. letter no. PS/VC/DDA/2021/05 dated 11.1.2021

Sir,

Please find attached herewith Service Plan for Municipal Solid Waste Management (MSWM) & templates to be integrated in Master Plan document, 2041 pertaining to North DMC. It is being forwarded with the approval of the worthy Commissioner, North DMC.

Thanking you,

Encl.: as above

Yours sincerely,

28/1/2021
Director-in-Chief (DEMS)

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041
AGENCY: NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION

1. MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT (SWM) IN NORTH DMC

ASPECT	INFORMATION REQUIRED
GENERATION	Total MSW: 9,000 TPD [assuming population of North DMC 1.80 crore (out of total population of Delhi: 4 crore in 2041)] Present MSW Generation is 4500 TPD
	Green (wet) waste: 3,600 TPD (Bio-degradable) Dry waste: 5,400 TPD (Non Bio-degradable)
MANAGEMENT STRATEGY	<p><u>Present status of SWM is as under:</u></p> <p>Present population of area under the jurisdiction of North DMC is about 90 lacs having about 18 lacs residential units. At present, about 4500 TPD of Municipal Solid Waste (MSW) is generated and collected in six zones per day. Out of which, about 2300 TPD of MSW is collected from Keshav Puram, Civil Lines & Rohini Zones which is collected, processed and disposed off scientifically as per SWM Rules-2016 at Waste Processing Facility/ Waste to Energy (WTE) Plant at Bawana in Narela. The remaining 2200 TPD waste collected from City-S.P, Karol Bagh & Narela Zones is being dumped at Bhalswa landfill site without processing/ treatment. As such there a gap of 2200 TPD of MSW which needs to be addressed and processed. Per capita per day solid waste generation is 0.50 kg (500 gm).</p> <p>In order to ensure scientific disposal of the aforesaid remaining MSW, North DMC has planned to set up another WTE Plant either at Bhalswa SLF site or at Rani Khera in Narela.</p> <p>In pursuance of the matter, an MoU between Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL) and North DMC has been signed on 19.1.2021 to set up an Integrated Waste to Energy Facility in the jurisdiction of North DMC by processing of the Municipal Solid Waste.</p> <p>Accordingly, long term tender incorporating provisions of SWM Rules, 2016, for collection & transportation of MSW for remaining three zones i.e. City-S.P, Karol Bagh & Narela Zones have been invited.</p> <p>Management Plan for Solid Waste Management:</p> <ol style="list-style-type: none"> About 55% of solid waste generated in the jurisdiction of North DMC is being processed & inerts are also disposed off scientifically at Narela- Bawana Waste Processing Facility. Salient features of this project/ agreement are as under: <ul style="list-style-type: none"> It is a long term 20 years agreement based on PPP model executed on 17.7.2009

	<ul style="list-style-type: none">• It is an integrated contract for end to end solution of solid waste which includes door-to-door collection (primary), transportation from secondary storage depots to the Narela-Bawana Waste Processing Facility, processing (compost & R DF), WTE Plant and disposal of inerts at engineered landfill site.• WTE Plant of 24 MW capacity is also operational.• Contract is valid upto year 2029.• Concession area comprises of 64 mpl. Wards (out of total 104 mpl. wards)• At present, about 2400-2500 MT of solid waste is received at this plant & by 2029, waste generation is expected to be 3500TPD.• Regular awareness programs through IEC activities etc. are carried out for reduction, re-use & recycle (3Rs) as well as emphasis is given on segregation of waste at source to improve the SWM. Ultimately, it will reduce the load on the Processing Facilities/ landfill sites. The residents are also made aware for utilising waste as wealth through household/ local composting. <ol style="list-style-type: none">2. For remaining waste (45 %), an MOU has been signed between Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL) and North DMC has been signed on 19.1.2021 to set up Integrated Waste to Energy Facilities in the jurisdiction of North DMC by processing of the Municipal Solid Waste at Rani Khera. Likely date of commissioning of this plant is Dec., 2022.3. On pilot basis, decentralised bio-methanation/ compost plants of 5TPD (4 NOS.) & 1TPD (6 NOS.) are being installed under the jurisdiction of North DMC, out of which 2 nos. 5TPD & 3 nos. 1TPD plants are operational. On the basis of success story, these plants would be replicated in all 104 municipal wards. For installation of these plants, adequate land is also required specifically meant for this purposes. Provision of land for solid waste management shall be duly earmarked in the proposed layout plans before notification.4. 50 TPD recyclable plastic waste processing plant/ facility has also been proposed at Tikri Kalan in Narela. For which, RFP/ tender document is being prepared.5. Land requirement for various activities for solid waste management upto the year 2041 is annexed as "Annexure – VI (a)".6. 200 TPD Bio-methanation gas plant based on cow dung is under construction at Bhalswa Dairy and which is likely to commence operation by 31.12.2021.7. Material Recovery Facility (MRF) having capacity of 4 TPD for sorting of recyclable materials such as paper, plastic, metal, glass etc. will be commissioned at Zakhira shortly. Similar MRFs are proposed in each
--	--

	<p>ward depending upon the availability of land. Minimum land requirement is 1000 sqm for setting up of an MRF.</p> <p>8. Remediation of legacy waste from SLF Bhalswa, which' is in operation since 1994, is being carried out. Out of total 80 lac MT of legacy waste, 11.90 MT has been bio-mined through trammels. Reclamation of the land is likely to be completed by June, 2022.</p>
--	---

2. Key targets that will be included in MPD-2041 Action Plan:

Component	Current Status	Target for 2041	Phasing Plan
MSW collection efficiency	100%	100%	N.A.
MSW Segregation efficiency	55%	100%	By 31.12.2023
Percentage of green waste processed (e.g. composted or another processing method) locally	55% of 1800 TPD = 990 TPD Say 1000 TPD	100% of 6,000 TPD	By 31.12.2023
Percentage of recyclable waste sent to recycling centres/ industry	50%	100%	By 31.12.2023
Identification and listing of informal waste workers and units (recyclers, kabariwalas, rag pickers etc.)	839 nos. of informal waste workers identified	100%	25% by Dec, 22
			50% by Dec, 24
			75% by Dec, 26
			100% by Dec, 30
Percentage of identified informal waste workers and units integrated with the formal MSW management plan	---	---	As above
Reduction in waste going to land fill sites	25-30%	80%	5% in every 5 years
Reclamation of land fill sites (greening and processing of legacy wastes)	ONE no. at Bhalswa	---	By June, 2024

Annexure – VI (a)

Land requirement for various activities for solid waste management up to 2041:

NORTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION

Land requirement for various activities for solid waste management upto 2041

Name of Local Body :- North Delhi Municipal Corporation:

Present solid waste generation : 4500 MT
 Expected solid waste generation 2025 : 5350 MT
 Expected solid waste generation 2030 : 6350 MT
 Expected solid waste generation 2041 : 9000 MT

(A) Details of existing/proposed processing facilities on already allotted land:

S. N.	Location	Land Owning agency	Area in Acres	Year of allotment	Details of facilities		Present Status	Remarks
					Type	Capacity (in MT)		
1.	Narela-Bawana	DDA	156.28	14.6.2007	Integrated Waste Processing Facility which includes windrow composting, RDF, WtE Plant & Engineered Landfill	2300	Operational	(i) PPP Facility upto 2029. land was handed over to the concessionaire(M/s DMSWSL) in the year 2009 (ii) 100 acre: Integrated waste processing facility alongwith Engineered Landfill and is in operation since September 2011 consisting of 24 MW WTE Plant, Engineered landfill, Compost Plant & Green Belt of width 15 m (includes work up to year 2029) (iii) 14 acres:- Land handed over to DSIIIDC in year 2015 for hazardous waste in terms direction dated 28.04.2015 of Hon'ble NGT. (iv) 30 acre: PPP Facility for solid waste management of Narela Zone for Workshop, Parking Facility etc. for solid waste management (650 TPD)

2	Rani Khera	DDA	55.48	22.3.2016	1. C&D Processing Facility (5.97 acre) 2. Proposed Integrated WtE Plant/ Processing Facility (49.51 acre)	1000 TPD 2500 TPD	—	PPP facility upto 2035. Plant under construction by concessionaire(ILFS) To be utilized for installation of WtE Plant in association with IOCL. The MoU with IOCL has been executed on 19.01.2021 for setting up of Integrated Waste to Energy Facilities in the jurisdiction of North DMC by processing of the Municipal Solid Waste at Rani Khera.
3.	Near PVC Bazar, Tikri Kalan	DDA	4.00 Approx	16.6.2014	Proposed for Plastic Waste Processing Facility	50-100 TPD of plastic waste	Under Process	Tender document is being prepared for processing of the plastic waste

(B) Details of existing /proposed landfill on already allotted land

S. no	Location	Land Owning agency	Area in Acres	Year of allotment	Present Status	Remarks
1.	Bhalswa near Mukarba Chowk on GT Road	North DMC	70.00	1994	It is an un-engineered landfill since its inception. At present, about 2300-2500 TPD fresh MSW is received at this dumpsite. On the directions of Hon'ble NGT, bio-mining/ bio-remediation of legacy waste of about 80 lac MT has been started with the help of trommels.	Remediation work in progress. About 11 lac MT of legacy waste has been processed.

(C) Details of land requirement for future activities in phases:

S. N.	Location	Land Owning agency	Land Requirement (Area in Acres)	Purpose	Capacity in TPD	Time for start of operation after allotment	Remarks
1.	Suitable land for SWM/ Sanitary Landfill	DDA	100 (Minimum)	Waste Processing Facility & setting up of Sanitary Landfill as per Schedule -I of SWM Rules, 2016	4000-4500 TPD	12 months	The land proposed/ allocated shall be free from all encumbrances & suitable for SWM
2.	Different locations in zones (in 104 wards)	DDA	500 sqm per Mpl. Ward	Decentralized Waste Processing/ MRF	5	12 months	In the layout plans, land for SWM be earmarked and be duly notified.
3.	Different locations in zones (in 104 wards)	DDA	1000 sqm per Mpl. Ward	Transfer Stations cum Material Recovery Facility (MRF)	5-10	12 months	In the layout plans, land for SWM be earmarked and be duly notified.

(D) Details of low lying area identified for disposal of inert from legacy waste:

S. N.	Location	Land Owning agency	Land available in Acres	Estimated Volume of filling (in cum)	Time for filling (months)	Remarks
1.	Low Lying area Surroundings of Mukundpur School	North DMC	33	2,33,700	9 months	Disposal of rejects/inert
2.	Low Lying area from Bhalswa to PWD Road	North DMC	5.7	1,61,470	5 months	Disposal of rejects/inert
3.	Main Kanjhawala (Road No.3) near PWD office	DDA	2.06		Approx. 2 years time	Disposal of rejects/inert
4.	Sector-23, Rohini near DCP office 15,000 sqyd.)	DDA	3.1			Disposal of rejects/inert
5.	Road from Barat Vihar to Pansali Colony	DDA	2.06			Disposal of rejects/inert
6.	Begaumpur A-block to Barat Vihar near Begumpur Police Station	DDA	3.1			Disposal of rejects/inert
7.	Near Kali Mata Mandir Barwala Road	DDA	5.17			Disposal of rejects/inert
8.	Inert materials can be utilized by DDA for filling low lying areas In urban villages as well as lands pockets In Rohini, Narcla, Burari	DDA				Disposal of rejects/inert
9.	DDA land near Burari Chowk	DDA				Disposal of rejects/inert
10.	Sector 39, 40 and 41. Rohini DDA land	DDA				Disposal of rejects/inert
11.	Low lying areas in unauthorized colonies	I&FC Deptt., DSIIDC				Disposal of rejects/inert
12.	Construction of embankments of Highways	NHAI				Disposal of rejects/inert

Bio-mining of legacy waste is already in progress at Bhalswa in compliance of the directions of Hon'ble NGT. About 60 lakh MT of inert material is likely to be generated during bio-mining of legacy waste. For disposal of this inert, about **500 acre** of low lying land area is required (taking average filling of about **2.00 metre depth**). The ownership of the land will remain with the DDA. This land area requirement is in addition to the details submitted earlier.


ANNEXURE VII: SERVICE PLAN – NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL (NDMC)

From: "Sh Dharmendra" <chairperson@ndmc.gov.in>
To: "Manisha Gupta" <manisha.gupta2031@dda.gov.in>
Cc: "Murari Lal" <director.coordination@ndmc.gov.in>, "Ramesh Kumar" <moh@ndmc.gov.in>, "Dr. Brij Mohan Mishra" <secretary@ndmc.gov.in>
Sent: Friday, April 9, 2021 8:01:33 PM
Subject: Service Plan for Municipal Solid Waste Management

Madam,

I am directed to attach herewith the write-up/status on the service plan for municipal solid waste management w.r.t. MPD 41 Action Plan.

Venkata Sastry
Head Assistant
NDMC, New Delhi
23743579
23742269


Chairman


28/1/2021

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041
AGENCY: NEW DELHI MUNICIPAL COUNCIL (NDMC)

Consider the following approximate population projections for New Delhi Municipal Council:

At present, the fixed population of New Delhi Municipal Council is 2.67 Lakh as per 2011 census.

Low Growth Scenario	Medium Growth Scenario	High Growth Scenario
3 lakhs	3.2 lakhs	3.5 lakhs

The service action plan for master plan of management of Solid Waste of New Delhi Municipal Council for 2041 is as under:

1. MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT (SWM) IN NORTH DMC

ASPECT	INFORMATION REQUIRED	
GENERATION	Total MSW likely to be generated	350 – 400 MT
	Estimates of green waste, dry waste (reusable waste and inert material)	100 MT Wet waste 250 -300 MT Dry waste
MANAGEMENT STRATEGY	Separate management plans (collection, segregation and processing) for;	
	Green Waste	Green waste — Organic waste convertors, Home Composting, compost pits, Biogas Plant and compost plant Okhla (for 100 MT Wet Waste}
	Reusable Waste	Reusable Waste — 25 MT for recycling (NGOs and recyclers)
	Inerts	Inert — Sent to SDMC landfill site from Waste to Energy Plant, Okhla
	Management plans to include information regarding the following aspects;	
	Improving collection, segregation efficiency at local level (RWA/Mohalla / Market Association / Solid Waste Zone/ wards etc.)	Door to door collection of waste and its segregation as per the Solid Waste management Rules 2016 i.e., Wet Waste, Dry Waste and Domestic Hazardous Waste.

	Maximizing wet waste processing (e.g., Composting, bio-methanation etc.) locally	Already explained above.
	Improving sorting and material recovery (MPD will recommend repurposing of dhalaos as material recovery facilities at the decentralized level) etc.	Segregation of waste in situ and also construction of Material Recovery facility for micro segregation of dry waste.
	Reclamation of landfill sites and reuse/ recycle of legacy waste	Does not pertain to New Delhi Municipal Council
	Conversion of existing landfills to engineered / scientific landfills	Does not pertain to New Delhi Municipal Council
	Special plans for; Integration of informal sector in core SWM system (for improved management vis-a-vis ensuring safety, hygiene and healthy work conditions for the workers.	Already integrated and providing the mentioned conditions.
	Marketing strategies for compost and other reusable / recycled products).	The compost produced shall be used in horticulture department of NDMC itself. The reusable / recyclables shall be handed over to authorized recyclers.
	Awareness, capacity building and behavioral changes programs.	Already are being run by NDMC in full swing. The capacity and behavioral changes are being evaluated from time to time.

2. Key targets that will be included in MPD-2041 Action Plan:

Component	Current Status	Target for 2041	Phasing Plan
MSW collection efficiency	100%	100%	N.A.
MSW Segregation efficiency	100%	100%	100%
Percentage of green waste processed (e.g., composted or another processing method) locally	100%	100%	100%
Percentage of recyclable waste sent to recycling centres/ industry	20%	100%	Increase by 10% per year

Identification and listing of informal waste workers and units (recyclers, kabariwalas, rag pickers etc.)	100% (already done)	100%	100% done
Percentage of identified informal waste workers and units integrated with the formal MSW management plan	100%	100%	100% done
Reduction in waste going to land fill sites	Does not pertain to New Delhi Municipal Council	Does not pertain to New Delhi Municipal Council	Does not pertain to New Delhi Municipal Council
Reclamation of land fill sites (greening and processing of legacy wastes)	Does not pertain to New Delhi Municipal Council	Does not pertain to New Delhi Municipal Council	Does not pertain to New Delhi Municipal Council

ANNEXURE VIII: SERVICE PLAN – DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, GNCTD AND DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE (DPCC)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT
GOVT. OF NCT OF DELHI
6TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT
I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002
PH: 23392029

F 10 (1)/Env/2019/169-172

Dated: 09.04.2022

To,

Additional Chief Architect,
Office of Vice-Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan, I.N.A.,
New Delhi-110023

Subject: Services Plan for Management of Non-Municipal Solid Waste Management in reference to Draft MPD 2041.

Sir,


This is in reference to the D.O. letter no. PS/VC/DDA/2021/39 dated 06.04.2021 of the Vice Chairman, DDA with respect to subject mentioned above.

Kindly find enclosed Service Plan for Non-Municipal Solid Waste Management in Delhi, in reference to Draft MPD 2041, from Department of Environment, GNCTD and DPCC, for your information and further necessary action please.

This is being issued with approval of the Competent Authority.

Yours Faithfully

Encl. as above


(Dr Chetna Anand)
Senior Scientific Officer (Environment)

Copy to

1. PPS to Pr. Secretary (Environment), GNCTD
2. PS to Addl. Chief Secretary (Environment & Forest), GNCTD
3. PS to Special Secretary (Environment), GNCTD

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041
AGENCY: DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, GNCTD AND DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE

1. SERVICE PLAN FOR NON-MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT IN DELHI FROM DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND DPCC:

Aspect	Information required
<p>Generation</p>	<p><u>Estimates of C& D Waste:</u> Current Status FY 2020-21 (Million MT) : 1.38* (3781 TPD)</p> <p>Target for 2041 (Million MT): 3.66** (10,027 TPD)</p> <p>*Estimation of C&D waste generation in Delhi, as per NITI Aayog Report Jan 2019 “Strategy on Resource Efficiency in Construction & Demolition Sector” – 4,600 MT/day (1.38 million ton per annum) ** Considering 5% annual growth of C&D waste generation in NCT of Delhi</p> <p><u>Bio-Medical Waste:</u> As per gap analysis study got done in 2020 for requirement of numbers & capacities of additional Common Biomedical Waste Treatment & Disposal Facilities (CBWTFs) in Delhi estimated total future biomedical waste generation in 2031 = 80000 kg/day.</p> <p>As per Central Pollution Control Guidelines dated 21.12.2016, prior to allowing any new CBWTF, prescribed authority {Delhi Pollution Control Committee (DPCC) in case of Delhi} is required to prepare an inventory or review with regard to the bio-medical waste generation at least once in 5 years in the coverage areas of the existing bio-medical waste treatment and disposal facility. Prescribed authority is also required to extrapolate the coverage area wise bio-medical waste generation for the next 10 years.</p> <p><u>E- Waste: No concrete data available. E-Waste Inventorisation exercise is proposed.</u></p> <p><u>Plastic Waste generation : 1500 MT/D</u></p>
<p>Management Strategy</p>	<p><u>Management plan for C& D Waste:</u> Processing Capacity of Operational C&D Plants in Delhi (4150 TPD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jahangir Puri (Burari) – 2000 TPD • Shastri Park – 1000 TPD

- Rani Khera (Mundka) – 150 TPD
- Bakkarwala – 1000 TPD

(C&D Waste received at 4 processing facilities in Delhi : 3151 TPD)

Proposed C&D Waste Processing Facilities in Delhi (2500 TPD)

- Ranikhera – 1000 TPD (Under Construction)
- Maidangarhi - 1000 TPD
- Libaspur - 500 TPD (Land use to be changed by DDA)

NCT of Delhi will require creation of additional annual processing capacity of 2 Million MT (5479 TPD) by 2041 as below:

By 2026 – 0.5 Million MT (1370 TPD)

By 2031 – 0.5 Million MT (1370 TPD)

By 2036 – 0.5 Million MT (1370 TPD)

By 2041 – 0.5 Million MT (1370 TPD)

Bio-Medical Waste:

For obtaining the authorization mandatory under Bio-Medical waste Management Rules, 2016, every health care facility is required to enter into an agreement with the concerned CBWTF for collection, transportation, treatment and disposal of the waste generated by it. Biomedical waste is collected, transported and treated by two Common Biomedical Waste Management Facilities (CBWTFs) operating in Delhi. In view of expiry of lease of one of the CBWTFs presently operation on land provided by Directorate of Health Services, Govt of NCT of Delhi, the DPCC has called Expression of Interests for bringing up two new CBWTFs on privately owned land for catering to the BMW generation in two regions to cater future generation of biomedical waste in next 10 years i.e. year 2031 **Region 1: Shahdara, East and North East Delhi (fall in the trans Yamuna belt). Region 2: West, South West, Central Districts.**

E- Waste:

- Delhi consisting of 11 districts, so each district should possess at least one collection centre to ease the drop of E-waste.
- Atleast 3 nos. of E-waste ECO-Park (not less than 5 acres in area), one in each North, South and East regions of Delhi should be created where proper dismantling, refurbishing can be done.

	<ul style="list-style-type: none"> • Atleast two recycling units should be created in Delhi for efficient work and state board can easily verify the authenticity of dealers, refurbishers, dismantlers whether they are legally tied with recycler. • ATM can be installed where in return of every electronic equipment, cash back can be provided. • ULBs can provide toll-free number and door to door services to dispose-off E-waste. <p><u>Service Plan for NCT of Delhi for Plastic Waste Management is Annexure VIII (a).</u></p>
<p><u>Other information</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Key infrastructure or special projects identified during the plan period, along with details of projects and their timelines • Estimated land requirements for projects. 	<p><u>Bio-Medical Waste:</u></p> <p><i>Under the provisions of Bio Medical Rules 2016, the department in the business allocation of land assignment shall be responsible for providing suitable site for setting up of common biomedical waste treatment and disposal facility in the State Government or Union territory Administration and the selection of site for setting up of such facility shall be made in consultation with the prescribed authority, other stakeholders and in accordance with guidelines published by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or Central Pollution Control Board.</i></p> <p>The CPCB guidelines dated 21.12.2016 provides that alternately a CBWTF may also be allowed to establish on a land procured by an entrepreneur in accordance with the location criteria suggested under these guidelines.</p> <p>The DPCC is in process of calling the expression of interests for 2 CBWTFs on privately owned land to cater the need for next 10 years (up to 2031) and project is likely to be completed by end 2022. However looking in to the present and future scenario there is a need to identify 3 plots of lands of size not less than one acre in three geographically distributed areas of Delhi (one in trans Yamuna for East, North East & Shahdara, second in South East, South, South West & New Delhi and third in Central, North, West & North West districts) so that CBWTFs can be made operational on Govt Land post 2031.</p> <p>As per CPCB guidelines, CBWTF shall preferably be developed in a notified industrial area without any requirement of buffer zone (or) a CBWTF can be located at a place reasonably far away from notified residential and sensitive areas and should have a buffer distance of preferably 500 m so that it shall have minimal impact on these areas.</p> <p><u>E- Waste:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Public Awareness sessions should be organized on regular basis.

	<ul style="list-style-type: none"> Awareness programme for refurbishers, dismantlers, recyclers and dealers should be organized twice in a year.
--	---

2. Key targets that will be included in MPD 41 Action Plan:

Component	Current status	Target for 2041	Phasing Plan
Percentage of C&D Waste Processed (Fresh + Legacy)	88.4 % [1.22 (3342 TPD)]	100 % 3.66 (10,027 TPD)	NCT of Delhi will require creation of additional annual processing capacity of 2 Million MT (5479 TPD) by 2041 as below: By 2026 – 0.5 Million MT (1370 TPD) By 2031 – 0.5 Million MT (1370 TPD) By 2036 – 0.5 Million MT (1370 TPD) By 2041 – 0.5 Million MT (1370 TPD)
Percentage of Recycled C&D Waste Products (Tiles, Blocks, Reinforcements, filling materials etc.) used.	107.4 % [1.31 (3589 TPD) including Legacy C&D waste products] [Offtake by Govt. Departments - 0.70 (1917 TPD) And Offtake by Private Parties - 0.61 (1671 TPD)]	100 %	

Annexure VIII (a): Service Plan for NCT of Delhi for Plastic Waste Management in respect of Draft MPD 41

1. Application:


Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India has notified the Plastic Waste Management (PWM) Rules, 2016 as amended by 2018.

- (i) These rules are applicable to every waste generator, local body, Gram Panchayat, manufacturer, Importers and producer.
- (ii) The rule 4 shall not apply to the export-oriented units or units in special economic zones, notified by the Central Government, manufacturing their products against an order for export: Provide this exemption shall not apply to units engaged in packaging of gutkha, tobacco and pan-masala and also to any surplus or rejects, left over products and the like.

2. Salient features of (PWM) Rules, 2016, as amended to date

The salient features of (PWM) Rules, 2016 are described below:

S. No.	Items	Description
1	Purpose	Plastic waste minimization; Source segregation; Recycling; Collection of plastic waste fraction; Adoption of polluter's pay principle;
2	Application	To Every: Waste generator; Local body; Gram Panchayat; Manufacturer; Importers and Producer.
3	Conditions for Carry bags	Shade of Carry Bag should be natural as per IS: 9833:1981; Provision of thickness for carry bags made of virgin or recycled plastic is, thickness >= 50 microns (made up of recycled or virgin plastic). Thickness of carry bags is not applicable to carry bags made up of compostable plastic; The carry bags made from compostable plastics shall confirm to the Indian Standard: IS17088:2008. The manufacturers or seller of compostable plastic carry bags shall obtain a

		<p>certificate from the Central Pollution Control Board before marketing or selling;</p> <p>Plastic sheet or like, which is not an integral part of multilayered packaging shall not be less than fifty microns in thickness except where the thickness of such plastic sheets impairs the functionality of the product;</p> <p>Recycling of plastic waste shall conform IS 14534:1998.</p> <p>Carry bags made of recycled plastics shall not be used for Packaging food stuff;</p> <p>Sachets using plastic material shall not be used for storing, packing or selling Gutkha, tobacco and pan masala;</p> <p>Vinyl Acetate - Maleic Acid - Vinyl Chloride Copolymer, shall not be used in any package for packaging Gutkha, pan masala and tobacco in all forms.</p>														
4	Responsible Stake-holders	<p>Local body;</p> <p>Gram Panchayat;</p> <p>Waste Generators;</p> <p>Producers, Importers and Brand Owners.</p>														
5	Marking or Labeling	<div style="display: flex; align-items: center;">  <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>PET</td> <td>Polyethylene Terephthalate,</td> </tr> <tr> <td>HDPE</td> <td>High Density Polyethylene</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>Vinyl (PVC),</td> </tr> <tr> <td>LDPE</td> <td>Low Density Polyethylene</td> </tr> <tr> <td>PP</td> <td>Polypropylene</td> </tr> <tr> <td>PS</td> <td>Polystyrene</td> </tr> <tr> <td>Others</td> <td>ABS - (Acrylonitrile butadienestyrene), PPO- (Poly phenylene oxide), PC- (Polycarbonate), PBT- (Poly butylenes terephalate)</td> </tr> </table> </div>	PET	Polyethylene Terephthalate,	HDPE	High Density Polyethylene	V	Vinyl (PVC),	LDPE	Low Density Polyethylene	PP	Polypropylene	PS	Polystyrene	Others	ABS - (Acrylonitrile butadienestyrene), PPO- (Poly phenylene oxide), PC- (Polycarbonate), PBT- (Poly butylenes terephalate)
PET	Polyethylene Terephthalate,															
HDPE	High Density Polyethylene															
V	Vinyl (PVC),															
LDPE	Low Density Polyethylene															
PP	Polypropylene															
PS	Polystyrene															
Others	ABS - (Acrylonitrile butadienestyrene), PPO- (Poly phenylene oxide), PC- (Polycarbonate), PBT- (Poly butylenes terephalate)															
6	Prescribed Authority for enforcement of the provisions of these rules;	<p>The State Pollution Control Board and Pollution Control Committee in respect of a Union territory;</p> <p>The concerned Secretary-in-charge of Urban Development of the State or a Union Territory;</p> <p>The concerned Gram Panchayat shall be the authority;</p> <p>District Magistrate or the Deputy Commissioner.</p>														

7	Responsibility of retailers and street vendors	Retailers or street vendors shall not sell or provide commodities to consumer in carry bags or plastic sheet or multi-layered packaging, which are not manufactured and labeled or marked, as per prescribed under these rules; Retailers or street vendors if providing commodities in abovementioned packaging shall be liable to pay fines.
8	State Level Monitoring Committee (SLMC)	State Government or the union Territory shall constitute SLMC for the effective monitoring of implementation of these rules; The State Level Advisory Body shall meet at least once in Six Month and may invite experts, if it considers necessary.
9	Annual Reports a) Concerned persons/ Departments	Every person engaged in processing or recycling of plastic wasteshall submit annual report in Form-IV to local body by 30th April (Every year); Every local body shall submit annual reports in Form-V to concerned Secretary-in-charge of the Urban Development Department by 30th June , every year; Each State Pollution Control Board or Pollution Control Committee shall submit annual reports in Form-VI to CPCB by 31st July , every year; The CPCB shall prepare a consolidated annual report on the use and management of plastic waste and forward it to the Central Government along with its recommendations before the 31st August of every year.
	b) Flow of Information	<p>Recycler (Form IV) → Local Body (Form V) → SPCB/SPCC (Form VI) → CPCB → Central Govt.</p> <p>(By 30th April) (By 30th June) (By 31st July) (Before 31st August)</p>

3. Plastic Waste (PW) Generation:

Estimated PW Generation in Delhi: 1500 MT/D

4. Constraints in implementation of PWM Rules 2016, as amended 2018:

- 4.1. There are a number of constraints in implementation of PWM rules 2016, few of them are given below:

- a) Annual Reports are not submitted on-time by Responsible Agencies/Authorities by 30th June each year;
- b) Monitoring of implementation of PWM Rules by Urban Development Departments & Municipal Bodies is inadequate;
- c) Non-recyclable plastic wastes such as multi layered and metalized pouches and other thermoset plastic poses disposal problems;
- d) Use of sub-standard (<50µm) plastic carry bags, packaging films etc. pose problem in collection and recycling, thus, ultimately dumped on land, drains, rivers,
- e) Co-ordination of DPCC with Local Bodies in enforcement of use of sub-standard (<50µm) plastic carry bags & actions taken by ULBs.

4.2. Recommendations of SLMC:

- a) All departments including ULBs, SDMs and DPCC were advised to adhere to the directions of Hon'ble NGT dated 02.12.16 and 10.08.17 regarding complete prohibition on the use of plastic carrybags made of plastic less than 50 microns and are non- compostable in entire NCT Delhi a prohibition of use of disposable plastic glasses in entire NCT Delhi at hotels, restaurants and public as well as environmental compensation of Rs 5000/- per default. All agencies were directed to expedite the actions of seizure of plastic and imposition of fines.
- b) Further, all ULBs and DPCC were directed to design programmes for creating awareness among general public regarding prohibition on the use of plastic carrybags made of plastic less than 50 microns and are non-compostable in entire NCT Delhi a prohibition of use of disposable plastic glasses of the Plastic Waste Management Rules, 2016 as amended, 2018.
- c) The representative of plastic traders and manufacturing industry were also advised to educated and guide the trades/manufacturers to adhere to the provisions of Plastic Waste Management Rules, 2016 as amended, 2018. The concept of Extended producer's responsibility was also discussed and it was desired that plastic trades/manufacturers association shall give their full cooperation this regard to the ULBs in framing the bye-laws.

5. Environmental issues of PWM in Delhi:

- a) Littering of Plastic Waste in open lands, drains, bus stations, railway tracks, dustbins/dhalaos, roadsides, commercial areas, etc.
- b) Open Burning of plastic waste emit toxic gases, polluting ambient air.
- c) Unscientific/ unregistered plastic waste recycling/manufacturing poses threat to environment specially in residential areas;
- d) Eating/engulfing plastic waste along with food residues by cattles, birds etc.

6. Information, Education & Communication (IEC) Programme

a) What is IEC:

1. To develop communication strategies to promote positive behaviour.
2. Create awareness among various stakeholders.
3. To make development participatory through advocacy.
4. To transfer knowledge, skill and technique to people.
5. To bring transparency in program implementation at field level.
6. To promote the concept of accountability and social audit.

b) Role of IEC in Waste Management:

1. To inform, educate and inspire people to realize their roles and responsibilities and benefits of adopting right waste management practices.
2. To bring motivation, awareness and empowerment.
3. To bring transformational shift in waste management barriers:
4. Practice level barrier
5. Attitude level barrier
6. Knowledge level barrier
7. To reach all communities and to reach out to all kind including children, women, men, youth and elderly people.
8. To create awareness, sensitization and motivation of people to follow right hygiene, sanitation and waste handling practices.

c) Types of Communication:

1. Mass Communication
2. Person to Person Communication

d) Key ways of Communication:

1. At national or mass level TV commercials and advertisement can play role.
2. Handbook, leaflet and brochures.
3. Motivational hoardings catering to Swachh Bharat and posters at critical locations of city.
4. One to one meeting could be held at family and community level, since PWM involves attitudinal change.
5. A city centric waste management book.

e) Funding pattern of IEC Programme:

1. IEC has 15% funds of total central allocation.
2. Out of this **12% is for States to conduct campaigns** on public awareness for different issues of public health, hygiene and environment.
3. Campaign using different means, like short films, radio, plays, workshops, social media and radio. Newspaper and TV are excluded from this.
4. Remaining 3% is for MoHUA to run a national media campaign and to develop standardized methods for campaigning.
5. The **IEC plan made by States should approve by HPC of States**. 50% of the approved fund should be given to ULBs.

6. ULBs have to spend minimum 50% of the ULB funds for IEC. This fund cannot be used for any other purpose, like buying vehicles, construction or maintenance.

7. Technologies for Disposal of Plastic Waste:

- i. Mechanical Recycling.
- ii. Utilization of Plastic Waste in Road Construction.
- iii. Co-processing of Plastic Waste in Cement Kilns & Co-incineration in waste to energy plants.
- iv. Conversion of Plastic Waste into Fuel-oil (Chemical Recycling).
- v. Disposal of plastic waste through Plasma Pyrolysis Technology (PPT).

(i) Mechanical Recycling:

Mechanical recycling involves processing of waste into a product which characteristics similar to those of original product. This process involves the following steps:

- a) **Collection and Segregation:** The plastics materials have varying density; hence they are segregated/separated by floatation process.
- b) **Cleaning, Drying and Sizing:** The post-consumer plastics waste requires proper cleaning and drying. The cleaned plastics waste products should be sized; the dried flakes are fed into an extruder where they are heated to melting state and forced through the die converting into a continuous polymer product or strands.
- c) **Pelletizing:** The strands are cooled by water and cut into pellets, which produces reprocess granules.
- d) **Fabrication into end product:** Reprocessed granules used as raw materials for producing end products.

(ii) Utilization of Plastic Waste in Road Construction:

The process of road laying using waste plastics is designed and the technique is being implemented successfully for the construction of flexible roads at various places in India.

Table1: Protocol for description of road laying process

S.No.	Description	Executing Agency
1.	Collection and segregation of plastic waste (Except chlorinated/ brominated plastic waste)	Municipal Corporation, Nagar Nigam, Nagar Parishad & Nagar and Gram Panchayat
2.	Transportation and storage of plastic waste	Municipal Corporation, Nagar Nigam, Nagar Parishad & Nagar and Gram Panchayat

3.	Cleaning and sun drying of plastic waste	Municipal Body or PWD
4.	Shredding of plastic waste (2 to 4 MM size)	Municipal Body or PWD
5.	Heating of stone aggregate (160 °C -170 °C)	Municipal Body or PWD
6.	Adding of shredded plastic waste (5 to10% w/w for 30 to 40 seconds)	Municipal Body or PWD
7.	Coated aggregate is mixed with hot bitumen (Temp155 °C to163 °C)	Municipal Body or PWD
8.	The mix-plastic aggregate Bitumen-mix (130-140 °C) The mix can be used for road laying.	Municipal Body or PWD Construction of polymer (plastics) Coated Bitumen Road

Action Points:

- a) Utilization of Plastic Waste in Road Construction in Delhi Should be promoted;
- b) Promotion and awareness of technology through technology transfer, Newsletters and Direct marketing.

(iii) Co-processing of plastic waste as Alternative Fuel and Raw Material (AFR) in cement kilns and waste to energy plants:

Co-processing refers to the use of waste materials in industry process such as cement and power stations or any other large combustion plants. Co-processing indicates substitution of primary fuel and raw material by waste, recovering industry and material from waste. Waste material such as plastic waste used for co-processing are referred to as alternative fuels and raw material (AFR). Co-processing of plastic waste offers advantages for cement industry as well as for the Municipal Authorities responsible for waste management. On the other hand, cement producers or power plants can save fossil fuel and raw material consumption, contributing more eco-efficient production. In addition, one of the advantage recovery method used in existing facility, eliminating the need to invest on other plastic waste practices and to secure landfilling.

Action Points:

Development of technology for Co-processing of plastic waste as Alternative Fuel and Raw Material (AFR) in waste to energy plants, in Delhi.

(iv) Conversion of plastic waste into liquid RDF (Oil):

Steps involved in conversion of plastic waste into liquid fuel RDF (Fuel) are given below:

- Mechanical segregation of plastic waste from mixed MSW dump yard/storage.

- Transportation of segregated plastic waste through conveyor belt for optical segregation.
- Optical segregation of plastic waste (only HD, LD, PP and multilayer packaging except PVC);
- Shredding of plastic waste and dislodging dust and impurities.
- Transportation of segregated (100%plasticwaste) into feeding hopper(reactor).
- Feeding of plastic waste into reactor for random depolymerization in presence of additives.
- Collection of liquid RDFs (Fuel).
- Collection of rejects and solid waste (charcoal).

Action Points:

Development of technology for conversion of plastic waste into liquid fuel RDF (Fuel)in Delhi from concept to commercialization and promotes awareness of technology through technology transfer, Newsletters and Direct marketing.

(v) Plasma Pyrolysis Technology (PPT)

Introduction:

Plasma pyrolysis is one of the technologies which could be opted for disposal of plastic waste. In Plasma Pyrolysis, high temperature is produced using plasma torch in oxygen starved environment to destroy plastic waste efficiently and in an eco-friendly manner. To find out its performance, Central Pollution Control Board (CPCB) sponsored a project titled "Plastic Waste Disposal using Plasma Pyrolysis Technology" to Facilitation Centre for Industrial Plasma Technology (FCIPT), Institute for Plasma Research, Gandhi Nagar (Gujarat). The experiment has been conducted using different categories of plastic waste such as thin carry bags, metalized and multilayer pouches etc. During the experiment, emission of pollutants i.e. particular matter (PM), Oxides of Nitrogen (NO₂), Carbon Monoxide (CO), Dioxins and Furans were also monitored. The analytical data indicates that the emission of toxic pollutants including dioxins and furans are lower than the prescribed standards for hazardous waste incinerators. Pyrolysis of plastic (polyethylene) provides 90% combustible gases.

Description:

Plasma pyrolysis technology is the disintegration of organic/inorganic compounds into gases and non-leachable solid residues in an oxygen-starved environment. Plasma pyrolysis utilizes large fraction of electrons, ions and excited molecules together with the high energy radiation for decomposing chemicals. In this process the fourth state of matter i.e. plasmas (core temperature is around 20,000°K) is used for dissociating molecular bonds. Different types of plastic waste such as polyethylene bags, soiled plastic, metalized plastic, multi-layer plastic and PVC plastic can be disposed through PPT.

In Plasma Pyrolysis, firstly the plastics waste is fed into the primary chamber at 850oC through a feeder. The waste material dissociates into carbon monoxide, hydrogen, methane, higher hydrocarbons etc. Induced draft fan drains the pyrolysis gases as well as plastics waste into the secondary chamber where these gases are combusted in the presence of excess air. The inflammable gases are ignited with high voltage spark. The secondary chamber temperature is maintained at 105°C. The hydrocarbon, CO and hydrogen are combusted into safe carbon dioxide and water. The process conditions are

maintained such that it eliminates the possibility of formation of toxic dioxins and furans molecules (in case of chlorinated waste). This process is used by few Municipalities and hospitals; however, this can be useful for tourist place, hill stations, pilgrimage, coasts and other remote places.

Cost of plasma pyrolysis plant for the disposal of plastic waste:

Approximately plant cost of capacity 1 Ton/day is 1.7 Crore and 6.5 Crore for capacity of 10 Tons/day plant, excluding operational cost. Payback period of plasma pyrolysis plant of higher capacity (>1Ton/day) is around 4 to 5 years. With energy recovery system, plasma pyrolysis plant will be profitable.

Merits of Plasma Pyrolysis Technology:

- The plasma pyrolysis system can resolve the problems associated with particularly non-recyclable and low-grade plastic waste.
- Generation of extremely high temperature in oxygen starved environment makes this technology useful for the safe destruction of plastic wastes.
- This technology (PPT) can safely destroy chlorinated as well as multi-layer plastic wastes.
- The plasma pyrolysis system can be installed in tourist/hilly locations.
- PPT for the disposal of plastic waste along in conjunction with energy recovery makes it economically viable in higher capacity systems.


Action Points:

Development of plasma processing technologies in Delhi from concept to commercialization and promotes awareness of technology through technology transfer, Newsletters and Direct marketing.

Way Forward for PWM:

1. Door to Door collection of MSW in 2 bins (dry& wet) shall enforced by Municipal Authorities;
2. Segregation and recycling of plastic waste should be carried out at Material Recovery Facility (MRF) to be set by each Local Body in Delhi.
3. Organize mass-awareness programme in various districts involving Municipalities & Stake-holders for not using less than **fifty microns** carry bags and anti-littering.
4. Setting up of squads for preventing open burning of PW shall be strictly prohibited.
5. Plastics should be used as a **resource** for recycling, utilized in road construction, energy recovery (such as WtE Co- processing), PW into Oil etc.
6. **Stopping use of single use plastic products** such as carry bags, cups, plates, straw, thermocol products etc.
7. Promote use of compostable products certified by CPCB such as carry bags, cups, straws, etc. as an alternate to conventional plastics.
8. Utilization of plastic waste in different technologies.

Summary of PWM:



- Draft notification was also issued by the Central Government on 11th March, 2021, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), for making certain amendments in the Plastic Waste Management Rules, 2016, issued vide G.S.R. 320 (E), dated the 18th March, 2016, for information of the public for making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification in writing within sixty days w.r.t. thickness of Plastic Bags, Sheets and like shall not be less than 120 microns and non-woven Plastic Carry Bags shall not be less than 240 microns in thickness w.e.f. 30.09.2021. Further, complete ban on single use plastic since 01.01.2022 (single use plastic items: Plates, cups, glasses, cutlery such as forks, spoons, knives, straw, trays, wrapping/ packing films around sweet boxes; invitation cards; and cigarette packets, plastic/ PVC banners less than 100 microns, stirrers. However, above provisions shall not apply to commodities (including carry bags) made of compostable plastic materials (copy enclosed).

Key Targets for Plastic Waste in r/o MPD 41 Action Plan:

Current Status of Plastic Waste: Approx. 1500 M.T. Per day
 Target for 2041: 100 % disposal/ recycling as per PWM Rules

7.

ANNEXURE IX: SERVICE PLAN – DEPARTMENT OF POWER, GNCTD

**GOVT. OF NCT OF DELHI
DEPARTMENT OF POWER
8TH LEVEL, 'B' WING, DELHI SECRETARIAT,
I.P. ESTATE NEW DELHI.**

From: Power Department <departmentpower@gmail.com>
Date: Wed, Apr 7, 2021 at 11:10 AM
Subject: Vision Document - Power Department - Master Plan - 2041
To: <lsharma@niu.org>, <bjohn@niu.org>
Cc: ASHOK KUMAR JHA <akjhasundhara@gmail.com>, <ramakant.ece@gmail.com>

Sir

With reference to our discussion yesterday regarding the Vision document of the Power Department regarding Master Plan-2041, may please find enclosed soft copy of the draft document and annexures as desired.

May please see please.

Regards

Power Department, GNCTD

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041

AGENCY: DEPARTMENT OF POWER, GNCTD

1. Projections for 2041:

As per the projections, the peak load in Delhi will reach 19000 MW by year 2041. To meet such load, provision in Master Plan have to made for space for power infrastructure that will be required to establish sub stations, distribution transformers and right of way for electric poles and cables to meet future power demands.

Year	Population (in Millions)	Power consumption (in MUs)	Peak Demand (in MW)	Overall installed capacity (MW)
2019	19	33082	7409	7901
2031	24.7	47167*	12269**	14110 [#]
2041	29.1	63389*	19070**	21930 [#]

*assuming power consumption growth rate as 3%

** As per projections of Delhi Transco Limited
#15% over and above the estimated peak demand

2. Land Requirement for Power Infrastructure in 2041:

The land requirement has been worked out by Delhi Transco Limited and Delhi DISCOMs broadly in line with norms issued by DDA & Delhi Govt. and as per their experience at ground conditions.

i. Delhi Transco Limited (DTL):

The summary of perspective plan for Power Transmission Services for Delhi-2041 (MPD-2041) as under:

Voltage Level	Tentative Land Reqd. (sq. m.)	No. of Existing substations	No. of proposed substations (under pipeline or execution)	No. of proposed substations (MPD-2041)	Total
765kV	1,60,000	01	01	02	04
400kV	40,000	07 (including Mandola)	03	09	19
220kV	7000	41	04	36	81

- Total Grid Land: $2 \times 160000 + 9 \times 40000 + 36 \times 7000$ sqm = 9,32,000 sqm

ii. Tata Power Delhi Distribution Limited (TPDDL)

TPDDL majorly serves Northern part of Delhi. The current load in TPDDL area is served by 78 nos. of grid substations which is a mix of 66/11 kV and 33/11 KV. For the 33 kV belt, which is densely populated, it is assumed that the new land would be in smaller sizes and thus it has been considered that a 2 transformer grids (2 x 31.5 MVA, usable 44 MVA). For the 66 kV belt, 3 transformer grids (3 x 31.5 MVA, usable 66 MVA) is considered. Considering a diversity factor for power transformer loading, it is estimated that additional 70 nos. new grid substations will be required to meet

normal load growth and an additional 20 grid substations to meet EV charging load. Thus a total of 90 new grid substations would be required. Space required for grids is 1250 sq meters. (50 x 25 sq. mtrs., min. two sides open)

Considering diversity factor between power transformers, feeder and distribution transformers and accounting for bulk consumers, an additional 6850 MW or 7850 MVA of peak load has to be served by distribution transformers. Assuming 50-50 mix of dual and single transformer substation (32sqm), approximately additional 3750 dual transformer (80sqm) and 3750 single transformer substations (total 7500) would be required.

- Total Grid Land: $90 \times 1250 \text{ sqm} = 1,12,500 \text{ sqm}$
- Total Distribution Transformer land requirement = $3750 \times 80 + 3750 \times 32 = 4,20,000 \text{ sqm}$

iii. **BSES Yamuna Power Limited (BYPL)**

BYPL majorly serves the Eastern part of Delhi. Based on CAGR of 3%, BYPL load will increase from the present 1653MW to 3075MW in 2041. After including demand on account of EV and go electric drive, peak load is expected to increase further to 3600MW (approx). Based on peak load of 3075MVA, total grids required to meet the load is 88 nos. (approx). Considering the present 54 nos grids, land will be required for establishment of 52 new grids. Requirement for EV load will be additional. Land required for each grid will be 2000 Sqm (50 X 40 m). However with emerging technologies, we will try to optimize the land requirement.

To meet 3600 MVA, desired capacity is 7200 MVA considering diversity factor. Based on the same, at least 1873 Nos new 11/0.433kV Substations will be needed. Requirement for EV load will be additional. Land required for each substation is 80Sqm (8 X 10 m). However with emerging technologies, we will try to optimize the land requirement.

- Total Grid Land: $52 \times 2000 \text{ sqm} = 104,000 \text{ sqm}$
- Total Distribution Transformer land requirement = $1873 \times 80 = 149,840 \text{ sqm}$

iv. **BSES Rajdhani Power Limited (BRPL)**

BRPL majorly serves the Southern and South-West parts of Delhi. BRPL serves a geographical area of 750 sq kms with current annual peak load growth of about 5.88%. In FY 19-20, BRPL recorded peak load of 3211 MW which is 43.33% of Delhi peak (7409 MW). Assuming same share in 2041, the peak load of BRPL would be about 8263 MW (5052 MW additional) out of Delhi's projected peak demand of 19070 MW.

Key upcoming loads in BRPL area includes, DIAL, DMICDC, RRTS by NCRTC, ITPO, DMRC, redevelopment projects by CPWD (Sri Niwaspuri, Kasturba Nagar, Tyagraj Nagar, Mohammadpur), urban extension in 4 zones (J, K1, K2, L).

Presently, the load in BRPL area is being served by 99 nos. of grid substations which is a mix of 66/11 kV and 33/11 kV voltage levels. Considering a diversity factor for power transformer loading, 115 new grid substations will be required to meet normal load growth. Required space for a grid substation is 50x60 sqm. Each Substation area will accommodate 3 Power Transformers, GIS and 11 kV Panels,

SCADA, Shunt Reactors, Batteries, Solar Systems, possible expansion in capacity and possibility to accommodate substation of voltage higher than 66 kV.

Considering diversity factor between power transformers, feeder and distribution transformers and accounting for bulk consumers, an additional capacity of 11788 MVA at distribution transformers level would be required. For each 11/0.4 kV substation with two Distribution transformers of 1 MVA each, there will be space requirement of about 80 sqm.

Space requirement for BRPL:

- a. Total Space requirement for 66/11 kV and 33/11 kV Grid Substation: 115×3000 sqm = 3,45,000 sqm.
- b. Total space requirement for 11/0.4 kV substation = $(11788/2) \times 80$ sqm = 4,71,520 sqm
- c. Apart from above (a and b) land requirement for normal load growth, there will be additional requirement of land 57,000 sqm for 19 nos. grid substations and 77,120 sqm for 964 nos. of 11/0.4 kV substation in BRPL area, assuming 10% of normal load demand will be on account of EV charging load in 2041. Upcoming EV charging load includes DTC Bus, ESSL load on SDMC parking and other EV charging stations

With above loading conditions and space provisions, on an average, there would be one grid substation in every 3 sq km and one DT substation in every 50,000 sqm area of BRPL.

v. **Gas insulated sub-stations**

Gas Insulated Substation (GIS) shall be promoted by DISCOMS that will have lesser space requirement. Provision must be kept in Master Plan-2041 for designated spaces in all new development projects and redevelopment projects for establishment of sub-stations, installation of distribution transformers and laying of power cables.


Space for power infrastructure must be provided at right places (near to load centre). Technically feasible space for substations must be allocated for DTL/ DISCOM and proper "Right of way" to be ensured for power poles/ laying underground cable for present and future requirements. The Standard norms for Grid/Substation sizes is annexed as Annexure – IX (a).

3. UTILITY DUCT

Utility Ducts (along and across the roads) are critically required to ensure proper laying of city infrastructure and also to maintain the laid infrastructure. The importance of same is acknowledged by all. Ministry of Road & transport issued circular vide F. No. RW/NH33044/29/2015/S&R(R) Dated 22.11.2016 regarding policy guidelines for accommodation of Public and Industrial utility services along and across National Highways. New main road development plan shall include the provision for subsurface space allocation among various utilities. That is dedicated corridors for power, telecom, gas, water and sewer need to be developed during the development of roads so that damage to other utilities can be minimized and systematic planning can be made for future growth. This will have a positive impact on the speed utilities can provide new power supply connections as well maintain existing ones. As one of the major reasons for faults in the underground network is damage by 3rd party, utility ducts would result in a near fault free network. This

will help to increased ranking in Ease of Doing Business (EODB). Indicative arrangement as below.

Figure 1 Indicative arrangement for Utility Duct



The utility corridor requirement details as below:

a. Subsurface utilities:

Type	Capacity	Corridor Width
66 kV/33kV/ 11kV UG cables for main roads	Around 100 MVA	Min. 1.2m
11 kV & LT U/G cables for interconnecting internal roads	Around 5 MVA	Min. 0.7m

b. Overhead network requirements:

Type	Capacity	Corridor Width
66 kV O/H Double Circuit OH Line	110 MVA	Min. 6m and 2.3m each side
33 kV O/H Double Circuit OH Line	60 MVA	Min. 6m and 2.0m each side
11 kV O/H Line	5 MVA	Min. 1.1m and 1.2m each side
LT O/H Line	0.18 MVA	Min. 1.0m and 1.2m each side

There is a need to ensure constructing utility duct in all newly constructed roads and also explore possibilities to implement same in existing road also.

4. Cost estimates (in Rs. Crore) given by DISCOMs for converting 100% 11kV power cables to underground (without ducting):

	BRPL	BYPL	TPDDL
11kV network	729	27	2369
HVDS network	2574	726	790
Total (in crores)	3331	753	3159
Total Cost	Rs. 7243 Crores		

Under Jagmagati Delhi, initial budget of 50 crores has been kept for FY 2021-22, for conversion of 11kV bare conductor to insulated conductor.

5. Vehicle switching from Fossil fuel to electricity

The Delhi EV Policy, 2020 envisaged “accessible public charging facilities within 3 km travel from anywhere in Delhi” (Clause: 6.2.1) and the Ministry of Power, GoI vide guidelines and standards notified for Charging Infrastructure for EVs has also envisaged for “At least 1 Public Charging Station is to be available within a grid of 3Km. x 3Km.” DDA should include land planning for creation of Charging Infrastructure for EVs in Master Plan of Delhi 2041.

6. Land/ Space Constraints:

- a) DISCOMs face severe space constraints for substations, feeders and other associated equipment despite taking several measures to reduce footprint of substations (like GIS, E-House, Package Station, etc.). There is rampant encroachment on power infrastructure in many areas leading to reliability, safety and power theft issues.
- b) A clear land policy is required for space allocation for substations, feeders and associated network equipment (like feeder pillars, distribution boxes etc.) in all existing areas based on present load density and future load growth. Land policy should specify land requirement for substations and associated network equipment in new developments including electrification of new areas, private development, EV charging stations and all new infrastructure development projects.
- c) Land Policy needs to incorporate measures to prevent encroachment of power infrastructure.
- d) Key Considerations for land allocation for 66/11kV & 33/11kV Grids:
 - i. 66/11kV or 33/11kV grid is required for serving a load of 35MVA.
 - ii. Based on projected peak load, total grids will be required to meet the load.
 - iii. Considering the present numbers of grids, additional land will be required for establishment of new grids. Requirement for EV load will be additional.
 - iv. Land required for each DISCOM grid will be 2000 Sqm (50 X 40 m). However, with emerging technologies, we will try to optimize the land requirement.
- e) Key Considerations for land allocation for 11/0.4kV Substations:
 - i. Considering 1484 sq. Km area of Delhi and projected population of 29.1 million in 2041, the load density will increase which will probably highest in India.
 - ii. Typically, 1 Nos substation is required for each MW and thus considering demand density in Delhi, around 15,000 substations/Distribution transformers will be required of different voltage levels.
 - iii. Requirement will be higher for areas with higher load density.
 - iv. Land required for each substation is 60Sqm (12 X 5 m). However with emerging technologies, we will try to optimize the land requirement.
- f) Land allocation to the concerned DISCOM need to be ensured in a time bound manner to maintain the reliability and quality of power.

7. Major reforms undertaken in Delhi

- **The nos. of procedure have been reduced from 3 to 2:** DERC vide order dt.18.12.2020 i.e. called Delhi Electricity Supply Code and Performance Standards (Relaxation) Third order 2020, reduce the number of procedures from three to two for release of Electricity connection the details are as follows:
 - Procedure 1: Submission of application along with all documents
 - Procedure 2: Field inspection & Energisation of connection
- **Time:** For the period to be consider for DBR 2021 (i.e. May 2019 to April 2020), the electricity connections have been provided within 7 days where RoW permission is not required & within 14 days where RoW permission is required by Delhi DISCOMs.
- **The cost of getting electricity connection:** DERC vide order dt.23.10.2019 has reduced the cost for electricity connection for 150kVA consumers from Rs. 25,000/- to Rs. 15,000/-. For sanctioned load More than 5kW and up to 150kW the cost is (Rs. 3000 + Rs. 500 per kW or per kVA as the case may be for the load beyond 5kW), limited to a maximum of Rs. 15000/-.
- **Reliability of Supply:** Following steps are required for improvement of reliability of supply (SAIFI & SAIDI) in long term: Conversion from Overhead to Underground System, Dedicated corridors for laying Electrical network.
- **Steps taken by DISCOM's to improve SAIFI & SAIDI:** Upgraded from the conventional SCADA to Advanced Distribution Management System (ADMS). ADMS is an integrated platform with one user interface for SCADA, DMS, OMS, GIS, ERP, CRM, FFA and Meter Data Management System (MDMS). SAIFI - System Average Interruption Frequency Index, SAIDI- System Average Interruption Duration Index.
- **Formulation of Dig and Restore Policy:** Dig and Restore Policy has been formulated by PWD Department for granting Online Right of Way permission by boarding all the Road owing agency on the single portal i.e. PDM (Plan, Dig & Monitor) software by Delhi Govt.
- Government of the NCT of Delhi has notified self-certification for DISCOM's installations up to 33 kV in place of 650 V vide notification dated 04.01.2017
- Pole mounted transformers capacity enhanced from 250KVA to 500KVA as per CEA gazette notification dated 06.04.2015.
- **Simplification of Documentation for Getting New Electricity connection:** Only 2 documents required i.e. ID proof and ownership proof vide DERC order dated 12.05.2016.
- Revision of application form for Getting New Electricity connection by removing certificate details of Electrical contractor, Lift inspector & Fire services by DERC order dated 24.04.2017.
- New Connections up to 200 KW sanctioned load to be released at LT voltage level in place of 100KW only previously –Guidelines issued by DERC vide order dated 31.08.2017.
- Payment of Demand note for release of electricity connection in first bill for applicants taking supply at LT level vide DERC order dated 31.05.2019.

- Mandatory online applications in lieu of offline option for load above 50KVA as per DERC (Supply code and performance standards) Regulations 2017.

8. Reducing regulatory compliance burden:

Dept. of promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Govt. of India is Nodal Department for coordinating exercise of minimizing compliance burden on Industries/ business and on citizens. Department of Industries, GNCTD, is nodal agency on behalf of GNCTD. It is to identify further that which regulatory compliances, acts and rules can be repealed, simplified or made online. Thirteen services in consultation with DISCOMs were identified which required compliances from citizens of Delhi and referred to DERC for examining to reduce compliance burden on citizens.

Presently only one compliance has been identified for making it online. The reform is as under:

Dept.	Burdensome Act/Rule & Provision	Short Description	Compliance type	Action to be taken Renewals	Timeline
Delhi Electricity Regulatory Commission	Filing of Petitions under Section 142 of Electricity Act 2003 and other than section 142 of Electricity 2003 before the Hon'ble Delhi Electricity Regulatory Commission	DERC adjudicates on Petitions filed under Section 142 and matters other than under Section 142 of Electricity Act 2003	Filing of Petition	Implement e- filing petitions	31.03.2021

9. Renewable Energy and Sustainable Power Consumption

Various efforts are being made within Delhi towards harnessing renewable energy. The overarching national policy through the assigned Renewable Purchase Obligation (RPO) as well as the state level solar policy 2016 sets out clear targets for enabling the transition towards renewable energy. As per the RPO targets for Delhi, it needs to meet about 19% of its consumption from renewable by 2022. The Solar Policy 2016 estimates a solar energy potential of 2500 MW for Delhi and target implementation of 1995MW to be installed by 2025.

The Government of NCT of Delhi launched “**Mukhya Mantri Kisaan Aay Badhotari Solar Yojna**” to install Solar Panels in such a way that farmer(s) can do farming (s) beneath the solar panels. This scheme was devised to facilitate land owners to utilise their lands for economic uses by installing solar panels, thereby minimising misuse, unauthorised

constructions and ensuring balanced development and retaining the green character of these areas. The farmer(s) of Delhi can get additional fixed income by installation of solar power plants. The salient features of “Mukhya Mantri Kisaan Aay Badhotari Solar Yojna” is as under:

- Solar Panels at raised structure of 3.5 meters to allow farming on agriculture land of peripheral Green Belt villages.
- No change of land use, farmer(s) to continue farming.
- No investment required from farmer(s), investment to be done by Solar Power Developer.
- Farmer(s) to get ₹ 8333/- per month per acre of land with an increment of 6% per annum upto 25 year, additionally, 6000 units electricity per annum per MW of plant
- Minimum capacity of Solar plant 1 MW, to be installed on 06 acres of land (approximately 1/3rd of the land to be covered by solar plant)
- Evacuation of power to be facilitated by DISCOMs.

Under “Mukhya Mantri Kisaan Aay Badhotari Solar Yojna” the Government Departments were envisaged as the power purchaser, assuming costly power generated through this scheme as solar power plants are to be installed at raised structure.

Further, Government of India launched a scheme named as “**Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan**” or **PM KUSUM scheme** under which solar power plants can be installed on agriculture land, barren land, pasturelands and marshlands of farmers. This scheme mandates power generated shall be purchased by DISCOMs at pre-fixed levelised tariff or tariff discovered through bidding. The salient features of PM KUSUM are as follows:

- PM KUSUM to be implemented through DISCOMs and DISCOMs are entitled for to get Performance Based Incentive @ 40 paise per unit purchased or Rs. 6.6 lakhs per MW of capacity installed, whichever is less, for a period of five years from the COD.
- Solar plant of capacity 500 KWp to 2 MW. In specific cases based on Techno-Commercial Feasibility smaller than 500 KWp are allowed.
- Power shall be purchased by DISCOMs. Furthermore, Power Department has envisaged merging both schemes for smooth implementation and benefit to stakeholders’ viz. DISCOMs and Farmer(s).
- Delhi DISCOMs have been allocated 62 MW by MNRE, GoI under PM KUSUM scheme.
- Draft documents prepared and letters sent to DERC and Delhi DISCOMs for comments on mode of scheme execution, levelized ceiling tariff and draft PPA.

10. In respect of installation of Solar PVs on rooftop of group housing societies, only 59 societies have installed SPVs. There is a huge scope of installing SPVs in the remaining 1841 societies in NCT of Delhi. It is therefore proposed that all the remaining CGHS societies and other multi storied societies should be mandated to install solar rooftop plants. With Solar installation on government land, buildings, all private buildings, Delhi can generate about more than 2000MW of solar power. Further, SPVs can also be installed on canals and highways which would enable Delhi to meet 40% of peak demand of power through

solar energy. Together with the renewable energy purchases, Delhi can meet more than 50% demand from renewable energy. To sum up, DDA requires to consider the following:

- Making mandatory provision for Solar PV installation in existing buildings also.
- Promote Solar PV installation on vacant land available with government agencies. This can also help in mitigating/eliminating encroachment problems.

11. Building design and layout considerations for reduced demand of HVAC:

- Provision of HVAC to reduce peak load is there in ECBC – 2017 notified by Bureau of Energy Efficiency (BEE), Ministry of Power, GoI.
- Energy Conservation Building Code (ECBC) for commercial buildings was notified by BEE, GoI in 2007 and updated version was notified in 2017.
- The Energy Conservation Building Code (ECBC), is a document that specifies the energy performance requirements for commercial buildings that have a connected load of 100 kW or greater or a contract demand of 120 KVA or greater that are to be constructed in India and is mandated by the Energy Conservation (EC) Act, 2001.
- ECBC encourages energy efficient design or retrofit of lighting & control fixtures in the existing buildings so that it does not constrain the building functions, comfort, health, or the productivity of the occupants and also have appropriate regard for economic considerations (life cycle costs i.e. construction + energy costs are minimized). ECBC defines the norms of energy efficiency of building equipments and takes into consideration the climatic region of the country, where the building is located. Norms have been developed to cater different climatic zones in India such as: Composite, Hot & Dry, Warm & Humid, Moderate and Cold.
- ECBC provides design norms for:
 - Building Envelop: It includes Thermal performance requirements for walls, roofs and windows except for unconditioned storage spaces or warehouses.
 - Comfort Systems & Controls: It includes the energy performance of heating, ventilating, air conditioning and service hot water & pumping and their controls.
 - Lighting & Controls: It includes interior and exterior lighting, day lighting and lamps & luminaries performance requirements.
 - Electrical and Renewable Energy Systems: It includes the energy performance of motors, transformers, DG sets, UPS and energy metering.
- ECBC can effectively be implemented by participation of various stakeholders such as DDA, PWD, MCDs, Council of Architecture, NBCC, DISCOMs, and Private Builders/Engineers/Architects etc.
- In Delhi, DDA prepares and notifies the Building Bye-Laws and provisions of ECBC-2007 have already been included in the bye-laws for some building types by DDA. So far DDA has included the provisions of ECBC in UBBL 2016:
- UBBL 2016 U/s 3.2, table 3.5 (4e), has made mandatory compliance measures (for all buildings having plot area from 50,000 m² to 1, 50,000 m²) as recommended in the Energy Conservation Building Code (ECBC) 2007 of the Bureau of Energy Efficiency, Government of India. However, there are no provisions for making ECBC mandatory (as a whole) for buildings except the area mentioned above, only few components of ECBC incorporated.

- Comprehensive mandatory provision is required to be included in the Delhi's Unified Building Bye-Laws (UBBL) 2016 which comes under purview of DDA. Previously, DDA was requested to incorporate provisions ECBC in Delhi's UBBL by DDA vide Secretary (Power) DO letter dtd: 01.09.2020. (copy attached)
- Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), GoI has also directed DDA vide OM dtd: 21.09.2020 to consider necessary amendments to include the provisions of ECBC guidelines in Unified Building Bye-Laws (UBBL).
- Further, Bureau of Energy Efficiency (BEE), GoI has also launched Eco-Niwas Samhita (ENS) for residential buildings and residential part of mixed land used projects build on plot area \geq 500 square meters in 2018. In the first phase minimum standards for the building envelop was launched to limit heat gain or heat loss of the residential building comprising adequate day lighting potential and ventilation. BEE, GoI is developing Eco-Niwas Samhita part-II for setting up minimum standards for the Electromechanical Equipments for efficient use of energy in residential buildings, which may be released shortly. The provisions of ENS have to be incorporated in Unified Building Bye-Laws (UBBL).
- DDA is being continuously followed up by Power Department for making requisite amendments in UBBL to incorporate provisions of ECBC for commercial & residential buildings.
- It is proposed that DDA should urgently amend UBBL & incorporate the provisions of ECBC for commercial and residential buildings. It is also proposed to promote adoption of Energy Efficiency measures in electricity usage.

12. Installation of smart meters (by DISCOMS)

The planning for installation of smart meter by respective DISCOMs is as under:

S.No	DISCOM	Total Consumers (in lacs)	Total Smart meters installed (in lacs)	DERC approval taken (Nos. in lacs)
1	BRPL	27.3	(4881 numbers)	3
2	BYPL	17.7	(147 numbers)	1.7
3	TPDDL	18.2	2.1	7
4	NDMC	0.7	0.6	-
	Total	63.9	2.7	11.7

- Total Consumer base of Delhi : 63.9 Lacs
- Total Smart Meters installed : 2.7 Lacs
- Balance Smart Meters to be installed : 61.7 Lacs
- Each smart meter costs around Rs. 3000 and approx Rs 6000-7000 including overall logistics. Replacing all balance 61.7 lacs meters with smart meters under CAPEX model, the cost will be around Rs. 3700-4300 crores
- Under OPEX model of EESL, NDMC has installed 60000 meters for project cost of Rs. 61.68 crores for 8 years i.e. Rs. 10280 / consumer for 8 years.

- For balance 61.7 lacs consumers under OPEX Model based on NDMC estimation, the overall cost will be Rs. 6342 Crores for 8 years.
- For targeting all the consumers, DERC will be requested for an early order for approving CAPEX / OPEX model.
- Delhi DISCOMs shall also be asked to go for installation of smart meters for all consumers in NCT of Delhi in time bound manner.

Annexure – IX (a)

Norms for Land Size for different Grids / Substations:

I. GIS (66kV / 33kV)

The guidelines for plot size of GIS substations were framed vide minutes of meeting dated 12.09.2016. The guidelines are as under:

- 50m x 30m (Two side open and rectangular plot. Right of Way of 6m required)
- 55m x 30m (One side open (longer side of plot). Rectangular plot. Right of Way of 12m required)
- 40m x 50m (One side open (Shorter side of plot). Rectangular plot. Right of Way of 12m required)
- In case of irregular shaped plot or no parallel road to plot, the plot size will be decided on the basis of joint inspection of officials of DDA & DISCOMs.

II. DDA order dated 09.09.2003 for Air insulated Sub Stations:

- 185m x 160m: Plot size for 220kV sub stations. Size can be further reduced if 33kV / 11kV not required.
- 95m x 90m: Plot size for 66kV sub stations.
- 60m x 45m: Plot size for 33kV sub stations.
- 10m x 8m: Plot size for 11kV sub stations.

III. Reference for 11/0.4 kV DT Substation space requirement

- Clause 6(4) of Chapter on schedule of charges of DERC Supply Code 2017 read with amendments.
- SDMC Circular dated 30.03.2017 regarding provision of substation space.

Annexure – IX (b)

Clause 6(4) of Chapter on schedule of charges of DERC Supply Code 2017:

(4) The developer/applicant taking supply at Low Tension level for any premises or for re-constructed premises, requiring LT Service connections whose:

- total cumulative demand of all floors in the plot/ building for LT service connection exceeds 100 kW/108 kVA; or
- total cumulative built up area of the premises in the plot/building exceeds 1000 sqm; or
- plot of size above 300 sqm or above; shall provide the space for installation of distribution transformers, as per the required load.

Provided that the minimum space required to be provided by the developer/applicant for installation of distribution transformers/ equipment shall be as per circular no. South DMC/0148/SE(B)HQ/Addl. Coml/17 dated 30.03.2017 notified by South Delhi Municipal Corporation or as amended from time to time, annexed at annexure IX (c):

Provided further that the existing consumer shall also be required to provide the space as above, in the event of:

- i. enhancement of existing load on account of additional construction in the premises and consequently the total built up area exceeds 1000 sqm of the plot/building or their total LT Service connections demand exceeds 100 kW/108 kVA; or
- ii. enhancement of load based on maximum demand readings for the electricity connections energized on or after 1.9.2017 and the total LT Service connections demand exceeds 100 kW/108 kVA;

Provided also that if the required space is not provided by the applicant or the developer, the distribution Licensee may refuse the grant of additional load:

Provided also that the consumer taking supply at LT voltage level, irrespective of its sanctioned load or the contract demand as the case may be, shall also provide the space to the licensee for installation of meter, and part of service line up to the point of supply, to the extent that would fall within his premises.

[Explanation: For the purpose of this sub-clause, the built-up area shall be as specified in the plan approved by the authorized agencies. In case, built-up area is not specified in the approved plan, the built-up area shall be taken as the carpet area plus the thickness of outer walls and the balcony]

Annexure – IX (c)

SDMC Circular on Provision of Spaces for Substation

SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION
OFFICE OF THE ADDITIONAL COMMISSIONER-I
6TH FLOOR, DR. SHYAMA PARSHAD MUKHERJEE CIVIC CENTRE
JAWAHARLAL NEHRU MARG : NEW DELHI - 110002.

No.South DMC / 0/48 / SE(037110) / Addl. Commr. I / 177 Dated: 30.03.2017

C I R C U L A R

Subject : No requirement of NOC from Delhi Jal Board & DISCOM at the time of sanction of building plans under the Online System - EODB.

Under the "Ease of Doing Business" relating to construction permits, the requirement of NOC from Delhi Jal Board is not required as already communicated by the Chief Engineer (Plg.)W, D.J.B. vide letter No.DJB/CE(Plg)W/2016/138 dated 29.04.2016, stating therein that "Since Delhi Jal Board is a service provider and provides water to the constructed buildings, issue of NOC from DJB for approval of plans / construction permits is not required".

With regard to NOC from DISCOM, there is no need to submit the NOC for sanction of building plans. The built up space for transformer / equipments is to be provided in the plot as per Annexure "A", copy enclosed.

To have the uniformity in the process of Online Sanction of Building Plan, this may be applicable in all the three Municipal Corporations.

This is for necessary compliance by all concerned.



Additional Commissioner-I
South Delhi Municipal Corporation

Distribution:

- 1 Additional Commissioner(Engg.) - North & East DMCs
- 2 All Zonal Deputy Commissioners-South, North & East DMCs
- 3 Chief Town Planners -South, North & East DMCs
- 4 Chief Law Officers -South, North & East DMCs
- 5 Director (IT) - with the request to upload the above circular on the website and a copy of the circular be forwarded through e-mail to all empanelled Architects / Engineers / Supervisors.
- 6 All SEs(Bldg.)HQ -South, North & East DMCs
- 7 All EEs(Bldg.)HQ & Zonal EEs(Bldg.) -South, North & East DMCs
- 8 EE(OBPS), I.T. Deptt.
- 9 AE(OBPS) - to upload the same on Facebook page of EODB.

Copy to:

- 1 PS to Commissioner, South DMC - for kind information of the Commissioner.
- 2 Director (DIPP), Ministry of Commerce & Industry, Udyog Bhawan, New Delhi.
- 3 Special Commissioner of Industries, O/O the Commissioner of Industries, Govt. of NCT of Delhi, Udyog Sadan, Patpargang, New Delhi - for kind information.

Space for Electrical Installations

1.1 **Electric Sub-station** – The norms given in 1.1.1 and 1.1.2 shall be adopted for provision of space for sub-station.

1.1.1 Load calculation criteria based on construction area and applicable load norms

Category/Usage of premises	Applied/approved construction area* per 1000 Sq. ft.	Load requirement as per applicable load norms
Domestic	1000 Sq. ft.	15 KW
Non Domestic	1000 Sq. ft.	25 KW
Industrial	1000 Sq. ft.	40 KW

* Construction Area = (Plot Area) * (FAR) else construction area as per building plan, whichever is maximum

1.1.2 Space Requirements for Electrical Sub-Station

Sl No	Total Construction area (in Sq. m)	Calculated load as per construction area in KW	Space requirement for Utility (LXW)	Minimum space requirement for applicant (LXW) in casse of HT/ Utility in case of electrification	Total Space for Electrical Services in Bldg plan (Sq M)
1	Construction area is as per applied/approved bldg plan.	100 -200	4 M X 5.3 M		21
2		201-800	6 M X 3 M	4 M X 5.3 M	39
3		801-1500	6 M X 3 M	2* (4 M X 5.3 M)	60
4		1501-2200	6 M X 3 M	3* (4 M X 5.3 M)	82
5		2201-2900	6 M X 3 M	4* (4 M X 5.3 M)	103
6		2901-3500	6 M X 3 M	5* (4 M X 5.3 M)	124
7		>3500	Applicant shall approach utility for approval of space and layout		

Notes:

1. In case of special/additional requirements of applicants such as double metering arrangement, N-1 contingency up to distribution transformers, automation etc. then the space requirement may vary. The same shall be considered with the approval of Utility/Licensee.
2. The floor of the sub-station shall have cable trenches of 0.6 m X 0.9 m (WxD), the layout for which will be given at the time of actual construction. This floor shall be capable to withstand minimum load of 10 tones of each transformer/switchgear/metering panel mounted.
3. Please refer enclosed ANNEXURE-I for additional specifications/requirement of electrical substation

ANNEXURE-I

1. **Distance from Electrical lines / Structure** : Substation space shall taken care the minimum clearances as per below table

Description	Vertically	Horizontally
Low and Medium Voltage up to 650 V	2.5 M from the highest point	1.2 M from the nearest point
High Voltage lines up to 33 kV	3.7 M	2.0 M
Extra High Voltage lines beyond 33kV	3.7 M Plus 0.3 M for every additional 33kV or part thereof	2.0 M Plus 0.3 M for every additional 33kV or part thereof

2. Specifications and location of Substation

- a. The substation should preferably be located in separate building within the plot and could be adjacent to the generator room, if any. Location of substation in the basement floors should be avoided, as far as possible.
- b. The ideal location for an electrical substation for a building or a group of buildings would be at the electrical load centre on the ground floor. The floor level of the substation or switch room shall be above the highest flood level of the locality. Generally the load centre would be somewhere between the geometrical centre and the air conditioning plant room, as air conditioning plant room would normally be the largest chunk of load, if the building is air conditioned.
- c. The gate shall open towards outside of the room and shall be painted black.
- d. The approach road shall be minimum 4 meter wide up to substation from the entry gate and height should not be less than 4 meter.
- e. No service such as sewer, air conditioning, water, gas pipes etc. should pass the Electrical Substation (ESS) or the cable trench provided in/outside of ESS.
- f. There should not be any basement/underground water tank or any construction beneath the ESS proposed but relaxation may be accepted subject to submission of certificate from license structure engineer, clearly mentioning that the floor above the basement or water tank can withstand the load of BRPL equipments to be installed inside the substation.
- g. The structure provided for ESS should be weather and fire proof of above referred dimension and should be free of any kind of seepage/leakage. There should be no combustible material kept in side or in the vicinity of ESS.
- h. The above mentioned space requirement does not cover the installation of consumer part.
- i. Substations with oil filled equipment will require great consideration for the fire detection, protection and suppression. Oil cooled transformers require a suitable soak pit with gravity flow to contain the oil in the event of the possibility of oil spillage from the transformer on its failure. Substations with oil filled equipment shall be located at ground floor only. Such substations with high oil content may be housed in a separate service building or a substation building, which is not the part of multi-storied building.
- j. **In case electric substation has to be located within the main multi-storied building itself for unavoidable reasons, then it should be located on the floor close to ground level, but shall have direct access from the street for operation of the equipments.** The provision for installation and removal of substation equipments may be provided from inside the building.

ANNEXURE X: SERVICE PLAN - DELHI TRANSCO LIMITED (DTL)

दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालय: शक्तिमदन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002



DELHI TRANSCO LIMITED
(A Govt of NCT of Delhi Undertaking)
Regd. office : Shakti Sadan, Kotla Road, New Delhi - 110 002
CIN: U40103DL2001SGC111529

No. F.DTL/202/Oprns.plg/DGM(Planning)/20-21/F-18/46

Dated: 16.12.2020

Vice Chairman
Delhi Development Authority
Vikas Sadan, INA
New Delhi-110023
Email:- vcdda@dda.org.in

Subject: Perspective Plan for Power Transmission Services for Delhi-2041 (MPD-2041).

Respected Sir,

This is in reference to your letter no. F.18 (7)2018-MPD-159 dt. 16.07.2020, regarding preparation of perspective Plan for Power Transmission Services for Delhi-2041 (MPD-2041).

In this context, DTL has attended various meeting earlier for "POWER" Base lining Group for MPD-2041 organized by DDA. During these meeting, DTL has presented "Norms/infrastructure/challenges etc. of Transmission Network.

For the preparation of perspective plan for Delhi power transmission network, a load growth around 4% for developed area, 2% for NDMC area and 7% developing area like Dwarka has been considered. Further, the areas which are going to be developed under DDA land pooling policy, a thumb rule being practices in Power sector, for catering power requirement for 16-20L urban population, 1 no. 400k220kV substation and 3 nos. 220kV substation has been considered for ensuring the system reliability.

Accordingly, a DDA zone wise perspective plan for Power Transmission Services for Delhi-2041 (MPD-2041) has been prepared and enclosed herewith. The downstream network (66kV, 33kV, 11kV) as Power Distribution Services for Delhi is required to be provided by the concerned DISCOMs of Delhi.

Pankaj



Office: Dy. General Manager (Planning)
First Floor, Shakti Deep Building, Anarkali Market Complex, Jhandewalan, New Delhi - 110055
Ph: 23520105 Fax: 23622707 Email: dgmplanning.dtl2016@gmail.com
Visit us at www.dtl.gov.in, www.delhisldc.org

दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का उपक्रम)
पंजीकरणकार्यालय: शक्तिमदन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002



DELHI TRANSCO LIMITED
(A Govt of NCT of Delhi Undertaking)
Regd. office : Shakti Sadan, Kotla Road, New Delhi - 110 002
CIN: U40103DL2001SGC111529

The summary of perspective plan for Power Transmission Services for Delhi-2041 (MPD-2041) as under:-

Voltage Level	No. of Existing substations	No. of proposed substations (under pipeline or execution)	No. of proposed substations (MPD-2041)	Associated ROW requirement
765kV	01	01	02	67m ROW for overhead (O/H) Transmission line (T/L)
400kV	07 (including Mandola)	03	09	52m ROW for overhead (O/H) Transmission line (T/L)
220kV	41	04	37	35m ROW for O/H T/L or 2x2 mtr for U/G Cable.

In view of the above, it is requested to earmark/allocate land/ROW in Master Plan of Delhi-2041 as per DTL perspective plan for establishment of Power transmission infrastructure (enclosed).

Thanking you.

Enclosures:- as above

Pankaj
16/12/2020

(Pankaj Kumar Vijay)
Dy. General Manager (Planning)



Office: Dy. General Manager (Planning)
First Floor, Shakti Deep Building, Anarkali Market Complex, Jhandewalan, New Delhi - 110055
Ph: 23520106 Fax: 23622707 Email: dgmplanning.dtl2016@gmail.com
Visit us at www.dtl.gov.in, www.delhisldc.org

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041
AGENCY: DELHI TRANSCO LIMITED (A Govt. of NCT of Delhi undertaking)

1. PROJECTED POWER DEMAND – 2041

As per the trends indicated by Department of Power, GNCTD, the power demand by 2041, is projected to reach 63,389 MU. Peak demand is likely to increase to 19,070 MW. Based on this it is estimated that the total installed capacity would also need to be increased threefold up to 21,930 MW (15% over and above the estimated peak demand). The current installed capacity for Delhi is 7,901 MW thus an additional installed capacity of 14,029 MW needs to be added in the coming plan period. The following Renewable Purchase Obligation targets have been set by MNRE for Delhi- 19% by 2022, 38.5% by 2031 (based on 450GW national target by 2030) and 50.5% by 2041 (further projection of 2030 targets). The total power consumption needs to be met from renewable energy based on these targets. Strategies shall be developed and efforts shall be made along with DISCOMs to meet the set targets.

Areas that are going to be developed under land pooling policy, a thumb rule being practiced in the power sector for catering power requirement for 16-20L urban population, 1 no. 400-220kV substation and 3 nos. of 220kV substation has been considered for ensuring the system reliability. Downstream network (66kV, 33kV and 11 kV) as Power Distribution services for Delhi is required to be provided by the concerned DISCOMs in Delhi.

Table 7: Abstract of total Substation requirements (765/400/220kV)

Sl. No.	Voltage Level	No. of Existing Sub-Stations	No. of Proposed Substations (under execution)	No. of Proposed Sub-Stations	Associated RoW Requirement
1.	765 kV	1	1	2	67m RoW for overhead transmission line
2.	400 kV	7 (Including Mandola)	3	9	52m RoW for overhead transmission line
3.	220 kV	4	4	37	35m RoW for overhead transmission line or 2X2 mtr for UG cable

Table 8: Zone-wise-Perspective Plan for Power Transmission Services (765/400/220 kV) for Delhi MPD 2041

ZONES	Existing 400/220 kV substation	Voltage Level	Requirement for MPD 2041	Tentative area required (in sqm)	Requirement by the Year	Remarks
Zone -A	NIL No ESS in this zone	-	-	-		
		220/33 kV Installed capacity 400 MVA	Asaf Ali Road (Wall city)	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 sqm.	2027	This will provide power to New Delhi railway station, Delhi Metro Rail and upcoming multi story development.
Zone - B	Dev Nagar (Karol Bagh)	220/33 kV	Under construction			
		400/220/33 kV	IARI Pusa/ Dev Nagar	200 x 200 sqm (40000 sqm)	2025	<p>All the existing 400 KV station in Delhi are at the outer part of Delhi. Due to non-availability overhead corridor, power is being transmitted through underground cables. The 220kV underground cables have the limitations of shorter length and power carrying capacity.</p> <p>Therefore, a strong source of 400 kV level has become the urgent requirement in central part of Delhi. IARI PUSA are seems that 400 KV substation can be established for power requirement of central Delhi.</p>

Zone- C	Sabji Mandi	220/33 kV	Existing			
	Sanjay Gandhi Transport Nagar (SGTN)	220/66 kV				
	Gopal Pur	220/66 kV-33kV				
	Timar Pur	220/33 kV	Under construction			
	Gopal Pur	400 kV	Up-gradation in under tendering			
	New proposal to be included in MPD-2041					
		220/33 kV (400 MVA)	Azad pur	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 sqm	2031	This substation will be required to cater the natural growth of nearby area and will provide the relief to existing Gopal Pur (33 kV level) and sabji Mandi area
Zone- D	Electric Lane (Harish Chandra Mathur Lane)	220/33 kV		-	-	
	Lodhi Road	220/33 kV				
	Park street	220/66-33 kV				
			Sarojini Nagar	10000 sq.mt	2023	NDMC is in process of Redevelopment of General Pool Residential Accommodation (GPRA) colony at Neetajee Naga, Nauroji Nagar & Sarojini Nagar through NBCC. NBCC has earmarked a piece of land for establishment of 220 kV substations.
Zone- E	Harsh Vihar (East of Loni)	400/220/6 kV	Existing Substation			

Road)					
Patparganj	220/66-33 kV				
Gazipur	220/66 kV				
Preet Vihar	220/33 kV				
Geeta Colony	220/33 kV				
New proposal to be included in MPD-2041					
	220/33 kV	Dwarka Puri/ Shahdara/ Welcome colony	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 sqm.	Immediate	This proposed substation has been planned for future development to meet the industrial; and residential load growth around Shahdara, Welcome Colony, Seelampur, Jafrabad etc.
	220/66 kV	GTB Hospital/ Dilshad Garden/ Nand Nagari	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 sqm.	2025	This proposed substation has been planned for future development to meet the industrial and residential load growth around Jhilmil, Dilshad garden, Nand Nagri etc.
	400/220 kV	Geeta Colony	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 sqm.	2025	DDA may allot an area near existing 220 kV DTL Geeta Colony substation from where 440 kV Transmission line can easily be connected. Therefore, no separate corridor for 400kV transmission line is required.
	220/33 kV	Mayur Vihar	Being the land scarcity in the area, minimum area	2027	This proposed substation is for future development to meet the industrial and residential load growth around

				required 7000 sqm.		Mayur Vihar area.	
		220/66 kV	Yamuna Vihar/ Loni Road	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 sqm.	2038	This proposed sub- station is for future development to meet the industrial and residential load growth around Yamuna Vihar area.	
Zone- F	Masjid moth	220/33 kV	Existing				
	AIIMS	220/33 kV					
	Sarita Vihar	220/66 kV					
	R K Puram	220/66-33 kV					
	Vasant Kunj	220/66 kV					
	Okhla	220/66-33 kV					
	Tughlakab ad	400/220/6 6 kV					
	Ridge Valley	220 kV					
	BTPS	220/66 kV (480 MVA)					Under tendering (65 kV level)
	New proposal to be included in MPD-2041						
	400/220 kV	Near Sarita Vihar/ BTPS	200 x 200 sqm (40,000sqm)	2032		To meet the long- term load requirement of south Delhi area.	
	220/ 33 KV (300 MVA)	Nehru Place	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm	Immediate		The location has already been earmarked by DDA for establishment of 220/33kV ESS but land has not been handed- over to Power Dept. / DTL yet.	
	220/ 33 KV (300 MVA)	Malviya Nagar	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm	2027		During recent communication with DDA has informed that there is earmarked plot for ESS of area of about 3100 sqm in Malviya Nagar. After going through the DDA offer, the	

						plot size is not sufficient. Therefore, it is requested to increase the plot size or earmarked sufficient area for 220 kV ESS at nearby area.
		220/66KV (480 MVA)	West of JNU	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm	2036	This ESS will provide relief to existing 220 KV ESS (Vasant kunj) and will help to manage the load growth. DDA may kindly earmark an area near Priya PVR area, for easy evacuation of power.
		220/66KV (480 MVA)	Jasola	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm	2038	The ESS that will provide relief to existing 220 KV ESS (Sarita Vihar and Okhala) and upcoming BTPS and will help to manage the load growth. DDA may kindly earmark an area near Okhla waste to power generation plant
ZONE-G	Peeragarhi	220/ 33 KV	Existing			
	DIAL	220/ 66 KV				
	Naraina	220/ 33 KV				
	Budella	220/ 66 KV	Under tendering			
	New Proposal to be included in MPD-2041					
		220/33KV (400 MVA)	Punjabi Bagh	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm	Immediate	This ESS is top priority to meet the load growth of the area, a 220 KV ESS implementation is must. DDA may kindly earmarked an area near the road crossing of MG road and Vashisht

						Kumar Gulla marg (Vacant land) for easy evacuation of power.
		220/ 66 KV	Aero City	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm	2025	To cater the load growth of commercial hub ground airport
		220/33 KV (400 MVA)	Janakpuri (Pankha road)	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm.	2029	This will provide relief to existing Panjabi Bagh & Naraina ESS and will help to manage load growth. DDA may kindly earmark an area between C3 road and C2 park (vacant land) for easy evacuation of power.
		220/33 KV (400 MVA)	Hari Nagar/ Pratap Nagar	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm.	2041	This will provide relief to existing Papankalan-I & Naraina ESS and will help to manage load growth up to 2021 & beyond. DDA may kindly earmark an area near bus depot at Pratap nagar (vacant land) for easy evacuation of power.
		220/33 KV (400 MVA)	Kirti Nagar	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm.	2032	This ESS is required to meet the load growth of existing area.
ZONE-H	Rohini-I	220/ 66 KV	Existing			
	Wazirpur	220/ 33 KV				
New Proposal to be included in MPD-2041						

		220/66 KV (520 MVA)	Rohini Sector-1	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm.	2038	This will provide relief to existing Rohini ESS and will help to manage load growth up to 2041 & beyond. DDA may kindly earmark an area near the existing NDPL grid in this sector.
		220/33 KV (400 MVA)	Ashoka Vihar	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm.	2029	This will provide relief to existing Shalimar Bagh and Wazirpur ESS and will help to manage load growth up to 2041 & beyond.
ZONE-J	Mehrauli	220/66 KV	Existing			
New Proposal to be included in MPD-2041						
		765/400 (220 kV)	Mandi Village	400x 400 Sqm. (160,000 Sqm.)	2030	One 765 kV is required to meet the load growth of south Delhi, will provide grid power to existing and proposed 400 KV ESS. This proposed substation is planned at Mandi Village. This substation is required for major source of power supply to new developing as well as existing area at the south boundary of Delhi. DDA is also requested to provide RIGHT of Way for 765 KV ESS from existing Agra-Jhatikara 765 KV transmission Line.
		420/220 kV/ 66kV	Rang Puri	200x 200 Sqm.	2027	To provide the 220 KV source to

				(20,000 Sqm.)		Vasant Kunj and future load growth of nearby area.
		220 KV	Maidan Garhi	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm.	2024	This will provide relief to existing Mehrauli & Okhla ESS and will help to manage load growth up to 2021 & beyond. The location may be earmarked by DDA near/ beneath DTL 220 KV Mehrauli-Tughlakabad overhead Line.
		220 KV	Aya Nagar	10000 Sqm.	2028	This will provide relief to existing Mehrauli ESS and will help to manage load growth up to 2021 & beyond. Further DTL has no 220 KV ESS in this south area to cater to the future load growth.
		220 KV	Fatehpur beri/ Asola	10000 Sqm.	2032	This will provide relief to existing Sarita Vihar & Okhla ESS load growth up to 2021 & beyond will be very difficult to meet without this proposed substation. DDA may kindly earmark an area near Tughlakabad industrial area.
		220 KV	Bhati Mines	10000 Sqm.	2038	This will provide transformation capacity to meet the load growth of this extreme south corner of Delhi.
ZONE-K-1	Najafgarh	220/66 KV	Existing			
	New Proposal to be included in MPD-2041					
		220 KV	Bakkarwala	10000 Sqm.	2027	DDA may

						<p>earmarked an area to meet the load growth due to new residential colonies like Lok Nayak Puram and other industrial developments are also proposed in this rea.</p> <p>It will much better, if an area may kindly be earmarked near pocket-c of Lok Nayak Puram (vacant land), for easy evacuation of power as the rea is closer to existing 220 kV EHV overhead line</p>	
		220 KV	Dichoan Kalan	10000 Sqm.	2036	This 220 KV ESS will be required for long-term load requirement.	
ZONE-K-II	Bamnauli	400/220 kV	Existing				
	Papankalan- I	220 KV					
	Papankalan- II	220 KV					
	Papankalan- III	220 KV	Under Execution (400 kV level)				
	Dwarka sector-5	400/220 kV					
	Bharthal	220/66 KV	Under tendering				
	New Proposal to be included in MPD-2041						
		220/66 KV	Dwarka Sector- 23	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm.	2034	The load growth is very in this zone. Therefore, this ESS will be required to cater the load in long term.	
ZONE-L	Jhatikara	765/400 KV	Existing				
	Tikri kalan	400/220 kV/ 66kV					
	New Proposal to be included in MPD-2041						
		400/220	Jhatikara	200x 200	2023	This zone has been	

		kV/ 66kV		Sqm.		notified to develop under DDA land pooling scheme. These substations are required to cater the load of proposed to be developed under land pooling scheme. Further, DDA is requested earmarked the ROW for 400 KV and 220 KV overhead transmission lines.
		400 KV	Mitraon	200x 200 Sqm.	2036	
		220 kV	Mundela Khurd	10000 Sqm.	2040	
		220 kV	Chawala/ Tejpur	10000 Sqm.	2030	
		220 kV	Dhansa	10000 Sqm.	2030	
ZONE-M	Rohini-2	220/66 kV	Existing			
	New Proposal to be included in MPD-2041					
		400/220 kV/ 66kV	Barwala Sector- 37	200x 200 Sqm. (40,000 Sqm.)	2026	This will meet the demand of land pooling area of zone- N and growing demand of Rohini area
	220 kV	Begampur	Being the land scarcity in the area, minimum area required 7000 Sqm.	2034	No area has been earmarked at this area, but the load growth of residential colonies of sector-21, 22, 41 Begaumpur, Pratap vihar and other developments are also to be met through this proposed ESS. So, DDA may kindly be requested to allot an area in this zone, positively to meet the load. It will much better, if an area may kindly be earmarked near existing 66 KV ESS at sector-22 Rohini (vacant land) for easy evacuation of power, as the rea is closer to existing	

						220 KV EHV overhead line.
ZONE-N	Kanjawala	220/ 66 KV	Existing			
	765 KV Narela	Under planning ISTS				
	New Proposal to be included in MPD-2041					
		400 KV	Chandpur	200x 200 Sqm.	2033	Already earmarked in MPD-2021
		220 kV	Nizampur	10000 Sqm.	2036	DDA may allot an area near Daryapur/ Bazidpur to cater to the proposed kanjhaala industrial area.
	220 kV	Qutub Garh	10000 Sqm.	2041	DDA may allot an area near nizampur to cater to the proposed kanjhaala industrial area also DTL do not has any 220 KV ESS at this western area to cater to the load growth.	
ZONE-O	Wazirabad	220/ 66 KV	Existing			
	Kashmiri Gate	220/ 33KV				
	Rajghat	220/ 33KV				
	IP power	220/ 33KV				
	Pragati Power	220/ 66 KV				
	Maharani Bagh	400/220 kV/ 66-33kV	400/220 KV is existing and creation of 66 KV 33 KV Level is under tendering.			
	IP Power	400 KV	Upgradation of existing 220 KV will be done in due course of time.			
	New Proposal to be included in MPD-2041					
	220/66 KV	Karawal Nagar/ Sabha Pur (beneath of existing DTL 220 KV overhead transmission line)	10000 Sqm.	2028	DTL do not has any ESS on this North Part of Delhi, only one distribution substation of BYPL is there. To meet the load growth of soniya vihar, Karawal Nagar, Sabha pur, shiv Vihar etc. area, an area may be earmarked for	

						future developments along the Pusta & Beneath of existing DTL 220 KV overhead transmission line (Mandola-Wazirabad- two lines). So that, no separate corridor could be required of connectivity to this.
ZONE-P-I	Bawana	400/220 kV/ 66 kV	Existing			
	Narela	220/ 66 kV				
	DSIIDC Bawana	220/ 66 kV				
	Tikri kurd	400/220 kV/ 66 kV	The project is proposed to be commissioned by year 2023 on land allocated by DDA.			
	New Proposal to be included in MPD-2041					
		220/ 66 kV (480 MVA)	Holambi Kalan	10000 Sqm.		DDA may allot an area near Holambi Kalan to cater to the industrial area also with 35 m ROW corridor for overhead transmission line as this area has under development.
		220/ 66 kV (480 MVA)	Budhpur	10000 Sqm.		DDA may allot an area near Budhpur to cater to the industrial area around around siraspur, budhpur, Chandpur etc. to cater to the load growth.
		220/ 66 kV (480 MVA)	Bankner Village	10000 Sqm.		DDA may allot an area near Banker to cater to the industrial area around DSIIDC Bawana and Narela etc. to cater to the load growth of residential areas around this

						location. If possible, DDA may allocate a land near Bankner village area, just beside the existing 220 KV EHV line.
ZONE-P-II	New Proposal to be included in MPD-2041					
		765/400 kV/ 220 kV	Palla Village	400 m X 400 m (160,000 Sqm.)	2041	This area has been notified to develop under DDA land pooling scheme. This sub-station is required for major source of power supply to new developing as well as existing area at the North boundary of Delhi. DDA may allot the land near to the Yamuna Bank and border of Delhi.
		220 kV	Burari	10000 Sqm.	2026	Load demand of nthhu Pura, Burari, Sant Nagar is growing in rapid rate. This substation will provide the relief to existing Gopal pur substation. DDA may allot the land near DTL existing lines. Note: Although the location has been earmarked in MPD-2021.
		220 kV	Mukhmel pur Village	10000 Sqm.	2032	This area has been notified to develop under DDA land pooling scheme. DDA may allot the land near DTL existing lines. Note: Although the location has been earmarked in MPD-

						2021.
		220 kV	Mohmadpur Village		2041	This area has been notified to develop under DDA land pooling scheme. DDA may allot the land near DTL existing lines.

ANNEXURE XI: SERVICE PLAN - INDRAPRASTHA GAS LIMITED (IGL)

INDRAPRASTHA GAS LIMITED, NEW DELHI.

From: **kumar, Sushil (सुशील कुमार)** <sushil.kumar@igl.co.in>
Date: Fri, Apr 9, 2021 at 4:42 PM
Subject: Proposed Data for MPD 2041
To: leenu.sahgal91@dda.gov.in <leenu.sahgal91@dda.gov.in>
Cc: Manisha Gupta <manisha.gupta2031@dda.gov.in>, hitender.bharti98@dda.gov.in <hitender.bharti98@dda.gov.in>, ktiwari@niua.org <ktiwari@niua.org>, nrajadhyaksha@niua.org <nrajadhyaksha@niua.org>, lsharma@niua.org <lsharma@niua.org>, bjohn@niua.org <bjohn@niua.org>, Batra Ashim (अशीम बत्रा) <ashim.batra@igl.co.in>, Bhatia, Sanjeev Kumar (संजीव कुमार भाटिया) <sanjeevk.bhatia@igl.co.in>

Dear Madam,

Please find attached Service Plan of IGL for Gas infrastructure in Delhi. Requesting you to please incorporate the same within the service plans of MPD 2041.

Regards,

Sushil Kumar

DGM (CNG Marketing)

9871659933

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041
AGENCY: INDRAPRASTHA GAS LIMITED (IGL)

Government of India is keen on making India a Gas based Economy – Aiming to push share of natural gas in energy basket from present 6% to 15% by 2030. Going ahead there is a need to lay greater emphasis on using cleaner fuels such as PNG & CNG and discouraging the use of polluting fuels such as FO, LSHS, Coal etc. The growing prices of diesel is resulting into decline in production of diesel variants & launching of more and more CNG variants by vehicle OEM’s.

There are opportunities of expanding existing LNG infrastructure. There is also a huge potential for converting in-use diesel trucks/buses to LNG in Delhi. IGL may cash-in the opportunity to create EV infrastructure at existing CNG stations. New Segments such as E-Rickshaws/Two Wheelers can be tapped under battery swapping facilities, being planned by IGL.

Below is the projected growth in CNG, Industrial, Commercial and Domestic sales volumes for the next 5 years. Considering the growth dynamics in the sector, IGL shall update its service plan once every 5 years.

Table 9: Segment wise projected growth in sales volume (MMSCMD)

Sl. No.	Segment/FY	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	CAGR
1	CNG	4.06	4.51	5.01	5.56	6.17	11%
2	Industrial	0.13	0.15	0.17	0.19	0.22	14%
3	Commercial	0.11	0.12	0.14	0.15	0.17	13%
4	Domestic	0.32	0.40	0.49	0.61	0.76	24%
Total		4.62	5.18	5.81	6.51	7.32	
<i>MMSCMD: Metric Million Standard Cubic Meter per Day</i>							

Table Source: IGL

CNG: At present there is a shortfall of 35 CNG Stations in Delhi (area required for each station is approx. 1080 sqm); refer Annexure XI (a) for details of area wise requirements. In the next 5 years, 110 new CNG Stations are planned (excluding land pooling zones) and about 20 Nos. of Field Regulatory Station is required in the next 5 years (area required for each station is approx. 100 sqm). The area requirements for a Mother Station is 3000 sqm and for an Online Station is 1080 sqm. Below is the zone wise CNG station requirements for land pooling areas:

Table 10: No. of new CNG stations required for each zone

Sl. No.	Zone name	No. of CNG stations proposed
1.	K1	5
2.	L	10
3.	N	5
4.	P2	4
Total		24

Table Source: IGL

PNG: IGL currently has 9, 66,098 households connected with PNG in Delhi (up to 31.10.2020). 9 lakh households are planned to be connected to PNG in the next 3 years.

Annexure XI (a): Land Requirement for CNG Stations

S.No.	Particular area	Stretch Route Description
1	Ring road Bypass	From Pragati Maidan CNG station to ISBT Kasmiri gate
2	Ring road Bypass	From ISBT to Dheerpur CNG Station
3	Inner Ring road	From Burari Chowk to IGL Shakurpur CNG Station
4	Outer Ring road	From Dheerpur CNG station to Jahangirpuri CNG station
5	Outer ring road	From Janakpuri District Centre to Madhuban Chowk
6	North Central Delhi	Rajouri to Connaught Place (both sides)-1
7	North Central Delhi	Rajouri to Connaught Place (both sides)-2
8	South Delhi	From Hari Nagar Ashram to RKP 12
9	Outer Ring Road	From Rohini Sector 19 CNG Station to Metcalfe House CNG Station
10	Ring Road area	Mayapuri Metro Station to IGL Sarojini Nagar Station
11	Badarpur Border	From Faridabad Delhi Border to CRRI (towards Delhi)
12	South Delhi	RKP 3 to Nehru place (Both sides of the road)
13	South Delhi	Kalkaji to Andrews Ganj Via Chirag Delhi (Both Sides)
14	South Delhi	Sri Aurobindo Marg to Lado Sarai Hybrid(Both Sides)
15	South Delhi	RKP 12 to Brar Square (Both sides of the road)
16	Mehrauli Badarpur road	Mehrauli to Sarvodaya Enclave (Both Sides)
17	Main Chattarpur road	KR Hospital to Satbari
18	Mehrauli Gurugram road	Mehrauli to Indian Oil Janta Filling Station (Both sides)
19	Lajpat Nagar/Defence Colony	From The Oberoi to Moolchand Flyover Via Lala Lajpat Rai Road
20	South Delhi	August Kranti Marg (Both sides)
21	South Delhi (SDMC)	Kalkaji to Andrews Ganj via Greater Kailash
22	Defence Colony, SDMC, Delhi	Bhisma Pitamah Marg(Both Sides)
23	South East Delhi(SDMC)	Batla House Market, Near By Area
24	South Delhi	Moolchand to Pushpabhawan(Both sides of the road)
25	NH-8	NH8 (Dhaura Kuan to Rajokri), Both Sides
26	South Delhi	AIIMS to Ashram on Ring Road (Both Side)

**ANNEXURE XII: SERVICE PLAN – DEPARTMENT OF INFORMATION AND TECHNOLOGY,
GNCTD**

**GOVT. OF NCT OF DELHI
DEPARTMENT OF INFORMATION AND TECHNOLOGY
9TH LEVEL, 'B' WING, DELHI SECRETARIAT,
NEW DELHI – 110002.**

From: **munish** <munish.sharma@semt.gov.in>
Date: Fri, Apr 9, 2021 at 3:47 PM
Subject: MPD - 2041 - Draft Report
To: <leenu.sahgal91@dda.gov.in>, <manisha.gupta2031@dda.gov.in>, <hitender.bharti98@dda.gov.in>, <lsharma@niua.org>
Cc: PRINCE DHAWAN IAS <prince.dhawan@ias.nic.in>, Santulan Chaubey <santulan@gov.in>, <secyit@nic.in>


Dear Sir / Ma'am,

Please find attached the draft report from IT department on MPD 2041. The proposal has gone to Hon'ble Minister for seeking approval.

Regards

Munish Sharma

IT Department, GNCTD, SeMT.

 **MPD 2041_final 9.4.2021-SS_ver3.pdf**
394K

From: **munish** <munish.sharma@semt.gov.in>
Date: Fri, 9 Apr, 2021, 21:59
Subject: RE: MPD - 2041 - Draft Report
To: <lsharma@niua.org>
Cc: leenu sahal <leenu.sahgal91@dda.gov.in>, Manisha Gupta <manisha.gupta2031@dda.gov.in>, hitender kumar bharti <hitender.bharti98@dda.gov.in>, PRINCE DHAWAN IAS <prince.dhawan@ias.nic.in>, Santulan Chaubey <santulan@gov.in>, Amit Singla <secyit@nic.in>, <bjohn@niua.org>, <ktywari@niua.org>, <nrajadhyaksha@niua.org>

Dear Lovesh ,

We got the approval from Hon'ble Minister , no change. For your info please.

Regards

Munish

PERSPECTIVE PLAN FOR INFRASTRUCTURE SERVICE FOR DELHI - 2041
AGENCY: DEPARTMENT OF INFORMATION AND TECHNOLOGY, GNCTD

Perspective plan for making Delhi digitally enabled as per National Digital Policy:

1. Creating a Robust Digital Communication Infrastructure

- Provide Universal broadband connectivity at 1Gbps to every citizen
- Enable fixed line broadband access to 100% of households
- Achieve 'unique mobile subscriber density' of 100% by 2041
- Enable deployment of public Wi-Fi Hotspots; to reach
- Ensure connectivity to all uncovered areas

2. Implementing a 'Fibre First Initiative' to take fibre to the home, to enterprises and to key development institutions e.g. schools, colleges, hospitals.

- Promoting collaboration models involving state, local bodies and private sector as necessary for provision of shared duct infrastructure in municipalities, rural areas and national highways.
- Facilitating Fibre-to-the-tower programme to enable fiberisation of 100% of telecom towers thereby accelerating migration to 4GB/5GB.
- Incentivising and promoting fibre connectivity for all new development construction.

3. Establishment of a GNCTD Digital Grid:

- Establishing Common service ducts and utility corridors in GNCTD and highway road projects, and related elements.
- Facilitating development of Open Access Next Generation Networks

4. Ensuring a holistic and harmonised approach for harnessing Emerging Technologies

- Synergising deployment and adoption of new and emerging technologies by:
 - i. Creating a roadmap for emerging technologies and its use in the communications sector, such as 5G, Artificial Intelligence, Robotics, Internet of Things, Cloud Computing and M2M.
 - ii. Simplifying licensing and regulatory frameworks whilst ensuring appropriate security frameworks for IoT/M2M/future services and network elements incorporating international best practices.
 - iii. Earmarking adequate licensed and unlicensed spectrum for IoT / M2M services
- Enabling Hi-speed internet, Internet of Things and M2M by rollout of 5G technologies.

- Establishing GNCTD as a hub for cloud computing, content hosting and delivery, and data communication systems and services.
 - Leveraging Artificial Intelligence and Big Data in a synchronized and effective manner to enhance the overall quality of service, spectrum management, network security and reliability.
 - Information provided in the plan enclosed Establishing Centres of Excellence including in Spectrum Management, Telecom Security and Next Generation Access Technologies.
- 5. Promoting Start-ups and SMEs:**
- Supporting Start-ups with various fiscal and non-fiscal benefits, including:
 - Academic collaborations, permissions for pilots and testing, concessions on imported software, mentoring support etc.
 - Promoting participation of Start-ups and SMEs in government procurement
 - Funding pilot deployments through USOF
- 6. Setting up of virtual schools:** Govt. of NCT of Delhi will set up virtual schools to provide another channel to the public to pursue with getting education and skills in a formal virtual schooling.
- 7. Digital Delivery of Government Services:** Government of NCT of Delhi will provide all its Government services to the citizens online as well as through mobile. The delivery of these services will be through secured Digi-Locker system. The citizen will use either web portal or UMANG platform to get the Government services.
- 8. Promotion of IT/ITES:** Government of NCT of Delhi has already announced its policy to remove polluting industries from Delhi. Delhi Government will promote clean environment industries like IT and IT enabled services in Delhi.
- 9. Plans for provision of Public Wi Fi:** In the current Wi Fi schemes of providing free wi-fi to the citizens of Delhi rental model is adopted. In this scheme all the bus stops (about 4000 in Nos) are covered. The data limit per user is 15 GB per month. By 2041, GNCTD, Delhi can plan to cover all the area with Wi Fi. This includes the Wi Fi access in all public vehicle and public place including schools, colleges, hospitals etc. The bandwidth at WiFi, Hotspots can go up to the speed of 1 GBPS per user. All the security concern should be taken care while planning the complete Wi Fi network for GNCTD. Smart Poles is the way forward to accelerate the growth.
- 10. Key infrastructure or special projects identified during the plan period, along with**

details of projects and their timelines:

- **A digitally enabled and connected city:** Delhi shall need adequate infrastructure provisions to support the advent of higher service levels like network of 5G and above, full city fibre coverage, further integration of city's digital systems with IoTs (Internet of Things), Artificial Intelligence (AI), Cloud Computing and Big Data etc. The highly equipped and digitally smart unified command and control centres set up by the local bodies can be the key drivers for effective urban management of Delhi.
- With increased level of digitalization, data centres may be setup to meet the need for data storage, server management, etc. Such data centres may be developed by public and/or private agencies and can come up in industrial land use as per provisioned
- Connectivity through fibre-optics is considered to be more efficient in terms of internet speed and reliability of services, "Fibre First Initiative" of NDCP 2018 and regulations of ROW Policy 2016 will facilitate augmentation of telecom infrastructure. Implementation of optic fibre shall be through collaborative models involving state government, local bodies and private sector as required for provision of shared telecommunication infrastructure.
- Smart poles may be installed in public areas, comprising of CCTV cameras, air pollution monitoring sensors, telecom antenna, Wi-Fi hotspots/ microcells, solar lighting, public address and messaging systems, emergency call box etc., which in turn shall be connected to the digital systems of various city agencies.

11. Back-up plan for connectivity during emergencies/ disasters

Developing a comprehensive plan for network preparedness, disaster response relief restoration and reconstruction

- Strengthening network resilience by:
 - i. Framing and enforcing standard operating procedures to be followed during disasters and natural calamities, including sectoral guidelines for disaster response and recovery applicable to various service providers.
- Developing a Unified Emergency Response Mechanism by:
 - ii. Creating an institutional framework with clearly defined roles and responsibilities,
Standard Operating Procedures and technical guidelines
 - iii. Enforcing obligations of service providers to share infrastructure, and ensure interoperability in emergency situations in a network-agnostic, operator – agnostic and technology-agnostic manner.

दिल्ली मुख्य योजना-2041 का ड्राफ्ट पाठ दस्तावेज और भूमि उपयोग प्लान उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य दिवसों में रिसेप्शन डेस्क विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002 पर उपलब्ध रहेगा। यह निम्नलिखित लिंक अर्थात् <https://dda.org.in/hotlinks.aspx> पर भी उपलब्ध रहेगा।

फाइल नं. 18(15)/2021-एमपी

(डी.सरकार)
आयुक्त एवं सचिव,
दिल्ली विकास प्राधिकरण